

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY
**CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY**

CALL NO. Sa3A Kau - P20

D.G.A. 79.

20000



* कौटिल्य अर्थशास्त्र *

का

सरल और सारगमित हिन्दीभाषानुवाद

— ३६ —

अनुवादक —

श्रीयुत प्राणनाथ विद्यालङ्घार प्रोफेसर
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।

S. A.

* प्रकाशक *

मांती लाल बनारसी दास,
अथव “पञ्चाम संस्कृत पुस्तकालय”
सरमिला बाजार, लाहौर।

[प्रकाशित दिन १५ अगस्त १९५१] सर्वाधिकार सुरक्षित [मुद्रा १६२३]

प्रकाशक—
मोती लाल बनारसी दास,
अध्यक्ष पञ्चाव संस्कृत पुस्तकालय,
सैद मिट्ठा बाजार लाहौर।

All Rights Reserved.

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY, NEW DELHI.
Acc. No. 16334
Date 23/2/59
Call No. 5a 3A/K

मुद्रकः—
सरदारी लाल जैन,
मैनेजर "मुम्बई संस्कृत प्रेस"
सैद मिट्ठा बाजार लाहौर

निवेदन ।

कुछ ही वर्ष हुए कि कौटिल्य-अर्थशास्त्र नामक महत्वपूणे ग्रंथ मैसूर से उपलब्ध हुआ। डाकटर शाम शास्त्री ने इसको प्रकाशित किया। महत्व को देखकर इसका आंग्लमाषा में भाषान्तर भी उन्होंने कर दिया। कौटिल्य अर्थशास्त्र इतना कठिन ग्रंथ है और उसमें जने अधिक अप्रवालित पारिभाषिक शब्द हैं कि इसके भाषान्तर भूल तो अपवाद न होकर नियम बनाए रखा है। मोती लाल बनारसी गास ने आवश्यकता को देखकर इसके हिन्दी भाषान्तर के लिये उद्योग किया। कुछ समय हुआ कि उन्होंने इस काम को हाथमें जैन के लिये लिखा। मैं कई वर्षों से इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहा था और इसके पारिभाषिक शब्दों को चुनकर एह कोश तैयार कर रहा था। कोश में इस समय तक चार हजार पाँच हजार शब्द चुने जानुके हैं। हिन्दी भाषान्तर में इस कोश के सहारे मैं कई भूलों से बच गया जिनसे डाकटर शाम शास्त्री स्थान स्थान पर फँस गये। द्वयन्तस्वद्य मौल तथा पाल शब्दही लीजिये। स्मृतियों में मौल तथा पाल शब्द प्रवासी त्रैतीयों के द्वारा तथा गोपाल के लिये आया है। कौटिल्य ने भी इन शब्दों के इसी अर्थ में व्यवहार किया। परंतु डाकटर शाम शास्त्री ने मौल का यौगिक अर्थ सामने रखा। पुराना या वंशागत अर्थ कर दिया है। इसी प्रकार भूत्य भरणीय प्रकरण में उन्होंने पाल का गोपाल अर्थ न कर अंग रक्षक अर्थ कर दिया है। व्यय, व्यय, आसार, प्रसार, वीवध, सत्र, परिघ, चकचर, रात्रिचरण, उदकचरण, प्रकृति पार्षिण आदि हजारों पारिभाषिक शब्द हैं जिनके कारण ग्रंथ का भाषान्तर करना कठिन काम होगया है।

कौटिल्य-अर्थशास्त्र का हिन्दी भाषान्तर मूल ग्रंथ का शब्दानुवाद है। डाकटर शाम शास्त्री के आंग्लमाषा के भाषान्तर को प्राचीन ग्रंथ के

दुर्गम स्थानों तथा परिभाषिक शब्दों को पूर्णरूप से सुरक्षित रखने के लिये ग्रंथ में उन्हीं शब्दों का प्रयोग कियागया है और साथ ही कोष में उनका भाषान्तर दे दियागया है ।

इस ग्रंथ को लिखने से पूर्व अर्थ शास्त्र तथा इतिहास पर लगभग बारह ग्रंथ लेखक लिख चुके हैं जिनको पूर्ण संख्या लग भग सात हजार पृष्ठों तक पंहुंचती है । इतना काम कर चुकने पर भी चिरकाल से चित्त में उद्ग्रेग था कि कौटिल्य-अर्थ शास्त्र का हिन्दी भाषान्तर प्रकाशित होना चाहिये । परन्तु साथ ही वह भाषान्तर ऐसा होना चाहिये कि अन्वेषण तथा संशोधन के काम में लगे लोगों को पूर्णरूप से सहायता मिल सके । मोतीलाल बनारसी दास की फर्म के सचेत तथा उदारता पूर्ण व्यवहार ने लेखक को इस आवश्यक काम के समाप्त करने में पूर्ण सहायता पंहुंचायी और गुरुकुल कांगड़ी में पन्द्रह वर्ष तक संस्कृत पढ़ने के कारण लेखक इस काम को हाथ में लेने के लिये योग्य हो सका । दोनों ही संस्थाओं के लिये लेखक कृतज्ञ है ।

अर्थ शास्त्र संबंधी महत्व पूर्ण बारह ग्रंथों के लिखने के बाद लेखक ने जर्मनी इंग्लैड आदि देशों में जाकर विशेष अध्ययन करने के लिये उद्योग किया । इस उद्योग में श्री पूज्य डाक्टर प्राण जीवन महता तथा घनश्याम दास जी विरला की उदारता ने बड़ी भारी सहायता पंहुंचायी । इधर मोतीलाल बनारसी दास के सत्य पूर्ण व्यवहार ने कौटिल्य अर्थशास्त्र की हिन्दी भाषान्तर रूपी मेरी अभिलाषा को पूर्ण करदिया । हिन्दी पाठकों की अब तक मैंने जो सेवा की है, वह इतनी अपर्याप्त तथा तुच्छ है कि मैंने योग्य प्रस्थान के लिये तैयारी की और इसी लिये मातृभाषा के अर्थशास्त्र संबंधी साहित्य को किसी तरह पूरा करसकूँ । इसी ग्रंथ की समाप्ति के साथ ही मैं मातृभूमि तथा हिन्दी पाठकों से पांच साल के लिये विदाई मार्गता हूँ ।

प्रस्तावना !

कौटिल्य अर्थशास्त्र का कौन लेखक है ? उसका क्या जीवन वृत्तान्त है ? उसने क्या काम किया ? कहां का रहने वाला था ? इत्यादि बातों का पूर्ण रूप से हमको ज्ञान नहीं। ग्रंथ में लेखक अपना नाम कौटिल्य देता है। ग्रंथ के अंत में उसने लिखा है कि :—

येन शास्त्रं च शस्त्रं च नन्दराजगताच भूः ।
अमर्षेणोद्भूतान्याशु तेन शास्त्रमिदं कृतम् ॥

अर्थात् इस ग्रंथ को उसने लिखा है जिसने कि शास्त्र, शस्त्र तथा नन्दराजा द्वारा शासित पृथ्वी का एक साथ उद्धार किया। नन्दराजा के नाश के संबंध में विष्णु पुराण में लिखा है कि :—

महापदत्रः । तत्पुत्राश्चकं वर्षशतमवनतीपतयो भविष्यन्ति ।
नवैव । तान्नन्दान्कौटिल्यो ब्राह्मणस्समुद्धरिष्यति । तेषामभावे
मौर्याश्च पृथिवीं भोक्ष्यन्ति । कौटिल्य एव चन्द्रगुप्तं राज्ये-
भिषेद्यति । तस्यापि पुत्रो विन्दुसारो भविष्यति । तस्याप्य
शोकवर्धनः ॥

अर्थात् । महापदत्र तथा उसके नौ लड़के १०० साल तक राज्य करेंगे उन नन्दों का कौटिल्य नामक ब्राह्मण नाश करेगा। उनके न रहने पर मौर्य पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य ही चन्द्रगुप्त को राज्य पर बैठावेगा। उसका पुत्र विन्दुसार होगा। विन्दुसार का पुत्र अशोकवर्धन होगा।

शिलालेख संबंधी प्रमाणों से मालूम पड़ा है कि चन्द्रगुप्त मौर्य ३२२ वी. सी. और अशोकवर्धन २६६ वी. सी. में राज्य पर ठा। इसी से स्पष्ट है कि कौटिल्य ने इस ग्रंथ को ३२१ वी. सी. ३०० वी. सी. के बीच में लिखा।

अर्थशास्त्र का लेखक वही कौटिल्य है जिसने चन्द्रगुप्त को राज्य पर बैठाया इसको कामन्दकनीतिसार के लेखक ने भी पुष्ट किया है। दृष्टान्त स्वरूप वह लिखता है कि :—

यस्याभिचारवज्रेण वज्रज्वलनतेजसः ।

पपात मूलतः श्रीमान् सुपर्वानन्दपर्वतः ॥ ४ ॥

एकाकी मंत्रशूक्लत्या यः शक्त्या शक्तिधरोपमः ।

आजहार नृचंद्रीय चन्द्रगुप्ताय मेदिनीम् ॥ ५ ॥

नीतिशास्त्रामृतं धीमानर्थशास्त्रमहोदधेः ।

समुद्रेनमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेदसे ॥ ६ ॥

दर्शनात्तस्य सुदृशो विद्यानां पारद्वश्वनः ।

यत्किञ्चिदुपदे द्यामः राजविद्याविदंमतम् ॥ ७ ॥

अर्थात् “कामन्दकनीति उसी विद्वान् के ग्रंथ के आधार पर लिखी गई है जिसके वज्र से पर्वत की तरह स्थिर नन्द जड़ से उखड़ गया। जिसने चन्द्रगुप्त को पृथ्वी का राजा बनाया। जिसने अर्थशास्त्र रूपी समुद्र में से नीतिशास्त्र रूपी अमृत को निकाला। उसी विष्णुगुप्त को नमस्कार है”।

बौद्धी सदी में जो हिन्दू लोग जावा में जाकर वहसे अपने साथ कामन्दक नीति को लेते गये। महाभारत के बाद इसी ग्रंथ को वह सब से अधिक महत्व देते हैं। कामन्दक सदृश ही दंडी ने भी अर्थशास्त्र के लेखक का नाम विष्णु गुप्त दिया है। वह लिखता है कि :—

अधीष्ठ तावद्गणनीतिम् । इयमिदानीमाचार्यविष्णु-
गुप्तन मौर्यार्थं पद्मिःश्लोकसहस्रैःसंविसा । सैवेयमधीत्य
सम्यग्नुष्ठीयमाना यथोक्तकार्यव्याप्तेति ।

अर्थात्। “दंडनीति को पढ़ो। आचार्य विष्णु गुप्तने मौर्य के लिये ६००० श्लोकों में संक्षेप से इस ग्रंथ को लिखा है। यदि वह उत्तम विधिपर पढ़ी जाय तो उससे यथेष्ट फल मिले”। इसप्रमाण के अतिरिक्त सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि दंडीने जिन जिन

बातों पर चाणक्य का हास्य किया है वह सब के सब वाक्य ज्यों
के त्यों अर्थशास्त्र में मिलते हैं *.

दंडी के सदृश ही वाणि भी लिखी है कि:—

किं वा तेषां सांप्रतं येषामतिनृशंस प्रयोपदेशे निर्धुणं कौटिल्य
शास्त्रं प्रमाणं । आभिचारक्रिया कूरकप्रकृतयः । पुरोधसो गुरुवः ।
परातिसंधानं परा मंत्रणः उपदेष्टारः । नरपतिसहस्रो जिभतायां
लक्ष्यमासाङ्किः । मरणात्मक्षु शास्त्रप्वामि योगः । सहजेप्रमाद्रे
हृदयानुरक्ता भ्रातर उच्छ्रेयाः ॥

अर्थात्—उनलोगों के लिये क्या कहा जाय् । जो कि धृणित
धृणित कार्य का ठीक बताने वाले कौटिल्य अर्थशास्त्र को प्रमा-
ण मानते हैं । जिनकी प्रकृतियां माया तथा योग वामन संबंधी
कामों के करने के कारण कूर हैं । जिनके गुरु पुरोहित और

* १. “इयत ओदनस्यपाकायैतावदिन्यनम्” ।

१. कान्तु पञ्चविंशति पल तण्डुलप्रस्थ
साधनम्” ।

अधि. २ अध्या. १६

२. “कृत्स्नमायव्ययनात्महः प्रथमेऽष्टमे
भागे श्रोतव्यम्” ।

२. “दिवसम्याष्ट मे भागे रक्षाविधान-
मायव्ययौ च शृण्यात्”

अधि. १ अध्या. १६

३. “चत्वारिंशान्वचाणक्योपदिष्टाना हरणो-
पायान सहस्राऽऽम्बुदवैव विकल्प-
यितारः” ।

३. “तेषां हरणोपायाश्वत्वारिंशत्...—”

अधि. २ अध्याय, ८

४. द्वितीये ऽन्योन्यं विवदमानानां तृतीये
स्नातुं भोक्तुं चतुर्थे हिरण्य प्रति-
महाय” ।

४. द्वितीये पौरजानपदानां कार्द्यणि
पश्येत् तृतीये स्नानं भोजनं सेवेत्,
स्वाध्यायं च कुर्वाति चतुर्थं हिरण्य
प्रतिग्रहमध्यदांश्च कुर्वति”

अधि. १ अध्याय १६

५. “मुक्तस्य यावदन्धःपरिणामस्तावस्य-
विषमयं न शाम्यन्येत्” ।

५. अपेञ्चालाभूम नीलताः इति विष युक्त
लिङ्गानि”

अधि. १ अध्या. २०

दश कुमारचरितम् ॥

सलाह कार ऐसे मन्त्री हैं जो कि दूसरे को धोखा देना ही ठीक समझते हैं। जिनके लिये हजारों राजाओं से परित्यक लद्भी ही सबकुछ है। जो कि मरणात्यक शास्त्रों का प्रयोग करते हैं। तथा भाई तक को मारना पसन्द करते हैं।

पंचतंत्र के लेखकने लिखा है कि:—

ततो धर्मशास्त्राणि मन्वादीनि । अर्थशास्त्राणि चाणक्यादीनि । कामशास्त्राणि वात्स्यायनादीनि ॥

अर्थात् धर्मशास्त्र से तात्पर्य मन्वादि, अर्थशास्त्र से तात्पर्य चाणक्यादि और काम शास्त्र से तात्पर्य वात्स्यायनादि-से है। इससे भी यही स्यष्ट है कि अर्थशास्त्र का पर्याप्त अधिक प्राचीन है। वात्स्यायन ने काम सूत्र लिखते समय अर्थशास्त्र को ही अपना पथदर्शक नियत किया। यही कारण है कि उसका प्रकरण विभाग अर्थ शास्त्र से मिलता है। *

* १. कामसूत्र मिदंप्रणीतम् तस्यायं प्रकरणाधिकरण समुद्देशः ।.....विद्या समुद्देशः आपनिषदिकम् १-१	इर्मर्यशास्त्रकृतम् तस्यायंग्रकरणाधिकरण समुद्देशः । विद्यासमुद्देशः..... आपनिषदिकम् १-१
२. पितॄपतामह वश्य इति मित्रसम्पत् १-२	पितॄपतामहम् वश्यम् इतिमित्रसम्पत् ६-१
३. कामोपधाशुद्धावच्छिणो ऽन्तःपुरे स्थापयेदित्याचार्याः ५-६	कामोपधाशुद्धान् वाह्याभ्यन्तर विहार रक्षासु १-१०
४. इत्स्ततश्च स्वयमेवापसृत्योपजपतिच्च-दुभ्योर्गुणानपेक्षी चलवृद्धिगमन्धेयः ६-४	स्वदोप्येण गतागतो गुणमुभयोः परित्यज्याकारणाऽनाश्वलवृद्धिरसन्धेयः ५-८
५. अर्थोऽधर्मः कामः इत्यर्थं त्रिवर्गः । अनर्थोऽधर्मो द्वेष्य इत्यनर्थं त्रिवर्गः ६-६	अर्थोऽर्थसुवन्धः कामइत्यर्थत्रिवर्गः । अनर्थोऽधर्मशोकऽनर्थं त्रिवर्गः ६-७
६. अर्थोऽर्थानुवन्धः अर्थोनिगनुवन्धः अर्थोनर्थानुवन्धः अनर्थोऽर्थानुवन्धः अनर्थोनिगनुवन्धः अनर्थोऽनर्थानुवन्धः अनर्थोऽनर्थ इतिसंशयः धर्मोऽधर्म इतिसंशयः कामोद्वेष्य इतिसंशयः ६-६	अर्थोऽर्थानुवन्धः अर्थोनिगनुवन्धः अर्थोऽनर्थानुवन्धः अनर्थोऽर्थानुवन्धः अनर्थोनिगनुवन्धः अनर्थोऽनर्थानुवन्धः अनर्थोऽनर्थ इतिसंशयः धर्मोऽधर्म इतिसंशयः कामशोक इतिसंशय त्रिवर्गः ९-७

रघुवंश के कुछ एक वाक्यों की व्याख्या में मिलनाथ ने कौटिल्य अर्थ शास्त्र का सहारा लिया *कालोदास ने शिकार के पक्ष में उन्हीं गुक्कियों को दिया है जो कि कौटिल्यने अथवे अर्थ शास्त्र में दी है +

+ १०. भूतपूर्वमभूतपूर्व वा जनपदं परदेशं प्रवाहेन स्वदेशाभिष्यन्तवमनेन वा- निवेशयेत्

रघु. १५; दृष्टि कुमाइ. ६, ७३.

२. कार्याणां नियोगविकल्पसमुच्चया भवन्ति । अनेनैवोपायेन ना न्येनेति नियोगः । अनेन वान्येन वेतिविकल्पः अनेन चेति समुच्चयः

रघु. १७-४८

३. क्षीणाः प्रकृतयोऽन्नोभ्यं लुभ्वायान्ति विरागताम् । विरक्ता यानपमित्रं वा भर्तारं व्रतिवाक्यम्

रघु. १२. ५५

४. समज्यायोध्यां संदधीनहीन विगृह्णीयात् रघु. १७, ५६

५. मन्त्रप्रभावोत्साह शङ्किभिः परामन्द- ध्यात् १७-७६

६. दुर्बलोवलवत्सेवी विरुद्धाच्छङ्कितादि- भिः । वर्तेत दण्डोपनतो भर्तेयेवम- वस्थितः १७-८६

७. धर्माधर्मां त्रयां मर्थानथौ वार्तायां यानयौ दराढनीत्या मीति रघु. १८; ५०

+ ८. मेदश्चेद कृशोदरं लघु भवत्युत्थान योग्यं वपुः । सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमचित्तंभयकोशयोः । उक्तं स्स च धन्विनां यदित्वस्मिद्धयन्ति लक्ष्यं चले मिथ्याहि व्यसनं वदन्ति मूगयामीदविनोदः कुतः ।

अभिम. शाकु. २; ५

१. भूतपूर्वमभूतपूर्व वा जनपदं परदेशं प्रवाहेन स्वदेशाभिष्यन्तवस नेन वा निवेशयेत्

अर्थ. २; १

२. आपदां नियोगविकल्पसमुच्चया भवन्ति । अनेनैवोपायेन नान्येनेति नियोगः । अनेन वान्येन वेति विकल्पः । अनेनान्येन चेति समुच्चयः

अर्थ शास्त्र १०; ७

३. क्षोणाः प्रकृतयोऽन्नोभ्यं लुभ्वायान्ति पिरागताम् । विरक्तायान्ति मित्रं वा भर्तारंभन्ति वास्तव्यम्

अर्थ शास्त्र १७; ५५

४. समज्यायोध्यां संदधीत हीनेन विगृ- ह्णीयात् अर्थ. ७; ३

५. उत्साहप्रभाव मन्त्र शनीनामुत्तरो- चराधिकोऽसिसंधते दृ; १

६. संयुक्तबलवत्सेवी विरुद्धः शङ्कितादिभिः वर्तेतदण्डोपनतो भर्तेयेव मवस्थितः ।

७-१५

७. धर्माधर्मां त्रयां अर्थनिश्चांवार्तायां नयानयौ दण्डनीयाम्

अर्थ. १; २

मृगयायातुश्चेष्यम् पित्तमेदसूचेद्दो- शश्वले स्थिरे च काये लक्ष्यपरिचयः कोपस्थाने हितेषु च मृगाणां चित्त ज्ञानं अनित्ययानं चेति

अ० ८; ३

इसप्रकार स्पष्ट है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र महानाथ के समय तक प्रचलित था । कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के नाम हैं । और यह वही मनुष्य है जिसने नन्दों को नष्ट कर चन्द्र गुप्तको राज्य पर बैठाया । हेमचन्द्र १ यादव प्रकाश कृत वैजयंती २ तथा भोजराज कृत नाम मालिका ३ से यह मालूम पड़ता है कि कौटिल्य तथा विष्णु गुप्त का तीसरा नाम चाणक्य है ।

नन्दसूत्र में भी यही लिखा है कि चाणक्य ने कौटिल्य नामक ग्रंथ बनाया । इसके अतिरिक्त एक और सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मैगस्थनाज ने भारत की सामाजिक तथा राजनैतिक अवस्था का जो वर्णन किया है वह कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है । इसपर नन्दलालडे ने अपनी “एशियन इंडियन हिन्दु-पालिटी” नामक पुस्तक में उत्तम विधि पर प्रकाश डाला है ।

कौटिल्य की लेखशैली आपस्तंब वौधायन आदि धर्मसूत्र लेखकों से मिलती है । कौटिल्य के सैकड़ों शब्द हैं जिनका संस्कृत के ग्रंथ में बहुत कम प्रयोग मिलता है । दृष्टान्त स्वरूपः—

युक्त	उद्यानपदी
उपयुक्त	कर्काट रुश्ट्रुंगी
तत्पुरुष	काकपदी
परिव	प्रदर

१. वात्स्यायनो महानागः कौटिल्यश्चणकात्मनः ।
द्रामिलः पक्षिलः स्वामी विष्णुगुप्तोऽगुलश्चसः ॥
हेम चन्द्र ।
२. वात्स्यायनस्तु कौटिल्यो विष्णुगुप्तो वराणकः ।
द्रामिलः पक्षिलस्त्वामी मङ्गनागोऽङ्गुलोपिच ।
यादवप्रकाश—वैजयंती ।
३. कात्यायनो वरश्चि मैयजिच्च पुनर्वसुः ।
कात्यायनस्तु कौटिल्यो विष्णुगुप्तो वराणकः ।
द्रामिलः पक्षिलः स्वामी मङ्गनागोऽङ्गुलोपिच ।
भोजराज - नाम मालिका

व्याजि	दृढ़क
रूपिक	असहा
पारीक्षिक	पारिपतन्तक
परोक्त	स्थूलकर्ण
निवेशकाल	अभिसृत
उच्छ्रुत्क	परिसृत
ओपनिषदिक	अतिसृत
सर्वज्ञस्थापन	अपसृत
रोचन्ते	उन्मंत्री
चानुभ्यञ्चभागिकाः	अवधान
नस्यकर्म	बलि
चातुराश्रिकः	गोमूत्रिकामंडल
दैवतसंयोगख्यापन	प्रकीर्णिका
शकट	व्याकृतपृष्ठ
सत्र	अनुवंश
स्तम्भवाट	अग्रभग्नरक्षा
उदकचरण	पार्श्वभग्नरक्षा
रात्रिचरण	पृष्ठभग्नरक्षा
आयुक्त	भग्नानुयात
सत्री	प्रभंजन
परिव्राजिका	अनुपात
चक्रचर	
चक्रान्त	
अर्थचर	

कौटिल्य का अर्थशास्त्र याहूवल्क्य समृति से प्राचीन है कौटिल्य ने ऐसी बहुत सी बातें दी हैं जोकि पौराणिक काल के हिन्दुओं के विचारों के प्रतिकूल हैं। कौटिल्य के समय के—अत्याचारपूर्ण राज्यकर, अन्तःपुर के दोष, अमीरों को मरवाकर धन लूटना, मनुष्यों की गणना, धार्मिककर, सांयात्रिककर, मन्दिरों की संपत्ति को लूटना, पशुओं को मारना, बेर्इमारी से भरी संधियां, कूटयुद्ध, खतरनाक धूओं का प्रयोग, चुप्पे चुप्पे लोगों को जहर

देना—आदि कार्य बौद्धों के समय में पसन्द नहीं किये गए। यही कारण है कि याज्ञवल्क्य स्मृति में इन बातों का उल्लेख नहीं मिलता। इसी प्रकार विवाह संबंध का भंग होना, खियों का किसी दूसरे पुरुष से पूर्वपति के रहते हुए भी विवाह कर लेना, शूद्रा लड़कियों के साथ ब्राह्मणों का विवाह करना, मांस खाना, शुराब पीना तथा युद्ध करना भी ईस्तीसदी के प्रारम्भ में भारत के अन्दर प्रचलित नहीं रहा। जादूरी टोना टुटका आदि भी किसी अंश तक कम होगया।

कौटिल्य के समय की जो जो बाँहें चिरकाल तक चलती रहीं उनको उन्हीं शब्दों में याज्ञवल्क्य स्मृति में लिख दिया गया। वृष्टान्त स्वरूप :—

कौटिल्य अर्थ शास्त्र ।

भ्रातृमार्या हस्तेन लंघयतो ।

संदिष्टमर्थमप्रयच्छतो ।

समुद्रगृह मुद्दिन्दतः ॥

[कौ. पृ. १६८.]

पुरुषं बंधनीयं बध्नतो ।

बन्धयतो बंधं वा मोक्षयतो ।

शालमप्राप्तव्यवहारं बध्नतो ।

बन्धयतो वा साहसदंडः ।

[कौ. पृ. १६९]

द्विनेत्र भेदिनः राजाद्विष्टमादेशतो

शूद्रस्य ब्राह्मणवादिनो अष्टशतो
दंडः ।

[कौ. पृ. २२७.]

रूपाजीवायाः प्रसहोपभोगे

द्वादशपणो दंडः । बहूनामेकाम-

धिचरतां पृथक् चतुर्विंशति

पणो दंडः ॥

[कौटि. द्वितीय सं. । पृ. २३६.]

याज्ञवल्क्यस्मृति ।

भ्रातृमार्याप्रहारदः ।

संदिष्टश्चाप्रदाता च ।

समुद्रगृहभेदकृत् ॥

[या. २. २३२.]

अवन्ध्यं यश्च बध्नाति ।

बधयश्च प्रमुञ्चति ।

अप्राप्तव्यवहारं च ॥

सदाप्यो दममुत्तमम् ॥

[या. २. २४३.]

द्विनेत्रभेदिनो राजाद्विष्टदेशकृत

स्तथा । विप्रत्वेनच शूद्रस्य
जीवतोष्ट गुणतोदमः ॥

[याज्ञ. २। ३०४.]

प्रसहा दास्यमिगमे दंडो दश

पणः स्मृतः । बहूनां यद्यकामासौ

चतुर्विंशतिकः पृथक् ।

[याज्ञ. २. २९१]

स्वदेशग्रामयोः पूर्वमध्यमंजाति
संधयोः । आक्षोशाद्दैव चैत्या-
नां उतमं दंडमर्हति ।

[कौ. पृ. १६४.]

त्रैविद्यनृग्रदेवानां क्षेप उत्तम
साहसः । मध्यमो जातिपूणानां
प्रथमो ग्राम-देशयोः ॥

[या. स्मृ. २। २१]

याज्ञवल्क्य के सदृश सोमदेव सूरी ने कौटिलीय अर्थशास्त्र
को सामने रखकर नीतिवाक्यामृत लिखा । सोमदेव सूरी राजा
यशोधर के समय में विद्यमान था । उसने लिखा है कि—

श्रूयते हि किल चाणक्यस्तीच्छदूतप्रयोगेणकं नन्दंजघानेति ।

[नीति. १३. पृ. ५२.]

अर्थात् सुना जाता है कि चाणक्य ने तीव्रणों तथा दूर्तों के
सहारे नन्द को मारडाला । चाणक्य के अर्थ शास्त्र तथा सोमदेव
के नीतिवाक्यामृत के निम्नालिखित वाक्य आपस में मिलते हैं—

नीति वाक्यामृत

उद्भूतेष्वपि शस्त्रेषु दूतमुखावै
राजानः । तेषामलपाव्रसार्थयनो-
प्यवध्याः किमंगपुनव्रीहणाः ।

ज्ञानबलं मंत्रशक्तिः । शशकेनेव
सिंहव्यापादनमत्र दृष्टान्तः
कोशदंड बलं प्रभुशक्तिः । शूद्रक
शक्तिः कुमारा दृष्टान्तः । विक्रम-
बलमुत्साहशक्तिः । अत्रामो-
दृष्टान्तः । २६: १६४ १६५

यावत्परेषोपहतं न चेतोऽधिक
मपकृत्य सन्धिमुपेयात् । नतम
लोहमतं स लोहेनसन्धते तेजो-
हि सन्धानकारणम् ।

समस्य समेनसह विग्रहोऽनिश्चि-
तं मरणं जयेसन्देहः । आमंहि पात्र
मामेनाभिहतमुभयतः क्षयमेव
करोति । ज्यायसा सह विग्रहो
हस्तिना पाद युद्धमिव ॥

कौटिल्य

दूतमुखा वै राजान स्त्वं चान्ये
च । तस्मादुद्भूतेष्वपि शस्त्रेषु
यथोङ्क वक्तारस्तेषामन्तावसान-
यिनोप्यवध्याः किमंगपुनव्रीहणाः
ज्ञानबलं मंत्रशक्तिः । कोशदंड
बलं प्रभुशक्तिः । विक्रमबल-
मुत्साह शक्तिः ।

यावन्मात्रमपकृया त्वावन्मात्र
मस्य प्रत्यपकृयात् तेजोहि सन्धा-
न कारणम् । ना तम लोहं लोहे
न सन्ध्यते ।

विगृहीतो हित्यायसा हस्तिना
पाद युद्धमिवाभ्युपैति । समेन
वामपात्र मामेनाभिहतमिवं
भयतः क्षयं करोति ॥

“कौटिल्य का मत है” “कौटिल्य के विचार में तो” इत्यादि बाक्यों से बहुत से योरूपीय विद्वान् समझते हैं कि कौटिल्य अथ शास्त्र किसी दूसरे का बनाया हुआ ग्रंथ है। असली में बात यह है कि संस्कृत के प्राचीन लेखक अपनी संमति इसी ढंग पर दिया करते हैं दृष्टान्तस्वरूप वात्स्यायन ने काम सूत्र में लिखा है कि :—

सा चोपाय प्रतिपत्तिः कामसूत्रादिति वात्स्यायनः ।

उपायपरिज्ञानं च कामसूत्रात् । तेनोपदिश्यमानत्वात् ।

वात्स्यायन इति स्वगोत्रनिमित्ता समाख्या । मङ्गनाग इति सांस्कारिकी ।

अर्थात् “वात्स्यायन का मत है” कि उपायों का ज्ञान कामसूत्र से होता है। क्यों कि उसकी व्याख्या उसी में है। वात्स्यायन गोत्र का और मङ्गनाग असली नाम है।

सारांश यह है कि यह ग्रंथ चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध मंत्री चाणक्य का लिखा हुआ है। उसी का नाम विष्णु गुप्त तथा कौटि-ल्य है। इस ग्रंथ का महत्व इसीसे जाना जासकता है कि “भारत के प्राचीन ऐतिहास” की बहुत सी उल्लेखने इससे सुलभगयीं। संस्कृत साहित्य में यह एक ही ग्रंथ है जो कि प्राचीन भारत की आर्थिक राजनैतिक तथा सामाजिक सभ्यता को विस्तृत रूप से प्रगट करता है विद्वान् लोगों का ज्यों २ ध्यान इस ओर दिन परदिन बढ़ता जाता है त्यों २ इसका महत्व दिन परदिन बढ़ता जाता है। भारतमें समय आने वाला है जब कि कोई भी राष्ट्रीय या सरकारी संस्था ऐसी न होगी जिसमें यह ग्रंथ पाठ्य पुस्तक न हो शरीर के लिये जैसे भोजन आवश्यक है वैसेही प्राचीन आद्यों के रहन सहन को समझने के लिये यह ग्रंथ आवश्यक है लेखक ने ग्रंथ का शब्दानुवाद भी इसी लिये किया है कि इसका ऐतिहासिक महत्व यों त्यों बनारहे। यदि यह कठिन है तो हिन्दी पाठक भी इसकी कठिनाइयों से पूर्ण रूप से परिचित रहें। आशाह कि पाठक गण लेखक के यत्न से लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे।

विषय सूची ।

पृथ्वी के लाभ तथा पालन के सम्बन्ध में पूर्व आचार्यों ने
जितने अर्थ शास्त्र लिखे प्रायः उनका संग्रह कर यह एक, अर्थ
शास्त्र बनाया गया । उसकी विषय सूची निम्नलिखित है ।

विषय सूची

पृष्ठ संख्या ।

१ अधिकरण विनायाधिकार	१-३६
विद्या—विषयक विचार	१
बृद्ध संयोग	५
इन्द्रिय जय	६
अमात्योत्पत्ति	८
मंत्रि तथा पुराणहित की नियुक्ति	१०
भिन्न २ उपायों से अमात्यों के हृदय की सफाई	११
तथा खोटकी परीक्षा	११
खुफिया पुलिस की नियुक्ति	१३
खुफिया पुलिस का प्रयोग तथा प्रबंध	१४
अपने देश में शत्रुओं के वश में आनेवाले तथा न आने वाले लोगों के द्वारा स्वपक्ष का रक्षण	१७
परदेश में कृत्य तथा अकृत्य पक्षके लोगों को वशमें करना	१८
गुप्त विचार तथा मंत्रणा	२२
दूत का प्रयोग तथा प्रबंध	...
राज कुमार की रक्षा	...
बंधन में पड़े राज कुमार का कर्तव्य	२५
राजा का प्रबंध तथा कर्तव्य	२७
अन्तः पुर का प्रबंध	३०
आत्म रक्षा	३१
२ अधिकरण अध्यक्ष प्रचार	३६-१३४
जनपद—नवेश	३६

भूमि का विभाग	४२
दुर्ग विधान	४४
दुर्ग निवेश	४७
सन्निधाता के कर्तव्य	५०
समाहर्ता द्वारा राज्यस्व प्रक्रिये करना	५२
गाणनिक्य का अक्षपटल में काम	५५
ग्रन्थ किये गये धनका ग्रास करना	५८
उपयुक्त परीक्षा	६१
शासनाधिकार	६३
कोश में ग्रहण करणे योग्य रत्नों की परीक्षा	६८
स्वनिज पदार्थों के व्यवसाय का संचालन	७१
सुवर्णाध्यक्ष का कार्य	७६
बिशिखा में सुनारों का काम	८०
कोष्ठागाराध्यक्ष	८४
परेयाध्यक्ष	८८
कुप्याध्यक्ष	९०
आयुधागाराध्यक्ष	९१
तोल माप	९३
देश तथा काल का मापना	९६
शुल्काध्यक्ष	९८
शुल्क व्यवहार	१०१
सूत्राध्यक्ष	१०२
सीताध्यक्ष	१०४
सुराध्यक्ष	१०६
सूनाध्यक्ष	१०८
गणिकाध्यक्ष	११०
नावाध्यक्ष	११२
गोअध्यक्ष	११५
अश्वाध्यक्ष	११८
इस्त्याध्यक्ष	१२३

हस्तप्रचार	१२४
रथाध्यक्ष, पत्यध्यक्ष तथा सेनापाति का काम	१२७
मुद्राध्यक्ष तथा विवीताध्यक्ष	१२८
समाहर्ता का प्रबंध तथा खुफिया पुलिस का प्रयोग	१२९
नागरक का कार्य	१३१
३ अधिकरण धर्मस्थीय	१३५—१८५
व्यवहार का स्थापन तथा विवाद का निर्णय	१३५
विवाह	१३६
विवाहितों के संबंध में नियम	१४१
विवाह विप्रयक नियम	१४४
दाय-विभाग	१४७
हिस्सों का बांटना	१४८
पुत्र-विभाग	१५०
गृह-वास्तुक	१५२
वास्तु विक्रय	१५४
चारागाह खेत तथा काम का नुकसान	१५७
ऋण दान	१६०
आौपनिधिक	१६४
दास-कल्प	१६८
थ्रम तथा पूंजी का विनियोग	१७१
विक्रय क्रय तथा जाकड़ का प्रबंध	१७३
दिये हुए धन का प्रहण, अस्वामिक धन का विक्रय तथा पदार्थों पर स्वत्व	१७५
साहस	१७८
धाक पारूप्य	१७९
दंड-पारूप्य	१८०
दृत समाहृत तथा प्रकीर्णक	१८२
४ अधिकरण कंटक शोधन	१८५—२१७
कारीगरों की रक्षा	१८५
व्यापारियों की रक्षा	१८६

दैवी विपत्तियों का उपाय	१९१
गृहा जीवियों की रक्षा	१९३
सिद्ध के भेस में बदमाशों का पकड़ना	१९५
शंका-रूप तथा कर्म के अनुसार	१९७
आशु मृतक परीक्षा	२००
शाक्य कर्मानुयोग	२०२
राजकीय विभागों का संरक्षण	२०४
एक अंग काटने का निष्क्रिय	२०७
शुद्ध तथा चित्र दंड	२०८
कन्या प्रकर्म	२११
अतिवार दंड	२१४
५ अधिकरण योग वृत्त	२१७--२३६
दंड विधान	२१७
कोश संग्रह	२२१
भूत्य भरणीय	२२६
राज्य सेवकों का कर्तव्य	२२८
समय का स्थाल रखना	२३१
राज्य का प्रबंध तथा एकैश्वर्य	२३३
६ अधिकरण मंडलयोनि	२३६--२४२
प्रकृति के गुण	२३६
शान्ति तथा उच्योग	२३६
७ अधिकरण धार्मगुण्य	२४२--२६५
धार्मगुण्य का उद्देश तथा क्षय, स्थान तथा वृद्धि	२४२
संभव्य वृत्ति	२५५
सम हीन तथा ज्याय के गुण और हीन की संभिति	२५७
आसन तथा प्रयान	२५६
युद्ध विश्वक विचार	२५२
साथ मिल कर चढ़ाई तथा संघियाँ	२५६
दैवीभाव से संबंध संघि तथा विक्रम	२६०
यातव्य तथा अनुग्राह मित्र का कर्तव्य	२६३

मित्र संधि तथा हिरण्य संधि	२६५
भूमि संधि	२६६
आपानवेशक संधि	२७१
कर्म संधि	२७४
पार्षिणग्राह चिन्ता	२७६
हीन शक्ति-पूरण	२८०
प्रबल शत्रु के साथ व्यवहार तथा विजित शत्रु का चरित्र	२८३
पराजित राजा का व्यवहार	२८४
संधिका करना तथा तोड़ना	२८८
मध्यम तथा उदासीन मंडल के कार्य	२९२
८ अधिकरण व्यसनाधिकारिक	२९६-३१५
प्रकृति-व्यसन-वर्ग	२९६
राजा तथा राज्य विषयक व्यसनों की चिन्ता	३००
पुरुष व्यसन वर्ग	३०१
पीड़नवर्ग, स्तंभवर्ग तथा कोशसंगवर्ग	३०५
बलव्यसन वर्ग तथा मित्रव्यसन वर्ग	३११
९ अधिकरण अभियास्यत्कर्म	३१६-३४२
शक्ति देश काल तथा यात्रा काल	३१६
सेनाका इकट्ठा तथा तैयार करना और दूसरे सेनाके काम	३२०
पश्चात्कोप चिन्ता और बाह्याभ्यंतर प्रकृति कोपका प्रतिकार	३२४
क्षय व्यय तथा लाभ का विमर्श	३२७
बाह्य तथा आभ्यंतर आपत्तियाँ	३२९
राज्य द्रेहियों तथा शत्रुओं के साथी	३३२
अर्थान्यसंशय विवेचन तथा उनकी उपाय विकल्पज सिद्धि	३३६
१० अधिकरण सांग्रामिक	३४२-३५७
सकन्धावार-निवेश	३४२
सकन्धावार का प्रयाण, बलव्यसन, अवस्कंदकाल तथा	३४३
सैनिक संरक्षण	३४३
कूट युद्ध, स्वसैन्योत्साहन तथा स्वबल तथा अन्यबल का	३४५
प्रयोग	३४५

युद्ध भूमि, पदाति अश्व रथ हस्ति आदि के काम	३४६
व्यूहविभाग, बखविभाग तथा चतुरंग सेना द्वारा युद्ध	३५१
दंडभाग मंडल तथा असंहत सम्बन्धी व्यूह और प्रतिव्यूह	३५४
का स्थापन	
११ अधिकरण संघ वृत्त	३५७-३६१
भेदोपादान तथा उपांशु दंड	३५७
१२ अधिकरण आबलीयस	३६१-३७३
दूत के काम	३६१
मत्र युद्ध	३६३
सेनापतियों का घात तथा राष्ट्र मंडल का ग्रोत्साहन	३६६
शस्त्र, आग्नि तथा रस का प्रयोग । वीवध आस्तार तथा	३६८
प्रसार का वध	३७०
योगाति संधान दंडातिसंधान तथा एक विजय	३७१
१३ अधिकरण दुर्ग लंभोपाय	३७३-३८६
उपजाप	३७३
योग वायन	३७५
खुफिया पुलिस का प्रयोग	३७६
किले का धेरना तथा शत्रु का नाश	३८२
विजित प्रदेश में शान्ति स्थापित करना	३८७
१४ अधिकरण औपनिषदिक	३८६-४०२
पर घात प्रयोग	३८६
अन्दूतोत्पादन	३९२
दबाई तथा मन्त्र का प्रयोग	३९५
शत्रु घातक योगों से स्वपक्ष का रक्षण	४०१
१५ अधिकरण तन्त्र युक्ति	४०२-४०७
शास्त्र के प्रतिपादन की सुक्ति	४०२
चाणक्य के सूत्र	४०८



कौटिल्य अर्थशास्त्र ।

१. प्रकरण ।

विद्या-विषयक विचार ।

(क)

दर्शन शास्त्र (आन्वीक्षकी), तीनों वेद (त्रयी), संपत्ति शास्त्र (वार्ता) तथा राजनीति शास्त्र (दंडनीति) यह चार विद्यायाँ हैं। मनु संप्रदाय के विद्वान् अन्तिम तीन को ही विद्या समझते हैं और आन्वीक्षकी या दर्शन शास्त्र को तीनों वेद का एक भाग प्रगट करते हैं। वृहस्पति मतानुयायी केवल अन्तिम दो ही को विद्या मानते हैं और कहते हैं कि तीनों वेद तो दुनियादार लोगों (लोक्यात्रा-दक्ष) के लिये आजीविका का सहारा (संवरण मात्र=संरक्षण का साधन) है। शुक्राचार्य के पक्षपातियों के लिये तो राजनीति शास्त्र (दंडनीति) ही एक मात्र विद्या है। शेष संपूर्ण विद्याओं का आरंभ

(१) कौटिल्य ने दुनियादार लोगों के लिये 'लोक यात्रा विद्' शब्द लिखा है। लोक यात्रा का तात्पर्य 'किसी तरीके से शपथा पैसा कमाकर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों से' है। इसी वाक्य में कौटिल्य ने 'संवरण' शब्द का प्रयोग किया है। डाक्टर शाम शास्त्री ने संवरण का अर्थ 'संक्षेप' (abridgement) किया है परन्तु इस शब्द का दूसरा अर्थ 'आच्छादन' अर्थात् 'अपने आपको बचाना' 'किसी तरीके से अपनी रक्षा करना' है। यहां पर दूसरा अर्थ ही टीक मालूम पड़ता है।

तथा विकास उसीके साथ बंधा हुआ है। कौटिल्य के विचार में उपरिलिखित चारों ही विद्यायें हैं। क्योंकि विद्या वही है जिससे धर्म तथा अर्थ की सिद्धि हो। सांख्य, योग तथा लोकायत (नास्तिक दर्शन) दर्शन शास्त्र के ही अन्तर्गत हैं। तीनों वेदों से धर्म तथा अधर्म का, संपत्ति शास्त्र से अर्थ तथा अनर्थ का तथा राजनीति शास्त्र से शासन तथा कुशासन का ज्ञान प्राप्त होता है। उपरिलिखित चारों विद्याओं की प्रधानता तथा अप्रधानता (बलाबले) परंभिन्न भिन्न हेतुओं से विचार करने वाला—

दर्शन शास्त्र, सदा से ही सब विद्याओं का प्रकाशक (दीपक), सब कामों का साधक तथा सब धर्मों का आश्रय है।

और यही संसार का उपकार करता है, सुख दुःख में बुद्धि को स्थिर रखता है, दूरदर्शिता, स्पष्ट वादिता तथा कर्मण्यताकोबद्धाता है।

४५६ (ख)

साम ऋक्त तथा यजुर्वेद इन तीनों का नाम ही त्रयी (तीनोंवेद) है। अर्थव्यवेद तथा इतिहासवेद का नाम ही वेद है। शीक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दोविवेक, तथा ज्योतिष ही इनके अंग हैं। त्रयी में निर्दिष्टधर्म (प्रगट किया हुआ धर्म) चारों घण्ठों तथा आश्रमों के लोगों को अपने अपने धर्म में स्थिर रखने के कारण

(१) कौटिल्य के “बलाबले चैतासां हेतुभिरन्वीक्ष्माणा” में जो बलाबले यह शब्द पड़ा है इसको डाक्यर शाम शास्त्री ने भूल से “दंडनीत्यं नशानयोः” के साथ समझ कर संपूर्ण वाक्य का अर्थ विगाड़ दिया है। आगे चलकर ‘एतासां हेतुभिरन्वीक्ष्माणा’ इनकी.....भिन्न भिन्न हेतुओं से विचार करने वाली आन्वीक्षकी इस वाक्य में “इनकी” क्या? यह पता नहीं चलता। पास ही पड़े हुए ‘बलाबले’ को यदि “इनकी” के साथ लगा दिया जाय तो “इनकी प्रधानता तथा अप्रधानता” का भिन्न भिन्न हेतुओं से विचार करने वाली आन्वीक्षकी ऐसा अर्थ होता है और “एतासां” में पड़ी पछी की भूल मिट जाती है। कौटिल्य ने बड़ी सकार्द के साथ ‘आन्वीक्षकी’ का ‘बलाबले चैतासां हेतुभिरन्वीक्ष्माणा’ यह वाक्य लिखकर लक्षण कर दिया है और उसकी विशेषता को उसी शब्द से खोल दिया है।

बहुत ही उपकारी हैं। ब्राह्मणोंका धर्म है कि वह पढ़ें, पढ़ावें, हवन करें करावें और दान देवें तथा लेवें। लौत्रियों का धर्म है कि वह पढ़ें, हवन करें, दान दें, शस्त्र तथा सैनिक कार्य से जीवन निर्वाह करें तथा प्राणिमात्र की रक्षा करें। इसी प्रकार वैश्य भी पढ़ें तथा हवन करें, और साथ ही कृषि पशुपालन तथा व्यापार का काम करें। शूद्र द्विजों की सेवा, वार्ता, काटीगीरी तथा चारण-चादक का काम करें। गृहस्थी अपनी मेहनत पर निर्वाह करें, असगोत्र वाले सजात में व्याह करें, ऋतुगामी हों, देवपितृ, अतिथि तथा भूत्यों के लिये त्याग करते हुए सब के अंत में भोजन करें। ब्रह्म-चारी स्वाध्याय, हवन का काम तथा स्नान प्रतिदिन करें, भीख मांगे और जान को हथेली में लिये आचार्य की सेवा करें। यदि वह न हों तो उनके लड़के की या उसके साथी की शुश्रृषा करें। वानप्रस्थी लोग ब्रह्मचर्य से रहें, जमीन पर सोवें, जटा रखें, मृग चर्म धारण करें, आग्निहोत्र तथा स्नान करें और देवपितृ अतिथि की पूजा के साथ साथ जांगलिक फल फूलों पर ही निर्वाह करें। सन्यासी तथा परिवाजक इन्द्रियों को वशमें रखते हुए किसी भी सांसारिक कामको न करें, धन तथा रूपये पैसे को न रखें, समाज में न रहें, पक स्थान में जंगल में न बसें, भिक्षा से निर्वाह करते हुए अन्दर तथा बाहर से पवित्र रहें, किसी की भी हिंसा न करें, सत्यवोलें, निन्दा तथा क्रूरता से दूर रहते हुए अपराधी को दमा करें।

अपने धर्म पर स्थिर रहने से ही स्वर्ग तथा मुक्ति मिलती है। इससे विपरीत चलने पर लोग वर्णसंकर तथा अधर्म से ग्रस्त होकर नाश को प्राप्त होते हैं:—

इसलिये राजा किसी को भी अपने धर्म से च्युत न होने दे। जो लोग, आर्यों की मर्यादा का पालन करते हुए, वेदों से रक्षा प्राप्तकर वर्णश्रम धर्म पर चलते हैं तथा उसी

(१) डाक्टर शामशास्त्री ने “अनारंभः” का अर्थ “संपूर्णकामों से पृथक् रहना” किया है। हमारा ख्याल है कि यहां “सांसारिक कामों” से ही नात्यर्थ है अतः उपरिलिखित भाषान्तर में ‘सांसारिक’ शब्द जोड़दिया गया है।

पर स्थिर रहते हैं वह इस लोक तथा परलोक में सुखी रहते हैं और दिनपर दिन उच्चति करते हैं । उनको अवनति का भागना नहीं करना पड़ता ।

(ग)

कृषि पशुपालन तथा व्यापार वार्ताशास्त्र का विषय है । इसके द्वारा धान्य, पशु, हिरण्य, जांगलिकद्रव्य तथा स्वतंत्र श्रम के मिलने से यह बहुत ही उपकारी विषय है । इसी से कोश दंड के द्वारा राजा स्व-पक्ष तथा परपक्ष को वश में करता है । आन्वीक्षकी, व्रयी तथा वार्ताशास्त्र का योगज्ञेम दंड पर निर्भर है । दंड की नीति प्रतिपादन करने वाले शास्त्र का नाम ही दंड नीति है । इससे अनुपलब्ध वस्तु प्राप्त होती है, उपलब्ध वस्तु की रक्ता की जाती है, रक्तित वस्तु बढ़ायी जाती है और बढ़ी हुई वस्तु योग्य योग्य व्यक्तियों में बांटी जाती है । इसी पर संसार में सफलता (लोक यात्रा) प्राप्त करना निर्भर है, इसलिये संसार में सफलता आहने वालों (लोक यात्रार्थी) को सदा ही उद्यत दंड रहना चाहिये । पुराने आचार्यों का विचार है कि लोगों को कावृ में रखने का दंड से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है । परन्तु कौटिल्य इससे सहमत नहीं है । कठोर-शासक (तीक्ष्ण दंड) से लोग तंग होते हैं, मृदुशासक (मृदुदंड) की अवहेलना करते हैं और उचितशासक (यर्थाह दंड) की पूजा करते हैं । सोच समझकर दंड का प्रयोग करने पर प्रजा धर्म, अर्थ तथा काम की ओर भुकती है । काम कोध या

(१) “इसीसे कोशदंडके द्वारा” इसका तात्पर्य है कि राजा वार्ताशास्त्र या संपत्तिशास्त्र में वताये हुए तरीकों से धान्य पशु हिरण्य आदि अनेक वस्तुएं प्राप्त करता है । इससे ‘कोश’ अर्थात् सजाना बढ़ाता है और राजा “दंड” शासन कार्य उचित विधिपर चलाने में समर्थ होता है और अपने पक्षके लोगों को तथा दुश्मन के माथ मिले हुए लोगों को अपने वश में करने में समर्थ हो जाता है ।

(२) “योग क्षेम” का तात्पर्य सुख समृद्धि तथा व्यापार की वृद्धि ।

(३) दंड शास्त्र का तात्पर्य ‘शामन’ से है । आगे आगे हुए ‘उद्यतदंड’ का मतलब ‘शामनमें मन्त्रद’ है ।

अज्ञान से ऐसा करने पर वानप्रस्थी तथा सन्यासी भी कुपित हो हो जाते हैं, गृहस्थ लोगों का तो कहना ही क्या है? यदि दंड का सर्वथा ही प्रयोग ने कियाजाय तो अराजकता तथा मात्स्य न्याय फैलजाय। शासक के अभाव में बली दुर्धर्लों को सताने लगे। ऐसे ही समय में 'गुप्त' प्रभुत्व प्राप्त करता है।

जब राजा चारों वर्णों के लोगों का शासन करता है, लोग अपने अपने धर्म कर्म में लगे हुए अपने अपने मार्गों पर चलते रहते हैं।



२. प्रकरण वृद्ध संयोग



यही कारण है कि आन्वीक्षकी, व्रशी तथा वार्ता दंडनीति पर निर्भर हैं। प्राणिशात्र के योग क्षेम का साधक दंड स्वयं विनय पर आश्रित है। विनय कृतक तथा स्वाभाविक के भेद से दो प्रकार हैं। शिक्षा पात्र का ही योग्य बना सकती है न कि अपात्रको।

(१) ऐसे ही समय में 'गुप्त' प्रभुत्व को प्राप्त करता है, इस वाक्य में 'गुप्त' का नामदर्य "चाटगुप्त" से है। कौटिल्य अर्थ शास्त्र चाणक्य का बनाया हुआ है इसके पृष्ठ करने में यह वाक्य भी उद्भूत किया जाता है।

(२) वृद्धसंयोग का तात्पर्य वृद्धिमान विद्वान् सदाचारी वृद्ध लोगों के मामंग में है।

(३) विनय। विनय शब्द शिक्षण, अर्थ में प्रायः आता है। प्रकरण वश इमका अर्थ दंगल तथा दूर्नी मंट हो जाता है। शिक्षण की अपेक्षा विनय शब्द बहुत विस्तृत अर्थ में आता है। गदका फटी पटा तलवार चलाना छुरामारना सीधना डिलकरना, आदि सभी प्रकार का ज्ञान विनय शब्द द्वारा प्रगट किया जा सकता है।

(४) कृतक अर्थ कृतिम या बनावटी है। जो स्वाभाविक न हों और परिश्रम से बनाया हो या प्राप्त किया गया हो उम्हों "कृतक" कहते हैं।

विद्या से वही योग्य होते हैं जो कि शुश्रूषा, श्रवण, प्रहण, धारण, विज्ञान, उहापोह (तर्क वितर्क) में विवेक तथा बुद्धि से काम लेते हैं । अन्यां के अनुसार ही विद्याओं का नियम तथा विनय है ।

मुँडन के बाद लिखना तथा गिनना सीखे । जेनेऊ के बाद शिष्ट लोगों से ब्रयी तथा आन्वीक्षकी, अध्यक्षों से वार्ता और वक्ता तथा प्रवक्ता लोगों से दंडनीति की शिक्षा ग्रहण करे । सोलह सालतक ब्रह्मचर्य धारण करे । इसके बाद गोदान तथा विवाह करे । विनय की बुद्धि के लिये प्रतिदिन विद्वानों का सत्संग करे क्योंकि विनय उन्हींपर निर्भर है । हाथी घोड़ा, रथ तथा हथियार चलना सबेरे सीखे । दुपहरके बाद इतिहास सुने । इतिहासका तात्पर्य पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्रसे है । शेष दिनमें नया पाठ पढ़े, पढ़ा हुआ समझे और न समझा हुआ पुनः सुने । सुनने से बुद्धि बढ़ती है । बुद्धिसे पढ़े हुए को काममें लाना आता है और इससे सामर्थ्य युक्त होता है । यही विद्या का लाभ है ।

जो राजा पदलिखकर प्राणिमात्र के हित में तत्पर होता है और प्रजा का शासन तथा शिक्षण करता है वह चिरकाल तक पृथ्वी का उपभोग करता है ।



३. प्रकरण । इन्द्रिय जय ।

(क)

काम, क्रोध, लोभ, मान, मद तथा हृष्ट को त्यागकर इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कीजाय । इसीसे विद्या तथा विनय उपलब्ध होता है । शास्त्र में कहे गये नियमों के अनुसार चलना अथवा पांचों इन्द्रियोंका अपने अपने विषयों की ओर न झुकने देनेका नाम ही

इन्द्रिय जय है । संपूर्ण शास्त्र यही प्रति पादन करते हैं । सारे संसार का कोई राजा क्यों न हो यदि वह इसके विरुद्ध आचरण करता है और इन्द्रियों के वशमें है तो वह शीघ्र ही नष्ट होजायगा । दृष्टान्त स्वरूप दांडक्य नामक भोज कामवश ब्राह्मणकन्या पर उन्मत्त होकर राष्ट्र तथा बन्धु के सहित नाश को प्राप्त हुआ । वैदेह कराल की भी यही दशा हुई । जनमेज्य गुस्ते में आकर ब्राह्मणोंपर विगड़ा और ताल जड़ भृगुओं पर । ऐल लोभ में आकर चारों वर्णों को सताने लगा और यही बात सौवीर अजबिन्दु न की । रावण अभिमान में आकर दूसरेकी औरत को और दुर्मोधन राज्य के कुछ भागको देनेपर तैयार न हुआ । डंभ का पुत्र तथा हैह्य वंशी अर्जुन सबलोगों का अपमान करता था । खुशी में आकर बातापि अगस्त्य पर और वृष्णिसंधि द्वैपायन पर दूटपड़ा ।

यह तथा अन्य बहुत से राजा छुओं शत्रुओं के वशमें होकर राष्ट्र तथा बन्धुके सहित नष्ट हुए । जितेन्द्रिय परशुराम तथा नाभाग अंवरीष छुओं शत्रुओं को वशमें कर चिरकाल तक राज्य करते रहे ।

(ग)

काम क्रोध आदि छुओं शत्रुओं का परित्याग कर इन्द्रियों पर विजय प्राप्तकरे । बृद्ध लोगों के सत्संग द्वारा बुद्धि को बढ़ावे और खुफिया पुलिस द्वारा प्रजा पर दृष्टि (चक्षु) रखे । कार्य शील होकर जनता का कल्याण करे । नये नये कामों के करनेकी आक्रा देकर अपने कर्तव्य का पालन करे । विद्या तथा उपदेश के द्वारा शिक्षा (विनय) ग्रहण करे । देशकी संपत्ति तथा समृद्धि बढ़ाकर लोकप्रिय बने । दूसरों का हित करने में ही अपनी वृत्ति रखे ।

इस ढंग पर इन्द्रियों को वशमें रखता हुआ परायी रुक्षी तथा संपत्तिपर नजर तक न डाले । और न किसी को तंग ही करे । स्वप्न में भी भोगविलास का न सोचे । भूठ बोलने और भड़काले कपड़ों के पहिनेसे अलग रहे और ऐसा कोई भी काम न करे जिससे नुकसान उठाना पड़े । क्योंकि ऐसे बहुतसे सांसारिक व्यवहार हैं । जिनका परिणाम पाप तथा हानि है । इस लिये इन्हीं इच्छाओं को पूरकरे जो कि धर्म तथा अर्थ के अनुकूल हों । दुःख तथा

कष्ट में जीवन न व्यतीत करे । या धर्म, अर्थ तथा काम का समान रूप से सेवन करे । इनमेंसे किसी का भी यदि अधिक सेवन किया जाय तो अपने तथा दूसरे को कष्ट पहुंचता है । कौटिल्य का मत है कि इनमें अर्थ ही प्रधान है । धर्म तथा काम उसीपर निर्भर हैं । आचार्य तथा अमात्य उसको मर्यादा-भंग करने से रोकते रहें । बुरी बातों में न फंसने दें ॥ यदि वह एकान्त में प्रमाद करे तो उसको धंटे बजाकर (छायानालिकां प्रतोदेन) काम पर संन्नद्ध करें ।

एकपहिये की गाड़ी की तरह राजा का काम सहायता बिना नहीं चलता । इसलिये राजाको चाहिये कि वह बहुत से मन्त्री नियत करे और उनकी सम्मति सुना करे ।

४५*६८

४. प्रकरण अमात्योत्पत्ति^१

—०—

भारद्वाज का मत है कि सहाध्यायियों को ही अमात्य बनाया जाय । क्योंकि उनकी विश्वासपात्रता (शौच) तथा सामर्थ्य का राजा को पहिले से ही अनुभव होता है । वह उनपर विश्वास भी कर सकता है । विशालाक्ष इसको ठीक नहीं समझते । उनका स्वयल है कि एक साथ खेले होने से यह लोग उसका अपमान करते हैं । इसलिये उनको अमात्य बनाया जाय जो कि गुप्त कामों में उसका साथ देते रहे हॉ । समान शील व्यसन होने के कारण वह लोग गुप्त बातों के खुलने के भयसे राजा का अपमान नहीं करते । पराशर के विचार में तो यह दोनों ओर एक जैसा साधारण दोष है । यह भी तो संभव है कि राजा अपनी गुप्त बातों के खुलने के भय से उन की कठ पुतली बनजाय । जैसा वह कहें वैसा करना शुरू करे । क्यों कि:-

^१ अमात्योत्पत्ति का तात्पर्य “अमात्य की नियुक्ति” से है ।

राजा जिन जिन लोगों पर अपनी जितनी गुप्त बातें
खोलता है, उतना ही शक्ति से हीन होकर उनके वशमें
आजाता है ।

जो लोग उसको ऐसी विपत्तियों में बचावें जिनमें मौत का खतरा
हो उन्हीं को अमात्य नियुक्त किया जाय । क्यों कि उनके
अनुराग की परीक्षा वह पहिले से ही कर द्युकैता है । पिशुन का स्थाल
है कि यह तो भक्ति हुई । इस में बुद्धि तथा योग्यता का कुछ भी सं-
बंध नहीं । अमात्य पद पर उन्हींको नियुक्त कियाजाय जो कि खास खास
राजकीय कामों पर नियुक्त होकर अपने काम को विशेष योग्यता के
साथ करें । क्योंकि इस ढंग पर उनकी योग्यता तथा बुद्धि की परीक्षा
तो होही जाती है । कौणपदंत का कहना है कि अमात्यों में और जो
गुण चाहिये वह इनमें नहीं होते । जिनके बाप दाद अमात्यपद पर रह
चुके हों उन्हीं को अमात्य बनायाजाय । अनुभव ग्रास होने से और
चिर कालतक साथ रहने से राजा को कुमार्ग में जाता हुआ देखकर
भी यह लोग उसका साथ नहीं छोड़ते । पशुओं में भी यह बात देखी
गयी है । गउण दूसरी गउओं के भुंड में न रहकर अपनेही भुंड में
बैठती है । बातव्याधि इस विचार के विरुद्ध हैं । वह कहते हैं कि
क्रमागत अमात्य उसकी संपूर्ण शक्तिशां अपने हाथ में कर राजा की
तरह व्यवहार करने लगते हैं । इसीलिये राजनीति को समझने वाले
राजा को चाहिये कि सदा नये नये व्यक्तियों को अमात्य बनावे । नये
लोग राजा को यम का दूसरा अवतार समझते हुए कभी भी उसकी
आज्ञा का अवहेलन नहीं करते । बाहुदंतीपुत्र को यह भी पसंद नहीं
है । क्योंकि कोई कितना ही शास्त्र क्यों न पढ़ा हो, जिसने काम
नहीं किया कठिन काम पढ़ने पर घबड़ा सकता है । इसलिये जो
लोग कुलीन, बुद्धिमान, विश्वासपात्र, वीर तथा राजभक्त हों उनको
अमात्यपद पर नियुक्त करें क्योंकि उनमें गुणों की प्रधानता होती है ।

कौटिल्य की संमति में सब बताएं मैं यहीं ठीक है । कार्य से ही
पुरुष की शक्ति प्रतीत होती है । सामर्थ्य को आंखों के सामने
रखते हुएः—

प्रत्येक अमात्य की प्रभुत्वशक्ति नियत कर समय स्थान
तथा काम के अनुसार उनको भिन्न भिन्न राजकीय कार्यों

पर नियुक्त किया जाय । उनको अपना मन्त्री कभी भी न बनाया जाय ।

५. प्रकरण मंत्री तथा पुरोहित की नियुक्ति ।

एक अमात्य के लिये आवश्यक है कि वह स्वदेशोत्पन्न, कुलीन, समृद्ध, शिक्षित, दूरदर्शी, विवेकपूर्ण, स्मृतिवान्, चतुर, वाक्पद, गंभीर, प्रगल्म, समझदार, उत्साही, प्रभावशाली, साहिष्णु, पवित्र, मित्रता के योग्य, दृढ़भास्त्रि, सुशील, समर्थ, स्वस्थ, गौरवयुक्त, अप्रमादी, अचपल, सर्वप्रिय तथा किसी को भी अपना शत्रु बनाने वाला न हो । जिनमें इसके एक चाँथाई या आधे गुण हों उनको मध्यम या निकृष्ट समझना चाहिये । राजा को चाहिये कि वह प्रामाणिक सत्यवादी आप से लोगों से उनके निवासस्थान तथा आर्थिक स्थिति का, समान विद्यावालों से उनकी योग्यता तथा शास्त्र प्रवेश का, नये नये कामों से उनकी बुद्धि स्मृति तथा चतुरता का, व्याख्यान से उनकी वाक्पदुता, बुद्धि तथा प्रतिभा का, आपत्तियों से उनके उत्साह, प्रभाव तथा द्वेष सहिष्णुता का, व्यवहार से उन की पवित्रता, मित्रता तथा दृढ़भास्त्रि का, पड़ोसियों से उनके शील, वल, स्वास्थ्य, गौरव, अप्रमाद तथा अचापल्य का, और स्वयं उनकी मीठी काणी तथा प्रीति (अवैरित्व) का ज्ञान प्राप्त करे । राजा के कार्य प्रत्यक्ष तथा परोक्ष भेद से दो प्रकार के हैं । प्रत्यक्ष वह हैं जो कि स्वयं देखे जायं और परोक्ष वह हैं जो कि दूसरों से पूछे जायं । किये हुए काम से न किये हुए काम का अनुमान करना ही अनुमेय है । एक समय में एक ही काम किया जा सकता है । कामों के अनेक तथा भिन्न भिन्न स्थानों पर होने से परोक्ष कामों को अमात्यों से करवाये ।

ऐसे मनुष्य को पुरोहित नियुक्त किया जाय जो ऋग्मशः उष्णति करते हुए परिवार में पैदा हुआ हो, सांग वेद, ज्योतिष (दैवशास्त्र, मुहूर्त शास्त्र) तथा दंडनीति में पारंगत हो और अर्थवेद में बताये हुए तरीकों से विष्णों को शांत करने में समर्थ हो । जैसे आचार्य

के पीछे शिष्य, पिता के पीछे पुत्र तथा स्वामी के पीछे भूत्य चलता है वैसे ही पुरोहित के कहने के पीछे राजा चले ।

जो राजा, शास्त्रों की आज्ञा रूपी हथियारों से सुसज्जित होकर तथा ब्राह्मणों से उत्तेजना प्राप्त कर मन्त्रियों की सलाह के अनुसार चलता है वह अजेय से अजेय वस्तु को जीत लेता है ।

६. प्रकरण ।

भिन्न भिन्न उपायों से अमात्यों के हृदय की सफाई तथा खोट की परीक्षा ।



अमात्यों को भिन्न भिन्न राजकीय विभागों पर नियुक्त करने के बाद मंत्री तथा पुरोहित से दोस्ती बनाकर राजा भिन्न भिन्न तरीकों से उनके हृदय की सफाई की परीक्षा ले । बनावटी तौर पर पुरोहित को अच्छूतों के पढ़ाने तथा हवन कराने के लिये कहे । जब वह निषेध करते तो उसको पुरोहिताई से जुदा कर दे । इसके बाद पुरोहित सभी लोगों के द्वारा एक एक अमात्य को छिपेरूप से कसम के साथ कहवाये कि “यह राजा अधार्मिक है । इसके स्थान पर ऐसे ही कुलीन, अकेले ही शासन में समर्थ, कैदमें पड़े, अमुक सामन्त, जंगल स्वामी या समर्थ व्यक्ति को यदि राजा बनाया जाय तो तुमको पसन्द होगा वा नहीं । अन्य लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया है” । यदि वह इस प्रस्ताव का समर्थन न करें तो उनको धर्म-कसौटी पर खरा उतरा समझा जाय ।

सेनापति दिखोवे में पदच्युत किया जाकर सभी लोगों के द्वारा अमात्यों को राजा के नाश करने में धन का प्रलेभन दे और कहे कि “सब को तो यह पसंद है तुम्हारी क्या संमति है” । यदि वह निषेध करते तो उनको “अर्थ परीक्षा” में उत्तीर्ण माना जाय ।

अंतःपुर में लघ्विश्वास तथा लघ्वप्रतिष्ठ परिवाजिका (खुफिया पुलिस का एक भेद), या संन्यासिन महामात्र लोगों के पास पहुंचे और कहे कि “पट्टरानी तुमको चाहती है । समागम का संपूर्ण

प्रबन्ध है। धन भी अधिक मिलेगा”। यदि उन्होंने निषेध कर दिया तो उनको काम परीक्षा में पास समझा जाय।

जब कोई अमात्य अन्य अमात्यों को नाव पर सैर करने के लिये बुलावे तो राजा घबड़ाहट तथा उद्ग्रेग दिखाकर उनको कैद करदे। पहिले से ही कैद में रख छोड़ा कापटिक छात्र (खुफिया पुलिस का एक भेद) संपत्ति तथा इज्जत से रहित किये गये उन लोगों को एक एक करके भड़कावे कि ‘यह राजा बहुत ही बुरा है। इसको मारकर अन्य किसी को राजा क्यों न बनाइये ? सबको मंजूर है, तुम्हारी क्या मर्जी है ?,, यदि वह राजी न हों तो उनको भय-कसौटी में भी कसा माना जाय।

जो लोग धर्म परीक्षा में खेर उतरें उनको धर्मस्थिय (दी-वानी कचहरी) तथा कंटक शोधन (फौजदारी कचहरी) संबंधी कामों में नियुक्त किया जाय, अर्थ परीक्षा में उत्तीर्ण लोगों को समाहर्ता (ईक्स कलकटर) तथा सञ्चिधाता (कोषाध्यक्ष) के पदों पर रखा जाय। काम-परीक्षा में पास हुए लोगों को बाह्य तथा अन्तरीय उद्यानों तथा विलास स्थानों (विहार) का प्रबंध कर्त्ता चुना जाय। इसी प्रकार भय-परीक्षा में जो अच्छे निकले उनको राजा का शरीर रक्षक तथा समर्पि वर्ती बनाया जाय। जो सभी परीक्षाओं में खेर उतरे और किसी में भी तनिक सी भी आंच न खायें हों उनको मन्त्री और जो सभी परीक्षाओं में कच्चे निकल हों उनको खान, जंगल, हाथी बन तथा तत्संबंधी व्यवसाय का अध्यक्ष नियुक्त किया जाय।

पुराने आचार्यों का मत है कि धर्म, अर्थ, काम तथा भय की कसौटी पर खेर उतरे लोगों को भिन्न भिन्न कामों का आमत्य नियत किया जाय। कौटिल्य की संमति है कि अमात्यों की परीक्षा करने के लिये राजा अपनी तथा पट्टरानी का प्रयोग कभी भी न करे। स्वच्छ निर्मल पानी में जहर न मिलावे। क्यों कि बहुत संभव है कि बिगड़े का फिर इलाज न हो सके। भिन्न २ उपायों से एक बार विच वृत्ति बिगड़ी बहुधा फिर नहीं सुधरती। इसलिये किसी बाहरी बातको साधन तथा बहाना बनाकर राजा सभी लोगों के द्वारा अमात्यों की सफाई तथा खोट की परीक्षा करे।

७. प्रकरण ।

खुफिया पुलिस की नियुक्ति ।

मिन्न मिन्न तरीकों से अमात्यों, की परीक्षा लेने के बाद, खुफिया पुलिस का प्रबंध किया जाया खुफिया पुलिसके १ कापटिक, २ उदास्थित, ३ गृहपतिक, ४ वैदेहक, ५ तापस, ६ सत्री, ७ तीक्ष्ण, ८ रसद तथा ९ मिजुकी आदि अनेक विभाग हैं।

१. दूसरों के दोषों को जानने वाले चलते पुरजे विद्यार्थी के भेस में रहने वाले खुफिया का नाम ही कापटिक छात्र है। मन्त्री उसको इज्जत तथा धन से खुश करके कहे कि “तुमको राजाकी और मेरी कसम है। तुम जिस किसी का नुकसान होता देखो, शीघ्र ही मुझको बताओ”।

२. बुद्धिमान् सदाचारी उदासी संन्यासी के भेस में रहने वाले खुफिया का नाम उदास्थित है। वह बहुत से विद्यार्थियों तथा रूपयों को अपने साथ लेकर कृषि पशुपालन तथा व्यापार का काम करे। जो कुछ पैदा हो उससे सबके सब उदासी संन्यासियों के खाने पीने तथा कपड़े लत्ते का प्रबंध करे। नौकरी पर जाने वालों को यह कहकर इधर उधर भेजदे कि “इसी भेस में रहो और राजाका काम करो। तनखाह के समय उपस्थित हो जाना”। सभी उदासी अपने अपने वर्ग के लोगों को इसी ढंग की आशा दें।

३. बुद्धिमान् सदाचारी गरीब तथा बेकार गृहस्थ किसान के भेसमें रहने वाले खुफिया का नाम गृहपतिक है। वह खेती तथा उद्योग धंधों के कामों को करते हुए शेषकाम पूर्ववत् करें।

४. बुद्धिमान् सदाचारी तथा गरीब बनिये के भेस में खुफिया का काम करने वाले लोग वैदेह (व्यापारी) नाम से पुकारे जाते हैं। वह बनियों का काम करते हुए शेष काम पूर्ववत् करें।

५. सिर मुंडे या जटाधारीके भेस में सरकारी काम करने वाले तापस (तपस्वी) कहाते हैं। वह बहुत से सिर मुंडे तथा जटाधारी

शिष्यों को लेकर शहर के पास बस जावें और महीने या दो महीने बाद प्रकाशरूपसे थोड़ा सा शाक तथा एक मुँही जौ खावें । परंतु अप्रकाश रूप से भरपेट खालिया करें । वैदेहक तथा उनके अनुचर उनपर भारी चढ़ावा चढ़ावें । शिष्य लोग कहें कि यह तपस्वी सिद्ध और अलौकिक शक्ति निष्पत्त हैं । हाथ देकर तथा शिष्य लोगों को इशारा देकर आये हुए । कुलीन लोगों को बतावे कि “कौन कौद सा काम किसके हाथ में है ? कहां घाटा है ? तथा कहां आग लगने की संभावना है । थोरका खतरा है और कौन सा राजा का विरोधी मारा जायगा तथा राजा किन २ आदमियों को पुरस्कार देगा, विदेशमें क्या होगा । यह आज और यह कल होमा और राजा यह करेगा” । इत्यादि इत्यादि । सत्री लोग तपस्वी के कहने को प्रमाणों से ठीक प्रकट करें ।

उपरि लिखित बातों के साथ साथ वह यह भी प्रकटकरे कि कौन सा मन्त्री किस कामपर बदला जायगा और किस दूरदर्शी बुद्धिमान् तथा व्याख्यान दाता व्यक्तिको राजा की ओर से पुरस्कार मिलेगा । मन्त्री लोग, उसकी भविष्यद्वाणी के अनुसार ही लोगों को तनखाह तथा काम देवें । जो लोग किसी कारण से नाराज हैं उनको धन तथा इज्जत से शान्त करें और वे कारण नाराज तथा राजा के अहित करने वाले लोगों को छिपा दंड (तूष्णी दण्ड) देवें ।

धन तथा इज्जत से पूजे गये उपरिलिखित पांचों प्रकार के खुफिया लोग राजकर्मचारियों की सफाई तथा खोट को जानने की कोशिश करते रहें ।



८. प्रकरण खुफियापुलिस का प्रयोग तथा प्रबंध



राज्य से खाना पीना तथा कपड़ा पाने वाले जो अनाथ (६) साधारण विज्ञान (लक्षण ?), हाथ देखना (अंग विद्या), मुँह में सेंगोला तथा आग निकालना (जंभक विद्या), जादूगरी, भिन्न भिन्न आश्रमों

के धर्म बताने के खातिर फलितज्ये तिष (अन्तरचक), तथा दूसरों के साथ मिलने जुलने संबंधी काम (संस्रग विद्या) को सरीखें वह सत्री नाम से पुकारे जाय । (७) जो शूर निडर (त्यक्षात्मा), तथा रूपये के खातिर हाथी शेर लड़ाने वाले हैं उनको तीक्ष्ण तथा (८) जो बन्धु बान्धवों से निःस्नेह (प्रेम रहित), क्रूर तथा आलसी हैं उनको रसद (जहर देने वाला) नियत किया जाय । (९) अन्तःपुर में आदर सत्कार पाने वाली, बात्ती, नौकरी तलाश करने वाली दरिद्र विधवा ब्राह्मणी को पारिवाजिका (संन्यासिन के वेषमें खुफिया का काम करने वाली), बनाया जाय और वह महामात्र (राजमन्त्री अमात्य आदि) लोगों के घरों में आया जाया करे । मुंडा (सिर मुंडी औरत) तथा वृषली (दासी के वेषमें खुफिया) के का-भी इसी प्रकार समझने चाहिये । मिश्र भिश्र देशों के फैशन, बोली, कारीगरी, कुलीनों का रहन सहन तथा रोतिरिचाज को पूर्णरूप से जानने वाले, राजभक्त तथा कार्यपदु शक्ति शाली लोगों को राजा अपने ही देश में, मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, छ्यांडीदार, अन्तः पुर-रक्षक, कलकट्टर, कोषाध्यक्ष, कमिश्नर, हवालदार, नगराध्यक्ष, व्यापाराध्यक्ष, व्यवसायाध्यक्ष, मन्त्री सभा, अध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, सीमारक्षक तथा जंगल रक्षक आदि आदि राज्य कर्मचारियों के देखरेख के लिये खुफिया रूप से नियुक्त करे । यह लोग बाहर कहां आते जाते हैं और किनसे मिलते जुलते हैं इस बात का छूता, अतरदान तथा गुलाब पाश (भूंगार), पंखा, खड़ाऊं आसन, गाढ़ी घोड़ा पकड़ने वाले तीक्ष्ण लोग जांच पड़ताल करते रहें । इन लोगों से जो कुछ समाचार मिले उसको सत्री लोग (खुफिया पुलिस) अपने अपने विभागों (संस्था) में पहुंचा देवें । सूद (दाल बनाने वाला) पाचक (आरालिक), स्नापक (नहवाने वाला), कहार, आस्तरक (बिछौना बिछौने वाला), नाई, प्रसाधक (गुलाब पाश छिड़कने वाला या इतर लगाने वाला), उद्क परिचारक (पानी भरने वाला) के रूप में रसद लोग, तथा कुबड़े, बैने किरात (बदसूरत जंगली या काले लोग ?), गूंगे, बहरे, बेवकूफ, तथा अंधे के भेस में नट, नर्तक, गवैइये बजैइये, भांड तथा चारण (प्रशंसा में कविता करने वाले) लोग और खुफिया औरतें उपरि

तिखित राज्याधिकारियों के अन्दरूनी हाल तथा समाचार को जाने और खुफिया भिखर्मंगियों (भिन्नुका, के द्वारा अपने विभाग को असली हाल पहुँचा देवें ।

भिन्न भिन्न विभागों के प्रबंधकर्ता (अन्तेवासी) गुप्त लिपि तथा इशारों से ही खुफिया को इधर उधर भेजें । खुफिया तथा उनके विभाग एक दूसरे को नजानने पावें । जहां खुफिया भिखर्मंगी की पहुँच न हो वहां भिन्न २ ड्वैढीदार आयस में माता पिता का दोंग रखकर या कारीगरिन, गवैन तथा दासी गीत, वाद्य (बाजा) वर्तन (भांड) गुप्तलिख तथा इशारों से अन्दरूनी समाचार बाहर पहुँचादे या सख्त बीमारी दर्द या पागलपन का बहाना बनाकर या आग लगाकर, जहर देकर चुप्पे से बाहर निकल जाय । तीन विभागों का समाचार यदि एक सदृश हो तो उसको सत्य समझा जाय । परन्तु यदि समाचार वारंवार भिन्न भिन्न मिले तो उससे संबंध रखने वाले खुफिया को तृष्णी दरड (छिपे छिपे पिटवाना मरवाना आदि दंड) दिया जाय या नौकरी से बरखास्त कर दिया जाय । कंटक शोधन प्रकरण में जिन खुफिया लोगों का ज़िक्र है उनको अपनी ओर से तनखाह देकर दुश्मनों के राष्ट्र में बसाया जाय । यदि इस में चोरों से बचाने का मामला हो तो उनको दोनों ओर से तनखाह मिलें ।

वह लोग, जिनकी रुग्नी तथा बाल बच्चों को राजाने अपने आंधीन रखा है, दोनों रियासतों से तनखाह पावें । उनको दुश्मन का भेजा हुआ मानकर, उसीके सदृश काम करने वाले लोगों के द्वारा उनके दिलकी सफाई की परीक्षा की जाय । इस प्रकार शत्रु, मित्र तथा साधारण लोगों के पीछे खुफिया पुलिस लगायी जाय । उदासीन लोगों को तथा अड्डारहबौं राजकीय विभागों को (तीर्थ) भी इनसे मुक्त न किया जाय । घर में तथा अन्तःपुरमें, कुबड़े बौने, पार्श्वठी, नाचरंग आदि जानने वाली औरतें, गूंगे तथा भिन्न भिन्न सूरत शकल वाले म्लेच्छूं लोग, किलों के अन्दर बनिये व्यापारी किलों के बाहर सिद्ध तथा तपस्वी, गंवईगांव में किसान सीमा प्रान्त में बनाले गड़रिये, जंगल में बनैले, जंगली तथा श्रमण लोग

शत्रु की गति तथा कार्य को जानने के लिये खुफिया का काम करें। शत्रु के भेजे गुप्तचरों को स्वराष्ट्र के गुप्त चर पता लगावें। गुप्तचरों तथा खुफिया लोगों को इधर उधर भेजने वाला विभाग प्रकाश्य (अगृह) तथा अप्रकाश्य (गृह) दो भेदका है। भिन्न भिन्न तरीकों तथा युक्तियों से जिनकी राजभक्ति की परीक्षा की जानुकी है ऐसे लोगों को शत्रुके गुप्तचरों तथा^{*} खुफिया लोगों का पता लगाने के लिये राष्ट्रके अंतमें बसाया जाय।*



१. प्रकरण

अपने देशमें शत्रुओं के वशमें आने वाले तथा न आने वाले लोगों के द्वारा स्वपक्ष का रक्षण।

गुप्तचर विभाग का प्रबंध तथा महामात्यों के पीछे खुफिया का प्रयोग कर चुकने के बाद राजा नागरिकों तथा ग्रामीणों के पीछे

* पिछले वाक्य का भाषान्तर करते हुए डाक्टर शामशास्त्री ने “अकृत्य” का अर्थ “राजदोही या दुश्मनी का काम करने वाला” (those chiefs whose inimical design has been found out) यह अर्थ किया है। वस्तुतः इस शब्द का अर्थ “राजभक्त” है। कौटिल्य ने “हत्य” शब्द देशदोहियों के लिये और अकृत्य शब्द राजभक्तों के लिय प्रयोग किया है। दृष्टान्त स्वरूप “कृत्य” का तात्पर्य वह आगे चलकर “कद्मलुब्धभीतावमानिन स्तुपरेषां कृत्याः” इस वाक्य से स्पष्ट करता है। कृत्य का अर्थ दुश्मन के काबू में आजाने वाला या जिसपर दुश्मन के षड्यंत्र चल सके और फेंके जासक। इसी प्रकार “तेषां मुण्डजटिलव्यञ्जनैर्यो यद्यक्तिः कृत्यपक्षीय” इस में कृत्यपक्षीय का तात्पर्य उन लोगों से है जो कि शत्रु के षट्यंत्र में फंस सकते हों। यही कारण है कि पिछले वाक्य का अर्थ सर्वथा बदलना पड़ा है। आश्वर्य की बात है कि डाक्टर शाम शास्त्रीने “लभेत सामदानाभ्यां कृत्यांश्च परमुभितु, अकृत्यान् भेददंडान्यां परदोषांश्च दर्शयेत्” इसमें भी कृत्य तथा अकृत्य शब्दों के अर्थ को न समझकर गड़बड़ करदी है। आपने कृत्य का अर्थ शत्रु राजा के प्रति दृढ़ रूप से राजभक्त [implacable enemies] कर दिया है इस से शोक का अर्थ बहुत ही भदा हो गया है।

भी उनको लगावे । तीर्थ, सभा, शाला, व्यापारीय व्यावसायिकसंघ (पूर्ण) तथा भीड़ में पहुंचकर खुफिया पुलिस के दो आदमी आपस में भगवाने लगें और कहें कि—सुनते तो यह हैं कि यह राजा सर्व गुण युक्त है । परंतु हमको तो इसका कोई गुण दिखाई नहीं पहता है । यह नागरिकों तथा ग्रामीणों को राज्य दंड तथा टैक्स (कर) से बहुत ही अधिक सर्वांतर है । वहां पर जो लोग राजाकी प्रशंसा करें, उनके विश्वद दूसरा बोले और उसका भी यह कहकर विरोध किया जाय कि—आपसमें मात्य न्याय, या बली दुर्बलन्याय (एक दूसरेको सताना । बली का दुर्बलों को तंग करना) के प्रचलित होने पर लोगों ने वैवस्वत मनु को अपना राजा बनाया । उसको हिस्सेमें धान्य का छुटाभाग व्यापारीय द्रव्यका दसवां भाग और सोना देना स्वीकृत किया । उसी को लेकर राजा प्रजा का कल्याण (योगक्षेम) करते हैं । जो लोग टैक्स नहीं देते हैं और राज्यदंड से बचते हैं उनपर प्रजाके अहितकरने का पाप चढ़ता है । यही कारण है कि जंगल में रहने वाले तपस्वी लोगभी अवशिष्ट तथा बचे खुचे अश्व (उच्छ्व) का छुटा भाग यह सोचकर राजाको देते हैं कि यह उसीका भाग है जो कि हमारी रक्षा करता है । राजा इन्द्र तथा यम के दूसरेरूप हैं । इनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता प्रत्यक्ष अनुभव की जा सकती है । जो लोग राजाका अपमान करते हैं उनको ईश्वरमी दंड देता है । इसलिये राजाओंका अपमान न करना चाहिये । इसढांगपर खुफिया पुलिस के लोग छोटे मोटे लोगों को राज-विद्रोह से रोकें तथा राष्ट्रमें जो किंवदन्तियां प्रचलित हैं उनको जानें ।

जो लोग राजा के धान्य पशु तथा संपत्ति की रक्षा करते हैं, या उसको इन चीजों के द्वारा सहायता पहुंचाते हैं, सुख दुःखमें कुपित राष्ट्र तथा बंधुको दूर रखते हैं, तथा दुइमनों या जांगलिकों का देश पर आक्रमण करने से रोकते हैं उनकी खुशी तथा नाखुशीको सिर-छुटे या जटा धारी वैरागीके भेसमें खुफिया पुलिस के लोग पता लगावें । जो लोग खुश हों उनपर विशेष कृपा की जाय । नाराज लोगों को पुरस्कार देकर या समझ बुझाकर प्रसन्न किया जाय ।

यदि इसपरभी वह नाराज़ रहे तो उनको सामन्त, आटविक या देश-बहिष्कृत राजकुमार या कुलीन से लड़ादिया जाय । इसपर भी यदि वह शान्त न हो तो उनको राज्यकर इकट्ठा करने वाला या राज्यदंड देनेवाला बनाकर लोगों को उनसे कष्ट कर दिया जाय । इसके बाद उनको गदर पर उतार लोगों के द्वारा या चुप्पे से दंड दिया जाय । शत्रुओं का वह सहारा न हो सके इस उद्देश्य से खनिज पदार्थ संवंधों कारखानों के प्रबंध करने के लिये उनको जंगलों तथा पहाड़ों में भेजदिया जाय और उनकी स्त्री तथा बाल बच्चोंकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया जाय ।

शत्रु, नाराज़ लोभी भयभीत तथा वेइज्जत लोगों से ही अपना काम निकालते हैं । इसलिये ज्योतिषी, शगुन बताने वाले तथा मुहूर्त निकालने वाले व्यक्ति के भेसमें खुफिया पुलिस के लोग उन का दुश्मन के साथ तथा एक दूसरे व्यक्ति के साथ संवंध जानते रहे । राजा संतुष्ट लोगों को धन तथा इज्जत से खुश रखे और अ-संतुष्ट लोगों को साम दान भेद तथा दंड से अपने काबूमें रखे । इस ढंगपर वह अपने देशमें छोटे बड़े कृत्य (जो शत्रुके काबूमें आसके) तथा अकृत्य लोगों को दुश्मनों की गुप्तमंत्रणा से सुरक्षित रखे ।



१०. प्रकरण ।

परदेश में कृत्य तथा अकृत्य पक्ष के लोगों को वशमें करना ।

कृत्य तथा अकृत्य पक्षके लोगों को अपने देशमें केसे वशमें किया जाय इसपर प्रकाश डालाजानुका । अब शत्रु के देश चिष्ठ्य में ही कहा जायगा ।

वह सब लोग कुछ वर्ग में समिलित हैं जिनको किसी वस्तु के देने की प्रतिक्षा या वचन देकर धोखा दिया हो, कारीगरी में या पुरस्कार में एक सदृश काम करनेपर भी वेइज्जत कियागया हो, राज

दर्बारियों ने तंग कर रखा हो, जो कि बुलाकर धुत्कारे गये हैं, चिरकाल तक विदेश में रहने के कारण तकलीफ उठाचुके हैं, बहुत आधिक धन संचर करने पर भी नुकसान में हैं, अपने अधिकार तथा दायाद से वंचित हैं, इज्जत तथा राज्याधिकार से छ्युत किये गये हैं, समान पद के लोगों तथा संबंधियों के कारण ऊपर उठने से रोके गये हैं, जिन की स्त्री का अनादर किया गया हो, जिन को कैद में डालागया हो, छिपे छिपे पिटवाया या दंड दिया गया हो, पापकर्म से रोकागया हो, जिनका सर्वस्व कुड़क करालिया गया हो, जिनको कैद में देरतक रहनेके कारण कष्ट हो तथा जिनके बन्धु बान्धवों में से किसी को देश निकाला देदियागया हो । भीत वर्ग में उन सब लोगों को रखना चाहिये जो कि अपनी गल्ती से नुकसान उठा चुके हैं, दूसरों के द्वारा बे इज्जत किये गये हैं, जिन के पाप कर्म सबके सामने खुलगये हैं, जो कि समान दोष करने वाले को दंड पाता हुआ देखकर घबड़ा गये हैं, जिनकी जर्मांदारी छिनगई हो, जिनको राजनीयदंड से सीधा किया गया हो, जिन्होंने भिन्न भिन्न राजकीय पदोंपर पहुंचकर पकड़म से बहुतसा धन बटोरलिया हो, जो कि अपने सम्बन्धी अमीर की संपत्तिको ग्रासकरने की इच्छा रखते हैं, राजाके साथ द्वेष करते हैं तथा जिससे राजा स्वयं नाराज हो । लुब्धवर्ग (लोभी लोग) वह लोग समझे जाने चाहिये जो कि अमीरसे गरीब होगये हैं, बहुत सा धन खोचुके हैं, कंजूस हैं, दुर्व्यसनों में फंसे हैं तथा जिन्होंने बहुत बड़े काम में हाथ डाला हो । इसी प्रकार मानि वर्ग (इज्जत चाहने वाले लोग) में उन सब लोगों को रखना चाहिये जो कि स्वावलंबी हैं, मान के इच्छुक हैं, प्रतिद्वन्द्वी के आदर से चिढ़े हुए हैं, जिनका नीच लोग आदर सत्कार करते हैं, जो नि. तीक्ष्णस्वभाव के हैं, साहस के कामों में हाथ डालते हों तथा अत्यंत भोगविलास से तृप्त न हुए हों ।

मुंड (सिर मुंडे हुए) तथा जटाधारी के भेस में खुफिया जो जिस ढंग का कृत्य पक्षीय (वह व्यक्ति जिसको राजाके विद्वद् फाड़ा जासके) हो उसको उसीढंग की बात सुझावे । दृष्टान्त स्वरूप कद्दु

वर्ग को कहे कि “मदवाला हाथी जिस प्रकार जो जो रास्ते में पाता है मींज डालता है इसी प्रकार शाख से विपरीत काम करने वाला यह अंधा राजा नागरिकों तथा आमीणों के बध करने पर उतारु होगया है, दूसरे शक्ति शाली राजा का सहारा लेकर इसके अपकार को दूर किया जासकता है । धैर्य से काम करो” । भीत वर्ग को कहा जाता सकता है कि “जिस प्रकार छिपा हुआ सांप जिससे डरता है उसी को काटता है । इसी प्रकार यह राजा तुमपर सन्देह रखता है और इसीलिये तुमपर कोधरूपी विष छोड़ता है, दूसरे देशमें चले जाओ” । लुध्य वर्ग के लोगों को समझाया जाय कि “जैसे कुत्ते पालने वाले चांडालों की गउण कुत्तों के लिये ही दूध देती हैं न कि ब्राह्मणों के लिये वैसे ही यह राजा आत्मसंमान, बुद्धि तथा वाक्य शक्ति रहित पुरुषों पर ही कृपा रखता है, अच्छा है कि तुम किसी दूसरे का नौकरी करलो” । इसी प्रकार मानि वर्ग को यह कहकर भड़काया जाय कि “जैसे चांडालका तालाब तथा कुआंच चांडाल कोही पानीदेने के लायक है न कि औरों को । वैसे ही यह नीच राजा नीचों के लिये ही उपयोगी है न कि तुम्हारे जैसे आच्यों के लिये । अमुक राजा पुरुषों की विशेषताओं तथा गुणों का आदर करने वाला है । वहां ही चले जाओ” ।

जो लोग खुफिया पुलिस की बातों में आ जांय उनको इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये खुफिया लोगों के साथ एक दृढ़ संघ में संगठित करे । कृत्य लोगों को दूसरे देशके अन्दर अपने साम तथा दान से वशमें करे और अकृत्य लोगों को दूसरे के दोषों को दिखाते हुए भेद तथा दंड द्वारा अपने काबू में करले ।

१ ‘कृत्य तथा अकृत्य’ शब्द के अर्थ को टीक ढंगपर न समझकर डा. शामशाही ने इसका अर्थ गड़बड़ करदिया है । उनके अनुसार दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ है । वस्तुतः ‘कृत्य’ का अर्थ (दुर्मन के फंदे में शीघ्रता से फंस जाने वाला) और अकृत्य का अर्थ (दृढ़ राजभक्त) है । यही कारण है कि कौटिल्य ने अकृत्य लोगों को काबू करने का तरीका “भेद तथा दंड” दिया है । दृढ़ से दृढ़ राजभक्त, गुप्त बातों के खुलाने, आपसमें लड़ाई हो जाने तथा छिपीहुई धमकियों तथा दंडों से कुछ कुछड़ीले पड़जाते हैं तथा राजभक्ति परपूर्वक दृढ़ नहीं रहते । जो लोग ‘कृत्य’ तथा आसानी से काबू में आजाने वाले हों उनको शान्ति देना तथा धनधान्य से सहायता पहुंचाते रहना ही अभीष्ट होता है परंतु ‘कृत्य तथा अकृत्य’ का एकही अर्थ माननेसे श्लोक का भाव कुछ भी खुलता नहीं है । c वें प्रकरण की टेपणीमें इसपर विशेष रूपसे काश डाला जा चुका है ।

११. प्रकरण

गुप्तविचार तथा मंत्रणा ।

अनुवाद

स्वपक्ष तथा परपक्ष (परराष्ट्र के निवासी) के लोगों में प्रिय होकर राजा शासन विषयक कार्यों की चिंता करे। गुप्तविचार तथा मंत्रणा के बाद संपूर्ण कार्य प्रारंभ किये जाय। मंत्र भवन (वह स्थान जहांकि सलाह मशवरा किया जाय) सब ओर से सुरक्षित तथा गुप्त होना चाहिये। वहां से कोई भी खबर बाहर न पहुंच सके। पक्षीतक उस स्थान को न देख सकें। किंवदंती है कि तोता मैना कुत्ता तथा अन्य जीव जंनुओं ने मंत्र (गुप्तविचार) को दूसरों पर प्रगट कर दिया। यही कारण है कि संरक्षण तथा प्रबंध किये विना मंत्र भवन में प्रवेश न करे। मंत्रभेदी (जो मंत्र या गुप्तविचार खोलदे) को मृत्युदंड दिया जाय। दूत, अमात्य, स्वामी लोगों के आकार तथा इशारों से मंत्रभेद (गुप्तविचार का खुलना) का अनुमान करे। दूसरी ओर ध्यान बंटने से इशारे का और चेहरे में फरक आनेपर आकार का झान होता है। जबतक काम न होजाय तबतक मंत्रमें समिलित लोगों पर कड़ी नजर रखे। इससे मंत्रकी रक्ता होती है। प्रमाद (बेपरवाही), शराब, स्वप्न में खोलना तथा प्रलाप करना, काम के वश में होकर किसी र्हीमें फंस जाना आदि अनेक कारणों से मन्त्र खुल जाता है। बहुधा छिपे हुए स्वभाव वाले (प्रचल्लन) दुश्मन तथा राजा द्वारा बेइज्जत किये गये लोग मन्त्र खोल देते हैं। अतः राजा इनसे मन्त्र की रक्षा करे। राजा या राज्य कर्मचारियों के द्वारा मंत्र के खुलन पर दुश्मनों को ही लाभ पहुंचता है।

यही कारण है कि भरद्वाज का मत है कि राजा आवश्यक कार्यों पर अकेला स्वयं ही विचार करे और किसी से भी सलाह न ले। क्योंकि मंत्रियों के भी मंत्री होते हैं और उनके भी अन्ते। इस प्रकार मंत्रियों की लड़ी मंत्र को गुप्त नहीं रहने देती। इसलिये राजा क्या करना चाहता है यह किसी को भी न मालूम पड़े। काम

शुरू होने पर या शुरू किये हुए काम के खतम होने पर ही राजा का दिली हाल दूसरों पर खुले । विशालाक्ष का ख्याल है कि कहाँ अकेले भी विचार या मंत्रसिद्धि हुई है । राजा के काम ही ऐसे हैं कि उसको अपने देखने के साथ साथ दूसरों के देखने पर निर्भर करना पड़ता है । यह मन्त्रियों का ही काम है कि जो बात मालूम नहीं है उसका पता लगावें, जिसका ज्ञान है उसका निश्चय करें, जहाँ संदेह हैं वहाँ संदेह मिटावें तथाँ जिस बात की पूरी खबर न हो उसको पता लगावें । इसलिये राजा अपने से बुद्धिमान लोगों के साथ मिलकर सलाह मशवरा करें । सब की सलाह सुनें । किसी की भी बात न काटे । बुद्धिमान लोग छोटे बच्चे की भी उपयोगी बात को काम में ले आते हैं । पराशर कहते हैं कि इस ढंगपर मन्त्र का ज्ञान तो हो सकता है परंतु उसकी रक्षा संभव नहीं है । इस लिये राजा को जो काम करना हो उसी ढंगपर मन्त्रियों से पूछें । “यह कार्य है, ऐसी हालत है, यदि इसको इस प्रकार किया जाय तो क्या फल हो ?” । वह लोग जैसी सलाह दें वैसा ही करें । इस ढंगपर मन्त्र का ज्ञान तथा रक्षण दोनों ही हो जाता है । पिशुन के मत में यह भी ठीक नहीं है । मंत्री लोगों से जब ऐसे पूछें या अपूर्ण काम के विषय में सलाह ली जाती है जिससे उनका कोई सीधा संबंध न हो तो वही बेपरवाही के साथ सलाह देते हैं और बहुधा प्रकाशित भी कर देते हैं । इसलिये जिन लोगों के साथ जिन कामों का संबंध हो उन कामों के विषय में उन्हीं से सलाह लीजाय । ऐसा करने से उचित सलाह भी मिलती है और मंत्रकी रक्षा भी हो जाती है, कौटिल्य इससे भी सहमत नहीं है । क्योंकि वह इसमें भी गड़बड़ तथा अनवस्था की आशंका करता है । उसका विचार है कि तीन चार मन्त्रियों के साथ ही एक समय में विचार कियाजाय । एक के साथ विचार करनेपर कठिन प्रश्न हल नहीं होता । और वह भी बेलगाम होकर कामकरने लगता है । दो के साथ समिलित रूप में विचार करने पर यदि वह दोनों आपस में मिल कर कामकरें तब तो भला है । यदि यह न हुआ तो दोनों ही आपस में भगड़कर काम बिगड़देते हैं । तीन चार के साथ मिलकर सलाह करने में अकेलापन नहीं होता । नुकसान भी आ-

सनी से नहीं पहुंचता। सब काम सिद्ध होजाता है यदि चार सें भी संख्या अधिक करदी जाय तो किसी एक निर्णय पर पहुंचना कठिन होता है। मंत्र रक्षा भी सुगम नहीं रहती। असली बात तो यह है कि देश समय तथा कार्य को सामने खते हुए आवश्यकतानुसार चाहे एक से और चाहे दोसे सलाह ले।

मंत्र या सलाह मश्वरी के पांच अंग हैं। १. कार्य कैसे प्रारंभ किया जाय? २. उसमें कितने आदमी द्रव्य तथा संपत्ति की जरूरत पड़ेगी? ३. कौन से स्थानमें किया जाय और उसमें कितना समय लगेगा? ४. जो खतरे तथा विघ्न पड़े उनको कैसे हटाया जाय? ५. कार्य का पूर्ण होना।

राजा पृथक् पृथक् कर या एक साथ संमिलित रूप में सलाह लेसकता है। भिन्न भिन्न हेतुओं के द्वारा वह मंत्रियों की बुद्धि तथा विवेक को जानता रहे। एकनिर्णयपर पहुंचते ही कार्य के शुरू या खतम करने में तनिकसा भी विलम्ब न करे। जिनके स्वार्थ को नुकसान पहुंचता हो उनकेसाथ देरतक सलाह मश्वरा न करे।

मनुसंग्रहाय के विद्वानों का मत है कि मंत्रिपरिषद् के सभ्य बारह अमात्य होने चाहियें। बृहस्पति के पक्षपाती सोलह और उशना के अनुयायी बास अमात्य का होना आवश्यक समझते हैं। कौटिल्य का विचार है कि सामर्थ्य तथा जरूरत के अनुसार संख्या होनी चाहिये।

अमात्य लोग अपने पक्ष तथा पर-पक्ष के विषयमें विचार करें, जो काम शुरू नहीं हुआ उसको शुरू करें, जो खतम होगया उसको विशेषरूप देवें, तथा भिन्न भिन्न कामों के करने की आशा देवें राजा सभीपवर्ती राज्य कर्मचारियों के साथ कार्यों का निरीक्षण करें। जो दूरदेशमें रहते हों उनसे चिट्ठी पत्री के द्वारा सलाह मश्वरा करें। इन्द्रकी मन्त्रिपरिषद्में हजार ऋषि थे। यही उसकी आंखें थे। यही कारण है कि दो आंखों वाले इन्द्रको हजार आंखों वालों के नाम से (सहस्रात्म) पुकारते हैं। आवश्यक कार्य के आपड़ने पर मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रियों को बुलावे इसमें जो बहुसंमतिसे पासहो या कार्य सिद्ध कर(कामखतम करने वाली सलाह) सलाहदे उसीके अनु-

सार काम केर। काम करते समय राजा की गुप्त बातें दूसरा न जानने पावे जब कि वह स्वयं दूसरों के छिद्रों से जानकार होता रहे। कल्युण की तरह अपने बाहर फैले हुए अंगों को अन्दर करले। जिस प्रकार अश्रोत्रिय लोगों का शाद्व सज्जन लोग नहीं खाते उसी प्रकार शास्त्र तथा उसके अर्थ से अनभिज्ञ व्यक्ति राजा के सलाह मध्वरे के लायक नहीं है।

•

१२. प्रकरण ।

दूत का प्रयोग तथा प्रबंध ।

—४४—

सलाह देने में चतुर व्यक्ति ही दूत होता है। जो अमात्य के गुणों से युक्त हो उसको राज्य कार्य सुपुर्दि किया जाय (निसृष्टार्थ)। जो एक चौथाई गुण हीन हो उसको (परिमेतार्थ) सहायक मन्त्री या प्राइवेट सैकटरी बनाया जाय। आधे गुणों से राहित व्यक्ति को आक्षा पत्र (शासन हर) ले जाने वाला नियुक्त किया जाय।

घोड़े गाड़ी तथा चररासी का समुचित प्रबंध कर दूत राजा के काम पर जावे और मार्ग में सोचता जावे कि “राजा की आक्षा को इस ढंग पर सुनाना है, यदि वह इसका उत्तर यह देवे तो इस का प्रत्युत्तर यह देना है और इस प्रकार संपूर्ण मामला सुलझा देना है”। साथ ही शत्रु के जंगल रक्तक (अटवी), सीमा रक्तक (अन्तपाल), शहर तथा गांव के मुखिया से मिलता जुलता जावे। अपनी तथा दुश्मन की सेना, छावनी, लड़ाई का मैदान, किले आदि पर भी दृष्टि डालता जावे। किला तथा राष्ट्र कितना बड़ा है? कितनी अधिक शक्ति है? रक्षा का कैसा प्रबंध है? कमजोरी कहां पर है? इत्यादि संपूर्ण बातों का पता लगा लेवे। आक्षा लेकर दुश्मन की राजधानी में प्रवेश करे। राजा ने जो बात कही हो वही कहे। चाहे जान जाने का खतरा कर्ने न हो?। मुंह तथा आंख में प्रसन्नता, मीठी वाणी, कुशल क्षेम पूछना, बड़ाई तथा प्रशंसा में भाग लेना, समीर में आसन देना, सत्कार करना, इष्ट लोगों का स्मरण करना, विश्वास करना आदि चिन्होंसे दुश्मन राजा की प्रसन्नता तथा संतोष का

और विपरीत चिन्हों से विपरीत दशका अनुमान करे । असंतुष्ट देखकर उसको कहे कि “चाहे आप हों और चाहे दूसरा हो, राजाओं का एक दूसरे के साथ बात चीत करना इनके ही सहारे ही है । तलवार खींच चुकने पर भी यदि कोई पास का रहनेवाला यथोङ्क बात कहे तो उसको न मारना चाहिये ब्राह्मण की तो बात क्या कहनी है । दूसरे यह बात कही है । यह तो दूत का धर्म है” । जबतक विदा न किया जाय तबतक दुश्मन के यहां ही रहे । बहुत आदर सत्कार पाकर फूल न जाय । शत्रु राजा को कभी भी शक्ति शाली न समझे । बुरी बात भी यदि कही जाय तो सहले । खींच तथा शराब के फंदे में न फंसे । अकेला सोवे । क्यों कि सोये हुए तथा शराब में मस्त लोग अन्दरुनी बात खोल देते हैं, तपस्वी तथा दुकानदार के भेस में गये हुए खुफिया लोगों से, या उनके पास रहने वालों तथा दोनों और से तनखाह पाने वाले वैद्य तथा वैरागी के भेस में मौजूद अपने आदिमियों से अपने पक्ष के लोगों का, विपक्षके लोगों को फाढ़ने के तरीकों का, राजा से प्रजा का अनुराग तथा प्रकोप का और प्रजा की कमज़ोरियों का हाल पूछें । यदि इस बात का मौका न मिले तो भिखरियों, शराबियों, सोये हुए लोगों के प्रलापों से तथा तीर्थ, मन्दिर, घर के चित्र, गुप्त लेख आदिसे खुफिया लोगों के इशारों का ज्ञान प्राप्त करे और इनके द्वारा शत्रुके घद्यन्त्रों को समझ लेवे । शत्रु राजा के कहने पर भी अपनी शक्ति का उसको भाँफ न दे और यही कहे कि “आप तो सब जानते ही हैं” । उसके अपने राजाने काम सिद्ध करने के लिये जो जो तराके किये हों उसका उसको तनिकसा भी पता न देवे जिस काम के लिये वह भेजा गया हो यदि वह काम पूरा न हुआ हो और इसपर भी उसको लौटने के लिये आशा न मिली हो तो इस बात का पता लेकर—क्या यह मेरे मालिक पर आने वाली तकलीफ की प्रतीक्षा कर रहा है ? या अपनी कमज़ोरी तथा विपत्ति को दूर कर रहा है ? क्या यह अडोस पडोस की रियासतों को या प्रजा को मेरे मालिक के विरुद्ध भड़काना चाहता है ? कहीं हमारे मित्र राष्ट्र को साथ की दुश्मन रियासतों से नष्ट तो नहीं करना चाहता है ? अपने ऊपर होने वाले दुश्मन के श्राकमण, प्रजा का

विद्रोह, तथा जंगलियों की गङ्गबड़ को तो दूर नहीं कर रहा है ? कहीं हमारे मालिक के सफल हुए हुए आक्रमण को तो निरर्थक नहीं करना चाहता है ? कहीं अनाज, जंगलिकपदार्थ तथा व्यापारीय द्रव्यों का लंग्रह, किले बन्दी तथा सेना का संग्रह तो नहीं कर रहा है ? कहीं अपनी सेना के शिक्षित होने का समय तथा मौका तो नहीं देख रहा है ? कहीं अपने प्रशाद तथा पराजय के कारण जो यह घृणित तथा संमान राहित संधि की नी पढ़ रही है उससे बचने के लिये तो नहीं रोकरहा है ?—वहांपर रहे या चुप्पे से भाग आवे । या उसको कहे कि शीघ्र ही मामला तय करदीजिये । दुश्मन को अपने मालिक की सख्त तथा अप्रिय आज्ञा सुनाकर और यह कहकर कि मुझको कैद तथा मृत्यु दंड का भय है शीघ्र ही लैट आवे नहीं तो उसको दंड मिले ।

समाचार तथा पत्र का भेजना, संधि का पालन करवाना, मित्रोंका संग्रह करना घड़यत्र रचना, मित्रों को फाड़ना, कैदियों का भगाना या गुप्तरूप से सेना एकत्रित करना, हीरे तथा संबंधियों को चुरालेना, खुफिया पुलिस का पता लगाना, आक्रमण करना, संधिभंग करना, शत्रु के कर्मचारियों को अपने साथ मिलाना इत्यादि इन के काम हैं । इनकामों को राजा अपने दूतों के द्वारा करवाये और प्रकट तथा अप्रकट पहरे दारों और प्रतिदूत तथा खुफिया पुलिस के लोगों के द्वारा शत्रु के दूतों से अपने आपको बचावे ।

१३ प्रकरण ।

राजकुमार की रक्षा ।

स्त्रियों तथा बच्चों से अपनी रक्षा करने के बाद ही राजा निकट वर्ती लोगों तथा बाह्य शत्रुओं से राज्य की रक्षा करने में समर्थ होता है । 'स्त्रियों से रक्षा' पर, 'अंतःपुर का प्रबंध' नामक प्रकरणमें प्रकाश डाला जायगा । राजकुमारों की रक्षा उनके पैदा होने के बाद से ही शुरू की जाय । राजकुमार के कड़ों की तरह अपनेही पैदा करने वालों को खाजाते हैं । यहीं कारण है कि भारद्वाज का मत है कि जो राजकुमार पिता के साथ प्रेम न रखे उसको गुप्तरूप से दंड

दिया जाय या मरवा दिया जाव। विशालाक्ष इसकाम को क्ररतथा नृशंस समझते हैं। उनका ख्याल है कि इससे भविष्य का नाश तथा क्षत्रिय वंश का लोप होना संभव है। इसलिये उनको किसी एक स्थान में पहिरे के अन्दर रखा जाय। पराशर संप्रदाय के विद्वान् इसमें 'सांप का भय' देखते हैं। क्योंकि बहुत संभव है कि राजकुमार यह समझकर फिपिता भेरी शक्ति तथा पराक्रम के डरसे मुझको पहिरे में रखता है, मौका पाते ही उसको काटले तथा मारदे। इसलिये उचित यह है कि राजकुमार को अन्तःपाल (सीमाप्रान्त का रक्षक) के पहिरे में या दुर्ग में रखे। पिशुन इसमें भेड़िये का भय' समझते हैं। क्योंकि राजकुमार बंदिश में रखे जाने के कारणों को जानकर अन्तपाल को ही अपना दोस्त बना सकता है। इसलिये उसको अपने देश से दूर रहने वाले आधीन राजा के किले में रखा जाय। कौणपदंत इसको गृह्या के बछड़े के तुल्य मानते हैं। जिसप्रकार बछड़ा दिखाकर गऊ का दूध दुहा जाता है उसीप्रकार आधीन राजा राजकुमार के बहाने राजा को दुर्हेंगे। इसलिये उस का मामा के घर रहना ही ठीक है। वातव्याधि के ख्यालमें यह तो "भंडी वाला मामला" है। अदिति तथा कौशिक के मामा के घर के लोग राजकुमार के नाम पर भंडा फहराते इधर उधर से भीख मांगकर धन इकट्ठा करते थे। इसलिये उसको ग्राम्य काममें लगावे। तकलीफ में पले बचे पिता के साथ दुश्मनी नहीं रखते। कौटिल्य के विचार में यह तो जीते जी मरना है। क्योंकि जिस राजकुल में लड़के उचित शिक्षा नहीं पाते वह घुनी लकड़ी की तरह भार पड़ते ही चूर चूर हो जाता है और नाशको प्राप्त होता है। इसलिये राजमहिषी के ऋतुर्धम होते ही पुरोहित तथा याक्षिक इन्द्र वृहस्पति संबंधी चह (यज्ञमें एक खास प्रकार का भोजन तैयार किया जाता है) से हवन करें। उसके गर्भवता होने पर दाई तथा वैद्य के अनुसार उसको भोजन दें तथा बच्चा पैदा करवायें। बच्चा पैदा होने पर, पुत्रका संस्कार पुरोहित करें। जब वह बड़ा होतो विद्वान् लोग उसको एढ़ावें लिखावें।

आंमीय नामक रस्तनीतिशों का मत है कि खुफिया पुलिस के लोग इसको शिकार, जुआ शाराब तथा खियों का प्रलोभन दें। "पिता

पर आक्रमण कर राज्य लेलेओ” जब एक यह कहे तो दूसरा उस को इस काम से रोके । कौटिल्य इस ढंग से राजकुमार को शिक्षा देना बहुत ही हानिकर समझते हैं । क्योंकि छोटे बच्चे को जो जो बात सिखाओ वही सीखता है । उसीको शास्त्रोपदेश समझता है । इसलिये उसको धर्म तथा अर्थ संबंधी शिक्षा दी जाय । अधर्म तथा अनर्थ का पाठ न पढ़ाया जाय । खुफिया पुलिस के लोग उस को “हम तुमारे ही हैं” यह कहकर ही उसका पालन पोषण करें । जवानी के जोश में आकर यदि वह दूसरों की औरतों पर मन चलावे तो आर्य औरतों के भेसमें बदमाश अपवित्र औरतें रातको उसको तंगकरें । यदि वह शराब पीने की और झुकेतो उसको बहुत ही तेज नशा (योगापान) पिलाकर सदाके लिये उसओर से घबड़ायें । इसी प्रकार यदि वह जुप की ओर झुके तो बेईमान बदमाश के भेसमें और यदि शिकार की ओर झुके तो डाकू लुटेरे के भेसमें खुफिया पुलिस के लोग उसको परेशान करें । यदि वह पिता के विरुद्ध आचरण करे तो यह लोग उसके पेटमें घुस कर तथा उस के दोस्त बनकर उसको ऐसा करने से रोकदें । उसको समझावें कि “राजा पर किसी की भी प्रार्थना काम नहीं करती । यदि तुम पकड़े गये तो तुमको फांसी चढ़ाना पड़ेगा । यदि तुम पिता के मारने में सफल होगये तो तुमको नरक मिलेगा । प्रजा भी पुराने राजा के लिये रोवेगी । संभव है कि तुमको कोई इकल्ला दुकल्ला पाकर मार भी देवे” । इकलौते दुलारे लड़के को अपने से विरक्त देखकर बंधन में रखे । यदि बहुत लड़के होंतो विरक्त लड़के को राष्ट्रके अंत में या ऐसे दूसरे राष्ट्र के राजा के पास भेजदे जिसके लड़का न हो और न इसकी संभावना ही हो । जो लड़का समझदार तथा योग्य हो उसको सेनापति या युवराज बनाया जाय । कुछ लड़के बचपन से ही बुद्धिमान दुर्बुद्धि, तथा कुछ आहार्यबुद्धि होते हैं । बुद्धिमान वही हैं जो कि पढ़ने पर धर्मार्थ समझ लें और उसके अनुसार काम भी करना शुरू करदें । जो समझले परन्तु उस के अनुसार काम न करे उनको आहार्यबुद्धि समझना चाहिये । दुर्बुद्धि वह हैं जो कि बुरे काम करें तथा धर्मार्थ से द्वेष रखें । यदि इकलौता लड़का ही दुर्बुद्धि होतो कूसरे लड़के की उत्पत्तिमें यत्नकिया

जाय। यदि यह संभव नहो तो लड़की के लड़कों पर भरोसा रखा जाय। राजा बीमार हो या बुढ़ा हो तो मामा, गुणवान् सामन्त (आधीन राजा) तथा कुलीन इनमें से किसी के भी द्वारा अपनी स्त्री का नियोग करवाये तथा पुत्र उत्पन्न करे। परंतु अशिक्षित बदमाश इकलौते लड़के को राज्यपर कभी भी न बैठावे।

पिता बहुतों का ख्याल इखते हुए पुत्र का ही हित करे। यदि कोई खतरा न हो तो बड़े लड़के को ही राज गद्दी पर बैठावे। कुल का भी संमिलित राज्य हो सकता है। इसमें अराजकता का भय नहीं रहता तथा स्थिरता रहती है और शब्द इसपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता।

१४ तथा १५. प्रकरण।

बंधन में पड़े राजकुमार का कर्तव्य



तकलीफ में तथा अपने से भारी काम में पड़कर राजकुमार पिता की आशा के अनुसार तबतक काम करता जाय जबतक कि जान जाने का, जनता के कुपित होने का तथा भयंकर विपत्ति आ पड़ने का खतरा न हो। पुण्य काम में यदि उसको लगाया गया हो तो वह अपने से ऊपर काम करने वाले अध्यक्ष की कृपा तथा अनुग्रह की याचना करता रहे। जो बात वह करने के लिये कहें उसको विशेष रूपसे करे। कर्म के अनुसार फल लेते हुए विशेष लाभ पिता के पास पहुंचादे। यदि इसपर भी पिता असंतुष्ट रहे तथा अन्य लड़कों तथा लियों में विशेषरूप से स्नेह रखे तो जंगल में जानेके लिये आशा मांगो। यदि उसको कैद में पड़ने या जानका भय हो तो जो सामन्त उसको न्यायवृत्ति, धार्मिक, सत्यवादी, सीधा, आदर सत्कार करने वाला तथा गुणियों का आश्रयदाता मालूम पड़े उसके यहां चला जावे। वहां पर रहकर धन शस्त्राख से संपन्न होकर किसी वीर पुरुष की लड़की के साथ शादी करले, जंगल के अध्यक्षों से दोस्ती बना लेवे और अपने पक्ष के लोगों को इकट्ठा करे। यदि अकेला ही हो तो सोना, हीरा पन्ना, चांदी,

व्यापारीय द्रव्य आदि के स्थानों तथा कारखानों में काम करना शुरू करे और उसके द्वारा अपना आभरण पोषण करे । पाखंडियों तथा कंपनियों के धन को, या अश्रोत्रिय लोगों के अयोग्य मंदिरों की संपत्तिको या किसी अच्छी अमीर औरत को फंसाकर उसके रूपये पैसे को या समुद्रके व्यापारियों को जहर देकर उनके मालको अपने हाथ में करले या ऐसे तरीके काम में लावे जिससे सुगमता से ही दुश्मन के गांवों पर अपना प्रभुत्व स्थापित हो जाय । पिता के विरुद्ध मामा के घर के नौकरों से भी सहारा लिया जासकता है । कारीगर, शोलपी, चारण, वैद्य, भांड, वैरागी के भेस में और ऐसे ही लोगों से मित्रता रखकर किसी तरीके से अंतःपुर में जहर तथा हथियार लेकर घुस जाय और राजा से कहे कि “हम वही राजकुमार हैं । अकेले अकेले ही राज्य का भोग करना उचित नहीं है । दुगने अलाउंस या वेतन से हमारा काम नहीं चलता” इस ढंग के उपाय बंधन में जकड़े राजकुमार को काम में लाने चाहिये ।

राजा को चाहिये कि ऐसे सब से बड़े राज कुमार को उसकी माँ या खुफिया पुलिस के लोगों के द्वारा पकड़वा मंगवाये । घर से निकाल देने के बाद खुफिया पुलिस शख्स से या जहर से उसको मार डाले । यदि उसको घरसे न निकालना हो तो समान गुणवाली औरतों, शराब या शिकार में फंस हुए को रात में पकड़वाये और दरबार में उपस्थित करे और कहे कि अपने मरने के बाद आधा राज्य में तुम्हीं को दूंगा । यदि वह इकलौता लड़का हो तो उसको किसी एक स्थान में पहरा सुपुर्द रखे और यदि उसके बहुत से भाई हों तो उसको देश से बाहर निकाल दे ।

१६ ग्रकरण ।

राजा का प्रबंध तथा कर्तव्य ।



राजा के कर्मण्य होने पर राजकर्मचारी भी कर्मण्य रहते हैं । उसके प्रमादी होने पर वह भी प्रमादी हो जाते हैं । उसका काम बिगाड़ देते हैं । और दुश्मन से मिलजाते हैं । इसलिये उसको सदा

ही सावधान रहना चाहिये । वह धूप घड़ी की छाया या नालिका (११ घंटा) के अनुसार दिनरात को आठ आठ भागों में विभक्त करे । धूपघड़ी में ३६, १२, ४, तथा ०५ झंटे के अनुसार छाया का विभाग करे और शून्य पर मध्याह्न समझे । दिन तथा रात को आठ आठ भागों में बांटकर—

- (१) दिनके पहिले भाग में राष्ट्ररक्षा का प्रबंध तथा आय व्यय विषयक बातें सुने ।
- (२) दूसरे भाग में नागरिकों तथा ग्रामीणों के कार्यों का निरीक्षण करे ।
- (३) तीसरे भाग में नहाये तथा खाना खाय । और स्वाध्याय भी करे ।
- (४) चौथे भाग में उपहार डाली लेने के साथ २ अध्यक्षों की नियुक्ति करे ।
- (५) पांचवें भाग में पत्रभेजकर मन्त्रिपरिषद् को बुलावे । खुफिया लोगों से गुप्त बातें सुने ।
- (६) छठे भागमें स्वच्छन्द विहार करे या सलाह मशवरा करे ।
- (७) सातवें भाग में हाथी घोड़ा रथ तथा पद्मातियों की देख रेख करे ।
- (८) आठवें भागमें सेनापति के साथ सैनिक कार्य तथा आक्रमण संबंधी विचार करे । दिन के खतम होने पर संध्या करे ।
- (१) रात के पहिले भाग में खुफिया पुलिस के लोगों से बात चीत करे ।
- (२) दूसरे भाग में ज्ञान, भोजन तथा स्वाध्याय करे ।
- (३) तीसरे भाग में तूरी की आवाज के साथ ही सोने के लिये कमरे में जाय और
- (४,५) चौथे तथा पाचवें भाग तक सोवे ।
- (६) छठे भाग में तूरी की आवाज के साथही उठे, शास्त्रका विचार करे और आवश्यक कामों के करने की विचार करे ।
- (७) सातवें भागमें सलाह मशवरा करे और खुफिया लोगोंको इधर उधर भेजे ।

(द) आठवें भागमें ऋत्विंग् आचार्य तथा पुरोहित लोगों के साथ स्वस्त्रयन (वेदमंत्र-विशेष) पाठ करे । वैद्य, पाचक तथा ज्योतिषियों के साथ बात चीत करे । बछड़े सहित गौ बैल की प्रदक्षिणा कर राज दर्बार में जावे ।

अथवा अपने सामर्थ्य के अनुसार रात दिनका विभाग कर काम करे । राजदर्बार में पहुंच कर प्रार्थी^१ लोगों को बहुतदेर तक डंघौढ़ीपर न खड़ा रखे । जो स्वयं काम नहीं देखते उनके काम में निचले लोग गड़बड़ कर देते हैं । इससे प्रजा में असंतोष फैल जाता है और शत्रुके आक्रमण की संभावना हो जाती है । इसलिये मन्दिर, आश्रम, सन्न्यासी तथा पाषण्ड, श्रोत्रिय तथा याक्षिक, पशु, तीर्थ, तथा बालक, बुद्ध, बीमार, दुःखित, अनाथ तथा स्त्री आदिकों का हाल चाल स्वयं जाकर पता लगावे । जो काम आवश्यक तथा महत्वपूर्ण हो उसका सबसे पहिले ख्याल रखे ।

सपूर्ण आवश्यक कामों को ख्यं ही देखे तथा सुने परंतु टालने की कभी भी कोशिश न करे । क्योंकि टालने से काम कृच्छ्रसाध्य (बड़ी तकलीफ के बाद जो काम पूराकिया जासके) आतेकाल साध्या तथा असाध्य (जो कि पूर्ण न किये जासकें) हो जाते हैं । पुरोहित तथा आचार्य लोगों के साथ यज्ञशाला में पहुंचकर वैद्य तथा तपस्वी लोगों को उचित रूपसे आदर सत्कार तथा अभिवादन कर उनकी जरूरतों को जाने । त्रैविद्य लोगों (तीनों शास्त्रों में पंडित) की सलाह से तपस्वियों की जरूरतों को पूराकरे । योग तथा जादू के कामों को करने वाले लोगों की नाराजगी का कारण न बने । कार्य में तत्पर होना, यज्ञ करना, कार्य संबंधी आशा तथा हुक्म देना, दानदेना, सबके साथ समाज व्यवहार करना, दीक्षाप्राप्त लोगों का अभिषेक करना आदि ही राजा के काम हैं । प्रजा के सुख तथा हित में ही राजा का सुख तथा हित है । राजा का अपने स्वाधीनों को पूर्ण करने में हित नहीं है । उसका हित तो प्रजा के स्वाधीनों तथा प्रिय वस्तुओं को पूरा करने में ही है । इसलिये राजा को चाहिये कि सावधान तथा कर्मण्य होकर आवश्यक कामों के करने का हुक्म दे । क्योंकि कर्मण्यता ही सुख तथा समृद्धि का मूल है ।

सुस्ती तथा प्रमाद से सब कुछ नष्ट हो जाता है । जो कुछ पास है और जिसके मिलने की आशा है यह सब कुछ प्रमाद से पानी में मिल जाता है । कर्मण्यता से संपत्ति तथा आवश्यक वस्तु प्राप्त होती है और संपूर्ण प्रकार के फल उपलब्ध होते हैं ।

१७ प्रकरण । अन्तः पुर का प्रबंध ।

गृहनिर्माण के लिये जो स्थान उत्तम हो उसमें अन्तः पुर बनाया जाय । उसमें अनेक कर्मरूप हैं और उसके चारों ओर दीवार द्वारा तथा खाई हैं । राजा के रहने का मकान कोश गृह के नक्ल पर निर्माण किया जाय । एक मोहन गृह बनाया जाय जिसके दीवारों में से आने जाने के लिये गुप्त मार्ग हैं । राजा का वास गृह इसके मध्य में भी हो सकता है । इसी प्रकार एक महल खड़ा किया जाय और भूमि गृह तैयार किया जाय जिनके दरवाजों पर मूर्तियां बनी हैं, दीवारों में सीढ़ियां लगी हैं, अन्दर बाहर जाने के लिये अनेकों सुरंगे हैं, सब के सब खंभे पोल हैं और उनमें आने जाने का मार्ग हो और उनकी छत कलयन्त्र से इस प्रकार रची गई हो कि आवश्यकता पड़ने पर ज्ञान में नीचे बैठायी जासके । इस महल में भी राजा अपना निवास गृह बना सकता है । सहाध्यायी तथा बचपन के साथीं लोगों से बचने के लिये और एक दम आ पड़ने वाली विपत्ति से आत्म रक्षा करने के लिये ही उपरि लिखित उपाय आवश्यक हैं ।

दहिने से बांये ओर तीन बार मानुष-अग्नि यदि अन्तः पुर के चारों ओर धुमायी जाय तो उसमें आग लगने का डर नहीं रहता । वहां कोई दूसरी आग नहीं जलती यदि विजली की राख को ओले के पानी तथा मिट्टी से सानकर दीवारों को लीया जाय । *

* यह तान्त्रिक प्रयोग है । उस समय यह विश्वास प्रचलित था कि मानुष अग्नि के चारों ओर धुमाने से किसी भी आग की आशंका नहीं रहती । मानुष-अग्नि क्या चीज़ है इस पर डाक्टर शामशास्त्री के भाषान्तर से प्रकाश नहीं पड़ता उन्होंने मनुष-निर्मित अग्नि (A fire of human make) के रूप में जो भाषान्तर किया है वह ठीक कहीं जचता है । हमारी समझ में “प्रलंभने अद्भुतो-त्पादनम्” नामक प्रकरण में “शस्त्रहतस्य शूलप्रोतस्य वा पुष्पस्त्य वामपार्श्व-पशुकार्सिथपु कल्माष्वेणुना निर्मयितोऽग्निः.....यत्र विरपसव्यं गच्छति न चात्रान्योऽग्निर्ज्वलति” मेरे हुए आदमी की हड्डी तथा कल्माष नामक बांस रगड़ने से जो आग पैदा होती है उस आग को यहां (मानुष-अग्नि)” शब्द से सूचित किया है ।

जीवन्ती, श्रेता, मुष्क, कसीस, बांदा के समीप पैदा हुए पीपल के तने से मकान में छिपे हुए सांपों का विष नष्ट हो जाता है । विल्ही, मोर, न्योवला तथा विन्दुमृग सांपों को खा जाते हैं । तोता मैना तथा भिंगराज सांप के विष की आशंका में शोर मचाने लगते हैं । कराकुल या घेंटी विष के समीप में आते ही पागल हो जाता है, यूनानी तीर सुस्त पड़ जाता है, मंत्तकोकिल मर जाता है और चकोर की आंखे लाल पड़जाती हैं । इस प्रकार अग्नि, विष तथा सांप से बचने का उपाय करे ।

अन्तःपुर के पिछले भाग में खियों के रहने का स्थान, गर्भोपयोगी जड़ी बूटी तथा तालाब बनाया जाय । बाहरकी ओर लड़के लड़कियों के रहने का, तथा आगेकी ओर शृंगार गृह, दर्बार, तथा राजकुमार और अध्यक्ष लोगों के रहने का स्थान हो । कमरों के बीचमें अन्तःपुर के रक्काँ तथा पहरियों का पहरा हो ।

घरके अन्दर पहुंचकर बूढ़ी औरत के द्वारा पटरानी को कहला दे और जब उसके पास कोई भी न रहे तब जावे । क्योंकि भाई ने रानी के कमरे में छिपकर ही भद्रसेन को, माता की चारपाई में छिपकर लड़के ने कारुश को, खिलौंमें शहत के स्थान पर जहर लगाकर रानी ने काशिराज को, विषमें बुझे पायजेब (नूपुंर) से वैरत्य को, हीरे की कर्धनी से सौवीर को, मुंह देखने के शीशे से जालूथ को और बालों के जूँड़े में हाथयार छिपाकर विदूरथ को मारा था । इसलिये इन विषन्तियों से बचता रहे । सिरमुंडे, जटाधारी, संन्यासियों भाँडों तथा मस्खरी बालोंको और बाहरी लैंडियों को अन्दर न आने देवे । दाइयों तथा गर्भ व्याधि के इलाज में चतुर औरतों को छोड़कर और कोई भी कुलीन घरकी औरत उसको न देखे । नहाने तथा सुनांधेत चीजों के लगाने के बाद नया कपड़ा तथा गहना पहिन कर रडियां (रूपाजीवा) उससे मिलें । बाप मां के भेष में अस्सी मर्द और पच्चास औरतें बुड़डे तथा बड़ी उमर के नौकर बन

‡ डॉक्टर शामशास्त्री ने भाषान्तर किया है कि “सांप अन्दर नहीं घुसते” परन् । “सर्पि विपाणि वान प्रसहन्ते” इसका अर्थ “विष नष्ट हो जाता है” यही ठीक है ।

कर अन्तःपुर के लौडे लौंडियों की वफादारी की परीक्षा करते रहे और इस प्रकार राजा का कल्याण करें।

अपने अपने स्थानपर सब लोग काम करें। कोई भी दूसरे के स्थानपर न जाय। अन्दर का कोई भी आदमी बाहरी आदमी से न मिले। अन्दर तथा बाहर जाने वाले माल पर कड़ी नजर रखी जाय। कोई भी राजमुद्री से राहेत माल न अन्दर जाने पावे और न अन्दर से बाहर ही जावे।

१८. प्रकरण ।

आत्म रक्षा ।



सोकर उठते ही राजा का आदर सत्कार धनुषवाणधारी औरतें करें। दूसरे कमरे में चोगा पगड़ी आदि वरदी पहिने बुढ़े अंत पुर के नौकर, तीसरे कमरे में कुबड़े वौमें किरात लोग, और चौथे कमरे में मन्त्री, संबंधी तथा नंगी तलवार लिये ड्योढीदार उसका स्वागत करें।

विदेशी लोगों तथा राजकीय पुरस्कार तथा आदर से वंचित स्वदेशी लोगों को छोड़ कर, नीचे से ऊचे पद पर पहुंचाये गये तोग ही शरीर-रक्षक (आन्तर्वैशिक सैन्य) नियत किये जांय तथा राजा और अतःपुर की रक्षा करें। संरक्षित स्थान में रसोईदार (महानसिक) पाचकों से स्वादिष्ट भोजन तैयार करावे। अप्पि तथा पक्षियों को बलि देकर राजा ताजा खाना खावे।

जहरीले भोजन को आग में डालते ही आग चट चटाने लगती है और नीला धुआं देने लगती है, पक्षी उसको खाते ही मर जाते हैं अच्छ की भाफ मयूर पंखी रंग की हो जाती है। देखने में वह ठंडा मालूम पड़ता है। ताजी तरकारी का रंग जहर होने पर बदल जाता है। वह पानी छोड़ने लगती है या बिल्कुल ऐंठ जाती है। इसी प्रकार अन्य पदार्थ भी जहर पड़ने पर ऐंठ तथा सूख जाते हैं, उबाल आते ही उन में कभी कभी नीला फेना उठने लगता है और नीली भाफ निकलने लगती है। सुशबू, खूबसूरती तथा स्वाद उन

का नष्ट हो जाता है। गरम गरम रसे में से नीली, दूध में से लाल, शराब तथा पानी में से काली, दही में से हरे रंग की, और शहत में से सफेद रंगकी भाफ निळने लगती है। जहरीली कच्ची तरकारी आदि मुरझा जाती है और उबली सी मालूम पड़ती है और उनका उबाल नीला हरा रंगलिये रहता है। सूखी चीजें झटपट कट जाती हैं और उनका रंग बद्ररंग हो जाता है। कठिन पदार्थ मृदु और मृदु पदार्थ कठिन हो जाते हैं। छोटे २ किड़े मकौड़े उसके पास आते ही मर जाते हैं। गलीचों तथा परदों पर जहर छिकने से उनके रोमें भड़ जाते हैं या कभी कभी वह हरे नीले रंग के हो जाते हैं। हीरे जवाहर जड़े वर्तन जब मैले मालूम पड़ें, और जब उनकी चिकनाई, खूब सूखती, चमक, आब, रंग तथा सफाई नष्ट होजाय तो समझ लना चाहिये कि उनमें जहर लगा है।

जहर दिये गये आदमी का मुंह सूख जाता है और नीला पड़ जाता है। जबान लड़खड़ाने लगती है और वह पसीने से तरबरत हो जाता है। जंभाई से शरीर ऐंठने लगता है। बहुत ही अधिक कंप कंपी आने लगती है। शरीर लड़खड़ाने लगता है और जबान बंद हो जाती है। वह बद हवास हो जाता है और अपने काम पर स्थिर नहीं रहता है। यही कारण है कि जड़ी बूटी जानने वाले डाक्टर हर समय उसके पास रहें। यह लोग दर्वाई खाने से कंपाउंडरों के हाथ से दोष रहित स्वादिष्ट दर्वाई लेकर और अपने आप चाखकर राजा को दें। शराब तथा पानी में भी दर्वाई वाला ही नियम काम में लाया जाय।

स्नान तथा शुद्ध वस्त्र पहिने शरीररक्षक के हाथ से राजा के कपड़ों की सील लगी बंद पेटी लेकर कल्पक तथा प्रसाधक (राजा को नहाते समय कपड़ा तथा अन्य सामान देने वाले) लोग राजा की परिचर्या (सेवा-शुश्रूषा) करें। नहवाना (स्नापक), पानी लाना (संवाहक), विस्तर विछाना, कपड़ा धोना तथा माला बनाना आदि काम लौंडियां (दासी) (१) करें। अथवा कपड़ों

(१) डाक्टर शामशाली ने 'दासी' का अर्थ वैश्या या रंडी (Prostitutes) किया है। 'लौंडी' अर्थ ही उचित जचता है। देशी रियासतों में अवृतक इसकी प्रथा है।

तथा मालाओं को अपनी आंखों पर रखकर, तथा बंटना, सुगन्धित चूर्ण, वस्त्र तथा नहाने के पानी को अपनी बाहु तथा छाती पर डालकर करीगर लाग लौटियों के साथ जावें और राजा को स्वयं देवेवें । बाहर से तथा दूसरे के हाथ से जो चीज अन्दर आवे उस सबमें यही नियम काम में लाया जावे । गाने बजाने वाले लोग राजा के चित्त को उन्हीं वातों से खुश करें जिनमें हथियार आग तथा जहर का कुछभी संबंध न हो । उनके बाजे, और हाथी घोड़े तथा रथ के गहने तथा आभूषण अन्दर ही रखे जांय । दर्वारी तथा ताल्लुकेदार जिस घोड़े याढ़ी को काममें लाचुके हों और देख चुके हों उसीपर चढ़े^१ । ऐसी नाव पर ही सैर करे जिसके साथ दूसरी नाव बंधी हो और जिसके चलाने वाला अच्छे से अच्छा मलाह (आस नाविक) हो । जो नाव कभी आंधी में टूट फूट गई हो या वह चुकी हो उसपर पैर न धेर । पानी या नदी के पास छावनी बनावे तथा सेना रखें । मछुली तथा नाके से रहित पानीमें तैरे । सांप तथा हिंसक जन्तुओं से रहित बागों में भ्रमण करें^२ । दौड़ते हुए तथा चलते हुए लद्य पर निशाना ठीक बढ़े इस उद्देश्य से कुचे पालने वाले शिकारी लोगों के द्वारा चोर सांप तथा शत्रु से सुरक्षित बन्द जंगलों में शिकार खेलने के लिए जावे । हथियारों से सुसज्जित शरीर रक्षकों को साथ लेकर सेढ़ तथा तपस्त्री लोगों का दर्शन करे । मन्त्रिपरिषद् में बैठकर सामन्त के दूत का स्वागत करे । बर्दी तथा राजकाय वस्त्र पहिनकर घोड़े हाथी या रथ पर चढ़े और सुसज्जित तथा सबद्ध सेना को देखे । हथियार लिये लोगों, वैरागी तथा लूले लंगड़ों से राज मार्ग को रहितकर तथा दोनों ओर डंडा लिये सिपाहियों को खड़ा कर राजधानी से बाहर

(१) मौल पुरुष का अर्थ डाक्टर शामशास्त्री ने प्राना संइस या छुड़सवार किया है । स्मृतियों में मौल पुरुष का तात्पर्य उन ताल्लुकेदारों से लिया गया है जोकि अपनी जमींदारी से बहुत दूर पर किसी दूसरे स्थान में वस गये हों ।

(२) डाक्टर शामशास्त्री ने उदान का अर्थ जंगल किया है । हमारे विचार में वाग अर्थ होना चाहिये ।

जावे और अन्दर आवे। भीड़ को चीरकर कभी भी न निकले। सैर (यात्रा) सत्संग (समाज) जलसा तथा नावमें तब तक मज़्लिस का साथ न दे जब तक उनमें दशावर्गिक (दस ढंगके या दस जात या संघ के) लोगों का पहरा न हो।

जिस प्रकार राजा खुफिश लोगों के द्वारा अन्य लोगों की रक्षा करता है उसी प्रकार अन्य विधि वाधाओं से उसको अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिये।



द्वितीय-अधिकरण ।

अध्यक्ष-प्रचार

१९ प्रकरण ।

जनपद-निवेश ।

परदेश या स्वदेश के निवासियों के द्वारा शून्य या नवीन जनपद को बसाया जाय। प्रत्येक ग्राम सौ परिवार से पांच सौ परिवार तक का हो। उसमें शूद्र कृषकों की संख्या अधिक हो और उनकी सीमा एक कोस से दो कोस तक विस्तृत हो। वह इस प्रकार स्थापित किये जाय कि एक दूसरे की रक्षा कर सकें। नदी, पहाड़, जंगल, पेड़, गुहा, नहर तालाब सीमल, पीपल तथा बड़ आदि से उनकी सीमा नियत की जाय। आठ सौ ग्रामों के मध्य में स्था-

(१) डाक्टर शामशास्त्री ने 'न पुरुषसंबाधमवगाहेत' इस वाक्य का अछोड़ दिया है।

२ सेतुबन्ध शब्द का तात्पर्य डाक्टर शामशास्त्री ने कृत्रिम गृह (artificial building) से लिया है। वस्तुतः यह शब्द नहर नदी तथा प्रपात या झरनों से बनी कुल्या या तालाब के लिये प्रायः आता है। यही कारण है कि हमने नहर तथा तालाब ही अर्थ रखा है।

नीय, चार सौ ग्रामों के मध्य में द्वोण मुख, दो सौ ग्रामों के मध्य में खार्वटिक तथा दस ग्रामों के मध्य में संगहण नामक दुर्ग बनाये जायं, राष्ट्र सीमाओं पर अन्तपाल के दुर्ग खड़े किये जायं और प्रत्येक जनपद-द्वार उसके द्वारा सुरक्षित रखा जाय। वागुरिक, शबर, पुलिन्द, चंडाल तथा जंगली लोग शेष संपूर्ण सीमा की देख रेख करें।

ऋत्विक्, आचार्य, पुरोहित तथा श्रोत्रियों को अभिरूप-फल-दायक ब्रह्मदेयं दिया जाय और उनको राज्यदंड तथा राज्यकर से मुक्त किया जाय। अध्यक्ष, संस्थायक, गोप, स्थानीक, अनोकस्थ, चिकित्सक, अश्वदमक, जंघारिक आदि राजसेवकों को भूमि दो जाय परंतु उनको यह आधिकार न हो कि वह उसको बेच सके या थातो(गिरवी)रख सकें। राज्यस्व देने वालों को ऐसे खेत दिये जायं जो कि एक पुरुष के लिये पर्याप्त हों। खेतीहरों को नई भूमि न दी जाय। जो खेती न करें, उनसे खेत छीनकर अन्यों के सुपुर्द किये जायं। ग्राम भूतक या बनिये ही उन पर खेती करें। जो खेत न जोतें वह सरकारी हर्जाना (अपहीन) भरें। जो सुगमता से राज्यस्व दें उनको धान्य पशु तथा हिरण्य से सहायता पहुंचायी जाय। साथ ही ख्याल रखा जाय कि अनुग्रहं तथा परिहारै से कोश की वृद्धि हो और जिससे कोश के नुकसान की संभावना हो उस को न किया जाय। क्योंकि अल्प कोश वाला राजा नागरिकों तथा ग्रामीणों को ही सताता है। नये बन्दोबस्त या अन्य आकस्मिक समय में ही विशेष विशेष व्यक्तियों को राज्यस्व से मुक्त किया जाय।

१. ब्रह्मदेय वह दान है जोकि ब्राह्मणों को स्थिररूप से सदा के लिये दे दिया जाय। ताम्रपत्र तथा बहुत से शिलालेख खोदने से मिले हैं जिन में पुराने राजाओं ने भिन्न २ भूमिभागों को ब्रह्मदेय के रूप में ब्राह्मणों को दिया था।

२. अनुग्रह-उत्तम काम करने के बदले में कारीगरों किसानों को राजा जो धन आदि इनाम में दे उसको कौटिलीय में अनुग्रह शब्द से सूचित किया है।

३. परिहार-राज्यकर से मुक्तकरना। पुत्रोत्पत्ति, वर्धगांठ आदि समय में राजा लोग ऐसा करते थे, कौटिलीय ने इन सब समयों को “यथागतक” शब्द से सूचित है।

और जिनका राज्यकर-मुक्ति या परिहार का समय समाप्त हो गया हो उन पर पिता के तुल्य अनुग्रह रखा जाय ।

खान खेदने, कारखाने चलाने, जंगलों से लकड़ी तथा हाथी ग्रास करने, पशु पालने और व्यापारीय मार्ग बनाने का प्रबंध किया जाय तथा स्थलमार्ग, जलमार्ग और मंडियों (परायपत्तन) का निर्माण किया जाय । भरनों से या दूर से पौनी इकट्ठा कर तालाब या नहर बनायी जाय और जो लोग अपनी ओर से बनावें उनको भूमि, मार्ग, वृक्ष तथा अन्य आवश्यक उपकरणों के द्वारा सहायता पहुंचायी जाय । तीर्थ तथा बांगों को बनवाने वालों के संबंध में भी इसी नीति को काम में लाया जाय । सांभ में नहर या तालाब बनवाना प्रारंभ कर जो स्वयं काम न करे उसके बैलों तथा नौकरों से काम लिया जाय, खर्च में जो धन उसके भाग में पड़े उससे ग्रहण किया जाय और लाभ में उसको भाग न मिले । राजा उन नदियों, तालाबों तथा नहरों पर अपनी मलकीयत स्थापित करे जिनमें मच्छियां तथा तरफारी बहुतायत से पैदा होती हो और नावें चलती हों । जो लोग दासों, थाती में रखे मनुष्यों तथा बंधु लोगों का कुछ भी ख्याल न करें उनको राजा कर्तव्य के लिये प्रेरित करें, और बालक, वृद्ध, बीमार, विपत्तिग्रस्त तथा अनाथों के आभरण पोषण का प्रबन्ध करे और गर्भिणी औरतों तथा नवजात बालकों की रक्षा करें । ग्राम वृद्ध मन्दिर की तथा नावालिंग बालक की संपत्ति का उसके युवावस्था को पहुंचने तक प्रबंध करें ।

जाति से बहिष्कृत पतित व्यक्ति तथा माता से भिन्न यदि कोई समर्थ व्यक्ति खीं, बच्चों, माँ बाप, भाई, नावालिंग बहिन, तथा विधवा लड़की के आभरण पोषण का प्रबन्ध न करे तो उस पर बारह पश्च जुरमाना कियाजाय । जो कोई खीं पुत्र का प्रबन्ध किये विना ही संन्यासी बने या अपनी खीं को जबरन संन्यासी बनावे उसको 'साहसदंड' दिया जाय । वृद्धावस्था में पहुंचकर कोई भी व्यक्ति लड़कों में अपनी संपत्ति बांट कर संन्यासी बन सकता है, विना संपत्ति बांटे जो संन्यासी बने उसको दंड दिया जाय । बान-प्राणियों को लोड़कर कोई भी संन्यासी, जात विगदरी को छोड़

कर कोई भी संघ तथा सामुत्थायक को छोड़कर कोई भी कंपनी प्राप्त में न बसे और न प्राप्त में कोई भोग विलास के लिये मकान ही बना सके । नट, नर्तक, गायक, वादक तथा भाँड़ ग्रामीणों के काम का हजार न करने पावें । क्योंकि ग्रामीणों का खेतोंके सिवाय और कोई दूसरा सहारा नहीं । इसुसे कोश, स्वतन्त्र ध्रम, लकड़ी धान्य तथा अनाज की भी विशेषरूप से वृद्धि होती है ।

शत्रु के बड़यंत्र तथा जंगल से घिरे हुए, व्याधि तथा दुर्भिक्ष से पीड़ित देश को राजा प्रहरण न करे और ख बीली खेलों को रोके दंड, स्वतन्त्र ध्रम और राज्यकर संबंधी विद्वाँ से कृषि की रक्षा करे । चोर शेर तथा जहरीले धातक जीव जन्तुओं से चरागहों तथा गोचर भूमेयों को सुरक्षित रखे । दर्बारी, मेहनती मजदूर, चोर, सीमारक्षक (अंतराल) आदियों से तथा जानवरों के झुइँ से क्रमशः, हीन दशा को प्राप्त होते हुए व्यापारीय मार्ग (विणिकृपथ) को बचावे । इस प्रकार राजा लकड़ी के जंगल, हाथी बन, तालाब तथा नहर, खान आदि की रक्षा करे और नये नये कामों को शुरू करे ।

२० प्रकरण । भूमि का विभाग

जो भूमि जोती बोई नहीं जाती उसपर पशुओं के लिये चरागाहें बनाई जाएँ । सोमलता, धर्म कर्म तथा तपस्या के लिये ब्राह्मणों को ऐसे जंगल दिये जायं जिनमें जंगली जानवरों तथा अन्य बातों का भय नहो और उनका नाम उसी गोत्र पर रखा जाय जिस गोत्र का ब्राह्मण उनमें तपस्या करता हो । राजा के शिकार खेलने के लिये सरकारी बन्द जंगल बनाये जायं जिनमें प्रवेश करने का एक ही मार्ग हो, जोकि चारों ओर खाई से घिरेहों, स्वादु फल बेल गुच्छों से जो कि परिपूर्ण हों, जिनमें एक भी कंटीला पेड़ न हो, शान्त तथा सीधे चौपाये तथा बड़े बड़े तालाब जिनमें विद्यमान हों, जिनमें शेर चीते तथा हिंसक जंतु न ख तथा दांत तोड़

कर छोड़े गये हॉ और जिनमें हाथी, हाथिनी, हाथी के बच्चे तथा मृग बहुतायत से हॉ । राष्ट्रनिवासियों के शिकार के लिये भूमि के अनुसार राष्ट्र की सीमापर एक दूसरा शिकारी जंगल बनाया जाय और उसमें शिकार खेलने का सबको अधिकार दिया जाय । भिन्न भिन्न आश्यकीय जांगलेक द्रव्यों का जंगल पृथक् रूप से लगाया जाय । इनको साधारण जंगलों से पृथक् रखा जाय और व्यावसायिक पदार्थ तैयार करने के लिये इनके कारखाने खोले जाय । राष्ट्र के अन्तिम छोरपर साधारण जंगल के बाद हाथियों का जंगल स्थापित किया जाय । इसका जो अध्यक्ष (नागवनाध्यक्ष) हो वह बनैलों (बनचर) के द्वारा पहाड़ी भोल नदियों तथा नालों से घिरे हाथी-जंगल की रक्षा करे और उसमें घुसने तथा निकलने का रास्ता जाने । जो लोग हाथी को मारें उनको मृत्यु दंड मिले । मरे हुए हाथी के दातों की जोड़ी जो स्वयं लाकर अध्यक्ष को दे उसको सवाचारण इनाम में दिया जाय । बनैले—फीलबान, हाथी के पैर में फंदा डालने वाले (पादपाशिक), सीमा की रक्षा करने वाले (सैमिक), बन में फिरने वाले तथा हाथी पालने वाले (पारकार्मिक) लोगों से दोस्ती रखे और पांच या सात हाथिनियों को साथ लेकर भलावे की शाखा से ढके जंगल में हाथी के पेशाब तथा लीद का सहारा लेते हुए हाथियों को ढूँढ़े और उनके सोने के स्थान, लीद, पेशाब तथा नदी के किनारों के ढूने के द्वारा यह अनुमान करें कि—वह झुंड का स्वामी है या अकेला है? उसके दांत हैं या बच्चा है? मत्त हैं या वह कहीं से छूटकर भागा है? हाथी-बैद्यों के कइने के अनुसार प्रश्न आचार तथा विन्ह वाले हाथियों को पकड़े । क्योंकि राजाओं का विजय हाथियों पर निर्भर है हाथियों का शरीर तथा डील डौल बहुत बड़ा होता है । दूसरों के व्यूह, दुर्ग, छावनियों के नष्ट करने के साथ साथ हाथी प्राण-नाशक संपूर्ण घातक कामों के लिये बहुत ही उपयोगी होते हैं ।

कलिंग अंग रीवां रियासत तथा पूर्वीय देश के हाथी सबसे अधिक उत्तम होते हैं । दरार्ण तथा पञ्चिम के मध्यम समझे जाते हैं । सौराष्ट्र तथा पंचजन देशके निकृष्ट माने गये हैं । सिखाने से सभी देश के हाथियों की शक्ति तेज तथा गति बढ़जाती हैं ।

२१ प्रकरण । दुर्ग-विधान ।

दुश्मन के आक्रमण से बचने के लिये राष्ट्र के अन्त में चारों ओर स्वाभाविक-दुर्ग (दैवू कृत) बनाये जाय । औदक-दुर्ग द्वीप या जमीन के बीच में खड़े किये जाते हैं और चारों ओर नीची जमीन तथा पानी से घिरे होते हैं । पार्वत-दुर्ग पथरीले टील या गुहा पर बनते हैं । धान्यन दुर्ग (निर्जन प्रदेश पर बने दुर्ग) पेड़ पत्ती, जन्तु तथा जल से रहित स्थानपर और बन-दुर्ग पशु-पक्षी, पानी तथा जंगल से परिपूर्ण स्थानपर बनाये जाते हैं । इनमें से औदक तथा पर्वत दुर्ग जनपद की और धान्यन तथा बनदुर्ग जंगल की रक्षा के काम में आते हैं ।

जनपद के मध्य में राज्यस्व [समुदय] एकत्रित करने के योग्य तथा आपत्ति पड़ने पर शरण स्थान के रूप में उपयोगी स्थानीय नामक दुर्ग या कस्बा (तहसील) बनाया जाय । मकान बनाने के लिये प्रशस्त-देश, नदी संगम, सदा पानी रहने वाली भील, ताल या तालाब के किनारे गोल, लंबा, या चौकोन, चारों ओर पानी से

[†] मूल ग्रंथ में “खजन तथा खेजन” दो पाठ मिलते हैं । डाक्टर शामशाली ने खेजन (wag-tail) मानकर और हमने खजन मानकर पक्षी अर्थ किया है । वस्तुतः दोनों ही पाठ ठीक हो सकते हैं ।

[‡] मूल ग्रंथ में “समुदय स्थानं स्थानीय” यह शब्द लिखा है डाक्टर शामशाली ने ‘समुदय’ का अर्थ राजस्व ही प्रायः किया है । परन्तु यहां पर उन्होंने ‘समुदयस्थान’ का ‘राज्यस्व एकत्रित करने के योग्य या तहसील’ अर्थ करने के स्थान पर ‘प्रभुत्व शक्ति का केन्द्र’ या राजधानी’ अर्थ करदिया है ।

[§] मूल ग्रंथ में ‘आपद्य प्रसार’ यह पाठ है । इसका उचित पाठ ‘आपद्यप्रसार’ अर्थात् “आपदि+अप्रसार” यह मालूम पड़ता है । डाक्टर शामशाली ने ‘आपत्ति पड़ने पर शरणस्थान के रूप में उपयोगी’ के स्थान पर ‘आपत्ति पड़ते ही जिस स्थान से शीघ्र ही भागा जा सके’ यह अर्थ कर दिया है जो कि कौटिल्य के ‘आपद्यप्रसार’ शब्द में किसी प्रकार भी नहीं निकलता है ।

घिरा हुआ तथा अंसपथ तथा वारिपथ (जलमार्ग) से युक्त पक्का मकान तैयार किया जाय जो कि मंडी का भी कामदे (इसके चारों ओर एक दूसरे से दो गज दूरी पर तीन खाइयां खोदी जाय जो कि २८ या ३४ या १० गज चौड़ी, इसकी एक तिहाई या आधी गहरी, तले पर चपटी चौकोन तथा समतल और पत्थर से भरी हों जिसके किनारे पक्की ईंटों या पत्थरों से पुकँवने हों, जिनमें सदा ही पानी रहे या बाहर से आता रहे और जिनके अन्दर मगरमच्छु भरे पड़े हों और साथ ही कमल के पेड़ लगे हों ।

खाई से ८ गज दूरीपर १२ गज ऊंची और २४ गज चौड़ी ऐसी “शहर पनाह” (दीवार) बनाई जाय जिसका उपरला भाग समतल, बीच का भाग धड़की तरह गेल हो, और जो कि हाथियों तथा गउओं के पैरों से कूटकर मजबूत की गई हो, जिसके बीच में मट्टी भरी हो और जो कि कंटोली भाड़ी, विषेली बेले तथा पेड़ पौदों से नीचे से ऊपर तक ढंकी हो ।

शहर पनाह (वप्र) के ऊपर चौड़ाई से दुगुनी ऊंची (प्राकार कंगूरेदार दिवार शेष) और १२ हाथ से २४ हाथ तक चौड़ी युग्म या आयुग्म संख्या में ईंटकी एक दूसरी कंगूरे दार दीवार बनाई जाय ।

लंबे चौड़े तथा बन्दर के शिर की तरह चपटे पत्थरों या ताङ्की जड़ों से चिनी हुई रथ चलने के योग्य [रथ चर्या संचार] सड़क तैयार की जाय । इसमें लकड़ी न लगानी चाहिये क्योंकि उसमें आग छिपेहृष से रहती है । इसीप्रकार के चौकोन बुर्ज बनाने चाहियें । जिनपर सीढियां लटक रही हों । दो दो बुजाँ के बीचमें एक गली (प्रतोली) होनी चाहिये जो कि चौड़ाइ से ढाई गुना लंबी और ३० दंड या ६० गज चौड़ी हो । बुर्ज तथा गली के बीच में तीन धनुषधारियों के बैठने योग्य चौकी (इन्द्रकोश) बनानी चाहिये । इनके बीचमें देवपथ (मन्दिर को जाने का मार्ग) बनाया जाय जो कि बुर्ज के बीच में २ हाथ, बाहर की ओर ८ हाथ और इतनाही कंगूरे के साथ साथ हो । दोगज से चार गज चौड़ी चार्या नामक सड़क बनानी चाहिये । जिस स्थान पर आक्रमण होना

सुगम न हो वहां पर भागने की सङ्क(प्रधावितिका) तथा दरवाजा (निष्कुर द्वार) तैयार किया जाय । शहर पनाह के बाहर के संपूर्ण रास्ते जानुभगिनी (जिससे गोड़ा टूट जाय), त्रिशूल, प्रकार(मट्टी का ढेर ?) नक्ती गड्डे(कूट अवपात), कांटे, झड़, अहिष्ठ(?), ताढ़ के पत्ते, सिंघाड़, गोखरू, अर्गलोपस्कन्दन (?), पादुक, आंचड़ा तथा पानी से भरी तलहड़ों से ढंक दिये जाय ।

शहर पनाह के बीच में दोनों ओर डेढ़ दंड चौड़ा एक गोल छेद बनाया जाय । प्रतोली नामक सङ्क की चौड़ाई का छुठा भाग जितना बड़ा एक दर्वाजा उसमें बनाया जाय । दरवाजा ५ दंड से एक एक दंड बढ़ाते हुए ८ दंड तक चौड़ा, ६ भाग से ८ भाग तक लंबा हो । वह १५ हाथ से शुरू कर १८ हाथ तक [एक एक हाथ तल से बढ़ाते हुए] ऊंचा हो । खंभे की चौड़ाई ८ हाथ, जमीन में २८ हाथ [जमीन में इतना गड़ा हो] ओर चूलिका (उपरलाभाग) इसकी चौथाई होनी चाहिये । शहर पनाह के उपरले ५ वें भाग में मकान बाबड़ी तथा सीमा संबंधी मकान बनाये जाय। इसके $\frac{1}{10}$ भाग में एक दूसरे के सामने दो बंदियां तैयार की जाय इनके ऊपर एक कोठा बनायाजाय जो कि चौड़ाई से दुगना ऊंचा हो । उनमें मूर्तियां बनी हों पहिली छत से आधा या तीन चौथाई चौड़ा एक और कोठा बनाया जाय जिसकी दीवारें दृश्यों की हों और बाँई ओर गोल सीढ़ी हों । सभी दीवारें अन्दर से पोली होने चाहिये और उनके अन्दर गुप्त सीढ़ियां लगी रहनी चाहियें । बाहर की ओर दो दो हाथ चौड़े बजे बनाये जाय । तीन पांचवें भाग में दो दो दरवाजेहों जिनमें दो दो लोहे की छड़े हों और इन्द्रकील २४ अंगुल लंबी हों । सीमा का दरवाजा ५ अरति [१ अरति = २४ अंगुल] जितना बड़ा हो + दुर्ग में घुसने के लिये हस्तिनस्त नामक फाटक बनाया जाय जो कि मनुष्य के मुख के समान ऊंचा हो और जो कि स्थिर हो तथा समय

† कौटिल्य का यह भाग बहुत ही अस्पष्ट है । अर्थ करने में अनुमान से ही काम लिया है । मकान संबंधी बहुत से पारिभाषिक शब्दों के आजाने से ही कठिनाई बढ़ गई है ।

पर हटाया जा सके जहां पर रोगीस्तान हो या पानी न हो वहां पर यह दरवाजामढ़ी का ही दनाया जाया महलके मुख्यके ऐन सामने शहरका मुख्य दरवाजा हो जो कि गोह के सहश आकारका हो । महलके बीच में बाबड़ी पोखरी तथा चार बड़े बड़े कमरों वाला मकान हो जिसके कमरे एक दूसरे के साथ जुड़े हैं । साथ ही गोल आकार का एक दो तला कुमारीपुर (लड़कियों के रहने का मकान) † बनाया जाय जिसमें गोल दरवाजा हो । इसके चारों ओर भूमि के अनुसार तीन गुना अधिक चौड़ी नहर बनाई जाय जिसके द्वारा सामान अन्दर बाहर ले जाया जा सके । ‡

नहर में पत्थर कुदाल, कुठार, डंडे, मुद्रर, यन्त्र, शतघ्नी [सौ आदमी एक साथ मारने का हथियार], भाला, बांस, बाण, उष्ट्र, ग्रीव्य (ऊंट की गर्दन के समान हथियार) जांगलिक पदार्थ तथा बरुद आदि इकट्ठे करके रखे जाय ।

२२. प्रकरण ।

दुर्गनिवेश ।



किले के अन्दर पञ्चम से पूर्व और दक्षिण से उत्तर को जाने वाली तीन तीन सड़कें और बारह दरवाजे तैयार किये जाय ।

राजमार्ग, द्वोण मुख, स्थानीय, राष्ट्र तथा चरागाह को जाने वाले मार्ग तथा रथशा नामक सड़क ८ गज, सयोनीय, छावनी, शमशान तथा ग्राम पथ १६ गज, सेतु तथा बनपथ ८ गज, हस्त-क्षेत्र पथ ४ गज, रथपथ तथा पशुपथ २५ गज, और कुद्र पशु तथा

† डाक्टर शामशान्नी ने 'कुमारीपुर' का अर्थ 'दुर्गा का मन्दिर' किया है । हमको तो 'राजकन्याओं के रहने का मकान' ही अर्थ ठीक जंचता है । आऐ तथा अन्य संस्कृत-इंगिलिश कोशकारों ने भी यही अर्थ दिया है ।

‡ 'भांडवाहिनी' का अर्थ डाक्टर शामशान्नी ने 'हथियार धारण करने में समर्थ' यह अर्थ किया है । हम समझते हैं कि उनका इस अर्थ से तात्पर्य 'जिसके द्वारा मामान अन्दर बाहर ले जाया जासके' यही होगा ।

मनुष्य पथ २ गज चौड़े होते हैं ।

मजबूत स्थान पर बने हुए महल में ही राजा रहे । किले के नवे हिस्से में, मध्य से (किले के) उत्तरकी ओर, चारों वर्णों के लोगों के मकानों के बीचमें पूर्व वर्णित ढंग पर अन्तःपुर बनाया जाय । उसका मुंह चाहे उत्तर की ओर और चाहे पूर्व की ओर रखा जाय । उसके पूर्वोत्तर भाग में आचर्य पुरोहित के रहने का तथा हवन पानी का स्थान बनाया जाय और वहाँ पर ही मन्त्रियों के भी रहने के मकान हों । पूर्व दक्षिण भाग में भोजनालय, हास्ति-शाला, तथा वस्तुभंडार, पूर्व में गन्ध, माल्य धान्य, तथा शराब की दुकानें, लक्ष्मियों तथा प्रधान २ कारीगरों के मकान, दक्षिण पूर्व में खजाना, आयव्यय विभाग तथा कारखाने, दक्षिण पच्छिम में जांगलिक-पदार्थ भंडार (कुप्यगृह) तथा हथियार भंडार (आयुध-गार), इसके बाद दक्षिण में नगर, धान्य, व्यापार-व्यवसाय, कारखाने तथा सेना आदि के अध्यक्षों के मकान, मिठाई, पक्कान, शराब मांस आदिकी दुकानें, तथा रंडियों और गाने वजाने में चतुर वेश्याओं के घर, पच्छिम दक्षिण में गदहों ऊटों के रहने के तवेले तथा मेहनती मजदूरों के मकान, पच्छिम उत्तर में घोड़ा गाड़ी रथादि की शाला, पच्छिम में ऊका सूत, बांस, चाम, कवच, शस्त्र, आवरण आदि के कारीगरों के मकान, उत्तर-पच्छिम में दुकानें बाजार तथा दर्वाई खाने, उत्तर पूर्व में कोश तथा गौ घोड़े, इसके बाद उत्तर दिशा में नगर तथा राज देवताके मन्दिर, धानु तथा हीरे जवाहरात के कारीगर और ब्राह्मण लोग तथा बीच की गलियों में श्रेणी, प्रवहणी निकाय आदि व्यापारीय व्यावसायिक तथा श्रमीय संघों के मकान होने चाहियें ।

शहर के बीच में—अपराजित, अप्रतिहत, जयंत, वैजयंत नामक देवताओं के मंदिर और शिव वैश्रवण तथा लक्ष्मी[†] के गृहों के साथ शराब खाने बनाये जाय ।

[†] यहाँ पर शामशाली ने लक्ष्मी के लिये प्रयुक्त किये गये श्री शब्द का अर्थ “संमान योग्य” किया है और इसको शराब खाने के साथ जोड़ा दिया है । उचित तो यह था कि शराबखानों को आनंदेवन या संमान योग्य की उपाधि देने के अधान पर श्री का अर्थ लक्ष्मी ही किया जाना ।

मन्दिरों, कोठों तथा गृहों में † अपनी अपनी इच्छा के अनुसार मकान के भिन्न भिन्न देवताओं की स्थापना की जाय। बाहर के दरवाजों पर ब्रह्मा, इन्द्र, यम तथा सैनापत्य नामक देवताओं की स्थापना की जाय और खाई से १०० धनुष (१ धनुष=१०२ अंगुल,) दूर पर तोथ, बन तथा सेतुबन्ध नामक मुकान बनाये जाय। भिन्न दिशाओं में दिशाओं के देवताओं को स्थापित किया जाय। उत्तर या पूरब में साधारण लोगों का और दक्षिण में ऊँच जात के लोगों का शमशान होना चाहिये। जो इस नियम का उल्लंघन करे उसको प्रथम साहस दंड दिया जाय। पाखंडियों तथा चंडालों को शमशान के अंत में बसाया जाय। प्रत्येक परिवार की हृद व्यवसाय या खेत के अनुसार नियत करनी चाहिये। फूलफल के बगीचे, तरकारी के खेत तथा धान्य तथा बाजारी माल के संबंध में भी इसी ढंग पर प्रबंध करना चाहिये। प्रति दस मकान के पीछे एक कुआं अवश्य ही होना चाहिये। तेल, धी, धान्य, खार, नमक, दवाई, सूखी तरकारी, शक्कर, जौ, सूखामांस, भूसा, लकड़ी, लोहा, चाम, कोयला तांत, जहर, सींग, बांस, मूँज, बल्कल, सख्त तथा मजबूत लकड़ी हथियार, कवच, पत्थर आदि इतनी राशि तथा मात्रामें इकट्ठे करके रखने चाहिये जिससे कई सालों तक वह खत्म न हों। फसल पर पुरानी चीज़ के स्थान पर नई चीज़ भर दीजाय। हाथी घोड़े तथा पदातियों का प्रबंध भिन्न भिन्न मुखियों के पास हो। इससे यह लोग एक दूसरे के डरसे बढ़यंत्र नहीं करते। अन्तपाल के दुगाँका निर्माण तथा प्रबंध भी इसी ढंग पर होना चाहिये।

नगर तथा राष्ट्र को नुकसान पहुँचाने वाले बाहरी लोगों को किले में न बसाकर गांवों में ही बतावे अथवा इनसे किले में रहने का राज्यस्व ग्रहण करे।

† 'कोष्ठकल ग्रहेसु' इस वाक्य का अर्थ डाक्टर शामशाली ने 'मकान के कोनों पर' यह अर्थ कर दिया है। "मन्दिरों कोठों तथा गृहों में" यह अर्थ उपरिदित वाक्य का सर्वथा स्पष्ट है।

२३ प्रकरण ।

* सन्निधाता के कर्तव्य ।

~~अपेक्षा~~

सन्निधाता—१ कोशगृह (खजाना रखने का मकान), **२** पण्यगृह [गोदाम] **३** कोष्ठागार [धान्यभंडार] **४** कुप्यगृह (जांगलिक द्रवयों का गोदाम) **५** आयुधागार (शस्त्रागार) तथा बन्धनागार (कैदखाना) बनवावे ।

१. कोशगृह । एक चौकोन कुआं खोदकर उसको चारों ओर से बड़ी बड़ी चट्टानों से पक्का बनाया जाय और उसको पानी तथा नमी से रहेत कर दिया जाय । उसके अन्दर पक्की लकड़ी का पिजड़े की तरह एक मकान बनाया जाय जिसमें बहुत से कमरे हों, दरवाजा केवल एक ही हो, फर्श पत्थर से पक्का बनाया गया हो, इधर उधर जा सकने वाली सीढ़ी लगी हो और देवता स्थापित किया गया हो । इसके ऊपर कोशगृह बनाया जाय । कोशगृह में एक भी दरवाजा न हो, दोबार॑ ईटों की बनो हों और जो कि चारों ओर नदी से घिरा हो । राष्ट्र के अन्तमें अचूत लोगों के द्वारा भूव निधि (जिसमें स्थिररूप से अनाज आदि भरा जाय) आपत्ति से बचने के लिये बनाया जाय ।

२. पण्यगृह । पण्यगृह की दीवारें तथा खंभे पक्की ईटों के बनाये जाय । उसमें एक दरवाजा बहुत से कमरे तथा बहुत से खंभे हों और जो कि चारों ओर चार मकानों से घिरा हो ।

३. कोष्ठागार । में बहुत बड़े बड़े कमरे हों जिनके मध्य में **४** कुप्यगृह और **५** जमीन के तह में आयुधागार बनाया गया हो ।

६. बन्धनागार के संपूर्ण कमरे सब ओर से सुरक्षित हों और स्त्री तथा पुरुष के रहने के कमरे पृथक् पृथक् बने हों । धर्मस्थीय तथा महामात्रीय लोगों के रहने का मकान पृथक् पृथक् ही बनाया जाय ।

* सन्निधाता का अर्थ कोशाथक्ष है ।

उपरिलिखित सभी मकानों में—बड़े बड़े कमरे, कुण्ड, स्नानगृह तथा देवगृह [मन्दिर विशेष] बनाये जायं और उनमें—आग तथा जहर से बचने के लिये बिल्ही, न्युअले आदि रखे जायं ।

कोष्ठागार में एक अरात्म के बराबर (२४ अंगुल) मुख वाला वृष्टि मापने का वर्तन रखा जाय ।

सञ्चिधाता योग्य २ व्यक्तियों के सहारे पुराने तथा नये रत्न, बहुमूल्य द्रव्य तथा जांगलिक पदार्थ ग्रहण करे । जो लोग रत्न के संबंध में छुल कपट करे उनको तथा उनसे ऐसा काम करवाने वालों को उत्तम दंड दिया जाय । बहुमूल्य द्रव्य के संबंध में मध्यम और हीनमूल्य द्रव्य तथा जांगलिक द्रव्यके संबंध में जितना नुकसान हो उतना ही दंड दिया जाय ।

रूप दर्शक के द्वारा हिरण्य † की परीक्षा करवा कर ग्रहण करे । जो जाली या नकली हो उसको काट दे । जो जाली हिरण्य लावे उसको प्रथम साहस दंड दिया जाय ।

शुद्ध तथा परिपक्व धान्य को ग्रहण किया जाय । जो इससे विपरीत काम करे उस पर मूल्य का दुगना जुरमाना किया जाय । व्यापारीय द्रव्यों, जांगलिक पदार्थों तथा हथियारों के सम्बन्ध में भी यही नियम है । भिन्न भिन्न विभागों के मुखिया लेखक तथा नौकर आदियों को १ पण से ४ पण तक की चोरी में क्रमशः पूर्व, मध्यम, उत्तम तथा मृत्यु दंड दिया जाय । कोशकी चीज़ के चुराने पर कोशाध्यक्ष को कतल किया जाय । उसके सहायकों को आधा दंड दिया जाय । यदि चोर का पता न चले तो काम करने वालों को डांटा जाय । जो चोर को चोरी करते समय भागने का इशारा करे उसको तकलीफ देकर मरवाया जाय । सञ्चिधाता को चाहिये

† डाक्टर शामशाही ने हिरण्य का अर्थ सोने का सिक्का और रूपदर्शक का अर्थ सिक्के का परीक्षक किया है । डाक्टर देवदत्त भंडारकर ने रूप को सिक्के का पर्याय बचक मानकर डाक्टर शामशाही के मत को पृष्ठ किया है । मेरी सम्मति में रूप का अर्थ कस्तु विशेष, रूपदर्शक का अर्थ परीक्षक और हिरण्य का अर्थ सोना है ।—

कि विश्वासपात्र व्यक्तियों की सहायता से राज्य कर एकत्रित करे ।

(साम्राज्यधाता को) सैकड़ों वर्ष की बाहरी तथा अन्दरुनी आम दर्नी खर्च का ज्ञान होना चाहिये जिससे वह पूछने पर बिना किसी प्रकार की घबड़ाहट में पढ़े बचे इए धन को बता सके ।

‘३४ प्रकरण ।

समाहर्ता द्वारा राज्यस्व एकत्रित करना

समाहर्ता * १ दुर्ग २ राष्ट्र ३ खनि ४ सेतु ५ बन ६ ब्रज तथा ७ वरिष्ठ पथ का निरीक्षण करे ।

१. दुर्ग । दुर्ग से तात्पर्य—चुंगी, जुरमाना, तोलमाप, नगर लेखक सिक्के का प्रबन्धकर्ता (लक्षणाभ्यन्तर) सरकारी मुहरका अध्यक्ष (मुद्राभ्यक्ष), शराबखाना, बूचड़खाना, सूत, तेल, धी, नमक या खार, राजकीय सुनार, ढूकान, रंडी, जुआ, झूकान, कारीगर, तथा शिल्पी, देवताध्यक्ष तथा दरवाजे के बाहर लिये जाने वाले राज्यकर आदि से है ।

२. राष्ट्र । राष्ट्र का तात्पर्य—कृषि जन्यपदार्थ [सीता], धार्मिक कर [बलि], बटाई का कर (भाग), रूपये में लिया राज्यस्व, व्यापारीय कर, नदीपाल के द्वारा गृहीत नौका का भाड़ा, नौका नगर, चरागाह, सड़क कर, रस्सी तथा हथकड़ी आदि से है ।

३. खनि । खनि से तात्पर्य—सोना चांदी, हीरा, माणिक, मोती मूँगा, शंख, लोहा, नमक, पथर तथा रस सम्बन्धी धातुओं से है ।

४. सेतु । सेतु से तात्पर्य—फूल फल के बर्गचे, तरकारी के खेत तथा मूली शलाम आदि जमीन के नीचे लगने वाले पदार्थों की क्यारियों से है ।

५. बन । बन से तात्पर्य—पशु, मृग, लकड़ी, हाथी आदि के जंगलों से है ।

* समाहर्ता का तात्पर्य राज्यस्व इकड़ा करने वाले राजकीय कर्मचारी से है । आज फूल समाहर्ता का नाम कलकाता तथा कमिश्नर है ।

६. व्रज । व्रज का तात्पर्य—गौ भैंस भेड़ बकरी ऊंट घोड़ा खबर, गदहा आदियों से है ।

७. वणिक् पथ । वणिक् पथ का तात्पर्य स्थल मार्ग तथा नदी मार्ग से है । यह सब आमदनी के भिन्न भिन्न भाग (आयशरीर) हैं ।

पूंजी, बटाई, बर्याई, स्थिर कर, धार्मिक दूर, रुपयै की कटौती, तथा जुरमाना आदि आमदनी के स्थान हैं ।

देवता पिता की पूजा, स्वस्तिवाचन, अन्तःपुर, भोजनभंडार (महानस), दूत रखना कोष्ठागार, आयुधागार, परयगृह, कुप्यगृह, व्यवसाय, स्वतंत्रश्रम, पदाति घुड़सवार रथी तथा हाथी की सेना, कारखाना, गोमंडल, चिह्निकाघर, भूसा तथा लकड़ी का भंडार आदि ही खर्चे के स्थान हैं ।

राजवर्ष, मास, पक्ष, दिन, ग्रातःवर्षी, हेमन्त (सर्दी के दिन), श्रीष्ट, के एक एक दिन कम तीसरे तथा सातवें पक्ष बचे हुए शेष संपूर्ण पक्ष तथा मलमास आदि काल शब्द के द्वारा ग्रहण किये जाते हैं ।

समाहर्ता को चाहिये कि वह १. करणीय, २. सिद्ध ३. शेष ४. आय ५. व्यय तथा ६. नीवी का निरीक्षण करे ।

१. करणीय । राज्य कार्य चलाना, नया काम शुरू करना जीवनोपयोगी पदार्थों को एकत्रित करना, राज्यस्व इकट्ठा करना, संपूर्ण राज्यस्व की जांच करवाना आदि संपूर्ण काम करणीय (करने के योग्य) में समेलित हैं ।

२. सिद्ध । कोश में जमा किया गया, राजा के द्वारा ग्रहण किया गया, शहर पर खर्च किया गया, पिछले साल से चला आया हुआ, राजा की लिखी तथा मौखिक आक्षा के द्वारा कोश में जमा किया गया आदि सिद्ध (समाप्त हुआ काम) में समेलित हैं ।

३. शेष । उत्पाद कामों के करने का विचार, बचा हुआ जुरमाना तथा राज्यस्व, हिसाब की गढ़वड़, रही तथा घटिया

माल आदि शेष (जो कि अभी बचा हुआ हो) में संमिलित हैं ।

४. आय । आय तीन प्रकार की है । (क) वर्तमान ।
(ख) पर्युषित । (ग) अन्य जात ।

[क] वर्तमान । प्रति दिन मिलने वाली आमदनी को “वर्तमान आय” के नाम से पुकारा जाता है ।

[ख] पर्युषित । जो आमदनी पिछले साल की हो, दूसरे के हाथ में हो या चली गयी हो उसको “पर्युषित आय” अर्थात् पिछली आमदनी का नाम दिया जाता है ।

[ग] अन्य जात । नष्ट, विस्मृत, राज्यकर्मचारियों का जुरमाना आकस्मिक आय, नुकसान करने के बदले लिया गया धन, डाली या उपहार में आया हुआ, वह धन जिसका कोई भी मालिक न हो और या कोई हकदार लड़का न हो, आकस्मिक मिला हुआ खजाना आदि अन्य जात [आकस्मिक आय] आय कही जाती है ।

५. व्यय । पूंजीविनियोग, अनुपादक काम में लगाया धन तथा बचत आदि व्यय कम करने वाली चीजें हैं ।

बेचते समय कीमतों के बढ़ने पर या तोल माप के भिन्न होने पर जो आमदनी होती है उसको वयाई (वृत्ती) के नाम से पुकारा जाता है । खरीदते समय खरीदारों की स्पर्धा से जो दाम बढ़ता है उसको भी आय में ही संमिलित किया जाता है ।

व्यय—I नित्य II नित्योत्पादिक III लाभ IV लाभोत्पादिक के भेद से चार प्रकार का है ।


I प्रतिदिन होने वाले व्यय को नित्य । III और पक्ष मास तथा वर्ष में होने वाले लाभोत्पादिक व्यय को लाभ कहा जाता है । II नित्य से जो उत्पन्न हो उसको नित्योत्पादिक और IV लाभ से जो उत्पन्न हो उसको लाभोत्पादिक नाम दिया जाता है ।

६. नीवी । व्यय होने के बाद आय तथा व्यय से जो धन बचे उसको नीवी कहते हैं और जो कि अगले वर्ष के हिसाब में संमिलित करली जाती है ।

समाहर्ता इसी ढंग पर राज्यस्व पक्षित करे, आमदनी दिखावे और खर्च को बेवेक पूर्वक घटावे ।

२५ प्रकरण ।

गणनिक्य का अक्षपटल में काम ।



गणनिक्य या अध्यक्ष (वह राज्यकर्मचारी जो सरकारी जमा खर्च का प्रबंध तथा निरीक्षण करे) अक्षपटल (हिसाब किताब रखने वाला दफ्तर) इस ढंग का बनवावे जिसका मुह उत्तर या पूर्व की ओर हो और जिसमें कर्म चागियाँ के बैठने का स्थान पृथक् २ हों और पृथक् पृथक् ही रजिस्टर (निबंध पुस्तक) रखें हों । और उनमें निम्न लिखित बातों का उल्लेख हो ।

१. सरकारी दफ्तरों की संख्या । २. कारखानों में काम तथा उत्पाति । ३. जहां जहां पर रुपया लगा है उनमें कितना लाभ, नुकसान, खर्च, विलंब, तथा वर्याई है और कितने काम हैं जिनमें रुपया फंसा है और तनखाह तथा बेगार की मात्रा क्या है । ४. रक्त, बड़-मूल्य तथा साधारण पदाथ और जांगलिक द्रव्यों की कीमत क्या है ? उनके समान दूसरा कौनसा पदार्थ है ? उनका प्रतिमान, भारतथा तोल क्या है ? । ५. देश ग्राम जाति कुल तथा संघों के रीति रिवाज, उपनियम, चरित्र आदि क्या हैं ? । ६. सरकारी नौकरों की आमदनी, जर्मीदारी, राज्यकर छूटने की राशि, तथा भक्त वेतन या अलाउंस क्या है ? । ७. राजा राजमहिशी तथा राजकुमार को रक्त, जमीन, तथा लाभ क्या क्या मिले ? कौन कौन से पदार्थ मिले जो कि आपत्ति के समय काम आने वाले हैं ? । ८. शवुओं तथा मित्रों के साथ सान्धि, लड़ाई, धन देना तथा लेना ।

अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह इन रजिस्टरों के द्वारा सूचित करे कि-कौन कौन सा काम करना है, किया जा चुका है तथा बचा पड़ा है, क्या आमदनी तथा जमा खर्च है ? कौन कौन से नये काम शुरू किये हैं और उनकी क्या हालत है ? । इसके साथ ही सा । अध्यक्ष को चाहिये कि उत्तम मध्यम तथा निकृष्ट कामों में उन्हाँ

लोगों को नियुक्त करे जो कि उसके योग्य हों। यदि राजा उत्पादक कामों में उचित धन न खर्च करे तो उसको पीछे से पश्चाताप करना पड़ता है।

एक साथ मिलकर काम करने वाले तथा लाभ बांटने वाले कारीगरों के लड़के भाई स्त्रियां लड़कियां तथा नौकर काम की कमी को पूरा करें। ३५४ दिन तथा रात के काम को संवत्सर या वार्षिक काम कहते हैं। आषाढ़ के अन्त में उनको काम के अनुसार मेहनताना दिया जाय। बीच में किये गये नये कामों का हिसाब मासिक या अधिक मासिक होना चाहिये।

राजा को खुफिया के द्वारा कार्य तथा उसके संबंध की अन्य बातें पता लग जायगी इस बात की पर्वाह न कर राजकर्मचारी प्रायः अज्ञान से, तकलीफ तथा मेहनत से बचते हुए आलस्य से, भोग विलास में लौंग होकर प्रमाद से, डाट डपट अनर्थ अर्धम से डर कर भय से, दूसरों के अनुग्रह प्राप्त करने की इच्छा करते हुए लालच से, नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखते हुए गुस्से से, विद्या धन तथा दर्वारी लोगों की दोस्ती का अभिमान कर दर्प से या तोल माप गणना में फरक कर लोभ से सरकारी आमदनी को प्राप्त करके भी रजिस्टर में दर्ज नहीं करते।

मनुसंप्रदाय के लोगों का मत है कि जो कर्मचारी जितने धन का नुकसान करे उस पर उतना ही जुरमाना किया जाय और अपराध के अनुसार क्रमशः कुछ २ जुरमाने की रकम बढ़ा दी जाय। पाराशरों के मत में अपराध का द गुणा, वार्हस्पत्यों के मतमें १० गुणा, औशनसों के मत में २० गुणा और कौटिल्य के मत में अपराध के अनुसार जुरमाना होना चाहिये।

गणनिकय हिसाब किताब करने के लिए आषाढ़ में आवें। भिन्न भिन्न जिलों तथा प्रान्तों के आये हुए गणनिकयों को एक स्थान में न रखा जाय और न उनको एक दूसरे के साथ वार्तालाप करने की आज्ञा दी जाय। गणनिकयों को रजिस्टर पदार्थ तथा धन साथ लाना चाहिये और उनपर राजकीय मुद्रा लगी रहनी चाहिये। आय व्यय का लेखा तथा कुल योग सुनने के बाद नीवा-

(स्वर्च के बाद बच्ची राजकीय संपत्ति) ग्रहण की जाय । यदि कोई हिसाब में किसी एक अंश को बढ़ा कर या घटाकर आमदनी अधिक करे तो उस को आठगुना इनाम दिया जाय । इससे विपरीत होने पर उसी से धन वसूल किया जाय । जो लोग समय पर रजिस्टर तथा नीवी को लेकर न पहुंचे उनपर देय धन का दस गुना जुरमाना किया जाय । यदि कारणिक (आय व्यय निरीक्षक) कार्मिक (राज्यस्व ग्रहण करने वाला) के आने पर आय व्यय का लेखा न ले उसको प्रथम साहस दंड दिया जाय । इसले विपरीत होने पर कार्मिक को दुगना दंड मिले ।

महामात्र कार्य के संबंध में संपूर्ण बातें सुनावें । इनमें से जिसने मिलकर काम न किया हो, अलग जा बैठा हो तथा भूठ बोला हो उसको उत्तम दंड दिया जाय । जिसने दैनिक आय व्यय का लेखा तैयार न किया हो उसको महीने भरका समय दिया जाय । यदि इस पर भी वह तैयार न करे तो उसको महीने पीछे २०० परण दंड मिले । जिनका थोड़ा सा ही काम बच गया हो उनको ५ दिन का अवसर दिया जाय । इस के बाद दैनिक आय व्यय, राज्य नियम, देशभ्रथा, व्यवहार आदि विषयक स्वर्च, आमदनी तथा अन्य बातों का निरीक्षण किया जाय । दिन, ५ दिन, पक्ष, मास, ४ मास तथा साल का आय व्यय का लेखा एक दूसरे के साथ मिलाकर ठीक कर लिया जाय । साथ ही देश, स्थान, कर स्थान, प्राप्त धन, राजकीय आय की मात्रा, आदि को, देने दिलाने, लिखने तथा ग्रहण करने वालों की रकमों के साथ मिला लिया जाय । इसी प्रकार निर्दिष्ट देश, स्थान, व्यय स्थान, देय धन, राजकीय व्यय आदि को करने, कराने, लिखने तथा ग्रहण करने वालों की रकमों के साथ स्वर्च के धन को समान कर लिया जाय ।

यदि कोई कारणिक (राज्यधिकारी विशेष) राजा की आज्ञा के अनुसार काम न करे या दूसरे को काम करने से रोके या आय व्यय में गड़बड़ करे उसको प्रथम साहस दंड दिया जाय । जो कोई रकम लिखने में क्रम का खाल न करे, क्रम विगाड़ दे, वे जानी रकम लिख या कई बार एकही रकम दर्ज करे उसको १२

पण दंड दिया जाय । नीवी को विगाह कर लिखने में दुगुना, खा जाने में आठ गुना, नाश करने में पांच गुना तथा नुकसान भरना (प्रतिदान), भूठ बोलने में चारी संबंधी और याद कर पीछे से लिखने में भी दुगुना दंड दिया जाय ।

राजा का कर्तव्य है कि छोटे मोटे कसर को पी जाय, हल्के से भी अच्छे काम पर प्रसंग हो जाय और बहुत ही अधिक लाभ पहुँचाने वाले अध्यक्ष का इनाम देकर आदर करे ।

२६ प्रकरण ।

गृबन किये गये धन का प्राप्त करना ।



कोश पर ही संपूर्ण कार्यों का निर्भर है । इसलिये सबसे अधिक ध्यान कोश पर ही देना चाहिये । कोश वृद्धि के-१ प्रचार-संमर्धि [उत्पादक कार्यों से अधिक लाभ होना] २ चरित्रानुग्रह [अच्छे आदमियों पर कृपा] ३ युक्त प्रतिषेध [अधिक संख्या में नियुक्त राज्य कर्मचारियों का कम करना] ४ सस्यसंपत् [फसल का अच्छा होना], ५ परेयबाहुल्य [व्यापार-वृद्धि], ६ उपसर्ग प्रमोक्ष [दैवी विपत का कम होना], ७ परिहरक्षय (छोड़े राज्य करों का घटना) ८ हिरण्योपायन (सोने में उपहार या डाली का आना) ९ चौरग्रह आदि नौ तरीके हैं कोश क्षय के भी १ प्रतिबन्ध (रुक-वट, रुग्योग (सूद पर लगाना), ३ व्यवहार (व्यापार), ४ अवस्तार (ग्रबन), ५ परिहापण (राजकीय आय को कम करना), ६ उपभोग (ग्रबन का भेद), ७ परिवर्तन (वस्तुविनिय) तथा ८ अपहार (हिसाब किताब में गड़बड़) आदि आठ ही भेद हैं ।

१. प्रतिबन्ध । प्राप्त आमदनी का वही में न उतारना, सिद्ध न मानना तथा राज्य कोश में न भेजना प्रतिबन्ध कहाता है । इसमें नुकसान हुए धन का दस गुना जुरमाना किया जाय ।

२. प्रयोग। खजाने या कोश की चीज़ों को सूद पर लगाने का नाम प्रयोग है।

३. व्यवहार। चीज़ों का क्रय विक्रय ही व्यवहार है। इसमें लाभ का दुगुना दंड दिया जाय।

४. अवस्तार। समय आने पर भी जो रकम बसूल नहीं करता या बसूल हुई रकम को दर्ज नहीं करता इसका नाम अवस्तार है। इसमें नुकसान का पांच गुना जुरमाना किया जाय।

५. परिहापण। जो प्राप्त आय को छिपाता है या व्यय को बढ़ाता है इसका नाम परिहापण है। इसमें नुकसान का चारगुना जुरमाना करना चाहिये।

६. उपभोग। अपने आप या दूसरों के द्वारा जो राजकीय द्रव्यों के गबन करने का नाम उपभोग है। रत्न विषयक गबन में मृत्युदंड, सार द्रव्य विषयक गबन में मध्यमदंड तथा साधारण द्रव्य या जांगलिक गबन में नुकसान के बराबर दंड दिया जाय।

७. परिवर्तन। राजकीय द्रव्यों का दूसरे द्रव्यों के साथ परिवर्तन करने का नाम परिवर्तन है। शेष नियम इसमें उपभोग के तुल्य हैं।

८. अपहार। प्राप्त हुई आय का प्रवेश न करना, वही में दर्ज किये खर्च को न करना तथा अवशिष्ट आय व्यय लेखा ठीक न रखना आदि का नाम अपहार है। इस अपराध में १२ गुना दंड देना चाहिये।

सरकारीधन गबन करने के चालीस तरीके हैं जो इस प्रकार दिखाये जा सकते हैं:—

१. धन ता लेलिया परन्तु वही पर दर्ज नहीं किया।
२. वही पर दर्ज तो कर लिया परन्तु धन पीछे से ग्रहण किया।
३. प्राप्त धन को अप्राप्त लिखा।
४. अप्राप्त धन को प्राप्त लिखा।
५. प्राप्त धन को अप्राप्त लिखा।
६. अप्राप्त धन को प्राप्त लिखा।
७. मिला कम परन्तु वही पर अधिक करके लिखा।
८. मिला अधिक परन्तु

वही पर कम करके लिखा । ६. मिला किसी महे और लिखा किसी महे । १०. मिला कुछ और लिखा कुछ । ११. जो देना था न दिया । १२. जो न देना था वह दिया । १३. समय पर न दिया । १४. असमय पर दिया । १५. दिया कम और लिखा बहुत । १६. दिया अधिक और लिखा कम । १७. दिया कुछ और लिखा कुछ । १८. दिया किसी महे और लिखा बकिसी महे । १९. वही में दर्ज करना दर्ज किये हुए के खाने में लिख दिया । २०. वही में दर्ज न कर दर्ज किये हुए के खाने में लिख दिया । २१. जांगलिक द्रव्य को दाम न देकर खजाने में रख लिया । २२. दाम देकर भी जांगलिक द्रव्य को खजाने में न रखा । २३. थोड़ी सी राशि को बहुत बड़ी राशि करके लिखा । २४. बहुत बड़ी राशि को थोड़ा करके लिखा । २५. दामी चीज को कम दामी चीज से बदल दिया । २६. कम दामी चीज को दामी से बदल दिया । २७. कीमत चढ़ा के लिखा । २८. दाम घटा के लिखा । २९. [तनखाह ग्रबन करने के लिये] रात बढ़ा कर लिखा । ३०. रात घटा कर लिखा । ३१. साल में मास घटा दिया । ३२. मास में दिन घटा दिया । ३३. प्राप्त धन को घटा बढ़ा दिया । ३४. प्राप्त धन के मूल स्थान में गड़बड़ कर दिया या दान लिख लिया परन्तु दिया नहीं । ३५. कार्य तथा फल लिखने में गड़बड़ करदी । ३६. पूरी रकम न लिखी तथा जाड़ गड़बड़ किया । ३७. पदार्थों के गुण ठीक न लिखे या कीमत में फरक कर दिया । ३८. तोल न ठीक लिखा । ३९. माप न ठीक लिखा । ४०. नाप न ठीक लिखा ।

खजाने की रकम गायब होने पर निधायक [खजांची] निवंधक (मुनीम), प्रतिग्राहक (खजाने में रखने के लिये पदार्थ प्रहण करने वाला) दायक (देने वाला), दापक (दिलाने वाला) मन्त्रि (सलाहकार) वैयावृत्यकर (बैचने वाला) आदि सरकारी नौकरों की कमशः परीक्षा की जाय । जो झूठ बोले उसको अपराध के अनुसार दंड दिया जाय । जनता में डुगडुगी पीटी जाय कि जिन लोगों को इस व्यक्ति से नुकसान पहुंचा है वह सरकार को खबर दें । जो सूचना दे उसकी सूचना के अनुसार उसको दंड दिया जाय । अनेक अपराधों में प्रत्येक अपराध का उससे उत्तर पूछा

जाय । एक भी अपराध के सिद्ध होजाने पर सब अपराधों का उत्तर उससे मांगा जाय । यदि उसने बहुत बड़ी रकम गबन की है तो उससे सारी की सारी रकम वसूल की जाय । जिसने गबन करने की सरकार को सूचना दी हो, यदि उसकी सूचना सत्य सिद्ध हो तो उसको वसूल किये हुए धन का छठा भाग मिले । यदि वह नौकर है तो उसको बारहवां भाग दिया जाय । अधिक धन गबन करने की सूचना देने पर जो थोड़े धन गबन करने को ही सिद्ध कर सके उसको सिद्ध किये हुए धन का भाग ही मिले । यदि वह गबन करने के आपराध को सिद्ध न कर सके तो उस पर कोड़े पड़े या उस पर सोने में जुरमाना किया जाय । उसको दंड से किसी भी हालत में मुक्त न किया जाय ।

यदि सूचना देने वाला अपराधी से मिल कर अपराध का निर्णय किसी दूसरे पर फेंक देया अपने आप को किसी दूसरे तरीके से बचाने की कोशिश करे तो उसको मृत्यु दंड दिया जाये ।

२७ प्रकरण । उपयुक्त परीक्षा

आमात्य के गुणों से युक्त संपूर्ण अध्यक्ष भिन्न भिन्न कामों में नियुक्त किये जाय । मनुष्य के चित्त के स्थिर न होने से इनके कामों की प्रतिक्रिया देख भाल करता रहे । मनुष्य घोड़े की तरह काम में जोतते ही बिगड़ने लगते हैं । यही कारण है कि उनके कार्य करने के साधन, स्थान, सम., कार्य, उत्पत्ति तथा शुद्ध लाभ के संबंध में सदा ही जानता रहे । वह लोग आपस में मिले या भगड़ बिना ही आशा के अनुसार काम करते रहे । यदि कहीं मिल गये तो रुपया खा जांपगे और कहीं भगड़ गये तो सारा का सारा काम ही बिगड़ देगें । आपत्ति या वीमारी को छोड़कर स्वामीकी आशा के बिना वह कुछ भी नया काम न करे । यदि वह लोग प्रमाद करे तो उन पर दैनिक भूति का दुगुना जुरमाना किया जाय । जो कहे हुए काम को उत्तमता के साथ करे उसको इज्जत के साथ साथ ऊंचा

एवं मिले। पुराने आचार्यों का मत है कि जो स्वर्चों तो अधिक करें और उसके बदले उतनी आमदनी न करें वह राज्यस्व स्वाजाते हैं और उससे उल्ट जो स्वर्च के अनुसार आमदनी इकट्ठी करे उन को ईमान् दार समझना चाहिये। कौटिल्य का मत इससे भिन्न है। वह इस बात के पता लगाने के लिये खुफिया पुलिस को ही उचित साधन समझता है। जो राज्‌स्व कम प्रकट करता है वह एक प्रकार से राजा को ही खारहा होता है। यदि उस से यह काम अज्ञानादिक से होगया हो तो उसको नुकसान अपनी ओर से भरना चाहिये। जो राज्यस्व दुगुना प्रगट करता है वह प्रजा को लूटता तथा तंग करता है। यदि वह राजा के लिये अधिक धन इकट्ठा करके लावे तो न्यून-अपराध होने पर आगे से उसको ऐसा बुरा काम करने से रोक देना चाहिये। यदि अपराध बहुत अधिक हो तो उसको दंड देना चाहिये।

जो स्वर्च को घटाकर आमदनी बढ़ाता है वह श्रमियों की मेहनत मज़दूरी को खाता है। समय, काम, पदार्थ, मूल्य, तनखाह आदि जिसमात्रा में वह खावे उसी मात्रा में उसको राज्य दंड देना चाहिये। इस लिये जो जिस विभाग का शासक है वह भिन्न भिन्न कामों के वास्तविक जमा स्वर्च को संक्षेप या विस्तार से जाने और मूल हर, तादात्विक तथा कदर्य लोगों को रोकता रहे।

मूलहरः—जो बाप दादाकी संपत्ति को अन्याय से नष्ट करदे उसको मूलहर कहते हैं।

तादात्विकः—जो उत्पन्न पदार्थ या आमदनी के भविष्य का बिना विचार किये शोष्य ही उपभोग कर डाले उसको तादात्विक या फजूल स्वर्च कहते हैं।

कदर्यः—जो नौकरों को या अपने आपको कष्ट देकर धन इकट्ठा करता है उसको कदर्य या कंजूस कहते हैं।

जो कंजूस या कदर्य एक बहुत बड़ी आमदनी के स्थान का अध्यक्ष होकर प्राप्त आमदनी को घर में गाड़ देता है, नागरिकों या ग्रामीणों के पास रखदेता है या शबुके राष्ट्र में पहुंचा देता है—खुफिया पुलिस के लोग उसके सलाहकार, दोस्त, नौकर चाकर,

रिश्तेदार आदिकों के साथ साथ उस की आमदनी स्वर्च का पूरा हाल जानते रहें। जो शत्रु के राष्ट्र के साथ संबंध रखता हो उस से गुप्त हाल पूँछा जाय और इसके बाद दुश्मन राजा को आक्षा लेकर उसको मरवा दिया जाय। अध्यक्षों को चाहिये कि संख्यायक, लेखक, रूप दर्शक, नीवी प्राहक तथा, उत्तराध्यक्ष के साथ दोस्ती रखते हुए उनके कामों को करें। उच्चराध्यक्ष का तात्पर्य हाथी, घोड़े, रथ, पर चढ़ने वाले लोगों के पांछे “अन्तेश्वासी” के रूप में और संख्यायक लेखक आदिकों के पांछे खुफिया पुलिस के रूप में काम करने वाले लोगों से है।

प्रत्येक राजकीय विभाग में थोड़े ही समय के लिये भिन्न भिन्न लोग नियत किये जाय।

जैसे जीभ पर रखी शहत का स्वाद न लेना कठिन है वैसे ही राज्य कर्मचारियों का राजकीय आमदनी का न खाना असंभव है। जैसे मच्छी पानी के अन्दर पानी पीती हुई नहीं देखी जा सकती उसी प्रकार भिन्न २ कामों के करवाने के लिये नौकरी पर रखे राजकीय कर्मचारी दृष्टा खाते हुए नहीं पकड़े जा सकते। आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की चाल जानी जा सकती है परन्तु छिपे दिल सरकारी नौकरों की चाल का जान लेना सर्वथा दुःसाध्य है। जो सरकारी नौकर अन्याय से बहुत सा धन इकट्ठा करे उस का धन जब्त कर लिया जाय या उसको दूसरे काम पर नियुक्त किया जाय। ऐसा यत्न किया जाय जिससे वह राजकीय आमदनी को न खाने पावें और जिन्होंने खाई हो वह उसको उगल दें। जो राज्यस्व का अपहरण न करते हों और न्याय पूर्वक उसको बढ़ाते हों उनको राजभक्त समझ कर स्थिर रूप से राजकीय नौकरी मिलनी चाहिये।

२८ प्रकरण । शासनाधिकार ।

शासन का नात्पर्य राजाज्ञा है। राजा का मुख्य काम शासन

करना है। संधि तथा युद्ध भी उसी पर निर्भर है। इसलिये अमात्य के संपूर्ण गुणों से युक्त, उत्तम भाषा तथा पद शीघ्रही बनाने वाले, प्रशस्त लिपि लिखने वाले तथा दूसरों के लिखे लेख को शीघ्र ही पढ़ने में समर्थ व्यक्ति को लेखक नियुक्त करना चाहिये। लेखक का काम है कि वह दत्तचित्त होकर राजा की आज्ञा सुने और सोच विचार कर पेसा लेख लिखे जिसका अर्थ स्पष्ट हो। राजाओं के संबंध में जो आज्ञापत्र हों उनमें उनके वंश नाम तथा देश का उल्लेख हो। औरों के संबंध में नाम तथा देश का उल्लेख ही पर्याप्त है। लेखक को चाहिये कि वह जाति, कुल, स्थान, उमर, प्रसिद्धि, काम, संपत्ति सभाव, देश-काल तथा रिश्तेदारी आदि पर गंभीर विचार कर जैसा पुरुष ही उसी के अनुरूप लेख लिखे। अच्छा लेख वही समझाजाता है जिसमें १ अर्थ क्रम २ संबंध ३ परिपूर्णता ४ माधुर्य ५ औदार्य तथा ६ स्पष्टता मौजूद है।

१. लेख में महत्व के अनुसार संपूर्ण बातों के क्रमशः लिखने का नाम अर्थक्रम है।

२. प्रस्तुत अर्थ के अनुसार ही समाप्ति पर्यन्त लेख लिखने का नाम संबंध है।

३. परिपूर्णता उसी को कहते हैं जिस में अर्थ पद तथा अक्षर न अधिक तथा न कम हो, और जिसमें हेतु उदाहरण तथा वृष्टान्त से अर्थ को परिपूर्ण किया गया हो और जिसका प्रत्येक पद निर्दिष्ट अर्थ को सूचित करता हो।

४. सरलता तथा बिना किसी बड़ी मेहनत के उचित अर्थ को सूचित करने वाले सुन्दर शब्दों के प्रयोग का नाम माधुर्य है।

५. ग्राम्य शब्दों के प्रयोग न करने का नाम ही औदार्य है।

६. स्पष्टता उसी को कहते हैं जिस में सरल शब्दों का प्रयोग हो।

अकारादि वर्ण संख्या में ६३ हैं। वर्णों के समूह का नाम ही पद है। नाम, आव्यात, उपसर्ग तथा निपात के भेद से यह चार प्रकार का है। पदार्थ विशेष (सत्त्व) को प्रगट करने वाले शब्द को नाम तथा जिसका कोई लिंग न हो और जो कि क्रिया विशेष को सूचित करता हो। उसको आव्यात कहते हैं। क्रिया के पहिले लगाने वाले प्रे आदि का नाम उपसर्ग और अव्ययादि का नाम

निपात है। एक अर्थ को पूर्ण रूप से प्रगट करने वाले पद समूह का नाम वाक्य है। कम से कम एक पद और अधिक से अधिक तीन पद, अर्थ के अनुसार प्रत्येक वर्ग में होने चाहियें। आज्ञापत्र की समाप्ति या मौखिक आज्ञा को सूचित करने के लिये इति शब्द का प्रयोग होना चाहिये। आज्ञापत्र लिखवाने के मुख्य उद्देश्य १ निन्दा २ प्रशंसा ३ पृच्छा ४ आस्थान ५ अर्थना ६ प्रत्यास्थान ७ उपालंभ ८ प्रतिषेध ९ चोदना १० सांत्व ११ अभ्यवपत्ति १२ भर्त्सना तथा १३ अनुनय आदि तेरह हैं।

१. किसी के कुल, शरीर तथा काम के विषय में बुरी बात कहना 'निन्दा' और २ अच्छी बात कहना 'प्रशंसा' ३ "यह कैसे हुआ" इस ढंग पर पूछना 'पृच्छा' ४ यह बात ऐसे हुई इस ढंग पर कहना 'आस्थान' ५ मांगना 'अर्थना' ६ न दूंगा यह कहना 'प्रत्यास्थान' ७ "आप को ऐसा न करना चाहिये था" ऐसा कहना 'उपालंभ' ८ विद्ध करना या रोकना 'प्रतिषेध' ९ आज्ञा देना 'चोदना' १० "मेरे तथा आप में भेद ही क्या है। जो मेरी संपत्ति है वह सब आप के लिये उपस्थित है।" इस ढंग की बात कहना 'सांत्व' ११ 'तकलीफ में सहायता देना' 'अभ्यवपत्ति' १२. तेरा सत्यानास हो जायगा इस ढंग पर दोष दिखाते हुए भिड़कना 'भर्त्सना' तथा १३ समझाने का नाम 'अनुनय' है। रुपया, प्रतिशाखा भंग तथा कष्ट के समय में किये जाने के भेद से अनुनय तीन प्रकार का होता है।

शासन या आज्ञापत्र के १ प्रज्ञापन २ आज्ञा ३ परिदान ४ परीहार ५ निस्तुष्टि ६ प्रावृत्तिक ७ प्रतिलेख ८ सर्वत्रग आदि आठ भेद हैं।

१. प्रज्ञापन। अमुक ने यह कहा है, यदि इस में कुछ तत्व है तो यह चीज दे दीजिये, शब्द यह कर कहा है, इत्यादि बातों के विषय में राजा को सूचना देने का नाम प्रज्ञापन है। यह कई प्रकार का होता है

२. आज्ञा । सरकारी नौकरों को जिस पत्र के द्वारा राजा इनाम या दंड दे उस को आज्ञालेख के नाम से पुकारते हैं ।

३. परिदान । प्रीति से या दान देने की इच्छा से जब राजा योग्य व्यक्तियों को पुरस्कार देता है उसको परिदान कहते हैं ।

४. परीहार । ज्ञाति ग्राम तथा देश के सम्बन्ध में राजा जो अनुग्रह करता है उसको परीहार के नाम से पुकारा जाता है ।

५. निसृष्टि । कार्य करने की आज्ञा या लाइसेन्स देने का नाम चाहे वह वाचिक हो और चाहे वह लैखिक हो निसृष्टि कहा जाता है ।

६. प्रावृत्तिक । दैवी तथा मानुषी विपत्ति राजा के प्रावृत्तिक लेख का ही परिणाम मानी जाती है ।

७. प्रतिलेख । राजा के आज्ञा लेख को देख कर तथा समझ कर जो उत्तर लिखा जाता है उसको प्रतिलेख कहते हैं ।

८. सर्वत्रय । राजा अपने नीचे के मांडलिक राजाओं तथा मुख्य शासकों को रक्षा, उपकार तथा उपाय के विषय में जो खुली आज्ञा देते हैं उसको सर्वत्रय नाम से पुकारा जाता है ।

I साम, II उपप्रदान, III भेद तथा IV दंड के भेद से उपाय चार प्रकार के हैं । इन में साम—१ गुण संकीर्तन २ सम्बन्धोपास्थान ३ पर-उपकार संदर्शन ४ आयति प्रदर्शन तथा ५ आत्मोपनिधान के भेद से पांच प्रकार का है ।

I साम—१ गुण संकीर्तन । वंश, शरीर, कर्म, चरित्र, विद्या तथा समृद्धि के विषय में गुण तथा अगुण का पता लगा कर प्रशंसा या स्तुति करने का नाम गुण संकीर्तन है ।

२. सम्बन्धोपास्थान । जात, यौन [खून का सम्बन्ध], रिश्तेदारी, गुरु, पुरोहित, कुल तथा हृदय-मित्र (दोस्त) के संबंध में बात चीत करने का नाम संबंधोपास्थान है ।

३. पर-उपकार संदर्शन। स्वपक्ष तथा परपक्ष के पारस्पारिक उपकारों को दिखाने का नाम पर-उपकार संदर्शन है।

४. आयति-प्रदर्शन। इस मामले में यह बात करने से हम दोनों को यह लाभ होगा इस ढंग की आशा दिलाने का नाम आयति-प्रदर्शन है।

५. आत्मोपनिधान। मुझ में तथा आप में कोई भेद नहीं है। इस लिये मेरी चीज को आप अपने काम में ला सकते हैं इस ढंग की बात कहने का नाम आत्मोपनिधान है।

II उपप्रदान। धन के द्वारा उपकार करने का नाम उपप्रदान है।

III. भेद। भिन्नकर्ता तथा संदेह पैदा कराने का नाम भेद है।

IV. मारना, तकलीफ देना तथा रूपया ग्रहण करने का नाम दंड है।

५. अकान्ति २ व्याघात ३ पुनरुक्त ४ अपशब्द ५ संप्लव आदि लेख के पांच दाष हैं।

१. अकान्ति। कागज का मैलापन या रही होना, अक्षरों का छोटा बड़ा होना तथा स्थाही का फीका होना अकान्ति कहलाता है।

२. व्याघात। पहिले कुछ और पीछे कुछ लिखने का नाम व्याघात है।

३. पुनरुक्त। एक बार कही बात को बिना किसी विशेषता के दुहराने का नाम पुनरुक्त है।

४. अपशब्द। लिंग, वचन, काल तथा कारक के अन्यथा प्रयोग का नाम अपशब्द है।

५. संस्लव। लिखी बात का अनुचित विभाग तथा अन्य कई प्रकार का गड़बड़ का नाम संस्लव है।

सब शास्त्रों को विचार कर तथा उनके प्रयोगों को देखकर कौटिल्य ने राजा के लिये शासन का विधान किया।

२६ प्रकरण।

कोश में ग्रहण करने के योग्य रत्नोंकी परीक्षा।

कोशाध्यक्ष [खजांची] कोशमें ग्रहण करने के योग्य रत्न, सार द्रव्य, साधारण पदार्थ, जांगलिक द्रव्य आदियों की योग्य योग्य मनुष्यों के सहारे परीक्षा करे।

१ ताम्बपरिणक २ पाराड्यकवाटक ३ पाशिक्य ४ कौलेय
 ५ चौरेय ६ माहेन्द्र ७ कार्दमिक ८ घौतसीय ९ हार्दीय तथा १०
 हैमवत के भेद से मोती दस प्रकार का होता है। सीपी शंख तथा
 अन्य भिन्न २ पदार्थों में से ही मोती निकलता है।

मसूरक [मसूर की तरह], त्रिपुटक [तीन गांड़ पड़ा], कूर्मक [कल्पुष की पीठ की त.ह] अर्धचन्द्रक [आधा गोल] कंचुकित [मोटे छिलके वाला] यमक [जुड़िया], कर्तक (कटा हुआ), खरक (खुर्दा) सिक्कक (दागी) कामंडलुक (कमंडलुकीतरह), कला, नीला तथा सख्त (जिसमें छेद न किया जासके) मोती अप्रशस्त या धटिया होता है। जो मोती मोटा गोल चमकीला सफेद भारी चिकना कोमल तथा निस्तल (जिसमें कहीं पर भी तल न हो) हो उसको प्रशस्त या बढ़िया समझना चाहिये। शीर्षक (एक मोटे दाने वाली) उपशीर्षक (५ मोटे दाने वाली) प्रकांड (क्रमशः बड़े होते हुए मोती वाली) अवघाटक (एक सदृश दाने वाली) तरल-प्रतिबंध (एक चमकीले दाने वाली) आदि मोती की मालाओं के नाम हैं। मोती की लर्णु के १००८को इन्द्रच्छन्द, ५०४ को विजयच्छन्द, ६४ को अर्धहार, ४४ को राश्मिकलाप ३२ गुच्छा, २७ को नक्षत्र माला, ८४ को अर्धगुच्छ, २० को माणवक, और १० को अर्धमाणवक कहते हैं। इन्हीं के बीच में यदि मणि हो तो उसको माणवक नाम से पुकारा जाता है। जब एक दाना तो बहुत बड़ा हो तो उसको शुद्ध हार कहते हैं। इसी प्रकार अन्यों के नाम

समझने चाहियें । यदि इनके बीच में मणि होतो इनका नाम अर्ध माणवक हो जाता है । जिस माला में तीन या पाँच लंबे मोती के दाने हों उसको फलकहार नाम से पुकारते हैं । शुद्ध एक लरको एकावली और यदि इसके बीचमें मणि पढ़ा हो तो इसको थष्टि कहते हैं । सोने तथा मणियों के हार को रत्नावली और यदि इसमें मोती भी हो तो इसको अपवर्तक और यदि सोने के सूतमें परोया गया हो तो सोपानक और यदि बीच में मणि लगी हो तो मणिसोपानक नाम से पुकारते हैं । शिर, हाथ, पैर, कमर तथा अन्य स्थानों के गहनों के विषय में भी यही समझना चाहिये ।

१ कौट २ मौलेयक ३ पारसमुद्रक के भेद से मणि तीन प्रकार की है ।

माणिक कमल के रंगका, स्वच्छ लाल तथा पारिजात के फूल की तरह गुलाबी होता है । पश्चा नीला कमल, शिरीष का फूल, पानी, बांस, तोते के पर, के रंगका होता है । पुष्पराग, गोमूत्रक तथा गोमेदक इसी के भेद हैं । नीलम् नीला, चने मटर के फूल, महरा नीला, जामुन, बादल आदिके रंगका होता है । नन्दक (चिन्त को खुश करने वाला) स्वबन्मध्य (बीचमें आब वाला) शीत वृष्टि (ठंडक देने वाला) सूर्यकान्त आदि इसीके भेद हैं । मणि छः कोन, चौकोन तथा गोल होती है । गहरी लाल, स्वच्छ, भारी, चमकीली आब वाली तथा प्रकाश वाली आदि होना मणियों का गुण है । हल्की लाल, बालु सहित, अन्दर से छेद वाली, दूरी फूटी, कठोर तथा रेखा पढ़ी होना मणियों का दोष है । विमलक, सस्यक, अंजनमूलक, पित्तक, सुलभक, लोहितक, अमृतांशुक, ज्योतीरसक, मैलेयक, आहिच्छुत्रक, कूर्प, प्रतिकूर्प, सुगन्धि कूर्प, क्षीरपक, शुक्रिचूर्णक, शिला प्रवालक, पुलक, शुक्रपुलक, आदि मणियों की भिन्न भिन्न जातियां हैं । इनके अतिरिक्त जातिकी जो मणि मिले उसको काच मणि समझना चाहिये ।

१ सभाराष्ट्रक २ मध्यमराष्ट्रक ३ काश्मक या कान्तीर राष्ट्रक ४ श्री कटनक ५ मणिमन्तक तथा ६ इन्द्रवानक आदि हीरे (बज्र) के ६ भेद हैं । खान स्रोत तथा पेसे ही अन्य स्थान से हीरा प्राप्त

होता है। बिज्जी की आंख, शिरीष का फूल, गोमूत्र, गोमेद, सफटिक, मूलारी का फूल आदि रंग के तथा मणियों से भिन्न रंगत के हीरे होते हैं। स्थूल, भारी, मजबूत, समान कोन युक्त, रेखा खींचने के योग्य, रोशनी देने वाला, चमकीला हीरा उत्तम और कोने रहित, चमक से शून्य, मुड़ा तथा असमान हीरा निकृष्ट समझा जाता है।

आलकन्दिक तथा २ वैवर्णिक क भेद से प्रवाल दो प्रकार होता है। इसका रंग लाल, कमल की तरह गुलाबी लिये होता है। इसके बीच में और कोई चीज नहीं होती है।

चन्दनों में—सतने लाल तथा मट्ठी की गंधका, गोर्धनीक काला-लाल तथा मच्छी की गंधका, हरिचन्दन तोते के पर की तरह हरा आम की गंधका, ताणास भी इसी प्रकार का, ग्रामेश्वक लाल, लालकाला, पेशाव पाखाने की गंध का, दैवसभेय लाल तथा पश्च की गंधका, जापक भी ऐसा ही, जोंगक तथा तौरूप लाल, लालकाला तथा चिकना, मालेयक गुलाबी, कुचन्दन काला रुखा अगरु की तरह काला लाल या लाल काला, कालपर्वतक सफेद स्वच्छुरंग का, कोशाकार पर्वतक काला-कालाचितकबरा, शीतोदकीय कमल की तरह लाल या काला तथा चिकना, नाग-पर्वतक रुखा तथा काई के रंगका और शाकल पीले-लाल रंग (नारंगी का रंग) का होता है। लघु, चिकना, सफेद, धी की तरह लेपते समय चिकना, खुशबूदार, चमड़े को ठंडक देना, गरमी को सुखाना, पीड़ा कम करना, छूने से अच्छा मलूम पड़ना आदि चन्दन के गुण हैं।

अगर में—जोंगक काला, कालाचितकबरा या चितकबरा, दोंगक हल्का काला, पारसमुद्रक नाना रंगका, चन्दन की तरह गंध वाला या नई चमेली की गंध का होता है।

तैलपर्णिक (चन्दन विशेष) में—अशोक ग्रामिक मांस के रंग का तथा पश्च के गंध का, जोंगक लाल पीला तथा कमल के गंध

का या गोमूत के गंध का, ग्रामेश्वक चिकना तथा गोमूत के गंध का, सौंवर्ण कुड़चक लाल पीला तथा निंबू के गंधका, पूर्णदीपक पश्च या मक्खन के गंध का, भद्रश्रीय लाल तथा जाति बृह के रंग का, आन्तरपत्य चन्दन के गुंध का, दोनों ही कुष्ट के गंध का, कालेयक स्वर्ण भूमि में उत्पन्न होता है तथा चिकना पीला, तथा औत्तर पर्वतक रत्न की तरह पीले रंग का होता है।

सार शब्द के द्वारा उपरिलिखित संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण किया जाता है। पीसने उबालने तथा जलाने पर तथा अन्यपदार्थों के साथ मिलाने पर इन का गंध ज्यों का त्यों बना रहता है। चंदन तथा अगरु के सदृश ही तैलपर्णिक पदार्थों के गुण हैं।

१ कान्तनावक २ प्रैयक तथा ३ उत्तरपर्वतक के भेद से चमड़ा तीन प्रकार का है। चमड़ों में कान्तनावक मयूर पंखी रंग का, तथा प्रैयक नीला पीला सफेद तथा बुंदकीदार होता है। दोनों ही ८ अंगुल लंबे होते हैं। द्वादश ग्रामीय में बिसी तथा महाबिसी नामक चमड़े होते हैं। इन में स बिसी अस्पष्ट रंग बालयुक्त तथा चित्र विचित्र और महाबिसी सख्त तथा सफ़द होता है। दोनों ही १२ अंगुल लंबे होते हैं। आरोह देश में पैदा हुए चमड़ों के श्यामिका, कालिका, कदली, चन्द्रोत्तरा तथा शाकुला पांच भेद हैं। इन में श्यामिका लाले भूरा तथा बिन्दुयुक्त, कालिका भूरा तथा कबूतर के रंग का, दोनों ही ८ अंगुल लंबे, कदली सख्त तथा १ हाथ बौद्धा, चन्द्रोत्तरा १ हाथ लंबा तथा चित्रविचित्र और शाकुला कदली का तिहाई, कोड़ियों की तरह चितकबरा हरिण के चमड़े की तरह बिन्दु तथा लकड़ी दार होता है। वाह्य देश के चमड़े के सामूर चीनसी तथा सामूली तीन भेद हैं। इनमें—सामूर काले रंग का तथा ३६ अंगुल लंबा, चीनसी लाल काला या सफेदी लिये काला

और सामूली गेहुंआं रंग का होता है। उद्ध जन्तु या उद्वस्थाने का चमड़ा १ सातिना नलतूला तथा ३ वृत्तपुच्छा के भेद से तीन प्रकार का है। इन में—सातिना काला नलतूला नड़े के रंग का, और वृत्तपुच्छा भूरे रंग का होता है। चमड़े के यही कुल भेद हैं। नरम चिकना तथा बहुत रोयेदार चमड़ा ही उत्तम होता है।

भेद का ऊन सफेद गुलाबी तथा पश्च की तरह लाल होता है। इसके स्वचित [वटे हुए सूतके बिना], वानचित्र (भिन्न २ रंगके ऊनके सूत का बना), सुंड संघात्य (पट्टियां जोड़कर बना), तथा तंतुविच्छिन्न (ऊनके सूतसे ताना बाना एक सदृश बिना गया) नामक चार प्रकार के कंबल बनाये जाते हैं। ऊनी कंबल के—कौचपक (मोटा कंबल), कुलमितिका [पगड़ी], सौमितिका (बैलके ऊपर डालने के योग्य) तुरंगास्तरण (घोड़ेपर डालने के योग्य) वर्णक (स्त्रीन) तलिच्छक (विस्तर की चहर), वारमाण (कोट) परिस्तोम [लंबा कंबल] समन्तभद्रक (हाथी पर डालने का कपड़ा) आदि दस भेद हैं। महीन चिकना कोमल तथा नरम कंबल उत्तम होता है।

नैपाल के बनें काले रंग के द ढुकड़ों से बने कंबल का नाम भिन्निसी है। यह वृष्टि से बचने के काम में आता है। अपसारक नामक कंबल भी इसी प्रकार का होता है।

जंगलीपशु के ऊनके संपुटिका (पैजामे के कामका), चतुरश्रिका (६ श्रंगुल लंबे कंबल के कामका) लंबरा (लंबा) कटवानक (पर्दे के कामका) ग्रावरक (कटवानक का भेद विशेष) सत्तलिका (गलीचे के काम का) आदि भिन्न भिन्न भेद हैं। इनमें से बंगाल का [वाङ्क] सफेद चिकना, पुँड देशका [पौँड] काला तथा मणि की तरह चिकना, सुर्वणकुड्यदेशका [सौवर्णकुड्य] सूर्य की तरह सफेद चमड़ीला तथा मणिकी तरह चिकना पर्तिले रंगका चौ-

कोन या मिश्र मिश्र रंगका होता है। इनमें अकेला, जोड़ा, आधा, तिगुना चौगुना आदि अनेक भेद हैं। काशी तथा पुंड्र की सलिया भी इसी प्रकार की होती है। मगध पुंड्र तथा सुवर्णकुड्य के भिन्न २ वृक्षों के पत्तों या छालों के रेशे प्रसिद्ध हैं। नागवृक्ष, बड़हर, मौसरी तथा बढ़ से ही यह रेशे निकाले जाते हैं। नागवृक्ष के पीले, बड़हर के गेहुपं, मौसरी के सफेद और अन्य वृक्षों के मक्खन की तरह सफेद रेशे होते हैं। इनमें सुवर्ण कुड्य के सलिये उत्तम होते हैं। इसी प्रकार चीन भूमि का बना चीनी कपड़ा तथा रेशमी कपड़ा भी होता है।

सूती कपड़ों में—माधुर (दक्षिणी भदुरा), अपरान्तक (कॉकन) कालिंगक (कालिंग देश) काशिक (बनारस) वांगक [ढाका आदि बंगाल] बात्सक [कौशांबी] तथा माहिषक [माहिष्मती के आस पास का देश] आदि उत्तम होते हैं।

अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह उन रत्नों के मूल्य, ग्रमाण, लक्षण, जाति, रूप, प्रयोग, पुरानों का संशोधन, नया बनाना, देश तथा कालके अनुसार विज्ञाना तथा नष्ट होना, मिलावट, हानिका उपाय आदि भिन्न भिन्न बातों का ज्ञान प्राप्त करे जिनका कि वर्णन इस प्रकरण में नहीं किया गया है।

३० प्रकरण ।

खनिज पदार्थों के व्यवसाय का संचालन ।

खानों का आध्यक्ष तांबा आदि धातुशास्त्र, पारा निकालना, मार्गिक पहिचानना आदि विद्याओं को जानकर या जानकार लोगों तथा भेनती मजदूरों को साथ लेकर, कच्ची धात, कोयला, राख, खुदाई आदि चिन्हों को जमीन या पहाड़ी टोलेपर पाकर—भार रंग गंध तथा स्वाद के अनुसार खानकी परीक्षा करे। परिचित स्थानों, पहाड़ों, गङ्गाओं, गुफाओं, तराइयों तथा छिपे हुए छेदों में से बहने वाले जामुन, आम, ताड़, हाथी, हड्डताल, शहत, सिंगरफ, कमल, तोता, मोर आदि के रंगके-काई की तरह चिकने चमकीले

तथा भार काले जलको सोने से मिश्रित और यदि वह पानी में डालते ही नीचे बैठ जाय, तेल की तरह सब ओर फैल जाय तथा मटियाला रंग का होजाय तो उसको सैकड़ा प्रति शतक तांबा तथा चांदी से मिश्रित समझना चाहिये । सोने तांबे से मिश्रित कच्ची धातु के डलों का रूप रंग-पीला, लाल, लाल-पीला परंतु मट्टी पत्थर से भिन्न रंगका, मूँग उर्दे के रंगके साथ साथ दही के बूँद की सफेदी लिये, चित्र विचित्र, हल्दी हरड कमल पत्र कर्इ यकृत् मोहा आदि रंगका होता है । उसमें प्रायः बालकी रेखा, गोल लकीर तथा स्वस्तिका का चित्र पड़ा होता है और तपाने पर वह चिना फटे ही धुआं देने लगता है । जिस कच्ची धातु का रंग-शंख कपूर स्फटिक मक्खन कबूतर कछुआ, विमल, मोर का गला, गोमेद, गुड़, शकर, या कोविदार, पद्म, पाटली के फूलों की तरह हो उसको अंजन धातु के साथ मिश्रित जस्ता समझना चाहिये । यदि यह तपाने पर फट जाय, चमकने लगे, काली पड़ जाय, काले रंग की छाया ले ले । चित्र विचित्र होजाय या गरम करने पर न फटे तथा धुआं देने लगे तो उसको चांदी की धातु समझना चाहिये । कच्ची धातु जितनी भारी हो उतनी ही अधिक उसमें असली धातु होती है । उनमें से जो अशुद्ध हों उनको यदि तीव्रण (मनुष्य का पेशाब) गोमूत्र तथा खार में डालकर राजवृक्ष बड़ पीलु गोपित के साथ मिलाकर तपाया जाय तथा उसमें मैस गदहा हाथी के पेशाब लीद आदि मिलाई जाय तो शुद्ध धातु बाहर निकल आती है ।

जौ, उर्दे, ढाक, पीलु का खार, भेड़ तथा गौ का दूध तथा केला वज्रकन्द (सूरण) आदि की राख धातुओं को मृदु करती है । हजारों हिस्सों में चूर चूर हो जाने वाली भी धतु—शहत मुलहटी, भेड़ी का दूध, तिलीका तेल, घी, गुड़, मसाले तथा केले के संमिश्रण में तीन बार डालते ही नरम पड़ जाती है । गौ के सींग तथा दांत का चूरण धातुओं की मुद्रुता तथा कोमलता को स्थिर कर देता है ।

तांबा—भारी, चिकना, कोमल या मृदु, होता है । यदि उसमें मट्टी या पत्थर मिला हो तो उसका रंग पीला हरा गुलाबी तथा

लाल होता है। जस्ता चितकबरा, कबूतर के रंग का, सफेद लकीर लिये तथा मांस के गंध का होता है। रांगा कुछ कुछ चितकबरा तथा फौलाद या पके लोहे के रंग का होता है। लोहे की रंगत गुलाबी, लाल पीली, नारंगी तथा सिन्दुआर के फूल की तरह होती है और भली मालूम पड़ती है। कच्चा हीरा या कांसुला कांड [पड़ विशेष] या भुजपत्र [भोजपत्र] के रंग का होता है। माणिक, सफा, चिकना, चमकीला, खनखनाता, ठंडा, तीखा तथा हल्के रंग का होता है।

खानों से जो धातुएं निकलें उनको अपने अपने कारखानों में भेज दिया जाय। जो माल पैदा हो उसके बैचने का एक स्थान पर प्रबन्ध किया जाय और इस नियम का उल्लंघन करने वाले कर्ता [कारीगर या माल तय्यार करने वाला] क्रता तथा विक्रेता को दंड दिया जाय। खानों में काम करने वाले रत्न को छोड़ कर यदि किसी अन्य वस्तु की चोरी करें तो उनसे उसका आठ गुना वसूल किया जाय। जो चोरी करे या विना आशा के धातुओं में व्यापार करे, बंधुआ बना कर (उस से) काम लिया जाय। पदार्थों के बनाने में अत्यन्त उपयोगी परन्तु बहुत ही अधिक खर्च चाहने वाली खान को कुछ समय के लिये बैच दे (प्रक्रम) या बंटाई विधि (भाग) पर खोदने के लिये दे। जिस में कुछ भी खर्च न हो (लाघविक) उसको अपने लिये रख छोड़े।

लोहाध्यक्ष तांबा, जस्ता, रांगा, कांसुला, कच्चा हीरा, हड्डताल, तथा लोध के व्यवसायों को खोले तथा इन में बनी चीजों के क्रय विक्रय का प्रबंध करे। लक्षणाध्यक्ष लोहा रांगा जस्ता काला सुरमा आदियों में से किसी एक का एक मासा, चौथाई तांबा तथा चांदी लेकर रूपया (रूप्य-रूप) बनवावे। इसी प्रकार तांबे के पण, अर्ध-पण, पादिक, एक आठवां ($\frac{1}{8}$) पण, माषक, अर्धमाषक, काकिणी तथा अर्धकाकिणी बनवावे। रूपदर्शक (मुद्रा-परीक्षक) कौनसा पण, असली (कोश प्रवेश्य) और कौनसा चलतू (व्यावहारिक) है इसका निर्णय करे। रूपयों के बनवाने में द प्र० श० रूपिक ५ प्र० श० वयाई (व्याजी) और $\frac{1}{2}$ पण पारी-

क्षिक (परीक्षा करवाई) लिया जाय । जो इस नियम का उल्लंघन कर सिक्के बनावें, उन में क्रय विक्रय करें तथा उनकी परीक्षा करें उन पर २५ पण जुरमाना किया जाय । खन्यध्यक्ष (सामुद्रिक खान का अध्यक्ष) शंख, बज्र, मणि, मुक्ता, प्रवाल तथा क्षार के व्यवसायों को स्थापित करे और इन चीजों का व्यापार करे । लवणाध्यक्ष नमक तैयार होते ही नमक तथा धन में सरकारी कर एकत्रित करे और उसके बैचने वालों से मूल्य, रूप (धार्मिक कर) तथा बयाई ग्रहण करे । आगत लवण का छठा भाग ले । भाग ग्रहण करने के बाद जब वह लवण व्यापारियों में बंट जाय तो ५ प्र० श० विक्रय कर, बयाई, रूप (धर्म काम के लिये ग्रहण किया गया कर) तथा रूपिक ले । क्रेता चुंगी तथा राज पण्य के नुकसान के रूप में वैधरण (हरजाना) नामक करदें । जो इन राज्यकरों को दिये बिना ही बैचे उस पर ६०० पण जुरमाना किया जाय ।

जो नमक में मिलावट करे या सरकारी आङ्का के बिना ही उस का क्रय विक्रय करे, वशर्ते कि वह वानप्रस्ती न हो तो उसको उत्तम दंड दिया जाय । श्रोत्रिय तपस्वी तथा बेगार लोगों को खाने के लिये मुफ्त में ही नमक मिले । इससे अतिरिक्त प्रत्येक प्रकार के नमक तथा खार से चुंगी ली जाय ।

राजा का कर्त्तव्य है कि मूल्य (कीमत), विभाग (बटाई), व्याजी (बयाई), परिधि (धर्मविषयक कर), अत्यय (जुरमाना), शुल्क (चुंगी), वैधरण (हरजाना), दंड (जुरमाना), रूप (धन में धर्म विषयक कर) तथा रूपिक (रूपये बनाने का कर) आदि राज्यकरों के साथ साथ खानों से बारह प्रकार की धातुएं ग्रहण करे और इस प्रकार संपूर्ण पदार्थों में राजकीय एकाधिकार स्थापित करे । खान से कोश तथा कोश से दंड उत्पन्न होता है । कोश तथा दंड से संपात्ति से सुशोभित (कोश भूषण) पृथ्वी प्राप्त होती है ।

३१ प्रकरण । सुवर्णाध्यक्ष का कार्य ।

सुवर्णाध्यक्ष सोने चांदी के गहने बनवाने के लिये अक्षशाला

[सुनारघर टकसाल] बनवावे जिस में पृथक् पृथक् चार कमरे हॉ और एक दरवाजा हो । विशिखा नामक सड़क के बीच में कुलीन विश्वसनीय चतुर सुनार को रखा जाय ।

१ जाम्बूनद २ शातकुंभ ३ हाटक ४ वैणव ५ शृंगशुक्रिज ६ जातरूप ७ रसविद्ध तथा ८ आकरोद्धत (खान से निकला) के भेद से सोना आठ प्रकार का है । कमल के सर रंग का, मृदु, चमकीला तथा ठनठनाने वाला सोना, श्रेष्ठ, लाल पीले रंगका मध्यम तथा लाल रंगका निकृष्ट (अपर) होता है । श्रेष्ठ सोने में से कुछ कुछ सफेद रंगका सोना नहीं मिलता है । यदि कहीं पर यह मिल जाय तो इसमें चार गुना जस्ता मिलाया जाय और इसको पत्ते में पीट कर तपाया जाय । तपाने के बाद लाल पड़ने तथा पिघलने पर इसको तेल तथा गोमूत्र में डाल दिया जाय । जो सोना खान से निकला हो, जस्ता मिलाकर उसके पत्रे पीटे जाय तथा खरल में उसको कूटा जाय । इसके बाद उसको तपाया तथा पिघलाया जाय तथा उसको केला तथा बज्रन्द के कल्क में डाला जाय ।

१ तुत्थोद्धत २ गौडिक ३ काममल ४ कबक तथा ५ चाकवालिक के भेद से चांदी पांच प्रकार की है । श्वेत चिकनी तथा मृदु चांदी श्रेष्ठ होती है । इससे विपरीत जो चांदी तपाने पर फेटे उसको निकृष्ट या दुष्ट समझना चाहिये । एक चौथाई जस्ता मिलाकर निकृष्ट चांदी को शुद्ध किया जाय । पिण्डाकार स्वच्छ चमकीली तथा दहीकी तरह सफेद चांदी शुद्ध होती है । कसौटी पर कसने पर जब सोने का रंग हल्दी की तरह हो तो उसको सुवर्ण कहते हैं । एक सुवर्ण में से एक काकणी से सोलह काकणी तक क्रमशः ताम्बे के मिलाने से सोना सोलह प्रकार का हो जाता है । कसौटी पर पहिले उत्तम सोने की रेखा बनाकर उसके बाद दूसरे सोने की रेखा खींची जाय । कसौटी के समतल भाग पर जब सोने की लकीर खींची जाय तो वह नख से या अंगूठे से मलने पर मिट जानी चाहिये । यदि उसको मिटाने के लिये खड़िया डालनी पड़े तो बेर्डमानी का अनुमान करना चाहिये । गोमूत्र में जाति हिंगुलुक (चमेली तथा सिंगरफ) तथा कसीस का फूल

डालकर उसमें सोना डाला जाय और उसको अंगूठे से रगड़ा जाय तो सोना सफेद हो जाता है । केसर की तरह चिकनी मृदु चमकीली कसौटी श्रेष्ठ होती है । इसीप्रकार कर्लिंग देशकी मूँगके रंगकी पथर की कसौटी भी श्रेष्ठ मानी जाता है । एक सदृश लाल रंग वाली कसौटी बेचते खरीदने के ही काम में आती है । हाथी के रंगकी या हरी कसौटी बेचने के तथा स्थिर, सख्त, भिन्न वर्ग तथा काले रंग की खरीदने के योग्य होती है । इनमें भी सफेद, चिकनी, समवर्ण, मृदु तथा चमकीली श्रेष्ठ मानी जाती है ।

जो सोना तपाने के बाद अन्दर बाहर से केसरिया रंग का या कारणड पुष्प के रंग का हो वह उत्तम ओर जो नोला या काला पड़जाय वह मिलावटी समझना चाहिये । पौत्रवाद्यक के प्रकरण में इनके तोल तथा बड़े के विषय में प्रकाश डाला जायगा । उसीके अनुसार सोना दिया तथा लिया जाय । अक्षशाला में राजकीय कर्मचारियों के सिवाय और कोई भी न जामा पावे । इनके अतिरिक्त जो कोई व्यक्ति अन्दर जाय उसको दंड दिया जाय । यदि कोई राज्य कर्मचारी सोना चांदी लेकर वहां जाय तो उसका सोना चांदी छीन लिया जाय । नाना प्रकार के गहने बनाने वाले ठोस पोला जड़ाऊ काम करने वाले, ध्यायक [भट्टों में हवा देने वाले] तथा भाङ्दे देने वाले विना रोक टोक के अन्दर आवैं तथा जावैं । इनके औजार, अपूर्ण काम आदि जहां के तहां ही रखे रहें । सोना, तोला, गहना आदि अक्षशाला के बीच भैं रखा जाय । संबंधित तथा सायंकाल बना माल देखने के बाद करने तथा कराने वाले की मुद्रा उसपर डाली जाय और इसके बाद उसको सुरक्षित रखा जाय ।

सोने के १ क्षेपण, २ गुण ३ इन्हुद्र आदि तीन काम हैं ।

१. क्षेपण । सोने में हीरादि जड़ना क्षेपण कहाता है ।

२. गुण । सोने का सूत खींचना तथा उसका बटना गुण कहाता है ।

३. छुद्रक । ठोस सोने में छेद करना या उसको पोला करना छुद्रक कहाता है ।

ठोस कामों में असली सोना ५ भाग और तांबा या चांदी मिला

सोना १० भाग होता है । ३ तांबे से युक्त चांदी या ५ चांदी से युक्त सोना प्रायः काम में लाया जाता है उससे गहनों को बचाया जाय । पोले कामों में ३ भाग माल और २ भाग साधारण पदार्थ या ३ भाग माल और ४ भाग साधारण पदार्थ होता है । जड़ाऊ कामों में तांबा सोना बराबर होते हैं । ठोस या पोले चांदी के गहने पर आधे सोने का पानी चढ़ाया जाव । या चौथाई सोने को सिंगरफ या बालुकाहिंगुलक में मिला दिया जाय ।

चमकीला तथा पवित्र सोना तपनीय कहाता है । इसमें जस्ता तथा सैन्धव मिलाया जाय तथा इसके बाद इसको तपाया जाय तो इसका रंग नीला पीला सफेद हरा तोता तथा कबूतर रंग का हो जाता है । सोने में रंगत देने के लिये मयूर पंखी सफेद चमकीले पीले रंग का तीक्ष्ण नामक मसाला दिया जाय ।

शुद्ध या अशुद्ध चांदी तूतिया जस्ता, हड्डी, आदि में क्रमशः चार चार बार, गोमय में तीन बार, और पुनः १७ बार तूतिया में तथा नमक में मिलाकर तपाया जाय । इसको १ काकिणी से दो भासे तक यदि सुवर्ण में डालाजाय तो सुवर्ण का रंग सफेद हो जाता है (श्रेततार) । सफेद रंगके सोने के ३० भाग यदि तपनीय सोने के ३ भाग के साथ मिलाकर तपाये जाय तो सोना लाल रंग का और लाल सोना पीले रंगका हो जाता है । तपनीय कोने को गरम कर यदि उसमें रंगका तीन भाग दिया जाय तो उसका रंग लाल पीला हो जाता है । तपनीय का एक भाग यदि सफेद सोने के दो भाग से मिलाया जाय तो उसका मूँग के सदृश रंग हो जाता है । यदि यह काले लोहे के आधे भाग के साथ मिलाया जाय तो इसका रंग काला पड़ जाता है । यदि तपनीय उपरिलिखित योग में पारा मिलाने के बाद दो बार तपाया जाय तो उसका तोते के पंख की तरह रंग हरा हो जाता है । भिन्न भिन्न रंग के सोने को प्रयोग में लाने से पूर्व उसको कसौटी पर कस लेना चाहिये । तीक्ष्ण तथा ताप्र मिलाने का ढंग ठीक तरह जान लेना चाहिये । हीरा माणिक मोती प्रवाल आदि के गहने तथा तोल माप और सोने चांदी के गहनों का प्रमाण सुवर्णध्वज को मालूम होना चाहिये ।

सोना वही उत्तम है जो कि—रंग में एक सदृश हो । कसौटी पर कसा जाकर एक जैसी लकड़ियाँ दे । खोखला तथा पोला न हो । पक्षा चिकना तथा शुद्ध हो । पहिनने पर शोभा बढ़ावे । सदा ही नया मालूम पड़े तथा चुमकता रहे । आंखों तथा दिल को प्यारा मालूम पड़े । और जिस के बने गहने बहुत ही भले तथा प्यारे प्रतीत हों ।

३२ प्रकरण ।

विशिखा में सुनारों का काम ।

सौवर्णिक (राजकीय सुनारों का अध्यक्ष) ग्रामीणों तथा नागरिकों का सोना चांदी लेकर कारीगरों से उनकी चीजें बनवावे । कारीगर नियत समय तथा काम के अनुसार काम करें । जो काम कर बहाना कर नियत समय में काम न पूरा करें या काम बिगड़ दें उनकी तनखाह काट लीजाय तथा उससे दुगुना उनपर जुरमाना किया जाय । देर करने पर चौथाई बेतन काटा जाय तथा उसका दुगुना दंड दिया जाय ।

जितना तथा जैसा माल लिया जाय वैसा ही लौटाया जाय । देर हो जाने पर भी कीण तथा धिसे हुए सिक्कों को छोड़कर पूर्ववत् स्वरी धातु के सिक्के ही ग्रहण किये जाय । कारीगरों के द्वारा सिक्कों के सोने के चिन्ह तथा विनिमयकर का ज्ञान प्राप्त करे । नये सिक्कों के बनवाने में १ काकणी सुवर्ण-क्षय के रूप में दे । चमक देने के लिये दो काकणी तीक्ष्ण (लोह धातु का भेद) डाला जाय जिसका छुटा भाग सिक्के बनाते समय नष्ट हो जाता है । रंग बिगड़ने तथा एक मासा सोना कम होने पर प्रथम साहस दंड, मात्रा के कम होने पर उत्तम साहस दंड और तोल तथा चट्ठे में बैर्झमानी होने पर या दूसरी घटिया चीज मिलाने पर उत्तम साहस दंड दिया जाय । सौवर्णिक के देले बिना जो किसी दूसरे स्थान पर चीज बनवावे उस पर १२ पण जुरमाना किया जाय । जो चीज बनावे तथा बनाता हुआ पकड़ा जाय उसको दुगुना दंड दिया

जाय। यदि न पकड़ा जाय तो कण्टक शोधन में विदित तरीकों को काम में लाकर उसका पता लगाना चाहिये और इसके बाद उस पर २०० परण जुरमाना किया जाय या उसका अंगूठा काट डाला जाय।

तुला तथा बटे पौत्रवाध्यक्ष से खरीदे जायें। जो ऐसा न करे उस पर १२ परण जुरमाना किया जाय।

कारीगरों के—धन (ठोस करना), धनसुषिर (पोला करना), संयूक्त (मोड़ना), अवलेप्य (मिलाना), संघात्य (जोड़ना) तथा वासितक (पानी चढ़ाना) आदि काम हैं। सोने चुराने के—१ तुला विषम (डंडी मारना), २ अपसारण (निकाल लेना) ३ विश्वावण (पिघला कर निकाल लेना), ४ पेटक (मोड़ कर निकाल लेना) तथा ५ पिंक (तपाना) आदि ढंग हैं।

(१) तुलाविषम। खराब तुला के—I सन्नामिनी [मुड़ी डंडी की], II उत्कीर्णिका (पकड़ने का स्थान जिसका ऊंचा हो) III भिन्नमस्तका (टूटी हुई), IV उपकंठी (खोखले गले वाली), V कुशिकया (जिसकी रस्सी खराब हो) VI सकटुकच्छ्या (बुरे पलड़े वाली) VII पारिवेल्या (मुड़ी हुई) तथा VIII अयस्कान्त (चुंबक लगी) आदि आठ भेद हैं।

(२) अपसारण। दो भाग चांदी तथा एक भाग तांबे का नाम त्रिपुटक है। जब खान से निकालने के बाद चांदी तांबा चोरी से अलग किया जाता है। तो उसको त्रिपुटक से निकाला हुआ (त्रिपुटका-वसारित) कहते हैं। तांबे से शुल्वावसारित (तांबे से निकाला हुआ), वेङ्कक (तीक्ष्ण तथा चांदी का मिश्रण) वेङ्ककावसारित (वेङ्कक से चुराया हुआ) और आधे तांबा मिले सोने से हेमावसारित (सोने से निकाला हुआ) धातुओं की चोरी के मिश्र मिश्र नाम हैं।

मूकसूषा, पृतिकिट्ट, करटुकमुख, नालीसंदश, जौगनी, शोरा, सज्जीखर आदि सोना निकालने के मिश्र मिश्र तरीके हैं।

(३) विस्तावण । सुनार लोग चालाकी कर सोने को इस तरह पिघलाते हैं कि उसका कुछ भाग आगमें पहिले से ही पड़े धातु के साथ मिल जाय । बहुधा परीक्षा के समय उसको दूसरी धातु स बदल लेते हैं और इस प्रकार सोना निकाल लेते हैं । इस को विस्तावण कहते हैं । किसी एक धातु को दूसरी धातु के सहरे चुराने को भी यही नाम दिया जाता है ।

(४) पेटक । पत्तर पीट कर बनाये जाने वाले गहनों में मोड़ना जाड़ना तथा पत्तर चढ़ाना आदि काम करना पड़ता है । प्रायः जस्त पर सोने का पत्ता चढ़ाया जाता है और उसको मोम से जोड़ा जाता है । इस को गाढ़पटक या पत्तर पीटकर गहना बनाना कहते हैं । इसमें पत्तरों के बीच में कोई दूसरी चोज डाल कर सोना चुरा लिया जाता है । प्रायः एक पत्ते से दोपत्ते तक चढ़ाये जाते हैं । बीचमें तांबा या तांबे का तार या तांबे का पत्ता रखकर सोना निकाला जाता है । जिन गहनों में अन्दर तांबा और बाहर सोना होता है उसका पासा बहुत ही चिकना होता है । जिनमें सोने के दोपत्ते होते हैं उनमें तांबे के तार या पत्ते क सट्टश चिकनाहट रहती है । ऐस गहनों में कोई बईमानी को कसौटी के द्वारा या तपाने के द्वारा पता लगाया जाय । यदि बिना किसी प्रकार की किरकिराहट के कसौटी पर लकार आवे तो उसको शुद्ध समझना चाहिये । लवण के तथा बेर के तजाब में डालकर जो सोना चुराया जाता है उसका भी पेटक ही कहते हैं ।

बालू तथा सिंगरफ के साथ मिलाकर पोलो धरिया में या जतु-गांधार तथा बालू के साथ मिलाकर पक्की धरिया में डाला सोना तपाया तथा पिघलाया जाय तो स्वच्छ हो जाता है । लवण कोयला तथा कटुशर्करा के साथ मिलाकर साधारण वर्त्तन में गरम करने पर सोना ज्यों का त्यों बना रहता है । काथ में डालते ही यह शुद्ध हो जाता है । अमुक अष्टक के साथ दोहरी धरिया में गरम करने पर ठीक हो जाता है । यदि उसको बन्द कांचके वर्त्तन में रखे पानी में डाला जाय तो उसका एक भाग उसीमें घुल जाता है । मणि चांदी सोना आदि घने तथा पोले धातुओं का पिंक किया जाता है ।

[५] पिंक । धातुओं के तपाने पिघलाने तथा शुद्ध करने का नाम ही पिंक है ।

इसालेये अध्यक्ष को चाहिये कि हीरा मणि मोती मुँगा तथा चांदी की जात रूप रंगत राशि तथा चिन्ह आदि को देख कर गहने के लिये दे ।

पुराने गहनों के सुधरवाने तथा नये गहनों के बनवाने में—१ परिकुट्टन, २ अवच्छेदन ३ उम्बेखन तथा ४ परिमर्दन यह सोने के चुराने के चार तरीके हैं ।

१. परिकुट्टन । पोले सख्त या सोने के डले को पत्तर पीटने के बहाने जब कूटते हैं [और इस प्रकार कूट कर सोना चुरा लेते हैं] तो उसको परिकुट्टन कहते हैं ।

२. अवच्छेदन । बिगड़े हुए गहने को जब किसी वर्तन में रखकर अन्दर ही अन्दर छीलत है तथा जस्ते पर से सोने का पत्तर अलग करते हैं तो उसको अवच्छेदन, कहते हैं ।

३. उम्बेखन । ठोस गहने पर जब नकाशी करते हैं तो उसको उम्बेखन कहते हैं ।

४. परिमर्दन । हड्डताल मनसिल सिंगरफ आदिकों में से किसी एक को कुरुविन्द (रत्न या धातु विशेष) के चूर्ण के साथ मिला कर और उसको कपड़े में रखकर रगड़ने का नाम परिमर्दन है । परिमर्दन से सोने तथा चांदी के वर्तन घिस जाते हैं और देखने में ज्यों के त्यों बने रहते हैं ।

दूटे हुए ढुकड़े हुए तथा घिसे हुए गहनों में सोने की चोरी का अनुमान उसी के समान गहने के द्वारा पत्तर वाले गहनों में जितना पत्तर ढूटा हो उसी के द्वारा और बिगड़े हुए गहनों में तपाने तथा पानी में रगड़ने के द्वारा सोने का चोरी को पता लगाना चाहिये ।

सुवर्णाध्यक्ष—अवक्षेप [इधर उधर सोने को रखना], प्रतिमान [वट्टे], अग्नि, गंडिका, (निर्हाई), भंडिका (घरिया), आधिकरणी (आसन या बैठने की चौकी), पिच्छु (कटिया), सूत्र (सूत) चेल्हबोल्हन (कपड़ा ?), पगड़ी, उत्संग (जंघा), मात्किका (मक्खी ? , ,

शरीर निरीक्षण (शरीर को इधर उधर देखना), उदक शराब (सोना बुझाने का पानी से भरा बर्त्तन), तथा अग्निष्ठ (जिस में आग रहती है) इत्यादि बातों को देखकर सोने की चोरी तथा सुनार की बेर्डमानी का अनुमान करे। मैली, बदबूदार, सख्त, दरारपड़ी, बदरंग चांदी को रही समझे ।

इस प्रकार नयी पुरानी तथा बदसूरत तथा बिगड़ी हुई चीजों की परीक्षा करे और अपराधी पर पूर्व लिखित नियमों के अनुसार जुर्माना करे ।

३३ प्रकरण ।

कोष्ठागाराध्यक्ष ।



कोष्ठागाराध्यक्ष—१ सीता, २ राष्ट्र, ३ क्रियम, ४ परिवर्तक, ५ प्रामित्यक, ६ आप्रामित्यक, ७ सिंहानिका द अन्यजात, व्ययप्रत्याय, १० व्याजी, तथा ११ उपस्थान नामक राज्य करों को एकांत्रित करे ।

१. सीताः—सीताध्यक्ष के द्वारा एकांत्रित किये गये अनाज आदि को सीता कहते हैं ।

२. राष्ट्रः—राष्ट्र से तात्पर्य—पिंडकर [स्थिर या नियत कर], ढठा भाग, सेनाभक्त [सेना के लिये गांव से रसद तथा बेगार लेना], बलि [धर्म विषयक कर], कर [राज्यस्व], उत्संग [राज कुमार के जन्म पर डाली उपहार नजराना आदि के रूपमें आया हुआ राज्य कर], पार्श्व [बचा हुआ राज्य कर], पारिहीणिक [हरजाना, या नुकसान भरना], औपायानिक [अन्य समयों में भेजी गई डाली उपहार आदि] तथा कौष्ठेयक (वस्तु भंडार से संबद्ध अन्य बहुत से कर) आदिक राज्य करों से है ।

३. क्रियमः—क्रियम (खरीदने से प्राप्त) से तात्पर्य—धान्य मूल्य (धान्य का दाम), कोशनिहार (खजाने के लिये जो चीजें खरीदीं तथा प्राप्त की गई हों) तथा प्रयोग-प्रत्यादान (प्रयोग करने के बदले में जो चीजें ग्रहण की जाय) से है ।

४. परिवर्तकः—अनाज आदि का दूसरी चीज से विनियम करने का नाम परिवर्तक (परिवर्तन से प्राप्त करना—barter) है।

५. प्रामित्यकः—दूसरे राष्ट्र से अनाज आदि समय पर मांग लेना प्रामित्यक कहाता है।

६. आपामित्यकः—मांगे हुए अनाज के बदले अपने यहां से जो अनाज दूसरों को दिया जाय उसको आपामित्यक कहते हैं।

७. सिंहनिका:—कूटने (कुट्टक), दरोरने (रोचक), सर्त पीसने, सिरका या शराब ढालने, कोल्ह में तेल पिराने तथा ईख पेरने आदि को सिंहनिका कहते हैं।

८. अन्यजातः—नुकसान हुई तथा खोयी हुई चीजों को अन्यजात कहा जाता है।

९. व्ययप्रत्यायः—किसी दूसरे स्थान में धन को व्याज पर लगाना, कुस्थान में लगे हुए धन की बचत तथा अवशिष्ट धनको व्ययप्रत्याय कहते हैं।

१०. तोलने या मापने के बाद जो एक मुद्री अनाज या थोड़ा सा द्रवपदार्थ और अधिक दिया जाता है उसको व्याजी कहते हैं।

११. उपस्थानः—राज्य कर को एकत्रित करना तथा पुराने छोड़े हुए टैक्स को वसूल करना उपस्थान कहाता है।

धान्य, स्नेह ज्ञार तथा नमक तथा धान्य की भिन्न भिन्न किसी के विषय में सीताध्यक्ष के प्रकरण में प्रकाश डाला जायगा।

धी तेल, वसा तथा मज्जा (चर्बी) आदि स्नेह (चिकने द्रव्य) के भेद हैं (स्नेह वर्ग)

राब, गुड़, गुड़ की सफेद डली (मत्स्यांडिका), खांड तथा शक्कर ज्ञार के भेद हैं (ज्ञार वर्ग)

सेंधा, सामुद्र, बिटिया, जवखार, सज्जी, तथा रेंदका नमक आदि नमक के भेद हैं (लवण वर्ग)

मक्खी तथा मुनक्के की शहत् मधु कहलाती है [मधुवर्ग]

इस का रस, गुड़, शहत, राब, जामुन, कटहल आदि मेडार्सिंगी तथा पीपर, के काथ में महीना, छुः महीना तक तथा साल भर तक डालने के बाद या खिक्सा, जेठुई ककड़ी, ऊंख, आम, आंवला, आदि में सड़ाने के बाद जो चीज़ तैयार हो उसको सिरका कहते हैं (शुक-वर्ग) ।

अमलवेत, करोंदा, आम, अनार, आंवला, विजौरा निंबू, भर-बेरी, बेर, प्याँदी बेर, फालसा आदि खट्टे फलों के भेद हैं (फलाम्ल वर्ग) ।

दही तथा कांजी आदि पनीली खट्टी चीज़ें समझी जाती हैं (द्रवाम्ल वर्ग) ।

पिण्परी, मिर्च, अदरक, मंगरला, चिर यता, सफेद सरसों, धनियां, चोरक, मरुआ, दौना, तथा सहजन की फली आदि कटुए पदार्थ हैं (कटुक वर्ग) ।

सूखा मच्छ्री का मांल, कन्द, मूल, फल शाकादि शाक के भेद हैं (शाक वर्ग) ।

इन सब उपरिलिखित पदार्थों का आधामाग ही सालमें खर्च किया जाय और आधा भाग आपत्ति पड़ने पर जनता को बचाने के लिये रखा जाय । जब नई फसल आवे तो पुराने को नये से बदल दिया जाय ।

कूटने, घिसने, पीसने तथा भूनने पर गीले, सूखे तथा पके हुए धान्यों में कितनी वृद्धि तथा हास होता है और उनकी कितनी आकृति बढ़ती है इसको अन्दाज करके देखा जाय ।

कूटने तथा भूसी अनकालने पर कोदों के धान में आधा, शाली धान में $\frac{1}{2}$ भाग कम (आधा) कंकुनी के चावल में आधा और मोटे चावल में $\frac{1}{2}$ भाग कम (आधा) असली चावल निकलता है । चमसी मूंग तथा उर्द में $\frac{1}{2}$ कम (आधा), शैब्य में आधा और मसूर में $\frac{1}{2}$ कम (आधा) असली दाल निकलती है ।

भिगोये हुए चने तथा मटर $\frac{1}{2}$ और जौ २ गुना हो जाते हैं । आटा या तुच्छ धान भी भीगने पर दुगुने हो जाते हैं ।

कोदों का धान, बनकुलथी, कोदों (उदारक), तथा कंकुनी के चावल पकाने पर तीनगुना, साधारण चावल चारगुना तथा महीन

चावल (शाली) पांचगुना हो जाते हैं। भिगोने पर अनाज दुगने और यदि उनके अंकुआ निकल आया है तो छ्योड़े हो जाते हैं। भुंजुआ के यहां से भुंजुआई हुई चीजें भिगोने पर पांचवा भाग बढ़ाती हैं। मटर लावा तथा भहआ (भरुजा) दुगने हो जाते हैं।

तीसी तथा अलसी में छुठा भाग, नींबू, कुशा धास, आम तथा कैथे में पांचवां भाग और तिज्ही वर्ण महुआ तथा गोंदी में चौथा भाग तेल निकलता है। कपास तथा तीसी के डंटल के पांच पल में पलभर सूत निकलता है।

भोजन के लिये (सरकारी भत्ता) हाथी के बचे को—महीन चावल ५ द्रोण तथा मोटा चावल १० आढ़क, हाथी को ११ आ०, सवारी के घोड़े को १० आ०, लड़ाई के घोड़े को ६ आ०, पदातियाँ को ८ आढ़क, मुखियाँ को ७ आढ़क, देवी तथा राजकुमार को ६ आ०, और राजा को ५ आढ़क,—एक आर्य को, किनी राहित शुद्ध चावल १ प्रस्थ, $\frac{1}{2}$ प्रस्थ दाल, दाल का $\frac{1}{12}$ भाग नमक तथा $\frac{1}{2}$ भाग धी या तेल—साधारण आदमियाँ या मेहनती मजदूरों को उपरिलिखित दाल का $\frac{1}{8}$ भाग तथा धी तेल का $\frac{1}{2}$ भाग—स्त्रियाँ को सब चीजों का $\frac{3}{8}$ भाग—और बच्चों को $\frac{1}{2}$ भाग दिया जाय। इसी प्रकार मांस २० पल, धी या तेल $\frac{1}{2}$ कुड़ंब नमक १ पल, खार १ पल, मसाला॒धरण और दही॒॑प्रस्थ भत्ते के रूप में बांटा जाय। अन्य चीजों के भत्ते के नियमों का अनुमान इसी से कर लेना चाहिये। दृष्टान्त स्वरूप तरकारी ड्यौढ़ी और सूखी चीजें दुगुनी करके देनी चाहिये। हाथी तथा घोड़े के विषय में उनके अपने अपने अध्यक्षों के प्रकरण में प्रकरण डाला जा सकता है। बैलों को—१ द्रोण उर्द तथा जौ का पुलाव-घाड़ों से आधक मिले और साथ ही उनको खली १ तुला और अनाज की किनी या भूसी १० आढ़क दी जाय। भैंस तथा ऊंट को इस का दुगुना, गदहे तथा बुंदकी पार हिरनों को $\frac{1}{2}$ द्रोण, बड़े हिरनों को १ आढ़क, भेड़ बकरा तथा सुअर को $\frac{1}{2}$ आढ़क, कुत्तों को १ प्रस्थ चावल, हंस क्रौंच तथा मोरों को $\frac{1}{2}$ प्रस्थ और शेष बचे मृग, पशु पक्षि तथा हिंसक जन्तुओं को अनुमान से अनाज दे। कोयला तथा भूसी लोहार तथा भीत लेपने वाले लोग लेवें। दास मेहनती मजदूर अनाज फंट करने तथा

सूप बनाने वाले अनाज की कनियाँ पावें और इसके बाद जो अनाज बचे वह चावल पकाने वाले तथा पूँडी बनाने वाले ग्रहण करें।

उपकरण (ओजार, साधन आदि) शब्द का तात्पर्य—तराजू, बट्टा, चकिया, मुसल, उलूखल, कुट्टक (हमामदिस्ता, कूट्टने का वर्तन), रोचक यंत्र (दाल दरने वाला) पत्रक (छिलका अलग करने वाला), सूप, छुलनी, संदूकड़ी, पिटारा तथा भाड़ आदिक से है। विष्टि (बेगार, मेहनती, मजदूर) शब्द का मतलब-भाड़ देने वाला (मार्जक), रखवाला (रक्षक), धरने वाला (धरक), मायक (तोलने वाला), मापक (मापने वाला), देने वाला (दायक), दिलाने वाला (दापक), डंडीदार (शलाकाप्रति ग्राहक), दास तथा कर्मकर (मेहनती) आदि लोगों से है।

आनंद देरी में, खार बोरों (मूत्र में, घो तेल मझे तथा लकड़ी के वर्तनों में और नमक जमीन में रखा जाता है।

३४ प्रकरण । पण्याध्यक्ष ।

पण्याध्यक्ष स्थल पथ तथा बारि पथ से आने वाले स्थल वा जल में पैदा होने वाले पदार्थों की उपयोगिता (सार) अनुपयोगिता (फल्गु) बाजारी कीमत का उतार चढ़ाव, मांग (गियता) तथा अप्रियता का ज्ञान रखें। और साथ ही यह भी जाने कि उनके विभाग (विक्षेप), एकत्रीकरण (संक्षेप), क्य, विक्रय तथा प्रयोग का कौन सा समय है।

जो चीज़ अधिक हो उसको सब ओर से एकत्रित कर एक कीमत पर बेंचे। जब उस कीमत पर मांग अधिक हो तो दूसरी कीमत नियत करे। स्वदेशी राजकीय पदार्थों को एक कीमत पर और विदेशी माल को भिन्न भिन्न कीमत पर बेंचे। परन्तु सब कीमतों में प्रजा के हित को ही मुख्य रखना चाहिये। प्रजा को जिससे नुकसान पहुँचे ऐसा थोड़ा सा लाभ भी न ग्रहण करे। जो चीज़ रोज़ाना जरूरत की हो उनकी प्राप्ति में देर न लगावे और उनका एकाधिकार कर अधिक दाम भी न ग्रहण करे।

दूकान दार भिन्न प्रकार के राजकीय पदार्थों को नियत दाम पर ही बेचें। यदि उनसे माल नुकसान हो जाय तो सरकार को नुकसान भरे (वंधरण दें) नापकर बेचे जाने वाले पदार्थों का $\frac{1}{2}$ भाग, तोलकर बेचे जाने वाले पदार्थों का $\frac{1}{2}$ भाग और गिन कर बेचे जाने वाले पदार्थों का $\frac{1}{2}$ भाग राज्यस्व के रूपमें लियाजाय।

विदेशी माल मंगाने वाले व्यापारियों पर अनुग्रह रखा जाय। नाविकों तथा विदेशी व्यापारियों को लाभ के अनुसार चुंगी माफ करदी जाय। हिस्सेदारों तथा स्थानीय सभ्यों को छोड़कर विदेश से माल मंगाने वाले विदेशियों पर कर्जे के संबंध में मुकदमा न किया जाय।

सरकारी माल के बेचने से जो आमदनी हो उसको-पण्याधिष्ठाता छिद्रवाली बन्द संदूकची में डाल दें। दिनके आठवें भागमें “इतना माल बिका है और इतना बचा है” यह कह कर संपूर्ण धन पण्याध्यक्ष को खुपुर्द कर दें और साथ ही तराजू गज तथा संपूर्ण पदार्थ भी उसीको दे दें। स्वदेश में इन्हीं नियमों के अनुसार क्य विक्रय है। परदेश में तो-पराय-प्रतिपएय (एक दूसरे के बदले में आने वाला माल) के मूल्य में से चुंगी, लड़क कर, गाड़ी का खर्चा, छावनी का कर, नौका भाड़ा, आदि का खर्चा घटाकर शुद्ध लाभ का अनुमान करे। यदि इस ढंगपर लभन मालम पड़े तो यह देखे कि स्वदेशी पदार्थ के बदले कोई ऐसा विदेशी पदार्थ लिया जा सकता है जो कि लाभ कर हो। इस ढंगपर विचार करने के बाद कुछ माल तो जमीन के रास्ते से रखाना करे और जंगल-रक्षक, अंतपाल, नागरक तथा राष्ट्र मुखिया लोगों से मेल जोल बढ़ाता रहे ताकि सरकारी माल पर वह लोग विशेष अनुग्रह रखें। विषय से अपने आपको तथा बहुमूल्य माल को बचावे। यदि वह अपने इष्ट स्थान तक न पहुंच सकता हो तो जो चुंगी आदि टैक्सों से राहित बाजार हो उसमें बैच दे।

जल मार्ग से विदेश में माल भेजने से पूर्व-गाड़ी खर्चा, भोजन व्यय, विनिमय में आने वाले विदेशी माल का दाम तथा मात्रा, मात्रा काल, भयसे बचने का उपाय और बन्दरगाहों के नियमों के विषय में पूछ तांछ करे।

मिश्न २ नगरों के नियमों को जान कर नदी मार्ग से दूसरे राष्ट्रों में [बैचने के लिये] जहां लाभ देखे वहां माल भेजे और जहां नुकसान मालूम पड़े वहां से दूर रहे ।

३५ प्रकरण ।

कुप्याध्यक्ष ।

कुप्याध्यक्ष जांगलिक पदार्थों का अध्यक्ष) द्रव्यपालों तथा बनपालों के द्वारा जांगलिक पदार्थों को एकत्रित करवाये और जंगलों में कारखाने स्थापित करे । जो लोग जंगलों को काढ़े उनसे राज्यस्व तथा जुरमाना ग्रहण करे वशर्तोंके वह किसी विपत्ति में पड़ कर ऐसा करने के लिये तैयार न हुए हों ।

कुप्य से तात्पर्य—शाक, तिशीपसाई (तिशी का चावल), अर्जुन, महुआ, तिल, लोध, सागवान, शीसम, विद्युर, तिशी, शिरीष, खेर, देवदार, ताङ, राल, अश्वकर्ण, कत्था, मांसरोहिणी, रोहिणी आध्रप्रियक, धव का फूल, इत्यादिक पदार्थों से है (कुप्यवर्ग)

उट्ज, चिमिय, चव, वेणु, सातिन, कंटक, मोरठ तुण आदि बांस की जाति है (वेणुवर्ग)

बैंत, अशोक, बेल, वासी, श्यामलता, नागलता (नागफली) आदि बेलों की जाति हैं (वज्जी वर्ग)

चमेली, दूर्वाघास, आक का पेड़, सन, छोटी ज्वार, अलसी आदि डंठल वाले पौदों की जाति हैं (वल्क वर्ग)

मूँज तथा बल्वज्ज रसी बनाने के पदार्थ हैं (रज्जुभांड)

ताङी, ताल, भूर्जपत्र आदि के कागज बनाते हैं (पत्र)

पलाश, बरं तथा केसर फूल कहाते हैं (पुष्प)

कन्दमूलफल आदिक औषधियां हैं (औषधि-वर्ग)

कालकूट, वत्सनाभ, हालाहल, मेषशृंग, नागरमोथा, कुष्ठ, महाविष, बेश्मितक, गौर, आद्रबालक, मार्कट, हेमवत, कालिंग, पारद, कांकोख, सार, क्रोष्टक, आदिक विष के भेद हैं (विष वर्ग) इसी प्रकार घड़े में बन्द किये हुए सांप तथा किंडे आदि भी विष वर्ग में ही माने जाते हैं ।

गोह, सेरक, चीता, सूंस, सिंह, व्याघ्र, हाथी, भैंस, सुरागाय, गैङ्डा, गज, हारेन तथा गवय आदि का और अन्य मृग पशु पक्षि तथा शिकारी जानवरों का चमड़ा, हड्डी, पित्त, अंतड़ी, दांत, सोंग, खुर पूँछ आदि एकत्रित की जांय ।

कालालोहा, तांबा, बृत्त, कांसा, जस्ता, रुंग, कच्छाहीरा तथा पीतल लोह नाम से पुकारे जाते हैं ।

छाल बैंत या मट्टी के बर्तन बनाये जाते हैं ।

अंगार, तुषभस्म (भूसी का कोयला) आदि कोयला । मृग पशु पक्षि तथा व्याल और लकड़ी तृण आदि का संप्रह किया जाय ।

किले तथा नगर की रक्षा के लिये जो जो पदार्थ उपयोगी हों उनको शहर के बाहर या अन्दर कारखाने स्थापित कर एक एक करके तैयार करवाया जाय ।

३६ प्रकरण । आयुधागाराध्यक्ष ।

आयुधागाराध्यक्ष [हथियारों का प्रबंधकर्ता] कार्य काल तथा वेतन के अनुसार काम करने वाले कारीगरों से ऐसे वक्ष, यंत्र, हथियार, कवच तथा उपकरण तैयार करवाये जोकि संग्राम, दुर्ग तथा शत्रु के नगर पर आक्रमण करने के लिये उपयोगी हों । जो कारीगर जिस योग्य हो उसको उसी पद पर नियुक्त करे । वारंवार उनके स्थान का परिवर्तन करे और धूप तथा हवा मिलने का प्रबंध करे । जो हथियार भाफ, नमी, गरमी सरदी, किमि [कीड़ि] से खराब हो जाने वाले हों उनको अन्यत्र रखे । उनकी जाति, रूप, लक्षण, प्रमाण [आकृति] आगम [प्राप्ति] मूल्य तथा गुण कार्य (निवेप) के अनुसार निम्न लिखित वर्गोंकरण करे ।

(१) स्थितयन्त्र । सर्वतोभद्र (सब ओर मार करने वाला), जामदग्न्य 'शत्रु विशेष' बहुमुख (जिसके बहुत मुख हों), विश्वास-घाती, संघाटी (किलों में आग लगाने वाला लंबा बांस) यानक (रथ पर से फेंकने योग्य यंत्र) पर्जन्यक (पानी बुझाने का यंत्र),

अर्धबाहु तथा ऊर्ध्वबाहु (शत्रु पर गिराने के योग्य खंभा) स्थित यंत्र कहाते हैं ।

(२) चलयंत्र । पंचालिक (कीलों वाला फटा), देवदंड (कीले लगा बांस), सूकरिका, मुसल, यषि (डंडा), हस्तवारक, तालवृत्, मुद्र, गदा, स्पूकला, कुहाल (कुदाली) स्फाटम, औदाटिम (उखाड़ने वाला), शतघ्नि (सौं को मारने वाला), प्रिश्वल, चक्र यह चलयंत्र के नाम हैं ।

(३) हुलमुख शक्ति, प्रास, कुन्त, हाटक, भिडिवाल, शूल, तोमर वराहकर्ण, कण्य, कर्पण तथा त्रास हुलमुख (घातक मुख वाले) श्रेणी के हथियार हैं ।

(४) धनुष । कार्मुक, कोदंड, द्रूण तथा धनुष क्रमशः ताढ़, बांस लकड़ी तथा हड्डी के होते हैं ।

(५) ज्या । मूर्वा, आक या मंदार, सन, गवेषु, बांस तथा अंतड़ी या आंत की ज्या होती है ।

(६) इषु । वेणु, शर, शलाका, दंडासन तथा नाराच इषु (वाण) के भवन भिन्न भेद हैं ।

(७) खड़ । निर्स्त्रश, मंडलाप्र, आसि तथा यषि खड़ (तलवार) की हो भिन्न भिन्न जातियाँ हैं ।

(८) त्सरु (मूठ) । गेंडा, भैंस, हाथीदांत, लकड़ी तथा बांस की मूठ होती है ।

(९) छुर (कुरा) । परशु (फरसा), कुठार (कुलहाड़ी), पट्टस (पटा), खनित्र (फावड़ा आदि), चक्र तथा कांडच्छेदन छुर वर्ग के हथियार हैं ।

(१०) आयुध (हथियार) । यंत्र, गोष्पण, मुषि, पाषाण तथा रोचनी इषद (चाकिया के पाट) आयुध के भेद हैं ।

(११) वर्म (कवच का भेद) । लोह चालिका सारे शरीर को ढांपने दाला), पट्ट (हाथ छोड़कर सारे शरीर को ढांपने वाला), कवच, सूत्रक (तार का बना) आदिक वर्म या कवच कर्कट, शिंशु-मारक, खड़ि (गेंडा), धेनुक, हस्ति, गोचर्म, खुर तथा सोंग से बनाये जाते हैं ।

(१२) आवरण (ढाल तथा शरीररक्षक) । शिरस्त्राण (सिर का रक्षक दोपा), कंठत्राण (गले का रक्षक), कूर्पास (शरीर या पैर ढाँकने का) कंचुक, वारवाण (पैर तक लंबा कोट), पट्ट, नागोदरिका (दस्ताने) वेरि, चर्म, हस्तिक, तालमूल, धमनिका, कवाट, किटिक, अप्रतिहत तथा बलाहकान्त आदि आवरण के भेद हैं ।


(१३) उपकरण । हाथी रथ तथा घोड़े आदिकों के योग्य गहने कपड़े लत्ते तथा युद्ध संबंधी सामान को ही उपकरण (सामिग्री) कहते हैं ।

कारखानों (कर्मान्त) के ऐन्द्रजालिक और औपनिषदिक (परवात संबंधी चमत्कारपूर्ण काम) काम भी आयुधागार में रखा जाय ।

आयुधेश्वर (हथियारों का प्रबंधकर्ता) युद्ध उपयोगी पदार्थों की मांग, उत्पत्ति, उपलब्धि, प्रयोग, उत्पत्तिव्यय तथा क्षयव्यय (नाश तथा खर्च) का ज्ञान प्राप्त करे ।

३७ प्रकरण ।

तोल माप ।



पौत्रवाध्यक्ष (तोल-मापका अध्यक्ष) तुला तथा बाट बनवाये ।
दृष्टांतस्वरूप--

१० उर्द का दाल	= ५ रत्ती
५ रत्ती	= १ सुवर्णमाषक
१६ सुवर्णमाषक	= १ सुवर्ण वा कर्ष ।
४ कर्ष	= १ पल ।
*	*
दद सफेद सरसों	= १ रुप्य माषक
१६ रुप्य माषक	= २० शैव्य
*	*
२० चावल	= १ धरण
*	*
	= १ वज्रधरण ।

अर्धमाष्टक, माष्टक, दो मासा, चार मासा, आठ मासा,
दो सुवर्ण, चार सुवर्ण, आठ सुवर्ण, दस सुवर्ण, बीस
सुवर्ण, तीस सुवर्ण, चालोस सुवर्ण, सौ सुवर्ण—नामक
तोलने के बहु बनाये जाय । धरण से सबंध रखने वाले
बहु भी इसी ढंग पर तैयार किये जाय ।

मागध तथा मेकड़ देश में मिलने वाले लोहे तथा पत्थर के
या किसी ऐसी चोज़ के, जो कि पानी से न बढ़े और गरमी से न
घटे—बहु बनाये जाय । छै अंगुल लंबी तथा १ पल भारी तुला से
प्रारम्भ कर क्रमशः एक पल भार में तथा ८ अंगुल लम्बाई में
बढ़ती हुई १० तुला तैयार की जाय । लम्बाई में एक ओर या
दोनों ओर नम्बर लगा दिये जाय और बीच में कांटा रखा जाय ।
समवृत्ता नामक तुला ७२ अंगुल लंबी और ५३ पल भारी होती
है । इसमें ५ पल का कांटा होता है । १८ पल, १० पल, १२ पल, १५
पल, २० पल, से प्रारम्भ कर १०० पल तक के नम्बर लगे होते हैं ।
बीच में स्वस्तिका का चिन्ह बनाया जाता है । समवृत्ता से भी
बड़ी परिमाणी होती है जो कि दुगुनी भारी और ६६ अंगुल लंबी
होती है । इसमें भी २०, ५० तथा १०० की संख्यायें अंकित
होती हैं ।

२० तुला	= १ भार
१० धरण	= १ पल
१०० पल	= १ आयमानी(राजकीय आयमापक)

सार्वजनिक तथा अन्तःपुर भाजिनी तुला (अन्तःपुर में
काम आने वाली) क्रमशः ५ पल कम होती है । इनमें पल आधा
धरण, उत्तर लोह दो पल और लम्बाई ६ अंगुल कम होती है । *

* १० धरण =	१ पल (आयमानी)
६ १/२ " =	१ पल (साधारण या व्यावहारिकी तुला)
६ १/२ " =	१ पल (राजकीय सेवकों की तुला = भाजिनी)

लं० इचों में भार पलों में—

आयमानी.....	७२.....	५३
व्यावहारिकी.....	६६.....	५१
भाजिनी.....	६०.....	४६
अन्तःपुरभाजिनी.....	५४.....	४७

मांस, लोह, नमक तथा माणि को छोड़ कर अन्य चीजों को उपरिलिखित दोनों तुलाओं में तोलने से ५ पल आधिक तुलता है जो कि राजकीय कोष में जाना चाहिये । लकड़ी की तराजू में आठ हाथ लंबां डंडों, तोलमाप के चिन्ह, पलटा तथा बोच में पकड़ने के लिये रस्सी आदि लगी रहनी चाहिये । २५ तोल पल लकड़ी १ प्रस्थ चावल को पकाने में पर्याप्त है । इससे कम तथा आधिक भी लग सकता है । यह तो एक प्रकार की मध्यमा है । सारांश यह है कि तराजू तुला तथा बट्टे इसी नियम के अनुसार बनाये जाय ।

२०० उर्द के दाने	= १ द्रोण (यह लोहे का बट्टा है)
१८७ ^१	= हर दो चलने वाला १ द्रोण ।
१७५	= नौकरों में चलने वाला १ द्रोण ।
१३२ ^१	= अन्तःपुर में चलने वाला १ द्रोण ।

आढक, प्रस्थ तथा कुड़ुंब एक दूसरे के चौथाई हैं ।

१६ द्रोण	= १ वारी
२० द्रोण	= १ कुंभ
१० कुंभ	= १ वह ।

अनाज तोलने के लिये सूखी लकड़ी का ऐसा मापक वर्तन बनाया जाय जिस का उपरला भाग नीचे के भाग का चौथाई या निचला भाग उपरले भाग का चौथाई हो । रस, सुरा, फूल, फल, कोयला, चूना आदि तोलने का वर्तन नीचे से ऊपर तक कमशः दुगुना बड़ा होता है । भिन्न बट्टों या वर्तनों का दाम इस प्रकार है ।

१ द्रोण का मूल्य	= $\frac{1}{4}$ पण
१ आढक का मूल्य	= $\frac{3}{4}$ पण
१ प्रस्थ का मूल्य	= ६ माषक
१ कुड़ुंब का मूल्य	= १ माषक

+ १ आढक	= $\frac{3}{4}$ द्रोण ।
१ प्रस्थ	= $\frac{3}{4}$ आढक ।
$\frac{3}{4}$ कुड़ुंब	= $\frac{1}{4}$ प्रस्थ ।

रस आदिक तोलने के वर्तनों का दाम दुगुना और संपूर्ण बहुओं का दाम २० पण और तुला का दाम इनका तिहाई होना चाहिये । पौत्रवाध्यक्ष तोल के बहुओं तथा वर्तनों को “प्रामाणिक” बनाने का कर (प्रतिवेधनिक) ४ माषक ले । जो “प्रामाणिक” बहुओं या वर्तनों को काम में न लावे उस पर २७ $\frac{1}{2}$ पण जुरमाना किया जाय । व्यापारी लोग कारोबार करने के कर के रूप में १ काकिणी प्रतिदिन पौत्रवाध्यक्ष को दिया करें । धी बनाने तथा गरम करने का राज्यस्व (व्याजी) $\frac{1}{2}$ भाग और तेल का $\frac{1}{2}$ भाग ग्रहण किया जाय । पनीली पतली चीजों का पच्चासवां भाग बह कर नष्ट हो जाता है । अतः उतनी कमी का ख्याल न रखा जाय । कुड़ुंब के $\frac{3}{2}$ तथा $\frac{1}{2}$ भाग के बहु तथा मान बनाये जाय । धी के तोलन में ८४ कुड़ुंब का और तेल के तोलने में ६४ कुड़ुंब का एक वारक होता है और इस का $\frac{1}{2}$ घटिका कहा जाता है ।

३८. प्रकरण ।

देश तथा काल का मापना ।

मानाध्यक्ष देश तथा कालके मापने के कामों को पूर्णरूप से जाने । (क)

स्थान या देश का मापना ।

८ परमाणु = रथके पहिये से उठ हुए धूली के एक कण के बराबर है ।

८ धूलीकण = १ लिक्षा

८ लिक्षा = १ यूकामध्य

८ यूकामध्य = १ यवमध्य

८ यवमध्य = १ अंगुल । मझले कद के मनुष्य की बीच की अंगुली की बीचकी गांठ का नाम अंगुल है ।

४ अंगुल = धनुर्ग्रह ।

८ अंगुल = धनुर्मुष्ठि ।

१२ अंगुल = वितस्ति (एक बीता) या छांथा पौरुष ।

१४ अंगुल = शम = शल = परिरथ = पद (एक पैर)

२ वितस्ति = १ अरति (२ बीता) = प्राजापत्याहस्त

२ वितस्ति = तोलमाप तथा चरागाइ मापन में
+ १ धनुष्माष]

[२वितास्ति]

१ धनुष्माष] = १ किल्कु = १ कंस

४२ अंगुल = १किल्कु (तरखानों, लोहारों के लिये । छावनी,
केला, राजकीय माप आदि के यही काम आता है)

५३ अंगुल = १हस्त (हाथ) । यह जंगल के मापने में काम
आता है ।

८४ अंगुल १ व्याम । यह गड्ढा, ऊँचाई तथा रस्तों
नापने के काम में आता है ।

४ अरति = १ दंड, = १धनु१ = १ नालिक = १पौरुष

१०८ अंगुल = गाहैर्पत्य धनु । यह मार्ग मकान
आदि के नापने में काम आता है । याक्षिक
लोग इसीका १ पौरुष मानते हैं ।

६ कंस या १६२ अंगुल = १दंड ब्राह्मणों को जो ब्रह्मदेव
नामक भूमियां दी जाती हैं उनके मापने में यह काम आता है ।

१० दंड = १ रज्जु

२ रज्जु = १ परिदेश

३ रज्जु = १ निवर्तन ।

२ दंड + ३रज्जु = १ शाहु

१००० धनु = गोरुत (१मील)

४ गोरुत = १ योजन (२ कोस)

(क)

समय का मापना

समय को— त्रुट, लव, निमेष, काष्ठा, कला नालिका, मुहूर्त,
पूर्वभाग, अपरभाग, दिन, रात, पत, मात, शून्य, अयन, वर्ष, युग
आदि में विभक्त किया जाता है ।

२ त्रुट = १ लव ।

२ लव	=	१ निमेष ।
५ निमेष	=	१ काष्ठा ।
३० काष्ठा	=	१ कला ।
४० कला	=	१ नालिका । चार मासे सोनेकी ४ अंगुल लंबी तार जितने छोटे छुद में से एक आढ़क पानी को बहने में जितना समय लगता है उसको १ नालिका कहते हैं ।

२ नालिका	=	१ मुहूर्त ।
१२ मुहूर्त	=	१ दिन । चैत महीने का (२२मार्च)
१५ मुहूर्त	=	१ रात । अश्वयुजमहीनेका(२२सितंबर)

इस तारीख के बाद तीन तीन मुहूर्त दिनरात प्रतिदिन छः मा स तक घटते बढ़ते रहते हैं । जब धूप घड़ी में छाया ६६ अंगुल लंबी हो तो इसको दिनका आठारहवां भाग समझना चाहिये । और जब ७२ अंगुल लंबी हो तो $\frac{१}{२}$ बां भाग, ४ पौरुष लंबी हो तो $\frac{१}{२}$ भाग और २ पौरुष लंबी हो तो $\frac{१}{२}$ भाग दिनका मानना चाहिये । इसीप्रकार ह द्व्यंगुल लंबाई में $\frac{१}{२}$ भाग, ४ अंगुल लंबाई में $\frac{१}{२}$ भाग और शून्यलम्बाई में मध्यान्ह समझना चाहिये । मध्यान्ह के बाद भी छाया का क्रमइसी प्रकार होता है । आधार के महीने में मध्यान्ह में छाया शून्यपक्ष पहुंच जाती है इसके बाद श्रावण के महीने ६ महीने तक छाया २ अंगुल बढ़ती है और माघके महीने से छ महीने तक छाया २ अंगुल घटती है ।

१५ दिनरात	=	१पक्ष-चांदकीवृद्धिमें शुक्लपक्ष और ह्रास में कृष्ण पक्ष या बहुल पक्ष होता है।
२ पक्ष	=	१ महीना = मास
३० दिनरात	=	१ प्रकर्म मास
३० $\frac{१}{२}$ "	=	१ सौरमास
२६ $\frac{१}{२}$ "	=	१ चान्द्रमास
२७ "	=	नक्षत्रमास ।
३२ "	=	मलमास ।
३५ "	=	अश्ववाह मास ।

४० दिनरात	=	हास्ति वाह ।
२ मास	=	१ ऋतु
वर्षा ऋतु	=	श्रावण तथा प्रेष्ठपद
१ शरत् ऋतु	=	आश्वयुज्ज तथा कार्त्तिक
हेमन्त	=	मार्गशीर्ष तथा पौष
शिशिर	=	माघ फालगुन
वसन्त	=	चैत्र वैशाख
श्रीष्म	=	ज्येष्ठ तथा अषाढ़
उत्तरायण	=	शिशिर के बाद ६ मासतक ।
दक्षिणायन	=	वर्ष के बाद ६ मासतक ।
उत्तरायण+दक्षिणायन	=	१ संवत्सर या वर्ष
५ संवत्सर या वर्षा	=	युग ।

प्रत्येक दिन में सूर्य दिनका साटवां भाग कम करता है और यही बात चन्द्रमा करता है। इसीसे प्रत्येक ऋतु में एक दिन बढ़जाता है। यही बात हर तीसरे सालके बीचमें होतीहै जिस से पहले श्रीष्ममें अर्ध मास पड़ता है और पांचवें सालके बिद अन्त में अर्ध मास होता है।

३९ प्रकरण ।

शुल्काध्यक्ष ।



शुल्काध्यक्ष नगर के मुख्यद्वार के निकट उत्तर या दक्षिण में चुंगीघर तथा उसका झंडा खड़ा करे। चुंगी लेने वाले चार या पांच आदमी विकेय माल के सहित आये हुए बनियों से पूछें कि “आप कौन हैं। आप कहां से आए हैं। कितना माल है। आपने कहां पर माल पर मुहर लगवाई”। वे मुहर माल पर दुगनी तथा जाली मुहर माल पर आठगुम्बी चुंगी लीजाय। जिस माल की मुहर दूटगई हो उसको चुंगी गोदाम (घटिका स्थान) में पड़ेरहने का ही दंड दिया जाय। राज मुहर तथा नाम के बदलने पर

१३ परं भार पीछे वहन नामक राज्य कर लिया जाय । भंडे के नीचे रखे माल का प्रमाण तथा दाम बनिये लोग बतावें । “अमुक माल को अमुक दाम पर कौन खरीदेगा” इस प्रकार तीन घार बोली बोलने के बाद जो मांगे उसको दे दिया जाय । केतांगी की स्थानी से जितना अधिक दाम लगे वह सबका सब मय चुंगी के सरकारी खजाने में पहुँचाया जाय । चुंगी के डरसे माल या कीमत के कम बताने पर जितना माल अधिक निकले और जो अधिक कीमत मिले वह सबकी सब खजाने में जावे । अथवा उसपर आठ-गुन चुंगी लगाई जाय । यही नियम उस समय काम में लाया जावे जबकि व्योपारी ने चुंगी से बचने की खातिर बन्द पेटी में उपरला माल रही और निचला अच्छा रखा हो या बहुमूल्य पदार्थ को अल्प मूल्य पदार्थ से छिपादिया हो । जो लोग दूसरे खरीदार के डरसे माल की बास्तविक कीमत से अधिक कीमत बतावें तो अधिक कीमत राजा लेले अथवा दुगुनी चुंगी लगादेवे । यदि यही अपराध अध्यक्ष स्वयं करे तो उससे चुंगी का आठगुना धन जुरमाने में लिया जाय । पदार्थों का विक्रय तोल कर मापकर या तिनकर किया जाय । साधारण या आनुग्राहिक (जिन पर चुंगी न लगानी हो या कम लगानी हो) द्रव्यों पर अन्दाज से चुंगी नियत की जाय । चुंगी बिनादिये हीं जो लोग चुंगी धरकी सीमाको पार करायेहों उन पर असली चुंगी का आठगुना जुरमाना किया जाय और इसकी जांच पड़ता ल आते जाते लंगों से की जाय । जो माल विवाह से संबंध रखता हो, दहेज में मिलाहो, उपहार के लिये आया हो, यज्ञ वा प्रसव के निमित्तहो, मन्दिर, मुंडन, जनेऊ, विवाह, व्रत, दीक्षा, आदि कार्यों के लिये मंगाई गई हो उस पर चुंगी न लगाई जाय । जो लोग चुंपे से माल निकाल ले आवें उनको चोरी विषयक दंड दिया जाय । चुंगी दिये माल के साथ वे चुंगी दिये माल को तथा एक ही पास पोर्ट से हो घार माल अंदर ले जाने वाले व्योपारी को भी पूर्ववत् दंड दिया जाय । कड़ों की ढेरी में छिपाकर वे चुंगी माल ले आनेवाला को उत्तम दंड दिया जाय जो शहर, घर, कबच, लोह, रथ, रक्ष, धान्य, पशु, आदि प्रतिषिद्ध पदार्थों को अन्दर ले आवें उसको पूर्ववत् दंड दिया जाय तथा उसके माल को छीन लिया जाय । यदि उनमें से किसी एक पदार्थ

को बाहर ही लावे तो उसको चुंगी घरके बाहर ही बेचदिया जावे आरे उसपर चुंगी न ली जाय । अन्तपाल $\frac{1}{2}$ पण सड़क के कर (वर्तीनी) के रूपमें ग्रहण करें ।

बाजारीमालको ढोने वाले एकखुरवाले पशुओं पर १पण, साधारण पशुओं पर $\frac{1}{2}$ पण, छोटे पशुओं पर $\frac{1}{4}$ पण तथा वहंगी वालों पर १ माषक चुंगी लगाई जाय । यदि किसी का माल नष्ट होजाय या चुराया जाय तो उसको अपनी ओरसे पूराकरे । बहुमूल्य तथा अल्प मूल्य विदेशी माल की भली भाँति जांच पड़ताल कर उसपर मुहर लगाई जाय और उसको अध्यक्ष के पास भेजदिया जाय । व्योपारी के भेसमें धूमने वाले खुफिया राजा को बजारीमाल के विषय में समाचार देते रहें । राजा अपने आपको सर्वज्ञ प्रसिद्ध करने के लिये अध्यक्ष से मालक आने जानेके विषय में अपनी ओर से कहे इसके बाद अध्यक्ष व्योपारियों को कह देखो । यह इसका बहुमूल्य माल है और यह इसका अल्प मूल्य माल है ”, राजाके प्रभाव से ही मुझ को यह माल हुआ । तुमको कुछभी न छिपाना चाहिये । जो लोग इसपर भी अल्प मूल्य वाले माल को छिपावें उनपर द गुना चुंगी लगाई जाय और जो बहुमूल्य वाले मालको छिपावें उनका संपूर्ण माल छीन लिया जाय ।

जिस माल से राष्ट्रको नुकसान पहुंचे या कुछभी उत्तम फल न मिले उसको नष्टकर दिया जाय और जो बहुत ही उपकारी हो या दुर्लभ बीजहां उसपर किसी ढंग की भी चुंगी न लगाई जाय ।

४० प्रकरण ।

शुल्क व्यवहार ।

अन्दरुनी, बाहरी तथा विदेशी माल पर ही चुंगी (शुल्क) ली जाय । आयात कर (प्रवेश्य शुल्क) तथा निर्यात कर (निष्काम्य शुल्क) के भेद से चुंगी दो प्रकार की है । आयात के मूल्य का पांचवा भाग तथा फूल फल, शाक, मूल, कंद, पालक का बीज तथा सूखी मच्छी के मांस का छुठा भाग चुंगी में लिया जाय । ठेके पर सरकारी

काम करने वाले करने वाले भिन्न भिन्न चीजों के जानकार शंख, बज्जे, माणि, मोती, प्रवाल तथा मोती की लरी आदि की परीक्षा कर उसपर चुंगी नियत करें। सनिया, मलमल, रेशमी माल, कवच, हड्डताल, मंसिल, सिंगरफ, लोह, रंग विषयक धातु, चन्दन, अगर, मरिच, मध्य-सामिग्री (किरण), पटदा, शराब, दांत, चमड़ा, रेशेदार पदार्थ, पतला कपड़ा, गलीचा, ऊपर डालने का कपड़ा (प्रावरण), बकरी या भेड़ी के ऊन का बना बल्ब आदि के मूल्य का दसवां या पन्द्रहवां भाग चुंगी हो। साधारण कपड़ा, दो पैर के जानवर, चौपाये, सूत, रुई, गन्ध, दवाई, लकड़ी बांस, रेशे वाले पदार्थ, चमड़ा, मट्टी का बर्तन, धान्य, तेल, खार, नमक, शराब, मिठाई या पकान आदि के मूल्य का बीसवां या पच्चीसवां भाग चुंगी में श्रहण किया जाय।

नगर द्वार प्रवेश का कर चुंगी का पांचवां भाग हो। भिन्न भिन्न देशों के अनुसार यह कर छोड़ा भी जा सकता है।

उत्पत्ति स्थान पर कोई भी पदार्थ बेंचा नहीं जा सकता। खानों पर से खनिज पदार्थ खरीदने पर ६०० पण, फूल फल तथा बगीचे से फूल फल लेने पर ५४ पण, तरकारी के खेतों (घंड) से शाक मूल तथा कंद के मोल लेने पर ५१ $\frac{1}{2}$ पण तथा खेतों पर से अनाज मोल लेने पर ५३ पण जुरमाना किया जाय। खेत को नुकसान पहुंचाने वाले पर १ पण से १५ पण दंड दिया जाय।

इस लिये देश जाते तथा गुण के अनुसार नये तथा पुराने माल पर चुंगी तथा नुकसान के अनुसार जुरमाना नियत करें।

४० प्रकरण ।

सूत्राध्यक्ष ।

सूत्राध्यक्ष कारीगरों (तज्जात पुरुष) से सूत कवच कपड़ा तथा रस्सी के काम को करवाये। विधवा, अंगविकल, लकड़ी, वैरागिन् (प्रवजिता), राज्य दंडित, रंडियों की बुड़डी माता, बुड़डी राजदासी, मन्दिर के काम से लुटी देवदासी आदियों से ऊन, रेशे, रुई, झूट,

सन आदि के सूत को कतवाये । सूत की चिकना-हट, मुटाई तथा मध्यमपना देखकर उनका मेहनताना नियत करे । सूत की अधिकता तथा न्यूनता के अनुसार उनको तेल, आंवला तथा बटना पारितोषि के रूप में दे । अधिक मेहनताना तथा मान देकर उनसे तिथि दिनों में काम लिया जाय । द्रव्य के अनुसार सूत की कमी में मेहनताना कम किया जाय । कार्ब की मात्रा, समय, बेतन, फल आदि का ठीका लेकर काम करने वाले कारीगरों से मिलेजुले तथा उनसे काम ले । जो लोग सनिया, रेशमी, अंडी, ऊनी, सूती आदि पदार्थों के कारखानों को खोलें उनको गंध माला, दान आदि पारितोषिकों से प्रसंज तथा संतुष्ट रखे । वस्त्र, गलीचे तथा परदे आदि के कारखानों को नये सिरे से खड़ा करे । कवच आदि बनाने वाले कारीगरों से कवच बनवाये । जो स्त्रियें पर्दे नशीन, विधवा, प्रेषिता (जिसका पति विदेश में हो) अंग विहीन या कम उमर हों और अपना पेट पालना चाहती हों उनसे अपनी दासियों के द्वारा काम ले और बड़ी इज्जत के साथ उनसे बर्ते । जो प्रातः काल स्वयं ही सूत घर (सूत्रशाला) में पहुंचे उनसे पदार्थ ग्रहण करे और उसके बदले उनको धन देदे । इतनी ही रोशनी की जाय जिससे सूत की परीक्षा की जासके । ली का मुंह देखने पर या अन्यविषयक बात करने पर साहस दंड दिया जाय । मेहनताना देने में देरी करने पर या काम बिना ही बेतन देने पर मध्यम दंड दिया जाय । जो मेहनताना लेकर काम न करे उनका अंगूठा काट दिया जाय । यही दंड उनको भी मिले जो कि माल खार्गई हों, माल लेकर भाग गई हों या माल को चुरा लेगई हों । अपराध के अनुसार ही मेहनतियों का मेहनताना काटा जाय । रस्सी बंटने वाले तथा कवच बनाने वाले कारीगरों से स्वयं मिल कर सूत्राभ्यक्त बेत तथा बांस की रस्सी बटवाये ।

सूत या रेशे की बंटी रस्सी का नाम रज्जू और बांस तथा बेत की बंटी रस्सी का नाम वरत्रा है । गाड़ी की जोड़ियाँ इन्ही से बांधी जाती हैं और उनकी लगाम भी इन्ही की बनाई जाती है ।

४१. प्रकरण ।

सीताऽध्यक्ष ।

सीताऽध्यक्ष (कृषि का अध्यक्ष या प्रबंधकर्ता) कृषि-विज्ञान, गुलमशास्त्र, (भारियों की विद्या) वृक्ष विद्या तथा आयुर्वेद में पांडित्य प्राप्तकर, या उन लोगों से मैत्री कर जो कि इन विद्याओं में पंडित हैं—धान्य फूल फल शाक कन्द मूल पातक सन् जूट कपास बीज आदि समय पर इकट्ठा करे । बहुत हलों से जोती हुई भूमि पर दास, कर्मकर, अपराधी आदियों से बीज डलवाये और हल, कृषि संबंधी उपकरण तथा बैल उनको अपनी ओर से दे तथा काम होजाने के बाद लौटाले † तरखान (कर्मार) खटिक (कुट्टाक), तेली, रस्सी बंटने वाले बहेरिये लोगों से उनको सहायता पहुंचावे। यदि काम ढीक न हो तो उनसे हरजाना वसूल किया जाय ।

जांगलिक देशों में १६ द्वोण, दलदल बाँल देशों (आनूप) में २४ द्वोण, अश्मक देश में १३^२ द्वोण, उज्जैनि में २३ द्वोण, अपरान्त में अपरिमित, और हिमालय की तराई में इतनी अधिक वृष्टि होती है कि खेतों को छोटी छोटी नहरों से ही लोग सौंचते हैं । वर्षा ऋतु के आदि अन्त में ^१/_२, और बीच में ^१/_२ वृष्टि होती है ।

बृहस्पति के स्थान गमन गर्भाधानादियों से, शुक्र के उद्य, अस्त तथा गमन से और सूर्य के स्वरूप में विकार होने से वृष्टि का अनुमान किया जा सकता है सूर्य से बीज पड़ता है । बृहस्पतिसे सस्य में डंठल आता है । शुक्र से वृष्टि होती है । जब तीन बादल ऐसे आयें जो कि सात दिन तक लगा तार बरसें, अस्सी बादल ऐसे आयें जो कि बूँद बूँद कर बरसें और साठ ऐसे हों जो कि बदली के रूप में धूप के साथ रहें तब तीन बार खेत जोतने तथा बोने पर अनाज का होना पक्का समझना चाहिये । वृष्टि का

† डाक्टर शाम शास्त्रीने यहां पर शब्दार्थ छोड़कर “हल कृषियान्त बैलआदिकेउनके काममें विलंब न होने पावे” यह अर्थ कर दिया है । जोकि कृषि-लक्षकी पंक्ति से सर्वथा भिन्न अर्थ है ।

हालत देखकर ही खेत में कम पानी लेने वाला या अधिक पानी लेने वाला बीमा डाला जाय। साठी, साधारण चावल, कोदाँ का धान, तिल, कंगनी या काकुन चेना तथा मोट वृष्टि के प्रारंभ में, भूंग उर्द तथा शैब्य बीच में, और कुसुंबा, मसूर, कुलथी, जौ, गेहूं, चना, अतसी तथा सरसों पीछे बोये जाते हैं। इन्हें देखकर ही बीज डाला जाय। अर्धसीरी लोग खाली पड़े खेतों को जोते बोयें। अपनी मेहनत से पैदा करने वाले उपज का चौथा या पांचवां भाग दै बशर्ते पानी लाने में बहुत तकलीफ न पहुंची हो। जिन खेतों को हाथ से पानी भरकर सींचा जाता है उन से $\frac{1}{4}$ भाग, जिन को बंहगी के पानी से सींचा जाता है उन से $\frac{1}{4}$ भाग, जिन में सोते या अरहट का पानी लगता है उनसे $\frac{1}{4}$ भाग तथा जिनमें नदी ताल तलाब तथा कुंए का पानी पड़ता है उनसे $\frac{1}{4}$ भाग उपज का लिया जाय। मेहनती मजदूर तथा पानी का ख्याल करके गरमी सरदी तथा बसन्त का अनाज बोया जाय। चावलादि उत्तम, तरकारी आदि मध्यम और ईख निकृष्ट गिना जाता है। ईख बोने में बहुत सी तकलीफें भेलनी पड़ती हैं और खर्चा भी अधिक होता है। तरबूज खर्बूजा आदि बेलवाली चीजें नदीके किनारे, पिप्पली अंगूर ईखादि नदी की बाढ़ की जमीन में, शाक मूल आदि कुंएसे सींची जाने वाली भूमिमें, हरियाली चीजें दलदल तथा नीची जमीन में, गन्ध, भैषज्य (दवाई), विश, खस, कन्द गुड़ची, आल, मैन-फल आदि खेतके किनारे या मैड की जमीन में पैदा होते हैं—इसबात को समझ कर सूखी तथा गीली जमीन में होने वाली चीजें तथा औषधियां जमीन के अनुसार बोई जाय।

बोने से पहिले धानके बीजों को सात रात तक ओस तथा धूप में,—दाल आदि कोशीधान को तीन रात तक पाले तथा धाम में-कांड बीजों (जिनकी शाखा लगतीहैं) को शहत धी सुअर की चर्बी से युक्त खादमें,—उनके उपरले भाग में मधु तथा धी का लेप तथा कपास के बिये या बिनौले में गोबर का लेप, करके खेतों तथा क्यारियों में,—पेड़ों के बीजों(को जलाये हुये तथा गोबर तथा गौ की हड्डी की खाद से परिपूर्ण गड्ढोंमें—डाला जाय। अंकुर निकलने पर उन-

को सूखी कटु मच्छी की खाद तथा हँड़ के दूध से सींचा जाय ।

सांप की किचुली तथा विनौला एक साथ मिलाकर जलाने से जो धुआं निकलता है उसमें सांप नहीं ठहरते ।

सभी प्रकार के बीजों के शुरुशुर में बोने से पहिले सोना तथा पानी लेकर इस मंत्र को पढ़कर खेत में डोले कि—” प्रजापति काश्यप तथा देवताओं को नमस्कार है । देवी सीता कृपाकर बीजों तथा धनों की बृद्धि करें ”

खवारों, ग्वालों, दासों तथा मजदूरोंको काम के अनुसार भत्ता मिले और साथ ही उनको $1\frac{1}{2}$ पाण महीना वेतन दिया जाय । कारी-गरों का मेहनताना तथा भत्ता काम के अनुसार नियत किया जाय ।

श्रोत्रिय तथा तपस्वि लोग देवताओं पर चढ़ाने के लिये पेड़ों के नीचे निरे हुए फूल फल तथा आग्रयण नामक यज्ञ के लिये चावल तथा जौ उठालें । अवशिष्ट बृत्ति या उच्छ्व बृत्ति (वह मनुष्य जो कि खेत में बिखरे रह गये धान पर निर्वाह करते हों) के लोग बिखरे हुए धान को ग्रहण करें ।

अनाज आदि ज्यों ज्यों पकता जाय त्यों त्यों उसको इकड़ा कर लिया जाय । बुद्धिमान मनुष्य को चाहिये कि खेत में एक दाना भी न छोड़े । खेतों की मेड़े चौड़ी तथा ऊंची हों और दूरदूरपर बनाई जाय । वह ऊपर से चपटी होनी चाहिये [जिससे उन पर मनुष्य चल सकें] । मंडल के अंत में बहुत से खल्यान बनाये जाय । उन में वही मजदूर काम के लिये जाने पावें जिनके पास पानी तो हो परंतु आग न हो ।

४२ प्रकरण ।

सुराध्यक्ष ।

सुराध्यक्ष दुर्ग, राष्ट्र, या छावनी में कारीगरों के द्वारा सुरा-बीजों को तथ्यार कराये । कर्ता, क्रेता तथा विक्रेताओं को छोड़कर

† डाक्टर शाम शर्स्त्री ने ”प्रकारणां समुच्छायान् वलभीर्वा तथाविधाः । न संहतानि कुवांत न तुच्छानि शिरांसि च” इसका अर्थ यों किया है कि “अनाज के ढेर इकड़े न रखे जाय, उनकी चोटी ऊंची हो” परंतु वस्तुतः शोक में प्रकार का तात्पर्य अनाज के ढेर से न होकर मेड़े से है । यही कारण है कि उपरि लिखित अर्थ अधिक अच्छा मालूम पड़ता है ।

जो कोई ग्राम से बाहर या अन्दर शराब को लेजावे या लावे उस पर ६०० पण जुरमाना किया जाय। विक्रय तथा क्रय को देखकर शराब के भट्टे एक स्थान पर एक या अनक लगवावे जाय। श्रमी निर्दिष्ट काम में प्रमाद न करें, आर्थ्य मर्यादा का भंग न करें, तीक्ष्ण उत्साह हीन न हो जाय इस कारण लोगों के ज़रित्र तथा आचार को देखकर छिटांक आधपाव, पाव तथा आधसेर से अधिक शराब किसी को भी न दी जाय। जो इधर उधर न जाय उनको शराब खाने में ही शराब पिलायी जाय।

पेटी में बन्द या खुला गिरों रखा धन, चुराया हुआ धन, स्वामी रहित जांगलिक द्रव्य तथा सुर्वण को प्राप्त कर और किसी व्यक्ति को बहुत ही फजूल खर्च या अपनी हैसियत से अधिक खर्चाला देख कर किसी बहाने से उनकी सूचना राजा को देदे और उनको पकड़ा देवे।

हानि कर खराब शराब को छोड़कर अच्छी शराब [कालिका सुरा] को बहुत महंगा न बेचें। खराब शराब को अन्यत्र बिकवावे। दास तथा कर्म करों से तनखाह देकर काम ले। उनको सुअर पालने के लिये तथा पशुओं को पिलाने के लिये थोड़ी सी मुफ्त ही में दे दिया करे।

शराब खानों में अनेक कमरे हों और उनमें सोने के लिये अलग अलग बिस्तरे बिछे हों। गंध माला तथा पानी आदि झूतु के अनुसार रखे जाय। शराब खाने के कर्मचारी तथा खुफिया पुलिस के लोग इस बात को जानें कि कौन विशेष या साधारण खर्च कर रहा है। सोये हुए तथा बेहोश हुए हुए शराब खरीदने वालों के गहने कपड़े तथा संपत्ति का ज्ञान प्राप्त किया जाय। यदि किसी की कुछ भी चीज नुकसान हो जाय तो शराब के दुकानदारी पर उतना ही जुरमाना किया जाय। शराब बेचने वाले भिन्न भिन्न कमरों में खूबसूरत लौंडियों को भेजें और बाहर के आये हुए विदेशियों तथा बेहोश या सोये हुए आर्थ्यों के दिली हाल का उनसे पता लगवावें।

शराब के १ मेदक २ प्रसन्न ३ आसव ४ अरिष्ट ५ मैरेय तथा

६. मधु आदि छः भेद हैं ।

१. मेदक—१ द्रोण पानी, $\frac{1}{2}$ आढ़क चावल तथा ३ प्रस्थ सुराबीज के योग से मेदक नामक शराब तैयार होती है ।

२. प्रसन्न—६२ आढ़क पिसा चावल, ५ प्रस्थ सुराबीज, पुत्रक, दाल चीनी तथा अन्य मसालों के योग से प्रसन्न नामक शराब बनाई जाती है ।

३. आसव—आसव में १०० पल कैथा, ५०० पल राब, १ प्रस्थ मधु पड़ती है । सभी चीज़ें $\frac{1}{2}$ बढ़ाने पर उत्तम और $\frac{1}{2}$ कम करने पर निक्षण समझी जाती है ।

४. अरिष्ट—प्रत्येक चीजों का अरिष्ट चिकित्सकों के अनुसार ही बनाया जाय ।

५. मेरेय—मेरेय में मेहासिंगी तथा दाल चीनी का काथ, मिरच पीपल त्रिफला तथा मसालों से युक्त गुड़ पड़ता है । जिनमें गुड़ पड़ता हो उनमें त्रिफला [हरड़ बहड़ा आंवला] अवश्य, ही पड़े ।

६. मधु—मुनके तथा आबजोश के रस का नाम ही मधु [अंगूरी शराब] है । जिन जिन देशों में यह बनती है उनके नाम पर ही इनका कापिशायन तथा हारहूरक नाम है ।

सुराबीज का तात्पर्य—१ द्रोण कच्ची या पक्की धोई की दाल, तीन भाग अधिक चावल, १ कर्षे ईख आदि की जड़ (मोरट) आदि से है । मेदक में—पाढ़ा, पठानी लाध, तुंबुर, पत्थर फूल, शहत, मुर्वा, प्रिंगुफूल, दारु हर्दी मरिच तथा पिपली आदि ५ कर्षभर पड़े । प्रसन्ना में—मुलहटी का काढ़ा, शक्कर, हल्दी, आदि मसाला पड़ता है । आसव में—दालचीनी, चीता, बायविडंग, गज पीपल आदि एकएक कर्ष और सुपारी मुलहटी, नागरमोथा, पठानी लोध आदि दो दो कर्ष डाली जाती है । इनका दसवां हिस्सा सुराबीज होना चाहिये । खेतसुरा में प्रसन्ना के ही मसाले पड़ते हैं । आम की शराब (सहकार सुरा) आम के रस के विशेष रूप में पड़ने से

या सुराबीज के नियत अनुपान में डालने से महासुरा या संभारि-
की नाम से पुकारी जाती है इनमें-ईखकी जड़, पलाश, पत्तूर
(शाक विशेष), मेहासिंगी, दूधी वृक्ष (पीपर, पाकर, गुज्जर, चट्ट,
महुआ) के कषाय में शक्ति की चासनी बनाकर आर उसमें
इन्द्र जब, देवदारु, हल्दी, कमल, सौंफ, चिंचिड़ी, धितवन, नींबू,
पठनी लोध, चीता वायविडंग पाढ़ा, स्पोता आदि को पानी के साथ
महीन पीस कर मुड़ी भर डाला जाय । (अन्तर्नखमुष्टि) । घड़े भर
बनाई गई ऐसी शराब राजाओं के पीने के योग्य होती है। इसमें रस
की वृद्धि के लिये ५ पल राब डालनी चाहिये ।

घरेलू कामों में श्रेत सुरा और ओषधि में आरिष्टिका प्रयोग
करना चाहिये। अथवा उस समय जो मिलजाय उसीको काममें
ले आना चाहिये। उत्सव, समाज तथा यात्रा में चार दिनतक
सौरिक दियाजाय। जो लोग ऐसे समयों में राजाशा से शराब
बनावें उनसे दैनिक राज्यकर अत्यय ग्रहण कियाजाय ।

खियें तथा बचे सुराबीजों का संग्रह करें। वे सरकारी मालपर
५ सैकड़ा चुंगी ली जाय। सुरका, मेदक, आरिष्ट, महुआ, खटाई,
शराब आदिके संबंध में :—

दैनिक विक्रय, तोलमाप के भेदसे प्राप्त आय, व्याजी, तथा
वैधरण [राज्यभाग] को ग्रहण कर उचित बातों को कियाजाय ।

४३ प्रकरण ।

सूनाध्यक्ष ।

सरकारी बन्द जंगल के पालतू मृग पशु पक्षि मत्स्यों के बंधन,
बध तथा धात में उत्तम दण्ड तथा गृहस्थ लोगों को इसी अपराध
में मध्यमदण्ड दियाजाय। आक्रमण न करनेवाले मत्स्यों तथा प-
क्षियों के बन्धन, बध तथा धात में २६^३/_४ पण दंड तथा मृगों और
पशुओं के संबंध में दुगना दंड होना चाहिये। शिकारी पशुओं का
छुठा भाग, मत्स्य-पक्षियों का दसवां भाग और मृग-पशुओं का
दसवें से भी अधिक भाग शुल्क में ग्रहण किया जाय। पक्षि मृगों

की छुठवीं संख्या बन्द जंगल में छाड़दीजाय। मत्स्य भील नद ताल तलाव तथा नहरों में पैदाहोती हैं और उनकी आकृति सामुद्रिक हस्ति, अश्व, पुरुष, बैल तथा गदहों के समान होती है। क्रौंच (कराकुल या घंटी) दात्यूह (कायल विशेष), उत्कोश, हंस, चकवा, यूनानी तीतर, भूंगराज, चकोर, मत्तकोकिल, मोर, तोता, मैना आदि जी बहलाने वाले (विहार पक्षी) पक्षी, अन्य शुभ मंगलदायक प्राणी तथा पक्षि-मृग आदिकों को शिकार तथा अन्य प्रकार की चोटसे बचाया जाय। जो इस नियम को तोड़े उसको उत्तमदण्ड दिया जाय।

ताजे मारे हुए मृगों तथा पशुओं का अस्थि-मांस बैचाजाय। बैचते समय हड्डी का दाम निकाल दियाजाय। तोल में जो कोई कमदे उसपर कमी का आठगुना दंड दिया जाय। बछड़ों, बैखों तथा गउओं को कोई भी न मारे। जो इनको तकलीफ पहुंचावे या मारे उसपर ५० पण जुरमाना कियाजाय। बूचड़खाने से बाहर मरे, शिर पैर हड्डी रहित, बदबूदार, अपनी मौत से मरे पशुओं का मांस न बैचाजाय। इस नियम को तोड़ने में १२ पण दंड दियाजाय।

संरक्षित दुष्ट पशु मृग तथा हाथी सरकारी बन्द जंगल से बाहर फिरते हुए पकड़े तथा मारे जासकते हैं।

४४ प्रकरण ।

गणिकाध्यक्ष ।

गणिकाध्यक्ष खूब सूरत, जवान तथा गाने बजाने आदि में चतुर लड़की को चाहे वह वेश्या के वंश में उत्पन्न हुई हो और चाहे न उत्पन्न हुई हो १००० पण वार्षिक पर वेश्याके तौरपर नौकर रखें। इसकी सहायक एक दूसरी वेश्या ५०० पण पर रखी जाय। इनमें से कोई यदि बाहर जाय, बीमार पड़ जाय या मरजाय तो उसकी लड़की या बहिन उसका काम करे और उसकी संपत्ति को ग्रहण करे। उसकी माता उसका सहायक वेश्या को नियन्त करे। यदि इनमें

से कोई भी न हो तो उसकी संपत्ति राजा स्वयं ग्रहण करे खूबसूरती जवानी गहना आदि के अनुसार वेश्याओं के कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम यहतीन भेद हैं और इनकी तनखाह भी हजार से ही शुरू होती है। इनका काम राजा के छुत्र, इतरदान, पंखा, पालकी, पीढ़ी (पीठिका) रथ आदियों के साथ रहकर राजा की शोभा बढ़ाना है। जवानी नष्ट होने पर इनको दायी बनाया जाय। वेश्या का निष्क्रय (स्वतंत्रता प्राप्त करने का धन) २४००० पण और उसके पुत्रका १२००० पण है। यह लोग आठ वर्ष के बाद से ही राजा के यहां गाने वजाने का काम करें। वेश्या तथा दासी जवानी खत्म होने पर कोष्ठागार या पाकगृह (महानस) में काम करें। जिसको यह बात न मंजूर हो वह सरकार को $\frac{1}{2}$ पण मासिक दे।

वेश्याओं की आमदनी, खर्चा, बचत तथा दाय भाग नियत किया जाय। उनकी फजूल खर्ची रोकी जाय। माता को छोड़कर और किसी के पास गहना रखने पर $\frac{1}{2}$ पण जुरमाना किया जाय। अपनी संपत्ति बेचने या गिरों रखने पर $\frac{1}{2}$ पण, गाली देने पर दुगुना, कान काटने पर $\frac{1}{2}$ दंड दिया जाय। जो अनिच्छुक कन्यापर वत्सात्कार करे या इच्छुक कन्यापर ही ऐसा काम करे उसको क्रमशः उत्तम दंड, तथा साहस दंड जो अनिच्छुक वेश्या को रोकें, पटके, मारे या बदसूरत करे उसको १००० पण दंड मिले। जैसा स्थान हो वैसे ही दंड बढ़ाया जाय। या उसका जो निष्क्रय (छुटकारे या स्वतंत्रता प्राप्त करने का रूपया) हो उससे दुगुना या १००० पण दंड मिले। परन्तु जो मनुष्य राजकीय दर्बार की वेश्या को मारे उसपर निष्क्रय से तिगुना जुरमाना किया जाय। माता, लड़की, रूपाजीवा तथा दासियों के मार डालने में उत्तम साहस दंड दिया जाय। सभी स्थानों में पहिले अपराध में प्रथम दंड, दूसरे अपराध में दुगुना, तीसरे में तिगुना और चौथे में जितनी मर्जी हो उतना दंड नियत किया जाय। जो राजा की आङ्गा होने पर भी पुरुष विशेष के पास न जाय उस पर कोड़े पड़ें या ५००० पण जुरमाना किया जाय। मेहनताना लेकर जो ऐसा ही काम करे उस पर दंड २०० या मेहनताने का दुगुना हो। यदि पास

बुलाकर भी किसी का संग न करे तो मेहनताने का आठ गुना जुरमाना दे बश्तैं कि पुरुष बीमार हो उसमें कोई और बुराई न हो । जो पुरुष को मार डाले उसको जीते जी जला दिया जाय या पानी में डुबाकार मार दिया जाय । यदि कोई वेश्या गहने के खातिर धन ले या मेहनताना लेकर उसका बदला न चुकावे तो उसपर ८ गुना जुरमाना किया जाय । प्रत्येक वेश्या गणिकाध्यक्ष को सूचना दे कि उसकी भूति तथा आमदनी कितनी है, उसकी हैसियत क्या है और उसका किस पुरुष के साथ संबंध है । नट, नर्तक, गायक, वादक, भांड, भाट, रस्सीपर नाच करने वाले, अन्य प्रकार का तमाशा दिखाने वाले, चारण, खियों में व्यपार करने वाले तथा खुफिया या गुपरुप से आजीविका करने वाली औरतों के विषय में भी इसी ढंग को नियम समझना चाहिये । यदि यह लोग दूसरे राष्ट्र के हों तो ५ पण राज्यस्व प्रेक्षावेतन (तमाशा दिखाने की आज्ञा ग्रासि विषयक राज्यस्व) के रूप में दें ।

रूपाजीवा नामक वेश्यायें दैनक आमदनी का दुगुना प्रतिमास राज्य को कर के रूप में दें । जो वेश्यायें गणिका, दासी नटी आदिको गाना, बजाना, पढ़ाना, नाचना, नाल्य, अक्षर विज्ञान, चित्रकला वीणा बांसरी तथा मृदंगबजाना, दूसरेंके हृदय को पहिचानना, गन्ध मालव गूंधना, शरीर को सजाना धजाना, आदि विषयक वेद्यायें सिखावें उनको राजा की ओर से खर्चा मिले । सब तालों को जानने वाल वशा-पुत्रों को नाल्य करना सिखाया जावे ।

भिन्न २ देशों की भाषा तथा इशारा समझने वाली औरतें अपने बन्धु बांधवों सहेत दूसरों का खुफिया लोगों को तथा नाशक कामों का पता लगावें ।

४५. प्रकरण । नावध्यक्ष ।

नावध्यक्ष, स्थानीयवादियों के निकट समुद्र, नदी का मुहाना (नदी मुख), झील, ताल, नदी आदियों में चलने वाली नावों का

प्रवंध करे । समुद्र तथा नदी के किनारे बसेहुए गांव क्लूम नामक राजकीय कर दें । मच्छी पकड़ने वाले छटा भाग नावों के भाड़ के रूप में दें । बनिये बन्दरगाह के नियमों के अनुसार चुंगी दें । शंख मोती पकड़ने वाले नौकाका भाड़ा दें या अपनी नावों से तरें । खन्धध्यक्ष के सदृश ही इनके अध्यक्ष के काम हैं ।

नावध्यक्ष बन्दरगाह के अध्यक्ष की आज्ञा^० तथा नियम का पालन करे । आंधी पानी से बही या दूटी नाव पर पिता के तुल्य अनुग्रह करे । जो माल पानी से भीगगया हो उसपर आंधी चुंगी ले या सर्वथा ही चुंगी न ले । समय आने पर व्यापारीय बन्दरगाहों या शहरों की ओर नावों को रवाना करे । दूसरे स्थान पर जाने वाली नाव जब बन्दर गाह में ठहर तो उनसे चुंगी ली जाय । डाकू नावों को तथा शबुदेश में जाने वाली या बन्दर गाह के नियमों को तोड़ने वाली नावों को नष्ट करदिया जाय ।

गरमी सरदी में एकसदृश बहने वाली बड़ीबड़ी नदियों में वही नावें चलें जिनमें शासक (मुखिया), नियामक (चप्पू चलाने वाले) दात्र रशि ग्राहक (बांस, पिण्डिता हिस्सा तथा रस्सीपकड़ने वाले) तथा उत्सेचक (पानी निकालने वाले) लोगों का उचित प्रबन्ध हो । छोटी छोटी बरसती नदियों में छोटी छोटी नावों का प्रबन्ध होना चाहिये । राजाज्ञा बिना कोई भी नदियों के पार न जाने पावे । यह नियम इसीलिये बनाया कि कहीं राज द्रोही लोग भाग न जावें । बिना राजाज्ञा के जो लोग अनुचित स्थान तथा कुवेलामें नदी पार करें उनको साहस दंड दिया जाय । उचितस्थान तथा उचित बेला में जो बिना आज्ञा के नदी पारे उ । १. २६३५ पण दंड दिया जाय ।

मछियारे, लकड़ हारे, घसियारे, माली, कुंजड़े, खाले, खुफिया, इनके पीछे जाने वाले दूत, सैनिक, समित्री, कमसरियट के लोग, अपनी नावों से पार होने वाले, बीज अलाउंस तथा जीवनोपयोगी पदार्थ ले जाने वाले तथा पानी के किनारे बसे गांवों के लोग उपरिलिखित नियम से मुक्त किये जाय (अर्थात् जिस स्थान से और जिस समय चाहें नदी से पार उत्तर जाय) । ब्राह्मण, संन्यासी, बच्चे, बुड़डे, बीमार, शासनहर (राजाकी आज्ञा लेजाने वाला) तथा

गर्भिणी औरतों को नावध्यका का आङ्गा पत्र मुफ्तमें ही दिया जाय जिससे वह नदी के पार बिना धन स्वर्च किये जासकें।

प्रतिदिन आने जाने वाले या स्वदेशी बनियों के जान पहचान के बिदेशी व्यापारी बन्दरगाहों में बिना बाधा के उतारने दिये जायं। जो मनुष्य दूसरे की स्त्री लड़की या संपत्ति को ले कर भागा हो या शंकनीय हो, जिसके पास कुछ भी माल न हो, सिर पर बहुत बड़ा भार रख कर कुछ छिपाये हुए हो, जिसने शीघ्र ही भेस बदल लिया हो, सादा कपड़ा पहिना हो या शीघ्र ही संन्यासी का भेस बना लिया हो, जिस की बीमारी प्रत्यक्ष न हो, जो ढरा हुआ हो, छिपाकर बहुमूल्य पदार्थ ले जाता हो, गुप्त काम के लिये आरहा हो, हाथ में जहर या लड्डाई के हथियार लिये हुए हो, दूर से आरहा हो तथा जिसके पास न हो उसको पकड़ लिया जाय।

बोझा लादे छोटे जानवर तथा मनुष्य से १ माषक, बंहगी लिये या सिरपर बोझा लिये मनुष्य से तथा घोड़ा गौ से २ माषक, ऊंट तथा भैंस से ३ माषक, छोटी बहिया से ५ माषक, रथ से ६ माषक, बैलगाड़ी से ७ माषक तथा व्यापारी माल से भरी गाड़ी से एक चौथाई पण लिया जाय। अन्य भारों के संबंध में इसी ढंग पर किराया लिया जाय। पानी के किनारे बसे हुए गांवों क्लृप्त नामक कर या अनाज तथा तनखाह ली जाय (उन मस्ताहों के लिये जो कि नदी से पार उतारने के लिये सरकार ने नौकर रखें हों)। राष्ट्र के अन्त में नाव का किराया, चुंगी, गाड़ीभाड़ा तथा सड़क संबंधी कर प्रहरण किया जाय। बिना पास के जो बाहर जाना चाहे उसका माल छीन लिया जाय। कुवेला तथा अनुचित स्थान में बहुत भारी बोझे के साथ तैरने वालों बिना मस्ताह की दूटों फूटों या वे सुधारी नाव में माल ले जाने वालों से नुकसान भर लिया जाय।

आषाढ़ के दूसरे सप्ताह तथा कार्तिक के बीचमें नदियों में नावों का विशेष रूप से प्रबंध किया जाय। काम करने वाले लोगों पर विश्वास करते हुए तथा उनकी मजदूरी देते हुए बचे हुए धन को प्रति दिन प्रहरण करे।

४६ प्रकरण ।

गोऽध्यक्ष ।

गोऽध्यक्ष १ वेतनोपग्राहिक (तनखाह लेकर) २ कर प्रति कर (चमड़ा धी आदि लेकर) ३ भग्नोत्सृष्टक (उत्पत्ति का भाग लेते हुए) ४ भागानुप्रविष्टक (दसवां भाग लेकर) ५ व्रजपर्यग्र (गणना), ६ नष्ट (खोई हुई) ७ विनष्ट और दूध धी आदि की उत्पत्ति का प्रबंध करे ।

१. वेतनोपग्राहिकः—गोपालक, पिंडारक (?) दोहक (दूध दुहने वाले) मंथक (दूध मथने वाले) तथा व्याध लोगों को तनखाह देकर पशुओं की रक्षा के लिये नियुक्त किया जाय । दूध धी देकर उनसे काम लेने पर वह लोग बछड़ों को भूखा मार डालते हैं ।

२. कर प्रतिकरः—बुझड़ी, दुधारी, जवान तथा बछड़ी आदि यों की सौ सौ संख्या का प्रबंध एक एक गोपाल करे । इस प्रबंध के बदले उसको प्रति वर्ष द वारक धी (१०४ सेर—८ क्लिंटांक) + एक पण लाभ देने वाली पूँछ, चमड़ा, आदि मिले ।

३. भग्नोत्सृष्टकः—बीमार, लंगड़ी लूली, एक हथा (जो दूसरे से दूध न दुहवावे), मुश्किल से दूध दुहाने वाली तथा बच्चे को मार डालने वाली गउओं को सौ सौ मैं विभक्त कर गोपालकों के प्रबंध में रखा जाय । उनसे जो कुछ पैदा हो वह गोपालक स्वयं ग्रहण करें ।

४.भागानुप्रविष्टकः—अन्य लोगोंने शत्रु या जंगल के भयसे अपने पशुओं की रक्षा का भार जब गोऽध्यक्ष पर डाला हो तो उन पशुओं से जो कुछ उत्पन्न हो उसका दसवां भाग ग्रहण किया जाय ।

† तुलामान पौत्र में लिखा है कि "कुटुम्बाश्चतुराशीतिः वारकस्सर्पिषो मतः" अर्थात् धी के वारक में ८४ कुटुम्ब धी होता है । एक कुटुम्ब लग भग २ $\frac{1}{2}$ क्लिंटांक के होना है ।

५. व्रजपर्यग्र-व्रजपर्यग्र का तात्पर्य पशुगणना से है । इसके अनुसार गोऽध्यक्ष—बछड़ा, बड़ा बछड़ा, सिखाने लायक जवान बछड़ा (दम्या) भार ढोने लायक (वही), बैल, सांड—हल में जोतने लायक (युग वाहन), गाड़ी में जोतने लायक (शकटवह) बूचड़ खाने के योग्य (सूनाः), भैंस, पीठ या कंधे पर भार ढोने लायक भैंस,—बछड़ी, जवान बछड़ी, बच्चा देने के योग्य गो, गाभिन, दुधारी गाय, अप्रजाता (जिसके अभी बच्चा पैदा न हुआ), बन्ध्या-एक महीने या दो महीने की गाय भैंस या इससे बड़ी—इत्यादि वातों के साथ साथ उनकी—संख्या, (अंक) चिन्ह, रंग, सींगों का अंतर, उत्पत्ति तथा अन्य बहुत से चिन्हों का उल्लेख रजिष्टर में करे ।

६. नष्ट—खोई हुई चुराई हुई या दूसरे संघ मैं मिली हुई को नष्ट समझा जाय ।

७. विनष्ट—कीचड़ में फंसी, बीमार, पानी में वही, बुड़ी, पेड़, नदी का किनारा लकड़ी पत्थर आदि से धायल, विजली शेर सांप मगरमच्छ जंगल की आग आदि से मरी गाय भैंस को विनष्ट (सदा के लिये खोई हुई) समझा जाय ।

जो पशुओं को स्वयं मारे या मरवाये अथवा स्वयं चुरावे या चुरवाये उसको मृत्यु दंड दिया जाय । जो चुराई हुई गाय को ले आवे तो—यदि वह अपने ही देश के किसी आदमी की ही तो १ पण और यदि किसी विदेशी की हो तो आधः पण-प्रति गाय लेवे। गोपा-लक लोग बच्चे बुड़े तथा बीमार लोगों की गउओं की रक्षा का प्रबंध करें ।

† डॉक्टर शाम शास्त्री ने “बालवृद्ध-व्याधितानां गोपालकाः प्रतिकुर्युः” इसका अर्थ “ज्वाले बालक बीमार तथा बुड़ी गउओं को दवाई दे” यह कियाहै जो कि अस्वाभाविक मालुम पड़ता है । हमारी समझ में इस वाक्य में बाल वृद्ध व्याधित यह शब्द पुरुषों के लिये है । उपरिलिखित वाक्य में “परदेशीयानां” भी इसी अर्थ का इशारा करता है ।

व्याध तथा शिकारी लोगों से जंगलों को चोर शेर तथा शबु से सुरक्षित करवाकर और पशुओं के अनुसार उनका विभाग कर उनमें पशुओं को चरने के लिये भेजा जाय। सांप शेर को डराने के लिये तथा घालों गडरियों (गोचर) तथा चरवाहों के ज्ञान के लिये डरपोक गाय के गले में घंटा आदि बांध दिया जाय। की-चड़ तथा मगरमच्छ से रहित तथा समान रूप से ढालू किनारे वाले घाटों में पशुओं को पानी पिलाया जाय। यदि किसी गाय भैंस को चोर शेर सांप या मगरमच्छ ने पकड़ लिया हो तो उसकी सूचना गोउद्धयक्त को दी जाय अन्यथा उसका दाम चरवाहे को स्वयं देना पड़ेगा। यदि कोई पशु किसी कारण से मर जाय तो गाय भैंस का अंकित चमड़ा, भेड़ी बकरी का चिन्हित कान, घोड़े गदहे तथा ऊंटका अंकित चमड़ा तथा पूँछ और साथ ही बाल, चमड़ा, चरबी, आंत, दांत, खुर, सोंग तथा हड्डी चरवाहों को मिले।

ताजे या सूखे मांस के बेचने का प्रबंध किया जाय। कुत्तों तथा सुअरों को मढ़ा पिलाया जाय। थोड़ा सा मढ़ा कांसी के बर्चन में अपने खाने के लिये भी रख लिया जाय। जो खुरचन बचे उसको खली नरम करने के लिये रख छोड़ा जाय। पशुओं को बेचने वाला हर पशु के पीछे सरकार को एक पण दे।

वर्षा, शरत् तथा हेमन्त में दोनों समय और शिशिर बसन्त तथा ग्रीष्म में अनेक समय गउओं तथा भैंसियों को दुहा जाय। नियत समय से अन्य समय में दोहने वाले को अंगूठे काटने का दंड दिया जाय। यदि कोई दुहने के समय में गाय को न दुहे तो उससे नुकसान का धन ग्रहण किया जाय। नाक में रस्सी डालना, समय पर बछड़ों को काम सिखाना तथा हल या गाड़ी में जोतना आदि जो समय पर न करे उसको भी उपरि लिखित प्रकार दंड दिया जाय।

गऊके द्रोणभर (१० सेर) दूध से प्रस्थ भर (१० छिटांक) धी और भैंसी के दूध से पांच भाग (१२ छिटांक) अधिक धी निकलता है। इसी प्रकार भेड़ी बकरी में दो भाग धी अधिक होता है।

वस्तुतः दूध धी की मात्रा मथने पर तथा भूमि, घास पानी आदि की विशेषता पर निर्भर है ।

जबान बैल को जो बैल से लड़ा कर गिरवाये या मरवाये उस को उत्तम साहस दंड दिया जाय । एक एक रंग की दस गउओं का एक संघ या वर्ग बनाया जाय और इस दंग पर उनकी रक्षा का प्रबंध किया जाय । जिधर गांव वसे हैं उसी ओर गउओं को उतनी दूर तक चरने के लिये ले जाया जाय जहाँ तक वह जांय या उनकी रक्षा उत्तम विधि पर की जासके । भेड़ी बकरी आदि का छुठे महीने ऊन लिया जाय । धोड़े गदहे तथा ऊंटों का भी प्रबंध इसी दंग पर किया जाय ।

वह बैल जिनकी नाक में नथ पड़ी हो और जो कि धोड़े के बराबर चलते हैं उनको आधा बोझ जौ, दुगुनी घास, १०० पल खली, १० आढ़क धान के कन, ५ पल सेंधा नमक, १ कुड़ुब नाकमें डालने या मलने के लिये तेल, १ प्रस्थ शराब, १०० पल मांस, १ आढ़क दही, १ द्रोण जौ या उर्द का पुलाव, १ द्रोण दूध या १ आढ़क सुरा, १ प्रस्थ तेल, १० पल खार † और १० पल अदरक प्रतिपान (दूध) के रूप में दीजाय । भैंस तथा ऊंट को दुगुना और खच्चर, गौं तथा गदहे को दुकम दिया जाय । लद्दू बैलों तथा मेहनत करने वाले बैलों की भी इसी प्रकार भोजन मिले । दुधारी गउओं को समय काम तथा फल के अनुसार भाजन दिया जाय । घास तथा पानी तो यथेष्ट राशि में सभी पशुओं को मिलना चाहिये । गउओं बैलों आदि का प्रतिपालन इसी प्रकार किया जाय ।

सौ सौ के जस्तों में—धोड़ियों गदहियों में ५, भेड़ी बकरियों में १० और गौ मैसी तथा ऊंटनियों के दस दस के अंड में ४ नर होने चाहियें ।

† ज्वार का अर्थ डाक्टर शाम शास्त्री ने रात तथा शकर किया है । वैद्यक शास्त्र में यह शब्द प्रायः “जवज्वार, सज्जीज्वार, सहाणा ज्वार” आदिके लिये आता है । हमारी समक में ज्वार का सीधा अर्थ साही क्यों न किया जाय ?

४७ प्रकरण ।

अश्वाध्यक्ष ।

—३८३—

अश्वाध्यक्ष विक्रेय, कीत, युद्ध प्राप्त, स्वदेशोत्पन्न, सहायताथ-प्राप्त, गिरों में रखे तथा कुछ समय के लिये सरकारी तबेले में बांधे घोड़ों के बंश, उमर, रंग, चिन्ह, वर्ग तथा प्राप्तिस्थान का उल्लेख करे । जो अप्रशस्त, लंगडे लुले तथा बीमार हों उनकी ऊपर सूचना दे । अश्ववाह (सर्ईस) लोग कोश तथा वस्तु भंडार से चीजों को प्राप्तकर मितव्ययता से काम करें ।

घोड़े की आङ्गति तथा स्थिति के अनुसार तबेला जितना लंबा बनाया जाय, उसकी चौड़ाई उससे दुगुनी हो । चारों ओर दर-धाजे तथा बीच में फिरने का स्थान हो । उसमें आने जाने का मार्ग तथा बैठने की चौकी हो । उसका बरांडा आगे से झुका हो । चारों ओर बन्दर मोर हिरन आदि उल्लेख करो । तबेला हो वैसा ही उसका मुख्य द्वार हो । घोड़ी, बछिया तथा बछ को अकेले रखा जाय ।

पैदा होते ही घोड़ी को तीन रात तक १० छिटांक धी दिया जाय । इसके दस रात तक १० छिटांक सतुआ तथा तेल तथा दवाई दी जाय । शनैः शनैः जौका पुलाव और चम्पु के अनुसार भोजन देना शुरू किया जाय । दस रात बाद घोड़े के बच्चे को ढाई छिटांक सतुआ और दी के साथ मिले । छः महीने तक १० छिटांक दूध भी उसको मिलता रहे । इसके बाद कमशः प्रतिमास आधा आधा बढ़ाते हुए चौथे साल तक १० सेर जौ या जौ का सतुआ दिया जाय । चौथे पांचवे साल पर आते ही घोड़ा पूरा जवान तथा काम-लायक हो जाता है ।

अच्छे घोड़े के मुंह की लंबाई ३२ अंगुल, देह की लंबाई मुंह से पांच गुना, जंघा २० अंगुल, ऊंचाई जंघा का चार गुना, होती है। मध्यम तथा निकृष्ट घोड़े की लंबाई क्रमशः तीन तीन अंगुल कम हो जाती है। घोड़े की मुटाई १०० अंगुल होती है। मध्यम तथा निकृष्ट घोड़े इससे क्रमशः पांच गुना कम मोटे होते हैं।

अच्छे घोड़े को उत्तम या मध्यम चावल, जौ या ककिनी का धान अधिक से अधिक २० सेर सूखा मिलना चाहिये। यदि पका कर देना हो तो आधा ही दिया जाय। मूँग तथा उर्द के विषय में भी यही नियम है उनके खाने के समान को नरम करने के लिये १० छिटांक तेल, ५ पल नमक, ५० पल मांस, २ $\frac{1}{2}$ सेर शोरबा या दुगुनी दही डाली जाय। पीने के लिये ५ पल शक्कर, १० छिटांक शराब, या दुगुना दूध दिया जाय। यदि घोड़ा बहुत दूर से चल कर आया हो या बहुत भार उठाने के कारण थका हुआ हो तो उसके खाने के लिये १० छिटांक तेल, नारं तथा नथुरों पर मलने के लिये २ $\frac{1}{2}$ छिटांक तेल, आधा बोझ जौ या पूरा बोझ घास दिया जाय और दो हाथ या ६ अरति तक उसके चारों ओर नीचे घास बिछा दिया जाय।

मध्यम तथा निकृष्ट घोड़ों को उत्तम घोड़ों से $\frac{1}{2}$ कम रथ में लगने वाले घोड़ों को उत्तम के समान, बच्चे पैदा करने के लिये रखे घोड़ों को और निकृष्ट घोड़ों को मध्यम के समान घोड़ी तथा पारशमा [?] को $\frac{1}{2}$ कम और बच्चों को इसका आधा भेजन दिया जाय। खाना बनाने वालों, बागडोर पकड़ने वालों तथा चैदों को घोड़ों के खानेमें से कुछ भाग मिले। जो घोड़े लड़ाई वीमारी वृद्धापे आदि के कारण काम तथा लड़ाई के अर्थात् हो उनको बच्चे पैदाकरने के [पिंडगारिका] काम में लाना चाहिये। पौर तथा ग्रामीणों के लिये ताकतवर घोड़े [वृष] घोड़ियों के लिये छोड़े जायं।

काम्भोज, सैन्धव, आरद्धज, वानायुज आदि घोड़े सवारी के काम के लिये उत्तम, बाहीक पापेयक, सौवीरक, तैतल आदि मध्यम और शेष निकृष्ट [अवधर] समझे जाते हैं। तेजी, सीधगी तथा धीमे पन को देखकर उनको लड़ाई या सवारी के काम के लिये रखा

जाय । लड़ाई के लिये घोड़ों को तैयार करने के लिये नियमबद्ध शिक्षण मिलना चाहिये ।

सवारी घोड़ों के १ बलगन २ नीचैर्गत ३ लंघन ४ घोरण ५ नारोप्त्र आदि पांच भेद हैं ।

१. बलगन । उपवेणुक, वर्धमानक, यमक, आलीढप्लुत, पृथग, तथा तृवचाली बलगन [गोल घूमना] के भेद हैं । *

२. नीचैर्गत । शिर तथा कान खड़ाकर दौड़ने वाले नीचैर्गत [पक चाल चलने वाले] घोड़ों की—१ प्रकीर्णक २ प्रकीर्णोत्तर ३ निषरण ४ पार्श्वानुवृत्त ५ ऊर्मिमार्ग ६ शरभ कीडित ७ शरभप्लुत दत्रिताल ८ बाह्यानुवृत्त १० पंचपाणि ११ सिंहायत १२ स्वाधूत १३ क्लिष्ट १४ श्लाघित १५ वृंहित १५ पुष्पाभिकीर्ण आदि सोलह चालें हैं । †

३. लंघन । लंघन [कूदना+छलांग मारना] के १ कपिप्लुत, २ भेकप्लुत, ३ एकप्लुत ४ एकपादप्लुत ५ कोकिल संचारी ६ उरस्य उबकचारी आदि सात भेद हैं । ‡

*—उपवेणुक = एक हाथ व्यास वाले चक्र में घुमाना । वर्धमानक = गोल-घूमने का एक प्रकार विशेष । यमक = जोड़ी में घूमना । आलीढ़ प्लुत = दौड़ना तथा साथ ही साथ कूदना । पृथग = अगले भाग पर जोर दे कर दौड़ना ॥

† प्रकीर्णक = संरूप प्रकार की गति । प्रकीर्णोत्तर = संरूप प्रकार की गति के साथ किसी एक प्रकार की गति के लिये प्रसिद्ध । निषरण । शरीर के पिछले भाग को स्थिर रख कर दौड़ना । पार्श्वानुवृत्त = पार्श्व से गति । ऊर्मिमार्ग = लहर की तरह उछलना तथा दौड़ना । शरभ कीडित = शरभ की तरह खेलना । शरभप्लुत = शरभ की तरह कूदना । त्रिताल = तीन पैर से दौड़ना । बाह्यानुवृत्त = दहने वायें घूमना । पंचपाणि = पहिले तीन, फिर दो पैरों के सहारे घूमना । सिंहायत = शेरकी तरह उछलना । स्वाधूत = लम्बी कूद कूदना । क्लिष्ट = बिना सवार के सीधा दौड़ना । इलाघित = शरीर के अगले भाग को झुका कर दौड़ना । वृंहित = शरीर के पिछले भाग को झुकाकर दौड़ना । पुष्पाभिकीर्ण = चित्र चिचित्र चाले ।

‡ कपि प्लुत = बन्दर की तरह कूदना । भेक प्लुत = मेडक की तरह कूदना । कोकिल संचारी = कोयल की तरह फुटकना । उरस्य = जमीन के साथ छाती लगा कर सरपट दौड़ना । बकचारी = बगुले की तरह उछलना कूदना ।

४ धोरण । धोरण (दुड़की चाल) के कांक (गिर्द की तरह), वारि कांक (बत्तख की तरह) मयूर (मोर की तरह), अर्धमयूर (मोर की तरह कुछ कुछ), नाकुल [न्यूवला की तरह], अर्ध नाकुल (कुछ २ न्यूवले की तरह), वाराह (सुअर) तथा अर्ध वाराह (कुछ कुछ सुअर की तरह) आदि आठ भेद हैं ।

५ नारोष्ट्र । इशारे पर घोड़े के चलने का नाम ही नारोष्ट्र है । गाड़ी के घोड़े ६, ६ तथा १२ योजन और सवारी के घोड़े ५, ८ तथा १० योजन चलते हैं । तेजी, धीमी तथा लद्दू यह तीन चालें हैं । तेजां, धूमना, साधारण चाल, मध्यम चाल तथा सरपट चाल आदि घोड़ों के दौड़ने के भेद हैं ।

योग्य योग्य व्यक्ति उनके बन्धन आदि साधनों का, सूत लोग लड्डाई के रथों तथा गहनों का और चिकित्सक उनके शरीक के हास चृद्धि तथा ऋतु के अनुकूल भोजन का प्रबंध करें ।

सूत्र ग्राहक (बड़ोर थांभने वाले) अथव बंधक (घोड़ा बांधने वाले) याचसिक (जौ का पुलाव बनाने वाले), विधापचक (भोजन पकाने वाले स्थान पाल (खखवारे), केशकार (बाल काटने वाले), जांगलीविद् (जड़ी बूटी जानने वाले) आदिक घोड़ों के रक्त विषयक अपने अपने कामों को करें । जो काम न करे उसकी रोजाना मजदूरी काट ली जाय । जो कि थका हो या जिसको चलने से डाक्टर ने रोका हो उसको यदि कोई काम पर बाहर ले जावे उस पर १२ पण जुरमाना किया जाय । काम करवाने से या दवाई से घोड़ों की यदि बीमारी बढ़ जाय तो खर्चों का दुगुना दंड दिया जाय । ठीक दवाई न देने से यदि घोड़ा मर जाय तो उसका दान ले लिया जाय । गउओं, गदहों, ऊंटों, भैसों, भेड़ों तथा बकरियों का भी इसी ढंग पर प्रबंध किया जाय ।

घोड़ों को दिन में दो बार नहवाया जाय । उनपर सुगन्धित द्रव्य तथा माला आदि चढ़ाई जाय । प्रतिपद तथा पूर्णिमा में क्रमशः भूतों की पूजा तथा स्वस्ति वाचन पढ़ाजाय । अश्वगुज महीने के नवमें दिनउनकी आरती उतारी जाय । यही बात उनकी बीमारी में, प्रलंब यात्रा के प्रारंभ तथा अन्त में भी की जाय ।

४८ प्रकरण ।

हस्तयध्यक्ष ।

हस्तयध्यक्ष हस्ति-चन (हाथी का जंगल) की रक्षा का प्रबंध करे । सीखने तथा परेट से थके हुए हाथी, हथिनी तथा हाथी के बच्चों के सोने, सोने के स्थान, घास और आदि की राशि के साथ साथ उनके अन्य कार्यों का प्रबंध, पैरों की जंजीर तथा युद्ध में पहिनने के गहनों का और चिकित्सक, शिक्षक फीखचान आदि कर्म चारियों के कार्यों का निरीक्षण करे ।

हाथी की लंबाई से दुगुनी ऊँची तथा चौड़ी हस्ति-शाला (हाथी का तवेला) और उसमें हाथी हथिनी के रहने के कमेर जुदे जुदे बनाये जाय । बीच बीच में लोहे के खुंटे गड़े हों । उसका मुँह पूर्व या उत्तर और उसका बरांडा आगे से झुका हा ।

हाथी की लंबाई जितना लंबा चौड़ा कर्श बनाया जाय जिसमें पेशाब तथा लीढ़ के बाहर निकलने का स्थान पृथक बना हो । उन के रहने के स्थान के बराबर सोने का स्थान बनाना चाहिये जो कि आकृति में आधा हो ।

दिन के पहले, सातवें तथा आठवें भाग में ज्ञान, उसके बाद भोजन, पूर्वाह्न में व्यायाम और अपराह्न में प्रति पान (शराब आदि पीने के लिये देना) कराया जाय । रात के पहिले दो भाग सोने और तीसरा भाग जागने तथा उठने के लिये उनको दिया जाय । गरमियों में हाथी एकड़े जाय ।

बीस वर्ष की उमर का हाथी पकड़ने लायक होता है । बच्चा, मूँह, अदांत, बीमार हाथी और गामिन, दुधारी हथिन न पकड़ना चाहिये । सात अरात्नि ऊँचा, नौ अराति लंबा तथा दस अराति चौड़ा ४० साल का हाथी उत्तम होता है । तीस वर्ष तथा पच्छीस वर्ष की उमर का हाथी क्रमशः मध्यम तथा निकृष्ट समझा जाता है । उत्तम मध्यम निकृष्ट का भोजन क्रमशः एक चौथाई कम हो ।

सात अरावि ऊंचे हाथी को खाने के लिये—१ द्रोण घावल, $\frac{1}{2}$ आढ़क तेल, $\frac{1}{2}$ प्रस्थ धी, १० पल नमक, ५० पल मांस, १ आढ़क शोरबा, या २ आढ़क दही और इसको स्वादिष्ट तथा गीला करने के लिये १० पल खार, १ आढ़क शराब, या २ आढ़क दूध, १ प्रस्थ तेल मालिश के लिये, $\frac{1}{2}$ प्रस्थ तेल शिर पर लगाने के लिये तथा तचेले में जलाने के लिये, २ भाग जौ, २ $\frac{1}{2}$ भाग हरा धास, २ $\frac{1}{2}$ भाग सूखा धास तथा चरी आदि के डंठल दिये जाय ।

आठ अरावि ऊंचे मदांध हाथी को सात अरावि ऊंचे हाथी के बराबर भोजन दिया जाय । ६ तथा ५ अरावि ऊंचे हाथियों को उनकी आकृति के अनुसार खाना मिले । शिकार खेलने के काम के लिये जो हाथी का बच्चा पकड़ा गया हो उसको दूध तथा जौ की लप्सी † दी जाय ।

लाल रंग का मोटा, जिसकी पसली बाहर न दिखाई देती हो, सुडौल, मांस से परिपूर्ण, समतल पीठ वाला और जातद्रोणिक (?) हाथी खूब सूरत समझा जाता है ।

शोभा तथा अनुत्तु का स्थाल रखते हुए भिन्न २ पशुओं के चिन्हों से युक्त सीधे तथा गम्भीर (भद्र तथा मन्द्र ?) हाथियों को भिन्न भिन्न कामों में लगावे ।

४८. प्रकरण ।

हास्ति प्रचार ।

कार्य के अनुसार हाथी के १ दम्य २ सान्नाहय ३ औपचाहय तथा ४ व्याल आदि चार भेद हैं ।

१ दम्य । दम्य [शिक्षण के योग्य] हाथी के १ स्कंधगत [कंधे पर मनुष्य को सवार करवाने वाला] २ स्तंभगत [खुंटे से

† डॉक्टर शाम शास्त्री ने “यावसिक” का अर्थ धास किया है । इमझे इसका अर्थ जौकी लप्सी ही ठीक मालूम पढ़ता है । क्यों कि “यावसिक” शब्द यद्य (जौ) से बना है ।

बंधा] ३ वारिगत [पानी में नहाने के लियेगया] ४ अवपातगत [गड्ढमें लेटा] तथा ५ यूथगत [झुँडमें गया] आदि पांच भेद हैं । बच्चे की तरह दम्भ हाथी के साथ व्यवहार करना चाहिये ।

२ सान्नाहय । सान्नाहा [युद्ध के योग्य] हाथी के १ उपस्थान [क्वायद] २ संवर्तन [इधर उधर घुमाना] ३ संयान [आगे बढ़ना] ४ बधावध [पैरों के तले कुचलना तथा मारना] ५ हस्तयुद्ध [हाथी से लड़ना] ६ मागरायण [शहर तथा किले पर आक्रमण करना] ७ सांग्रामिक [लड़ाई लड़ना] आदि सात काम हैं । बांधना, गले में रस्सी डालना तथा झुँड में काम लेना आदि उसके सिखाने के क्रम हैं ।

३ औपचाहय । औपचाहय [सबारी के योग्य] हाथी—१ आचरण [दूसरों को अपने ऊपर चढ़ाना] २ कुंजरौपचाहय [हाथियों के साथ चलते समय अपने ऊपर सबार बैठने वाला] ३ धोरण [दुड़की चलने वाला] ४ आधानगतिक [भिजर चलते चलने वाला] ५ यस्त्युपचाहा [अंकुश मारने से चलने वाला], ६ तोओ-पचाहा [लोहे की कील से चलने वाला] ७ शुद्धोपचाहा [अपने आप चलने वाला], ८ मार्गायुक [शिकारी] आदि आठ प्रकार का होता है । इन कामों को करना सेवाने के लिये हाथियों से ठंड में काम, या उनसे मोटा मोटा काम या उनसे इशारे से काम लेना चाहिये ।

४ व्याल । व्याल (बदमाश या मदमत्त) हाथी एक ही ढंग पर सिखाया जा सकता है । उनको सीधा रखने के लिये दंड देना चाहिये । प्रायः यह काम से डरते हैं और जिही होते हैं । इनके स्वभाव का पता नहीं चलता और अस्थिर चित्त तथा मदांध होते हैं । उलट पुलट काम करने वाले हाथी का नाम ही व्याल है । यह १ शुद्ध (पूरा बदमाश), २ सुव्रत (जिही), ३ विषम (टेढ़े मेढ़े स्वभाव का) तथा सर्वदोषदुष्ट (सब दोषों से भरा हुआ) आदि चार प्रकार का होता है ।

हाथी को कालू में रखने के लिये जंजीर आदि साधनों का

प्रयोग हस्ति वैद्य की आशा के अनुसार होना चाहिये ।

खूटा, गले की जंजीर, पेटी, पैरों की जंजीर, आदि अनेक प्रकार के हाथी को बांधने के साधन हैं ।

अंकुश, खण्डी, यंत्र, आदि हाथी के चलाने के साधन हैं ।

वैजयंती (गले का हार), छुर प्रमाल (पैरों का घुंघुर) हौदे का कपड़ा आदि हाथी के गहने हैं ।

कबच, तोमर (जिसमें वाण रखे जाय), तथा यन्त्रादिक लड़ाई के आभूषण हैं ।

चिकित्सक (हाथियों का वैद्य), श्रीनीकस्थ (शिद्धक), आरोहक (हाथी पर चढ़ने वाला) आधोरण (हाथियों का साईस), औपचारिक (सेवक), विधापाचक [भोजन बनाने वाला], यावसिक (धास डालने वाला), पादपाशिक (जंजीर बांधने वाला) कुटी रक्षक (तबेलों का रक्षक तथा औपशायिक (रात के चौकीदार) आदि हाथियों का काम करने वाले राज सेवक हैं ।

चिकित्सक, कुटा रक्षक तथा विधापाचक आदियों को एक प्रस्थ चावल, चुल्लूभर तेल, थोड़ी सी शक्कर तथा नमक मिले । चिकित्सका को छोड़ कर औरों को १० पल मांस भी दिया जाय ।

काम करने से या चलने से जो हाथी बीमार हो गये हॉ, मद या बुढ़ापे से तकलीफ उठार है हॉ उनका इलाज चिकित्सक लोग करे ।

जो लोग तबेले का कूड़ा कर्कट न सफा करें, समय पर जौ तथा धास न दें, सरूत जमीन पर सुलावें, मर्मस्थान में चोट पहुंचावें, दूसरों को चढ़ावें, असमय में काम पर लेजवें, अनुचित भूमि या धाट पर उन को उतारें और घने जंगल में चरावें उनपर जुरमाना किया जाय । और जुरमाने की रकम भत्ते में से काट ली जाय ।

चौमासे के दिनों में तथा ऋतुओं की संधि में हाथियों की आरती उतारी जाय । सेनापति प्रतिपद तथा पूर्णिमा के दिन में हाथियों की रक्षा के लिये भूतों की पूजा करें ।

नदी वाले देशों के हाथियों के दांत २५ साल बाद और पहाड़ी

हाथियों के दांत ५ साल बाद कोट जांय और दांत की जड़ के पास उनके दांत जितने मोटे हों उससे दुगुनी लंबाई तक दांत छोड़ दिये जाय।

४६-५१ प्रकरण।

रथाध्यक्ष, पत्याध्यक्ष तथा सेनापति का काम।

अश्वाध्यक्ष के तुल्य ही रथाध्यक्ष के काम हैं। रथाध्यक्ष को चाहिये कि वह रथों के कारखानों को खोले। उनमें दस पुरुष (१२० अंगुल) ऊंचे तथा १२ पुरुष (१४४ अंगुल) तक चौड़े रथ बनवावे। १२ पुरुष से ६ पुरुष तक क्रमशः एक एक पुरुष घटते हुए सात प्रकार के रथ होते हैं। इनके अतिपिक वह १ देवरथ [देवता का रथ], २ पुष्परथ (उत्सव संबंधी रथ), ३ सांग्रामिक रथ [लड़ाई के काम में आने वाला] ४ पारियाणिक रथ [यात्रा के लिये उपयोगी] ५ परपुराभियानिक [दूसरे के शहर पर चढ़ाई करने के लिये उपयोगी] तथा ६ वैनियिक [रथ चलाना सिखाने के लिये उपयोगी] आदि रथों को बनवावे।

वाण चलाना, अस्त्र फैकना, कवच, हथियार, सारथि तथा रथी लोगों के रथ आदि का निरीक्षण करे और उनके कामों को देखे। तनखाह पाये हुए तथा न पाये हुए लोगों के भक्ष वेतन [भक्ता या अलाउंस], योग्य कारीगरों की रक्षा तथा उनके पारितोषक का विशेष रूप से प्रबंध करे। साथ ही सङ्को को मप-वाये।

पत्याध्यक्ष के काम भी इसी प्रकार हैं। वह प्रवासी ताल्लुकेदार, † तनखाह खोर सैनिक, सैनिक संघ श्रणि, शत्रु मित्र तथा जांगलियों की सेना की शक्ति तथा दुर्बलता का ज्ञान करता रहे। नीचे स्थानों, मैदान, कूट गढ़दे, टीके पर और दिन तथा

[†] मौलिक आर्थ डाक्टर शामशास्त्री ने (hereditary troops) वंशागत सेना किया है। हमरी समझ में इसका अर्थ प्रवासी ताल्लुकेदार (Absentee land-lord) होता चाहिये। क्योंकि उसी अर्थ में वह रुढ़ी है।

रात में कैसे युद्ध करना चाहिये इसको पत्यध्यक्ष पूरी तरह से जाने । और साथ ही इस बात का पता रखे कि कौन सी सेना किस समय के लिये उपयुक्त तथा अनुपयुक्त है ।

(पत्यध्यक्ष) युद्ध तथा प्रहरण (हथियार चलाना) विद्या में चतुर होकर, हाथी घोड़े रेथ के संचालन में समर्थ चतुरंग सेना के कार्य तथा स्थान का निरीक्षण करे और अपनी भूमि, युद्ध का समय, शत्रु की सेना, उसके गढ़े हुए व्यूह का भेदन, दूटे हुए व्यूह का फिरसे बनाना, इकट्ठी सेना का तितर बितर करना, पृथक् पृथक् हुओं का मारना, किला तोड़ना तथा आक्रमण का समय आदि देखता रहे ।

(पत्यध्यक्ष) डेरा डालना, आक्रमण करना, हथियार चलाना आदि सैनिकों को सिखाकर उनको तुर्री की आवाज, झंडी झंडे आदि के इशारों से व्यूह आदि बनाना सिखावे ।

५२-५३. प्रकरण ।

मुद्राध्यक्ष तथा विवीताध्यक्ष ।

मुद्राध्यक्ष एक ताम्र माषक लेकर पास पार्ट दे । जिसके पास पास हो वही जनपद में आने जाने पावें । ओ बिना पास के राष्ट्र में घुसे उसपर १२ पण, जो जाली पास बनावे उसको साहस दंड और यदि वह विदेशी(तिरोजन) हो तो उसको उत्तम दंड दियाजाय। गोचर भूमियों के प्रबंध कर्ता विवीताध्यक्ष को ही पास देखना चाहिये ।

खतरनाक मध्यवर्ती स्थानों को ही गोचर भूमि बनाया जाय। चोरों तथा हिंसक जंतुओं से घाटियों को सुरक्षित रखा जाय। जहां पानी न हो वहां पर कुर्ये तथा तालाब बनाये जाय। जगह जगह पर फूल फल के बगीचे लगाये जाय। व्याघ तथा शिकारी लोग शिकारी कुत्तों को साथ लिये हुए जंगलों की देख रेख किया करें। चोर तथा दुश्मन के पास आते ही उनको शंख तथा नगारा बजा

देना चाहिये । पेड़ या पहाड़ी पर चढ़कर या तेज घोड़ेपर सवार होकर उनको धूमाश्रि परंपरा या पास युक्त राजकीय कबूतरों के सहारे राजा के पास जंगल में दुश्मन के पहुंचने की खबर पहुंचा देनी चाहिये ।

विवीताध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह हाथी बुन तथा जंगल की रक्षा करे । जंगलात विभाग की सड़कों को बनवावे और टूटी तथा खराब हुई सड़कों को सुधारे । चोरों को पकड़े और व्यापारियों के माल की रक्षा करे । गउओं के पालन पोषण के साथ साथ जांगलिक द्रव्योंका लोगों को ठेका देवे ।

५४-५५ प्रकरण ।

समाहर्ता का प्रबंध तथा खुफिया पुलिस का प्रयोग ।

(क)

समाहर्ता का प्रबंध ।

समाहर्ता (राज्यस्व एकत्रित करने वाला) जनपद को चारभागों में विभक्तकर, ज्येष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ, आदि के भेद से ग्रामों का निम्नलिखित प्रकार वर्गीकरण करे ।

- (i) ग्रामाश्रम । (साधारण ग्राम)
- (ii) परिहारक (राज्य कर से सर्वथा ही मुक्त)
- (iii) आयुधीय (सैनिकों को राज्यकर में देने वाला)
- (iv) धान्य, पशु, सोना, जांगलिकद्रव्य, स्वतंत्रश्रम, आदि कर में देना वाला ।

पांच गांव से दस गांव तक का प्रबंध गोप नामक राज्य कर्मचारी करे । गांवों की सीमा निश्चित करने के बाद—जुताहुआ, बेजुताहुआ, खालीपड़ा, चावल का खेत, बाग, तरकारी का खेत, बर्गीचा, जंगल, मकान, मन्दिर, चैत्य, तालाब, शमशान, सत्र (भोजन जहां मुफ्तमें मिले) या यज्ञस्थान, प्रपा (जहां पानी मुफ्तमें ही यात्रियों को पिलाया जाय), तीर्थ, चरागाह, मार्ग—आदि के अनुसार भूमिका विभाग कियाजाय तथा गांवों तथा भूमियों

के विषय में निर्णय कियाजाय कि उनकी आपस की का सीमा है ? कितने में जंगल तथा मार्ग है ? कौनसी जमीन खरीदी या दानसे प्राप्त हुई है ? किसको किसदंग की राजकीय सहायता मिली है और कौन राज्यकर से मुक्त है ? । मकानों के विषय में भी रजिस्टर में दर्ज कियाजाय कि कौनसा मकान राजवकर देता है और कौनसा मकान नहीं ? और साथ ही स्पष्टरूप से यह प्रगट कियाजाय कि अमुक गांव में इतने चारों बणों के लोग हैं, किसान, घाले, बनिये, कारीगर, मेहनती मजदूर तथा दास इतने हैं, दो पैर वाले जानवरों तथा चौपायों की संख्या इतनी है और इतना इतना सोना, स्वतंत्रशम, चुंगीया शुल्क तथा जुरमाना इन इन गांवों से प्राप्त होता है । किन किन स्त्रियों तथा पुरुषों को कौन कौन सी विद्या आती है ? उनमें बालक, वृद्ध, कितने हैं ? उनका काम पेशा, आमदनी तथा खर्च कितना है ? इत्यादि बातों का परिमाण करते हुए स्थानिक जनपद के चौथे भाग का प्रबन्ध करे । प्रदेश लोग गोप तथा स्थानिक के कामों का निरीक्षण करें और बलि (धर्म विषयक कर) नामक कर को एकत्रित करें ।

(४)

खुफिया पुलिसका प्रयोग ।

समाहर्ता गृहस्थ के भेसमें खुफिया का काम करने वाले लोगों (गृहपतिकव्यञ्जन) को भिन्न भिन्न गांवों में इस बात को जानने के लिये भेजे कि किन किन गांवों में खेतों, मकानों तथा लोगों की क्या स्थिति है । खुफिया लोग खेतों के परिमाण तथा पैदावार को, मकानों के आय तथा परिहार (राज्यकर से हुटकारा) को तथा लोगों के वर्ण (जात) तथा कर्म को जानें और उनकी कुल संख्याके साथ साथ जमाखर्च का पता लेवें । गांव में कौन आया तथा कौन गया, उनके आने जाने का क्या कारण है, कौन स्त्री पुरुष बुराकाम करते हैं और दुश्मनों ने कहां कहां पर अपना खुफिया रख छोड़ा है इत्यादि बातों का भी साथही में वह लोग ज्ञान प्राप्त करते रहें ।

बनिये के भेस में खुफिया का काम करने वाले (वैदेहक व्यंजन) लोग अपने ही देशकी स्थान, सेतु (पानी से युक्त स्थान), वन, कार-खाना तथा खेत आदिकां में पैदा होने वाले सरकारी पदार्थों की राशि तथा कीमत का ज्ञान रखें । और परदेश में पैदा होने वाले तथा बारिपथ तथा स्थलपथ से आने वाले झूल्पमूल्य तथा बहु-मूल्य पदार्थों के विषय में—चुंगी, सड़ककर, गाड़ी का खर्चा, छावनी का कर, नौका भाड़ा आदि का खर्चा घटा कर बचे हुए व्यापारों पदार्थों की राशि का पता लेवें ।

इसी प्रकार समाहर्ता द्वारा भेजे गये तपस्वी के भेस में रहने वाले खुफिया खेतिहर, गोरक्षक, बानिये आदिकों और अध्यक्षों की राजभाक्षि के विषय में तहकोकात करते रहें ।

पुराने चोर तथा विद्यार्थी के भेस में खुफिया का काम करने वाले लोग—चैत्य (यज्ञ स्थान), चौरास्ता, खंडरात या उजड़ा स्थान, तालाब, नदी, घाट, तीर्थ, आश्रम, जंगल, पर्वत—आदि स्थानों में चोर, दुश्मन तथा साहसी लोगों में से कौन क्यों आया ? कहाँ गया ? उसका क्या प्रयोजन है ? इत्यादि बातें जानें ।

इस प्रकार समाहर्ता कार्य शील हुआ हुआ जनयद की रक्षा का प्रबंध करे । उसके नीचे काम करने वाले भिन्न २ प्रकार के स्वदेशी खुफिया अपने अपने कर्त्तव्य कर्म का प्रतिपालन करें तथा उस पर दृढ़ रहें ।

५६ प्रकरण । नागरक का कार्य ।

—८५७—

समाहर्ता के सदृश ही नागरक नगर का प्रबंध करे । गोप दस बीस घर से चालीस घर तक का प्रबंध करे । स्त्री पुरुषों की जाति, गोत्र कर्म के साथ साथ कुल संख्या तथा आय व्यय का ज्ञान प्राप्त करे । किलों के चौथाई भाग का प्रबंध स्थानिक करे । धर्माध्यक्ष (धर्मावस्थी) पाखंडियों तथा यात्रियों को रहने के लिये स्थान दे । गृहस्थ लोग अपनी जिम्मेवारी पर तपस्वियों तथा श्रोत्रियों को, और कारीगर तथा शिल्पी अपने अपने काम के स्थानों पर संबंधियों

तथा बंधु बांधवों को ठहरावें । जो लोग कारखानों में या रोके हुए स्थानों में बना माल बेचें या पराये माल को अपने स्थान पर रखें उनके विषय में बनिये लोग राज्य को सूचना दे देवें । कलवार, पक्का चावल तथा मांस बेचने वाले(एक मांसिक औद्दिनिक), और रंडियां जाने दूभे आदमी को ही अपने घर में हिकावें । फजूल खर्च तथा गुंड लागों का पता दवें । मकान का मालिक तथा डाक्टर गोप तथा स्थानिक को खबर देवें कि अमुक आदमी के गरमी या सूजाक है और अमुक आदमी अपथ्य करता है । अन्यथा दोनों ही राज्यापराधी ठहराये जाय । कौन आया तथा कौन गया इसकी सूचना भी राज्य को मिलनी चाहिये नहीं तो चोरी हो जाने पर चोरी के अपराध में दूसरों को अपने घर में ठहराने वाले लोग पकड़े जाय । यदि चोरी न हुई तो उनपर तीन पण जुर्माना किया जाय । इधर उधर फिरने वाले लोग, नगर के बाहर या अन्त में बने हुए मन्दिर तीर्थस्थान बन तथा शमशान में यदि किसी ऐसे मनुष्य को ठहरा हुआ पावें जिसके घाव हो, जिसके पास हथियार या बहुत सा माल हो, जो कि घबड़ाया हुआ, बहुत थका हुआ या धुर्गट की नींद लेता हुआ सो रहा हो—उसको पकड़े लेवें । शहर के अंदर उजड़े मकानों में, पका हुआ चावल मांस बेचने वाले, जुआरी, पाखंडी तथा कलवारों के रहने के स्थानों में बदमाशों को ढूंढा जाय ।

गरमी के दिनों में दुपहर को आग न जलाई जाय । जो इस नियम को तोड़े उसपर $\frac{1}{2}$ पण जुर्माना किया जाय । भोजन मकान के बाहर पकाया जा सकता है । $\frac{1}{2}$ पण जुर्माना उन लोगों पर किया जाय जो कि पञ्चघणी (पांच पानी स भरे घड़े), घड़ादोणी (वांस का लंबा बर्तन जिसमें पानी भरा हो), सीढ़ी, फरसा, सूप, अंकुस, कचग्रहणी (उखाड़ने का यंत्र) तथा मशक अपने घर में न रखें । फूस के टट्टू मकानों के प्राप्त न रखे जाय । आग से काम करने वाले लोहार आदि एक ही स्थान में बसाये जाय । घर के मालिक अपने अपने घर के दरवाजों पर सदा ही उपस्थित रहें । चौरास्तों, राजकीय प्राप्तादों, तथा गलियों में हजारों की

संख्या में पानी से भरे घड़े रखे रहें । आग लगने पर सहायता के लिये न दौड़ने पर गृहस्थको १२ पण और दूकानदार को ६ पण दंड दिया जाय । प्रमाद से यदि किसी से आग लगर्ही हो तो उसपर ५४ पण जुरमाना किया जाय । जिसने जान बूझ कर यही काम किया हो उसको आग में डालकर जला देना चाहिये ।

गली में कूड़ा फेंकने पर २^½ पण, सड़कमें कीचड़ फेंकने पर २^½ पण और राजमहिल के आस पास में इसी ढंगका अपराध करने पर दुगुना दंड दिया जाय । पुण्य स्थान, तालाब, मन्दिर, तथा राजमहिल के पास पाखाना करने पर १ पण से ऊपरे और पेशाव करने पर आधा दंड मिलना चाहिये । परन्तु यदि यही बातें डर बीमारी या दर्वाई के कारण होगई हैं तो कुछ भी दंड न देना चाहिये । शहर के अन्त में मरे हुए विलाब, कुत्ता, न्युबला, तथा सांप के फेंकने पर तीन पण, गदहे ऊट, खच्चड़, घोड़े तथा पशुके फेंकने पर ६ पण और मुर्दे के डालने पर ५० पण जुरमाना किया जाय । सड़क बिगाड़ने तथा मुर्दा ले जाने के रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते से मुर्दा निकालने पर साहस दंड और छोड़दारों को २०० पण दंड मिले । इमशान से अन्यत्र मुर्दा डालने या जलाने पर १२ पण दंड दिया जाय ।

रात पढ़ने के २^½ घंटा बाद और सवेरा होने से २^½ घंटा पहिले तूरी बजने पर कोई भी बाहर न निकले । तूरी के बजने के बाद जो कोई राजा के महल के पास पकड़ा जाय उस पर १२ पण जुरमाना किया जाय । पहिले, बीच के तथा अंत के घंटों (याम) में जो राजा के महल के पास देखा जाय उस पर दुगुना और जो किले के बाहर फिरे उस पर चार गुना जुरमाना हो । जो कोई संदिध स्थान में पकड़ा जाय या पाप कर्म करता हुआ देखा जाय उसपर अभियोग चलाया जाय । रात में राजा के महल के पास जाने या शहर पनाह पर चढ़ने पर मध्यम साहस दंड दिया जाय । बीमार, प्रसूता, प्रेत, दीवा सहित, नारक, तूर्य, (तूरी की आवाज सुनने या बजाने), प्रेत्ता (नाटक खेल तमाशा), अग्नि आदि के निमित्त सरकारी पास लिये हुए जो लोग बाहर निकलें उनको न पकड़ा जाय ।

स्वतंत्र रात (वह रात जिसमें लोगों का बाहर निकलना बन्द न हो) में जो लोग अनूठे नकली भस में, संन्यासी के रूप में या दंडा तथा हथियार हाथ में लेकर बाहर निकलें उनको अपराध के अनुसार दंड दिया जाय। जो पाहरेदार फजूल ही रोके या रोकने के योग्य व्यक्ति को खुले जाने वें दुगुना दंड (असमय में बाहर निकलने का जो दंड है उसका) दिया जाय।

स्त्री या दासी के साथ बदमाशी करने पर प्रथम साहस दंड दिया जाय। अदासी के साथ (इसी बात के करने पर) मध्यम और बदमाश औरत के साथ यही करने पर उत्तम दंड मिलना चाहिये। कुलीन स्त्री के घात करने पर भी यही दंड हो। कर्तव्य पालन में प्रमाद करने पर तथा “रात्रि संबंधी अपराध चेतन या अचेतन दशा में कैसे हुआ” इस बात की राजा को सूचना न देने पर नागरक को अपराध के अनुसार दंड दिया जाय।

तालाब, सड़कः जमीन, गुप्त मार्ग, शहर पनाह आदि की रक्षा तथा खोई, भूली तथा पीछे रही चीजों का प्रबंध नागरक को प्रति दिन नियम पूर्वक करना चाहिये।

राजा की वर्ष गांठ तिथि तथा पौर्णमासी के दिनों में कैद में पड़े बालकों बुझडों बीमारों तथा अनाथों को कैद से मुक्त किया जाय। पुण्य शील या प्रतिज्ञा बद्ध लोग दोष-निष्क्रय (वह धन जो कि कैदी को कैद से मुक्त करने के लिये राजा को देना आवश्यक हो) का धन देकर कैदियों को छुड़ावें।

काम या शारीरिक दंड या जुरमाने का धन आदि के अनुसार प्रतिदिन या पांच रात के बाद कैदियों को कैद से मुक्त किया जाय।

नये देश के जीतने, युवराज के राज्याभिषेक तथा पुत्र जन्म के समय में भी कैदियों को कैद से छोड़ा जाता है।



तीसरा अधिकरण ।

धर्मस्थाय ।

५१०-५८ प्रकरण

व्यवहार का स्थापन तथा विवादका निर्णय ।

संग्रहण, द्वोणपुख स्थानीय तथा सीमाप्रान्त (जहांपर दो गांवों की या दो राष्ट्रों की सीमा मिलती हो = जनपदसंधि) में तीन धर्मस्थ (जज तथा तीन अमात्य व्यवहार विषयक कार्यों का प्रबंध करें ।

[क]

व्यवहार का स्थापन

छिपाकर, गृहके अन्दर रात्रि, जंगल तथा एकांत में तथा कपट रूपमें किये गये व्यवहारों (शर्तों, शर्तनामों तथा प्रणों) को नियम विश्वस समझा जाय । करने तथा कराने वाल को साहस दंड दिया जाय यदि वह साक्षी हों तो उनको आधादंड और यदि वह श्रद्धेय हों तो वह द्रव्य हानि रूपी दंड भेंगे । जिसको दूसरे ने सुन लिया हो या जो अनुचित न हो वह यदि छिपाकर भी किया गया हो तो उसको। राज्यनियम के अनुकूल मान लिया जाय । दाय विभाग, थाती धरोहर, विवाह विषयक व्यवहार पर्दे नशोन स्त्री, बीमार तथा समझदार मनुष्य द्वारा यदि गृह के अन्दर ही किये गये हों तो उनको नियमानुकूल माना जाय । साहस (डाका आदि), घरमें घुसना, भाड़ा विवाद, राजाज्ञा पर लोगों को चलाना आदि के संबंध में, रात के पांहले भाग में काम करने वाले लोग यदि किसी ढंग की शर्त करें तो उसको ज्ञायज्ञ समझाजाय । व्यापारी, गडीरिये, वानप्रस्थी, व्याध, खुफिया तथा जंगल में रहने वाले जंगली जंगल में और गुप्त रूपसे आजीविका करने वाले एकान्त में एक दूसरे के साथ व्यवहार के

सकते हैं । यदि परस्पर विरोधी दल मंजूर करलें तो कपट रूपमें किया गया व्यवहार भी ठीक है । परंतु यदि यह न हो उसको नियम विरुद्ध समझा जाय ।

आश्रय हीन मनुष्य, लड़का जिसका बाप मौजूद हो तथा पिता जिसका लड़का मौजूद हो, कुल रहित भाई, छोटा भाई जिसकी संपत्ति का विभाग न हुआ हो, पति या पुत्र वाली खी, दास या जमानत में रखे मनुष्य, नाबालिग, राज्य दंडित (अभिशस्त), संन्यासी, लंगड़े लूने आदि अंगविकल, बीमार आदि यदि किसी ढंग का व्यवहार करें तो नाजायज् समझा जाय बशर्ते कि उनको राजा की ओर से आज्ञा न मिलगई हो । इसी ढंग पर कुद्द दुःखित, मत्त, उन्मत्त, अपगृहीत (जिसपर भूत सवार हो या घबड़ाया हुआ हो) पुरुषों का व्यवहार नियम विरुद्ध माना जाय । करने कराने तथा सुनने वालों को पूर्ववार्णित पृथक् पृथक् दंड दिया जाय । उचित स्थान तथा कालमें यदि स्वजात के लोगों ने कोई व्यवहार किया हो तो उसको ठीक माना जाय बशर्ते कि उसका स्वरूप, लक्षण तथा गुण विश्वसनीय हो ॥ आदेश * (जबरन आज्ञा देकर करवाया गया, तथा तकलीफमें आकर किये गये व्यवहार को छोड़ कर अन्य संपूर्ण व्यवहार नियमानुकूल समेक जाय ।

(ख)

विवाद का निर्णय ।

अभियोक्ता तथा अभियुक्त की अवस्था, सामर्थ्य, देश, ग्राम, गोत्र, नाम, तथा कार्य के लिखने के बाद “किस साल, किसप्रति, किस पक्ष तथा किस दिनमें किस स्थानपर कितना शूल लिया या दियागया” इसको तथा बादी तथा प्रतिबादी के अर्धानुसार प्रश्नों को लिखाजाय और इसके बाद उसपर गंभीर विचार कियाजाय ।

* आदेश इसका डाक्टर शामशास्त्री ने विनिमयबिल(bill of exchange) अर्थ किया है । परंतु यह अर्थ ब्रांति रेहित नहीं माना जा सकता । आदेश का सीधा अर्थ आज्ञा (order) है जैसा कि उनका भी रूपाल है ।

परोक्त संबंधी अपराध ।

परोक्त दोष में अपराधी वही व्यक्ति समझाजाता है जो कि जिरह करने पर—प्रकरण में आई हुई बात को छोड़कर दूसरी बात कहने लगे, पहिले कुछ कहे और पीछे कुछ कहे, दूसरे व्यक्ति की संमति लेने के लिये बारम्बार कहे, प्रश्न पूछा जाकर उत्तर न दे, पूछा कुछ जाय और उत्तर कुछ दे, कहकर मुकरजाय, साक्षियों के द्वारा कही गई बात को मंजूर न करे तथा अनुचित स्थान में साक्षियों से सलाह मशवरा करे ।

परोक्त दंड ।

परोक्त अपराध में दंड पांचगुना और स्वयंवादि (विना साक्षि के अपनी बात को बारंबार सत्यकहना) अपराध में दसगुना है । साक्षियों की भूति आठवां भाग है । अपराधी मुकदमे का संपूर्ण खर्चा भरे ।

प्रत्यभियोग ।

इन्ह युद्ध या कलह, डाका, व्यपारियों या कंपनियों का भगड़ा आदिक को छोड़कर अभियुक्त अभियोक्ता पर उलटा मुकदमा नहीं चला सकता । इसी प्रकार अभियुक्त के विरुद्ध भी मुकदमा दूसरी बार नहीं चलाया जासकता । यदि अभियोक्ता पूछे जानेपर शीघ्र ही उत्तर न दे तो उसको परोक्त दंड दिया जाय । क्योंकि अभियोक्ता को संपूर्ण बातें पहिले से ही मालूम होती हैं । अभियुक्त के साथ यही बात नहीं है । अतः उसको तीन रात से सात रात तक का समय उत्तर देने के लिये मिलना चाहिये । यदि वह इससे अधिक समय लगाव तो उसको ३ परण से १२ परण तक दंड दिया जाय । तीन परण यदि इसी ढंग पर गुजरजांय तो उसको परोक्त दंड दिया जाय । और उसकी संपत्ति में से अभियोक्ता को आवश्यक धन मिलजाय । यदि अभियोक्ता दोषी सिद्ध हो तो अभियुक्त को यही अधिकार मिलें, और अभियुक्त को परोक्त दंड दिया जाय । यदि अभियुक्त मृत या बीमार हो तो साक्षियोंके निर्णय के अनुसार अभियोक्ता धन दे तथा दंड भोगता हुआ काम करे और राश्वसों के विघ्नों के शान्त करने वाले

यज्ञादिकों को करवाये। यदि वह ब्राह्मण होतो उसके लिये यह नियम नहीं है।

चारों वर्ण, देशप्रथा, नष्ट होतेहुए धर्मों की रक्षा करने के कारण राजा को धर्म प्रवर्तक [धर्म को प्रचलित करने वाला] माना है। ०

धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा राजाज्ञा विवाद के निर्णय में उपयोगी होने के कारण धर्म के चारपैर समझेगये हैं। इनमें अगला पिछले का वाधक है।

धर्म सत्यमें व्यवहार साक्षियों में, चरित्र व्यक्तियों के रीति रिवाज के संग्रह में और राजाज्ञा राजकीय शासन में स्थिर रहती है।

प्रजाके धर्म की रक्षा करना ही राजाका कर्तव्य है। इसीसे उसको स्वर्ग मिलता है। जो राजा प्रजाकी रक्षा नहीं करता या निरपराधियों को वृथाही दंड देता है उसको राजाही न समझना चाहिये।

यदि राजा शत्रु तथा पुत्र में निपत्त होकर दंडका प्रयोग करे तो दंड इसलोक तथा परलोक की रक्षा करता है।

धर्म, व्यवहार [साक्षी], चरित्र [संस्था] तथा न्याय के अनुसार शासन करता हुआ राजा सारे संसार को जीत सकता है।

चरित्र या देश प्रथा का धर्म से या धर्म का व्यवहार से जिस बात में विरोध हो उसमें धर्म को ही प्रामाणिक मानाजाय।

यदि धर्म तथा न्याय से शास्त्र न मिलता हो तो उसमें न्याय को ही प्रामाणिक मानाजाय और यह समझाजाय कि शास्त्र का असली पाठ नहीं मिलता है।

मिन्न मिन्न पक्ष के लोग प्रायः अपनी बात को ठीक प्रगट करते हैं। इसमें कोई न कोई भूठा अवश्य ही होता है। इसलिये जिरह परीक्षा [अनुयोग], विश्वास पात्रता, कसम, निमेत हेतु अभ्यादिके सहारे अभियोग का निर्णय कियाजाय।

साक्षिके कहने तथा खुफिया पुलेस के अनुमंधान के द्वारा जो भूठा मालूम पड़े उसीको पराजित ठहराया जाय।

५९ प्रकरण ।

विवाह ।

(क)

विवाह विषयक विचार ।

संपूर्ण सांसारिक व्यवहार विवाह के बाद ही प्रारंभ होते हैं। ब्राह्मचिवाह में कन्या को सजाधजा कर दियाजाता है और प्राजापत्य विवाह में एक दूसरे के साथ मिलकर धर्मकाम करना ही आवश्यक समझा जाता है। आर्य विवाह में गऊ के जोड़े का दान और दैव विवाह में यज्ञवेदी के संमुख ऋत्विज की स्वीकृति ही मुख्य है। बिना माता पिता की स्वीकृति के लड़के लड़की का संबंध गान्धर्व, धनलेकर लड़की देना आसुर, सोर्दहुई को उठालेजाना या जवरन छीनलेना क्रमशः पैशाच तथा राक्षस विवाह माने जाते हैं। इनमें से पहिले चार विवाह ही धर्मानुकूल समझने। चाहिये। शेष विवाह तो माता पिता की अनुमति पर निर्भर हैं। क्यों कि वही तो लड़की देनेके बदले धन (शुल्क) प्राप्त करते हैं। यदि वही न हों तो उनके स्थानपर परिवार संभालने वाला व्यक्ति उस धनको ग्रहण करे। यदि कोई भी नहो तो लड़की ही उसधन की मालिकिन होती है। संपूर्ण विवाहों में खी-पुरुष का पारस्परिक प्रेम नितांत आवश्यक है।

(स)

स्त्रीधन ।

भोजन छादन विषयक धन तथा गहना ही “स्त्रीधन” नाम से पुकारा जाता है। २००० परण आजोवन भोजन छादन देने के लिये पर्याप्त हैं। गहने के विविध में कोई भी नियम नहीं है। भोजन छादन का विशेष प्रबंध किये बिना ही मालिक के विदेश में जाने पर स्त्री लड़के लड़की तथा बहू के पालन पोषण के लिये और मालिक के विपक्षि, बीमारी, दुर्भिक्ष, तथा खतरे में पहुँचाने पर

उसके उद्धार के लिये अपने धन को खर्च कर सकती है। धर्म युक्त विवाहों में दो बच्चे होने पर यदि स्त्री पुरुष आपस में मिल कर स्त्रीधन को खर्चकर डालें तो इसमें कुछभी दोष नहीं माना जाता। गांधर्व तथा आसुर में व्याजसहित स्त्रीधन लौटाना आवश्यक है। राक्षस तथा पैशाचमें स्त्री धनका ग्रहण करना चोरी समझा जाता है।

पति के मरजाने पर धर्म कामकी इच्छा से स्त्री अपना गहना तथा सगाई का धन लेसकती है। यदि गहना तथा धन दूसरे के पास हो तो वह उससे व्याज सहित वसूल करे। यदि वह दूसरा विवाह करना चाहती हो तो श्वसुर तथा पतिका दिया धन विवाह के समय में ग्रहण करे। दीर्घ प्रवास के प्रकरण में पुनर्विवाह के संबंध में प्रकाश डाला जायगा।

यदि कोई श्वसुरकी आङ्गा के विपरीत किसी दूसरे पुरुष से विवाह करे तो उसको श्वसुर तथा पतिका दिया धन न मिले। जिन जिन संबंधियों के पास उसने अपना धन रखा हो वह उनको लौटादें। जो स्त्री की रक्षा करना धर्म समझता है स्वभाविक है कि वह उसके धन की भी रक्षा करे। पतिका दायभाग कोई भी स्त्री नहीं लेसकती। जो स्त्री धर्म पूर्वक जीवन विताना चाहती हो उसको अपनी संपत्ति प्राप्त हो सकती है। जिन स्त्रियों के लड़के हैं वह अपने धनको खर्चनहीं करसती। उसको लड़केहीं ग्रहणकरें।

बाल बच्चों के पालन पोषण के लिये स्त्री अपने धन को व्याज पर लगा दे। बहुत से पुरुषों से यदि लड़के पैदा हुए हों तो उनके पिताओं का दिया हुआ धन सुरक्षित रखा जाय। जो संपत्ति उस को स्वतंत्रता पूर्वक खर्च करने के लिये मिली हो उसको लड़कों के नाम ही जमा करे। यदि किसी पतिव्रता विधवा के लड़का न हो तो गुरु के समीप रहते हुए अपने धन को आयु पर्यंत उपभोग करे। इसके बाद जो धन बचे वह दाय के हकदारों को मिले। मालिक के रहते हुए यदि कोई स्त्री मर जाय तो उसका धन लड़के लड़कियां आपस में बांट लें। यदि वह न हो तो मालिक स्वयं उस धन को ग्रहण करे। तथा बन्धु बांधवों ने जो धन शादी आदि के समय में दिया हुआ हो वह अपना अपना लौटा लें।

[ग]

यदि किसी लड़ी के आठ साल तक बच्चा न हो तो उसको बन्धा समझा जाय। यदि उसके एक मृत बालक पैदा हुआ हो तो दस साल तक और यदि उसके लड़कियां ही होती हों तो बारह साल तक प्रतीक्षा करें। इसके बाद शुल्क (दहेज का धन), लड़ी धन तथा अन्य प्रकार का धन (आधिवेदनिक) लौटा दे तथा २४ पण राज्य को दंड स्वरूप दे। जिसको शुल्क या लड़ी धन न मिला हो वह अपनी लड़ी को - शुल्क, लड़ी धन, आधिवेदनिक (अन्य प्रकार का धन) तथा अनुरूप मासिक वृत्ति देकर जितनी खियों के साथ चाहे विवाह करें। खियोंकी खियां लड़के उत्पन्न करने के खातिर ही हैं।

यदि सभी एक समय में ही मासिक धर्म से हों तो उसके पास सब से पहिले जाय। जिसके कोई लड़का जीता हो या जिसके साथ सबसे पहिले शादी की हो। मासिक धर्म के बाद यदि पुरुष लड़ी से संसर्ग न करे तो उसपर ६६ पण जुरमाना किया जाय। पुत्रवती, धर्म कामा, बन्धा, मृत पुत्र त्साविनी (जिसके मरा बच्चा पैदा हुआ हो) मासिक धर्म से रहित लड़ी के साथ उस की इच्छा के विरुद्ध संसर्ग न करे। पुरुष भी (इच्छाके न होते हुए) कोङ्गी तथा उन्मत्त लड़ी के पास न जावे। यदि लड़ी पुत्रकी इच्छुक हो तो इसी बीमारी से ग्रसित पुरुष के पास जासकती है।

नीच, परदेश में गये, राज्य का अपराध किये, दूसरे का खून किये, परित, त्याज्य तथा नपुंसक पति को सदा के लिये छोड़ सकती है।

५६ प्रकरण । विवाहितों के संबंध में नियम ।

[क]

शुश्रषा ।

बारह साल की लड़का और सोलह सालका लड़का बालिग (प्रासन्यवहार) होता है। इससे अधिक उमर होने पर यदि वह

बड़ों की सेवा शुश्रूषा न करे तो लड़की को १२ पण और लड़के को इससे दुगुना दंड दिया जाय ।

[ख]

आभरण पोषण ।

यदि समय निर्णित न हो तो स्त्री को कपड़े लते (ग्रासाच्छ्रुदन) के साथ साथ मालिक की आमदनी के अनुसार अधिक भी दिया जाय । जहाँ समय निर्णित हा वहाँ हिसाब से जो धन उसके हिस्से में निकले उसको दिया जाय और उसका शुल्क (दहेज) स्त्री धन (उसकी अपनी संपत्ति) तथा हानि पूर्ते का पुरस्कार (आधि वेदनिका) भी मिले । यदि वह सुसराल के लोगों के पास रहती हो या सबसे जुदा होकर स्वतंत्र रूप से रहती हो तो मालिक उस के आभरण पोषण के लिये वार्धित नहीं किया जा सकता ।

[ग]

कठोर व्यवहार ।

“नंगी, अधनंगी, लूली लंगड़ी, बाप मरी माँ मरी” आदि गालियों को बिना दिये ही ढंग की बातें सिखायीजाय । यदि यह संभव न हो तो वांसकी खपची, कोड़ा या थप्पड़ पीठ पर तीनवार मारा जाय । यदि इसपरभी वह नियम तोड़े तो उसको वांगड़ (६२ प्रकरण) तथा पारुष्य दंड (७३ प्रकरण) नामक प्रकरण में विधान कियेगये दंडों का आधा दंड दिया जाय । ईर्ष्या तथा द्वेष से पतिके साथ जो दुर्व्यवहार करे उसको भी यही दंड मिले । घरके दरवाजे पर या बाहर बगीचे में होनेवाले खेल तमाशों में जो संमिलित हो उसके लिये दंड आगे चलकर कहा जायगा ।

१. डाक्टर शामशास्त्री ने इसवाक्य का अर्थ बिल्कुल उल्टा किया है । अनादाने का अर्थ “न लेने पर या न घटण करने पर है” । यदि स्त्री से शुल्क स्त्रीधन तथा पुरस्कार न लियाजाय तो उसको हिसाब से धन मिले यह संपूर्ण वाक्य का तात्पर्य होता है । “अनादाने” का अर्थ “न दियाजाय” यह अर्थ नहीं है ।

२. डाक्टर शामशास्त्री ने “अनिर्देश” का अर्थ “निर्देश का कहना” करदिया है । गाली को देकर लड़कियों तथा स्त्रियों को काम सिखाना राज्य नियम डारा पुष्ट करना कहाँ तक उचित है ? वस्तुतः अनिर्देश का अर्थ न कहना है । इससे उपरि लिखित अर्थ ही ठीक प्रतीत होता है ।

[८]

स्त्री पुरुष का द्वेष ।

जो स्त्री पति से द्वेष रखती हुई सात मासिकधर्म तक दूसरे पुरुष की कामना करती रही हो वह अपने गहने पति को लौटा दे और उसको दूसरी स्त्री के साथ सोने की आज्ञा देदे । इसी प्रकार जो पुरुष अपनी स्त्री को न चाहता हो वह उसका वैरागिन, संबंधी, रिश्तेदार या परिवार के लोगों के पास रहने से न रोके । जो पुरुष झूठ मूठ ही अपनी स्त्री के विषय में कहे कि “यह मुझको संतुष्ट नहीं करती या अमुक रिश्तेदार या खुफिया के साथ गुप्त संबंध रखती है” उस पर १२ पण जुरमाना किया जाय । यदि पति न चाहे तो स्त्री नाराज होते हुए भी उसका परित्याग नहीं कर सकती । इसी प्रकार पति स्त्री का । परित्यागन भी संभव है जबकि दोनों ही एक दूसरे के साथ द्वेष रखते हों और जुदा होना चाहते हों । स्त्री से तंग आकर यदि पुरुष उससे छुटकारा पाना चाहे तो जो धन स्त्री की ओर से उसको मिला है वह उसको लौटा देना चाहिये । परंतु यदि स्त्री पति से तंग आकर छुटकारा पाना चाहे तो उसको उसका धन न लौटाया जावे । पहिले चार विवाहों (धर्म विवाह) में परित्याग का नियम नहीं है ।

(८)

स्वेच्छाचार ।

बारंबार मने करने पर भी जो रंगले रसिये पन (दर्प मद्य कीड़ा) की खेलों में संमिलित हो उत पर ३ पण जुरमाना किया जाय । औरत संबंधी खेल तमाशों तथा बगीचों में जो दिन में जाय उस पर ६ पण और मर्द संबंधी खेल तमाशों तथा बाग बगीचों में जो जाय उस पर १२ पण दंड किया जाय । रात में यदि यही अपराध किया जाय तो दंड दुगुना होना चाहिये । पति को बाहर ले आने या सोये हुए तथा शराब में बदहोश के साथ बदमाशी करने पर १२ पण तथा रात में बाहर भगा लाने पर दुगुना जुरमाना किया जाय । स्त्री पुरुष की मैथुन विषयक इशारेबाजी में या एकान्त में बात चीत करने पर स्त्री पर २४ पण और पुरुष पर

दुगुना दंड करना चाहिये । बाल तथा बल के पकड़ने तथा दांत तथा नख के चेन्ह होने पर स्त्री को साहस दंड और पुरुष को दुगुना दंड मिलना चाहिये । शंकित स्थान में बातचीत करने पर पण के स्थान कोड़ मारे जाय । चंडाल गांव के बोच में हर पन्द्रहवें दिन या शरीर के द्वेनों ओर पांच पांच कोड़ अपराधी औरतों के मारे । एक पण देने पर एक कोड़ा कम रुप दिया जाय ।

(च)

राज्य नियम विरुद्ध व्यवहार ।

रोके जाने पर भी जो स्त्री एक दूसरे को छोटी मोटी चीज़ों से सहायता पहुंचावें उस पर १२ पण, जो दामी चीज़ें दे उस पर २४ पण और जो संपत्ति तथा सोना भेजे उस पर ५४ पण जुरमाना किया जाय । पुरुष को इससे दुगुना दंड मिले । बिना आपस में साक्षात्कार किये ही जब ऐसा काम किया जाता हो तो आधा दंड दिया जाय । प्रतिसिद्ध पुरुष के साथ व्यवहार करने के संबंध में भी इसी नियम को काम में लाया जाय ।

राज्य द्वेष, नियम भंग तथा स्वच्छाचार से स्थिरों का अपने, दहेज के तथा पति द्वारा दिये गये में धन (शुल्क) पर प्रभुत्व नहीं रहता ।

५९ प्रकरण । विवाह विषयक नियम ।

(क)

घर से भागजाना ।

खतरे को छोड़कर यदि किसी अन्य कारण से कोई स्त्री घर से बाहर भागजाय तो उसपर ६ पण और जो वारंवार रोकने पर यही काम करे तो उसपर १२ पण जुरमाना कियाजाय । यदि वह पढ़ोंसी के घर से दूसरे घरमें जाय तो उसके ६ पण दंड दियाजाय ।

पढ़ोंसी, भिखर्मंगे, व्यापारी, श्रद्धियों को घर में ठहराने, भीख देने तथा मालआदि के देने पर १२ पण और प्रतिषिद्ध व्यक्तियों के

साथ यही बात करने पर साहस दंड और दूसरे के घर में आईहुई वैरागिन आदि को सहायता या दान देने पर २४ पण दंड दियाजाय।

विपत्ति या खतरे को छोड़ कर जो कोई दूसरे की औरत को अपने यहां ठहरावे तो उसको दंड मिले। यदि कोई बिना आज्ञा के उसके घरमें घुस आया हो इसमें उसका कुछ भी अपराध न समझना चाहिये।

प्राचीन आचार्यों का मत है कि पति के, संबंधी, अमीर, गांव-मुखिया, संरक्षक, भिन्नकी, रिश्तेदार आदि के यहां खियों के जाने में कुछ भी दोष नहीं है। कौटल्य का मत है कि आदमियों से भरे हुए संबंधी का घर अच्छा है या बुरा है, उनकी दोस्ती कुल पूर्ण है या नहीं? इसको कोई खीं कैसे जान सकती है? इसमें सन्देह भी नहीं है कि मृत्यु, रोग, गर्भ आदि के मामले में संबंधियों के यहां जाना उचित ही है। ऐसे मौकों पर जो खीं को संबंधियों के घर में जाने से रोके उस पर १२ पण और जो खीं स्वयं बहाना बनाकर न जाय उसका स्त्रीधन जबत कर लिया जाय। यदि संबंधी लोग लेनदेन से बचने के लिये उसको किसी बहाने से न बुलावें तो उनको उनके हक का धन वह न दे।

(स)

मार्ग में किसीके साथ हो लेना ।

पति के घरसे भागकर जो किसी दूसरे गांव में जाय उसपर १२ पण जुरमाना कियाजाय। यदि वह अपना गहना किसी दूसरे के यहां रखते तो वह उसको न मिले। यदि वह किसी गमन योग्य पुरुष के साथ गई हो तो उसपर २४ पण जुरमाना कियाजाय और उसको जातविरादरी से बाहर करदिया जाय बशर्ते कि गर्भ, भक्त-बेतन, दान या तीर्थ गमन आदि उसके जाने का कारण न हों। एक उद्देश्य वाले पापी स्त्री पुरुषों को समान दंड दियाजाय। बन्धु के साथ यदि वह जाय तो उसको दंड न मिले। परन्तु यदि यही बात रोके जाने पर की हो तो उसको आधा दंड दियाजाय। संदेह युक्त तथा प्रतिषिद्ध व्यक्ति के साथ यदि कोई स्त्री मैथुन के उद्देश्य से मार्ग जंगल या गुप स्थान में जाय तो उसको व्यभिचार पादे

में एकदृजाय और उसीके अनुसार उसपर दंडका विधान कियाजाय ।

गवैइये, बजैइये, नट मछियारे, व्याध, ग्वाले, कलवार आदि या अपनी खी को साथ लेकर चलने वाले लोगों के साथ यदि कोई खी जाय इसमें किसी ढंग का भी दोष नहीं है । बदमाश आदमी के साथ खी को लेजाने पर या ऐसे आदमी के साथ खी के स्वयं जानेपर आधा दंड दियाजाय ।

(ग)

देर तक विदेश में रहना ।

यदि कुछ समय के लिये, शुद्र वैश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मणजाति के कोई मनुष्य बाहर गये हों तो उनकी स्त्रियें कम से कम एक साल तक, यदि उनके बच्चे हों तो वह अधिक समय तक, यदि मालिक खानेपीने का प्रबंध करगया हो तो दुगुने समय तक उसके आने की प्रतीक्षा करें । जिनके खानेपीने का प्रबंध न हो उनको धन धान्य से समृद्ध उनके भाई बन्द सहारा दें । चार या आठ साल के बाद उनका भार जान बिराड़ी के लोग संभालें । इसके बाद वह विवाह कालीन धन लौटाकर दूसरे के साथ विवाह करसकती हैं ।

यदि कोई ब्रह्मण बाहर कहाँ पढ़नेगया हो तो उनकी स्त्रियें दस सालतक और उनके बच्चा हो तो वारह सालतक और यदि कोई क्षत्रिय राजाके काम से बाहर गये हों तो उनकी स्त्रियें जीवन पर्यंत उनकी प्रतीक्षा करें । यदि किसी समाज के व्यक्ति के द्वारा उनके बच्चा पैदा होगया हो तो इसमें उनकी बदनामी किसीको भी न करनी चाहिये । यदि किसी के पास खानेपीने को रुपया न हो और अमोर संबंधो उसको छाड़ बैठे हों तो वह दूसरा विवाह करले । सगाई होजाने के बाद यदि किसी कुमारी लड़की का भावोपति बिनाकहे विदेश चलागया हो और उसके पास खानेपीने लायक धन न हो तो वह सात मासिक रुप्त्व तक, और यदि वह कहकर बाहर गया हो तो एकसाल तक प्रतीक्षा करे । इसी प्रकार उसके विषयमें समचार न मिलने पर पांच समाचार मिलने पर दस, शुल्क का कुछ धन ल चुकने के बाद खबर प्राप्त होनेपर सात और न प्राप्त होने पर तीन और पूरे शुल्क लेचुकरे के बाद पूर्ववत् पांच तथा

दस मासिक धर्म तक उसकी बाट देखे । इसके बाद धर्मस्थ से आशा लेकर दूसरा विवाह करले । कौटिल्य की सम्मति है कि गर्म होजाने तथा मासिक धर्म बन्द होनेपर ही स्त्रियों के धर्म का नाश समझा चाहिये ।

दीर्घ काल के लिये जिन्होंने वैराग्य धारण करलिया हो उनकी स्त्रियें सात मासिक धर्म तक और यदि उनके बैच्चा हो तो साल भरतक प्रतीक्षा करें । इसके बाद छोटे भाई के पास बैठजाय । यदि बहुतसे छोटे भाई हों तो जो सबसे छोटा भाई जवान धार्मिक, स्त्री रहित, तथा नज़दीकी रिश्तेदार या प्रतिदिन समीप रहता हो उसके साथ रहे । यदि वह भी न हो तो किसी समान गोत्रके संबंधी के पास चली जाय । सारांश यह है कि उसको जो सबसे अधिक नज़दीक का मिले उसके पास बैठे ।

यदि कोई स्त्री ऐसे पुरुष के साथ विवाह करती है जो कि उसके मालिक का रिश्तेदार या संपत्तिका हक्कदार नहीं है तो वह दोनों और उनके विवाह में जो शरीक हों वह सबके सब व्यंभिचार संबंधी अपराध में अपराधी समझे जाय ।

६० प्रकरण । दाय—विभाग ।

—८५४—

पिता या पिता माता के जीवित रहते लड़के संपत्ति बांटने में स्वतंत्र नहीं हैं । उनके मरने के बाद ही वह संपत्ति को आपस में बांट सकते हैं । जो धन किसी ने स्वयं परिश्रम कर कमाया है वह उसी का है उसको कोई दूसरा नहीं ले सकता । बशर्ते कि वह पिता की संपत्ति के सहारे न प्राप्त किया गया हो । चिरकाल से चली आई पैतृक संपत्ति चौथी पीढ़ी तक लड़कों तथा पोतों में बांटी जासकती है बशर्ते कि उनका गोत्र खंडित न हुआ हो । खंडित गोत्र वालों में संपत्ति समान रूप से बांट दी जाय । जो लड़के पिता से धन न प्राप्त करने या उसको आपस में बांट लेने पर भी एक साथ रहते तथा कमाते हों वह अपनी संपत्ति को आपस में पुनः बांट सकते हैं । जिसके कारण संपत्ति विशेष रूप

बढ़ी हो उसको संपत्ति का आधिक भाग मिलना चाहिये । जिसके कोई भी लड़का न हो उसके भाई या साथी उसकी संपत्ति को और लड़की गहने आदि स्थिर धन को प्राप्त करे । जिनके धार्मिक विवाह से लड़के लड़कियाँ हों उनकी संपत्ति उनके लड़के लड़कियों को ही मिले । यदि उनमें से कोई भी न हो तो उनके पिता को और यदि वह भी न हो तो उनके भाई को संपत्ति मिले । भाई के लड़के भी एक हिस्सा प्राप्त करें यदि बहुत से भाइयों में एक भाई मरण्या हो भिन्न भिन्न मात्रा पिताओं से उत्पन्न भाइयों में पिता के अनुसार ही संपत्ति का विभाग होना चाहिये । चचेरे भाई एक दूसरे को सहारा नहीं देते अतः बड़े के रहने पर छोटे को आधा हिस्सा मिले ।

यदि पिता जीतेजी विभाग करना चाहे तो! सब को समान रूप से धन दें । किसीको भी अकारण संपत्ति से बंचित न करे । यदि पिता कुछ भी धन न छोड़ गया हो तो बड़े लड़के छोटे पर अनुग्रह करें बशर्ते कि वह तुराइयों में न फंसगया हो ।

पिता का धन बालिगों में ही बांटा जाता है । जो नाबालिग हों उनका धन मामा, या ग्रामबृद्ध लोगों के पास रखादिया जाय । जो विदेश में गया हुआ हो उसके विषय में भी इसी नियम को काम में लाना चाहिये ।

विवाहित भाईं पिता के मरने पर अविवाहित भाईयों को विवाह का खर्च दें और लड़कियों को दहेज़ का धन दें । ऋण तथा प्राप्त धनका समान रूप से विभाग कर लिया जाय । पुराने आचार्यों का मत है कि धन धान्य रहित लड़के घरके पानी के बर्तन तक आपस में बांट लें । कौटिल्य इसको छल समझते हैं । क्यों कि जो चीज़ मौजूद हो उसीका विभाग किया जाता है और जो चीज़ है ही नहीं उसका क्या विभाग किया जाय ? “इतनी संपत्ति है और इतना इतना प्रत्येक के हिस्से में आती है” इसबात को कह कर साक्षियों के द्वारा विभाग करवाया जाय । अविभाज्य, चोरी गई हुई, खोई हुई तथा आकस्मिक रूपसे मिली पुरानी सम्पत्ति का पुनः विभाग कर लिया जाय । श्रोत्रिय स्त्री, मृतक

संस्कार रहित सृत, नीच आदि की संपत्ति को छोड़कर अन्य सम्पत्ति को राजा स्वयं ग्रहण करे यदि कोई भी उसका हकदार न हो । जात विरादरी से बाहर किये गए मनुष्यों तथा नपुंसकों को दाय भाग नहीं मिलता । जड़ उन्मत्त अन्धे तथा कोढ़ी लोगों के विषय में भी इसी नियम को काम में लाना चाहिये । यदि इनके लड़के इनके सदृश न हों तो उनको दादा की संपत्ति का भाग मिलना चाहिये । जात विरादरी से बाहर निकाले हुए व्यक्तिको छोड़ कर अन्य सबको खाना कपड़ा मुफ्त में दिले ।

यदि इनके स्थियें हों परंतु इनसे कोई बच्चा न हो तो बंधु बांधवों के द्वारा उनमें नियोग करवा के जो बच्चा पैदा किया जाय उसको पुरानी संपत्ति का भाग मिले ।

६०. प्रकरण । हिस्सों का बांटना

I एक स्त्री के लड़कों में बड़े को—ब्राह्मणों में बकरी, लक्ष्मियों में घोड़ा, वैश्यों में गौ तथा शूद्रों में भेड़ी—मंभले को काने और छोटे को रंग बिरंगे मिलें । यदि चौपाये न हों तो हीरे जवाहरात को छोड़कर संपूर्ण संपत्ति का दसवां भाग बड़ा ले । इसीसे वह पूर्वजों के ऋण से मुक्त होता है । उशना के अनुयायियों का यह विभाग है ।

पिता के मरने पर गाढ़ी घोड़ा तथा गहना बड़े को, चारपाई चैकी तथा पुराने बर्तन, मंभले को और काला धान लोहा घेरू, सामान, तथा बैलगाड़ी छोटे को मिले और इसके बाद जो सामान बचे वह बराबर बराबर बांट दिया जाय । लड़कियों को पिता की संपत्ति में भाग न मिले । माता का सामिग्री में से वह पुराने बर्तन तथा गहने को ग्रहण करें । यदि बड़ा लड़का नपुंसक हो तो उसको अपने हिस्से का तीसरा भाग, यदि वह बदमाश हो तो चौथा भाग मिले । यदि सर्वथा ही उच्छ्रुत ल हो और धर्म कार्य की कुछ भी परवाह न करता हो तो उसको कुछ भी न दिया जाय । मंभले तथा कनिष्ठ के विषय में भी इसी नियम को समझना चाहिये ।

यदि इन दोनों में से किसी के बाल बच्चे अधिक हों तो उसको बड़ा का आधा भाग अधिक मिले ।

II कई स्थियों के लड़के हों तो उनमें से कौन वास्तविक तथा अवास्तविक का है? दोनों ही बिना विवाह संस्कार हुई हुई स्थियों के हों तो उनमें से कौन पीछे तथा कौन पहिले पैदा हुआ है? यदि जुड़िया हों तो कौन पहिले बाहर आया है? इत्यादि बातों को सामने रख कर संपत्ति का विभाग किया जाय ।

सूत मागध व्रात्य रथकार आदि जातों में संपत्ति के अनुसार विभाग हो। जिनके कुछ भी संपत्ति न हों वहाँ घरकी बीजें बराबर बराबर बांट दी जाय। यदि किसी के चारों वरणों की स्थियों से बच्चे हों तो ब्राह्मणों के लड़के को चौथा भाग, क्षत्रियों के लड़के को तीसरा भाग, वैश्यों के लड़के को दो भाग और शूद्रों के लड़के को एक भाग मिले। क्षत्रियों तथा वैश्यों के तीन वरणों या दो वरणों की स्थियों से जो बच्चे हों उनके विभाग के नियमों को इसीसे अनुमान करलेना चाहिये। ब्राह्मणों के अन्तरा पुत्र (एक जात नवीं की रुपी से उत्पन्न) को बराबर भाग और क्षत्रियों वैश्यों के अन्तरा पुत्र को आधा भाग मिले। जिसके जादा बालबच्चे हों उसको बराबर भाग मिले। भिन्न २ जातियों के स्थियों से यदि एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ हो तो उसको संपूर्ण संपत्ति मिले और वह बन्धु लोगों का पालण पोषण करे। ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न पारशव तीसरा भाग सगोत्र या समीप के रिश्तेदार रुपी से उत्पन्न लड़के शेष दो भाग व्रहण करें और पिता का पिण्ड दानादि करें। यदि कोई भी न हो तो पिताकी संपत्ति आचार्य या उसके विद्यार्थी को या माता के रिश्तेदार या सगोत्र को या नियोग से उत्पन्न बालक को पिताकी संपत्ति मिले।

६० प्रकरण । पुत्र-विभाग ।

पुराने आचार्यों के मत में रुपी के साथ साथ जिन जिन पुरुष का संबंध हो उनको पिता या क्षत्री समझना चाहिये। कुछ लोग

जिसके वीर्य से जो बालक पैदा हुआ हो उसी को बालक का पिता मानते हैं। कौटिल्य के विचार में दोनों ही एक प्रकार से पिता हैं।

संपूर्ण संस्कार हो चुकने वाद जो स्वयं पैदा हुआ हो उसको और स नाम दिया जाता है। लड़की के लड़के को इसी के तुल्य समझना चाहिये। सगोत्र से अन्य गोत्र वाली लड़ी में जो बालक पैदा किया जाय उसको क्षेत्रज कहते हैं। जिसके बाप का पता न हो उसको द्विपितृक (दो बाप का) तथा द्विगोत्र मानना चाहिये और उसको दोनों के ही मृतक संस्कार तथा दाय में अधिकार होना चाहिये। उसी के समान जो रिश्टेदार के यहाँ पैदा हुआ हो उसको गूढ़ज नाम से पुकारा जाता है। यदि रिश्टेदार उसको अपने यहाँ न रखते तो उसको संस्कार करने वाले का लड़का और लड़की के गर्भ से जो पैदा हो उसको कानीन कहते हैं। सर्वभ स्त्री से विचाह करने के बाद उत्पन्न हुए बालक को सहांड और दूसरी शादी के बाद उत्पन्न हुए बालक को पौनर्भव कहा जाता है। पिता या बन्धुओं से जो स्वयं पैदा किया गया हे उसी को दाय भाग मिलता है। जो दूसरे के द्वारा पैदा हुआ हो उसको संस्कार करने वाले की संपत्ति में ही हक है न कि रिश्टेदारों की संपत्ति में।

उसी के तुल्य दत्त हैं जिन को माता पिता ने पानी हाथ में लेकर दूसरे के हाथ में देदिया है। जो स्वयं ही बन्धु लोगों के लड़के बन गये या जिनको बन्धुओं ने लड़का करके मान लिया है या जो खरीद कर पुत्र बनाये गये हैं उनको क्रमशः उपगत, कृतक तथा क्रीत नाम से पुकारा जाता है। और स के सर्वर्ण भाइयों को पिता की संपत्ति का तीसरा भाग और जो असर्वर्ण हों उनको केवल खाना पीना मिले। ब्राह्मण से क्षत्रिया स्त्री में जो बालक पैदा हों उनको असर्वर्ण और वैश्या तथा शूद्रा से जो पैदा हों उनको अम्बष्ट तथा निशाद या पारशव कहा जाता है। क्षत्रिय से शूद्रा में उत्पन्न बालक उग्र होते हैं। इनको शूद्र ही समझना चाहिये। ब्रात्य वह है जो राज्यापाराधी अभिशस्त लोगों से सजात की लड़ी में पैदा हों। इसी ढंगपर उलट भी है। शूद्र से अयोग व क्षत्र तथा चांडाल, वैश्य से मागध तथा वैदेहक (बनिये) और क्षत्रिय से स्त्री तभी उत्पन्न होते हैं जब तक उनका अपने से ऊपर जाति की लड़ी के साथ संबंध हो।

जाय । मागध ब्राह्मण क्षत्रिय से और पौराणिक सूत से भिन्न हैं । राजा जब अपने धर्म का प्रति पालन नहीं करता है तभी सूत आदि पैदा होते हैं ।

उग्र से नैषाद्वित में कुटक, निवाद से उग्रा में पुलकस, अम्बष्ट से वैदेहिका (बनिया जाति की स्त्री) में वैण, वैण से वैदेहिका में कुशीलव, उग्र से क्षत्रा में श्रपाक जात के लोग पैद होते हैं । इन को अनन्तर्वंशी जात का समझना चाहिये । वैष्ण काम करने से रथकार नाम प्राप्त करता है । इनका अपनी जातिमें ही विवाह होता है कार्य तथा रीतिरिवाज में इनको अपने पूर्वजों का ही अनुकरण करना चाहिये । चंडाल को छोड़कर उपरि लिखित संपूर्ण शूद्र के सदृश ही मानने चाहिये । उपरि लिखित नियमों का पालन करता हुआ राजा स्वर्ग को प्राप्त करता है । इससे विपरीत चलने पर नरक का भागी होता है । देश जाति संघ तथा गांव का जो नियम हो उसी के अनुसार दाय विषयक नियम बनाने चाहिये ।

६१ प्रकरण ।

गृह—वास्तुक ।

सामन्त (अमीर पड़ोसी) लोग वास्तु विषयक विवाद का निर्णय करें । वास्तु से तात्पर्य गृह, खेत, बाग, सेतुबंध, तलाव आदि से लिया जाता है । सेतुबंध में सेतु शब्द उस मकान के लिये प्रयुक्त होता है जिसमें कड़ी छत के साथ लोहे की कीलें जड़ी गई हों कड़ी के अनुसार ही मकान बनाना चाहिये । मकान बनाते समय इस बात का रुखाल रखना चाहिये दूसरे की भूमि तक न पहुंच जाय । नींव दो अरबी या तीन पाद हो । दस दिन के लिये खड़े किये गये सूतिका गृह को छोड़ कर अन्य गृहों में पालना तथा नाली के साथ साथ रखोई तथा पीने के पानी को प्राप्त करने के लिये एक अच्छा सा कुंआ बनाया जाय । जो इस नियम का उल्लंघन करें उनको साहस दंड दिया जाय । उत्सव के समय आगज लाने तथा चुम्बी के पानी बहने का प्रबंध भी इसी

प्रकार करना चाहिये । ३ पद या आधी अराति से आधिक बहुत बंडी मोरी या नाली आदि बनाई जाय । जो इस नियम का उल्लंघन करे उसपर ५४ पण जुरमाना किया जाय । एक पद या अराति से लेकर दृपद याधपद तक का यज्ञ स्थान जलस्थान(उदंजर-स्थान), चकिया तथा मूसल कूटने का स्थान बनाया जाय । सभी मकानों के बीच में तीन पद चौड़ी गली रखी जाय । दो मकानों की छतें या तो एक दूसरे के साथ आपस में मिली हों या उनमें कम से कम चार अंगुल का फरक हो । किस्तु जितना बड़ा दरवाजा बनाया जाय और दरवाजे के खुलने का स्थान छोड़ दिया जाय । प्रकाश आसकने के लिये ऊपर खिड़की रखी जाय । दूसरे को नुकसान न पहुंचाते हुए बहुत से लोग आपस में मिलकर घर बना सकते हैं । बृष्टि की वाधा से बचने के लिये छत को ऐसी चटाई से ढाक दिया जाय जो कि हवा से उड़ न सके । जो इस नियम का उल्लंघन करे उनको प्रथम साहस दंड दिया जाय । यही दंड उन लोगों को मिले जो कि राज मार्ग या गली को छोड़कर अन्यत्र अपने मकान के दरवाजे तथा खिड़कियां इस ढंग पर बनावें जिससे दूसरे के मकान को नुकसान पहुंचता हो ।

गड्ढे, सीढ़ियां, नालियां, वांस की सीढ़ी, कूड़ा कर्कट आदियों से दूसरे मकान में रहने वालों को तकलीफ पहुंचावे या पानी निकलने का प्रबंध न कर दूसरे के मकान की दीवार को कमज़ोर करे उसपर १२ पण जुरमाना और मूत्र तथा पाखाने के बाहर न निकलने के प्रबंध करने पर २४ पण जुरमाना किया जाय । नाली ऐसी होनी चाहिये कि वर्षा का पानी बाहर निकल जाय अन्यथा अपराधी को १२ पण दंड दिया जाय ।

जो किराये दार खाली कर देने के लिये सूचना पाकर भी मकान में रहें, या जो मकान मालिक भाड़ा पाकर भी जबरन मकान खाली करने के लिये कहे उसपर १२ पण जुरमाना किया जाय बश्तें कि गाली भार पीट खून, चोरी, डाका, व्यभिचार तथा असत्य आदि का मामला न हो । जो अपने आप खाली करे वह साल भर का किराया देवे ।

जो मकान सब लोगों के लिये बनाया जाता हो उसमें यदि कोई सहायता न दे या जो कोई ऐसे मकान के उपभोग से किसी भी सहायता देने वाले को रोके उसपर १२ पण जुरमाना किया जाय । जो ऐसे मकान को नुकसान पहुँचावे उससे दंड की दुगुनी रकम बसूल की जाय । *

कोठा तथा आंगन को छोड़ कर अग्नि शाला, कुट्टन शाला [धान आदि कूटने का स्थान] तथा अन्य खुले स्थानों का प्रयोग सबलोग सामान्य रूप से करें ।

६१ प्रकरण । वस्तु-विक्रय ।

(क)

मकान बेचना ।

सबंधी सामन्त तथा धनिक लोग क्रमशः मकान खरीदने के लिये कहेंजाय । यदि वह तैयार न हों तो बाहरी सामन्त तथा कुलीनों को घर के सामने दाम सुनाया जाय । खेत, बाग, पक्का-मकान, तालाब आदि की सीमा सामन्त तथा ग्राम वृद्ध लोगों के संमुख ग्रकट की जाय और तीनवार उद्घोषित किया जाय के “इस दाम पर अमुक मकान को कौन खरीदेगा” जो बोली बोले उसके हाथ बेच दियाजाय । स्पर्धाकर यदि लोग उसका दाम बढ़ायें तो शुल्क के सहित मूल्य बृद्धि राज्य कोष में जाय । जो खरीदे या बोली बोले वही उसका शुल्कभी दे । स्वामी के बाहर होतेहुए मकान को जो नीलाम करे उसपर २४ पण जुरमाना किया जाय । सातरात से अधिक समय तक यदि मालिक मकान न आवे तो बोली बोलने वाला उस मकान को खरीदले । जो बोली बोलने के बाद मकान न खरीदे उसपर २०० पण जुरमाना किया जाय । अन्य वस्तुओं के मामले में दंड २४ पण होना चाहिये ।

[ख]

हद का भगड़ा ।

पांच गांव या दस गांवके सामंत वास्तविक या कृषिम चिन्हों के द्वारा हृद का भगड़ा तय करें । पहिले से गांवमें रहने वाले खेतिहर ज्वाले तथा वृद्ध हृद के चिन्हों को बिना जाने ही कपड़ा बदलकर हृदपर एक या बहुत से आदमियों को लेजावें । कहने के अनुसार जो सीमा विषयक चिन्हों को न दिखासके उनपर १००० पण जुरमाना कियाजाय । जो सीमा संबंधी चिन्हों को हटा दें या नष्ट करदें उनको भी यही दंड दियाजय । जिसकी सीमा का कोईभी चिन्ह विद्यमान नहो उसका विभाग राजा इस ढंगपर करे जिससे अधिक से अधिक लाभप्राप्त ।

[ग]

खेतों का भगड़ा ।

सामन्त तथा प्रामधुद्ध खेतों के भगड़ेको तयकरें । यदि वह लोग एक मत न हों तो धार्मिक लोग जो निर्णय करें वही माना जाय । जो समझौता वह पेशकरें उसीपर चलाजाय । यदि इन दोनों तरीकों से भगड़ा न निपटे तो राजा स्वयं लेलेवे । जिस चीज़का कोई भी स्वामी न हो तो अधिक से अधिक लाभ जिस ढंगपर हो वैसे ही उसका विभाग करादिया जाय । जो किसी वस्तु पर जबरन् अपनी मलकीयत स्थापित करे उसको चोरीका दंड मिले । यदि ऐसा करने में काई उचित कारण हो तो मेहनत तथा खर्च का हिसाब लगाकर उसपदार्थ का लगान (बंध) उससे ग्रहण कियाजाय । सीमा के चिन्हों को नष्ट करने पर साहस दंड और हटादेने पर २४ पण दंड दियाजाय । तपोचन, चरागाह, बड़ामार्ग, शमशान, देवकुल, यहस्थान तथा पुण्यस्थान विषयक विवादों का निर्णय भी इसीढंग पर करना चाहिये ।

[घ]

संपूर्ण विवादों का निर्णय ।

सामंत लोगों के निर्णय के अनुसार ही सब प्रकार के विवादों का निर्णय किया जाय । ब्रह्मारण्य, सोमारण्य, देव स्थान, यह स्थान तथा पुण्य स्थान विषयक विवादों को छोड़ कर चरागाह, जमीन

खेत, बाग, बगीचा, खल्पान, मकान, तबेले आदिक विषयों के भगड़े का निर्णय क्रमशः एक दूसरे को प्रधानता देते हुए किया जाय। स्थल विषयक भगड़ों में यदि किसी ने जल भंडार, कुल्या, मेड़ आदिकों के प्रयोग करते समय दूसरे के खेत में पड़े या उसे बीजों को नुकसान पहुंचाया हो तो उससे नुकसान का बदला ले लिया जाय। खेत, बाग, तालाब तथा मकान आदिकों के मालिक यदि एक दूसरे को नुकसान पहुंचावे तो उनपर नुकसान का दुगुना जुरमाना किया जाय। ऊपर के तालाब से सर्चे जाने वाले खेत में नीचे के तालाब से पानी न लिया जावे। ऊपर के तालाब से नीचे के तालाब में तबतक पानी आता न रोका जावे जबतक कि तीन साल तक लगातार उससे काम लेना न छोड़ दिया गया हो। जो इस नियम का उल्लंघन करे या तालाब का पानी बाहर निकाल दें उनपर प्रथम साहस निर्दिष्ट जुरमाना किया जाय।

[३]

राज्य कर से मुक्ति ।

आपत्ति के बिना ही यदि कोई पांच साल तक किसी मकान या तालाब से काम न ले तो उसपर स्वत्व न रहे। यदि कोई तालाब या पक्के मकान को नये लिरे से बनवावे तो उसको पांच साल तक राज्य करने सुक्र किया जाय। दूटे फूटे के सुवारने में छ साल तक और बने हुए को उन्नत करने में तीन साल तक राज्य कर न लिया जाय। यदि किसी ने बे जुता खेत गिराए रखा हो या बेचा हो तो उस खेतसे दो साल तक राज्य कर न ग्रहण किया जाय।

हवा या बैलसे चलन वाले अहट्ट का जिन खेतों, बगीचों, तरकारी की क्यारियों में पानी लगता हो उनसे उतना ही राज्यकर ग्रहण किया जाय जिससे उत्पादकों को भार न मालूम पड़े। प्रक्रय [नियत लगान] अबक्रय [वार्षिक लगान] विभाग [बंटाई की रीति] भोग [हिस्सेदारी ढंगपर] तथा निषष्ठ [मुक्त] विधिपर जो खेते जोते वह सरकारी अनुग्रहके अनुसार उत्पादकों को सहायता देवे। जो सहायता न दे उनपर नुकसान का दुगुना जुरमाना किया जाय।

जो उचित स्थान से अतिरिक्त अन्यस्थान से पानी लें या जो प्रमाद से दूसरे का पानी रोके उनपर ६ पण जुरमाना कियाजाय।

६१--६२ प्रकरण।

चरागाह खेत तथा काम का नुकसान।

[क]

मार्ग निरोध।

जो लोग पानी बहने के मार्ग या अन्य इसी प्रकार के काम को नुकसान पहुंचावे उनको साहस दंड दियाजाय। दूटे फूटे उजड़े मकान को छोड़ कर यदि कोई पहिले से बने पक्के मकान को गिराँ रखे बेचे तथा बिकवावे या दूसरे की जमीन में पक्का मकान, पुण्यस्थान, चैत्य या मंदिर बनवावे तो उसको मध्यमदंड दियाजाय। यदि वह श्रोत्रिय हो तो उसको दुगुना दंड मिले। यदि किसी दूटे फूटे डजड़े मकान का कोई भी मालिक न हो तो पुरेयात्मा ग्रमीण उसका उद्धार करवावें। मार्ग कितना बड़ा हो इसपर “दुर्गनिवेश” विषयक प्रकरण में प्रकाश डालागया है। भिन्न भिन्न सड़कों के रोकने पर दंड इसप्रकार होना चाहिये। जुदपशु या मनुष्य-पथ में १२ पण, महापशु पथ में २४ पण, हस्तियक्षेत्रपथ में ५४ पण, सेतु बनपथ में १०६ पण, शमशान ग्रामपथ में २००, द्रोणमुख पथ में ५००, स्थानीय, राष्ट्र तथा विवीत पथमें १००० पण दंड दियाजाय। इनको जो नुकसान पहुंचावे या ऊपर से खोददे उसपर उपरिलिखित दंडका चौथा भाग दंड मिले।

(ख)

ग्राम-निवास।

यदि बीज डालने के समय में खेतिहर खेत खाली छोड़ दे या मजदूर काम न करे तो उसपर १२ पण जुरमाना कियाजाय बशर्ते उनके ऐसा करने में-दोष, उपनियात तथा अविष्वास आदिक कारण न हों। करद लोग करदों के पास ही और ब्रह्मदायिक ब्रह्म-

दायिकों के पास ही जमीन को गिरों रखें या बेचें । जो इसनियम का पालन न करे उसको साहसदंड मिले । यदि करद अकरद लोगों के गांव में घुसे तो उसको यहीं दंड दियाजाय । यदि वह करद गांव में जाकर बसे तो मकान को छोड़कर अन्य सब गांव संबंधी बातों में उसको स्वतंत्रता रहे । यदि संभव हो तो मकान भी उसको देदिया जाए । बेजुते खेतको जोतकर जो पांचसाल तक आजीविका करे वह निष्कय (खर्चाओंआदि) लेकर स्वामी को खेत लौटावे । अकरद किसी भी गांवमें जाकर रहें, पुरानी संपत्ति पर उनका अधिकार पूर्ववत् बनारहता है ।

(ग)

ग्राम-प्रबंध ।

यदि ग्रामिक (ग्रामका मुखिया) ग्रामके कामसे दूसरे स्थान पर जावे तो नीच जातके लोग नंबर नंबर से उसके साथ जाय । जो न जाय वह भोजन पीछे $\frac{1}{3}$ पण ग्रामिकों को दे । चोर तथा व्यभिचार के अतिरिक्त यदि किसी दूसरे व्यक्तिको ग्रामिक गांवसे बाहर निकाले तो $\frac{2}{3}$ पण और यदि इस अपराध में सारा का सारा गांव संमिलित हो उसको उत्तम दंड दियाजाय । बाहरगये हुए ग्राममें कैसे वर्से इसपर प्रकाश डाला जा चुका है । ग्रामसेदः बुद्धिगुल दूरपर बड़े बड़े खंभेसे युक्त उपशाल (मकान विशेष) बनाया जाय ।

(घ)

चरागाह विषयक नियम ।

पशुओं को चराने के लिये खाली जमीनों को चरागाह बनाया जाय । बिना आशा के चरागाह में चरकर भागे हुए भैस तथा ऊंट पर $\frac{1}{3}$ पण, गौ धोड़े गदहे पर $\frac{1}{3}$ पादिक, चुद्र पशुओं पर $\frac{1}{3}$ पण और यदि वह चर कर वहाँ पर बैठे हों तो दुगुना और यदि उसी पर प्रति दिन निर्वाह करते हों तो उनपर चार गुना जुरमाना किया जाय । देवता के नाम पर खुले छोड़े सांड, दस दिन की व्याहि गाय, दूध देने वाली गाय तथा ऐसे ही बैल आदिकों पर कुछ भी जुरमाना न किया जाय ।

खेत चर जाने पर मालिकों से दुगुना नुकसान भरा जाय । यदि किसी ने कह कर चरवाया हो तो उस पर १२ पण और जो रोज यही करे उसपर २४पण जुरमाना किया जाय । पाली या रखवारों को आधा दंड मिले । तरकारी तथा फल फूल के बगीचों में खाने या नुकसान पहुंचाने के विषय में भी यही नियम हैं । खलपान भंडार तथा घेरे हुए स्थान में रखे अनाज को यदि जानवर खा जाय तो उनके मालिकों से “नुकसान” लिया जाय । यदि अभयवन (चिड़ियाघर या बन्द जंगल) के मृग खाते हुए पकड़े जाय तो उसकी सूचना उसके संरक्षक राज्य कर्मचारी को दी जाय तथा उनको इस ढंगपर रोका जाय जिससे उनको चोट न पहुंचे । कोई या रस्सी से ही पशुओं को मारकर भगाना चाहिये । यदि कोई उनको दूसरे ढंग पर मारे या मारडाले तो, दंड पारूष्य प्रकरण में विधान किये गये दंडों के अनुसार उसको दंड दिया जाय । जो लोग जान बुझकर ऐसा काम करे या जिनका अपराध प्रत्यक्ष हो चुका हो उनको आगे से ऐसे कामों से रोकने के लिये प्रत्येक प्रकार के उपाय को काम में लाना चाहिये ।

(३)

प्रण भंग ।

यदि कोई खेति हर गांव में आकर खेत न जोते तो जुरमाना गांव स्वयं ले । यदि वह काम करने का अगाउधन तथा भोजन छादन लेलेवे और फिर काम न करे तो उससे दुगुना धन तथा भोजन छादन वसूल किया जाय । यदि काम ‘‘समाजिक’’ हो या सब से संबंध रखता हो तो उससे दुगुना भाग ग्रहण किया जाय ।

नाटक आदि तमाशे के लिये जो काम किया जारहा हो उसमें भाग न लेने वाले को तमाशा आदि देखना न मिले । जो छिपे ऐसे काम के विषय में सुने तथा देखे और बचने के खातिर सामने न आवे तो, औरों के हिस्से से दुगुना हिस्सा उससे लिया जाय । यदि कोई सब को लाभ पहुंचने वाले काम को करना चाहे तो सब लोग उसकी आझ्ञा पर चलें । जो उसका कहना न माने या काम न करे उस पर १२ पण जुरमाना किया जाय । यदि आपस में मिले

कर वह लोग काम बिगड़ दें तो उनपर नुकसान का दुगुना जुरमाना किया जाय । उन में जो ब्राह्मण या उससे श्रेष्ठ ही सब से अधिक दंड मिले । कोई ब्राह्मण सार्वजनिक काम में भाग न ले तो उससे उसका भाग ले लिया जाय । देश, जाति, कुल तथा संघ विषयक काम में जो शरीक होकर बादा न पूरा करें उनके साथ भी इसी ढंग पर व्यवहार करना चाहिये ।

जो लेंग देश के कल्पणा करने वाले मकानों को या सड़कों को बनाते हैं तथा गांव की शोभा को बढ़ाते हैं उन पर राजा अपनी कृपा सदा ही करता है ।

६३ प्रकरण ।

ऋण दान ।

[क]

व्याज विषयक नियम ।

सौ पछ पर १ $\frac{1}{2}$ पछ व्याज ही न्याय युक्त है । व्यापारियों से ५ पछ, जंगल में रहने वालों से १० पछ तथा समुद्र व्यापारियों से २० पछ तक व्याज लिया जा सकता है इससे अधिक जो व्याज ले या दे उसको साहस दंड और साक्षियों को आधा दंड दियाजाय ।

राष्ट्र पर प्रभा व डालने वाले कर्जों में धनिक तथा धारणिक (कर्ज लेने वालों) की दशा तथा चरित्र पर दृष्टि रखी जाय । धान्य विषयक कर्ज फसल के समय में यदि चुकता किये जाय तो वह छोड़े से जादा न होने पावें । गिरों रख कर जो कर्जा लिया उसका व्याज साल के अन्य में मूल धन के आधे से अधिक न होने पावें । चिर प्रवास के कारण जिसपर व्याज ऊपरिमित सीमातक बढ़ गया हो कह कुल पूँजी बढ़ावें या मूल धन को भी उसमें संमिलित कर लें उन पर व्याज का चार गुना जुरमाना किया जाय । जो मूल धन से चार गुना धन व्याज में मांगे, उसका चारगुना धन जुरमाने के तौरपर वसूल किया जाय । इसका तीन चौथाई व्याज लेने वाले और एक चौथाई व्याज देने वाले से लिया जाय ।

चिरकाल तक होने वाले यह, बीमारी, गुरुकुल आदि में रहने वाले बालक पर व्याज न घढ़ाया जाय । अधर्मर्ण के अदा करने पर जो उधार का धन न ग्रहण करे उसपर १२ पण जुरमाना किया जाय । यदि न ग्रहण करने का कोई विशेष कारण हो तो मूल धन उसी के पास बे व्याज पड़ा रहे । बालक, बृद्ध, बीमार, राज्यदंडित विदेश में रहने वाले, देश त्यागी तथा राजनैतिक कारणों से बाहर रहने वालों को छोड़कर यदि कोई अन्य व्यक्ति दस सालके बीचमें अपना मूल धन न लौटा ले तो उसका उस धन पर से हक सदा के लिये जाता रहे ।

लड़के मृत पुरुष के ऋण का व्याज दें । यदि लड़के न हों तो उसके दायाद या रिक्थहर (स्थिर संपत्ति लेने वाले) या साथ रहने वाले जो हिस्सेदार हों वह व्याज का धन अदा करें । इनके सिवाय और कोई भी मृत पुरुष के ऋण का जिम्मेवार नहीं हो सकता । बालक को जिम्मे वार माना ही नहीं जाता । यदि ऋण तथा व्याज का स्थान तथा समय नियत न हो तो उसको पुत्र पौत्र तथा दायाद अदा करें । जीवन विवाह तथा भूमि विषयक कर्ज को भी पुत्रपौत्र ही चुकता करें । विदेशमें गये हुए ऋणी को छोड़कर अन्य किसी भी ऋणी पर एक साथ बहुत से उत्तर्मण मुकदमा नहीं चला सकते हैं । दिवालियों से ब्राह्मण तथा सरकार का ऋण पहिले चुकता किया जाय । उसके बाद क्रमशः जिन्हों जिन्हों ने ऋण दिया हो उनको मूल धन लौटाया जाय ।

खी पुरुष, पिता पुत्र, भाई-भाई, आदिकों ने आपस में मिल कर जो ऋण ग्रहण किया हो उसका संशोधन नहीं किया-जासकता खेति हर तथा राज पुरुष काम करते समव कर्जे के संबंध में नहीं पकड़े जासकते । खी व प्रातिश्रावणी पति विषयक ऋण की जिम्मेवार नहीं हैं यदि उसके जान बूझ में ऋण लिया गया हो । बाले तथा अर्ध सीरी लोगों के संबंध में यह नियम नहीं है । खी के ऋण लेने पर पति को पकड़ा जासकता है । जो इससे बचने के लिये विदेशमें भागने की कोशिश करे उसको उसम दंड दिया जाय । जिसके विदेश जानेका कारण निश्चित न हो उसके विषयमें साक्षी लोग जो कुछ कहें वही प्रमाणिक माना जाय ।

(स)

साक्षि-विषयक नियम

विभवास योग्य, शुद्ध चरित्र तथा दोनों पक्षों को अनुमत लोग ही साक्षी कहाते हैं। प्रायः यह संख्या में तीन होने चाहिये यदि दोनों पक्षों को मंजूर हो तो दो साक्षियों से भी निर्णय करवाया जासकता है। इूण विषयक भगड़ों में एक साक्षी से अधिक साक्षी होने आवश्यक हैं। प्रतिविद्ध, साले, सहायक, आवद्ध जो (किसी पर निर्भर करते हैं), धनिक, धारणिक, दुश्मन, अंग हीन तथा राज्य दंडित पुरुष साक्षी नहीं हो सकते। पतित चंडाल बदमाश, अन्धे, बहिरे गूंगे, घमंडी आदि तथा खीं और राजकीय कर्म चारी अपेन वर्गके मामले को छोड़कर अन्यत्र साक्षी का काम कर सकते हैं। पारुष्य, चोरी तथा व्यभिचार के मामलों में साले सहायक तथा दुश्मन साक्षी नहीं हो सकते। गुप्त काव्यों के मामलों में राजा तथा तपस्वी को छोड़कर अकेली खीं, पुरुष सुनने वाला या देखने वाला भी साक्षी माना जा सकता है। स्वामीभूत्य, ऋत्विग, आचार्य तथा शिष्य और माता पिता तथा पुत्र एक दूसरे के मामले में साक्षी हो सकते हैं। यदि इनका आपसका झगड़ा हो तो जो बड़ा तथा पूर्ण हो उसीकी बात मानी जाय। जो झूठा सिद्धहो वह दसगुना और यदि असमर्थ हो तो पांचगुना जुरमानादे।

(ग)

शपथ लेना ।

साक्षियों को पानीसे भेर घड़े, अग्नि तथा ब्राह्मण के संतुल ले जाया जाय और यदि वह ब्राह्मण है तो “सत्य बोलो” इसढंग-पर,—यदि वह वैश्य तथा त्रिविष्य है तो “(यदि तुम भूड़ बोलोगे तो)—तुमको यजका फल न मिले। शत्रुकी सेनाको जीतने के बाद खप्पर हाथमें लेकर तुम इधर उधर भीड़ मांगते किए” इसप्रकार, और यदि वह शूद्र है तो “[यदि तुम भूड़ बोलो तो]—मरनेके बाद तुम्हारा पुण्यफल राजा को मिले। राजा के पाप तुम्हारे सिर चढ़े। दंडभी तुमको मिले”—इस तरीके पर उनसे क्रमशः शपथ लीजाय। यदि पीछे से भी सत्य मामला मालूम पहुँचे तो उसकी परीक्षा की जाय।

"एक साथ मिलकर सच्च बोला" यह कहने पर भी यदि साक्षी आपस में गुह बनाकर समरात से अधिक समय गुजरने पर भी सच्च न बोलें तो उनपर १२ पण जुरमाना किया जाय। तीन पक्ष से अधिक समय गुजरने पर विवाद ग्रस्त धन वसूल कियाजाय।

यदि किसी मामले में साक्षियों का मतभेद हो तो जिसबात पर प्रामाणिक चाविरवत् साक्षी एकमत हों उसके अनुसार या उनकीबातों का निचोड़ निकाल कर निर्णय कियाजाय। [यदि कुछभी निर्णय न हो सके तो] संपूर्ण धन को राजा ग्रहण करे। यदि साक्षि अभियुक्त की अपेक्षा धनकी राशि कम बतावें तो जितना अधिक धन अभियोक्ताने कहाहो उससे वसूल कर राज्य कोशमें जुरमाने के रूपमें जमाकिया जाय। यदि साक्षी लोग धनकी राशि अधिक बतावें तो अधिक धन राजा ग्रहण करे। यदि अभियोक्ता या किसी अनपढ़ के खराब लिखने या ठीक दंगपर साक्षियों के द्वारा न सुनने या पुरुष के मरजाने के कारण विवाद ग्रस्त मामले का निर्णय करना कठिन हो तो जो कुछ साक्षी कहे उसीकेअनुसार फैसला करादियाजाय।

साक्षियों के बेवकूफ होनेपर या देश काल तथा कार्य संबंधी विचार से कुछभी सहायता न मिलने पर तीनों प्रकार के दंडों का प्रयोग कियाजाय यह औशनस लोगों का मत है। मानवसंप्रदाय के विद्वान् कहते हैं कि-जाली या बेर्इमानी साक्षियों के कारण जितने धनका नुकसान हुआ हो उससे दसगुना उनसे वसूल कियाजाय। बाहेस्पत्य लोगों का विचार है कि जो बेवकूफी के कारण आपस में एकमत न हों उनको तकलीफ देकर मरवाया जाय। कौटिल्य उपरिलिखित विद्वानोंके पक्ष में नहीं है। उसका व्याल है कि साक्षियों से यह आशा की जाती है कि वह बिनासुने कोई बातनहीं कहेंगे। जो इससे विपरीत करें उनपर २४ पण और जो कुछ कुछ गड़बड़ करें उनपर १२ पण जुरमाना कियाजाय।

अभियोक्ता देश या काल के अनुसार जो साक्षीसमीपमें हों उनको स्वयं बुलालावे और जो कि दूरमें रहते हों और सुगमता से न आसकते हों उनको न्यायाधीश की आज्ञा के द्वारा बुलवा मंगाने।

६४ प्रकरण । औपनिधिक ।

(क)

उपनिधि.

ऋण के सदृश ही उपनिधि (धरोहर) विषयक नियम हैं । शब्द के वृद्धयन्त्र या जांगलिकों के आकर्मण से राष्ट्र के नाश होने पर, डाकुओं के द्वारा ग्राम, व्यापारी संघ तथा पशु समूह के नष्ट होने पर, अन्तर्राय कोप से राष्ट्र के अच्छेन होने पर, गांव के आग से जलने या पानी से बहने पर, स्थिर संपत्ति के विनाश पर, आस्ति की ज्वाला या पानी का बाढ़ इतना अधिक हो कि अस्थिर संपत्ति भी न बच सके ऐसी हालत पर, नाव के झूबने पर या उसपर डाका पड़ जाने पर उपनिधि प्राप्त करने के लिये किसी पर भी अभियोग नहीं चलाया जासकता है ॥

जो उपनिधि को अपने काम में लावे उससे उसका बदला [भोग वेतन] लिया जावे तथा उसपर १२ पण जुरमाना किया जावे । यदि उपभोग करने से उपनिधि नष्ट होगया हो तो उसपर अभियोग चलाया जावे तथा उसपर २४ पण जुरमाना किया जावे । अन्य प्रकार से नष्ट हुए हुए उपनिधि के विषय में भी इसी नियम को काम में लाया जावे । यदि कोई मनुष्य मरणया हो या तकलीफ में पड़गया हो उसके सम्बन्ध में यह नियम नहीं लगते । उसपर अभियोग भी नहीं चलाया जासकता । यदि कोई उपनिधि को गिराँ रखे [आधान] बेचे या उसका अपव्यय करे तो उसपर उपनिधि का चारपांच गुना जुरमाना किया जाय । दूसरे माल के साथ बदलने या याँ ही नष्ट करदेने पर उपनिधि का दाम उससे बसूल किया जाय ॥

(स)

आधि ।

उपनिधि के सदृश ही आधि (गिराँ रखी चीज़) के नाश, उपभोग विक्रय तथा आधान (गिराँ रखना) के नियम हैं ।

उत्पादक आधि नष्ट नहीं होता । इसपर व्याज भी नहीं लिया जासकता । अनुत्पादक आधि नष्ट होजाता है और उसपर व्याज भी चढ़ता रहता है । आधि लौटाने के लिये आपहुए मनुष्य को जो आधि न लौटावे उसपर १२ पर्यं जुरमाना किया जाय । यदि आधि रखने वाला कहीं बाहर हो तो गांव के चैत्यरियाँ (ग्रामबृद्ध) के पास त्रहण का धन जमाकर गिराँ रखी चीज़ कोई लुड़ा सकता है । यदि कोई उस चीज़ को जहाँ के तहाँ ही पड़े रहने दे तो ऋण काधन लौटाने के बाद उसपर व्याज नहीं चढ़ाया जासकता । धर्मस्थ (न्यायाधीश) से आशा लेकर कोई भी मनुष्य कीमत चढ़ने पर गिराँ रखी चीज़ को नुकसान के भय से बेच सकता है और यही बात तब करसकता है जबकि उसको उस चीज़ के नष्ट या बिनष्ट होने का खतरा मालूम पड़े । यदि धर्मस्थ न हो तो आधिपाल की आशा से भी यही काम किया जासकता है । जो स्थिर संपत्ति मेहनत करने से या बिना मेहनत करने से ही फल देती हो उसका उपभोग इस ढंग पर किया जाय जिससे उसका मूल्य न घटे । उसकी उत्पादकशक्ति स्थिर रखने के लिये व्याज तथा लाभ निकालने के बाद जो बाकी धन बचे उसीपर खर्च कर दिया जाय । बिना आशा के ही जो व्यक्ति गिराँ रखी चीज़ का उपभोग करे उससे (उत्पत्ति व्यय निकालने के बाद) शुद्ध आय प्रहण की जाय और साथ ही उसपर जुरमाना (बंध) भी किया जाय । इसमें शेष नियम उपनिधि के ही सदृश है ।

(ग)

आदेश तथा अन्वाधि ।

आदेश (आशा) तथा अन्वाधि (किसी दूसरे के हाथ गिराँ रखी चीज़ लौटाने को भेजना) के सम्बन्ध में भी पूर्ववत् ही नियम है ।

व्यापारी लोग यदि किसी को आधि देकर भेजें और वह चोरों से लूटकर इस स्थान तक न पहुंच सका हो उसपर अभियोग नहीं चलाया जासकता । यदि वह मार्ग में ही मरगया हो तो उसके

दायादौ पर आधि (गिरों रखी चीज़) विषयक अभियोग नहीं चलाया जासकता । शेष बातों में उपनिधि के सदृश ही इसमें नियम हैं ।

[घ]

बृण या उधार में लिया धन ।

बृण या उधार में जिस हालत में चीज़ लीजाय वैसी ही लौटाई जाय । समय तथा स्थान के प्रलंब होने के कारण और पदार्थ में दोष या दैवी विपत्ति के कारण कोई पदार्थ नष्ट होजाय तो अभियोग नहीं चलाया जासकता । शेष बातों में उपनिधि के सदृश ही इसमें नियम हैं ।

[झ]

वैथ्यावृत्त्य विक्रय

वैथ्यावृत्त्य विक्रय या फुट्कर विक्रय में यह नियम है कि जिस समय जिस स्थान पर जो माल बेचा गया हो उसका असली दाम तथा असली लाभ दियाजाय । शेष बातों में उपनिधि संबंधी नियम काम में लाये जाय । यदि समय तथा स्थान के कारण नुकसान हो गया हो तो खरीदने वाले माल प्राप्त करने पर नुकसान तथा खर्चा दें । यदि पहिले से ही दाम तय किया जा चुका हो तो उनको इसबात के लिये बाधित न किया जाय । दाम के कम होने पर कमी पूरी करके भी (सट्टेका) भुगतान किया जासकता है फँ जो लोग कम्पनी के नौकर हों या विश्वासपात्र हों या जिनको कभी भी राज्यसे दण्ड न मिला हो वह लोग खराब होने से या दैवी-विपत्ति से यदि पदार्थ नष्ट होजाय या खोजाय तो उसका कुछ भी दाम न दें । चिरकाल रखने के बाद या किसी स्थान विशेष में भेजने के बाद जो माल बिकना हो उसका खर्च निकालकर मूल्य तथा लाभ दिया जाय । यदि विक्रेय पदार्थ बहुत प्रकार का हो तो

फँ इसका भाषान्तर यह भी होसकता है कि ”राज्य नियत कीमत पर जो माल बेचते हो वह बाजार में उसी मालकी कीमत चढ़ने पर भी पुरानी कीमत पर ही बेचें । या बढ़ी ढुई कीमत पर बेचते हुए नियत कीमत के अनुसार ही राजा को धन लौटावें । यदि मालका दाम धट गया हो तो घाटे के अनुसार ही राजा को कम धन लौटावें” ।

उसका कुछ अंश उक्सान में निकाल देया जाय इसमें भी उपनिषदि के सहशा ही अन्य वातों में नियम हैं।

[च]

निषेप ।

निषेप (पेटी में बंद रखा धन) तथा उपनिषदि (खुली हालत में दिया गया धन) के नियम एक सहशा हैं ।

जो व्यक्ति किसी के रखे धन को किसी दूसरे को सुपुर्द करे उसको दंड दिया जाय । यदि वह मुकर जाय तो उसको पूर्वकालीन स्थिति तथा निषेपा (धरोहर रखने वाला) की वात प्रामाणिक मानो जाय । कारीगर लोग प्रायः बेर्मान होते हैं । निषेप में उनके धन रखने को कोई कारण भी नहीं है । अकारण रखे निषेप का यदि कोई अपव्यय करे तो निषेपा मकान में छिपकर खुफिया का काम करने वाले साक्षियों के द्वारा अपनी सत्त्वाई को सिद्ध करे । नाव के बीच में या बीच जंगल में बुड़ा या बीमार व्यापारी गुप्त रूप से चिन्हित कर कुछ एक पदार्थ उसके पास निषेप में रखे और इसके बाद उसकी आज्ञा लेकर उसका लड़का तथा भाई निषेप को मांगे । यदि वह देदे तब नो उसको ईमान्दार समझा जाय और यदि वह मुकर जाय तो उससे निषेप ले लिया जाय और उसको चोरी संबंधी दंड दिये जाय । इसी प्रकार सन्यासी के रूप में श्रद्धेय साक्षी गुप्त रूप से चिन्हित कर कुछ माल उसके पास रखे । कुछ समय के बाद पुनः आकर मांगे । यदि वह देदे तब तो वह ईमान्दार और यदि वह न दे तो उससे निषेप तथा चोरी का जुरमाना ग्रहण किया जाय । अथवा एक बेवकूफ गंवार के भेस में कोई मनुष्य गुरुचिन्हों से मुक्त पदार्थ को लेकर रात में गली में निकले और “पुलिस छीन लेगा” यह बहाना बनाकर उस के हाथ में उस पदार्थ को रख जाय । जेल में कैदी बनकर वह अपने पदार्थ को उससे मांगे । यदि तो वह देदे तब तो ईमान्दार माना जाय अन्यथा उससे निषेप का धन लिया जाय और उसको चोरी का दंड दिया जाय । यदि कोई संबंधी अपने पूर्वजों के निषेप को किसी के यहां देखे तो वह उससे मांग सकता है । यदि वह न दे तो उसके साथ पूर्ववत् व्यवहार किया जाय ।

द्रव्य संबंधी विवाद में “द्रव्य कहां से प्राप्त हुआ” यह सबसे पहिले पूछा जाय। इसके बाद उस द्रव्य के चिन्ह तथा व्यवहार के संबंध में और अभियोक्ता की आर्थिक दशा के विषय में जांच पड़ताल की जाय।

दो आदमियों में किसी प्रकार का भी आर्थिक व्यवहार हो उसमें इन्हीं नियमों को काम में लाया जावे।

अपने या पराये के साथ जो भी शर्त नामें या व्यवहार विषयक बातें तय करनी हों वह साक्षियों के समुख बिना किसी प्रकार के छिपाव के तय होनी चाहिये और उसमें देश तथा काल का विस्तृत रूप से वर्णन कर देना चाहिये।

६९ प्रकरण ।

दास-कल्प ।

(क)

(दासों के नियम)

उदार दास को छोड़ कर, आर्य जाति के नावालिंग शूद्र को बेचने वाले संबंधी को १२ पण, वैश्य क्षत्रिय तथा ब्राह्मण को बेचने वाले स्व-कुटुंबी को क्रमशः २४, ३६, ४८, पण दंड दिया जाय। यदि यही काम करने वाला कोई दूरका रिश्तेदार या दुश्मन हो तो उसको क्रेता तथा श्रोता को पूर्व मध्यम तथा उत्तम साहस दंड के साथ साथ मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। म्लेच्छ लोग प्रजा बेच सकते हैं तथा गिरों रख सकते हैं। आर्य लोग दास नहीं बनाये जा सकते हैं। पारिवारिक, राज्य दंड तथा उत्पत्ति के साधन विषयक विभाग के अपड़ते पर किसी भी आर्य जाति के व्यक्ति को गिरों रखा जा सकता है। निष्क्रय का धन मिलते ही सहायता देने में समर्थ बालक को शीघ्र ही छुड़ा लिया जाय। एक बार जिसने अपने आपको गिरों रखा है या जिसको संबंधियों ने दो बार गिरों रखा है। राज्यापराध करने पर या शत्रु के देश में भागने पर वह आजीवन दास बनाये जा सकते हैं। धन को

चुनाने वाले तथा किसी आर्य को दास बनाने वाले व्यक्तियों को आशा दंड दिया जाय । राज्यापराधी, मृत प्राय तथा बीमार को भूल से गिरों में रखने वाला अपना धन लौटा ले सकता है । जो कोई गिरों में रखे व्यक्ति से मुद्रा या पाखाना पेशव उठवाये, या उसको जूठ खिलावे, या कपड़ा पहिनने को न देकर नंगा रखे, या पीटे, या तकलीफ दे या खी का सतीत्व हरण करे उसका (गिरों रखने के बदले दिया गया) धन जब्त कर लिया जाय । दायी, दासी, अर्धसीरी, तथा नौकरानी सदा के लिये स्वतंत्र करदी जाय और उच्च कुल के मनुष्य को उसके घर से भाग जाने दिया जाय ।

गिरों रखी दायी पर अपने घर में जबर्दस्ती करने वाले को साहस दंड और दूसरे के घर में यही काम करने पर मध्यम दंड मिले । जो स्वयं या किसी दूसरे के छारा गिरों रखी कन्या का धर्म बिगाड़े उसका (गिरों में दिया) धन जब्त कर लिया जाय । राज्य कन्या को हरजाना (शुल्क) देने पर उसको वाधित करे और स्वयं हट जाने का दुगुना धन दंड स्वरूप में ग्रहण करे ।

यदि कोई आर्य अपने आप को बेचे तो वह आर्य ही समझा जाय । स्वामी की अनुमति से वह अपनी कमाई रख सकता है और अपने पिता की संपत्ति को प्राप्त कर सकता है । रूपया लौटा कर वह पुनः दासता से मुक्त हो सकता है । उदर दास (आजीवन दास) तथा आहितकदास (गिरों में रखा दास) के विषय में भी यही नियम हैं । गिरों या विक्री के धन के अनुसार ही निष्क्रय (दासता से मुक्त होना) का धन है । यदि कोई राज्य दंड देने में अशक्त होने से दास बनाया गया हो तो वह काम करके अपने मेहनताने से उस धन को चुकता कर देवे और स्वतंत्रता प्राप्त करले । युद्ध में पकड़े जाने के कारण जो आर्य दास बनाया गया हो वह अपने पकड़े जाने का हरजाना या अपने निष्क्रय का आशा धन देकर मुक्त हो सकता है ।

जो कोई घरमें उत्पन्न या खरीदे हुए आठ वर्ष से कम उमर वाले अनाथ बच्चे से नीच कामले, उसको विदेश में बेचे या गिरों रखे तथा प्रसव काल का प्रबंध किये बिना ही गर्भ युक्त दासी को

बेचे या गिरों रखे उसको तथा क्रेताओं और साक्षियों को पूर्व साहस दंड दिया जाय। जो अनुरूप निष्क्रिय मिलने पर भी दास को दासता से मुक्त न करे उसपर १२ पण जुरमाना किया जाय। जो दास को बेकारण कैद में डाले उसको भी यही दंड दिया जाय।

संबंधी लोग ही दास की संपत्ति के हकदार (दायाद) हैं। यदि कोई भी संबंधी नहो तो मालिक को मिले। मालिक द्वारा दासी के बच्चा पैदा होनेपर दोनों (दासी तथा बच्चा) ही स्वतंत्र हो जाय। यदि किसी कारण से वह मालिक के घर में ही रहना चाहे तो परिवार का ख्याल करने वाली मा भाई बहिन आदि दासता से मुक्त हो जाय। निष्क्रिय का धन देकर दास तथा दासीको दासता से मुक्तकर उनको, उनकी मर्जी के बिना जो बेचे उसपर १२ पण जुरमाना कियाजाय।

[ख]

नौकरोंपर मालिक का अधिकार।

अडोस पडोस के लोगों के सामने ही मालिक नौकर रखे। जो मेहनताना तय हो वही मिले। यदि मेहनताना पहिल से तय न हो तो काम तथा समय के अनुसार दियाजाय। खेतिहरों में हरवाहे गउओं का काम करने वालों में ग्वाले और अपने आप माल खरीदने वाले बनियों में दूकान पर बैठने वाले मेहनताना तय न होने पर आमदनी का दसवां भाग ग्रहण करें। जहां मेहनताना तय होगया हो वहां यह नियम नहीं है। वहां तो नियत मेहनताना ही मिलना चाहिये। जो मेहनताना अन्य स्थानों में प्रचलित हो वही मेहनताना, कारीगर, शिल्पी, गवद्देय चिकित्सक, भाँड, रसोइयेआदि मेहनतियों को दियाजाय। यदि कुछ गड्ढबड़ हो तो जो चतुर लोग नियत करें वही उनको मिले। यदि कुछ भगड़ा छड़ गया हो तो उसको साक्षियों के द्वारा निपटाया जाय। यदि वह नहीं तो जैसकाम हो बैसाही निर्णय कियाजाय। बेतन न देनेपर मालिक को बेतन की रकमसे दसगुना या ६ पण दंड दियाजाय। जो मेहनतियों की भूति का दुरुपयोग करे उसपर भूति का ५ गुना या १२ पण जुरमाना कियाजाय।

नदी में बहने या आगमें जलने या चोर शेर हाथीसे भीधाकिये जाने पर जान के खातिर यदि कोई बचाने वाले को स्त्री, पुत्र,

पुनः चुरावे तो उसको वहां से निकाल दिया जाय या अन्यत्र भेज दिया जाय । बहुत भयंकर अपराध करने पर राज्यापराधी के सहश उसके साथ व्यवहार किया जाय ।

[ग]

याजक लोगों में धन का विभाग ।

याजक लोग अपने अपने काम के लिये जो द्रव्य उपयोगी हो उसको छोड़ कर शेष संपूर्ण मेहनतात्रा समान रूप से आपस में बांट लें । अग्निष्टोमादि यज्ञों में दीक्षा होने के बाद याजक लोग पांचवां हिस्सा ग्रहण करते हैं । सोम विक्रय के बाद चौथा हिस्सा, मध्यमोपसद तथा प्रवर्ण्योद्वाशन के बाद दूसरा हिस्सा और मयके बाद पहिला हिस्सा क्रमशः प्राप्त करते जाय । मध्यांदिन सबन होजाने पर समग्र भाग उनको मिल जाय । काम खत्म होने पर दक्षिणा दी जाती है । बृहस्पति सबन को छोड़कर सभी सबनों में दक्षिणा दी जाती है । अहरगर्ण आदि में जो दक्षिणा दी जाती है उसका नियम भी इसी प्रकार है । सञ्चाम तथा आदशादेशात्र में थोड़ा थोड़ा लेकर काम करें अथवा अपनी ओर से अपने खाने पीने का खर्च करें । यदि काम के खत्म होने से पहिले यजमान मरजाय तो ऋत्विज काम समाप्त करवाने के बाद दक्षिणा लेवे । काम खत्म होने से पहिले ही जो यजमान या याजक को छोड़कर चला जाय उसको साहस दंड दिया जाय ।

जो कोई सौ गउओं के होते हुये भी अग्नि-आधान नहीं करता या हजार गउओं का मालिक होते हुए यह नहीं करता, या शराब पीता है, या वैश्या के साथ विवाह कर बैठा है, या ब्राह्मण को मार चुका है । या गुरु की धर्मपत्नी को खराब करचुका है । या बुरे काम में फँसा है, या चोर है, या कुत्सित काम करने वाले को यह करवाता है—ऐसे व्यक्ति को काम के बिगड़ने के भय से यहके बीच में ही छोड़ देना कुछभी दोष नहीं है ।

६७ प्रकरण ।

विक्रय क्रय तथा जाकड़ का प्रबंध ।

दोष, उपानिषात तथा अविसह्य (अनुपयोगिता) से अतिरिक्त अन्य किसी बात के कारण यदि कोई व्यक्ति माल बेचकर खरीदार

को माल न दे तो उसपर १२ पण जुरमाना कियाजाय । दोष का तात्पर्य मालकी खराबी से, उपनिषात का तात्पर्य राजा चोर अग्नि तथा पानी विषयक वाधासे और अविसहा का तात्पर्य अनुपयोगी तथा बीमारी पैदा करने वाली वस्तु से है । दूकानदार एक रात तक, किसान तीनरात तक, गो रक्षक पांचरात तक, वर्णशंकर तथा उत्तम वर्ण के लोग वहुमूल्य पदार्थ को सातरात तक विक्रेय मालको जाकड़ पर दें । हानिकर-धातके (आतिपातिक) पदार्थ दूसरों को इस शर्तपर जाकड़ दियेजायं कि वह किसी दूसरे के हाथ न बेचेगा जो इसनियम का पालन न करे उसपर २४ पण या सामान का दसवां भाग जुरमाना कियाजाय ।

दोष, उपनिषात तथा अविसहा से अतिरिक्त अन्य किसीबात के कारण यदि कोई खरीद कर माल न ग्रहण करे उसको १२ पण दंड दियाजाय । खरीदार के सदृश ही बेचने वाले के विषय में नियम समझना चाहिये ।

ऊपर के तीनों वर्णों में विवाह का तात्पर्य पाणि ग्रहण से और शुद्धों में पारस्परिक संबंध से लिया जाता है । पाणि ग्रहण के बाद यदि कोई गुप्त भारी दोष मालम् पड़े तो विवाह रद्द हो सकता है । उच्च कुलके लोगों में ही केवल यह नियम काम नहीं करता । जो गुप्तदोषों को छिपाकर कन्या का किसी के साथ विवाह करदे उसपर ६६ पण जुरमाना कियाजाय और उसको दहेज, स्त्री धन तथा शुल्कादि के लौटा देने पर वाधित कियाजाय । यदि यही बात लड़के के मामले में हो तो वरपक्ष पर दुगुना जुरमाना कियाजाय और उसने शुल्क, स्त्री धन तथा दहेज में जो धन दिया हो वह उनको न मिले ।

कोढ़ी बीमार गन्दे जानवरों को शक्ति युक्त, स्वस्थ संपन्न तथा स्वच्छ कहकर जो बेचे उसपर १२ पण जुरमाना कियाजाय । तीन पक्ष तक चौपाये जाकड़ रखे जा सकते हैं । मनुष्यों के विषय में जाकड़ की हद एकसाल है । इतने समय में अच्छाई बुराई मजे से जानीजासकती है ।

सभासद लोग दाते तथा क्रय में इस ढंग के नियम काम में

तथा अपने आपको देने के साथ साथ सर्वस्व देने का बचन दे तो कुशल लोग जो निर्णय करें वहीं उसको मेहनताना दियाजाय । प्रत्येक प्रकार के कष्ट से बचने का मेहनताता इसी ढंग पर नियत करना चाहिये ।

वेश्या(पुंश्चली) मेहनताना तय कर लेने के बाद पुरुष को संतुष्ट करे । यदि कोई बात नियम विशद्ध तय हुई हो या नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से मंजूर कराई गई हो तो उसको नाजायज्ञ समझना चाहिये ।

६६ प्रकरण ।

श्रम तथा पूंजी का विनियोग ।

[क]

श्रमियों का प्रबंध ।

तनखाह या मेहनताना लेने के बाद अगर मेहनती काम न करे उस पर १२ पाण जुरमाना किया जाय और यदि इसपर भी काम करने के लिये तैयार न हो तो उसको कोठरी में कैद कर दियाजाय । यदि वह किसी खराब काम के करने में वीमारी या अन्य प्रकारकी विपर्ति में पड़ने के कारण असमर्थ हो तो उसको छुट्टी मिले और वह अपना काम दूसरे से करवादे । यदि विलंब के कारण स्वामी को कुछ नुकसान पहुंच गया हो तो उसको आधिक काम करके पूरा करदे । स्वामी किसी दूसरे व्यक्ति से काम ले सकता है वशर्ते कि वह दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करने में या नियुक्त पुरुष को अन्यत्र काम करने में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो । यदि स्वामी मेहनती से काम न ले या मेहनती स्वयं ही काम न करे तो उसपर १२ पाण जुरमाना किया जाय । दूसरे से मेहनताना लेने पर भी मेहनती जब तक पहिले काम को खत्म न करले तबतक दूसरे काम पर नहीं जा सकता है । पुराने आचार्य समझते हैं कि यदि काम शुद्ध करने के बाद कोई उस काम को पूरा न करवाये तो मेहनतियों के विचार से उसको खत्म ही समझना चाहिये । कौटिल्य

इस विचार से सहमत नहीं है। उसका विचार है कि मेहनताना काम के लिये दिया जाता है न कि खाली बैठने के लिये। यदि कोई थोड़ा सा भी काम करवाके आगे काम न करवाये तो उस काम को “किया हुआ” ही समझना चाहिये। यदि देश तथा काल के कारण विलंब होया हो या मेहनतियों ने काम बिगाड़ दिया हो तो उसको “किया हुआ” नहीं माना जा सकता। शर्त से अधिक काम करने पर अधिक काम का उसको बदला दिया जाय। कंपनियों के द्वारा जिनको मेहनताना मिलता हो उनके लिये भी यही नियम है। काम पूरा करने के लिये उनको सात रात का समय और दिया जाय। यदि इसपर भी काम न पूरा हो तो किसी दूसरे से काम करवा लिया जाय। स्वामी की आज्ञा के बिना श्रमी लोग न कोई चीज़ उठावें या गायब करें। जो इस नियम का पालन न करें उनपर २४ पण जुरमाना किया जाय। यदि श्रमी संघने समूहरूप से यह अपराध किया हो उसपर आधा जुरमाना किया जाय।

[ख]

कंपनी विषयक नियम ।

संघ से मेहनताना लेने वाले या साथ मिलकर कंपनी खड़ा करने वाले तय किये हुए वेतन को बराबर आपस में बांट लें। खेतिहार तथा बनिये फसल या व्यौपारी दिन (जिसपर सब लोग अपना हिसाब तय करते हैं) के समीप आते पर अपने किये हुए काम के अनुसार हिस्सा बांट लें। जिसने स्वयं काम न कर किसी दूसरे मनुष्य को अपने स्थान पर काम करने के लिये दे दिया हो उसको पूरा हिस्ता मिले। हाथ में लिये हुए काम के खतम होने पर ही हिस्सा बांटा जाय। जो काम शुरू कर दिया जाय और आधा खतम हो गया हो उसको पूरा ही समझना चाहिये। काम के शुरू होने पर जो बीमार न होते हुए भी भाग जाय उसपर १२ पण जुरमाना किया जाय। यदि काम शुरू न हुआ हो ते, भाग जाने पर दंड नहीं दिया जासकता। यदि किसी ने कुछ माल चुरा लिया हो तो “अभय” देकर उसका हिस्सा दे दिया जाय। यदि

लावें जिस से लेने या देने वाले में से किसी को भी हानि
न पहुंचे।

६८-७० प्रकरण ।

दिए हुए धन का ग्रहण, अस्वामिक धन का विक्रय तथा पदार्थों पर स्वत्व ।

[क]

दिए हुए धन का ग्रहण.

ऋण-ग्रहण विषयक नियम ही दिए हुए धन के ग्रहण के
विषय में लगने चाहिये। व्यवहार के अयोग्य-दान को सुरक्षित पर्ती
स्थान में रखाजाय। सपूर्ण संपत्ति, स्त्री कलन, तथा अपने आपके दूसरे
दूसरे को देकर अनुशारी (राज्याधिकारी) के समीप पुनः
विचार के लिये जाय। बुरे काम में धर्मदान, हानि कर काम में
धन दान, अनुशकारी तथा अपकारी व्यक्ति को उपभोग करने की
पूर्ण स्वतन्त्रता का दान देने तथा लेने वाले को विशेष नुकसान न
पहुंचे इसदंग का कुशल लेग निर्णय करें। दंड, बदनामी, तथा
रुपये पैसे के भय से जबरन डरकर दान ग्रहण करने तथा कराने
वाले को चोरी विषयक दंड दियाजाय। मिलकर दूसरे को मारने
पीटने या राजा को डरावा दिखाने वाले को उत्तम दंड मिले।
मृत पुरुष की संगति का अधिकारी लड़का या रिश्तेदार अपनी
इच्छा के विरुद्ध प्रतिभव्य दंड [कर्जा सम्बन्धी जुरमाना] देहज
का बचा भाग, जुए की हार, शराब के नशे में किए गए प्रण तथा
स्त्री के वश में होकर कहे गए धन के देने में वाधित नहीं किया
जासकता है।

(ख)

अस्वामिक धन का विक्रय.

स्वामी अपनी खोई हुई वस्तु को प्राप्त कर धर्मस्थ को देदे।

इसमा यह अर्थ भी ठीक जवाब है:—

स्वामी खोई हुई वस्तु को प्राप्त कर (उठाने वाले को) धर्मस्थ के द्वारा पकड़वा
दे। यदि देश तथा काल इस बात का वाधक हो तो स्वयं उसको पकड़कर धर्मस्थ के
सुपुर्दे करदे। धर्मस्थ अपाधी से पूछे कि “तुमको कहां से यह माल मिला ?”

यदि देश तथा काल वाधक हो तो स्वयं ग्रहण करले । धर्मस्थ स्वामी से पूछे कि तुमको कहां से यह माल मिला ? यदि वह वस्तु के प्राप्त होने के किससे को क्रमशः विचार से प्रगट करे और बेचने वाले का पता न देसके तो उसको छोड़ दिया जाय और उस संपत्ति या वस्तु को राज्य स्वयं ग्रहण करे । यदि बेचने वाला सामने किया जासके तो उससे वस्तु का दाम वसूल कियाजाय और उसको चोरी विषयक दंड दियाजाय । वस्तु के लक्ष्य होने तक यदि वह छिपारहे और उसके बाद प्रगट हुआ हो तो उससे वस्तु की कीमत लेली जाय और उसको चोरी का दंड भी मिले ।

खोये हुए माल पर अपना स्वत्व सिद्ध करने के बाद ही उसको लिया जाय यदि कोई ऐता सिद्ध न करसके तो उत्तर पदार्थ के मूल्य का पांच गुना जुरमाना किया जाय और पदार्थ राजकीय संपत्ति होजाय । यदि कोई राज्य को बिना सूचित किये ही नष्ट पदार्थ पर अपना स्वत्व स्थापित करले तो उसको साहस दंड दिया जाय । खोये हुए तथा चोरी हुए माल को तीन पक्के तक शुल्क स्थान (चुंगीधर) में रखा जाय । यदि इसपर भी उसका कोई दूसरा हकदार न मिले तो राजा या स्वामी स्वयं ग्रहण करे ।

भी दो पैर वाल जानवर पर स्वत्व-प्राप्ति (खोजाने के बाद) का बदला ५ पण, एक खुरवाले जानवर पर ४ पण गौ भैस पर २ पण और जुद्र पशुओं पर $\frac{1}{2}$ पण लियाजाय । रत्न बहुमूल्य द्रव्य, तुच्छ द्रव्य तथा जांगलिक पदार्थ पर ५ शतक ग्रहण कियाजाय । शत्रु के हाथसे या जंगल से स्वोर्द्धुर्द्धुर्वस्तुको प्राप्त कर राजा उसके मालिक को देदे । घुराया हुआ माल यदि न मिले तो अपने घर से दे । यदि ऐसा माल हो कि वह फिर न मिलसके तो उसके बदले स्वयं ग्राह लोगों से दूसरा पदार्थ मांगकर उसको देदेवे । शत्रुके देश से अक्रमण कर प्राप्त कीदूर्द्धुर्वस्तु का राजा की आज्ञा लेकर उपयोग किया जासकता है बशर्ते कि वह आयों, ब्राह्मणों तपस्वियों तथा देवताओंसे संबंध न रखती हो ।

(ग)

पदार्थों पर स्वत्व ।

यदि किसी मनुष्य की किसी देश में संपत्ति है तो देश के परि

त्याग करने पर भी उसीका उसपर हक है । परंतु यदि कोई—बालक, वृद्ध, बीमार, राज्य दांडित, विदेश में रहने वाला, देश त्यागी तथा राज्य क्रान्ति में भागा हुआ आदि न होकर भी अपनी संपत्ति का उपभोग इस साल तक निरंतर दूसरोंको करने देता है तो उसका उस संपत्ति पर कुछ भी हक नहीं रह सकता । मकानु के मामले में वीस साल का नियम है । यदि कोई बीस साल तक लगातार मकान में रहे और मालिक मकान कभी भी रोक टोक न करे तो अन्तमें उसी का उस मकान पर हक हो जाता है । संबंधी, श्रोत्रिय तथा पाखंडी राजा से दूर किसी दूसरे के मकान में रहते हुए कभी भी उस मकान पर रहने के कारण हक नहीं प्राप्त कर सकते । उपनिधि (प्रत्यक्ष धरोहर), आधि (सिक्यूरिटी), खजाना, गिरों रखा धन, खी, सीमा, राजा तथा श्रोत्रिय के द्रव्यों के संबंध में भी यही नियम समझना चाहिये । वानप्रस्थी तथा पाखंडी एक दूसरे को किसी ढंग की भी तकलीफ न देते हुए खुले हुए मैदान में बसें । पुराने वसे हुए लोग अपना थोड़ा सा स्थान छोड़ कर नये आये हुए अतिथि को रहने का स्थान दें । जो यह न करे उसको निकाल बाहर किया जाय । यदि किसी ब्रह्मचारी, सन्यासी या वानप्रस्थी की मृत्यु हो जाय तो उसकी संपत्ति उसके आचार्य, शिष्य, धर्म भाई, तथा साथी को मिले । आपस में झगड़े करने के कारण इन पर जितने पाँ जुरमाना किया जाय उतने ही रातों तक यह लोग राजा के खातिर—तृप्त अभिषेक यज्ञ तथा महाकच्छ वर्धन आदि काम करें । जिन पाखंडी साधुओं के पास सोना या संपत्ति न हो वह जुरमाने की रकम को उपवास तथा व्रतों के द्वारा पूरी करें बशर्ते कि उन्होंने मार्पीट गाली गलोच, चोरी डाका तथा व्यभिचार आदि काम न किये हों । इन अपराधों में तो यथोक्त दंड ही उनको दिये जाय ।

राजा सन्यासियों तथा वैरागियों को दंड के जोरपर पाप कर्म से रोके । क्यों कि अधर्म धर्म का नाशकर अन्तमें राजा का नाश करता है ।

७९ प्रकरण ।

साहस ।

जबरन प्रत्यक्ष रूप से धन छीनना डाका[साहस] और छुपकर चुराने या तंग करने पर चोरी [स्तेय] समझी जाती है। मानवसं-प्रदाय के विद्वानों का मत है कि “रत्न; बहु मूल्य पदार्थ, साधारण पदार्थ तथा जांगलिक द्रव्य” आदिकों के ऊपर डाकामारने पर मूल्य के समान दंड दिया जाय। औशनस संप्रदाय के लोग दुगुने जुर-माने को उचित समझते हैं। कौटिल्य का मत है कि अपराध के अनुसार दंड मिलना चाहिये।

फूल, फल, शाक, मूल, कंद, पक्काश, चमड़ा, बांस तथा मट्टी के बर्तन आदिक = चुद्र द्रव्यों की चोरी डाके में १२ पण से २४ पण तक—लोहा, लकड़ी रस्सी, पदार्थ, चुद्र पशु आदि स्थूल द्रव्यों की चोरी डाके में २४ पण से ४८ पण तक—तांवा, पीतल, कांसा, शीसा हाथी दांत की चीज़ आदि स्थूल द्रव्यों की चोरी डाके में ४८ पण से ६६ पण तक और महा पशु, मनुष्य, खेत, मकान, संपत्ति, सुवर्ण तथा महीन कपड़े आदि स्थूल द्रव्यों की चोरी डाके में २०० पण से ५०० पण तक मध्यम साहस दंड दिया जाय।

पुराने आचार्यों का मत है कि जो लोग खीं पुरुष को कैद में डालें या कैदमें पड़े हुए को मुक्त करने का साहस करें उनको उत्तम दंड दिया जाय। जो अपनी सलाह से दूसरे से साहस के काम करवाये उसपर दुगुना और जो सुवर्ण आदि को यथेष्ट राहि में देने की प्रतिक्षा कर किसीसे बुराकामले उसपर चारदुगुना जुर-माना किया जाय। बाह्यस्पत्य लोगों का यह मत है कि “जो जितना सुवर्ण देने का बचन दे कर बुराकाम करवाये” उसपर उतने ही सुवर्ण का दंड दिया जाय। कौटिल्य का मत है कि यदि कोई ऐसे अपराध में किसी के कोप, मद या अभिमान को कारण ग्रगट करे तो उसपर उपरि लिखित प्रकार ही जुरमाना किया जाय।

संपूर्ण जुरमानों में सैकड़ा पीछे द पण रूप, और सौ पण से ऊपरके जुरमाने पर १ पण सैकड़ा व्याजी ग्रहण किया जाय।

प्रजा में दोषों के अधिक होनेसे और राजामें भी गलतों करजाने की संभावना होने से पापीसे धर्म काम के लिये रूप तथा व्याजी लेना न्याय युक्त प्रगट कियागया है।

७२ प्रकरण । वाक् पारुष्य । .

चुगली, गाली, फिड़कना आदि वाक् पारुष्य नामक अपराध के अंतर्गत हैं। १ शरीर, २ प्रकृति, ३ श्रुतध वृत्ति तथा ५ज्ञानपद के भेद से यह पांच प्रकार का है।

१ शरीर—काना लंगड़ा लूला आदि शब्दों से किसी अंग विकल को पुकारने पर ३ पण और अच्छे आदमी को गाली देने पर ६ पण दंड दिया जाय। कोढ़, उन्माद तथा नपुंसकता आदि के विषय में दूसरे से कहने पर तथा चुगली करने पर और काने तथा लूले लंगड़े की “आहा ! आपकी आंखें तथा दांत कैसे सुन्दर हैं” इसठंग पर हंसी उड़ाने पर १२ पण दंड दिया जाय। समान हैसियत के लोगों पर सब्दी भूठी स्तुति या निन्दा के करने पर १२ पण से लेकर अधिक धन तक जुरमाना किया जाय। यदि यही अपराध किसी ऊँची हैसियत के व्यक्ति के साथ किया गया हा तो जुरमाना दुगुना और नीची हैसियत के साथ करने पर जुरमाना आधा होना चाहिये। परस्ती के विषय में भी दंड दुगुना ही होना चाहिये। यदि ऐसे अपराध में प्रमाद शराब, मोहादेक कारण हो तो दंड आधा दिया जाय। कुष्ट तथा उन्माद के विषय में चिकित्सक तथा पड़ासी प्रामाणिक समझे जाय। नपुंसक होने पर स्त्री को प्रमाण माना जाय। नपुंसक के पेशाब में फेना उठने लगता है और उसका पाखाना पानी में ढूब जाता है।

२ प्रकृति—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अंत्यज इनमें से पिछले पहिले के स्वभाव आदत आदि के विषय में यदि बुरा कहे तो क्रमशः ३ पण से अधिक दंड दिया जाय। यदि पहिला पिछले के विषय में कहे तो जुरमाना २ पण से कम हो। कुब्राहण महा ब्राह्मण आदि कहने पर भी ऐसा ही दंड दिया जाय।

३ श्रुत-पढ़ाई विद्वत्ता आदि के विषय में बुरी बात कहने पर भी दंड इसी प्रकार हो ।

४ वृत्ति-विदूषक, कारीगर तथा कुशीलव (गवैद्य) आदियों की आजीविका (वृत्ति) के विषय में बुरी बात कहने पर भी पूर्ववत् ही दंड दिया जाय ।

५ जानपद-प्राणुज्ञक गांधार आदि राष्ट्रों की बुराई करने पर भी पूर्ववत् ही दंड का विधान किया जाय ।

“तुमको मारूंगा या पीटूंगा” इसढंग पर जो कहे और करे इस अपराध में उसको जितना दंड दिया जाय उसका आधा उस समय दिया जाय जिस समय वह कहे तो सही पन्नु करे नहीं । यदि सामर्थ्य रहित हुआ हुआ कोई किसी पर गुस्सा पागलपना तथा आभिमान दिखावे तो उसपर १२ पण जुरमाना किया जाय । अपकार करने में समर्थ हो करके यदि कोई दुश्मन, किसी को डरावे तो उसपर यह जिम्मेवारी डाली जाय कि वह आजीवन उसकी रक्षा करे ।

६ स्वदेश ग्रामादिक के विषय में २ जाति संघ के संबंध में तथा मन्दिर तथा देवताओं के मामले में यदि कोई बुरी बात कहे तो उसको क्रमशः प्रथम साहस, मध्यम साहस तथा उत्तम साहस का दंड दिया जाय ।

७३ प्रकरण ।

दंड—पारुष्य ।

बूना, पीटना, मारना आदि दंड पारुष्य [वे इज्जती तथा मान हानि] नामक अपराध के अन्तर्गत हैं । नाभि से निचले भागपर हाँथ, कीचड़, राख तथा मिठ्ठी डालने से ३ पण,—पैर मारने थूक फेंकने तथा कीचड़ आदि अपवित्र वस्तु ऊपर फेंकने से ६ पण,—पाखाना पेशाब तथा कै कै कें फेंकने से १२ पण जुरमाना किया जाय । नाभि के ऊपरले भाग पर इसी अपराध में दुगुना और समान है—सियत बाले आदमी के शिरो भाग में ऐसी बात करने में चौगुना

दंड दिया जाय । बड़ी हैसियत के लोगों के साथ ऐसी बात होने पर दंड दुगुना, छोटी हैसियत वालों के साथ आधा, और पराई स्त्री के साथ दुगुना होना चाहिये । प्रमाद मद तथा मोहादियों से आदि ऐसा अपराध हो तो दंड आधा दिया जाय ।

पैर, कपड़ा, हाथ, बाल आदि पकड़ने पर ६ पण, पीटने मरोड़ने तोड़ने खींचने तथा चढ़ बैठने पर साहस दंड और गिरा कर भागने में आधा दंड दिया जाय ।

शुद्र जिस अंग से ब्राह्मण को मारे उसका वही अंग काट दिया जावे । गाली देने पर वह मान हानिका धन दे और छूने पर आधा जुरमाना दे । यही नियम चांडाल तथर अछूत लोगों के साथ काम में लाया जावे ।

हाथ से पीटने में ३ पण से ६ पणतक, पैर से मारने में दुगुना, सूजन पैदा करने वाली चोट में साहस दंड और धातक चोट में मध्यम दंड दिया जाय ।

लकड़ी, लोहा, पत्थर, कोड़ा आदि मारने में खून के न निकलने पर २४ पण और खून निकलने पर दुगुना दंड दिया जाय बशर्ते कि चोट भयंकर न हो ।

विना खून निकले ही मार मार कर बेदम करना, हाथ मरोड़ना या तोड़ना, दांत तोड़ना, कान नाक काटना धातक चोट पहुंचाना आदि अपराध में साहस दंड दिया जाय बशर्ते कि भयानक खून न निकलने लगा हो ।

हड्डी तथा गर्दन को तोड़ना, आंखें फोड़ना और मुंह परएसी चाट पहुंचाना कि बोलना तथा खाना कठिन हो जाय—आदि अपराध में मध्यम साहस दंड दिया जाय । अपराधी दबाई आदिका खर्चा भी उसको दे । यदि देश काल अपराधी के पकड़ने में बाधक हो तो कंटकशोधन न्यायालय में उसके अपराध का निर्णय किया जाय ।

बहुत से लोगों ने मिलकर यदि किसी एक व्यक्ति को मारा हो तो उनमें से प्रत्येक को दंड दिया जाय । पुराने आचार्यों का मत है कि पुरानी चोरियों तथा झगड़ों पर अभियोग न चलाया जाय । कौटिल्य की संमति है कि अपराधी को कभी भी न छोड़ना चाहिये

पुराने आचार्य कहते हैं कि जो पहिले मुकदमा चलावे वही जिताया जाय क्यों कि उसीने सबसे पहिले तकलीफ का अनुभव कर राज्य नियमों का सहारा लिया । कौटिल्य इसको ठीक नहीं समझता । क्यों कि अपराध का निर्णय पहिले या पीछे ओने के स्थान पर साक्षियों की सम्पत्ति पर ही होना चाहिये । यदि साक्षी न हों तो घात तथा कलह के कारण तथा परिस्थिति के अनुसार निर्णय किया जाय ।

पारस्पारक कलह में द्रव्य के छीन लेनेपर या साधारण तुच्छ पदार्थ के नष्ट करनेपर १० पण और बहुमुल्य पदार्थ के नुकसान करने पर दुगना दंड तथा वस्त्र, गहना, सोना, संपत्ति तथा पदार्थ के नुकसान होनेपर साहस दंड दियाजाय ।

जो दूसरे के मकान की दीवार को हिलावे उसपर ३ पण और जो उसको तोड़े फोड़े उसपर ६ पण जुरमाना कियाजाय और नुकसान का प्रतिकार करवाया जाय ।

जो किसी के मकान में चोर पंहुचाने वाला पदार्थ फेंके उसको १२ पण और जो ऐसा पदार्थ फेंके जिससे मौत का डरहो उसको साहस दंड दियाजाय । छोटे पशुओंको मारनेपर १ पण या २ पण और खून निकालने वाली चोट पंहुचानेपर दुगना दंड हो । महापशु के विषय में इसीढ़ंग के अपराध करने पर दुगना जुरमाना कियाजाय । और उनका उत्पत्ति व्यय भी ग्रहण कियाजाय ।

नगर के पेड़ों तथा फूल फलसे तथा छाया वाले दरख्तों की पत्तियां तोड़ने पर ६ पण, छोटी छाटी उहनियां काटने पर १२ पण, चोरी शाक्का काट डालनेपर २४ पण और तना काटने पर प्रथम साहस दंड दियाजाय । पेड़के सर्वथा काट डालने पर मध्यम साहस दंड होना चाहिये । फूल, फल, छायावाले पेड़, झाड़ियां तथा बेलों के नष्ट करने पर आधा दंड दियाजाय पुण्यस्थान, शमशान तथा तपो-बन के पेड़ों के विषय में भी यही नियम समझने चाहियें ।

मंदिर, सीमबृक्ष, राजवन, तथा संरक्षित स्थान के पेड़ों के नष्ट करने पर दुगुना दंड दियाजाय ।

(०४-७५ प्रकरण ।

दृत समाह्य तथा प्रकीर्णक ।

(क)

दृत समाह्य.

दूताध्यक्ष नियतस्थान पर जुआ खेलने का प्रबंध करे । जो नियत स्थान से अन्यत्र जुआ खेलें उनपर १२ पण जुरमाना किया जाय । यह नियम इसीलिये बनाया गया ताकि गुड़ाजीवी (जो लोग उगी आदि गुप्त कर्मों से आजीविका करते हैं) लोगों का पता मिल सके । प्राचीन आचार्यों का मत है कि दूतविषयक मुकदमे में विजेता को साहसदंड और “बेवकूफ होते हुए भी दूसरे की जीत को यह सहन नहीं कर सकता है” इस अपराध में पराजित को मध्यम दंड दिया जाय । कौटिल्य इस विचार में सहमत न होकर कहते हैं कि इससे तो राजा के पास निर्णय के लिये ही कौन आने लगा ? प्रायः किंतव लोग (उग चोर आदि) ही जाली पांसों से जुआ खेलते हैं । दूताध्यक्ष शुद्ध कौड़ी तथा पांसों से जुआ खिलाने का प्रबंध करें । जो उनको अपनी कौड़ी तथा पांसे से बदले उसपर १२ पण जुरमाना किया जाय । हाथ की सफाई (कूटकर्म) करने वालों को साहसदंड के साथ साथ बैर्डमानी तथा चोरी विषयक दंड दिया जाय और उनका जीता हुआ धन जब्त कर लिया जाय । दूताध्यक्ष जी हुए द्रव्य का पांचशतक, कौड़ी पासे का दाम, भूमि तथा जल का किराया और जुआ खेलने की आशा देने का राजपत्र ग्रहण करे । प्राप्त द्रव्यों को बेचे या उधार पर दे । यदि वह हाथ भूमि तथा पांसे संबंधी दोष को हटावे तो उसपर दुगुना जुरमाना किया जाय । विद्या तथा शिल्प विषयक खेलों तथा दंगलों को छोड़कर अन्यों में इसी नियम के अनुसार काम होना चाहिये ।

(ख)
प्रकीर्णक.

जब कोई मनुष्य, उधार पर मांगे या किराये पर लिये थाती के रूप में दिये या धरोहर (निक्षेप) में रखे द्रव्यों को देशकाल के अनुसार न लौटावे, सवा घंटा से अधिक आराम लेवे या दूसरे स्थान पर चला जावे तथा भूठमूठ ब्राह्मण बनकर छावनी संबंधी या नौका संबंधी किराया तथा राज्यस्व न दे और दूसरों को पड़ोसियों से लड़ावे उसपर १२ पण जुरमाना किया जाय जो प्रतिज्ञात अर्थ को न दे भौजाई को हाथों से पीटे, दूसरे की रखी रंडी के पास जावे, दूसरे के हाथ बेचे माल को खरीदे, बन्द दरवाजे घर को फोड़ कर घुंसे चौबीस सामन्तोंके कुल विषयक नियमोंको तोड़े उसपर २४ पण, जो कुल के लोगों से चन्दा बसूल कर इस स्थान में न खर्च करे, स्वतंत्र रहने वालों विधवा के साथ जबरन गमन करे, चारडाल होते हुए आर्य स्त्री का संस्पर्श करे, आपत्ति में पड़े समीप वर्ती के बचाने के लिये न दौड़े, निष्कारण दूसरे को दौड़ावे, वैश्य वैरागियों, शाकयों तथा आजीवकों को देवविषयक तथा पितृविषयक काय्यों में बुलावे तथा भाँजन दे उसपर १०० पण जो राजाज्ञा बिना ही शपथ लेकर लोगों के अपराधों का निर्णय करे, श्रयोग्य आदमी को राजकीय काम में नियुक्त करे, खुद पशुओं तथा बैलों का पुंस्त्र अपहरण करे, दासी का गर्भ औषध से गिरावे, उसके साहस दंड दिया जाय । पिता-पुत्र, पति-पत्नी, भाई-बहिन, मामा-भाजा, आचार्य-शिष्य इनमें से जो कोई (जात विरादरी में संमिलित होते हुए) अपने स्वर्थ को सिद्ध करने के लिये साथ में लाकर किसी एक दूसरे को गांव के बीच में छोड़ दे उसको साहस दंड और जो जंगल के बीच में छोड़ दे उसको मध्यम दंड दिया जाय । जो इसी उद्देश्य से डरावे और धमकावे उसपर उत्तम दंड का और साथ जाने वालों तथा अन्य समीप वर्तीयों पर अर्ध दंड का विधान किया जाय । जो निरपराध पुरुष को कैद में डाले, कैदी के बंधन को तोड़े और नावालिंग बच्चे को बांधे या बंधवावे उसपर १०० पण जुरमाना

किया जाय । अपराधी के अपराध के अनुसार ही दंड का विधान करना चाहिये ।

तीर्थ यात्री, तपस्वी, बीमार, भूख प्यास से मांदे, दूर गांव के रहने वाले, राजकीय दंड से तकलीफ उठाने वाले तथा निर्धन लोगों पर अनुग्रह किया जाय । धर्मस्थ नामक राज सेवक देवताओं, ब्राह्मणों, तपस्वियों, बालकों, बृद्धों, बीमारों तथा अनाथों के संपूरण कामों को उनके कहने के बिना भी करें । समय स्थान तथा कार्याधिक्य का बहाना इस बात में कभी भी न करे । विद्या, बुद्धि पौरुष, कुल तथा उत्तम कर्म से ही पुरुष पूजनीय समझे जाते हैं ।

धर्मस्थ लोग जनता में प्रिय तथा विश्वास पात्र होकर सब के साथ समान रूप से वर्ताव करें और छुल आदि से रहित होकर राजकीय कार्यों का प्रबंध करें ।

४ अधिकरण ।

कंटक शोधन ।

७६ प्रकरण । कारीगरोंकी रक्षा ।

तीन प्रदेश [कमिश्वर] तथा तीन ही अमात्य [मन्त्री] अपराधियों के अपराध का निर्णय करें तथा उनके पकड़ने का प्रबंधकरें । जो लोग आर्थिक कष्टको दूरकरसकें, कारीगरों का शासन करसकें, गिरों रखे धन सुरक्षित रखसकें, नये नये कामों को सोचसकें तथा जिनपर कंपनी का विश्वास हो ऐसे लोग दूसरों के धनको गिराऊखें । तकलीफ पड़नेपर कंपनी गिरों रखे धन का प्रबंध करें ।

कारीगर समय स्थान तथा कार्य को तयकर काम करें । जो लोग न तय करने का बहाना करें तथा काममें देरी लगावें उनका चौथाई वेतन काटलियाजाय तथा उनको दुगुना जुरमाना कियाजाय बशर्तेकि उनपर कोई दैवीविपत्ति न आपड़ी हो । यदि

उनसे कोई चीज़ नष्ट या खोजाये तो वह उसको पूरा करें और यदि वह काम बिगाड़ दें तो उनकी तनखाह कट जाय और उनपर दुगुना जुरमाना कियाजाय ।

(जुलाहे)

जुलाहे १० तथा ११ के अनुप्रात में दियेहुए सूत को बढ़ावें । यदि वृद्धि कम हो तो उनपर कमी का दुगुना जुरमाना कियाजाय या उनसे सूत का दाम वसूल कियाजाय या उनकी तनखाह कट जाय । सानिया तथा रेशमी कपड़ों में $\frac{1}{2}$ गुना, रेशेदार कपड़े कंबल तथा दुशालों में दुगुना, माल के कम होने पर कमी संबंधी जुरमाना वसूल कियाजाय या बेतन का दुगना दंडियाजाय । तोलमें कमी होनेपर कमीका चारगुना और सूतके बदलनेपर कीमत का दुगना दंड देना चाहिये । थानोंके विषयमें भी यहीनियम है ।

[धोबी]

ऊनी कपड़ों का भार तथा रोयां धुलाने पर ५ पल कम हो जाता है । धोबी लकड़ों के फटे पर या चिकने पत्थरों पर ही कपड़े फटके तथा सफाकरे । अन्यत्र धूने पर यदि कपड़ा फट जाय तो उन पर छ पण जुरमाना किया जाय । यदि कोइ धोबी मुद्रर के चिन्ह से राहेत अन्य किसी प्रकार के कपड़े को पहिने तो उसपर ३ पण जुरमाना किया जाय । जो धोबी दूसरे के कपड़े को बेचे, किराय पर देया गिराए रखे उसको १२ पण दंड दिया जाय । यदि वह कपड़ा बदलदे तो कपड़े के दामका दुगना धन तथा कपड़ा उससे वसूल कियाजाय । शिलापर सफेदहोने वाल, स्त्री के योग्य कपड़े को एकरात तक, हल्के रंगवाले कपड़े को पांचरात तक, नाल कपड़े को ६ राततक, फूललख तथा मंजीठ के रंगसे रंग तथा महनत से साफ होनेवाले चमली के सूतके बने कपड़े को सात राततक धोकर देदे । यदि वह इससे अधिक देरीकरे तो उसका महनताना काट लियाजाय ।

श्रद्धेय [प्रमाणिक लोग] तथा कुशल लोग भगड़ा होनेपर बेतन का निश्चय करें । बहुत बढ़िया कपड़ों का बेतन १ पण, मध्यम कपड़ों का $\frac{1}{2}$ पण निकृष्ट कपड़ों का $\frac{1}{4}$ पण और मोटे कपड़ों का

१ मास से २ मास है। रंगीन कपड़ों का इससे दुगना बेतन है। पहिली धुलाईमें कपड़े का $\frac{1}{2}$ भाग, दूसरी धुलाई में $\frac{1}{2}$ भाग और इसीसे अगली धुलाई में कुछ कुछ भाग घिसजाता है। धोवियों के सहश ही जुलाहों का मेहनताना है।

(सुनार)

अशुचि हस्त (कारीगर लोग) लोगों के हाथ से यदि सुनार सरकार को सूचना दिये बिना ही सोने का बना गहना खरीदें तो उन पर १२ पण, बिगड़ा टूटाफूटा गहना खरीदें तो २४ पण, चोर के हाथ से खरीदें तो ४८ पण, जुरमाना किया जाय। यदि वह ऊपर से अच्छा और अंदर से खराब सोने का गहना कम दाम पर खरीदें तो उनको चोरी विषयक दंडदिया जाय। मालके बदलने पर भी इसी प्रकार का दंड होना चाहिये। सोने में से एक मासा चुराने पर २०० पण, और चांदी के धरण में से १ मासा चुराने पर १२ पण, दंड दिया जाय। जादा दाम की चोरी में इसी प्रकार दंड की मात्रा बढ़ा देना चाहिये। सोने चुराने तथा नकली रंग देने का जो उपाय करे या जो सचमुच उस में दूसरी धातु मिलादे तथा रंगत नष्ट करदे उस पर ५०० पण, जुरमाना किया जाय। चांदी के एक धरण की बनवाई १ माषक और सोने की बनवाई $\frac{1}{2}$ भाग है। जिस काम में जादा कारीगरी हो उस में मेहनताना दुगुना होना चाहिये। इसी प्रकार अन्य बातों में नियम है।

ताम्बा कांसा कच्चा हीरा तथा पीतल की बनवाई ५ सैकड़ा है। बनाते समय ताम्बा का दसवां भाग नष्ट हो जाता है। यदि एक पल कमी पड़ती हो तो उसका दुगुना उसपर जुरमाना किया जाय। इसी प्रकार अन्य धातुओं के बनवाने के नियम हैं। जस्ता तथा रंगा का बीसवां भाग नष्ट होता है। इसके एक पल का मेहनताना एक काकिणी है। इसी प्रकार अन्य नियम हैं।

यदि रूप दर्शक (सिक्कों का निरीक्षक) असली सिक्कों को नकली कह कर भ्रमण से रोके या नकली तथा जाली सिक्कों को असली कहकर प्रचलित करे तो उस पर १२ पण जुरमाना किया जाय। इसी प्रकार अन्य नियम समझने चाहिये। जो लोग जाली

सिक्के बनवावें, ग्रहण करें तथा लेनदेन में चलावें उनपर १००० पण जुरमाना किया जाय। जो ऐसे सिक्कों को खजाने में पहुंचावें उनको फांसी का दंड दिया जाय। धोने तथा कूड़ा सफा करने वालों को यदि कोई बहुमूल्य पदार्थ मिले तो उनको उसका $\frac{1}{3}$ भाग मिले। शेष $\frac{2}{3}$ भाग तथा रत्न राजा-ग्रहण करे। जो नौकर रत्न को चुरावे उसको उत्तम दंड दिया जाय।

जो लोग राजाको रत्नकी खान तथा गड़े खजाने का पता है उन को उसका छुठा भाग मिले। यदि वह सरकारी नौकर है तो उस को बारहवां भाग दिया जाय। एक हजार से ऊपर संपत्ति का गड़ा खजाना राजा की मलकीयत है। या उसमें धन इससे कम हो तो छुठा भाग पता देने वाले को राजा दे।

यदि कोई स्वदेश का विश्वस्त आदमी किसी गड़े खजाने को अपने पूर्वजों की मलकीयत सिद्ध करदे तो वह उसी की संपत्ति हो जाय। यदि वह ऐसा सिद्ध किये बिना ही अपने काम में ले आवे तो उस पर ५०० पण और छिपाकर ऐसा काम करने पर १००० पण जुरमाना किया जाय।

(वैद्य)

सरकार को सूचना दिये बिना ही वैद्य लोग यदि ऐसे भीमार का इलाज करने लगें जिस की मृत्यु की संभावना हो और वह इलाज करते हुए मर भी जाय तो उन को प्रथम साहस दंड दिया जाय। यदि मृत्यु का कारण इलाज करने में भूल हो तो मध्यम दंड दिया जाय। प्रमाद से यदि रोग बढ़ गया हो तो उनको दंड पारूष्य विषयक अपराध में अपराधी समझा जाय।

(गवैद्ये वजैद्ये)

गवैद्ये वरसात के दिनों में एक ही स्थान पर रहें। वह किसी को भी अत्यंत अधिक भोगविलास में लीन न करें तथा किसी के भी काम का नुकसान न करें। जो इस नियम का उल्लंघन करें उन पर १२ पण जुरमाना किया जाय। देश, जाति, गोत्र, पेशा तथा मैथुन के अनुसार यह लोग स्वतंत्रता पूर्वक आरना काम करें। वजैद्ये नाचने वाले तथा भिलमंगे लोगों के संबंध में

भी यही नियम है। अपराध करने पर इन लोगों पर जितने पर्णों का जुरमाना हो उतने ही लोहे डंडे इन पर पड़ें। इसी ढंगके कामों को करने वाले कारीगरों की तनखाहें तथा मेहनताने भी नियत किये जाय।

चौर होते हुए भी शाह बनने वाले बनिये, कारीगर गवैह्ये भिखर्मंगे बहु रुपिये आदि लोगों को राष्ट्र को पीड़ित करने से रोका जाय।

७७ प्रकरण

व्यापारियों की रक्षा।

व्यापाराध्यक्ष [संस्थाध्यक्ष] निश्चित स्वाम्य या स्वास्थ्यविशुद्ध [जिसका कोईभी मालिक न हो] पुरानी चीजों का दूकान में [परेय संस्था] बेचने या गिरों रखने का प्रबंध करे। डंडीदारों की बेईमानी से प्रजाको बचाने के लिये तराजू तथा बढ़ेका निरीक्षण करे। परिभाणी या द्रोणभर पदार्थ के तोलने में यदि आधापल कम होजाय तो कुछभी दोष नहीं है। यदि इससे अधिक कमी हो तो १२ पण जुरमाना कियाजाय। जितने पल तोलमें कमहो उसीके अनुसार दंड बढ़ादिया जाय। तराजू में एक कर्ष भर की कमी दोष नहीं है। दो कर्ष से अधिक कमी होने पर ६ पण दंड हो। कर्ष की कमी के अनुसार क्रमशः दंड बढ़ाया जाय। अद्वैये में आधे कर्ष की कमी दोषनहीं है। इससे अधिक कमी होनेपर ३ पण और क्रमशः ज्यों ज्यों कमी अधिक हो त्यों त्यों दंड बढ़ाया जाय। अन्य प्रकार की तराजू तथा बढ़ों के विषय में भी यही नियम समझना चाहिये। तथा बढ़े से अधिक खरीद कर कम बेचने वाले पर दुगना जुरमाना करना चाहिये। गिनकर बेचने वाले पदार्थों का आठवां भाग कम देने पर ६६ पण दंड दियाजाय। एकस्थान के पदार्थों का आठवां भाग कम देने पर ६६ पण दंड दियाजाय। रेशा तथा ऊनके पदार्थों को दूसरे स्थानके नामपर बेचने वाले मूल्य का द गुना जुरमाना कियाजाय। सार पदार्थों को असार

पदार्थ, एक स्थान के पदार्थ को दूसरे स्थान का, मिलावटी माल को अच्छा, खराब को ठीक और बदले में लिये पदार्थ को अपना कह कर कमदाम पर बेचने वाले को ५४ पण दंड दिया जाय । पण के मूल्य पर दुगना और दो पण के मूल्य पर २०० पण दंड हो । ज्यों ज्यों माल कीमती हो त्यों त्यों दंड बढ़ाया जाय । जो लोग कारी-गरों तथा शिल्पियों की मिश्रित पूँजी कंपनी के काम आमदनी, विक्रय तथा क्रय को नुकसान पहुँचावे उनपर १०० पण जुरमाना किया जाय । यदि व्यापारी आपस में मिलकर पदार्थों का बिक्री रोके या उनको अधिक दाम पर बेचे तो उनपर १००० पण दंड का विधान किया जाय । घटक [डंडोदार] या मापक [मापने वाला] हाथ की चालाकी से तराजू बड़े कोमत तथा मालमें पण मूल्य का आठवांभाग कम करें तो उनपर २०० पण दंड और इसी प्रकार पण की कमी के बढ़ने के अनुसार दंड बढ़ाया जाय । धान स्नेह खार नमक गंध तथा औषधियों के समान रगरूप को चाँड़ से बदल देनेपर १२ पण दंड दिया जाय । जो लोग दोनक बेतन लेकर काम करे उनके दिनका काम देखकर बोनिया उनको बतनदे । क्रेता तथा विक्रीता से भिन्न लाभ दलाली कहाता है । दलाली लेकर राजकोय आश्वाके अनुसार धान्य तथा परेय [बजारोमाल] का विक्रय बोनिय लोग करें । जो लोग बिना आश्वाके क्रय विक्रय करे उनको अनाज को ढेरी को जब्तकर लिया जाय । प्रजा का ख्याल रखकर अनाज तथा आवश्यकीय पदार्थों का विक्रय किया जाय ।

नियत दाम के ऊपर जो सरकारी आश्वासे स्वदेश माल बेचे उसपर ५ सैकड़ा इंकम टैक्स [आजोब] और जो विदेशी माल बेचे उसपर १० सैकड़ा इंकम टैक्स लगाया जाय । इसके अनन्तर जो कीमत को बढ़ावे उसपर १०० पण के माल के खरीद फरोख्त पर ५ पण और इसी प्रकार अधिक दाम के माल पर २०० पण तक जुरमाना किया जाय । कीमत के बढ़ने के अनुसार ही दंड के बढ़ने का नियम है । एक दाम पर यदि इकट्ठा माल न बिके तो दूसरा दाम नियत किया जाय । यदि माल का नुकसान हो जाय तो राजा बनियों पर अपना अनुग्रह रखे । परेय के प्रचुर होनेपर परेयाध्यता संपूर्ण परेय को एक दाम पर बेचे । जब तक सरकारी माल न बिकजाय

तबतक दूसरे लोग अपना माल न बेचने पावें। प्रजाकी प्रसन्नता के अनुसार राजा दैनिक वेतन देकर बनियों के द्वारा अपना माल बिकवावें। देर के रखे तथा दूरदेश से आयेहुए मालके विषय में।-

व्यापाराध्यक्ष—प्रक्षेप [पूँजी], पकार्थ की राशि, चुंगी, व्याज, फुटकरकीमत, तथा अन्य प्रकारके खर्चों का अनुमान कर उनकी कीमत नियत करे।

७८ प्रकरण ।

दैवी विपत्तियों का उपाय ।

१ आग २ पानी ३ बीमारी ४ दुर्भिक्ष ५ चूहा ६ शेर ७ सांप तथा राक्षस यह आठ प्रकार के दैवी भयंकर खतरे हैं। इनसे जनपद की रक्षा की जाय ।

१ आग । गरमी के दिनों में प्रामीण लोग घर से बाहर सोवें। दश मूलो [घड़ा सीढ़ी रस्सी आदि १० चीज़ें] का संग्रह घरमें रखें। नागरेकों का कर्तव्य, अन्तः पुर का प्रबंध तथा राज परिग्रह नामक प्रकरण में आग से बचने के उपाय प्रगट किये जा चुके हैं। प्रति पर्व में बलि, होम, स्वस्तिवाचन के द्वारा आग्नि की पूजा की जाय ।

२. पानी । नदी के किनारे के गांव बर्षा की रातों में किनारे से दूर रह कर सोवें। लकड़ी तथा बांस की नावें सादा अपने पास रखें। तूंवा, मषक, नाव, तमेड़, तथा बेड़े के द्वारा छबते हुए लोगों को बचावें जो लोग छबते हुए मनुष्य को बचाने के लिये न दौड़ें। उनपर १२ पण जुरमाना किया जाय बशर्ते कि उनके पास नाव आदि तैरने का साधन न हो। पर्वों में नदी की पूजा की जाय। माया वेद तथा योग विद्या को जानने वाले वृष्टि के बिरुद्ध उपाय करें। वृष्टि के रुक्ने पर इन्द्र, गंगा पर्वत तथा महा कच्छ की पूजा की जाय ।

३. व्याधि चौदहवें अधिकरण [औपनिषदिक्] में विधान किये गये तरीकों के द्वारा बीमारी के भय को कम किया जाय। यही बात वैद्य लोग द्वाइयों से और सिद्ध तथा तपस्वी लोग शान्ति मय

साधन तथा प्रायश्चित्तों के द्वारा करें फैलने वाली बीमारी [मरक] के संबंध में भी यही तरीके काम में लाये जायं। तीर्थों में नहाना, महा कच्छु का बढ़ाना, गउओं का शमशान में दुहना, मुर्दे का धड़ जलाना तथा देवताओं के उपलक्ष में रात भर जागना आदि काम किये जायं। पशुओं की बीमारी के फैलने पर परिवार के देवताओं की पूजा तथा पशुओं के ऊपर से धूप बत्ती उतारी जायं।

४. दुर्भिक्ष दुर्भिक्ष के समय में राजा अनाज तथा बीज कम कीमत पर बांटे। लोगों को इधर उधर देशमें भेजें। नये नये कठिन कामों को शुरू करे और लोगों को भोजनाछादन दे। मित्र राष्ट्रों का सहारा ले। अमीरों पर टैक्स बढ़ावें तथा उनका इकट्ठा किया हुआ धन निकाल ले। जिस देश में फसल अच्छी हो उसमें अपनी प्रजा को लेकर चला जावे। नदी के किनारे धान शाक मूल तथा फलों की खेती करवावे। मृग पशु पक्षि शिकारी जन्तु तथा मच्छरों का शिकार शुरू करे।

५. चूहा। चूहों के उत्पात होने पर बिल्ही तथा न्युअलों को छोड़े। जो लोग पकड़ कर चूहों को मारें उनपर १२ पण जुरभाना किया जाय। जो लोग जंगली जानवरों के न होते हुए भी बिना कारण ही कुत्तों को छोड़ रखें उनपर भी पूर्व वत् दण्ड का विधान किया जाय। थोड़े के दूध में धान को सान कर खेतमें छोड़े। पन्द्रिजातिक तरीकों को काम में लावे तथा चूहे के संबंध में राज्य कर लगावे। सिद्ध तथा तपस्वी लोग शान्ति मय उपायों को करें। पवाँ में मूषिक पूजा की जाय। टिहीदल, पक्षी, कीड़े आदि के उत्पातों का उपाय भी इसी प्रकार किया जाय।

६. हिंसकजंतु। हिंसक जन्तुओं का खतरा होनेपर मैनफल के रसमें डुबाकर मरेहुप पशुओं को या उनके पेटमें मैनफल तथा कोदों का धान भरकर उनको जंगल में फेंकदियाजाय। लुधक [शिकारी तथा व्याघ] तथा शिकारी लोग [शवगणी] स्थान स्थानपर गढ़ों को बनाकर जाल लेकर घूमते फिरें। सिपाही लोग हथियार तथा कबच धारणकर शेरों को मारें। यदि कोई शेरके आक्रमण होने पर किसीको बचाने का उद्योग न करेतो उसपर


१० परण जुरमाना विद्याजाय । शेर को मारने वाले को यही रकम इनाम में मिलनी चाहिये । पर्वों में पर्वत की पूजा कीजाय । मृग तथा पक्षियों का संघ तथा मगर मच्छु का भी इसी प्रकार उपाय करना चाहिये ।

७. सांप । जड़ी बूटी जैनने वाले मन्त्र तथा दवाईसे सांपों का प्रतीकार करें । सबलोग आपस में मिलकर सांपों को मारें । अर्थार्थ वेद जानने वाले सांपों के नाश का मन्त्रादि पढ़ें । पर्वों में सांप की पूजा कीजाय । जलजंतु के खतरों का उपाय भी इसी प्रकार है ।

८. राक्षस । राक्षसों का भय होने पर मायावी, योगी तथा अर्थार्थ वेदव्याप्ति राक्षसों के नाश का उपाय करें । पर्वों में चैत्यों पर छाता, हाथ का चित्र, झंडी तथा भेड़ का मांस चढ़ाकर पूजा की जाय । “हम आप को यह देते हैं” (वश्वराम) यह कह कर रात तथा दिन में रक्षिसों को शांत करने का यत्न किया जाय । राजा का कर्तव्य है कि जो लोग तकलीफ में हों—उनपर अनुग्रह पिताके तुल्य करे ।

राजा को चाहिये कि अग्रने देश में दैवी विषयों को दूर करने में समर्थ मायावी, योगी, सिद्ध तथा तपस्वी लोगों को विशेष आदर सत्कार कर बसावे ।

७९ प्रकरण । गूढ़ा जीवियों की रक्षा



“जन पद की रक्षा कैसे की जाय” इस विषय में समाहर्ता प्रणिधि प्रकरण में प्रकाश डाला जा चुका है । उसमें से राजयापराधी दुष्ट लोगों का संशोधन कैसे किया जाय ”इसपर अब प्रकाश डालाजाय ।

समाहर्ता गांवों में—सिद्ध, तपस्वी, वैरागी, चक्सर [षड्यंत्र रचने वाले] चारण, भाँड गुप्त जीवन व्यतीत करने वाले, ज्योतिषी मुहूर्त देखने वाले, चिकित्सक, उन्मत्त, गूंगे, बहरे, जड़, अंधे, ध्यापारी, कारीगर, गवैश्ये, कलबार, हलबार आदि के भेस में खु-

फिया लोगों को नियुक्त करे । वे ग्राम तथा उनके अध्यक्षों की ईमान-दारी तथा बेईमानी की परीक्षा करें । जिस मनुष्य के चरित्र पर उनका संदेह हो उसके पीछे उसीढ़ंग का मनुष्य लगादें । खुफिया जज या प्रदेशा [कमिश्नर] से कहे कि “हामारा यह बन्धु अमुक राज्यापराध में फँसा है । वह धनको अमुक राशि देने के लिये तैयार है” । यदि वह धन प्रहण करें तो उनको “धूंसखोर” [उपदा-प्राहक] कर देश निकाला देदिया जाय । प्रदेशा के विषय में भी इसी तरीके को काम में लाना चाहिये ।

खुफिया ग्रामकूट या ग्राम के अध्यक्ष को कहे कि “अमुक कूर अमीर पुरुष के पास बहुत धन है । आज कल वह ऐसी तकलीफ में है । चलो उसको लूट लें” । यदि वह सच मुच ऐसा करें तो उसको “लूटरा” [उत्कोचक] कहकर देश निकाला देदिया जाय । इसी प्रकार एक दूसरा खुफिया नकली तौर पर मुकदमें में अपने आपको फँसाकर बहुत सा रुपया देने की बात कहकर भूठ साक्षी इकट्ठा करना शुरू करे । यदि वह गवाही देने के लिये तैयार हो जाय तो उनको “भूठा गवाह” कह कर देश निकाला दे दिया जाय । भूठे शर्तनामे करने वालों को भी इसी प्रकार दंड दिया जाय ।

गन्ध, योग, तथा अन्य कर्म करने वाले, जिन तान्त्रिकों या अघोरियों (शमशानिक) को ‘जालीमंत्र’ करने वाला समझें तो उन के पास आकर खुफिया कहे कि “अमुक की स्त्री वह या लड़की को हम चाहते हैं । वह भी हम को चाहने लगे । यह रुपया ली-जिये” यदि वह बैसा ही करे तो उसको ‘तान्त्रिक’ (संवनन कारक) कहकर देश से बाहर निकाल दिया जाय । जो लोग दूसरे को तुकसान पहुंचाने वाले तांत्रिक काम करें उनको भी यही दंड मिले ।

ओ लोग जहर खरीदें, या दूसरों को जहरों को पता दें उनको दबाई या जहर बेचने वाला समझकर खुफिया कहे कि ‘अमुक आदमी मेरा दुश्मन है । आप यह रुपया लीजिये और उसको मार डालिये” । यदि वह सच मुच ऐसा काम करे तो उसको “जहर देने वाला” कहकर देश से बाहर निकाल दिया जाय । मदन नामक

जड़ी बूटी से दवाई तैयार करने वाले लोगों के साथ भी इसी ढंग का बत्ताव किया जाय ।

जिसको नाना प्रकार के लोहे के खार, कोयला, भस्त्रा (जिस से हवा दी जाय), संदेसी, मूषिका, अधिकरणी, विट्ठंक मूषा आदि खरीदते हुए देखे, मूसी तथा राख से जिन्हें के हाथ पर तथा कपड़े लते मैले मालूम पढ़े तथा जिसके पास कारीगरी के संपूर्ण उपकरण मौजूद हों उसको जाली सिंकका बनाने वाला मानकर सत्री हर रोज उसके साथ मिलना जुलना शुरू करे और धीरे धीरे उसका शिष्य बनकर राजा को सूचित करे । राजा 'जाली सिंकका बनाने वाला' पकड़ा गया यह कहकर उसको देश निकाला देदे ।

सोने में मिलावट करने वालों तथा जाली सोना बनाने वालों के साथ भी इसी ढंग का व्यवहार करना चाहेये ।

पाप कर्म से आजीविका करने वाले तथा देश की शान्ति को भंग करने वाले अपराधी तेरह प्रकार के होते हैं । उनको या तो देश निकाला देदिया जाय या उन से उचित निष्क्रिय प्रहण किया जाय ।

८० प्रकरण । सिद्धके भेसमें बदमाशों का पकड़ना ।

सत्रि लोगों से सहायता प्राप्तकर खुफिया लोग माणव विद्याओं (डाके चोरी के लिये उत्थंत उपयोगी विद्याओं) से बदमाशों को प्रलोभन दें और प्रस्थापन [शीघ्र दौड़ना] अन्तर्धान [अन्तर्धान होना] तथा द्वारापेह [दत्त्वा जौं को अपने आप खुलवादेना] आदि मन्त्र से डाकुओं और [तान्त्रिक मन्त्रों] से व्यभिचारियों को काबू में करे उनको भयंकर काम के करनेके लिये उभाड़े तथा पकड़े समूह के साथ किसी एक गांव को लक्ष्यकर रात्रीमें प्रस्थान करें और बीचमें पढ़े किसी एक ऐसे गांव में उहरे । जहां पूर्वसे ही स्त्री पुष्प के भेस में खुफिया लोग रहते हों । ऐसे गांव में पहुंचने के बाद उनको कहें कि "हमारे मंत्र तथा विद्याका प्रभाव वहां परही

देखलो । दूसरे गांव तक जाना अभी कठिन है ।” इसके बाद द्वारापोह मंत्र [वहमंत्र जिसके ऊरपर बंद दरवाजे खुलजाय] से दरवाजे खुलवाएँ और उनको मकान में घुसनेके लिये कहें । इसी प्रकार अंतर्धान मंत्र से जागते हुए पहरेदारों के बीचमें से बदमाशों को निकाल दें और प्रस्वापन मंत्र से उनको सुलाकर उनकी खुफियापरसे बदमाशों को गुजरवायें तथा संवनन मंत्रसे दूसरे की ओरत के भेसमें खुफिया ओरतों के पास लेजावें । अपनी विद्याओं तथा मंत्रों का प्रभाव दिखाकर उनको खयं यही काम करने के लिये आग बढ़ावें । पहले से ही नियत कियेहुए मकान या पदार्थ के विषयमें उनको कुछकाम सुपुर्द करें और जब वह मकान में घुसजावतो उनको पकड़वाएँ या उसपदार्थ को खरीदें बैचं या गिराएँ रखें तो उनको शराब पिलाकर पकड़वाएँ और पकड़ने के बाद उनके पूर्वकायों तथा सहायकों का पता लें ।

(खुफिया लोग) पुराने चोरके भेसमें चोरों के साथ मिलकर काम करें और मौका पड़ने पर उनको पकड़वाएँ । जब समाहर्ता के सामने वह पकड़कर लाये जायतो वह पौर तथा ग्रामीणों को यह दिखावे कि राजा को चोर पकड़न की विद्याका बहुत अच्छा शान है । पुनः तुम पकड़ जाओगे यदि ऐसाकाम करेगे तुम अपने साथियों को रोकदो कि वह आगेसे ऐसाकाम न करें । खुफिया लोग जिनको खुरफा कोड़ा रस्सी सांद कृषि विषयक उपकरणों को खुरानेवाला प्रगटकरे उनको सूचित कियाजाय कि “तुम ने यह चोरीकी है । यह राजा का हो प्रभावहै जिससे हमको तुहारी चोरी का पता लगगया ।”

पुराने चोर ग्वालेव्याध तथा शिकारी [श्वगणी] जंगली चोरों तथा जांगलिकों से मिलजाय तथा उनको ऐसे ग्रामपर छापा मारने के लिये कहें जहां पर ऐसे व्यापारियों का संघ रहता हो—जिसके पास जाली सोना तथा जांगलि क द्रव्य बहुत ही अधिक हों । यदि वह छापा मारें तो उनको गांवमें पहिले से ही छिपाई हुई सेना या मैनफल के रसमें पके भोजन के द्वारा मरवादे या उनको

पकड़वादे जबकि वह भार सहित दूरसे आनेके कारण थककर या योग सुरा पीकर नावमें सो गये हैं।

समाहर्ता नगर निवासियों के शीघ्रमें से इनको शुभावें तथा राजा की सर्वज्ञता पूर्ववत् प्रगट करे।

८१ प्रकरण ।

शंका—रूप तथा कर्म के अनुसार पकड़ना ।

खुफिया पुलिस के प्रयोग के बाद उन लोगों को पकड़ा जाय जो कि शंकास्पद हैं या खोई हुई चीज को खुराने या उठाने वाले हैं या ऐसा ही काम करने वाले हैं।

(क)

शंकास्पद पुरुषों का पकड़ना ।

वह सब के सब पुरुष शंकास्पद हैं जिनकी पुरानी जायदाद क्रमशः क्षीण हो रही है या हो गई है, जो कि देश नाम जाति गोत्र तथा काम का ठीक ठीक पता न देते हैं, जो कि सब काम छिपे रूप से करते हैं, मांस शराब माला, इतर कपड़ा गहना आदि में विशेष शौक रखते हैं, फज्जल खच्चे हैं, कुट्टनी, जुआरी तथा कलबार से विशेष संबंध रखते हैं, बारंबार बाहर जाते हैं, जिनके स्थान गमन तथा परेय का किसी को भी पता न हो, जो कि जंगल तथा पहाड़ में अकेल घूमते हैं, रहने के स्थान के पास या दूर गुप्त सभायें करते हैं, तो ज घावों का गुप्त रूप से इलाज करते हैं, घर से बाहर न निकलते हैं, या जंगल में ही रहते हैं, दूसरों की ली संपत्ति तथा मकान के विषय में बारंबार पूछते हैं, कुत्सित काम शाल, तथा साधनों को पास रखते हैं रात में दीवारों के तले अंधेरे अंधेरे में घूमते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पश्चायों को संदिग्ध स्थान तथा समय में बेचते हैं, जो कि बदला लेने वाले तथा खराब काम करने वाले हैं, भेस तथा शक्ल बदलते रहते हैं, नये रीते रिवाज को काम में लाते हैं, जिनका आचार तथा रहन सहन सबसे भिन्न हो, जो कि पहिले भी पकड़े जा चुके हैं,

जो कि सरकारी काम करते हुए महामात्र के सामने आने से हिचकते हों, भागने की कोशिश करते हों या जिनका श्वास पर श्वास चलने लगता हो, मुँह सूख गया हो तथा आवाज बदल गई हो, जो सदा हथियारबंद आदमियों के साथ निकलता हो, और जिसको देखकर दूसरे लोग डरते हों।ऐसे आदमियों को भारतक या चौर या धन गवन करने वाला या बदमाश समझ कर पकड़ लेना चाहिये ।

(स)

खोई हुई चीज़ का ग्रहण करना ।

खोई हुई या चुराई हुई या नष्ट हुई चीज़ के विषय में [उसी चीज़ के] व्यापारियों, का सूचना दी जाय । यदि व्यापारी उस चीज़ को प्राप्त कर छिपा लें तो 'गदन' करने के अपराध में पकड़ जाय । यदि उन्होंने अनजान में यह किया हो तो उनको छोड़ दिया जाय । कोई भी मनुष्य पुराने माल को संस्थाध्यक्ष को सूचना दिये बिना न बेचे और न गिरों रखे । यदि कोई व्यापारी खोये हुए माल को पाजाय तो वह लाने वाले से पूछे कि यह चीज़ तुमने कहां पाई । यदि वह कहे कि अमुक चीज़ हमको बाप दादा से या अमुक व्यक्ति से मिली या मैंने खरीदी, या बनवाई या मैं इसके विषय में बताना नहीं चाहता हूँ [क्योंकि इसको गुप्त रखने के लिये दूसरे ने कहा है], इसकी प्राप्ति अमुक स्थान तथा अमुक समय है, इसका असली दाम तथा बाजारी दाम यह है तो उसको छोड़ दिया जाय ।

यदि कोई नष्ट हुई चीज़ मिल जाय तो वह उसीकी संपत्ति हो जिसने उसका देरतक उपभोग किया हो या जो कि बहुत ही पवित्र आचरण का हो ।

चौपाये भी प्रायः एक समान देखे गये हैं । एक ही कारीगर तथा यंत्र से बनाये हुए माल के विषय में तो कहना ही क्या है ? यही कारण है कि यदि वह [नष्ट माल प्राप्त क०] यह कहे कि "अमुक व्यक्ति से यह चीज़ मांगी, खरीदी, गिरों रखी, थाती रखी या फुट्टकर मैं मोल लिंगई है । और साथ ही उसकी प्राप्ति किन किन हालतों में हुई इसका ठीक ठीक वर्णन करे तो उसको छोड़

दिया जाय वशते कि वह यह सिद्ध करें कि उसका इस मामले में कोई हाथ न था ।

पुराने माल की चोरी [रूपाभिप्रह] में जो पकड़ा जाय वह यदि वह कहे कि अमुक ने मुझको इस कारण यह पदार्थ दान में दिया, और मैंने इस कारण ग्रहण किया तो वह ऐने तथा दिलाने वाले के साथ साथ निवंधक [मामला तय करने वाले] अतिग्राहक (दिलाने वाला), उपदेष्टा (सलाह देने वाला) तथा उपश्रोता (गवाह) को पेश करे । यदि किसी को फेंका हुआ, खोया हुआ तथा गिरा हुआ पदार्थ मिले तो वह यदि उसके मिलने का समय स्थान तथा अन्य चिन्ह ठीक ठीक बता दे तो वह छोड़ दिया जाय । यदि वह भूठा सावित हो तो उसको उतना ही दंड मिले या उसको चारों का दंड दिया जाय ।

[ग]

पाप कर्म करते हुए पकड़ना ।

जो मनुष्य एस मकान में, जिसमें कि चोरों होगयो है अनुचित स्थान स घुस या बाहर निकले, औजार [साधि या बोज] से दरबाजा ताड़, खब सूरत मकान का खिड़कों या जालों नष्ट करे, उतरन या चढ़ने के लिये छत फाड़, गड़ धनको चुप्पे से निकाल ले जान का उपाय करे, या एसो बात करे जिसका संबंध घरके लोगों के साथ हो तो इसमें घर के अन्दरके किसी न किसी आदमी का हाथ समझना चाहिये । इससे उल्टी हालत में बाहरी आदमी का और बाचक मामले में दोनों ओर का संबंध अनुमान करना चाहिये । अंदुरुनी मामले में उन लोगों से पूछ ताछ की जाय जो कि रुदा घर में रहते हों तथा कष्ट में हो, जिनके सहायक कर लोगहों तथा जिनके पास चोरी के उपकरण हों, जो कि घरका काम करते हों यदि वह स्त्री हो तो दूनर में फंसी हो या गरीब घरकी हो, जिनको स्वप्न बहुत आते हों जो कि घबड़ेथ हुए हों, जिनको नीट आती हो, जिनका गला सूख गया हो आवा ज बदल गई हो रंग फक हो गया हो, ऊंचे चढ़ने से शरीर दूट रहा

हो, कपड़ा लत्ता फटा हो, हाथ पैर खुरच गया हो, बाल नख आदि मट्टी से लथ पथ हो या टूट गया हो तथा शरीर तेल से चुपड़ा हो, जो कि बहुत ही अधिक प्रलाप करते तथा अभी नहाये हौं, जिन्होंने अभी हाथ पैर धोया हो, जिनके मट्टी तथा कीचड़ पर पौरों के निशान पड़े हौं और धरमें शुसने तथा वहाँ से बाहर निकलते समय जिन की माला फुटेरो कपड़ा आदि छूट गया हो । दूसरे की औरत में फंसे [पारदारिक] नागरिक का भी इन्हीं चिन्हों से पता लगाया जाय ।

प्रदेष्टा गोप तथा स्थानिकों के सहारे बाहरी चोरों को और नागरक दुर्ग के अन्दर चोरी करने वालों को उपरिलिखित चिन्हों से दृঁढ़े ।

८२ प्रकरण ।

आशु मृतक परीक्षा ।

तैल में दुबाये हुए मुद्दे (आशु मृतक) को परीक्षा कीजाय । जिसका पाखाना पेशाब निकल गया हो, पेट में हवा भरी हो, हाथ पैर ठंडे पड़ गये हौं, आंखें खुली हौं तथा गले में निशान हो उसको उच्छ्वासहत, (गला धोट कर मारा गया), जिसका हाथ पैर सुकड़ा हो उसको उद्धन्धहत (बांध कर मारा गया) जिसका हाथ पैर तथा पेट फूल गया हो आंखे पथरा गई हौं, तथा नाभी आगे निकल पड़ी हो उसको अवरोपित, [फांसी देकर] जिसका नेत्र तथा गुदा सख्त पड़ गया हो, जीभ करी हो और पेट फूल गया हो उसको उदकहत [इबकरमरा] जिसका शरीर खून से लथपथ हो, स्थान स्थान पर फट गया हो उसको काष्टहत या रश्महत (लकड़ी या कोड़े से मारा गया), जिसका शरीर जगह २ संफूट गया हो उसको विद्विस (पागल), जिसका पैर हाथ दांत

नख नीला पड़ गया हो, मांस रोयां चर्म ढीला पड़ गया हो तथा मुंह से फेन निकल रहा हो उसको विषहत, यदि उसके किसी स्थान पर खून निकल रहा हो तो उसको सर्पकोटहत (सांप या जहरीले कीड़े से काटा), जिसका शरीर तथा कपड़ा इधर उधर विलगरा हो, बहुत अधिक कै पड़ी हो उसको मंदन्योगहत (मैन फल से बनाये हुए सासायणिक से मारा) और जिसका कोई भी विन्ह न मिलता हो उसको राज्यदंड के भव से फांसी लगा कर आत्महत्या करने वाला समझा जाय ।

जो विष से मरा हो उसके पेट या हृदय से अनाज निकाल कर चिड़ियों के द्वारा उसकी परीक्षा की जाय । यदि उसको आग में डाला जाय तो इन्द्र धनुष के रंग का धुंआं तथा चिड़ चिड़ की आवाज उत्पन्न होजाय ।

मुर्दे के जलाने के बाद जब उसका हृदय जलने से बचगया हो तो उसके नौकरों से पूछा जाय कि अमुक मरे हुए मनुष्य ने तुम्हारे साथ कोई बुराई का ध्यवहार तो नहीं किया । दुखित, अन्य पुरुष में आसक्त तथा दायाधि कार से शून्य खी से प्रीति रखने वाले मनुष्य से जांच पड़ताल की जाय । उद्धन्धहत के विषय में भी इसी ढंग का नियम काम में लाना चाहिये । जिसने आत्महत्या की हो उसके विषय में यह जाना जाय कि उसको किसने नुकसान पहुंचाया या कष्ट दिया । आत्महत्या का मुख्य कारण क्रोध है जो कि ग्रायः खी, दाय भाग, काम की स्पर्धा, विरोधी से द्वेष, कंपनी विषयक भगड़ा आदि से उत्पन्न होजाता है ।

स्वयं बुलाकर चोरों ने रुपयों के लिये या दुश्मनों ने भूल से अपना दुश्मन समझ कर बदला निकालने के लिये जिसको मारा हो उसके विषय में पड़ोसियों से पूछा जाय कि “उसको किसने बुलाया था ? वह किसके साथ था ? किसके साथ गया ? कौन उसको यहां पर लाया ?” जो अपराधी मालूम पड़े उसको दंड दिया जाय । जो लोग उसकी मृत्यु के समय में समीप में थे उनसे क्रमशः एक एक कर पूछा जाय कि “उसको कौन यहां पर लाया था । कौन हथियार छोपाये हुए गुस्से में भरा हुआ था ।” वह जिस जिस का नाम लें उस पर मुकदमा चलाया जाय ।

मृत पुरुष के यात्रा संबंधी सामान, कपड़ेलते, गहने, तथा धन को देखकर उसके साथ रहने वाले तथा कामकाज करने वाले लोगोंसे पूछाजायकि तुहारा उससे कैसे मेलहुआ, वह वहांक्यों रहताथा? वह कौवसा काम तथा कारोबार करताथा? यदि किसी लीया पुरुषने कामक्रोध या पापके वशमें होकर रस्सी हथियार या जहर से किसी को मारा हो तो चेंडाल उसको रस्सी से बांधकर धसीटता हुआ राजमार्ग से ले जावे। उसके मुर्दे को कोई भी शमशान में न जलावे और न उसको पिंड दान दे। जो संबंधी इस नियमको उप्लंबन कर उसकी शमशान विषयक क्रिया करें उनको भी वही दंड मिले था उनको आत से बाहर निकाल दिया जाय। पतित को हवन कराने पढ़ाने या उसके साथ अन्य प्रकार के वैवाहिक संबंध करने वाले एक साल तक पेसा ही काम करें तो उनको भी पतित समझा जाय।

८३ प्रकरण। वाक्य कर्मानुयोग।

चोरी विषयक अभियोग में बाहरी तथा अन्दुरनी साक्षियों से अपराध के देश, जाति, गोत्र, नाम, काम, धन तथा निवास स्थान के विषय में पूछा जाय। जो उत्तर मिले उसको अभियुक्त की बात से मिलाया जाय। अभियुक्त से पता लिदा जाय कि पकड़े जाने से पहिले रात में कहां थे तथा दिन में क्या काम करते थे? यदि उसको उत्तर अन्य प्रमाणों से सत्य जंचे तो उसको निरपराध मानकर छोड़ दिया जाय अन्यथा उसको दंड दिया जाय। जब तक काफी सबूत न मिल जाय तब तक चोरी के संदेह में किसी से कुछ भी पूछा नहीं जा सकता। यही कारण है कि तीन रात के बाद संदेह में कोई भी पकड़ा नहीं जा सकता। जो भले आदमी को चोर कह कर पकड़वावे या चोर को अपने घर में छिपावे उस को चोर के समान दंड दिया जाय। यदि कोई किसी को चोरी के अपराध में पकड़वावे और अभियुक्त पकड़वाने वाले की दुश्मनी

तथा शरारत सिद्ध कर दे तो उसको शुद्ध (निरपराध) माना जाय। जो निपरराध को कैद करे उसको प्रथम साहस दंड दिया जाय। अपराधी के अपराध को सिद्ध करने के लिये—औजार, सलाह कार, सहायक तथा दलालों का पेश करना आवश्यक है। इनकी बात को चोरी के धन का बांटना तथा चोरी करने का समय आदि से मिलाया जाय। यदि यह बातें न मिलें तथा आमंगुङ्ग फूट फूट कर रोवे तो उसको अचोर समझ कर छोड़ दिया जाय। प्रायः यह देखने में आया है कि भले आदमी भी अकसर चोरों के सहश कपड़ा हथियार तथा सामान धारण करते हुए चोरों के गुह्य के साथ ही पकड़े जाते हैं। वृषान्त स्वरूप मांडव्य चोरी के माल के पास पकड़ा गया और पिटनेके डर से चोर न होते हुए भी उसने अपने आपको चोर मान लिया। इस लिये पके सबूत का पेश करना अत्यन्त आवश्यक है।

अबोध, बालक, बृद्ध, रोगी, मन्त्र, उन्मन्त्र, भूख, प्यासे, थके, मांदे, आधिक भोजन से परेशान, दुःखी तथा दुर्बल लोगों को कोड़े आदि के भयंकर दंड न दे। कुछनी (पुंश्लो), पानी तथा भोजन देने वालों तथा किस्से सुनाने वालों के भेस में खुफिया ऐसे लोगों का उसी प्रकार देखरेख रखें जैसा निवेप के चुराने के संबंध में लिखा जा चुका है। जिनका अपराध सिद्ध हो जाय उनको चित्र दंड दिया जाय। गर्भिणी, सूलिका में पड़ी तथा एक महीने से कम दिन प्रसूता लड़ी को चित्र दंड से मुक्त किया जाय। साधारण लियों को आधा दंड दिया जाय। औरों की तरह उनसे भी जित्त की जाय। बेदों तथा शास्त्रों में पंडित ब्राह्मण तथा तपस्वियों के पीछे खुफिया लोग लगाये जाय। जो लोग इन उपरिलिखित नियमों का भंग करें या दूसरों से ऐसा करवायें, या अधिक दंड कर किसी अपराधीको मरवादें उनको प्रथम साहस दंड दियाजाय। व्यावहारिक दंड (रोजाना काम में अनेवाले)—१ छः प्रकार की छाड़ियाँ, २ सात प्रकार के कोड़े, ३ दो प्रकार के ऊर नीचे के दंड तथा ४ पानी की नली आदि के भेद से चार प्रकार के हैं।

भयंकर पापकर्म करनेवाले को अठारह प्रकार के दंड दियेजाय। दृष्टान्त स्वरूप ६ बैतें, जंधापर, १२ बैतें कमर पर, नक्तमाल की २० बैतें, हाथापर ३२, वृथिकबन्ध [विच्छूके आकार में बांधना] २, हाथों में सुप गाढ़कर चलाना, यथाग [जौ कि बनीचीज] पिलाकर उंगुली दिनभर तपाना, सर्दीं की रातमें मूँजपर नंगा सुलाना तथा उसके उपकरण, सामान, हथियार, कपड़े लत्ते आदि गदहे पर लादकर मंगाना। इनमें से एक दिनमें एकही दंड दियाजाय। जो लोग पहिले से कहकर चीज़ को चुरावें या छीनें, चुराईहुई चीज़ को ढुकड़े ढुकड़े करके काम लावें, खजाना लूटने की कोशिश करें, उनको राजाकी आशा के अनुसार एक अनेक या संपूर्ण दंड दियेजाय। ब्राह्मण को किसीभी प्रकार के अपराध में कष्ट न दियाजाय। वह किसीके भी साथ व्यवहार न करसके इसलिये उसके माथे पर चोरीमें कुत्तेकी, खूनकरने में कबन्ध [सिररहित मुर्दा = धड़] की, गुरुकी स्त्रीके साथ चुराई करने में भग (स्त्री-योनि की तथा शराब पीनेमें कलबार के भंडे की छाप डालदी जाय।

छाप डालने तथा जनता में उसके अपराध की उद्घोषणा करने के बाद र जा पाप कर्म करने वाले ब्राह्मण को देशसे बाहर निकाल देया या उसको खानों में रहने के लिये भेजदे।

८४ प्रकरण । राजकीय विभागों का संरक्षण ।

प्रदेश समहर्ता द्वारा नियुक्त होकर सबसे पहिले अध्यक्षों तथा उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों के कामों की देख रखे करें। जो लोग खानों तथा बहुमूल्य पदार्थ के कारखानों से बहुमूल्य पदार्थ या हीरा जवाहरत चुरावें उनको मृत्यु दंड दियाजाय। साधारण पदार्थ तथा लकड़ी के कारखानों से जो साधारण पदार्थ या जीवनोपयोगी आवश्यक पदार्थों को चुरावें उनको प्रथम साहस दंड दियाजाय।

मंडियों तथा दुकानों से सरकारी माल के चुराने में—१ मास

से^१ पर्ण तक १२ पर्ण, ^२ पर्ण तक २४ पर्ण, ^३ पर्ण तक ३६ पर्ण, ^४ पर्ण तक ४८ पर्ण, २ पर्ण तक प्रथम साहस, ४ पर्ण तक मध्यम साहस, ८ पर्ण तक उत्तम साहस संबंधी दंड और इससे अधिक धनकी चोरी में मृत्युदंड दिया जाय । जो कोठा, दूकान, खलपान तथा शस्त्रागार से अनाज, जरूरत का सामान तथा और प्रकार का माल चुरावे उसको उपरिलिखित दंडका आधा दंड दिया जाय । कोश, भांडागार तथा अक्षशाला से जो चौथाई दामकी भी चीज़े चुरावे उसको दुगुना दंड मिले । जो? भागजाने के लिये चोरों को इशारा दे उसको कैसा चिन्नदंड दिया जाय इसपर राज परिग्रह प्रकरण में प्रकाश डाला जाचुका है ।

सरकारी नौकरों से भिन्न मनुष्य यदि खेत खलपान मकान तथा दूकान से १ मास से ^१ पर्ण तक की चीज़ चुरावे उस पर २ पर्ण जुरमाना किया जाय या उसके शरीर में गोबर लेपा जाय कमर में ठिकड़ों की करधनी पहिनाई जाय और सब स्थानों में डुगडुगी पाट कर उसको घुमाया जाय । ^१ पर्ण मूल्य की चोरी में १२ पर्ण जुरमाना किया जाय या चोर का सिर मूँड कर देशसे बाहर निकाल दिया जाय । दो पर्ण से तीन पर्ण तक की चोरी में ^२ पर्ण दंड दिया जाय या गोबर या राख से शरीर को लेपकर तथा ठिकड़ों की करधनी पहिना कर शहर में डुगडुगी के साथ घुमाया जाय । एक पर्ण की चोरी में १२ पर्ण या सिर मूँडकर देश निकाले का दंड दिया जाय । ^२ पर्ण में २३ पर्ण या ईंट के ठिकड़ों से सिर घोटना तथा देश निकाला संबंधी दंड मिले । ^४ पर्ण में ३६ पर्ण, ^५ पर्ण में ४८ पर्ण, ^{१०} पर्ण में प्रथम साहस, ^{२०} पर्ण में २०० पर्ण, ^{३०} पर्ण में ५०० पर्ण तथा ^{४०} पर्ण में १००० पर्ण दंड और ^{५०} पर्ण में मृत्युदंड का विधान किया जाय । रात, दिन या संध्या समय में जो जबरन धन छीने तो उसको उपरिलिखित चोरी की आधी चोरी में ही दुगुना दंड और यदि वह हथियारबंद हो तो उसको चौगुना दंड दिया जाय । कुदुंव, अध्यक्ष, मुखिया तथा स्वामि लोगों को शासन संबंधी नकली मोहर बनाने के अपराध में के अपराध अनुसार प्रथम साहस से शुरू करके मृत्यु दंड तक दिया

जा सकता है । यदि न्यायाधीश आपस में विवाद करते हुए पुरुषों को छाँटे डपटे धक्का दे या बोलने न दे तो सबसे पहिले उसी को साहस दंड दिया जाय और यदि गाली दे तो उसको दुगुना दंड मिले । यदि वह पूँछने के योग्य बात को न पूँछे, न पूँछने लायक बात को पूँछे, पूछ कर बीच में ही छोड़दें, सिखाये याद दिलाये या पहिले कही बात का उद्धरण दे तो उसको मध्यम साहस दंड और यदि वह उचित परिस्थिति के विषय में न पूँछे, अनुचित परिस्थिति के विषय में पूँछे, बे मौके काम टाले, छल करे, देरी करके दोनों पक्षों को थकावे, जिस बात पर मुकदमे का फैसला होना हो उसको बीचमें ही छोड़ जाय, गवाहों को सहायता दे या निर्णय की हुई बात को पुनः पेश करे तो उसको उत्तम साहस दंड दिया जाय । यदि यही अपराध वह फिरसे दुहरावे तो उसको पदच्युत किया जाय । यदि लेखक कही गई बात को न लिखे, जो बात नहीं कही गई उसको अपने मनसे लिखे, दुहराई गई बुरी बात को लिखे, लोकोंकि लिखे, अर्थात् लिखकर व्याख्या करे तो उसको अपराध के अनुसार प्रथम साहस दंड दिया जाय ।

जो न्यायाधीश निरपराध को रूपयों में दंड दे, उसको उसका दुगुना दंड दिया जाय । यदि अपराधी को वह कम या आधिक दंड दे तो उसका आठ गुना जुरमाना उस पर किया जाय । यदि शारीरिक दंड दे तो वही दंड उसको मिले या उसका दुगुना निष्क्रिय उससे लिया जाय । जो असली रकम को भूड़ी और भूड़ी रकम को असली प्रगट करे उसको आठगुना दंड मिले ।

जो मनुष्य धर्म स्थीय के प्रबंध या कैद खाने से ऋणी को छुड़ावे या कैद में उसको खाने, बैठने तथा उठने से रोके या किसी दूसरे से यही काम करवाये तो उसको ३ पाण से लेफर आगे तक दंड दिया जाय । जो चारक (धर्मस्थीय का कैद खाना) से अभियुक्त को छुड़ावे या भगावे उसको मध्यम साहस दंड दिया जाय तथा उससे ऋणकी रकम वसूल की जाय । जो कैदखाने से छुड़ावे या भगावे उसकी संपत्ति जबत करली जाय तथा उसको मृत्यु दंड दिया जाय । कैदी की शुरारत के बिना ही यदि जेलर कैदी को

काल कोठरी दे तो उस पर २५ पण, यदि शारीरिक दंड (कर्मदंड) दे तो दुगुना, यदि दूसरे स्थान पर ले जावे या खाना पानी न दे तो ६६ पण, यदि तकलीफ दे या घूंस ले तो मध्यम साहस दंड और यदि जान से मार डाल तो १०० पण—उसपर जुरमाना किया जाय। इसी प्रकार यदि वह-गिरों रखी या कैद की गई दासी के साथी बुराई करे, तो प्रथम साहस दंड, चोर या^१ मृत पुरुष (डाम-रिका (संक्षामक राग में जिसका पर्ति मरा हो) की लौटी के साथ खराबी करने पर मध्यम साहस दंड और कैद में पड़ी भले घरकी औरत के साथ जबर्दस्ती करने पर उत्तम दंड उसको दिया जाय। यदि इस ढंग का अपराध करने वाला कोई कैदी हो तो उसको मृत्यु दंड मिले। असमय में घूमने के अपराध में कैद की गई भले घर की औरत के साथ बुराई करने पर भी मृत्यु दंड ही दिया जाय। दासी के संबंध में प्रथम साहस दंड हो। जो चारक (धर्म-स्थीय का कैदखाना) को तोड़ बिना ही कैदी को भगावे उसको मध्यम साहस दंड। जो तोड़ कर भगावे उसको मृत्यु दंड मिले। जो कैदखाने से कैदी को भगावे उसकी संपूर्ण संपत्ति जब्त की जाय तथा उसको कतल किया जाए।

राजा अपराध करने वाले सरकारी नौकरों को इसी प्रकार ठीक मार्ग पर लावे और वह भी इसी प्रकार नागरिकों तथा ग्रामीणों को दंड के द्वारा पाप कर्म से रोकें।

८५ प्रकरण । एक अंग काटने का निष्क्रिय ।

फंदा डालने तथा गांठ कतरने के अपराध में सरकारी नौकरों [अर्थचर] को पहिली बार तर्जनी काटने का दंड या ५४ पण जुरमाना कियाजाय। दूसरी बार यही अपराध करने पर अंगूठा काटना या १०० पण, तीसरी बार दाहिना हाँथ काटना या ४०० पण और चौथीबार मृत्यु का दंड दियाजाय और सबको स्वतंत्र हो कि जो चाहे उसको मारडाले [यथा कामी वध]। २५ पण से


कम दाम की कुक्कुर न्युअला बिल्ली तथा सुअर की चोरी में या उनके मारने में ५३ पण या नाक के अग्रभाग के काटने का दंड दिया जाय। चंडालों तथा जंगलियों को आधा दंड मिले। जाल, फंदे तथा धोखे के गढ़े बनाकर जो सरकारी जानवरों चिड़ियों शिकारी जंतुओं तथा मच्छरियों को पकड़े उसपर उनके मूल्य जितना जुरमाना किया जाय। मृगवत तथा द्रव्यवत [लकड़ी का जंगल] से मृग तथा माल चुराने पर १०० पण और चिड़िया घर [बिब विहार] से हिरण तथा चिड़ियां चुराने या मारने पर दुगुना दंड दिया जाय। कारीगर शिल्पी गवैश्ये तथा तपस्वी लोगों को चुद्र द्रव्य के चुराने पर १०० पण तथा स्थूल या कृषि उपयोगी द्रव्य के चुराने पर २०० पण दंड मिले। बिना आज्ञा के किले में घुसने वाले का तथा सेंध लगा कर माल चुराकर भागने वाले का कंधा काट दिया जाय या उस पर २०० पण जुरमाना किया जाय। जो चक्र से चलने वाली नाव या चुद्र पशु को चुरावे उसका एक पैर काट दिया जाय या ३०० पण उस पर जुरमाना किया जाय। नकली कौड़ी, पासे, जुआ खेलने के अन्य सामान तथा हाथ के संबंध में बेर्इमानी करने पर एक हाथ तथा एक पैर का काटने का या ४०० पण का दंड मिले। औरत को भगाने तथा व्यभिचार करने में स्त्री को कान नाक काटने का या ५०० पण का दंड और पुरुष को इसका दुगुना दंड दिया जाय। जो बड़े जानवर, दास या दासी को चुरावे या सृत् पुरुष के कपड़े लते तथा बर्तन बेचे उसके दोनों पैर काटे जाय या ६०० पण दंड के रूपमें उससे लिया जाय। जो उत्तम वर्ण के लोगों या गुहओं के हाथ पैर तोड़े या राजा के घोड़े गाढ़ीपर चढ़े उसका एक हाथ तथा एक पैर काट दिया जाय या ७०० पण उसपर जुरमाना किया जाय। अपने आपको ब्राह्मण कहने वाले शूद्रको मंदिर के धनको चुरानेवाले; राजा के विशद्ध षडयंत्र रचनेवाले तथा दोनों आंखें फोड़ने वाले योगीजन से अंधा किये जाय या ८०० पण जुरमानादें।

जो चोर या व्यभिचारी को छोड़दें, राजाज्ञा को बढ़ाकर लिखें, गहने तथा रूपये पैसे से युक्त दासी या लड़की को भगावें, जाली

चीज़ें बनावें, सड़ामांस बेचें, उनका बायां हाथ पैर काटा जाय या उनपर ६०० पण जुरमाना कियाजाय । जो मनुष्य का मांस बेचे उसको मृत्यु दंड मिले । जो देवपशु [देवता के लिये छोड़े जानकर] मूर्ति, मनुष्य, खेत, मकान, हिरण्य सुवर्ण रत्न या अनाज को चुरावे उसको उत्तम दंड या शुद्धमृत्यु दंड दियाजाय । ०

प्रदेष्टा उत्तम मध्यम तथा प्रथम साहस दंड देते समय इसबात को अपनी आंखों के सामने रखे कि अपराधीकी क्या हैसियत है? उसने किस ढंगका अपराध किया है, किसपरिस्थिति तथा कारण के बश में होकर उसको ऐसा करना पड़ा? वह कारण कितने गुण या लघु है? अपराध किस समय तथा किस स्थान में किया गया? अपराधी राजकीय कर्मचारी है या साधारण व्यक्ति है और राजा का उसके साथ क्या सम्बन्ध है?

८६ प्रकरण शुद्ध तथा चित्र दंड ।



जो लड़ाई भगड़े में किसी पुरुष को जान से मारदे उसको कष्ट सहित मृत्यु दंड मिले । जो ऐसी चोट पहुंचावे जिस से वह सात दिन, पह्त या मास के बाद मरे तो उसको क्रमशः मृत्यु दंड, उत्तम-दंड तथा समुत्थान व्यय (पालन पोषण का व्यय) के साथ २ ५०० पण का दंड मिले । शस्त्र या शराब से चोट पहुंचाने में उत्तम दंड या हाथ काटने का दंड और मारडालने में मृत्यु दंड दिया जाय । प्रहार, दबाई या कष्ट देकर जो गर्भ गिरावे उसको क्रमशः उत्तम मध्यम तथा प्रथम साहस दंड मिले । उन सब लोगों को फांसी पर लटका दिया जाय जो कि खींतथा पुरुष को जान से मारडालें, बारम्बार रंडियों के पास जाय, लोगों को मुक्त में ही तकलीफ दें, भूठी भूठी खबरें उड़ावें, रास्ते चलते लोगों को लूटें पीटें तथा मारें, दूसरे के मकान को तौड़ें, राजा के हाथी घोड़े को मारें तथा रथों को तोड़ें, या चोरी करें । जो इन के मुद्दों को उठाले जावें या जलावें उसको उत्तम दंड मिले । जो चोरों तथा खूनियों

को खाना, कपड़ालत्ता, हथियार, आग, सलाह देने या उनसे लेन देन करे उसको उत्तम दंड दिया जाय । यदि अज्ञानता से ऐसा हो गया हो तो अपराधी को डांट कर तथा नीचा दिखा कर छोड़ दिया जाय । चोरों खुनियों की खियों तथा लड़कों को भी पकड़ लिया जाय यदि वह उनके कामों में भाग लेते हों अन्यथा छोड़ दिया जाय । शिर तथा हाथ में आग लगा कर उन लोगों को मारा जाय जो कि राज्य के इच्छुक हों, अन्तःपुर में बदमाशी के सातिर उपसे हों, दुश्मन को उभाइते हों या किले राष्ट्र तथा सेना में गदर सम्बन्धी विचार फैलाते हों । यदि किसी ब्राह्मण ने यही काम किये हों तो उसको पानी में डुबाकर मरवा दिया जाय । जो लोग मां बाप लड़का भाई आचार्य या तपस्वी को मारें, तो शिर तथा चमड़े में आग लगाकर उनको साढ़ा जाय, यदि गाली दें तो उनकी जीभ काट ली जाय और यदि किसी अंग को तोड़ें तो उनका वही अंग तोड़ दिया जाय । जो निष्कारण खून करे या पशुओं का झुंड का झुंड चुराले उसको शुद्ध मृत्यु दंड दिया जाय । पशुओं के झुंड से तात्पर्य इस से कम संध्या वाले पशुओं से है । जो किसी पानी से भरे तालाब या नहर के बांध को तोड़े उसको उसी पानी में डुबा दिया जाय । साधारण बांध के तोड़े तथा टूटे फूटे बांध के तोड़े न में क्रमशः उत्तम तथा मध्यम सदृश दंड दिया जाय । जहर देने वाले पुरुष को तथा पुरुष को जहर देकर मारने वाली रुग्णी को पानी में डुबा दिया जाय । यदि कोई रुग्णी चाहे वह गर्भिणी या अगर्भिणी हो या और चाहे उसके बच्चा हुए एक महीना समय भी न गुजरा हो—अपने मालिक गुरु या बच्चे को जान से मार डाले किसी को जहर देदे, कहीं आग लगादे या किसी के शरीर के जोड़ तोड़ दे तो उसको गउओं बैलों से संध्यवा कर मरवाया जाय । जो चरागाह खेत खल्पान, मकान, द्रव्यवन तथा हस्तिवन में आग लगादे उसको आग में जीते जी जला दिया जाय ।

अनिष्ट करने की इच्छा से जो राजा को गाली दे, मंत्र [गुप्त विचार] को खोले या ब्राह्मण का चैका बिगड़े उसकी जीभ बाहर निकाल ली जाय । सैनिक से भिज्ज कोई पुरुष यदि हथियार तथा कवच चुरावे उसको बाणों से मरवा दिया जाय और यदि

कोई सैनिक यही काम करे तो उसको उत्तम साहस दंड दिया जाय ।

जो किसी की गुसेन्द्रियको नुकसान पहुँचावे उसकी वही इन्द्रिय काटदी जाय। जो जीभ या नाक काटे उसकी उंगुलियां काटदी जाय।

पुराने महात्मा लोगों ने शाखों में इस दृंग के क्षेत्रदंडों [तकलीफ देकर मारना या दंड देना] का विधान किया है। साधारण अपराधों में शुद्ध दंड ही धर्मयुक्त है ।

८७ प्रकरण ।

कन्या प्रकर्म ।

कम उमर वाली सजात की कन्या के साथ जो जबरदस्ती करे उसके हाथपैर काट दियेजाय या उसपर १०० पण जुरमाना किया जाय। यदि वह मरजाय तो अपराधी को मृत्युदंड मिले। यदि कन्या युवती हो तो उसकी बीच की अंगुली काट दीजाय या उसपर २०० पण जुरमाना कियाजाय और उससे लड़की के पिता को हरजाना [अपहीन] दिलवाया जाय। अनुच्छुक स्त्रीकेसाथ कोईभी पुरुष गमन न करे। यदि कोई इच्छुकपर-स्त्री के साथ गमन करे तो उसपर ५४ पण और स्त्रीपर इसका आधा जुरमाना कियाजाय। यदि कोई ऐसी लड़की के साथ जिसकी सर्गाई होनुकी हो गमन करे तो उसका हाथ काटदिया जाय या उससे ४०० पण दंड तथा शुल्क का धन ग्रहण कियाजाय।

सात मासिकधर्म होजाने के बाद यदि कोई लड़की के साथ गमन करे तो उसके पिता को अपहीन [हरजाना] न दे। क्योंकि ऋतु के फलसे च्युतकरने के कारण पिता का लड़कीपर स्वामित्व नहीं रहता। यदि कोई लड़की तीनसालसे लगातार मासिक धर्म होरही होतो उसके सजातीयव्यक्ति के साथ गमन करने में कोईभी दोषनहीं है। इसके बाद दूसरे जा नका व्यक्तिभी उसके साथ गमन कर सकता है यदि उसकेपास कोई गहना न हो। यदि वह पिता का धन बिना आज्ञाके ग्रहण करे तो उसको चोरी का दंड मिले।

दूसरे के लिये कहकर जो स्वयं किसी स्त्री का उपभोग करे उसपर २०० पण जुरमाना कियाजाय । इच्छाविना किसी भी स्त्री के साथ कोईभी पुरुष गमन न करे ।

यदि कोई पुरुष किसी एक लड़की को दिखाकर उसीजातकी दूसरी लड़की को उसके स्थानपर विवाह में देतो उसपर १०० पण जुरमाना कियाजाय और यदि लड़की नीचजातकी हो तो जुरमाना दुगुना करादियाजाय ।

विवाहित स्त्री के साथ जबर्दस्ती करनेपर २४ पण जुरमाना कियाजाय । शुल्क तथा अन्यखर्च भी अपराधी है ।

जो कोई लड़की विवाह में देनेकी प्रतिक्षा करके प्रतिक्षा पूरी न करे उसको दुगुना दंड मिले । यदि वह दूसरी जातकी लड़की देया भूठी प्रशंसा करे उसपर २०० पण जुरमाना कियाजाय और साथही वह शुल्क का धन लौटावे और संपूर्ण खर्चोंको पूराकरे ।

अनिच्छुक स्त्रीके साथ कोईपुरुष गमन न करे ।

यदि कोई स्त्री कामवश किसी सजातीय पुरुष के साथ गमन करे तो उसपर १२ पण और मध्यस्थ स्त्रीपर दुगुना जुरमाना किया जाय । इसीप्रकार अनिच्छुक स्त्रीके साथ जबरदस्ती करने वाले पुरुष पर १०० पण दंडका विधान कियाजाय, उसको स्त्रीके प्रसन्न करने के लिये वाधित कियाजाय तथा उससे शुल्क का धन बसूल कियाजाय ।

जो स्त्री स्वयं ही किसी पुरुष का गमन करे उसको राजदासी बनाया जाय । जो कोई गांव के बाहर किसी लड़ी के साथ गमन करे या किसी लड़ी के बारे में इस विषय पर भूठी खबरें उड़ावे उसको दुगुना दंड दिया जाय । जो जबर्दस्ती लड़की को भगा लेजावे उस पर २०० पण और यदि वह सजातीय है तो उस पर उत्तम दंड का विधान किया जाय । लड़कियों को भगाने वाले यदि बहुत से पुरुष हैं तो उनमें से प्रत्येक को पूर्वोक्त दंड दिया जाय ।

रंडी की लड़की के साथ जो जबर्दस्ती करे उस पर ५४ पण जुरमाना किया जाय और उसको वाधित किया जाय कि वह उस की माँ की आमदनी का १६ गुना उसको धन दे । जो कोई दास

या दासी की लड़की को खराब करे वह २४ पण जुरमाना, शुल्क तथा गहने दे । जो स्त्री धन न देसकने के कारण दासी बनाई गई हो उसके साथ जबर्दस्ती करने पर १२ पण जुरमाना, शुल्क तथा गहना देने के लिये अपराधी को बाधित किया जाय । बीचमें पहुँच वाले दलालों पर भी अपराधियों के समान ही जुरमाना कियाजाय।

यदि कोई ऐसी स्त्री किसी के साथ फँस जाय जिसका कि पति बाहर हो तो उसके पति के बन्धु तथा मित्र उसको पकड़े और उसको पति के आने के समय तक प्रतीक्षा करने के लिये बाधित करें । यदि पति दोनों को क्षमा करदे तो उनको छोड़ दिया जाय । यदि वह जमा न करे तो स्त्री का कान नाक काट दिया जाय और जार पुरुष को मृत्यु दंड दिया जाय । जो कोई जार को चोर कहे उस पर ५०० पण जुरमाना किया जाय । या सोना या धन लेकर उसको छोड़दे उस पर गृहीत धन का द गुना जुरमाना किया जाय ।

बाल खींचना, शरीर पर बदमाशी के चिन्हों का होना, सजातीय लोगों या स्त्रियों का अपवाद करना आदि बातों से स्त्रियों के पाप कर्म का ज्ञान होता है ।

जो मनुष्य शत्रु के जाल, जंगल, बाढ़ में फँसी, अकाल के कारण भूखी या मरी हुई समझ कर फँकी हुई स्त्री को बचावे वह पुरस्पर अनुमति होने पर उसका उपभोग कर सकता है । यदि वह भिन्न जाति की हो, अनिच्छुक हो या बाल बच्चे वाली हो तो कुछ धन लेकर उसको उसके घरमें भेजदे ।

चोर, नदी बेग, दुर्भिक्ष, तथा राज्य ज्योति से जंगल में भटकती, घरके लोगों से त्यक्त मृत समझ कर फँकी स्त्री का पुरुष उपभोग कर सकता है बशर्ते कि दोनों मंजूर करलें । जिसको राजा के डर से संवंधियों ने छोड़ दिया हो, जो कि नीच जात की हो या अनिच्छुक हो या बाल बच्चे वाली हो उसको उचित पुरस्कार लेकर उसके घर भेजदें ।

† डाक्टर शाम शास्त्री ने इसवाक्य का अर्थ सर्वथा उल्टा करदिया है जो कि पिछले वाक्य से विरोधी पढ़ता है । उनको “ईदर्शीं च न रूपेण” के स्थान पर “ईदर्शीं चानुरूपेण” पाठ मनकर उगरि लिखित अर्थ करना चाहिये था ।

दद प्रकरण । आतिचार—दंड ।

जो किसी ब्राह्मण को अपेय या अभद्र्य वस्तु खिलावे उसको उत्तम दंड दिया जाय । यदि यही बात किसी ने क्षत्रिय के साथ की हो तो उसको मध्यम और वैश्य के साथ ऐसी बात करने वाले को प्रथम साहस दंड दिया जाय । शद्र के संबंध में ५४ पण जुरमाना किया जाय । जो स्वयं ही अपेय या अभद्र्य खावे उसको देश निकाला दिया जाय ।

जो दूसरेके घरमें दिनमें घुसेउसको प्रथम साहस दंड, जो रातमें घुसे उसको मध्यम और जो हथियार के साथ दिन या रात में घुसे उसको उत्तम साहस दंड दिया जाय । यदि मत्त और उन्मत्त भिक्षुक या व्यापारी और पड़ोड़ी विपत्ति में पड़कर जबरन घरमें घुसें तो उनको कुछ भी दंड न दिया जाय । बशर्ते कि उनको रोका न गया हो ।

जो आधी रात के बाद अपने मकान के ऊपर चढ़े उसको प्रथम साहस दंड दिया जाय । दूसरे के मकान के संबंध में दंड मध्यम होना चाहिये । गांव तथा बाग की दीवारों को तोड़ने वालों को भी मध्यम दंड ही मिले ।

व्यापारी अपनी संपत्ति तथा धन के विषय में ग्रामाध्यक्ष को सूचित कर ग्रामके किसी भाग में वह जांथा यदि उनका रात में बाहर भेजा धन चुराया जाय तो ग्राम स्वामी उसको भरे । यदि चोरी ग्राम के बीच में हुई हो तो विवीताध्यक्ष (चरागाह का अध्यक्ष) दे । यदि अडोस पडोस में चरागाह या गोचर भूमि न हो तो चोर रज्जुक (चोर पकड़ने वाला) जिम्मेवार हैं । यदि चोर रज्जुक भी न हो सीमा रक्षक नुकसान हुआ धन दें । यदि वह भी न हों तो पांच गांवों की गुह हानिका पूर्तिकरो

कमजोर मकान, दूटी फूटी बैल गाड़ी, छुत की कड़ी, ऊपर लटकता हथियार, खुला स्थान, गड्ढा, कुआं आदि के द्वारा यदि कोई किसी को मारे तो उसको दंड पारुद्य में विधान किया दंड

दिया जाय । वृक्ष काटना, मरकहे या खूनी जानवरों के बन्धन काटना, गाड़ी या हाथीपर लकड़ी लोहा पत्थर दंडा बाण आदि फेंकना तथा थप्पड़ मारना, आदि में भी उपरिलिखित नियम काम में लाया जाय । हटो यह कहने पर भी यदि गाड़ियाँ लड़ जायं तो दंड न दिया जाय । जो कोई गुस्सैल हाथी से चोट खाय वह द्रोण से कुछ ही कम शराब का घड़ा, माला, सुगन्धित द्रव्य, दंत मंजन तथा कपड़ा दे । क्योंकि अश्वेमध्य यज्ञ के स्नान के सहश वही गुस्सैल हाथ से चोट खाना पवित्र है । इसलिये इस दान को “पाद प्रक्षालन” (पैर धोना) नाम से पुकारा जाता है । यदि कोई फीलबान की बेपरवाही से हाथी के नीचे कुचल कर मर जाय तो फीलबान को उत्तम दंड दिया जाय । जो स्वामी साँग बाले या दांतबाले जानवर से किसी को मरता देखकर भी न छुड़ावे उसको साहस दंड और जिसने गुस्से में यही बात की हो उसको दुगुना दंड दिया जाय । जो कोई देव पशु, सांड गऊ या बछड़ी से काम ले उसपर ५०० पण जुरमाना किया जाय । और जो कोई उनको बाहर निकाल दे उनको उत्तम दंड दिया जाय ।

उन दूध भार तथा गमन काम के लिये उपयोगी कुद्र पशुओं को पकड़ने वाले को तथा देव कार्य या पितृ कार्य से अतिरिक्त श्रन्ति समय में भगाने वाले को उनके मूल्य के बराबर दंड दिया जाय । जब कोई पेसा पशु जिसकी नथ तथा जुआ दूटगया हो जो कि पूरीतरह से सीधा न किया गयाहो, भागरहा हो या किसी के ऊपर दौड़ता हुआ आपड़ा हो या भीड़से घबड़ाकर गाड़ीलेभागा हो उससे यदि कोई मनुष्य मरजाय तो स्वामी को दंड दियाजाय । परन्तु यदि किसीने कहकर किसी मनुष्य को या पशु को इस प्रकार मरवाया हो तो उसको क्रमशः दंड दियाजाय तथा पशु का मूल्य देनेके लिये वाधित कियाजाय ।

रास्ते में चलते बालक के कुचलने पर गाड़ी में सवार स्वामी को, यदि स्वामी न हो तो जो कोई [बालिग] गाड़ीमें सवार हो उसको दंड दियाजाय । जिसगाड़ी में बच्चा हो और उसके सिवाय कोईभी युवापुरुष न हो उसको राजा जन्मत करले ।

जो मनुष्य नकली तरीकों तथा घातक तान्त्रिक प्रयोगों से दूसरे को वशमें करे उसको वही दंड दियाजाय । जो कोई [तान्त्रिक योगों से] अनिच्छुक स्त्री को वशमें करने का यत्नकरे, जो स्त्री तलाश करताहुआ किसी लड़कीको फँसाना चाहे, या जो स्त्री पति को अपने वशमें करना चाहे उसको उपरिलिखित दंड दियाजाय । परन्तु यदि इस से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचगया हो तो अपराधी को मध्यम साहस दंड दियाजाय ।

जो मासी, बुआ, मामा की रुखी, गुरुआनी, बहू, बेटी तथा बहिन के साथ व्यभिचार करे उसका लिंग काट डालाजाय और उसको मृत्यु दंड दिया जाय । यदि कामिनी रुखी ने यह काम किया हो तो उसको और पास नौकर तथा बंधुए लोगों के साथ बदमाशी करने वाली रुखी को [यही दंड मिले] । यदि कोई त्रिय श्रूतरक्षित ब्राह्मणी का धर्म भंग करे तो उसको उत्तम दंड दिया जाय और वैश्य का इसी अपराध में सर्वस्व हरण किया जाय । शुद्र को भूसे की आग में झीतेजी जला दिया जाय । राज भार्या के साथ गमन करने पर कुंभीपात [वर्तन में बंद कर जलाना या मारना] नामक दंड दिया जाय । जो कोई चाण्डाली का गमन करे उसके माथे पर छाप डाली जाय, उसको देश से बाहर निकाल दिया जाय और उसको भी चांडाल बना दिया जाव । यदि कोई शुद्र या चांडाल यही अपराध करे तो उसको मृत्यु दंड दिया जाय और रुखी का कान नाक काट लिया जाय । जो कोई वैरागिन का गमन करे उस पर २४ पण जुरमाना किया जाय । यदि वैरागिन स्वयं यही चाहती हो तो उसको भी यही दंड दिया जाय । जो रंडी को जबरन उपभोग करे उस पर १२ पण जुरमाना किया जाय । यदि बहुत से एक रुखी का गमन करे तो उनको पृथक् पृथक् २३ पण दंड दिया जाय । पुरुष के साथ बदमाशी करने वाले तथा रुखी के अनुचित स्थान मैं मैथुन करने वाले को प्रथम साहस दंड दिया जाय । पशुओं के साथ मैथुन करने वालों पर १२ पण का जुरमाना किया जाय । जो कोई देवता तथा भूमियों के साथ गमन करे उसको दुगुना दंड मिले ।

जब कभी राजा निरपराधी पुरुष पर जुरमाना करे तो उसका तीस गुणा धन वरुण देवता के उपलक्ष्य में पानी में डाल दे और बाकी ब्राह्मणों में बांट दिया जाय ।

इस से राजा का दंड सम्बन्धी पाप दूर हो जाता है । क्योंकि राजा वरुण मिथ्या आचरण वाले लोगों का शासक है ।

५ अधिकरण ।

योग वृत्त ।

८१ प्रकरण

दंड विधान ।

दुर्ग तथा राष्ट्र में अपराधियों को कैसे पकड़ा जाय (कंटक शोधन) इस पर प्रकाश डाला जानुका । राजा तथा राज्य के सम्बन्ध में अब प्रकाश डाला जायगा ।

राजा से तनखाह भत्ता आदि पाकर भी जो राजा से विद्रेष करते हैं और शत्रु के सदृश हैं उनके पीछे ऐसे गुप्तचर (गृह पुरुष) का प्रयोग किया जाय जो कि कृत्य पक्ष (शत्रु के वश में आने वाले-शत्रु के पक्षपाती) को पकड़ सके या आपस में फाड़ देने वाले तथा सिद्ध के भेस में घूमने वाले खुफिया को लगाया जाय जोकि उन्हीं तरीकों को काम में लावें जोकि “शत्रु के ग्राम के विजय” के सम्बन्ध में बताये गये हैं ।

राजा धर्म की रक्षा करने के लिये ऐसे राज दर्बारियों या संघ के मुखियों को चुप्ये से ही मरवा दे या दंड दे जो कि बागी हैं और जिनको खुल्लम खुल्लम अपराधी न सिद्ध किया जासके । सत्री (गुप्तचर का एक भेद) महामात्र के दुष्ट तथा राज्य द्वोही भाई को राजा से मुलाकात करवाने के लिये ले जाय । राजा भी उसको उसके भाई की संपत्ति दे देने की आशा दे । यदि वह इस पर

अपने भाई को शख्त या विष से मार डालने की कोशिश करे तो उसको “भ्रातृधातक” के अपराध में वहाँ पर कतल करवादे। यही व्यवहारपारश्व (ब्राह्मण से शूदा में उत्पन्न) तथा परिचारि-का पुत्र (दासी का लड़का) के साथ किया जाय। यदि महामात्र ही राज्य द्वाही हो तेरे सत्रि से प्रोत्साहित किया जाकर उसका भाई दाय प्राप्त करने के लिये राजा से प्रार्थना करे। राज्य द्वाही महामात्र के घर पर या किसी और स्थान पर सेये हुए उसको तीक्ष्ण मार डाले तथा शोर मचाओं कि “दाय मांगने के कारण इसको मरवाया गया है”। इसके बाद राजा उसका पक्ष लेकर महामात्र तथा उसके पक्ष पोषकों को पकड़ ले। या राज्य द्वाही महामात्र के पास रहने वाले सत्री भाई के दाय को मांगते ही मारडालने की धमकी दें और इसके बाद रात में पूर्व वत् काम किया जाय। यदि दो महा-मात्र बागी हों तो इनमें से जिस किसी का लड़का या बाप बहू को खराब करता हो या भाई अपनी भौजाई को बिगड़ाता हो उन को कापटिक (गुप्तचर विशेष) के द्वारा आपस में लड़ाकर पूर्ववत् मरवाया तथा पकड़ा जाय। बागी महामात्र के लड़के का दोस्त बन कर सत्री उसको कहे कि—तू राजा का लड़का है। शत्रु के भय से तुझको यहाँ पर रख छोड़ा है। यदि उसको इस पर विश्वास आ-जाय तो रा जा अकेले में उसका आदर सत्कार करे और कहे कि—तेरे युवराज्य बनने का समय आपहुंचा है। महामात्र के डर से ही मैं तुझ को युवराज नहीं बना रहा हूँ। इत्यादि। इसके बाद सत्री उसको महामात्र के मारडालने के लिये प्रोत्साहित करे। यदि वह महामात्र को मारने के लिये तैयार हो तो “पितृधातक” कहकर उसको वहाँ पर ही कतलकर दियाजायामिक्षुकी(गुप्तचरका एकमेद) बागी महामात्र की खीं को संवत कारक (पति जिससे वश मैं हो जाए) औषधियाँ जहर के साथ मिलाकर दे और महामात्र को खिलाने के लिये कहे। यदि इस से काम न निकले तो राजा बागी महामात्र को जंगल या ग्राम को वश मैं करने के लिये या—ऐसे देश में, राष्ट्रगाल या अन्तपाल को नियत करने के लिये जहाँ तक पहुँचने के लिये जंगल पार करना पड़ता हो या—बागी शहर को शान्त करने

के लिये या—बाहरी व्यापारियों को राष्ट्रके अंतमें पहुंचाने के लिये या उनको गृहीत धन तथा माल के साथ सुरक्षित देशमें ले आने के लिये थोड़े से दुर्बल सैनिकों तथा तीक्ष्ण लोगों के साथ भेजे । रात या दिन में जब युद्ध हो तो डाकुओं के भेस में तीक्ष्ण लोग उसको मारडालें । राजा राजधानी में दुर्घटी पिटवादेकि, अमुक महामात्र “लड़ाई में मारागया ।” यात्रा [चढ़ाई] या विहार काल में राजा देखने के लिये बागी महामात्रों को बुलावे । हथियारों को छिपेरूप से पास रखकर, तीक्ष्ण लोग उसके साथ में होजांय । मध्यम कदम में पहुंचते ही जब उनकी तलाशी लीजाय तो वह कहे कि बागी महामात्रों ने ही हमको हथियार लेकर साथ आने के लिये कहा है । इसके बाद शहर में यह फैलाकर कि “महामात्रों ने राजा को मरवाना चाहा ।” उनको मरवा दियाजाय । तीक्ष्ण लोगों के स्थानपर दूसरों को फांसीपर चढ़ा दियाजाय । या विहार भूमीमें उनको बुलाकर राजा उनका आदर सत्कार करे । रानीके भेसमें बदमाश औरत रात में उनके कमरे में पहुंच तथा उनको पकड़वादे । शेष बात पूर्ववत् की जाय । सूद [पावक] या भक्तकार बागी महामात्र को “आपसे बढ़कर कौन है” यह कहकर भोजन देने के लिये कहे जब वह भोजनदे तो बाहर आकर उसमें पानी तथा जहर मिलादे और राजा के पास लेजाय । राजा “रसद” [जहर देनेवाला] कहकर दोनों को ही कतल करवादे । यदि बागी महामात्र अंध विश्वासीहो तो बिज्ज के भेसमें गुपत्तर उसको कहेकि गोह कछुआ कैकड़ा आदियों में किसी को भी पानीसे बाहर निकालते ही तें संपूर्ण भनोरथ सिद्ध हो जायगे । जब वह ऐसा करने के लिये तत्पर ही तो उसको लोहके मूसल से या जहर से मारडाले और खबर उड़ादे कि “ऐन्द्रजालिक काम करते हुए वह मरगया ।” चिकित्सक के भेसमें गुपत्तर बागी महामात्र की बीमारी को भयंकर तथा असाध्य प्रकट करें और दवाई तथा भोजन में जहर देकर उसको खत्म करदें । सूद तथा अरालिक [हलवाई] पकी चीज़ों में जहर मिलाकर उसका काम तमामकरें । गुपत्तर से बागी राज्य कर्म चारियोंसे राजा इसी प्रकार अपना पीछा छुड़ावे ।

दो बागियों से अपने आपको बचाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि—राजा एक बागी को शान्त करने के लिये, हलकी सेना देकर दूसरे बागी को भेजे और तीक्षण लोगों को साथ में करदे। उसको आज्ञादे कि—अमुक दुर्ग या राष्ट्र से सेना या रूपया प्राप्त करो। या—अमुक दरवारी से सोना मांगो या—उसकी लड़की को जबरन एकड़ लाओ। या—किला पक्षामकान व्यपारीयमार्ग उपनि वेश खान जंगल या हाथी जंगल संबंधी अमुक काम करवाओ। या—राष्ट्र पाल या अन्तपाल के काम नियत करो—जो तुहारी बात में अड़े या चिन्ह डाले उसको कुछ भी सहायता न हो—या अमुक व्यक्तिको कैदकर लेआओ। इत्यादि। इसी प्रकार दूसरे बागियों को सूचित करे कि अमुक बहुत हो उहँड है। तुम उसको उहँडता को दूरकरो। जब यह लोग लड़ या एक दूसरे का काम बिगड़ तो तीक्षण शस्त्र फेंककर छिपे तौरपर मारडालो। इस अपराधम उन बागियों को पकड़कर दंड दिया जाय।

तीक्ष्ण लोग बागी शहरों गांवों तथा कुलों के—सीमा, क्षेत्रफल [उपज], गृह सीमा [घर की हड्ड] विषयक या—द्रव्य, उपकरण [औजार तथा साधन], अनाज, बैल आदियों की हाने विषयक या—तमाशा तथा उत्सव विषयक झगड़ में या अपने द्वारा बढ़ाई हुई लड़ाई में शख्त फेंक कर कहे कि—जो लोग झगड़ या लड़ेंगे उनको इसी प्रकार मारा जायगा। इसके बाद “मारने के अपराध में” वह लोग पकड़ लिये जाय। जिन बागियों के पुराने झगड़ हों उनके खेतों में आग लगाकर तथा उनके बन्धुओं संबंधियों तथा पशुओं को मारकर तीक्ष्ण लोग शेर मचादे कि “हम को अमुक व्यक्ति ने ऐसा करने के लिये कहा था”。 इस अपराध में और लोग पकड़ लिये जाय। सत्रि [गुप्तचर का एक भेद] दुर्ग तथा राष्ट्र के बागियों का आपस में सहभोज करवायें और रसद लोग उनको एक साथ जहर दें। पर्वि से इसी अपराध में राजा अन्य बागियों को पकड़ ले। भिजुकी [राष्ट्र के] किसी बागी मुखिया को कहे कि राष्ट्र के अमुक बागी मुखिया की रुपी वहू लड़की तुम को आहती है। यदि उसको इस पर विश्वास आजाय तो उसकी ‘अंगूठी’

आदि लेकर राजा को देदे । राजा भी “अमुक मुखिया जवानी के जाश में आकर अमुक मुखिया की खी बहू या लड़की को चाहता है” ऐसी बात कहे । जब दोनों रात में आपस में लड़े तो उनको पूर्ववत् मरवा दिया जाय । युवराज या सेनापति सैन्य द्वारा दबाये गये बागियों के साथ पहिले तो कुछ रियायत करे और पीछे उनसे रुष्ट होकर श्रलग बैठ जाय । इसके बाद ऐसे ही बागियों की थोड़ी सी सेना को उनको दंड देने के लिये भेजे और तीक्ष्ण लोगों को उनके साथ में करदे । इसके बाद संपूर्ण बातें पूर्ववत् की जाय । उनके लड़कों में जो बदले के भाव से रहत शान्त चित्त हो उसी को पिता की संपत्ति मिजे । इन्हीं तरीकों से देश राजा के पुत्रों तथा पौत्रों के भक्त बने रहते हैं और भिन्न भिन्न बागी तथा स्वार्थी पुरुषों के कारण कष्ट में नहीं पड़ते हैं ।

यदि राजा भूत तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की भी गड़बड़ न देख और पूर्ण रूप से संदेह रहत हो तो अपराधियों के अपराध को क्षमा करते हुए अपने तथा पराये देश के लोगों पर तृष्णी दंड [चुणे चुणे मरवाना या दंड देना] का प्रयोग करे ।

६० प्रकरण । कोश—संग्रह ।

[क]

कर्षकों से राज्य कर का ग्रहण ।

कोश हीन तथा अर्थ संकट में पड़ा राजा कोश का संग्रह करे । उस जनपदसे जोकि बहुत बड़ाहो या जिसमें वृष्टिका पानीलगताहो तथा छोटे होते हुए भी जिसमें धान्य बहुत ही आधिक होता हो—धान्य का तृतीय या चतुर्थ भाग राज्य कर में मांगे । यदि वह मध्यम तथा अल्प होते हुए असार हो या किला पक्का मकान, व्यापारीय मार्ग, उपनिवेश, खान, जंगल तथा हाथी जंगल के लिये अत्यंत उपयोगी हो तथा छोटा होते हुए राष्ट्र के अन्त में हो तो

उससे उपरिलिखित राज्य कर न मांगे । बीज तथा भक्षे के लिये धान्य अलग निकाल कर अनाज का चौथाई भाग नगद धन देकर खरीद ले । जंगलों तथा श्रोत्रियों द्वारा उत्पन्न अनाज को राज्य कर में न ग्रहण करे । यदि वह बेचने के लिये आया हो तो उसको अच्छे दाम पर बेच दे । यदि इन उपायों से भी कोश को विशेष लाभ न हो तो समाहर्ता के सियाही ग्रोष्म में खेती करने के लिये किसानों का वाधित करें । जो प्रमाद कर उससे दुगुना जुरमाना लेया जाय और बीज डालने के समय में सियाही खेत में बीज डालें । फसल तेयार होने पर तरकारी या पक्का अनाज ग्रहण करें बशर्ते कि खेतमें शाक या अंकोशष अव्याप्त न बचा हो । देवों तथा पितरों को पूजा के लिये और गड़ओं भिजामंगा तथा मजदूरों को खिलाने के लिये खेत में बिखरा हुआ अनाज इकट्ठा करवाया जाय ।

जो राज्य कर से बचने के लिये धान्य छिपावे उस पर धान्य में आठ गुना जुरमाना किया जाय । जो दूसरे का धान्य चुरावे उस पर ५० गुना जुरमाना और जो अपने वर्ग से बाहरी व्याकुँ का धान्य चुरावे उसको कतल किया जाय ।

धान्य का चौथाई भाग, जांगलिक द्रव्यों तथा रई लाख सानेया कपास, रेशा, रेशम, उना, औषधि, गंध, फूल, फठ, तरकारी, व्यापारीय द्रव्य लकड़ी, बांस, मांस, तथा सूखे मांस आदिओं का छठाभाग और दांत तथा चमड़े का आधाभाग राज्यकर में ग्रहण किया जाय । जो राजा की आङ्गा के बिना ही बेचे उसको प्रथम साहस दंड दिया जाय । कर्बकों से राज्यकर ग्रहण करने के यही नियम हैं ।

(स)

व्यापारियों से राज्यकर का ग्रहण ।

सोना, चांदी, हीरा, मणि, मोती, मूँगा, घोड़ा, हाथी आदि व्यापारीय द्रव्यों से ५० वां भाग-सूत, कपड़ा, तांबा, पीतल, कांसा, इतर, गंध, भैषज्य तथा शराब आदियों से ४०वांभाग-धान्य, द्रव्यपदार्थ, लोहा तथा बैलगाड़ी के व्यापारियों से ३०वांभाग-शीशा तथा

कारीगरी के कामके व्यापारियों से २०वां भाग—छोटे छोटे कारीगरों तथा तरखानों से १०वां भाग और लकड़ी वांस, पत्थर मढ़ीके बर्तन पकान्न, तरकारीआदियों से ५ वां भाग—मुल्य का राज्य करमें ग्रहण कियाजाय। कुशीलव तथा रूपाजीवा [रंडोविशेष] वेतन का आधा दें। सुनारों को अपनी ही संपत्ति समझ और उनसे स्वयं काम करवाये। उनके छोटे से अपराध को भी माफ नु करे। क्यों कि यह लोग विश्वास पात्र तथा ईमान्दार बने हुए कूट-व्यापार करते हैं। व्यापारियों से राज्यकर ग्रहण करने के यही नियम हैं।

[ग]

* योनि पोषकों से राज्यकर का ग्रहण।

मुर्ग तथा सुअर का आधा भाग—छोटे जानवरों का छठा भाग गौ भैंस खच्चर गदहों तथा ऊंटों का दसवां भाग ग्रहण करे। बंध किपोषक † राजा द्वारा भर्जी हुई रूप तथा जवानी से भरी रंडियों से कोश को बढ़ाने की कोशश करें।

राज्यकर एकवार ही लेना चाहिये। दो बार उसको कभी भी प्रयोग न करना चाहिये। यदि इस नियम का पालन करना कठिन हो तो समाहर्ता किसी कार्यके वहाने पैर तथा जानपद लोगों

‡ वर्धकि पोषक का अर्थ डाक्टर शामशाही ने रंडी रखने वाला अर्थ किया है जब कि भृत्य भरणीय (६१) प्रकरण में उन्होंने इसका अर्थ दूसरा किया है। बंधकि पोषक का अर्थ रंडी रखने वाला है। वर्धकि पोषक तथा वर्धकि पोषक यह दो भिन्न शब्द मालूम पड़ने हैं।

* योनि पोषक का अर्थ पशु पालक है।

† बंधकि पोषक, वर्धक पोषक तथा वर्धकियोनिपोषक यह तीन शब्द प्रकरण ६० तथा ६१ में आये हैं। डाक्टर शामशाही तीनों स्थानों पर इनके तीन भिन्न २ अर्थ किये हैं। यदि बंधकि का अर्थ बढ़ई माना जाय तो प्रकरण ६० में आये वर्धकि पोषक का अर्थ रंडी रखने वाला कैसे हो सकता है? यदि रंडी रखने वाला ही अर्थ माना जाय तो प्रकरण ६१ में इसका अर्थ बढ़ई कैसे किया गया। यदि बंधकि तथा वर्धकि में कुछ भी भेद न माना जाय तो तीनों ही स्थानों पर रंडी रखने वाला अर्थ होना चाहिये। वर्धकि का अर्थ बढ़ई ठीक मालूम पड़ता है और बंधकि पोषक का रंडी रखने वाला अर्थ ठीक जंता है।

से धन मांगे । राजा के साथ मिले हुए (योग पुरुष) लोग सबसे पहिले अधिक से अधिक धन दें । इसी बहाने राजा प्रजा से धन इकट्ठा करे । जो कम दें उनको कापटिक लोग (खुफिया पुलिस के लोग) बुरा भला कहें । धनाड़ी से अधिक सहायता देने के लिये अपनी इच्छा से धन दें उनका—आसन स्थान छुत्र पगड़ी गहना आदि बदले में देकर आश्र सत्कार किया जाय । जादूगर तथा ऐन्द्रजालिक के भेस में फिरने वाले गुप्तचर पाखंडियों कंपनियों तथा श्रोत्रियभोग्य (जिनकी आमदनी कि ती श्रोत्रिय ब्राह्मण के पास न जाती हो) मंदिरों की आमदनी को और मृत पुरुष तथा ऐसे पुरुष की, संपत्ति को जिसका मकान जलगया हो बचाने के बहाने से अपने हाथ में करें भाग जांय ।

देवाध्यक्ष दुर्ग तथा राष्ट्र के देवताओं की आमदनी को एक स्थान में रखें और राजा को देविया करे या—किसी एक रातमें मंदिर खड़ा करे या—सिद्धों के रहने का मकान बनवादे या—घाट तैयार कर दे और कहे कि कोई न कोई विपत्ति सिरपर आपड़ने वाली है अतः उसका दूर करने के लिये उत्सव तथा पूजा पाठ होना चाहिये (इस बहाने से धन इकट्ठा करे) या—चैत्य तथा उपवन के किसी पेड़ में असामयिक फूल तथा फल के आने को प्रगट कर देवताओं के आने को सूचित करे या—किसी पेड़ में मनुष्य को छिपाकर शेर मचवाये और इस प्रकार राज्ञि तथा भूतप्रेत का भय प्रगट कर सिद्ध के भेस में फिरने वाला गुप्तचर प्रजा से धन इकट्ठा करे, या—प्रजा का धन खींचने के लिये (कुंये में छिपी सुरंग लगाकर) अनेक सिरों वाले नागकों दिखावे, या—जो लोग बहुत ही श्रद्धालु हॉं उनको सांपकी मूर्ति, मंदिर के कोने या बल्मीकि में छेदकर उसके अन्दर दर्वाइ से बेहोश किये हुए काले नागकों दिखावे या जो अश्रद्धालु हॉं उनके पेय और परोक्ष पदार्थोंमें रस मिलाकर यह कहे कि देवताका अभिशाप पड़ गयाहै। या—किसीजात बहिष्कृत व्यक्तिको सांपसे कटवाकर अशगुनदूर करनेके वास्ते प्रजा से धन लिया जाय या—वैदेहक (व्यापारी) के भेस में

गुप्तचर किसी बड़े व्यापारी के पास रह कर व्यापार करने लगे। माल के बिकने व्याज के आने तथा लाभ मिलने के कारण जिस दिन उसके पास बहुत सा धन इकट्ठा होगया हो उसी दिन रात में चोरी करके भाग जाय या—रूपदर्शक तथा सुवर्णकार के भेस में, भी इसी प्रकार चोरी की जाय या—बैदेहक (व्यापारी) के भेस में गुप्तचर बड़े भारी व्यापारी के तौर पर प्रख्याति प्राप्त करे और एक दिन विदेशी व्यापार के बहाने बहुत सा सोना चांदी जवाहरत गिरों रक्खे तथा उधार पर ले ले या—किसी कंपनी का बहुत सा माल दिखाकर (बदले में) बहुत ही अधिक मात्रा में (सोना चांदी) ऋण के तौर पर ग्रहण करे और अपने माल का दाम भी ले ले। यह करने के बाद रात में अपनी चोरी करवादे या—साध्वी (भले मानुस के घर की) के भेस में फिरने वाली खुफिया औरत बदमाशों को उन्मत्त करे और अपने ही मकान में किसी बहाने से उनको पकड़वाकर उनकी संपत्ति कुड़क करवादे—या बदमाशों तथा कुलीनों के भगड़े में रसद (जहर देने वाले) चुप्पे से एक पत्त के लोगों को जहर दे दे और इस प्रकार उनकी संपत्ति कुड़क करवादे या—जब कभी जात से पांतेत हुआ कोई व्यक्ति भलेमानुस के रूप में रहने वाले किसी दूसरे राज्यविद्रोही व्यक्ति से ऋण गिरों रखा सुवर्ण व्यापार में लगा धन या पाप भाग उसके घर पर जाकर मांगे। उसको दास और उसकी लड़ी लड़की तथा बहू को दासी “अथवा लड़ी” कहकर गाली दे रात को उसी के दरवाजे पर धरना मार के सोजाय। या किसी दूसरे स्थान में रह जाय तो मौका पाकर तीक्ष्ण उसको जान से मार डाले और प्रजा में शोर मचादे कि क्योंकि वह धन चाहता था अतः उसको मरवाया गया है। इस अपराध में राज्य विद्रोही तथा उसके पक्षपातियों की संपत्ति कुड़क करली जाय या—सिद्ध के भेस में गुप्तचर बागी आदमी को जादूगरी के कामों को दिखा कर प्रलोभन दे कि “मैं अक्षय हिरण्य प्राप्त करना राजगृह में घुसना, लड़ी को फंसाना, शत्रु को बीमार करना, उमर बढ़ाना तथा लड़का पैदा करवाना आदि विद्याओं को जानता हूँ” इत्यादि। यदि

वह विश्वास में आजाय तो रात में मंदिर पर शराब मांस गंध द्रव्य आदि चढ़ावे, जहां मुर्दा का कोई अंग या बच्चा गड़ा हो वहां पर पूर्व से ही एक सदृश रंग का गड़ा सोना खेदकर दिखावे बहुत कम बाले । इसके बाद कहे कि अधिक सोना प्राप्त करने के लिये अधिक चढ़ावा चढ़ाना चाहिये । जाओ यह सोना लो और इस से जादा दाम का चढ़ावा खरीद कर रात में आओ । जब वह बाजार में चढ़ावा खरीदने जाय तो उसको पकड़ लिया जाय । या--माता के भेस में खुफिया औरत कहे कि अमुक राज्यद्रोही ने मेरे लड़के को बलि चढ़ाने के लिये मार डाला है । जब कभी वह रात में जंगल के अन्दर शिकार या यश करने के लिये जाय तो तीच्छण लोग उसको मार डालें तथा जात बहिष्कृत की तरह उस के साथ व्यवहार करें या—उसके नौकरों के भेस में खुफिया तनख्वाह में मिले सिक्कों में जाली सिक्का मिलाकर या उस के घर में काम करने वाले कारोगर के भेस में खुफिया जाली सिक्के बनाने के संपूर्ण उपकरण रख कर उसको पकड़वादें या—चिकित्सक के भेस में खुफिया बीमारी न होते हुए भी उसको बीमार कहे या सत्री [खुफिया का एक भेद] उस के घर में राज्यभिषेक के सामान रखें और कापटिक [खुफिया का दूसरा भेद] के मुंह से दुश्मन की आँख सुनावे और कारण प्रगट कर । अधार्मिक बागियों के साथ इसी ढंग पर बर्ताव किया जाय परन्तु सब लोगों के साथ यह बात न की जाय ।

राज्य कर पके हुए फल की तरह समय पर ग्रहण किया जाय क्षेत्रे फल की तरह असंतोष बढ़ाने वाले राज्यकरको प्राप्त करने की कोशिश न की जाय ।

११ प्रकरण । भृत्य भरणीय ।

दुर्ग तथा जनपद की शक्ति के अनुसार भृत्य रखे जाय । उनकी भूति में राजकीय-आय का चौथाई खर्चा किया जाय । भूति इतनी होनी चाहिये कि भृत्य कार्य करने में समर्थ हो सके तथा उनके

शरीर को हानि न पहुँचे । धर्म तथा अर्थ की अवहेलना किसी भी काम में न करे ।

ऋत्विग्, आचार्य, मन्त्रि, पुरोहित, सेनापति, युवराज, राजमाता तथा राजमहिषी को ४८०० पण वार्षिक भूति मिले । इतनी भूति पाकर वह कभी भी प्रलोभन में न पड़ेंगे तथा असंतुष्ट भी न होंगे ।

दौवारिक, आन्तर्बंशिक, प्रशास्ता, समाहर्ता, तथा सञ्चिधाता को २४०० पण मिले । इतनी तनखाह पाकर यह सदा ही कर्मण्य रहेंगे ।

कुमार, कुमार-माता, नावक, पौर, व्यावहारिक, कार्मान्तिक, मन्त्रिपरिषद् तथा राष्ट्रान्तपाल, को १२०० पण मिले । इतनी भूति पाकर यह सदा ही स्वामिभक्त बने रहेंगे तथा सेना द्वारा सहायता देने के लिये तत्पर रहेंगे ।

श्रेणी-मुख्य, हस्ति-मुख्य, अश्व-मुख्य, रथ मुख्य, तथा प्रदेषा को ८००० पण वार्षिक भूति मिले । इससे यह अपने वर्ग के लोगों को अपने से कभी भी पृथक् न होने देंगे ।

पत्त्यध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, रथाध्यक्ष, हस्तपदध्यक्ष द्रव्यपाल, हस्ति पाल तथा बनपाल को ४००० पण मिले ।

रथिक, अनोक्तचिकित्सक, अश्वदमक, वर्धकि तथा योनिपोषक को २००० पण मिले ।

कार्तान्तिक, नैमित्तिक, मौद्दूर्तिक, पौराणिक, सूत, मागध, पुरोहित के संपूर्ण पुरुष तथा अध्यक्ष को १००० पण मिले ।

शिल्पी, पदाति, संख्यायक, तथा लेखक आदि वर्ग के नौकरों को ५०० पण वार्षिक मिले ।

कुशीलवाँ को ३५० पण, तृथकराँ [बाजा बजाने वाले] को दुगुना और कारीगराँ तथा शिल्पियाँ को १२० पण मिले ।

चतुष्पद-परिचारक, द्विष्पद-परिचारक, पारिकार्मिक [अमी], उपस्थायिक [साथ रहने वाला], पालक [गोपाल, गोप] [†] तथा

[†] पाल का तात्पर्य गोपाल या गोप है । संपूर्ण स्मृतियों में पाल का यही अर्थ दिया है । डाक्टर शामशान्ति ने शरीर रक्षक (Body Guard) अर्थ किया है । शब्दार्थ को सामने रखते हुए उनका अर्थ त्रुटि पूर्ण नहीं कहा जा सकता ।

विस्टि बंधक (श्रमी प्राप्त करने वाला) को ६० पण मिले ।

आर्युक्त (राजकुमार को खिलाने वाला) आरोहक (घोड़े पर चढ़ाने वाला), माणवक (जादूगर), शैलखनक (खान खुदाने वाला), संपूर्ण सेवक, आचार्य, विद्वान् आदिकों को पुरस्कार (पूजा वेतन) ५०० से १००० तक योग्यतानुसार दिया जाय ।

योजन तक जाने वाले दूत को १० पण और सौ योजन तक जाने वाले दूत को २० पण मिले ।

राजसूयादि यज्ञ में जो काम करें तो उनको साधारण वेतन से तिगुना वेतन मिले । राजा के सारथि को १००० पण मिले ।

कापटिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक तथा तापस के भेस में काम करने वाले गुपत्तचर या खुफिया को १०० पण मिले ।

ग्रामभृतक, सत्रि, तीक्ष्ण, रसद तथा भिक्षुकी को ५०० पण मिले । चारसंचारी [चार को इधर उधर भेजनेवाले] को ३०० पण या मेहनत के अनुसार अधिक वेतन मिल ।

सौ वर्ग से हजार वर्ग तक के अध्यक्ष भत्ता तनखाह नियुक्त तथा बदली [विक्रेप] का प्रबंध करें । राजपरिग्रह [शाहीमहल], दुर्ग तथा राष्ट्र की रक्षा में नियुक्त, सेवकों की बदली न कीजाय । मुख्य [अफसर] लोग स्थिर हों तथा संख्या में बहुत हों ।

जो लोग राजकीय काम करते हुए मरजांय उनके बालकों तथा स्त्रियों को भत्ता मिले । बालक वृद्ध तथा बीमार लोगों पर अनुग्रह कियाजाय । मृत्युसंस्कार रोग तथा सूतिका संबंधी कामों में इन का धन तथा मान से उपकार कियाजाय ।

राजा के पास यदि नकद धन बहुत न हो [अल्पकोश] तो इनको जांगलिक द्रव्य [कुप्य] खेत और कुछ नगदी देवे । यदि वह उजड़े हुए स्थान को बसाना चाहे तो नगदी ही देवे । ग्रामके सदृश व्यवहार प्रचलित करने के लिये ग्राम किसी को भी न सुपुर्द करे । जो लोग इनमें से विद्वान् तथा कर्मण्य हों उनको भत्ता तथा वेतन कुछ अधिक दियाजाय । साठपण वेतन पानेवालों को तनखाह के अनुसार अढ़ायों में भत्ता मिले ।

पदातियों घोड़ों रथों तथा हाथियों को संधिदिन छोड़कर सूर्योदय के बाद कवायद कराई जाय । राजा उनमें सदा मौजूद

रहे और कभी कभी परेट देखे । शस्त्र तथा आवरण [कबच] आदि राजा की मुहर डालने के बाद ही आयुधागार में प्रविष्ट किये जायं । सरकारी लाइसेन्स [मुद्रा] के बिना कोईभी हथियार लेकर इधर उधर न फिरे । जो हथियार नष्ट हो जाय या खोजाय उसका दुगुना धन उससे वसूल कियाजाय । टूटेहुए हथियारों की गणना की जाय । अन्तपाल व्यापारियोंके हथियारों को अपने पास रखले बशर्ते कि उनके पास हथियार लेकर चलने का लाइसेन्स न हो । चढ़ाई के लिये तैयार होते ही सेना को हथियारदे दे । व्यापारियों के भेस में यात्राकाल [चढ़ाई करने का समय] में फौजों को दुगुने दाम पर रसद दें । इसप्रकार राजकीयपदार्थों का विक्रय होजायगा और तनखाह में दियाहुआ धन पुनः कोश में लौट आवेगा । जो राजा इसढंग पर आय तथा व्ययका प्रबंध करते हैं उनको कोश तथा सेना विषयक विपत्ति नहीं सहनी पड़ती । भत्ता वेतन का प्रबंध इसीप्रकार कियाजाय ।

सत्रि (गुप्तचर), वेश्या, कारीगर, कुशीलव तथा बुड्ढे सिपाही आलस्य को दूर फेंककर फौजों की राजभक्ति तथा दिलकी सफाई का ज्ञान प्राप्तकरें ।

६२ प्रकरण । राज्यसेवकों का कर्तव्य ।



जो सांसारिक व्यवहार में चतुर हों वह सामर्थ्य [आत्म द्रव्य] तथा प्रभुत्व शक्ति [प्रकृति] युक्त राजा का इष्ट मित्रों के द्वारा सहारा लें । बशर्तोंके वह यह समझें कि 'मैं सहारा चाहता हूँ' और यह राजा योग्य आदमियों की तलाश में है तथा इस में सब के सब स्वाभाविक गुण [आभिगामिक गुण] मौजूद हैं । द्रव्य तथा प्रभुत्व शक्ति से हीन राजा का आश्रय लिया जासकता है । जो राजा दुष्ट स्वभाव का तथा आत्म संपत् से रहित हो उसका आश्रय कभी भी न लेना चाहिये । क्योंकि ऐसे राजा नीति शास्त्र की

बातों की कुछ भी पर्वाह नहीं करते और बारंबार तकलीफ में पड़ते हैं यदि इनको बहुत संपत्ति मिल भी जाय तो यह उसको संभाल नहीं सकते । जो आत्म संपन्न हो उसको मौका मिलने पर शास्त्र के अनुसार सलाह दे । यदि राजा सलाह मान ले तो उसका स्थान स्थिर हो जाता है । बुद्धि विषयक बातों के सम्बन्ध में जब राजा पूछे तो दर्बारियों की कुछ भी पर्वाह न करते हुए बर्तमान तथा भावी के लिये जो धर्म तथा अर्थ युक्त मालूम पढ़े उसको कुशल व्यक्ति की तरह स्पष्ट स्पष्ट कहे । जब जब राजा उस से पूछे धर्म तथा अर्थ के विषय में वह उत्तर दे तथा कहे कि—जो राजा शाकेशाला मित्रों से युक्त हों और देखने में चाहे साधारण ही मालूम पड़ते हों या जिन को बलवान् राजा की सहायता मिल सकती हो उनके प्रति युद्ध न उद्घोषित करो । हमारे पक्ष चुन्ति [आजीविका] तथा गुद्या [गुप्त बात] बात की आप रक्षा करें । मैं आप को काम क्रोध से दंड का प्रयोग करते समय रोक दूँगा । राजा उसको जिस पद पर नियुक्त करे उसी पर काम करे । राजा के पास बैठे और यदि दूर बैठना हो तो दूसरे के आसन पर जा बैठे असभ्य लोगों के सामने भगड़ कर न कहे, भूठ न बोले, कहकहा मार के न हंसे तथा जोर से न खलारे । दूसरे के साथ बात करते हुए बीच में बोल उठना, कान में बात कहना, आपस में बातें करना, सादी पौशाक पोहनकर या सजधजकर जाना, रत्न या तनखाह बढ़ाने के मामले को सामने कहना, एक आंख या ओठ दबाकर या भौंहो चढ़ा न बातें करना, शक्तेशाला व्यक्ति से दुश्मनी करना, श्रियों से मिलना जुलना, सामन्तदूत दुश्मनों के साथी कैदी तथा हानि कारक लेंगों से मिलना एक साथ रहना तथा गुद्ध बनाना छोड़ दे ।

इष मित्रों के साथ जाकर राजा को हित की बात बिना देर किये ही कहे । मौका तथा समय पाकर उसको दूसरों के साथ संबंध रखती हुई धर्म तथा अर्थ विषयक बातों की सूचना दें ।

पूछने पर प्रिय तथा हित बात कहे । जो बात प्रिय तो हो परंतु हानिकर हो वह न कहे । यदि राजा सुनने तथा मानने के

लिये तैयार हो तो अप्रिय होते हुए भी हितकर बात कह दे ।

चुप रहना अच्छा है परन्तु बुरी बात राजा को सुनाना अच्छा नहीं है । इस नियम का ख्याल न करते हुए चालाक से चालाक आदमी भी राजा की आँखों से नीचे उतर जाते हैं और बुरे से बुरे आदमी भी इस नियम का पालन कर राजा की आँखों में चढ़ जाते हैं । यही कारण है कि राजा की हँसी में तो हँसे परन्तु कह कहा मारकर हँसने से सदा ही दूर रहे । राजा भी घोर हँसी न करे तथा दूसरों के विषय में घोर बात भी न सुने । जिसने उसका अपराध भूल से किया हो उसको क्षमा कर दे । पृथ्वी के सदृश राजा को स्थिर तथा अचल होना चाहिये । राज्य सेवकों को चाहिये कि वह आत्मरक्षा में सदा ही तत्पर रहे । उनका राजा के काम को करना एक प्रकार से आग के साथ खिलवाड़ करना है । आग तो मृत शरीर को या जीवित शरीर के एक भाग को जलाता है । राजा तो खी पुत्र सहित सारे के सारे कुदंब को कटवा मरवा सकता है ।

९३ प्रकरण ।

समय का ख्याल रखना ।

अमात्य के पद पर नियुक्त होकर खर्ची आदि निकाल कर शुद्ध आमदनी (net income) को देखे । कौन सा कार्य—अन्दुरनी, बाहरी, गुप्त, प्रकाशित, आवश्यक या उपेक्षा के योग्य है इस बात पर विचार कर और प्रत्येक काम की विशेषता प्रगट करे । यदि राजा शिकार जुआ या ओरत के फेर में पड़गया हो तो उस के पीछे पीछे चलता जाय । खुशामद तथा प्रशंसा कर कर के उस के पास पहुंचे और किसी तरह से उसको व्यसनों के फंदों से बचाने की कोशिश करे । शत्रुओं के षड्यंत्र धोखे तथा जाल के कामों में फँसने से उसको बचावे । उसके हाव भाव को ध्यान से देखता रहे । काम, द्वेष, हर्ष, दैन्य, भय, परस्पर प्रतिद्वन्द्वी विचार, आदिकों का हाव भाव से ज्ञान होजाता है । यदि राजा खुश हो तो

वह—दूसरे की बुद्धिमत्ता सुनकर खुश होजाता है। जो बात कही जाय उसको ग्रहण करना है। आते ही आसन देता है। आंख खोलकर देखता है। शंका के स्थान में भी किसी प्रकार की शंका नहीं करता। खुशी खुशी बात करता है। नई बात सुनने की प्रतीक्षा करता है। भली सलाह मान लेता है। हंस कर आङ्गा देता है। हाथ से पुर्वकार देता है। पूज्य लोगों की हँसी नहीं उड़ाता है। पीछे से प्रशंसा करता है। भोजन करते समय याद करता है। साथ सैर करने को जाता है। कष्ट में सलाह लेता है। उसके साथियों की इज्जन करता है। गुप्त बान बनाता है। विशेष रूपसे इज्जत करता है। धन देता है। अर्थ को दूर करता है। इससे विपरीत नाराजगी में हाता है। दृष्टान्त स्वरूप—देखते ही गुस्सा करने लगता है। बात नहीं सुनता तथा बात कहने से रोक देता है। आंख उठाकर नहीं देखता तथा आसन नहीं देता। दूसरी आवाज में है। एक आंख से देखता है या भउओं को चढ़ा लेता है। अस्थान में स्वेद, श्वास, मुस्कराहट प्रगटकरता है। अन्दर अन्दर बुड़ बुड़ा-ने लगता है। एकदमसे उठकर चलदेता है। शरीर या जमीन को खुरचने लगता है। दूसरों को तंग करता है। विद्या बर्ण तथा देश की निन्दा करता है। समान दोषवाले साथी की बुराई, भिन्न दोष वाले व्यक्ति का उपहास, बुराई की प्रशंसा, अच्छे काम की ओर न ध्यान देना, बुरे कामको याद दिलाना, आयेहुए पर ध्यान न देना, बेपरवाही, भूठ बोलना, दर्शकों की बात न सुनना आदि बातों को करता है। आमात्य को चाहिये कि वह पशुओं के हावमाव को भी ध्यान से देखतेरहे। कात्यायन “यह तो बड़ ऊंचे से सींचरहा है” कणिकभरद्वाज ‘क्रोच वाई और उड़गया’ चारायण ‘तिनका लंबा है’ घोटमुख “साढ़ी या धोती ठंडीपड़गयी” किजल्क “हाथी उपर पानीडाल रहा है” पिशुन “रथ तथा घोड़ा अच्छा है” और पिशुनपुत्र “पद्म में कुत्ते हैं” इत्यादि वाक्यों के द्वारा राजा को उचित कामपर प्रेरित करने के लिये सलाह देते हैं। यदि राजा अर्थ तथा मान से इज्जत न करे तो उसका परित्याग करशियाजाय। राजाके स्वभाव तथा अपने दोष को देखकर वह अपने दोष को दूर करे और किसी भिन्न राजा का सहारा ले।

वहां पर रहता हुआ अपने पुराने स्वामी के दोषों को मित्रों के द्वारा दूरकरने का यत्न करे । इसके बाद स्वामी के जीते हुए ही या मरजाने पर स्वदेश में पुनः लौट आवे ।

९४ तथा ९५ प्रकरण ।

राज्य का प्रबंध तथा एकैश्वर्य ।

अमात्य राजा पर आई हुई विपत्तियों को दूर करे । राजा की मृत्यु होजाने की संभावना होते ही मित्र तथा हितैषी लोगों की सलाह से वह दर्शक लोगों को महीना दो महीना बाद राजा के दर्शन करवाये । आज कल राजा 'देश पीड़ा को दूर करने वाले, आयु बढ़ाने वाले, पुत्र देने वाले कामों को करता है' यह बहाना बनाकर आवश्यक समयों में प्रजा को राजा का भेस बनाये हुए किसी दूसरे व्यक्ति का दर्शन करवादे । मित्र, शत्रु तथा दूतों के साथ भी इसी चाल को चला जाय । अमात्य ही उनके साथ यथोचित बात चीत करे । अमात्य के द्वारा ही वह राजा को सूचना पहुंचा सके । दौवारिकों तथा अन्तर्विशिकों (अन्तपुर का रक्षक) के द्वारा राजा की आश्वाओं की सूचना दे । हानिकारक लोगों के प्रति प्रसन्नता या नाराजगी अप्रत्यक्षरूप से प्रगट की जाय । कई लोगों का मत है कि अपकार करने वालों के प्रति प्रसन्नता ही दिखाई जाय । कोश तथा सेना का ग्रंथं बहुत ही अधिक विश्वास योग्य व्यक्तियों के हाथ में दिया जाय और उनको दुर्ग या सीमा प्रदेश पर सुरक्षित रूप से रखा जाय । उन ही के समान राजकुमारों तथा मुखियों के साथ भी बहाना बनाया जाय । दुर्ग तथा जंगल का मुखिया और बहुत से यक्ष वाले लोगों का नेता जो कोई सर्दार हो उसको आक्रमण मित्रकुल या बाहरी बाधाओं को दूर करने के लिये भेज दिया जाय । जिस किसी सामन्त से खतरा हो उसको उत्सव, विवाह, हाथी पकड़ना, घोड़ा जमीन तथा माल देना आदिक कामों में फंसादे । उसकी संधि अपने किसी विश्वासनीय मित्र के साथ करादे या उसको जंगली राजाओं या दुश्मनों से

से लड़ादे । उसी के समान शक्तिशाली तथा बंधुए के रूप में रखे कुलीनों को जर्मिंदारी देकर छोड़ दे । कुलीनों साधारण राजपुत्रों तथा मुखियों को साथ लेकर राजकुमार के युवराज्याभिषेक संस्कार का प्रबंध करे । न्यायाधीशों तथा दांडिकों के सहारे राजा के दुश्मनों को पकड़ कर राज्य में शान्ति स्थापित करे । यदि सामन्तादिकों में से कोई भी मुखिया राजा के विरुद्ध उठ खड़ा हो तो “आइये हम आपको ही राजा बना देते हैं” यह कहकर उस को बुलावे तथा पड़ कर मरवादे । या उसको राष्ट्रीय आपत्तियों के दूर करने पर नियुक्त करे । क्रमशः युवराज पर राज्य का भार डालकर राजा की बीमारी का हाल उस पर प्रगट करे । यह तो हुई घंरलू नीति । विदेशी नीति तो यह होनी चाहिये राजा विषयक विपत्ति के पड़ते ही दिखावे में दुश्मन बने हुए किसी घने दोस्त की सन्धि शत्रु के साथ करवादी जाय । शत्रु के दुर्ग में उस के सामन्तों को किसी तरीके से बसादे । राजकुमार का अभिषेक संस्कार करे तथा उसके बाद उसके साथ झगड़े । यदि शत्रु राष्ट्र पर आक्रमण करदे तो उसका यथोचित उपाय करे । कौटिल्य का मत है कि अमात्य उपरिलिखित प्रकार राजाकी प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करे परन्तु भारद्वाज इस युक्ति के पक्ष में नहीं है उनका मत है कि राजा के बीमार पड़ते ही या मरने का भय होते ही कुलीनों राजकुमारों तथा मुखियों को आपस में लड़ादे और फिर उनको क्रमशः प्रजा में गदर करवाकर मरवा दे । या कुलीनों कुपारों तथा मुखियों को चुप्पे से मरवा कर राज्य को स्वयम् संभाल बैठे । राज्य ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी खातिर पिना पुत्र का और पुत्र पिता का दुश्मन हो जाता है राजा की संपूर्ण प्रभुत्व शक्ति को काम में लाने वाले अमात्य का तो कहना हो क्या है ? मुंह में आये गिरास को कौन छोड़ता है ? जो आई हुई लद्दमी को छोड़ दे तो लद्दमी उस से नाराज होजाती है यह एक लोक प्रवाद है ।

मौके की ताक में बैठे हुए मनुष्य को एक बार ही मौका मिलता है । यदि वह फिर मौका ढूँढे तो मौका उसके हाथ में नहीं आता ।

परन्तु कौटिल्य को भारद्वाज की बात नहीं पसंद है । उसका विचार है कि लोगों में गदर करवाकर किसी को मरवाना पाप काम

है और यह कोई नियम भी तो नहीं है कि लोग अवश्य ही गदर कर देंगे । इससे तो अच्छा यह है कि अमात्य के गुण से युक्त राजकुमार को राज गढ़ी पर बैठादे । यदि कोई भी राजकुमार राज्यकार्य के लिये समर्थ न हो तो किसी भोगविलासप्रिय राजकुमार, राजकन्या, या गर्भिणी रानी को अटुगे करके महामात्र लोगों के गुट को कहे कि “यह तो मारला है । अपने घराने की ओर तथा पिता की ओर देखिये । यह तो एकमात्र बहाना है, असली मैं तो आप ही लोग मालिक हूँ । आप ही बतावें कि इस मामले मैं क्या किया जाय ?” इस प्रश्न पर साथ के लोग उसी समय कहेंगे कि “राजा तथा आप लोगों के सिवाय चारों वर्णों के लोगों की रक्षा करने मैं कौन समर्थ हो सकता है ।” इस प्रकार अमात्य राजकुमार, राजकन्या तथा गर्भिणी रानी के हाथ मैं राज्य की बागडोर सुपुर्द करे । बन्धुओं, संबंधियों, मित्रों तथा शत्रुओं को भी यही दिखावें । अमात्यों तथा आयुधीयों [फौजी लोगों] का भत्ता बढ़ा दिया जाय । “राजकुमार बड़े होने पर आप लोगों का भत्ता और भी अधिक बढ़ा देगा” इस प्रकार उनको सांत्वना दीजाय । दुर्ग तथा राष्ट्र के मुखियों को भी इसी प्रकार की बात कही जाय । मित्र तथा अमित्र पक्ष के लोगों को भी इसी ढंग से समझाया जाय । राजकुमार की शिक्षा में विशेष रूप से यज्ञ किया जाय । यदि वह लड़की हो तो सजातीय व्यक्ति से बचा पैदा करवा कर उसको राज्य पर बैठाया जाय । माता के चित्त में लोभ न हो इसके लिये समान गुणवाल, खूबसूरत, लड़के को उसके प्रतिनिधि के रूपमें उसके पास रखदे । मासिकधर्म के दिनों मैं राजकन्या की विशेष रूप से रक्षा की जाय । अमात्य अपने लिये किसी प्रकार का भी भोगविलास का सामान न करे और न वह सजघज के साथ ही रहे । राजा के लिये गाड़ी धोड़ा गहना स्त्री महल आदि सामग्रियों का प्रबंध करे ।

जब राजकुमार जवान होजाय तो अमात्य उसको प्रसन्न देख कर उसकी सेवा करते रहें और यदि उसको अप्रसन्न देखे तो उसको छोड़दे और रानी को खुकिया पुलिस के लोगों तथा राज-

कुमार की रक्षा के तरीकों से सूचित कर जंगल में चला जाय या किसी एक बड़े यह द्वारा को प्रारंभ करवाये । या मुखियों के वश में आये हुए राजकुमार को इतिहास तथा पुराण के दृष्टान्तों के द्वारा उसके प्रिय खोगों के साथ जाकर अर्थशास्त्र की शिक्षा दे । या सिद्ध के भेस में योगी का रूप धारण कर राजकुमार को अपने काबू में करे तथा बद्माश लोगों को पकड़व कर दंड दिलवाये ।

६ अधिकरण ।

मंडलयोनि, ।

६६ प्रकरण

प्रकृति के गुण ।

१ स्वामी, २ अमात्य' ३ जनपद, ४ दुर्ग, ५ कोश, ६ दंड तथा ७ मित्र यह प्रकृति [प्रभुत्व शक्ति] नाम से पुकारे जाते हैं ।

१. स्वामि के गुण । महाकुलीन [ऊँचे खांदान का], दैवबुद्धि (बहुत ही अधिक बुद्धिवाला), प्रभावशाली, दूरदर्शी, धार्मिक, सत्यवादी, एक बात कहने वाला, कृतज्ञ, उच्च उद्देश्यवाला (स्थूललक्ष), बड़ा उत्साही, शीघ्र काम करने वाला (अदीर्घ सूत्र), सामंतों को वश में रखने वाला, दृढ़ निष्ठ्य, योग्य योग्य मन्त्रियों से भरा दर्बार करनेवाला तथा शिक्षा का इच्छुक आदि स्वाभाविक गुण हैं । शुश्रूषा (जानने की इच्छा) अवण, प्रहण धारण (याद करना) विकान (पूर्णकृपसे समझ लेना), तर्क वितर्क, परिणाम पर पंहुंचना आदि बुद्ध के गुण हैं । शौर्य (शूरधीरत्व), अमर्ष (दृढ़ निष्ठ्य होना), शीघ्रता, चतुरता आदि उत्साह के गुण माने जाते हैं । प्रक्षा (बुद्धि), प्रगल्भ, स्मृति, मति (समझ), बल, संपूर्ण विद्याओं में चतुर्य, प्रभाव संयमी, कृतशिल्प, तकलीफ में

मार्ग निकालना, अदृष्ट का प्रतीकार करना, वशलेमें दंड तथा अनुग्रह करने में समर्थ, दीर्घदर्शी, देश काल से लाभ उठाना, पुरुषार्थ, कार्यप्रधान, संधि विग्रह तथा त्याग में समर्थ, संयमी, दूसरे के दोषों से लाभ उठाना, गुप्त चात को गुप्त रखतेहुए भी दूसरे की हँसी उड़ाना तथा अपनी तेजास्तिकाको न खोना, भौंऐं न चढ़ाना, काम क्रोध लोभ स्तम्भ चपलता उपताप [पैशाच्चाप] चुगली आदि से हीन, समर्थ, मुस्करा के बोलना, स्पष्ट बोलना, बड़े लोगों के द्वारा रीतिरिवाज को जानना आदि आत्मशक्ति के गुण समझे जाते हैं ।

२. अमात्य के गुणों पर पहिले बीच में तथा आगे प्रकाश डाला जा चुका है ।

३. जनपद विस्तृत स्थानवान्, स्वावलंबी, विपत्ति में दूसरों को सहायता देने में समर्थ, सुरक्षित, उत्पादक [आजीन], शत्रुघ्नी, शक्यसामन्त (जिसका सामंत या जर्मीदार शक्षिक्षाली हो), कीचड़ पथर ऊसर ऊंची नीची जमीन कांटे शेर मृग तथा जंगल से रहित, खूबसूरत, खेती खान लकड़ी तथा हाथी के जंगलोंसे युक्त, गोप्रधान, पुरुषप्रधान, जिसकी गोचरभूमि सुरक्षित हो, पशुयुक्त, नहर ताढ़ाव या कुंथे के पानीसे सर्वांचाजाने वाला, जलीय तथा स्थलीय मार्ग से युक्त, सार, चित्र तथा नानाविध परयों से युक्त, दंड तथा करदेने में समर्थ, जिसमें मेहनती किसान हो तथा स्वामी मूर्ख न हों, नीच जातके लोग जादा हों तथा मनुष्य धर्मिष्ठ तथा राजभक्त हों—यह सब जनपद के गुण हैं ।

४. दुर्ग । दुर्ग के गुणों पर पूर्वमें प्रकाश डाला जा चुका है ।

५. कोश । कोश या खजाना वही उत्तम है जिसमें पूर्वजों का या अपना धर्म से कमाया सोना हो तथा बड़े बड़े नानाप्रकार के हीरे हों और जो कि बड़ी बड़ी विपत्ति को सुगमता से सहसके ।

६. दंड । उत्तम सैनिक वही हैं जो कि पितृ पितामह के समय से चले आये हों, स्थिर रूप से नौकर हों, स्वामि की आङ्गा के

अनुसार चलते हों, जिसके लड़के तथा रुधि संतुष्ट हों, बाहर रहते हुए भी एक लद्दाश रहते हों, जहां कहें वहां जाने के लिये तैयार हों, दुःख सहने के लिये तैयार हों, बहुत से युद्ध लड़ चुके हों, लड़ाई के सबके सब हथियार चला सकते हों, राजा की समृद्धि तथा हास में भूग लेने वाले हों, उसकी गलितयों में गलती न करने वाले हों तथा जिनमें क्षत्रियों की संख्या अधिक हो।

७. मित्र । दोस्त भी वही अच्छे हैं जो कि पितृ पितामह के समय से दोस्त हों, स्थिर स्वभाव के हों, वश में रहते हों, तथा आसानी से ही लड़ाई के लिये भारी तैयारी कर सकते हों। दुश्मन वही अच्छे हैं जिनके अपने राज्य में अराजकता हो, दर्बार भी बहुत बड़ा न हो, लोग असंतुष्ट हों, अन्याय करते हों, व्यसनों में फंसे हों, निरुत्साही तथा भाग्य पर भरोसा रखते हों, वे समझे बूझे काम करते हों, और जो कि निस्सहाय नपुंसक तथा हानिकर हों। ऐसे दुश्मन क्षण में ही आसानी के साथ नष्ट किये जा सकते हैं।

शत्रु को छोड़कर गुण युक्त उपरिलिखित सातों प्रकृतियां राजा के अंग के तुल्य हैं। जो राजा इन्द्रियों को वश में रखने के कारण बुद्धिमान् तथा आत्मवान् (समर्थ) होता है वह दरिद्र से दरिद्र तथा असंपन्न (असमर्थ या असमृद्ध) प्रकृति को समृद्ध तथा संपन्न बना देता है। इससे विपरीत अनात्मवान् तथा असंयमी राजा समृद्ध तथा अनुरक्ष प्रकृति को भी नष्ट कर देता है। चारों दिशाओं का स्वामी होकर भी दुष्प्रकृति तथा अनात्मवान् राजा शत्रुओं के पंजे में फंस जाता है या प्रकृतियां स्वयं ही उसका नाश कर देती हैं। छोटी से छोटी भूमि का भी आत्मवान् तथा नीतिनिपुण राजा प्रकृति रूपी संपत्ति से युक्त हो संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी हो जाता है और कभी भी हास को नहीं प्राप्त करता।



५६३ प्रकरण ।

शान्ति तथा उद्योग ।

प्रजा की समृद्धि शान्ति तथा उद्योग पर निर्भर है। शुरु किये हुए कामों से फल प्राप्त करने के यत्न का नाम ही उद्योग [व्यायाम] है। उत्पन्न फल के उपभोग में विद्वाँ के न होने का नाम ही शान्ति [शम] है। राजा की छः प्रकार की नीति से शान्ति तथा उद्योग बढ़ता है। ~~ज्ञय स्थान~~ तथा वृद्धि यह तीन ही क्रम हैं। इन के मनुष्य सम्बन्धी १ नय २ तथा अपनय और दैव संबन्धी ३ अथ ४ तथा अनय यह चार कारण हैं। दैवी तथा मानुष काम सांसारिक व्यवहार के हेतु हैं। दैवी से तात्पर्य अदृष्ट फल और मानुष से तात्पर्य दृष्ट फल से है। यदि वह अदृष्ट फल है तो उस को अथ कहेते हैं। इसी प्रकार समृद्धि को बढ़ाने वाले मानुष काम को नय नाम दिया जाता है। इस से विपरीत को अनय तथा अपनय समझना चाहिये। मानुष काम सोचे आसकते हैं परन्तु दैवी कामों में यह बात नहीं है।

विजिगीषु [जीतने की इच्छा वाला। जीतने में समर्थ] राजा वही है जो कि गुणी शक्तिसम्पन्न तथा प्रभुत्वशक्ति से युक्त हो। उसके चारों ओर कुछ २ दूरी पर जो राजा हों उनको अरिप्रिकृति [दुश्मन] समझना चाहिये। इसी प्रकार पड़ोस में रहने वाले राजा मित्र प्रकृति [दोस्त] भी होते हैं। शत्रु के गुणों से युक्त यदि कोई सामंत है तो उसको शत्रु ही मानना चाहिये। यदि यह व्यसनों में लीन हो तो उस पर चढ़ाई कर देनी चाहिये। यदि वह दुर्बल तथा सहायता से रहित हो तो उसको नष्ट करदेना चाहिये। इससे विपरीत दशा में उसको तकलीफ देना चाहिये तथा उस से धन निचोड़ना चाहिये। यह तो हुए शत्रुओं के भेद। शब मित्रों के विषय में प्रकाश डाला जायगा।

विजिगीषु के सामने मित्र, अरि-मित्र (दुश्मन का दोस्त), मित्र-मित्र (विजिगीषु के मित्र का मित्र) तथा अरिमित्र-मित्र

(दुश्मन के मित्र का मित्र) प्रायः होते हैं। विजिगीषु के पीछे पार्षिणग्राह (पीठ पर का दुश्मन) आक्रन्द (पीठ पर का दोस्त) पार्षिणग्राहासार (पार्षिणग्राह का मित्र) तथा आक्रन्दासार (आक्रन्द का दोस्त) होते हैं। विजिगीषु की सीमा के साथ सेटे, समान कुल वाले, तथा स्वभाव से ही दुश्मन राजा को सहज और जो दूसरों को उसके विरुद्ध भड़काता हो तथा विरुद्ध हो उसको कृत्रिम कहते हैं। इसी प्रकार उसकी सीमा से जुड़े, रिश्तेदार तथा स्वभाव से ही मित्र राजा को सहज तथा जो धन जीवन के हेतु से मित्र बनाया हो उसको कृत्रिम समझना चाहिये। शान्ति तथा युद्ध के समय में निग्रह (रोकना) तथा अनुग्रह में समर्थ, और तथा विजिगीषु के मध्य में स्थित राजा को मध्यम और जो शक्तिशाली, निग्रह तथा अनुग्रह से समर्थ, तथा दूर के राष्ट्र का राजा हो उसको उदासीन कहते हैं। विजिगीषु, मित्र, मित्र-मित्र यह तीनों प्रकृतियां (शक्तियां) अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड तथा प्रकृति (प्रजा) के साथ मिलकर १८ प्रकृतियों का एक संघ बनाती है जिसको मंडल नाम से पुकारते हैं। और, मध्यम तथा उदासीनों के मंडलों का कम भी इसी प्रकार है। संक्षेप से मंडल चार, राजा की प्रकृतियां बारह और द्रव्य प्रकृतियां (प्रभुत्व शक्ति) साठ और इनका कुलयोग बहतर होता है। इनके शक्ति तथा सिद्धि दो भेद हैं। शक्ति से तात्पर्य सुख का और सिद्धि से तात्पर्य सुख का है। शक्ति—मंत्रशक्ति, प्रभुशक्ति तथा उत्साह शक्ति के भेद से तीन प्रकार की है। ज्ञान बल का नाम मंत्र शक्ति, कोश तथा सेना के बल का नाम प्रभु शक्ति, और चढ़ाई तथा युद्ध करने की शक्ति का नाम उत्साह शक्ति है। इसी प्रकार सिद्धि—मंत्र सिद्धि, प्रभु सिद्धि तथा उत्साहसिद्धि के भेद से तीन प्रकार की है। मन्त्र शक्ति से सिद्ध होने वाले, मंत्रसिद्धि, प्रभुशक्ति से

सिद्ध होने वाली प्रथम सिद्धि तथा उत्साह शक्ति से सिद्ध होने वाली उत्साह सिद्धि है। इन शक्तियों से युक्त राजा शक्तिशाली होता है। जिसके पास यह शक्तियां न हों वह कमज़ोर होता है। जिसके पास कुछ शक्तियां हों और कुछ न हों उसको समानशक्ति [सम] समझा जाता है। इसलिये राजा को चाहिये कि वह शक्ति तथा सिद्धि प्राप्त करने का पूर्णरूप से उद्योग करे। यदि किसी कारण से उसकी प्रभुत्वशक्ति (द्रव्यप्रकृति) साधारण है तो वह अपने गुणों से या अपने दुश्मनों के दुश्मनों तथा विरोधियों से दोस्ती करले। यदि वह यह समझे कि—मेरा दुश्मन शक्तियुक्त होते हुए भी समयान्तर में कठोर बात, पारुष्य दंड, अर्थदूषण (रुपया आदि प्रजा से जबरन लेना) आदिकों से अपनी शक्ति खो बैठेगा, सिद्धियुक्त होता हुआ भी शिकार जुआ शराब तथा स्त्री के फेर में पड़कर प्रमाद करने लगेगा, प्रभुत्वशक्ति से हीन या प्रमत्त होने के बाद उसका जीतना सुगम हो जायगा, उसके मित्र के दुर्ग यदि उसके पास न रहें तो संपूर्ण सेना के होते हुए भी वह जीता जा सकेगा, ‘अमुक बलवान् राजा दूसरे शत्रु के साथ लड़रहा है’ यदि उसको सहायता दी जाय तो जीतने के बाद वह मेरी भी सहायता करेगा, आगे चलकर मुझ को मध्यम राजा होने का मौका मिलेगा—तो वह शत्रु की शक्ति तथा सिद्धि को बढ़ाने दे।

अपने मित्र के राष्ट्र के चारों ओर मित्र राष्ट्रों की संरक्षा बढ़ावे और उनका अपने आप हो नेता या केन्द्र बतावे। नेता या मित्र के बीच में पड़ा शत्रु नष्ट कर देना चाहिये या उसको शक्तिरहित कर देना चाहिये नहीं तो समयान्तर में वह शक्तिशाली हो सकता है।

७ अधिकरण ।

षाढ़गुण्य ।

१८ तथा १९ प्रकरण ।

षाढ़गुण्य का उद्देश तथा ज्ञय, स्थान तथा वृद्धि ।

प्रकृति मंडल [राष्ट्र-संघ] पर ही षाढ़गुण्य निर्भर है । पुराने आचार्य १ संधि २ विग्रह ३ आसन ४ यान ५ संश्रय तथा ६ द्वैधी भाव को ही षाढ़गुण्य [६. प्रकार की राजनीति] मानते हैं । वातव्याधि संधि तथा विग्रह को ही मुख्य समझते हैं और शेष बातों को इन्हीं के अर्थात् करते हैं । कौटिल्य अघस्थामेद से षाढ़गुण्य ही मानता है । इनमें—शर्तों के साथ शान्ति संधि, हानिकारक उपायों को प्रत्यक्ष रूप से करना विग्रह, उपेक्षा करना आसन, चढ़ाई करना यान, दूसरे का सहारा लेना संश्रय तथा एक से लड़ना और दूसरे के साथ संधि करना द्वैधीभाव कहाता है । यदि शत्रु से कमज़ोर हो तो संधि करे, लड़ाई के लिये तैयार हो तो विग्रह करे, एक दूसरे को हानि पहुंचाने में असमर्थ हो तो उदासीन रहे [आसन धारण के], यदि समर्थ अधिक हो तो चढ़ाई [यान] करे, यदि कमज़ोर हो तो सहारा [संश्रय] ले और यदि सहायता से साध्य हो तो द्वैधीभाव [दुतरफी चाल] को धारण करे । इसी को छुः प्रकार की नीति कहते हैं ।

I. इन नीतियों में से बुद्धिमान् राजा उसी का सहारा लेता है जिससे वह—दुर्ग, सेतुकर्म वणिकपथ [व्यापारीय मार्ग] शत्र्य निवेशन [उपनिवेश वसाना], खान, जंगल, हस्तिवन (हाथी का जंगल) तथा अन्य वस्तुएं प्राप्त करने की तथा नये काम शुरू करने की आगा रखता हो या शत्रु के इन्हीं कामों तथा चीज़ों को नष्ट करना चाहता हो । इस प्रकार अपनी बढ़ती को सामने

रखकर अवलंबन की गई नीति को वृद्धि कहा जाता है। जो समझे कि मेरी वृद्धि शोध होने वाली या होरही है और शत्रु का मामला इससे विपरीत है वह शत्रु की वृद्धि की उपेक्षा करे। यदि अपनी तथा शत्रु की वृद्धि समझालीन तथा एक सदृश समझे तो संघि करले।

II. जिस नीति के अवलंबन करने से राजा को स्वयं नुकसान पहुँचे और शत्रु के साथ वह बात न हो, उस नीति को राजा छोड़ दे। इसी को चय कहते हैं। जो यह समझे कि समय के गुजरने के साथ उसका नुकसान घटता जायगा और शत्रु का बढ़ता जायगा वह चय की उपेक्षा करे। यदि अपनी तथा शत्रु की हानि सम-कालीन तथा एक सदृश समझे तो संघि करले।

III. यदि किसी नीति के अवलंबन करने में राजा वृद्धि या क्षय न देखे तो उसी पर स्थिर रहे। इसी को स्थान कहते हैं। जो यह समझे कि समय के गुजरने के साथ साथ मेरी वृद्धि होती जायगी और शत्रु की हानि, वह स्थान या स्थिर रहने की नीति की उपेक्षा करे। यदि वह अपनी तथा शत्रु की स्थिति [स्थान] एक सदृश समझे तो संघि करले। कौटुम्ब कहता है कि इस के सिवाय और दूसरा उपाय ही क्या है?

यदि वह यह देखे कि—मैं अत्यंत आविक उत्तादक कामों को करके शत्रु के कामों को नष्ट करदूँगा—अगले या पराये उत्तादक कामों का फल पाऊंगा—धातक प्रयोगों को करने वाले गुपचरों से शत्रु के कामों को बिगाड़ दूँगा—अनुग्रह तथा परिहार (राजप कर से मुक्त) सम्बन्धों सुन्दर देहर या अधेक लाभ युक कामों को प्रारम्भ कर शत्रु के देश के मेहनती मजदूरों तथा आदमियों को अपनी ओर खींच लूँगा—मेरा शत्रु अतिशयवली राजा के साथ मिल कर अपेन काम को नुकतान पहुँचा लेगा—जिसके साथ लड़कर यह सुभ से संघि कर रहा है उस के साथ इसकी लड़ाई बहुत ही अधिक बढ़वादूँगा—मेरे साथ इसकी संघि होते ही मेरे दुश्मन इस के जनपद को उजाड़ देंगे—शत्रु से तंग कर इस के

जनपद के लोग मेरे यहां आजायेंगे—मेरे कामों की वृद्धि होगी—तकलीफ में पड़ने तथा काम बिगड़ने पर शत्रु मेरे रास्ते में कांटे न बोयेगा—दूसरे से मिलकर काम शुरू करने के बाद मेरे काम उभरत हो जायेंगे—शत्रुओं से सन्धि कर शत्रु से घिरे मंडल को छिपा भिजा कर दूंगा तथा ग्रक एक कर उनको जीत लूंगा—सेना से शत्रु को सहायता देकर मंडल प्राप्त करने के लिये उसको उत्साहित करूंगा और इसप्रकार उसको मंडल से लड़ाकू तथा पल में मारडालंगा—तो सन्धि से अपनी वृद्धि देखकर संधि करके बैठ जाय ।

यदि वह देखे कि—मेरे जनपद में श्रेणी में संगठित लोगों की बहुसंख्या है या फौजी लोग ही विशेष रूप से रहते हैं—पर्वत वन नदी सम्बन्धी दुर्गों से मेरे जनपद के संपूर्ण भाग सुरक्षित हैं—मैं अकेला ही शत्रु के आक्रमण को संभाल सकता हूं—राष्ट्र की सीमा पर बने हुए अविजेय दुर्ग में रहकर मैं दूसरे के कामों को नष्ट कर सकता हूं—व्यसन तथा पीड़ा से उत्साह रहित होकर शत्रु का काम शीघ्र ही बिगड़ जायगा या—दूसरे के साथ लड़ाई में फंसते ही शत्रु के जनपद निवासियों को भगा लूंगा—तो युद्ध उद्घोषित करके अपनी वृद्धि को करे ।

यदि यह समझे कि—शत्रु मेरे काम को बिगड़ने में असमर्थ है। न मैं ही उसके काम को बिगड़ सकता हूं—कुचे सुअर की लड़ाई की तरह इसकी विपत्ति है—आरना काम करते रहने से शान्ति अधिक बढ़ जायगी—तो आसन (उदासीनता) के द्वारा अपनी वृद्धि करे ।

यदि यह समझे कि—शत्रु का काम चढ़ाई करने पर ही बिगड़ सकता है। मैंने अपने कामों की रक्षा पूर्ण रूप से कर ली है—तो यान (चढ़ाई करना) के द्वारा अपनी वृद्धि करे ।

यदि यह समझे कि—मैं शत्रु के काम को नहीं बिगड़ सकता हूं या अपने काम को नहीं बचा सकता हूं—तो बलवान् राजा का आश्रय लेकर अपने काम को ज्य [हास] से स्थिर और स्थिर हो जाने के बाद बढ़ावे ।

यदि वह देखे कि--एक ओर संविधि करके अपने कामों को करूँगा और दूसरी ओर युद्ध करके दूसरे के कामों को नष्ट करूँगा—तो द्वैधीभाव [दोहरी चाल] के द्वारा अपनी वृद्धि करे।

इस प्रकार प्रकृतियों के मंडल में स्थित होकर राजा षाढ़-गुण्य [छः प्रकार की राजनीति] से अपने कामों को नष्ट होने से बचाकर स्थिर होजाने के बाद बढ़ावे।

१०० प्रकरण ।

संश्रयवृत्ति । *

यदि विजिगीषुं सन्धि तथा विग्रह से एक सदृश लाभ देखे तो संधि को ही करे। विग्रह में क्य व्यय प्रवास तथा विम्ब आदि उपस्थित हो जाते हैं। आसन तथा यान में आसन ही उत्तम है। द्वैधीभाव तथा संश्रय में द्वैधीभाव का अवलंबन करे। द्वैधीभाव में इच्छानुसार काम हो सकने से अपना ही लाभ रहता है। संश्रय में अपने स्थान में दूसरे का ही उपकार होता है। पड़ोसी जितनी ताकत का हो उससे अधिक ताकत बाले उसके शत्रु का सहारा ले यदि ऐसा शत्रु पड़ोस में नहो तो शत्रु के पड़ोन में रहने वाले तथा उसके समान शक्ति वाले किसी दूसरी राजा का कोश दंड [सैन्य] भूमि आदियों में से किसी एक चीज से उपकार कर चुप्पे चुप्पे आश्रय ग्रहण करे। (दुर्बल राजाओं के लिये) विशिष्ट बल वाले राजा के साथ मैत्री करने से बढ़कर और कोई भयंकर बात नहीं है बश्तेर्ते कि वह किसी शत्रु के हाथमें न पड़ने वाले हों। शक्तिहीन राजा प्रबल राजा के साथ विजयी के सदृश व्यवहार रखे। जब वह उसको किसी ऐसी विपत्ति में पड़ा हुआ समझे जिसमें उसके जान जाने का खतरा हो या उसको बीमारी ने आघेरा हो या गदर की संभावना हो या शत्रु प्रबल होगया हो या मित्र पर विपत्ति पड़ी हो और इससे अपना लाभ देखना हो तो बीमारी धर्म काम आदिका

* संश्रय-वृत्ति का तात्पर्य आश्रय ग्रहण विषयक नीति में वृत्ति से है।

बहाना बना कर उसके दरबार को छोड़ दे और यदि अपने देश में ही तो इधर उधर न जाय । उसके पास रहते हुए उसकी कमज़ोरियों से लाभ उठावे । दो बलवान् राजाओं के बीच में पड़कर उसी का आश्रय ले जो कि उस को बचाने में समर्थ हो या जिस पर वह विश्वास कर सकता हो या दोनों से समानरूप में भेल जोल रखें । दोनों को यह कहकर भड़कावे कि अमुक का धन फजूल ही खर्च किया है । मौका पड़ने पर दोनों को आपस में फाड़दे और इसके बाद चुप्पे से मरवांद । दो बलवान् राजाओं के पास होनेपर उनहीं के सहारे पड़ोसी दुश्मन से अपने आप को बचावे । यदि पास किला हो तो द्वैधीभाव की नीति से काम ले । संधि विग्रह [आक्रमण] विषयक उपायों से क्रमशः यत्न करे । बागियों दुश्मनों तथा जांगलियों में किसी ऐसे से दोस्ती कर ले । धीरे धीरे दोनोंमें से एक का विशेषरूप से दोस्त बने और विगति पड़ते ही दूसरे को खत्म करदें । या दोनों के साथ दोस्ती बनाये हुए मंडल, मध्यम या उदासीन का आश्रय ग्रहण करे । उन में भी एक से मिल कर दूसर को या दोनों को ही नष्ट कर दे । यदि दोनों ही मिल कर उस पर आक्रमण करें तो किसी ऐसे राजा का आश्रय ले जो कि मध्यम या उदासीन हो या इनके पक्ष वालों में जो न्यायबुद्धि हो । यदि इनमें से दो राजा एक सदृश मालूम पड़ें तो उसका आश्रय ग्रहण करें जिसकी प्रकृति इस को सुख देने के लिये तैयार हो या जहाँ पर रहता हुआ अपना उद्धार करना सुगम समझे या जिन के साथ बापदादों का धनिष्ठ सम्बन्ध हो या जहाँ पर बहुत से शक्तिशाली मित्रों के मिलने की संभावना हो ।

आश्रयसम्बन्धी नीति में मुख्य बात यही है कि दो राजाओं में जो अपना हितैशी हो और अपने को प्रिय मालूम पड़ता हो उसी का आश्रय ग्रहण करे ।

१०१-१०२-प्रकरण।

सम हीन तथा ज्याय के गुण और हीनकी संधि।

—६८—

विजिगीषु शक्ति के अनुसार पाइगुण्य का प्रयोग करे। सम तथा ज्याय [अपने से प्रबल] से संधिकरे। हीन से विग्रह (युद्ध) करे। ज्याय से विग्रह पैरों खड़े होकर हाथीपर चढ़ेहुए व्यक्ति के साथ युद्ध करने के तुल्य है। सम (समान शक्ति वाला) का सम से विग्रह कच्चे वर्तन के कच्चे वर्तन से टकराने की तहर दोनों को ही नष्ट करता है। घड़ेपर पत्थर मारनेकी तरह विजिगीषु हीन से लड़कर सफलता प्राप्त करता है। यदि आप संधि न चाहेतो उससे युद्ध के लिये तैयार हो या शक्तिहीन के लिये जो बात उपयोगी हो उसको काम में लावे। यदि सम संधि न चाहेतो वह जितना अपकार करे उतना ही उसका अपकार करे। तेजही संधि का कारण है। लोहा तपे बिना लोहे से नहीं जुड़ता। यदि हीन नम्रहों तो उससे संधि करे। क्यों कि अकारण कष्ट देने से यदि वह भड़क उठा तो जांगलिक आग की तरह बुझाये न बुझेगा। मंडलभी उसीपर अनुग्रह करेगा। यदि यह देखे कि दूसरेकी प्रकृति लोभी क्षीण तथा असदाचारी हैं और बुलालेने के भयसे मेरी ओर नहीं आतीं तो हीन होकर भी संधिका ख्याल न करे और युद्ध उद्घोषित करदे। यदि यह देखे कि शत्रुकी प्रकृति लोभी क्षीण तथा असदाचारी होतेहुए भी युद्ध से उद्धिग्न हुई हुई मेरी ओर नहीं आरही हैं तो युद्ध करता हुआ भी ज्यायान युद्धको बन्द करदे और उनकी उद्धिगता को शांत करे।

एक सहश विपत्ति पड़नेपर यदि विजिगीषु यह समझे कि मेरी विपत्ति भारी और शत्रुकी विपत्ति हल्की है और शत्रु अपनी विपत्ति को दूरकर मेरे साथ युद्ध करने में समर्थ होजावेगा तो ज्याय होकर भी संधि करले। यदि संधि या विग्रह दोनों से ही शत्रुका हास और अपनी वृद्धि न देखे तो ज्याय होकर भी उदासीन बन-जाय। मध्य के व्यसन को यदि भयंकर समझे तो हीन होकर भी

युद्ध करे । यदि विपत्ति अप्रतिकार्य हो तो ज्याय भी दूसरे का सहारा लेले । यदि एक और संधि से और दूसरीओर विग्रह से कार्यसिद्धि देखे तो आप द्वैघोभाव [दुतरफी चाल] की नीतिका अवलंबन करे । दूसी प्रकार सम घाहगुण्य का प्रयोग करे । उसमें विशेषता यह हैः—

यदि हीनपर शक्तिशाली राजाओं का गुट्ट एक साथ आक्रमण करे तो हीन (अवल) कोश दंड [सैन्य] तथा निजदेश आदि देकर शीघ्रही संधि करे । यदि संधि में गिनीहुई सेना या चुने चुने हुए वीर पुरुष के साथ हीन राजा के उपस्थित होनेकी शर्त हो तो उसको आत्माभिसंधि—यदि सेनापति तथा राजकुमार के साथ उपस्थित होने की बात हो तो उसको पुरुषांतरसंधि—यदि मुख्य २ सेना पतियों से अपनी रक्षा करतेहुए सेना के साथ किसी दूसरे व्यक्ति या दीन राजा के किसी स्थान पर उपस्थित होने का मामला हो तो उसको अदृष्ट पुरुषसंधि—कहते हैं । उपरिलिखित दोनों संधियों में किसी एक मुखिया तथा स्त्री को बंधुआ करके भेजे और उनके द्वारा गुपरुप से अपना काम सिद्ध करवाये । जिसमें कोश के देने से प्रकृति का मोक्ष हो उसको परिक्रयसंधि जिसमें कंधे पर लदवाकर धन भेजाजाय और जो कि अनेक विधि हो उसको स्कन्धोपनेय संधि—जिसमें देश काल के विरुद्ध जुटाना मांगजाय या स्त्री को बंधुआ रखते से भविष्य में दिये जाने वाले धन से छुटकारा मिल जाय उसको उपग्रहसंधि—जिसमें पारिस्परिक विश्वास तथा एकता मुख्य हो उसको सुर्वण संधि—जिसमें यह नहो उसको कपाल संधि—कहते हैं । इनमें से पहिले दोमें जांगलिक द्रव्य, हाथी तथा लगाम के साथ घोड़ा—तीसरे में काम न होने का बहाना और चौथे में चुप कर बैठ जाना ही ठीक है । कोशदान संबंधी संनिधियों में इन्हीं उपायों को काम में लाना चाहिये । जो गुपतरों चौरों तथा घातकों से देश की रक्षा करना चाहे वह भूमि का एक प्रेश देकर

आदिष्टसंधि—जो शत्रु को कष्ट में कैकना चाहता हो वह राजाधानी को छोड़ कर उपयोगी भूमि के नाश करने की शर्तपर उच्चिन्नसंधि—जो भूमि की उपज देकर बचना चाहे वह अपक्रयसंधि—जो भूमि की उपज से अधिक देकर अपनी मुक्ति देखे वह परिभूषण संधि का अवलंबन करे। देश दानविषयक संधियों में से पहिली ही ठीक है। फल तथा उपज देने के साथ से वह संबद्ध संधियां हारी हालत में ही करे। कार्य देश तथा काल को देख कर हीन राजा बलवान् राजा के साथ उपरिलिखित संधियां करे।

१०३-७ प्रकरण ।

आसन तथा प्रयान ।

[क]

आसन

संधि तथा विग्रह के सम्बन्ध में आसन तथा यान की नीति पर प्रकाश डाला जानुका है। स्थान, आसन तथा उपेक्षण यह आसन (शान्त रहना) के ही भिन्न भिन्न पर्याय हैं। इनमें विशेषता यह है कि—एक विशेष प्रकार की नीति के कारण शान्त रहना स्थान, अपनी उन्नति तथा शक्ति बढ़ाने के लिये चुप्प बैठना आसन, तथा लड़ाई से हट जाना या लड़ते हुए भी कुछ न करना उपेक्षण कहाता है। एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में अशक्त तथा संधि के इच्छुक विजिगीषुओं का लड़ाई करके या सांघर करके चुप्प बैठने को भी आसन कहते हैं।

यदि वह यह देखे कि—अपनी तथा जांगलिक मित्र की सेना के तैयार हो जाने के बाद सम (समान शक्ति वाला राजा) तथा ज्याय (अपने से अधिक शक्ति वाला राजा) को पराजित कर सकूँगा तो अन्दर तथा बाहर से तैयारी करके वह युद्ध उद्घोषित करे और इसके बाद चुप्प बैठ जाय।

यदि वह यह देखे कि—(कुछ ही समय के बाद) मेरी प्रकृतियां उत्साहयुक्त तथा संगठित हों जायंगी और इष्ट कामों को बेरोक टोक कर सकेंगी या शत्रु के कामों को विगड़ सकेंगी तो युद्ध उद्घोषित करके चुप्प बैठ जाय ।

यदि वह यह देखे कि—क्षीण, लुब्ध, पारस्परिक कलह, चोर जांगलिकों से पीड़ित और अत्याचार से दुःखित शत्रु की प्रकृतियां मेरे उपजाप (षड्यंत्र आदि रचना) से या अपने आप ही मेरी और आजायंगी या—मेरी कृषि तथा वार्ता (कृषि पशु पालन तथा वाणिज्य) समृद्ध हो जायंगी तथा शत्रु की नष्ट हो जायंगी या—दुर्भिक्ष से तंग आकर शत्रु की प्रकृतियां मेरे पक्ष में आजायंगी या—मेरी वार्ता क्षीण हो जायंगी तथा शत्रु की समृद्ध हो जायंगी । या मेरी प्रकृतियां शत्रु के पास चली जायंगी—या युद्ध करके शत्रु के धान्य पशु हिरण्य आदिकों को ग्रहण कर सकूंगा । या—अपने परयों (बाजारी माल) को नुकसान पहुंचाने वाले शत्रु के परयों को बाजार में न आने दूंगा । या—शत्रु के व्यापारीय मार्ग से सार द्रव्य मेरे पास आने वाले हैं । या—युद्ध उद्घोषित करने से शत्रु अपने द्रोहियों दुश्मनों तथा जांगलिकों को वश में न करसकेगा या उनके साथ युद्ध करने के लिये बाधित हो जायगा । या—मेरा मित्रें कुछ ही समय में चिना किसी प्रकार के नुकसान के इतना धन एकत्रित कर लेगा कि उसकी दुर्वलता तथा दरिद्रता दूर हो जायंगी और वह पूरी तैयारी के साथ उपजाऊ भूमि प्राप्त करने के लिये, युद्ध उद्घोषित करने से ही मेरा साथ देगा—तो शत्रु की वृद्धि को रोकने तथा अपनी शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से युद्ध उद्घोषित कर शान्ति के साथ बैठ जाय । पुराने आचार्यों का विचार है कि इस ढंग की युद्ध उद्घोषणा से अपना ही नुकसान होता है । परन्तु कौटिल्य का विचार है कि उपरिलिखित नीति का मुख्य उद्देश्य कष्ट में न पड़े हुए शत्रु को क्षीण करना है । अपनी शक्ति के बढ़ते ही शत्रु शीघ्र ही नष्ट किया जासकता है ।

[स]

प्रयात ।

युद्ध उद्घोषित करने वाद चुप्प बैठने पर प्रायः यातव्य (जिस पर चढ़ाई करना हो) अपने नाश के भय से उसको सहायता पहुंचाने लगते हैं। इसलिये पूरी तैयारी करने के बाद ही इस नीति का अवलंबन करे। यदि इस नीति से उल्टा फल निकलता दिखाई पड़े तो संघि करके चुप्प बैठ जाय। पुरानी सोची हुई शक्ति के प्राप्त होते ही या युद्ध उद्घोषित करने के बाद चुप्प बैठने से शक्ति प्राप्त करते ही असंभव (जो कि तैयार न हो) शब्द पर चढ़ाई करदे। या—

यदि वह यह देखे कि—शत्रु कष्ट में पड़ा है। उसकी प्रकृतियों के कष्ट अनिवार्य हैं। या—उसकी प्रकृतियां घरेलू भगवाँ से तंग हैं तथा उससे विरक्त हैं। या—उनमें उत्साह तथा आपस में एकता नहीं है। वह शक्ति तथा समृद्धि से रहित है। उनको लालब दिया जासकता है। या—शत्रु आग, पानी, बीमारी, संक्रामक रोग तथा दुर्भिक्ष से तंग है, उसके योग्य २ पुरुष घट रहे हैं और उसकी संरक्षण संबंधी शक्ति दिन पर दिन कीण होरही है तो युद्ध उद्घोषित करके चढ़ाई करदे। या—

यदि वह यह देखे कि—मेरा मित्र तथा आकंद (साथी) शरवीर तथा अनुरक्तप्रकृति (जिसकी प्रकृति उससे प्रेम रखती हो) है और शत्रु की दशा इससे उल्टी है—गर्णिंग्राह (पीठ पीछे का दुश्मन) शक्तिहीन है और मैं आकंद तथा मित्र के सहारे शक्तिहीन पार्णिंग्राह से युद्ध उद्घोषित करके चढ़ाई करदे। या—

यदि वह यह देखे कि विजय कुछ ही समय में अकेले ही प्राप्त की जासकती है तो पार्णिंग्राह से युद्ध उद्घोषित करके सामने के शत्रु पर चढ़ाई करदे। इससे विपरीत दशा में पार्णिंग्राह के साथ संघि करके चढ़ाई करे। या—

यदि वह यह देखे कि यातव्य पर चढ़ाई करना जरूरी है परंतु वह अकेले ही चढ़ाई करने में असमर्थ है तो वह सम, हीन तथा

ज्यायके साथ गुद्ध बनाकर चढ़ाई करे । यदि उद्देश्य स्थिर तथा निश्चित हो तो हिस्सा पहिले से ही तय कर लिया जाय । परन्तु जब यह बात न हो तो हिस्सा तय किये बिना ही चढ़ाई करदे । यदि गुद्ध का बनाना संभव न हो तो कुछ हिस्सा देने की प्रतिक्षा कर सेना मांगे यह आधा लाभ बांटने की शर्त करके किसी राजा को सहायता लेवे । [सारांश यह है कि] यदि विजय निश्चित हो तो हिस्सा शुरू से ही बांट लिया जाय और यदि विजय अनिश्चित हो तो हिस्सा शुरू से ही तय न किया जाय ।

सेना के अनुसार जो हिस्सा दिया जाय उसको साधारण और जो परिश्रम के अनुसार दिया जाय उसको उत्तम समझा जाता है । लाभ या प्रक्षेप [पूँजी या खर्च] के अनुसार ही उसका विभाग होना चाहिये ।

१०८-१० प्रकरण ।

युद्धविषयक विचार ।

यदि यातव्य तथा अमित्र एक सदृश सामन्त-व्यसन [सामंतों के कारण पैदाहुआ कष्ट] में लीन होतो पहिले किसपर चढ़ाई की जाय ? पहिले अमित्र और उसको वश में करने के बाद यातव्य से युद्ध उद्घोषित करे । अमित्र के मामले में यातव्य से साहाय्य मिलसकता है परन्तु यातव्यके मामले में अमित्र ऐसा कभीभी नहीं कर सकता । युद्ध के लिये गुरु व्यसन में पड़ा यातव्य ठांक है या लघुव्यसन में लीन अमित्र ? पुराने आचार्योंका मत है कि गुरु-व्यसन [भयंकर विपत्ति में पड़ा] को जीतना सुगम है । कौटिल्य इस विचार से सहमत नहीं है । वह लघुव्यसन (साधारण विपत्ति में पड़ा दुश्मन) में लिप्त आमत्य पर ही चढ़ाई करना उचित समझता है । क्यों कि देखने में जो विपत्ति हल्की है, चढ़ाई होने पर वही भारी बनजाती है । निस्सन्देह भयंकर विपत्ति इसी प्रकार भयंकर बन सकती है । परन्तु यातव्य पर चढ़ाई करते ही लघु-व्यसन [साधारण विपत्ति] को दूरकर अमित्र यातव्य को सहायता देसकता है । या पार्ष्णि [पृष्ठवर्ती राष्ट्र] पर आक्रमण करसकता है । यातव्यों में भी गुरु-

व्यसन में लीन न्यायी राजा या बघुव्यसन में लीन अन्यायी राजा या विरक्षप्रकृति वाला राजा उपयुक्त है ? विरक्ष प्रकृतिवाले राजा पर ही पहिले चढ़ाई की जाय । प्रकृति भारी से भारी विपक्ष में भी पड़ेहुए न्यायी राजा को संभाल लेंगी और यदि वह अन्यायी है तो विपक्ष के काम होने पर भी उसका साथ न देंगी । प्रकृति के विरक्ष होने से बलचान् से बलचान् राजा नष्ट होजाता है । इसलिये चढ़ाई के लिये ऐसाही राजा ठोक है । क्षीण तथा लुब्ध प्रकृति आक्रमण के लिये ठोक है या अपचारितप्रकृति [वह प्रकृति जोकि राजा के अत्याचार से तंग हो । ? पुराने आचार्य प्रथम के ही पक्ष में है । क्यों कि वह सुगमता से ही षड्यंत्र में समिलित की जासकती है तथा देश को पीड़ित करने के लिये उभाड़ी जासकती है । छितोय में यही बात नहीं है क्योंकि उनके मुख्य २ नेताओं को दंड देकर दबाया जासकता है । परन्तु कौटिल्य इसको उचित नहीं समझता । उसका विचार है कि क्षीण [दुर्बल दरिद्र] तथा लुब्ध प्रकृति (लोभी लालची) स्वामी में अनुरक्ष होकर स्वामी का साथ देसकती है । षट्यंत्र फोड़ सकती हैं । अनुराग में आकर वह सब कुछ करसकती है । इसलिये छितोय ही ठीक हैं । न्यायवृत्ति दुर्बल राजा तथा अन्यायवृत्ति प्रबल राजा में पहिले किस पर आक्रमण कियाजाय ? अन्यायवृत्ति वाले प्रबल राजा पर ही सबसे पहिले आक्रमण कियाजाय । क्यों कि उसका साथ प्रकृति न देंगी, या उसको वह मारने का यत्न करेंगी या वह अमित्र का शरण लेंगी परन्तु दुर्बल तथा न्याय वृत्ति वाले राजा का साथ, प्रकृति अन्ततक देंगी और उसके उठने गिरने के साथ ही उठेंगी तथा गिरेंगी ।

सज्जनोंका वैइज्जत करना—असज्जनों का आदर सत्कार करना—अस्वाभाविक हिंसा तथा अधर्म का प्रचलित करना—धर्म युक्त तथा उचित रीतिरिवाज की अवहेलना करना—धर्म को रोक कर अधर्म और कार्य को नष्ट कर अकार्य करना—देयों को न देना तथा अदेयों को देना—अपराधियों को दंड न देना तथा निरपराधों को दंड देना—अग्राह्य का ग्रहण करना तथा ग्राह्य का परित्याग करना—आवश्यक कार्य को विगाड़ना तथा अनर्थयुक्त काम

को करना—चोरों से रक्षा न करना तथा स्वयं प्रजा को लूटना—कामों में गुण दोष दिखा कर पुरुषार्थियों को नीचे गिराना, मुखियों को मारना तथा मान्य लोगों का अपमान करना—बृद्धों का विरोध करना—आदि बातों से तथा कुटिल चाल, भूठ, अकृतज्ञता, प्रारंभ किये हुए काम का न करना तथा योग क्षेत्र [कल्याण] संबंधी उपायों में आलस्य तथा प्रमाद करने से प्रकृति क्षीण लोभी तथा विरक्त हो-जाती है। क्षीण प्रकृति लोभ के वश में और लुब्ध प्रकृति विरागता [किसी के प्रति अनुराग न रहना] के घंडे में और विषय प्रकृति शत्रु की चाल में आजाती है या स्वयं स्वामी को मार डालती है। इस लिये प्रकृति के क्षय लोभ तथा विराग के कारणों को न उत्पन्न होने दें उत्पन्न होगे हों तो शीघ्रही उनका प्रतीकार करे। क्षीण, लुब्ध तथा विषय प्रकृति वाले राजाओं में सबसे पहिले किस पर आक्रमण किया जाय? क्षीण प्रकृतियां तकलीफ तथा नष्ट होने के भयसे शीघ्रही युद्ध का अन्त चाहती है। लुब्ध प्रकृतियां लोभ के कारण सदा ही असंतुष्ट रहती हैं और इसी लिये शत्रु के षड्यंत्रों में संमिलित हो जाती है। विरक्त प्रकृतियां शत्रु के आक्रमण को पसन्द करती हैं। प्रकृतियों के धान्य तथा हिरण्य के क्रमशः घटते जाने से या नष्ट हो जाने से राष्ट्रको बहुत ही नुकसान पंडुंचाता है। इसका उपाय भी सुगम नहीं है यदि राष्ट्र में योग्य पुरुषों की कमी हो जाय तो वह हिरण्य तथा धान्य के सहारे दूर की जासकती है। लोभ किसी किसी मुखिया में ही होता है और शत्रु की संपत्ति को लूटने की आशा देकर उसको शान्त किया जासकता है मुखियों को कुचल देने से विराग नष्ट हो जाता है। क्यों कि प्रकृतियां मुखियों के न रहने पर शान्ति से काम करने लगती हैं। और शत्रु उनको षड्यंत्र में संमिलित करने में अशक्त हो जाते हैं। नेताओं के पकड़ने से तथा आपस में फाड़ देने से ग्रायः वह सब प्रकार के कष्ट सहने के लिये तैयार हो जाती हैं और दुश्मनों से सुरक्षित हो जाती हैं।

संधि तथा विग्रह के कारणों पर गंभीर विचार करने के बाद शक्तियुक्त तथा विश्वासपात्र राजाओं के साथ गुद्ध बनावे और इसके बाद शत्रु पर आक्रमण करे। शक्तियुक्त राजा पार्ष्णि [पृष्ठ

बर्ती राजा] पर आक्रमण करते तथा चढ़ाई करने में सहायक होता है और विश्वासपात्र राजा आक्रमण के सफल न होने पर भी ज्यों का त्यों साथ बनारहता है । इनमें भी एक ज्याय, या दो सम राजाओं के साथ गुद्ध बनाकर आक्रमण करने में क्या ठीक है ? दो सम राजाओं के साथ गुद्ध बनाना ही ठीक है । क्योंकि ज्याय (आधिक शक्तिवाला राजा) प्रत्येक बात में अपनी ही बात रखेगा । सम दो राजाओं के गुद्ध में ताकत तो उतनी ही रहेगी और कोई भी ज्यादा अड़ न सकेगा । उनको सुगमता से ही फाड़ा जासकेगा । उनमें से यदि कोई दुष्टता करे तो उसको शीघ्र ही सीधे रास्तेपर चलाया जासकता है और दूसरे के साथ मिलकर उसको दंड दिया जासकता है । समान शक्ति वाले एक और कम शक्ति वाले दो राजाओं में किसके साथ मिलकर गुद्ध बनाया जाय ? कम शक्ति वाले दो राजाओं के साथ गुद्ध बनाना ही ठीक है । एकतो उनसे दो प्रकार के काम लिये जासकते हैं और दूसरा वह काबू में भी रहते हैं । कार्य के सिद्ध होने पर, हीन राजा शान्तिपूर्वक अपने देश को लौट जाता है ॥

अपने यहां से रवाना करने से पूर्व ही उत्तम कामकरने वाले दुष्टप्रकृति राजा के कार्यों का गूढ़ रूप से निरीक्षण करे और (कठिन समय में) यह जैसे आवश्यक स्थान से उठकर सहसा ही उसकी जांच पड़ताल करे या उसकी खो को अपने यहां जमानत के रूप में रखले । मित्रता तथा विश्वास होते हुए भी विजय प्राप्त करने वाले समानशक्ति राजा से भय रखें । क्योंकि विजय में सफल होकर सम भी ज्याय के साथ भी अपना व्यवहार बदल देते हैं । वृद्धि प्राप्त करने वाले मनुष्य पर विश्वास न करना चाहिये । क्योंकि चित्त को सब से अधिक विकृत करनेवाली चोज वृद्धि ही है । विजयी से न्यून अंश प्राप्त कर संतुष्ट हुआ हुआ अपने घर लौट आवे और यदि उसको कुछ भी अंश न मिले तौ भी चूं चां न करे । इसके बाद मौका पड़ने पर उसके सर पर चढ़ बैठे और अपने हिस्से का भी दुगुना ले लेवे । (उचेत तो यह है कि) विजयी विजय प्राप्त करते ही मित्र राजाओं को संतुष्ट कर वर

भवास्त के और लाभ तथा हिस्से के मामले में उनही को विजयी रखे । इस ढंग पर जो व्यवहार करता है वह राष्ट्र मंडल का प्रिय हो जाता है ।

१११—१२. प्रकरण ।

साथ मिलकर चढ़ाई तथा संधियाँ ।

विजिगीषु द्वितीय प्रकृति [पड़ोसी दुश्मन] को निष्पलिखित प्रकार नीचा दिखावे । एक साथ मिलकर चढ़ाई करने के बाद पड़ोसी सामंत को कहे कि “आप इस ओर चढ़ाई करिये और मैं उस ओर चढ़ाई करता हूँ । दोनों ओर एक सदृश लाभ है ।” यदि सचमुच लाभ हो तब तो संधि अन्यथा विक्रम (मन मुटाव, लड़ाई) होता है । संधि के I परिपणित तथा II अपरिपणित यह दो भेद हैं ।

I परिपणित संधि । (१) “आप इस देश पर चढ़ाई करिये और हम इस देश पर चढ़ाई करते हैं” इस ढंग की देश विषयक संधिको परिपणित देश संधि (२) “आप इतने समय तक लड़िये और मैं इतने तक लड़ूंगा” इस प्रकार की समय संबंधी संधिको परिपणित काल संधि और (३) “आप इतना काम करें और मैं इतना काम करूंगा” ऐसी कार्यविषयक संधि को परिपणितार्थी संधि के नाम से पुकारा जाता है । यदि वह समझे कि —चढ़ाई करते समय दूसरे को नदी पहाड़ जंगल किले तथा रोगेस्तान को पार करना पड़ेगा, रास्ते में खाना घास चारा लकड़ी पानो आदमी आदि कुछ भी न मिलेगा, इष्ट स्थान बहुत ही दूर है तथा अन्य स्थानों से सर्वथा भिन्न है तथा वहां छावनी बनाने का कोई भी स्थान नहीं परन्तु हमको चढ़ाई करते समय ऐसे

देशों तथा स्थानों में से न गुजरना पड़ेगा तो परिपणित देश संधि करले । यदि वह यह समझे कि—दूसरे को भयंकर गरमी, सरदी, बीमारी, आदि से युक्त देश में से गुजरना पड़ेगा जहां कि सैनिकों के लिये भोजनादि पर्याप्त राशि में न मिलेगा छावनी बनाने में रुकावट पड़ेगी कार्य सिद्ध करने में पर्याप्त समय लग जायगा, परन्तु हमको यह सब काल सम्बन्धी बाधायें न भेजनी पड़ेगी—इस प्रकार काल को सम्मुख रखकर परिपणितकाल संधि करले । या वह यह समझे कि—चढ़ाई करते समय दूसरे को तुच्छ काम, प्रकृति कोष, दीर्घ समय, भयंकर हानि, भयंकर खर्च, विष्व, निदनीय, अधर्म, उदासीनों के विरुद्ध तथा मित्र नाशक काम आदिकों का सामना करना पड़ेगा तथा मैं इन झेलों से बचा रहूँगा ता परिपणितार्थ संधि करले । इस प्रकार (४) देश काल (५) काल कार्य (६) देश कार्य तथा (७) देश काल कार्य, को सामने रखकर परिपणित संधि सात प्रकार की हो जाती है । अपने युद्धों के प्रारम्भ करने तथा समाप्त करने के बाद ही दूसरे के युद्धों के लिये तैयार हो ।

II. अपरिपणित संधि व्यसन, त्वरा [जल्द बाजी], आभेमान तथा आलस्य से युक्त किसी बेवकूफ राजा को यदि नीचा दिखाना हो तो देश काल कार्य विषयक कुछ भी बात न कर “हम तुम एक हैं” यह कहकर और उसको संधि के विश्वास में रखकर उसकी कमजोरियों को पता लगाले तथा मोका पड़ते ही उस पर आक्रमण करदे, इस हंग की संधि को अपरिपणित संधि कहते हैं । उसका नियम यह है कि “राजनीति में पंडित तथा चतुरं राजा एक सामंत से दूसरे सामंत को लड़ाके और इस प्रकार जो जोते उसकी भूमि को स्वयं छोन ले तथा चारों ओर से अपने पक्ष को प्रबल बनाये रखे” । संधि के—१ अकृत चिकित्सा २ कृतश्लेषण ३ कृतविदूषण तथा ४ अवशीर्ण किया यह चार और विक्रम (युद्ध) के १ प्रकाशयुद्ध २ कृष्णयुद्ध तथा ३ नृणीयुद्ध यह तीन भेद हैं ।

१. अकृत चिकीर्षा सामादि उपायों से नई संधि करना तथा उस में छोटे बड़े तथा समान राजाओं के अधिकारों का उचित रूप से ख्याल रखना अकृतचिकीर्षा अर्थात् नई संधि करना कहाता है ।

२. कृतश्लेषण । मित्र लोगों को बीच में डालकर जो संधि की जाय, जिसका प्रतिपालन आवश्यक हो, जिसकी लिखी शर्तें तथा वातें सुरक्षित रखी जायं और जिस के कारण पुनः लड़ाई मन मुटाव की संभावना हो उसको कृतश्लेषण अर्थात् आपस में दृढ़रूप से जोड़ने वाली कहा जाता है ।

३. कृतविदूषण । (बागियों तथा गुप्तचरों के द्वारा) शत्रु का संधि भंग करना सिद्ध करके संधि-तोड़ना कृतविदूषण अर्थात् ‘किये हुए को भंग करना’ कहाता है ।

४. अवशीर्णक्रिया भूत्य, मित्र या राज्यापराध के कारण बहिष्कृत व्यक्ति के साथ पुनः संधि करना अवशीर्णक्रिया अर्थात् “दूटे को मिलाना” कहा जाता है ।

इनमें ‘पृथक् होकर पुनः मिलके जाने’ [गतागत] के चार कारण हैं । (१) कारण से पृथक् होकर पुनः मिलना । (२) विपरीत । (३) कारण से पृथक् होकर अकारण ही पुनः मिलना । (४) विपरीत ।

१. कारण से पृथक् होकर पुनः मिलना । स्वामी के दोष से पृथक् होकर उसके गुण के कारण मिलना या शत्रु के गुण से पृथक् होकर उसके दोष के कारण मिलना इसी का उदाहरण है ।

२. विपरीत । शत्रु तथा मित्र के गुण का ख्याल न कर अपने दोष से या अकारण ही पृथक् होकर मिलने वाला व्यक्ति चल बुद्धि होने के कारण संधि के योग्य नहीं है ।

३. कारण से पृथक् होकर अकारण ही पुनः मिलना । वही मनुष्य इस में सम्मिलित हैं जो कि स्वामी के दोष से पृथक् होकर अपने ही दोष से आकर मिलें ।

४. विपरीत । अमुक व्यक्ति शत्रु के द्वारा भेजा जाकर या दुष्टा से अपकार करने की इच्छा रखकर या शत्रु को नष्ट करने

बाले को मेरा अमित्र समझ कर और इस लिये डरकर या मेरे नाम के लिये उद्यत शत्रु को उपकार की इच्छा से छोड़ कर” मेरे पास आया है” इत्यादि वातों पर विचार करने के बाद जिसको भला समझे उस का आदर सत्कार करे और विपरीत बुद्धि बाले को दूर रखें।

जो लोग अपने दोष से जाँचे तथा शत्रु के दोष से आँचे वह उकारण से गये और कारण से आये समझे जाय। “यह मेरी कभी पूरा करेगा या इसका यहाँ पर ही रहना उचित है या इसके साथी दूसरे स्थानपर संतुष्ट नहीं हैं या यह शत्रु से लड़कर मेरे मित्रों के साथ मिलगया है या लोभी तथा कूर शत्रु संघ से या दूसरे से घबड़ाया हुआ है” इत्यादि वातों को जानकर जैसा उचित समझे करे। पुराने आचार्यों का मत है कि उनलोगों को साथ में न लेना चाहिये जो कि—काम में नुकसान उठा चुके हैं, या, शक्ति से रहित हैं, या, विद्या को बेचते हैं, या, आशाहीन हैं, या, देश को प्राप्त करने के लोभी हैं, या, अविश्वासी हैं, या, बलवान् के साथ युद्धकररहे हैं। परन्तु कौटिल्य इस काम को भयंकर व्यवहार शून्य तथा सहनशीलता रहित समझता है। उसके मत में वही व्यक्ति त्याज्य है जो कि अपना नुकसान करे और जो शत्रुको नुकसान पहुँचावे उसके साथ संधि करना चाहिये। जो दोनों का ही अपकार करे उससे सावधान रहना चाहिये। यदि किसी असंघेय [जो कि संधिके योग्य नहीं] राजा के साथ बाधित होकर संधि करना। पढ़े तो उसकी शक्ति जिस ओर बहुत ही अधिक हो उसओर अपने आपको बचावे।

अवशीर्ण किया (दूटी हुई संधिका पुनः स्थापित करना) में यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति शत्रु के पक्ष में हो उसको इतनी दूर बसाया जाय जिससे वह आयुपर्यन्त उपकार करता रहे परंतु हानी न पहुँचासके। या—उसको शत्रु ले लड़ने के लिये भेजादिया जाय। या—उसको दंडचारी (सेनापति) बनाकर शत्रु के जंगलों में या राष्ट्रके अंत में फैक दियाजाय। या—उसको शत्रु के देश में

पुरानी तथा नई चीजों के द्वारा छिपे छिपे व्यापार के रने के लिये कहाजाय और शत्रुके साथ मिलजाने का दोष देकर बागी प्रकट कियाजाय । या—उसको भावी घटनाओं का ख्यालकर उपांशु दंड (छिपे रूपसे दंडदेना) से शांत कियाजाय और बाद को उसको मरवा दियाजाय । जो राजा शत्रुओं के बीच में बचपन से ही रहने के कारण शत्रु के दोषों से लिप्त हों और सांपों के बीच में रहने वालों की तरह सदा ही उद्धिग्न रहते हों उनसे डरना चाहिये । अंजीर पर पले सेंभलके कवूतर की तरह वह हरसमय परेशान करते हैं । दिनके समय में किसी स्थानपर जो लड़ाई लड़ी जाय उसको प्रकाशयुद्ध कहते हैं । यह बहुत ही भयंकर आक्रमण होता है । प्रमाद या विष्णि में लीन राजा इसमें नष्ट होजाते हैं । जिसयुद्ध में एक ओर लड़ाई और दूसरी ओर घूंस दियाजाता हो उसको कूटयुद्ध कहते हैं । तूष्णीयुद्ध वह है जिसमें षड्यंश् [उपजाप] के द्वारा शत्रु के मुख्य मुख्य व्याक्षियों को अपने पक्ष में कर लियाजाय ।

११३ प्रकरण । द्वैधीभाव से संबंद्ध संधि तथा विक्रम ।

विजिगीषु [विजय का इच्छुक] द्वितीयप्रकृति के साथ इस प्रकार व्यवहार करे । किसी एक सामंत के साथ मिलकर दूसरे सामंत पर चढ़ाई करे । यदि वह समझे कि “वह मेरे पार्षिण (पीठ पीछे का राष्ट्र) पर आक्रमण न कर सकेगा तथा यातव्य (जिस पर चढ़ाई की जाय) का साथ न दे सकेगा, बहुतों के साथ मुझ को लड़ाना पड़ेगा या मेरे साथी धन तथा सैन्य का प्रबंध कर देंगे तथा अन्दुरुनी दुश्मनों को नष्ट कर देंगे, जांगलियों तथा उनके अनुयायियों को किलों में घेरकर दंड देंगे, यातव्य को भयंकर विष्णि में डालकर संधि करने के लिये बाधित करेंगे, आवश्यक लाभ प्राप्त कर शत्रुओं तथा अन्यों का मुझ पर विश्वास करवा देंगे—तो वह एक के साथ युद्ध और दूसरे के साथ मैत्री उद्देशित

कर किसी सामंत से सेना और किसी से धन मांगे । उसमें बड़ा छोटा तथा मध्यम यदि अपनी अपनी हैसियत के अनुसार सहायता दें तो इसको सम संधि, इससे विपरीत में विषम संधि और अधिक सहायता देने में अतिसंधि कहाती है ॥

यदि कोई शक्तिशाली विजिगीषु तकलीफ में पड़ जाय या विपत्तियों से घिर जाय या उक्सान में आजाय तो दुर्बल या हीन मित्र उतना ही धन उससे मांगे जितना कि खर्च सैनिकों द्वारा सहायता पहुंचाने में हुआ हो । विजिगीषु यदि उसको हानि पहुंचाने में अपने आपको समर्थ समझे तो उससे युद्ध उद्घोषित करदे, अन्यथा उसके साथ संधि करले । यदि कोई दूसरा, अपनी शक्ति तथा प्रताप के क्षय को दूर करने के लिये विजिगीषु से मूल (आधार) तथा पार्षिण् (पाठ पर के राष्ट्र) की रक्षा करने के बदले खर्च से अधिक लाभ मांगे तो वह यदि उसको हितैषी समझे तब तो संधि करले, अन्यथा उसके साथ लड़ाई करने के लिये तैयार होजाय । यदि कोई दुर्बल राजा किलों तथा दोस्तों के होने से शक्ति ग्राप कर, किसी छोटे मार्ग से अपने दुश्मन पर चढ़ाई करना चाहे और इसके लिये विपत्ति तथा तकलीफ में पड़ प्रबल राजा को कम खर्च देकर अधिक सहायता मांगना चाहे तो यदि वह उसको नीचा दिखाने में समर्थ हो तो युद्ध उद्घोषित करदे अन्यथा संधि करले । परंतु यदि कोई शक्तिसंपन्न प्रबल राजा, भारी काम को पहिले से ही हाथ में लिये हुए किसी दूसरे राजा को पुनः भारी खर्च में फंसाना चाहे, दुष्टों को देश निकाला देना चाहे, या बाहर निकाले हुओं को पुनः बुलाना चाहे, पीड़नीय तथा विनाशनीय समझ कर हीन राजा को उनसे लड़ाना चाहे—यदि हीन राजा संधि तथा शान्ति का इच्छुक हो तथा कल्याण चाहता हो तो, कम लाभ लेकर ही संनुष्ट होजाय तथा उसके साथ लाभ में हिस्सा बटाले अन्यथा युद्ध उद्घोषित करदे । इसी प्रकार समान राजा समान राजा के साथ संधि तथा विप्रवृह कर सकता है । दृष्टान्त-स्वरूप यदि कोई राजा—दुश्मन की सेना का मुकाबिला करने के लिये, मित्रों के जंगलों तथा शुतुके हाथ में फंसी जमीनों को छुड़ाने के लिये, देशिक [अग्र भाग में स्थित], मूल [मध्य में स्थित] तथा

पार्षिं [पीठ पीछे स्थित] के बचाने के लिये-समान शक्ति वाले राजा से सहायता मांगे । तथा समान लाभ देने के लिये तैयार हो तो उसको यदि कल्याणबुद्धि [हितैषी तथा सज्जन] समझे तो संधि करे अन्यथा युद्ध उद्घोषित करे ।

प्रभुत्वशक्ति रीहत [जात-व्यसन प्रकृति] कोई राजा यदि विपत्ति में पड़े तथा चारों ओर शुद्धियों से घिरे किसी समान राजा से कम धन देने के बदले अधिक सहायता मांगे तो यह यदि उसकी हानि कर सकता हो तो युद्ध उद्घोषित करदे, अन्यथा संधि करले । इसी प्रकार यदि कोई राजा कर्तव्यवश सामन्तों पर राज्य कार्य्य छोड़ कर समान राजा से अधिक सहायता मांगे तो वह यदि उसको कल्याण बुद्धि समझे तो संधि करले अन्यथा युद्ध उद्घोषित करदे यदि कोई प्रभुत्व शक्ति से हीन होकर भी—विपत्ति में फँसे किसी दूसरे राजा को नष्ट करना चाहे, शुरूमें ही या चढ़ाई करने पर प्रहार करना चाहे, यातव्य [जिसपर चढ़ाई करनी हो] से अधिक धन खींचना चाहे, और इसी लिये अधिक हीन, या सम सामर्थ्य वाले राजा से बारंबार सहायता मांगे तो यदि उनको अपनी सेना की रक्षा करनी हो, दूसरे के अविजेय किले या अंगल को दूसरे के सैन्य के सहारे फतह करना हो या दूसरे के सैन्य को दूर ले जाकर उसका खर्च तथा त्रुक्सान बढ़ाना हो, या उस सैन्य के सहारे अपनी शक्ति बढ़ानी हो, या शत्रु की सेनाको नेस्तनाबूद करना हो तो उसको बारंबार सहायता देते जाय । यदि कोई राजा यातव्य (चढ़ाई करने के योग्य दुश्मन) के बहाने अधिक या हीनशक्ति वाले राजा को अपने हाथ में करना चाहे, शत्रु को नष्ट कर अन्त में उसी को नष्ट करने की इच्छा रखता हो, तथा दी हुई चीज़ को लौटा लेने का इच्छुक हो, तो खर्च से अधिक लाभ मांगे । यदि वह उसको त्रुक्सान पहुंचा सकते हों तो युद्ध करे अन्यथा संधि करले या यातव्य (वह शत्रु जिसपर चढ़ाई करनी हो) के साथ मिल जाय या उसको बदमाशों दुश्मनों तथा जांगलिकों की सेना के द्वारा सहायता पहुंचावें । इसी ढंगपर शक्तिशाली राजा दुर्बल राजा से खर्च से कम धन देने के बदले सहायता मांगे । यदि वह बहने में समर्थ हो तो लड़ाई करे अन्यथा संधि करले ।

राजा को चाहिये कि अब उससे कोई दूसरा राजा सहायता मांगे तो सहायता मांगने के कारणों को गंभीर रूप से विचार कर युद्ध तथा विग्रह में से जिसको उचित समझे स्वीकार करे ।

१९४-१५. प्रकरण !

यातव्य तथा अनुग्राह्य मित्र का कर्तव्य ।

जब कोई यातव्य (जिसपर शत्रु चढ़ाई करना चाहता हो) चढ़ाई के खतरे में हो, संघि की शर्तों को जानना चाहता हो, या दुश्मनों के गुट को चूर चूर करना चाहता हो उनको दुगुना लाभ देने का बचन दे । यदि वह लोग पुनः अधिक लाभ मांगें तो— नुकसान, खर्च, प्रवास, विघ्न, परोपकार तथा बीमारी का बहाना बनाकर टाल दे या उनको दूसरे से लड़वा कर फाड़ दे । यदि वह किसी ऐसे राजा को नुकसान तथा खर्च से पुनः लादना चाहता हो जोकि पहिले से ही एक भारी काम को अपने हाथ में ले बैठा हो, शुरू में या चढ़ाई करने पर उसको नष्ट करना चाहता हो, यातव्य के साथ भिलकर पुनः धन मांगने का इच्छुक हो, तकलीफ में पड़ा हो या संपत्ति से रद्दित हो, या दूसरे पर विश्वास न रखना हो तो जो लाभ मिले उसी को ग्रहण कर ले । यदि वह समझे कि भविष्य में उसको मित्रों से पर्याप्त अधिक सहायता मिल जायगी, दुश्मन भी घट जायेंगे तथा संपत्ति भी प्राप्त हो जायगी तथा पूर्व में सहायता देने वाले पुनः सहायता देने के लिये वाधित किये जासकेंगे तो बहुत बड़े लाभ को छोड़कर भविष्य में होने वाले थोड़े लाभ को ही पसंद करे । यदि वह किसी राजा को, किसी दूसरे शक्तिशाली दुष्ट दुश्मन तथा फजूल खर्च राजा के साथ लड़ाई में पड़ने से बचाना चाहे या इसी ढंग का उपकार किसी दूसरे से करवाना चाहे और बदले में उसकी दोस्ती या संबंध के सिवाय और कुछ भी न चाहता हो तो भविष्य में भी उससे कुछ भी लाभ न ग्रहण करे । परन्तु यदि वह पुरानी संघि को तोड़ना चाहे, दूसरे की प्रभुत्वशक्ति तथा मित्रों या अमित्रों के साथ

की गई संधि को तोड़ना चाहे या दूसरे के आक्रमण से ढंगता हो तो अप्राप्त लाभ को अधिक करके मांगे । दूसरा भी वर्तमान तथा भविष्य को सामने रखकर उसके साथ व्यवहार करे । इसीसे और बातों का अनुमान कर लेना चाहिये । विजिगीषु तथा शत्रु आदि एक साथ ही अपने मित्रों पर अनुग्रह करना चाहें तो उनमें वही उत्तम है जो कि— शक्यारंभी [होसकने वाली बात को ही करने वाली], कल्यारंभी (प्रशंसा के खातिर काम करने वाला), स्थिर कर्मा (स्थिर काम करने वाला) तथा अनुरक्ष प्रकृति (जिसमें प्रकृति मंडल अनुरक्ष हो) हो । क्यों कि शक्यारंभी वही काम करता है जो कि होसके, कल्यारंभी काम में किसीढ़ंग की खराबी नहीं करता, स्थिरकर्मा काम को खत्म किये विना बीच में दम नहीं लेता, तथा अनुरक्षप्रकृति सहायता के होने से थोड़ा अनुग्रह होते ही काम पूरा करदेते हैं । इनकी कृतज्ञता से बहुत लाभ होता है । जिन मित्रों में यह गुण नहीं उनसे कुछ भी अर्थ सिद्ध नहीं होता । यदि वह दोनों एक एक पर ही अनुग्रह करना चाहें तो जो मित्र या अल्पमित्र पर अनुग्रह करता है वह लाभपर रहता है । मित्र के प्राप्त होने से उसकी शक्ति बढ़ जाती है । जो इससे भिन्न व्यक्ति का उपकार करता है वह वृथाही नुकसान खर्च परदेश तथा परोकार के कष्टोंको सहता है । शत्रु अपना मतलब सिद्ध कर अन्त में उपकार करने वाले को ही नुकसान पहुंचाता है । मध्यम राजाओं में जो मित्रया अल्पमित्र पर अनुग्रह करता है वही अच्छा रहता है । मित्र प्राप्ति से शक्ति बढ़ती है । शत्रु पर उपकार करने से क्षय [नुकसान] व्यय, प्रवास तथा परोपकार का भार निरर्थक ही सहना पड़ता है । जब मध्यम राजा उपरिलिखित गुणों से हीन हो तो शत्रु की शक्ति को बढ़ा देता है । क्योंकि वह अपनी शक्ति फजूल के कामों में नष्ट कर देता है और शत्रु की चढ़ाई होते ही किनारा कर बैठता है । उदासीन पर अनुग्रह करने के भी यही नियम हैं । मध्यम तथा उदासीन राजाओं को सेना तथा हिस्से से जो लाभ पहुंचाते हैं

उनमें वही उत्तम है जो कि शुरबीर, शश संचालन में प्रवीण, कष्ट सहने में समर्थ तथा अनुरक्ष (प्रेम करने वाला) राजा को सहायता देता है । यदि उसमें यह गुण न हों तो सहायता देने में नुकसान उठाना पड़ता है । जिस काम के लिये सेना भेजी जाती है वह उस काम को या उसके बदले अन्य कामों को सिद्ध कर्ते हैं । इस लिये समय तथा स्थान के जानने के बाद ही मौलभूत (प्रवासी ताल्लुकेदार), श्रेणी (कंपनी), मित्र तथा जंगली मित्र आदिकों में किसी एक की सेना के द्वारा सहायता दीजाय । यदि वह सेना एक ऐसे जांगलिकों की है जो कि दोस्त न हों तो जब तथा जहां चाहे भेजे । यदि यह समझे कि—अमुक अमुक राजा हमारी सेना से अपना मतलब सिद्ध करेगा, उसको दुश्मन जंगल अनुचित स्थान तथा अनुचित ऋतु में रखकर नष्ट कर देगा तो सेना इकट्ठा करने का बहाना बनादे और जिस समय उसको जरूरत पड़े तभी सहायता दे तथा काम के समाप्त होने तक उसी के पास रखे तथा अपनी सेना की स्वयं ही देख रख करंता रहे । जब काम खत्म होजाय तो किसी बहाने से सेना को बुलवाले । इसके बदले बदमाशों जंगलियों तथा दुश्मनों की सेना उसको देदे । या यात्र्य [चढ़ाई जिस पर की जाय] के साथ संघि करके उसको नीचा दिला देवे ।

यदि लाभ समान हो तो संघि और यदि लाभ समान न हो तो युद्ध किया जाता है । यदि इन दोनों से भिन्न लाभ हो तो संघि तथा युद्ध में जो उचित समझे करे ।

११६ प्रकरण ।

मित्र संघि तथा हिरण्य संघि ।



मित्र, हिरण्य [सोना] तथा भूमि की प्राप्ति की इच्छा से एक साथ मिलकर चढ़ाई करने पर किस चीज की प्राप्ति में विशेष लाभ हैं? भूमि की प्राप्ति से मित्र तथा हिरण्य दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं । इन दोनों से शेष बची हुई चीजे प्राप्त होजाती हैं । आओ हम

तुम मित्र प्राप्ति के लिये यत्न करें इस ढंग की संधि का नाम सम संधि है। 'तुम आगे से हमारे मित्र रहोगे' इस प्रकार की संधि को विषम संधि और जब कोई किसी से अधिक प्राप्त करे तो उस को अतिसंधि कहते हैं।

सम-संधि में भी जो समृद्ध मित्र को या कष्ट में पड़े हुए मित्र को प्राप्त करता है वह अच्छा रहता है क्योंकि आपत्ति में साथ देने से मित्रता स्थिर हो जाती है। तकलीफ में पड़े हुए मित्रों में से भी यदि एक मित्र नित्य [पक्का दोस्त] परन्तु अवश्य [जो कि वश में न रहे] और दूसरा मित्र अनित्य [कच्चा दोस्त] परन्तु वश्य (मन के मुताबिक चलने वाला) हो तो उन में से कौन उत्तम है? पुराने आचार्यों का मत है कि नित्य तथा अवश्य मित्र ही उत्तम है क्योंकि वह यदि उपकार नहीं करता तो नुकसान भी तो नहीं पहुंचाता। इस से विपरीत कौटिल्य का मत है कि वश्य तथा अनित्य मित्र ही उत्तम है। क्योंकि वह जब तक लाभ पहुंचाता है तभी तक मित्र है। उपकार तथा लाभ पहुंचाना ही मित्र का लक्षण है। वश्य मित्रों में भी यदि एक अनित्य तथा समृद्ध और दूसरा नित्य तथा दरिद्र (अन्यभोग) हो तो इन में कौन उत्तम है? पुराने आचार्य अनित्य तथा समृद्ध को ही उत्तम प्रगट करते हैं क्योंकि वह थोड़े समय में ही बहुत सा लाभ पहुंचा सकता है और बहुत से खर्चों से बचा सकता है। परन्तु कौटिल्य नित्य तथा दरिद्र मित्र को ही उत्तम समझता है। क्योंकि उसका विचार है नित्य तथा समृद्ध मित्र उपकार करने से दूर भागते हैं और जब वह कुछ उपकार करते हैं तो साथ ही उसका बदला चाहते हैं। नित्य तथा दरिद्र मित्र धीरे धीरे थोड़ी राशि में सहायता पहुंचाते हुए समय के गुजारने के साथ साथ बहुत ही अधिक लाभ पहुंचा देते हैं। गुरुसमुत्थ (लड़ाई के लिये जो कठिनाई से तैयार हो) थोड़े मित्र तथा लघुसमुत्थ (लड़ाई के लिये जो आसानी से तैयार हो) छोटे मित्र में कौन उत्तम है? आचार्यों का मत है कि पहिले ढंग का मित्र ही शक्ति बढ़ाता (प्रताप कर) है। जब वह लड़ाई के लिये तैयार होता है तो कार्य को समाप्त कर देता है।

परन्तु कौटिल्य दूसरे को ही ठीक समझता है। क्योंकि दूसरा समय पर काम तो आजाता है। छोटे होने के कारण मन माने ढंग पर चलाया जासकता है। पहिले में यही बात नहीं है। असंगठित सैन्य तथा अवश्यसैन्य (वश में करने के अयोग्य सेना) में कौन उत्तम है? आचार्य लोग असंगठितसैन्य को ही अच्छा समझते हैं उनका ख्याल है कि समय पर उसको संगठित किया जासकता है। इस से विपरीत कौटिल्य 'अवश्यसैन्य' के ही पक्ष में है। क्योंकि वह उस को सामादि उपायों से बरा में करना सुगम समझता है। पुरुषभोग (जिस के पास सेना या आदमी बहुत हों) तथा हिरण्यभोग (जिस के पास सोना तथा संपत्ति अधिक हो) मित्र में कौन उत्तम है? आचार्य लड़ाई के लिये उपयोगी होने से प्रथम को ही उत्तम मानते हैं। क्योंकि वह जब उठ खड़ा होता है तो कार्य सिद्ध कर देता है। परन्तु कौटिल्य द्वितीय को ही उत्तम समझता है। क्योंकि सेने की जरूरत तो रोज पढ़ती है जब कि सेना तथा आदमियों की जरूरत कभी कभी होता है। सोना एक ऐसी चीज है जिस से सेना तथा अन्य चीजें सुगमता से ही प्राप्त की जासकती है। हिरण्यभोग (जिस के पास सोना तथा संपत्ति अधिक हो) तथा भूमिभोग (जिस के पास जमीन अधिक हो) मित्र में कौन उत्तम है? आचार्य लोग हिरण्यभोग के पक्ष में है। क्योंकि उससे सब प्रकार के खर्च से बच सकता है। परन्तु कौटिल्य भूमि पर ही मित्र तथा हिरण्य का आधार प्रगट करता है। इस पर पूर्व में भी प्रकाश डाला जानुका है। अतः भूमिभोग मित्र ही ठीक है। जब विजेता तथा शत्रु के मित्रों के देश की आवादी एक सदृश हो तौ भी उन में पराक्रम, कष्ट सहन करने की शक्ति, अनुराग तथा युद्ध सामर्थ्य के मामले में भेद हो सकता है। इसी प्रकार समृद्धि में समान होते हुए भी— मांगते ही धन इकट्ठा होजाना, शान, बिना परिश्रम के ही अधिक धन का मिलना तथा लगातार मिलते रहने आदि के मामले में भेद हो सकता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बाँते ध्यान देने के योग्य हैं:—

उत्तममित्र के—१ नित्य २ वश्य ३ लघूत्थान (शीघ्र ही तैयार होजाने वाला) ४ पितृपैतामह (बापदादे के समय से मित्र) ५ महत् (शक्तिशाली) तथा ६ अद्वैध्य (स्थिर स्वभाव) यह छः भेद हैं। जो निस्वार्थ भाव से प्रीति तथा बढ़े हुए पुराने संबंधों की रक्षा करे वही नित्यमित्र है। जिसका बहुत प्रकार उपयोग किया जासके वह वश्यमित्र कहाता है। यह—एकतो भोगी (एक ही व्यक्ति जिससे लाभ उठावे), उभयतो भोगी [दो व्यक्ति जिससे लाभ उठावे] तथा सर्वतो भोगी (जिससे सभी लाभ उठावे) के तीन प्रकार का होता है। जो सहायता लेने या देने की इच्छा से शशुओं के साथ सख्ती का बर्ताव करता हो तथा जिसके पास किले, जांगलिकों की फौजें आदि हों वह भी नित्यमित्र कहाता है। जो एक और शशु के साथ युद्ध कर रहा हो तथा जिस पर कोई बड़ी विपत्ति न हो और जो कि उपकार करने के लिये सधि करे उसको अनिश्चित तथा वश्यमें न आने वाला मित्र समझना चाहिये। जो किसी स्वार्थ से संबंध रखता हो, उपकारी तथा स्थिरस्वभाव का (अविकारी) हो, तथा मित्र होने के योग्य हो वह विपत्ति पड़ने पर भी मित्रता नहीं छोड़ता (अद्वैध्य)। जो मित्रता रखे वह मित्र, जो शशु का पक्ष ले वह चलमित्र (अस्थिरमित्र) और जो किसी के भी प्रति उदासीनता न प्रगट करे वह उभयभाविमित्र (दोनों का मित्र) कहलाता है। जो विजिगीषु का आमेत्र तथा शशु का दिली मित्र हो उसको अनुपकारी मित्र (हानिकरमित्र) समझना चाहिये चाहे वह उपकार ही क्यों न कर रहा हो और चाहे वह उपकार करनेमें कितना ही समर्थ क्यों न हो। जो शशु का हितैषी, प्रिय, पूज्य तथा संबंधी हो उसको शशु ही समझना चाहिये चाहे वह विजिगीषु का उपकार ही क्यों न करे। जिसके पास बहुत ही अधिक उपजाऊ जमोन हो, जो कि बलवान् संतुष्ट तथा आलसी हो और जो कि तकलीफ से दूर भागता हो उसको उदासीन समझना चाहिये। जो बुद्धि के कम होने से शशु तथा विजिगीषु की बात को माने तथा किसी से भी द्वेष न करे उसको उभयभावी [दोनों के पक्ष का]

माना जाय । जो कारण या अकारण से कष्टमें पड़े हुए या इसी प्रकार सहायता मांगने के लिये आये हुए मित्र को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है वह मृत्यु को अपने आप बुलाता है ।

शीघ्र ही मिलने वाले थोड़े लाभ तथा देरमें मिलने वाले ज्यादा लाभ में किस को पसन्द करना चाहिये ? पुराने आचार्य पहिले के ही पक्ष में हैं क्योंकि उससे हाथ में लिये काम को सहायता मिलती है । इससे विपरीत कौटिल्य द्वितीय के ही पक्ष में हैं । उस का ख्याल है कि दूसरा यदि बीज के फल के सदृश स्थिर तथा अनश्वर हो तो ठीक है, अन्यथा पहिला ही ठीक है ।

राजा को चाहिये कि वह स्थिर लाभ या उसके कुछ भाग के महत्व [गुणोदय] को देखकर अपने स्वार्थ की सिद्धि को सामने रख कर तथा मित्र लोगों के साथ गुट बनाकर शत्रु पर चढ़ाई करे ।

११६. प्रकरण ।

भूमि-संधि ।

“आओ हम तुम भूमि को प्राप्त करें” इस प्रकार की संधि को भूमिसंधि कहते हैं । उनमें जो उपजाऊ भूमि को प्राप्त करता है वह अच्छा रहता है । यदि दोनों की ही भूमि उपजाऊ हो तो उनमें जो बलवान् शत्रु को परास्त कर भूमि प्राप्त करता है वह अच्छा रहता है क्योंकि इससे भूमि-लाभ के साथ साथ शत्रु का नाश होता है तथा शक्ति तथा प्रताप भी बढ़जाता है । दुर्बल से भूमि छीनने में भी अच्छा ही है । परन्तु इससे भूमि अच्छी नहीं मिलती । पड़ोसी राजा भी छिपे छिपे दुश्मन होजाते हैं । तुल्य शक्तिशाली शत्रुओं में से जो स्थित शत्रु को नष्ट कर देश प्राप्त करता है वह लाभ में रहता है । इससे किले हाथमें आजाते हैं । जो कि भूमिकी रक्षा तथा जंगली लोगों के आक्रमण से देश की रक्षा के लिये अत्यंत उपयोगी होते हैं । अस्थिर शत्रु के देश के प्राप्त होने पर दुर्बल तथा सबल राजाओं के पड़ोसमें होने से ही भेद पड़ता है । जिस देश के पास दुर्बल सामंत हो वह देश सुगमता से ही संभाला जासकता है । परन्तु जब पड़ोस में सबल सामंत हो तो प्राप्त देशकी

रक्षा में सोना तथा धन फूंककर नुकसान उठाना पड़ता है । प्रश्न उठता है कि पक्षे दुश्मनों से भरे समृद्ध देशका या कच्चे दुश्मनों से भरे दरिद्रदेशका प्राप्त होना उत्तम है ? पुराने आचार्य प्रथम को ही उत्तम मानते हैं । क्यों कि उससे धन तथा सैन्य की बुद्धि करना सुगम होता है और जो कि अन्त में दुश्मनों को दबा देता है । परन्तु कौटिल्य का ख्याल है ऐसी भूमि के मिलनेसे शत्रुओं की संख्या बढ़जाती है । पक्षे दुश्मन “उपकार करो चाहे अपकार करो” दुश्मन ही बने रहते हैं । कच्चे दुश्मन उपकार या अनपकार (नुकसान न पहुंचाना) से ठंडे पड़जाते हैं । जिस देशमें बहुत से किले हैं, सीमायें चोरों म्लेच्छों तथा जांगलिकों से भरी पड़ी हैं उनको पक्षे दुश्मनों का देश समझना चाहिये । इससे विपरीत देश को कच्चे दुश्मनों का देश मानना चाहिये । पास की थोड़ी और दूसरी बहुत बड़ी जमीन में कौन सी जमीन अच्छी है ? पास की थोड़ी जमीन अच्छी होती है क्यों कि इसकी रक्षा सुगमता से हो सकती है । दूरकी जमीन में यही बात नहीं है । यदि पड़ोसकी भूमि की रक्षा के लिये सेना की जरूरत हो और दूर की भूमि अपने आप सुरक्षित हो तो इनमेंसे कौनसी उत्तम है ? दूसरी भूमि ही ठीक है । क्यों कि उसीके धन तथा सैन्यसे उसको रक्षा होती है । इससे विपरीत पहिली को संभालनेके लिये जगह २ छावनियां बनानी पड़ती हैं तथा भारी सेना रखनी पड़ती हैं । जड़ बुद्धि तथा बुद्धिमान् राजा के देशों में से किस के देश का मिलना अच्छा है ? जड़बुद्धि का देश ही ठीक है । क्यों कि उसकी सुगमता से ही रक्षा की जासकती है और उसके पुनः लौटाने की आवश्यकता नहीं होती । इससे विपरीत बुद्धिमान् राजाके देश के लोग उसी में अनुरक्ष होते हैं ।

पीड़नीय [जिसको दबाना हो] तथा उच्छेदनीय [जिसको नष्ट करनाहो में से किसी की भूमि का लेना ठीक है ? उच्छेदनीय की भूमि का लेना ही ठीक है । क्यों कि उसका कोई भी साय नहीं देता है, जिसका वह सहारा भी लेता है वह शक्ति शाखा नहीं होते तथा खजाना तथा फोज लेकर वह भागता है और इसी लिये

प्रकृतियां उसको छोड़ देती हैं। पीड़नीय में यही बात नहीं है। वह किलों तथा मिट्रों से सहायता प्राप्तकर शक्तिशाली हो जाता है। दुर्गों का सहार लेने वालों में भी स्थल दुर्ग वालों से भूमिका मिलना अच्छा है। स्थल दुर्ग का घेरा डालना तथा शत्रु पर चढ़ाई करना सुगम है। शत्रु भाग कर कहीं जाभी नहीं सकता है। न ही दुर्ग वालों को जीतने में दुश्मनी मेहनत खर्च होती है। पानी से रक्षा करना पड़ता है। शत्रु नदी के सहारे रसद पहुंचती रहती है। नदी तथा पर्वत दुर्ग वालों में नदी वालों से भूमिका प्राप्त होनाही ठीक है। नदी दुर्ग पर हाथियों खंभों पर बनाय हुए पुलों तथा नौकाओं के सहारे चढ़ाई की जा सकती है। पानी की गहराई एक सदृश नहीं रहती और उसको दूसरी ओर बहाया भी जासकता है पहाड़ी दुर्गपर चढ़ाई करना बहुत कठिन है। वह प्रकृति की ओर से सुरक्षित हैं। उसपर चढ़ना सुगम काम नहीं है। एक के फिसलते ही सारीकी सारी सेना नष्ट हो जाती है। पर्थरों तथा पेड़ों के लुढ़काने से बहुत ही नुकसान पहुंचता है। नीची जमीन तथा साधारण जमीन परसे लड़ने वालों में पहिले सेही जमीन का मिलना ठीक है। क्यों कि वह कुछ ही समय तक लड़ सकते हैं जब कि दूसरे एक सदृश युद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार गड्ढे तथा उंची जमीन पर से लड़ने वालों में भी पहिले से ही जमीन का प्राप्त होना उत्तम है। क्यों कि खनक गड्ढे में खड़े होकर शस्त्र से लड़ाई करते हैं जब कि दूसरे एक मात्र शस्त्र फेंक कर काम चलते हैं।

जो राजा अर्ध शास्त्र को पूर्ण रूप से समझ कर उपरि वर्णित लोगों से भूमि प्राप्त करता है, वह गुद्ध बनाकर लड़ने वाले शत्रुओं को नीचा दिखाता है तथा उनकी अपेक्षा या अधिक महत्व को प्राप्त करता है।

११६ प्रकरण । ओपनिवेशिक संधि ।

“आओ हम तुम उपनिवेश बसावें” इस प्रकार की ओपनिवेशिक संधि का नाम अनवासितसंधि है। उनमें से जो उपजाऊ

भूमि को बसाता है लाभ में रहता है । उसमें भी स्थल प्रधान तथा जल प्रधान यह दो भेद हैं । पानी रहित आधिक जमीन की अपेक्षया पानीवाली कम जमीन अच्छी होती है । उस से वर्षभर लगातार स्थर रूप से फल मिलते रहते हैं । पानीरहित जमीन में भी जि-समें पहिले खेती की जा चुकी हो, कम वर्षा में अनाज पकता हो तथा कम मेहनत की ज़रूरत हो वह अच्छी है । इसी प्रकार जल प्रधान में धान पैदा होने वाली जमीन थोड़ी और दूसरा अनाज पैदा करने वाली जमीन जादा हो तो दूसरी जमीन ही ठीक है । आधिक जमीन में स्थलज तथा जलज अनेक पदार्थ तथा औषध उत्पन्न किये जा सकते हैं । किले आदि भी बहुत बड़ी संख्या में बनाये जा सकते हैं । भूमि का उपजाऊपन तो कृत्रिम है । खान प्रधान तथा न प्रधान जमीन में खान प्रधान कोश के लिये हितकारी है । धान प्रधान जमीन से कोश तथा कोष्टागार (अनाज का भण्डार) दोनों को ही लाभ पहुंचता है । दुर्गादिका बनवाना धान पर ही निर्भर है । खनिज पदार्थ से बहुत बड़ी जमीन खरीदी जासकती है अतः वह भी उत्तम है । द्रव्यवन [लकड़ी का जंगल तथा] हस्तिवन [हाथी का जंगल] में द्रव्यवन सब कामों का आधार होने से उत्तम है । हस्तिवन में यही बात नहीं है । पुराने आचार्यों के इस विचार के विरुद्ध कौटिल्य का मत है कि द्रव्यवन तो जहाँ कहीं लगाया जासकता है, हस्तिवन में यही बात नहीं है । शत्रु की सेना को नष्ट करना हाथियों पर ही निर्भर है । वारिपथ [जलीय मार्ग] तथा स्थलपथ [स्थलीय मार्ग] में वारिपथ अनित्य होने से ठीक नहीं है । स्थलपथ नेत्य [सर्वदा बना रहने वाला] होने से अच्छा समझा जाता है । भिन्नमनुष्य [जिसमें मनुष्य तितर बितर बसे हों] तथा श्रेणीमनुष्य [जिस में मनुष्य भिन्न २ दलों तथा श्रेणियों में संगठित हों] वाली जमीनों में पहला ही ठीक है । क्योंकि शत्रु उसको अपने पक्षमें फाढ़ नहीं सकता । इससे विपरीत दूसरी तकलीफ बरदाश्त नहीं कर सकती और जब बिगड़ती है तो उसका संभालना कठेन होजाता है । चारों ओरों के द्वारा बसे हुए

उपनिवेशों में जिस में नीच जात के लोग अधिक हैं वही उत्तम है । क्योंकि वह स्थिर रहता है और उत्पत्ति भी उस में अधिक होती है । जुती तथा बेजुती जमीनों में बेजुती जमीन अनेक कामों में आती हैं । जब यह गउओं के पालने, पदाथों के बनाने, लेन देन तथा व्यापार करने के काम में आती है तो यह बहुत ही अच्छी समझी जाती है । दुर्गप्रधान तथा पुरुषप्रधान (जिस में आदमी बहुत संख्या में रहते हैं) जमीनों में पुरुषप्रधान ही ठीक है । पुरुषों पर ही राज्य किया जाता है । उजड़ी तथा बीरान जमीन बन्धा गौ की तरह किस काम की है ।

जिस जमीन के बसाने में बहुत खर्च हो उसके बेचने का प्रबंध करे । दुर्बल, अराजकवादी, निरुत्साही, अपक्ष, अन्यायी, व्यसनी भाग्यवादी, तथा मनमाना करने वाले [स्वेच्छाचारी] व्यक्ति के हाथ में जमीन बेचने से कुछ भी नुकसान नहीं है । क्यों कि दुर्बल अराजकवादी ऐसी जमीन के बसाने में खर्च आधिक होने से वह अपने साथियों के साथ वहां पर ही नष्ट हो जायगा । यदि वह बलवान् है तो खर्चके डरसे उसके साथी उसको छोड़देंगे । निरुत्साही है तो सेना होते हुए भी उससे काम नहीं लेसकता । जो सेना से काम ले वह खर्च के भार से सेना को देर तक नहीं रख सकता । धन होते हुए भी अपक्ष (जिस के पक्ष में कोई भी न हो) सहारा न होने से कुछ भी नहीं कर सकता । अन्यायी बसे हुए जनपद को भी उजड़ा दे, उजड़े को तो क्या बसावेगा ? व्यसनी की भी यही हालत है । भाग्यवादी प्रायः सामर्थ्यहीन होते हैं और कोई भी नया काम शुरू नहीं करते और जब शुरू भी करते हैं तो उसको बीच में ही छोड़कर बैठ जाते हैं । मनमाना करने वाले (स्वेच्छाचारी) कुछ भी काम तो नहीं करते । सबसे नीच यही तो है । “मनमाना करने वाले प्रायः अपने अपने मालिक के दोषों से लाभ उठाने लगते हैं” पुराने आचार्यों के इस विचार पर कौटिल्य का मत है कि वह ऐसा करते ही विनाश को भी प्राप्त हो जाते हैं । यदि खरीदने वाले इसढंग के लोग न मिलें तो पार्षिणग्राह नामक प्रकरण में वर्णित विधिके अनुसार ऐसी जमीनों

का प्रबंध कियाजाय। ऐसे प्रबंध के संबंध में जो संधि कीजाती है उसको आभिहित संधि कहते हैं। यदि कोई बलवान् राजा दुर्बल राजा को अपनी उपजाऊ जमीन बेचने के लिये वाधित करे तो इस संबंध में की गई संधि को अनिमृत संधि घुकारते हैं। यदि कोई समान शक्तिवाला राजा ऐसी जमीन को खरीदने का प्रयत्न करे तो यह सोच कराकि —या दूसरा राजा मेरे बश में होसकेगा? क्या भूमिके बेचने से जो मित्रता तथा संपत्ति मिलेगी उससे कोई काम निकल सकेगा या सामर्थ्य बढ़सकेगा? पुनः यह भूमि लैटार्ड जासकेगी १—जमीन को दे। दुर्बल राजा के विषय में भी यही नियम है।

जो राजा नीतिशास्त्र में चतुर होता है वह इसी ढंग पर मित्र, हिरण्य, आवाद तथा उजड़ी जमीन, गौ आदिको प्राप्तकर दुश्मनों के संघको परास्त करदेता है।

११६ प्रकरण ।

कर्म संधि ।



“आओ हम तुम मिलकर किला खद्दा करें” इसप्रकार की संधि को कर्म संधि कहते हैं। उनमें भी जो योग्य स्थान पर कम येहनत तथा खर्च के साथ किला बनाता है वह दूसरे से अच्छा रहता है। किलों में भी स्थल, नदी तथा पर्वत पर बने किले एक दूसरे से अच्छे हैं। नहरों के बनवाने में वही नहर अच्छी है जिस में पानी बाहर से न लाना पड़े और इसमें भी अधिक पानी वाली उत्तम मानी जाती है। लकड़ी के जंगलों (द्रव्य-वन) में जो नदी से सिवित तथा कीमती लकड़ी से भरे जंगल को कटवाता है। वही लाभ में रहता है। कथोंकि नदी से सींचा हुआ जंगल आपने आप बढ़ता रहता है तथा आपत्ति में पड़ने पर लोगों का सहारा होजाता है। हाथी तथा जानवरों से भरे जंगलों में वही जंगल अच्छा है जोकि राष्ट्र की सीमा पर हो, जिसमें शत्रु घुस न सके, जो शेर चीतों से भरा पड़ा हो, जिसके अन्दर हाथियों का बन

हो और जिसके कारण दुश्मन को नुकसान पहुँचता हो। यदि एक जनपद में भीरुओं की संख्या अधिक हो और दूसरे में थोड़े ही आदमी रहते हों परन्तु ही शूरवीर तो इनमें दूसरा ही जनपद उत्तम है। क्योंकि शूर लोगों के सहारे ही लड़ाई लड़ी जाती है। थोड़े से शूरवीर सैकड़ों डरपोकों को तितर बितर कर देते हैं और जोकि अन्त में अपने ही सैनिकों को नुकसान पहुँचा देते हैं। प्राचीन आचार्यों के इस मत के विरुद्ध कौटिल्य का मत है कि भीरुओं की अधिक संख्या से लड़ाई में अन्य काम लिये जासकत है। सैनिकों को खाना आदि यह लोग पहुँचा सकते हैं। शब्द इन की अधिक संख्या को देखकर डरजाता है और यह उसको कई तरीके से डरा भी सकते हैं। सब से बड़ी बात तो यह है कि इनको सिखा पढ़ाकर शूरवीर बनाया जासकता है। भले थोड़े शूरवीरों की संख्या कैसे बढ़ाई जाय? खानों के खुदवाने में भी वही अच्छा रहता है जो कि कीमती चीज़ की खान को खुदवाता है, जिस तक पहुँचने का मार्ग सुगम हो और जो कि बहुत कम खर्च से ही खोदी जासके। खानों में भी कीमती खान कम और कम कीमती खान संख्या में अधिक हो सकती है। पुराने आचार्य हीरा मणि मोती प्रताल सोना चांदी आदि कीमती खानों को ही उत्तम समझते हैं क्योंकि इनके द्वारा कम कीमती चीज़ें खरीदी जासकती हैं। इस से विपरीत कौटिल्य दूसरी प्रकार की खान के ही पक्ष में हैं। उसका ख्याल है कि कीमती चीजों के खरीदार बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जब कि कम कीमती चीज़े हर समय बेची जासकती हैं। व्यापारीय मार्ग के विषय में भी यही नियम है। प्राचीन आचार्य वारिपथ [जलीयमार्ग] तथा स्थलपथ में खर्च के कम होने से तथा व्यापार के अधिक होने से, सदा एक सदृश न रहने, चोरी डाके के बारंबार पड़ने तथा उनका कुञ्ज भी उपाय न कर सकने के कारण वारिपथ को उत्तम नहीं समझता। स्थल पथ में यही बात नहीं है। वारिपथ में भी समुद्र के किनारे तथा बीच में जाने के अन्दर किनारे जाना ही उत्तम है। क्योंकि जगहर पर व्यापारीय नगर तथा बन्दर गाह मिलते हैं। इसी प्रकार समुद्रमार्ग तथा

नदीमार्ग में नदीमार्ग गमनागमन के आधिक होने तथा खतरे के कम होने से उत्तम है। स्थलपथ में भी पुराने आचार्यों के अनुसार हैमवत पथ [हिमालय को जानेवाला मार्ग] दक्षिणा पथ [दक्षिण को जानेवाला मार्ग] से उत्तम है क्यों कि उसके द्वारा हाथी घोड़ा गंध द्रव्य, हाथर्दांत, चमड़ा, चांदी, सोने आदि बहुमूल्य पदार्थों का व्यापार होता है। इससे विपरीत कौटिल्य दक्षिणा पथ को ही उत्तम समझता है। क्यों कि केवल, चमड़ा, घोड़ा तथा व्यापारीय द्रव्यों को छोड़ कर शंख, बज्जे, मणि, मोती सोना आदि इसी मार्ग के द्वारा आता है। दक्षिणापथ में भी वही वणिकपथ उत्तम है जो कि खानों में से गुजरता हो, जिसपर शीघ्रता से चलसकें तथा रुकावट कमहो। साधारण पदार्थ तो सभी स्थानों में प्रायः पैदा होते हैं। पूर्व तथा पश्चिम को जानेवाले वणिक पथ के संबंध में भी यही नियम हैं। गाड़ीकी सड़क तथा पगड़ंडी में बड़े बड़े कारो-बार के होने से गाड़ी की सड़क ही उत्तम है। खरपथ [गदह चलने का मार्ग] तथा उष्ट्रपथ [ऊंट चलने का मार्ग] में वही उत्तम है जिसपर चलने में देश तथा काल संबंधी रुकावट न हो बहुंगी लेजाने वालों के मार्ग (अंसपथ) के विषय में भी यही नियम हैं।

विजिनीषु को शत्रु के कार्यों की उन्नति में अपनी अवनति (क्षय) और अवनति में अपनी उन्नति (वृद्धि) तथा समानता में स्थिति (स्थान) समझना चाहिये। कार्यों के अन्दर फल की अपेक्षा खन्न का अधिक होना अवनति इससे विपरीत दशा में उन्नति तथा आय-व्यय की समानताका नाम ही स्थिति है। इसलिये राजा को चाहिये कि दुर्ग आदि के मामलों में वही काम पसन्द करे जिसमें खन्न तो कम और लाभ आधिक हो। कर्म विषयक संधियों में इन्हों वालों का स्थाल रखना चाहिये।-

११७ प्रकरण । पार्षिणग्राह चिंता ।

यदि विजिनीषु तथा शत्रु आपस में मिलकर ऐसे पर्षिण [पृष्ठ

वर्ती राष्ट्र] पर आक्रमण करें जो कि अपने शत्रु के साथ पहिले से ही युद्ध उद्घोषित कर चुका है तो जो शक्तिसंपन्न शत्रु की पार्थिण पर विजय प्राप्त करता है वही लाभ में रहता है। क्योंकि शक्ति-संपन्न ही अमित्र का नाश करने के बाद पार्थिणग्राह का नाश कर सकता है, हीन शक्ति तथा लाभ रहित राजा से ऐसी बात की आशा करना वृथा है। यदि शक्ति समान हो तो जो पूर्ण रूप से तैयार [विपुलारम्भ] शत्रु की पार्थिण पर आक्रमण करता है वही लाभ में रहता है। क्योंकि तैयार शत्रु अपने शत्रु का नाश करने के बाद पार्थिणग्राह को भी पराजित कर सकता है। जो पूर्ण रूप से तैयार नहीं होता वह सदा ही राष्ट्रमंडल के कुचकों से परेशान रहता है। यदि तैयारी समान हो तो जो सब प्रकार से तैयार [सर्व संदोह] शत्रु की पार्थिण को अपने वशमें करता है वह लाभ में रहता है। क्योंकि जिसका मूल [मुख्य भाग] अस्वरात्रित है उस पर शीघ्र ही विजय प्राप्त किया जा सकता है। जिसने अपने पार्थिण की रक्षा का पूर्ण रूप से प्रबंध कर लिया है और सेना के एक भाग को लेकर लड़ाइ के; लिये प्रस्थान किया है उस पर विजय प्राप्त करना आसान काम नहीं रहता। यदि सेनाविषयक तैयारी समान हो तो जो चल [जिसका एक स्थान पर निवास न हो] शत्रु की पार्थिण को वश में करता है वह अधिक लाभ में रहता है। क्योंकि चल शत्रु पर शीघ्र ही विजय प्राप्त कर विजिगीषु सुगमता से ही पार्थिण पर विजय प्राप्त कर सकता है। स्थित [किले आदि में स्थित] शत्रु पर आक्रमण करने वाला ज्यों ही किले को हस्तगत करने में असमर्थ हुआ और पार्थिण पर प्रभुत्व न प्राप्त कर सका त्यों ही शत्रु के पंजे में फंस जाता है। अन्य मामलों में भी यही नियम है।

यदि शत्रु एक समान हों तो जो धार्मिक राजा पर आक्रमण करने वाले शत्रु की पार्थिण को अपने वश में कर लेता है वह लाभ में रहता है। क्योंकि जो धार्मिक राजा पर आक्रमण करता है उस की अपनी प्रजा भी उससे संतुष्ट नहीं रहती। इससे विपरीत अधार्मिक राजा पर आक्रमण करने वाला प्रजा में पूर्णरूप से

प्रिय रहता है । मूल-हर [बाप दादा की जायदाद को अन्याय से नष्ट करने वाला], तादात्तिक [फजूल खर्च] तथा कर्दर्य [कंजूस] राजाओं पर आक्रमण करने वाले शत्रु की पार्षिण के विजय करने के भी यही नियम हैं । मित्र पर आक्रमण करने वाले शत्रु के संबंध में भी यही बातें हैं ।

मित्र तथा अमित्र पर आक्रमण करने वाले शत्रुओं में जो पहिले की पार्षिण पर प्रभुत्व प्राप्त करना है वह लाभ में रहता है । क्योंकि पहिला शीघ्र ही संघि कर पार्षिणग्राह [पार्षिण पर आक्रमण करने वाला या जीतनेवाला] का नाश कर सकता है । मित्र के साथ संघि करना सुगम काम है जबकि अमित्र के साथ संघि करना बहुत ही कठिन है । मित्र तथा अमित्र का उद्धार करने वालों में जो मित्रोद्धारक की पार्षिण जीतता है वह लाभ में रहता है । क्योंकि अमित्रोद्धारी मित्र की संख्या बढ़ाकर पार्षिणग्राह का नाश कर सकता है, जिसने अपने पक्ष का ही नाश कर दिया वह पार्षिणग्राह का क्या बिगड़ सकता है ? । इनमें भी यदे दोनों अलब्ध लाभ के लिये यत्त्व करें तो जिसका अमित्र बड़े भारी नुकसान में हो तथा जिसका आय तथा व्यय बहुत ही अधिक बढ़ाग था हो वह पार्षिण के ग्रहण करने में लाभ में रहता है । इसी प्रकार लब्ध लाभ के लिये यत्त्व करने वालों में जिसका अमित्र लाभ तथा शक्ति से रहित हो, ऐसा पार्षिणग्राह अधिक लाभ में रहता है । पार्षिणग्राहों में भी जिसका यातव्य (जिस पर चढ़ाई को जाय) शत्रु के साथ युद्ध करने में तथा शत्रु को नुकसान पहुंचाने में समर्थ हो, शीघ्र ही अधिक सेना एकत्रित कर सकता हो तथा स्थित शत्रु के पार्श्व में भौजूद हो वह लाभ में रहता है । क्योंकि पार्श्व में रहने वाला शत्रु शीघ्र ही यातव्य को नुकसान पहुंचा सकता है तथा उसके मूल (मध्य भाग, केन्द्र) में बाधा डाल सकता है । पछ्ये रहनेवाला [पश्चात्स्थायी] शत्रु के बल मूल को हानि पहुंचा सकता है ।

शत्रु की पार्षिण पर विजय प्राप्त करने वाले तथा शत्रु की गति को रोकने वाले राजा तीन प्रकार के हैं (१) शत्रु के पीछे रहने वाले राजा (२) शत्रु के पार्श्वभाग पर रहने वाले राजा (३) अन्तर्धि ।

इन में से विजिगीषु तथा शत्रु के बीच में रहले बाले दुर्बल राजा को ही अन्तर्धि कहते हैं। यह दुर्ग तथा जंगल से शक्ति प्राप्त कर प्रबल से प्रबल शत्रु की गति को रोकदेता है।

यदि विजिगीषु तथा शत्रु मध्यम पर विजय प्राप्त करना चाहे और इसी लिये उसकी पार्षिण पर आक्रमण करें तो इन में से जो विजय प्राप्त करने के बाद मध्यम को मित्र से फाढ़ देता है या शत्रु होते हुए मित्र को प्राप्त कर लेता है विशेष लाभ में रहता है। मित्रता दूट जाने के बाद पुनः मित्रता करना उतना लाभ प्रद नहीं होता जितना कि शत्रु के साथ संघि करना अन्त में उपकार करता है। उदासीन पर विजय प्राप्त करने का भी यही नियम है। पार्षिण तथा अग्रभाग में होने वाले युद्धों में वही उत्तम है जिस में कूटयुद्ध (मंत्र युद्ध) की अधिक संभावना हो। प्राचीन आचार्यों का मत है कि प्रकाशयुद्ध में क्षय तथा व्यय से दोनों ही पक्षों को नुकसान पहुंचता है। इस से विपरीत कौटिल्य का मत है कि शत्रु का नाश पूर्ण रूप से कर डालना चाहिये चाहे कितना ही अधिक क्षय तथा व्यय क्यों न हो। यदि किसी के साथ लड़ने में क्षय तथा व्यय समान हो तो जो पहिले अपने सामने के शत्रु को नष्ट कर पीछे के शत्रु को नष्ट करे वह लाभ में रहता है। यदि दोनों ही इसी नियम के अनुसार लड़ें तो जो शक्तिशाली परम शत्रु को नाश करे वही लाभ में रहे। कि अमित्र तथा जांगलिक राजा की सेना के नाश के सम्बन्ध में भी यही नियम है।

यदि विजिगीषु पार्षिणग्राह या अभिमोक्ता (अग्र भाग का शत्रु) पर आक्रमण करना चाहे तो इस नीति का अवलम्बन करें।

यदि कोई शत्रु मित्र पर चढ़ाई करे और पार्षिणग्राह नेता बने तो सब से पहिले अकन्द (पार्षिणग्राह के पीछे का शत्रु) को पार्षिणग्राह के साथी से लड़ाया जाय और इस के बाद पार्षिणग्राह को शत्रु के साथ न मिलने दिया जाय। इसी प्रकार आक्रन्द के साथी को पार्षिणग्राह के साथी से और मित्र को शत्रु के मित्र से लड़ाया जाय तथा मित्र-मित्र को शत्रु के मित्र-मित्र से बचाया जाय।

विजिगीषु को चाहिये कि वह अपने अग्रभाग के शत्रु के मित्र को मित्र से लड़ाने और मित्र-मित्र के द्वारा आक्रमण को पार्श्वग्राह के साथ मिलने से रोके । इस प्रकार विजिगीषु आगे पीछे से अपने मित्रों को इकट्ठा करे अपनी रक्षा के लिये एक मित्र मंडल बनावे, उन में अपने दृतों तथा गुप्तचरों को बसावे और मित्र बनकर शत्रुओं को गुप्त रूप से मरवावें । विजिगीषु को संपूर्ण कार्य गुप्त रूप से करना चाहिये । क्योंकि गुप्त बात के खुलने पर प्राप्त वस्तु वैसे ही नष्ट होजाती है जैसे कि बीच समुद्र में पड़ी दूरी हुई नाव दूर जाती है ।

११८ प्रकरण । हीन शक्ति-पूरण ।

यदि विजिगीषु पर शत्रुओं का संघ आक्रमण करे तो वह उनके नेताको कहे कि 'मैं तुमसे संघर्ष करना चाहता हूँ । यह सोना है । मैं तुम्हारा सदा मित्र बना रहूँगा । इससे तुम्हरा लाभ दुगुना होजायगा । अपना नुकसान करके मित्र बनेहुए शत्रुओं को बढ़ाने से क्या लाभ ? । शक्तिप्राप्त कर यह लोग तुल्यी को अन्तमें नुकसान पहुँचावेंगे' । या उनको आपस में फाड़ने के लिये यह कहो कि 'जैसे यह लोग मिलकर मेरा अपकार करना चाहते हैं वैसे ही यह लोग (तुल्यार) तकलीफ में पड़ते ही तुम पर अक्रमण करेंगे । शक्तिप्राप्त करते ही चित्त विकृत होजाता है । अतः इनके जम धट्को तोड़ने के लिये पूरी कोशिश करो' । ज्यों ही वह आपस में फट जाय तो उनमें जो शक्तिशाली हो उसको कमज़ोर के साथ या कमज़ोरों का गुट्टबनाकर शक्तिशाली के साथ उसको लड़ावे । या जिसदंग पर वह अपना हित समझे उसीदंगपर शक्तिशाली को दूसरों से लड़ावे । यदि वह लाभ अधिक देखे तो घड़यंत्र चक्र मौका निकाले और मौका हाथ में आते ही उनके मुखिया के साथ संधि करले । इसके बाद दोनों ओरसे तनखाह पाने वाले कर्मचारी कहें कि आप लोगों के मेल से बहुत ही लाभ है । आप लोग अब आपस में बहुत अच्छी तरह से जुड़गये हैं । या यदि

वह उनमें से किसी को दुष्ट समझें तो कहें कि 'यह संधि तो ठीक नहीं मालूम पड़ती' । और जब वह आपस में फटजाँचें तो कहें कि 'देखो वही हुआ जो कि हमने पहिले से प्रकट किया था' । विजिगीषु को चाहिये कि शत्रु के गुटके पूर्ण रूपसे दूटजाने पर जिस किसी को चाहे अपने वशमें करले ।

यदि शत्रुओं के संग का कोईभी मुखिया न होतो उनमें से १ जो संग को उत्साह देता हो, २ । स्थिर स्वभाव का हो, ३ । जिस में प्रकृति अनुरक्त हो, ४ । जो लोभ या भयसे संग में आमिला हो, ५ । जो विजिगीषु से डरता हो, या ६ । जो कि उनमें से विजिगीषु का रिश्तेदार हो; या ७ । मित्र हो या द । दुश्मन हो तो इधर उधर फिरता हो—तो इन में क्रमशः जिसको अपने साथ मिलासके मिला लेवे । इन में से १ पहिले को आत्म समर्पण के द्वारा, २ दूसरे को मनाने तथा अपने सिर भुकाने के द्वारा, ३ तीसरे को अपनी लड़की देकर या अपने लड़के को उसकी लड़की के साथ व्याह कर ४ चौथे को लाभ का आधा देकर, ५ पांचवें को रुपया सेना आदि देकर या समझा बुझाकर, ६ छठे को एकता तथा अधिक सम्बन्ध बढ़ाकर, ७ सातवें को प्रेम तथा हित की बातें कहकर या कुछ देकर और ८ आठवें को लाभ पहुंचाकर या उसकी हानि को न कर—अर्थात् जो जिस प्रकार काबू में आसके उसको उसी प्रकार काबू में लाकर अपना मतलब सिद्ध करे या आपत्ति पड़ने पर सामान भेद दंड के द्वारा बैसा ही करे जैसाकि लिखा जाचुका है ।

यदि विजिगीषु किसी भयंकर आपत्ति में पड़ने की आशंका करता हो तो शत्रुको रुपया पैसा सेना आदि देकर और देश काल कार्य विषयक शर्तों को पक्का कर संधि करे । यदि संधि की कोई शर्त उससे दूट जाय तो उसका उपाय करे यदि उसका पक्का कमज़ोर हो तो बन्धु तथा मित्र के सहारे अपने पक्का को प्रबल करे । या अभेद्य तथा आविजेय दुर्ग बनावे । क्यों कि जिस राजा के पास किला होता है उसको शत्रु तथा मित्र दोनों ही आदरकी हाषि से देखते हैं ।

जिसराजा के पास मंत्रशक्ति की कमी हो उसको चाहिये कि वह बुद्धिमान् पुरुषों को इकट्ठा करे तथा विद्वान् लोगों के साथ मेल जोल बढ़ावे । इस प्रकार वह शीघ्र ही अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है । जिसका प्रभाव [प्रभव] कम हो उसको प्रकृति के योग क्षेम बढ़ाने के लिये यत्न करना चाहिये । क्यों कि सब कामों का आधार जन पद पर है और इसीसे राजा का प्रभाव बढ़ता है । आपन्ति पड़ने पर दुर्ग ही अपना तथा जनपद का अन्तिम सहारा होता है ।

खेतों का आधार सेतुबन्ध [नहर] पर है । सेतु [नहर] के द्वारा सींचने पर सदाही वृष्टिके लाभ मिलते रहते हैं ।

शत्रु पर आक्रमण करने का आधार वाणिकपथ [व्यापारीय मार्ग] है । वाणिकपथ के द्वारा ही गुप्त चरों का आना तथा शस्त्र क्वच घोड़ा गाड़ी आदि का खरीदना होता है । खानि [खान] संग्राम के हथियारों का, द्रव्य वन (लकड़ी का जंगल) किले के कामों का, तथा घोड़े गाड़ियों और रथों का, हारि वन (हाथीका जंगल) हाथियों का और व्रज (गोचर भूमि) गौ घोड़ा रथ ऊंट आदियों का प्राप्ति स्थान (योनि) है । यदि किसी के पास उपरि लिखित साधन न हों तो वह बन्धुओं तथा मित्रों से उनको प्राप्त करे । यदि उसके पास सेनाकी कमी हो तो श्रेणी के बीर बीर पुरुषों, चोरों जंगलियों म्लेच्छों, दूसरे को हानि पहुंचाने वाले गुप्त चरों आदिकों को इकट्ठा कर सेना बनावे । शत्रुओं के साथ उसी नीति का अबलंबन करे जो कि एक दुर्बल को सबल के साथ काम में लाना चाहिये ।

पक्ष, मंत्र, द्रव्य तथा सैन्य से शक्ति प्राप्त कर विजिगीषु शत्रु से उन अपमानों का बदला ले जो कि उसके साथ किया हो ।



१९९-१२० प्रकरण ।

प्रबल शत्रु के साथ व्यवहार तथा विजित शत्रु का चरित्र ।

यदि बलवान् राजा किसी दुर्बल राजा पर आक्रमण करे तो दुर्बल राजा को उसके सदृश बलवाले ऐसे राजा का आधय प्रहण करनेना चाहिये जिसको कि वह मंत्रशक्ति से न फाइसके । यदि मंत्रशक्ति में कोई दो राजा समान हों तो उनमें से वही उत्तम है जो कि समृद्ध हो और जिसके यहां विद्वान् लोगों का निवास हो । यदि उसके समान बलवाला राजा ना मिले तो जिसकी सेना या सेनामें मनुष्यों की संख्या उसके समान हो उसके साथ मिल जाय । बशर्ते कि वह शत्रु की मंत्रशक्ति या प्रभाव से फटजाने वाला न हो । मन्त्र तथा प्रभाव में समान राजाओं के अन्दर भी वही अच्छे हैं जो कि बहुत ही अधिक तैयार हों । यदि समान बलवाले राजा भी न मिले तो वह उत्साही विश्वासपात्र तथा शत्रुका सामना करने में समर्थ बहुत से कमजोर राजाओं से मित्रता करले बशर्ते कि वह शत्रु की मंत्रशक्तिप्रभाव तथा उत्साहशक्ति से पृथक् न होसके । उत्साह तथा शक्ति में समान राजाओं में वही अच्छे हैं जिनके पास युद्धकरने की भूमि उत्तम हो । यदि दो राजा युद्धभूमि में समान हों तो उनमें वही लाभकर हैं जिनमें युद्ध करने का समय ठीक हो । इसमें भी जो समान हों उनमें रथ, शस्त्र तथा कवच के द्वारा विशेषता करलेनी चाहिये ।

यदि कहाँ से भी सहायता ना मिले तो ऐसेदुर्ग की शरण ले जिसमें शत्रु अन्न धास लकड़ी पानी आदि की रुक्खटें न डालसके चाहे उसके पास अधिक से अधिक सेना क्षेत्रों न हो । यदि वह रुक्खट डालना ही चाहे तो उसको भयंकर दृश्य तथा व्यय का सामना करना पड़े । यदि ऐसेदुर्ग बहुत से हों तो उनमें वही उत्तम है । जिसमें धान्य तथा अज्ञ का संप्रह सुगमता से कियाजासके ।

कौटिल्य का मत है कि जिसके पास धार्म्यतथा अन्तक संग्रह हो वह मनुष्योंसे परिपूर्ण दुर्ग में रहे । उसको निम्न लिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिये:—

जब वह यह देखे कि—मैं पार्षिणग्राह तथा उसके साथी को मध्यम बनाऊंगा, या—सामन्त जांगलिक या उसके किसी कैदी से उसका राज्य छिनवाऊंगा, या उसको मरवादूंगा, या—कृत्यपक्ष [शत्रु के साथ मिल जाने वाले लोग] को अपने साथ मिलाकर उसके दुर्ग, राष्ट्र तथा स्कंधावार (छावनी) में विद्रोह करवादूंगा, या—उसके साथ धनिष्ठता बढ़ाकर शत्रु, रस, आग्नि या औपनिषदिक योग [गुप्त रूप से मारने के तरीके] से उसको सुगमता से मनमाने ढंग पर मरवा डालूंगा, या—योग प्रणिधान [शत्रु को नष्ट करने के साधन] का स्वयं प्रयोग कर उसका जय तथा व्यय करा दूंगा, या—जय व्यय तथा प्रवास से उसके व्याकुल होते ही उसके मित्रवर्ग तथा सेनामें फूट डलवा दूंगा, या—मनुष्य तथा अन्न सामग्री को रोककर उसकी छावनी [स्कंधावार] को घेरलूंगा, या—दंडोपनय (आत्म समर्पण) के द्वारा मैं उसकी कमज़ोरियों पर पूरी तैयारी के साथ प्रहार करूंगा—या उसका उत्साह भंग कर सुगमता से ही उसके साथ संघि कर लूंगा—या मेरे ऊपर जाहा रोक टोक करते ही उसके पक्ष के लोग विद्रोह करदेंगे—या उसके निरासार मूल को श्रमित्र श्रटवी आदि की सेनाओंसे सत्यानाश कर दूंगा—या बड़े से बड़े देश के योग क्षेम (कल्याण) का प्रबंध यहाँ बैठे ही बैठे कर सकूंगा—या स्वयं ही या मित्र लोगों के द्वारा मेरी सेना बिगड़ गई है और मैं उसको अकेले ही न संभाल सकूंगा—या मेरी सेना निम्न [नदी] खात (गङ्गा) तथा रात्रि संबंधी युद्ध में निपुण है इसलिये भोजन आदि की बाधा होते हुए भी आसामी तथा आसन्न युद्ध में लड़ सकती है—या शत्रु के लिये यहाँ की देश काल आदि अवस्थायें अनुकूल नहीं हैं। यहाँ आने पर वह जय तथा व्यय से लड़ाई करने में अपने आप असमर्थ हा जायगा । या—इस देश में भयंकर जय तथा व्यय का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इसमें किले जांगलिक सेना [अपसार]

आदि का उसको सामना करना पड़ेगा । या शत्रु की सेना के लिये यह देश रोग रूप है । वह इस देश पर चढ़ाई करके भी यहां के पदार्थों को नहीं प्राप्त कर सकता है । इस देश में प्रवेश करते ही उस पर विपात्ति का पहाड़ आ दूटेगा । यदि वह इस पर भी देशमें घुन आया तो यहां से बाहर न निकल सकेगा—तो दुर्ग का आश्रय ले । यदि वह यह देखे कि उपरिलिखित दशा से विपरीत दशा है और शत्रु की सेना बहुत ही अधिक प्रबल है तो दुर्ग को छोड़ कर भाग जावे । या अग्नि में जैसे पतंग गिरता है वैसे ही अमित्र के देश में घुस जावे ।

प्राचीन आचार्यों का मत है कि अपना देश छोड़ने पर भी किसी न किसी प्रकार का लाभ होता ही है । इस के विपरीत कौटिल्य का मत है कि—अपनी तथा परायी हालत को देखकर संघी करे । यदि हालत ठीक न देखे तो आक्रमण तथा विक्रम के द्वारा संघीय या अपसार (जांगलिक सेना) के लिये कोशिश करे । संघेय लोगों के पास दूत भेजे । यदि वह लोग दूत भेजे तो उनका अर्थ तथामान से सत्कार करे और कहे कि “यह सब महाराज का ही है । महाराणी तथा राजकुमारों का ही यह पण्यागार है । उनहीं की ओर से मैं इस राज्य का प्रबंध कर रहा हूँ । मन तो उन लोगों के लिये अपना आत्म समर्पण किया हुआ है” । इस प्रकार दूसरे राजा का आध्ययन्दृष्टि देश तथा राज्य के नियमों के अनुसार (समयाचार) स्वामी के साथ व्यवहार करे । दुर्ग कर्म (किला बनाना), आवाह (उपनिवेश बसाना), विवाह, पुत्राभिषेक, पण्य तथा हाथी का लेना, सब (भयंकर स्थान) यात्रा (चढ़ाई कर) विहार में जाना आदि काम स्वामी की आशा के अनुसार करे । यदि अपने शक्ति लोग रुष्ट हो जायं तो न्याय करने का अधिकार मांगे या कहे कि मुझ को किसी दूसरे देश का शासक नियुक्त कर दो । या राज्यद्रेष्टियों के सहश ही दुष्टों के साथ भी उपांशु दंड का प्रयोग करे । मित्र यदि अच्छी से अच्छी भूमि भी दे तो न ग्रहण करे । स्वामी न हो तो मंत्रि पुरोहित युवराज सेनापति, आदियों में किसी को स्वामी समझकर काम करे । स्वामी का यथाशक्ति उप-

कार करे । देवतासम्बन्धी स्वस्ति वाचन में उसके लिये कलशण की प्रार्थना करे । और सदा ही स्वामी की आङ्ग के अनुसार काम करने के लिये तप्त्यर रहे ।

दंडोपनत (पराजित या आवृत) को चाहिये कि जो लोग शलधान् तथा संगठित हैं उन से मेल जोल और शंकित लोगों से विरोध रखकर स्वामी की सेवा करे ।

१२१ प्रकरण ।

पराजित राजा का व्यवहार ।

विजयी को खर्च तथा धन सम्बन्धी विषय में डानने के उद्देश्य से पराजित राजा को चाहिये कि विजय की इच्छा से स्वामी की आङ्ग लेहर के से शत्रु पर चढ़ाई करदे जहाँ कि भूमि तथा अनु अपने सैनिकों के लिये अनुकूल हो और किला, पर्विण आदि की वापा न हो । यदि यह बातें पूर्ण रूप से न हों तो उपाय करके चढ़ाई करे । दूर्घल शत्रुओं को साम तथा दान से और प्रबल शत्रुओं को भेद तथा दंड से अपने वश में करे । पड़ोस तथा दूर के शत्रुओं को तीनों उपायों में एक या दो या तीनों के सहारे अपने वश में करे । साम उपाय के अनुसार ग्रामांणों जंगलियों पशुपालकों तथा व्यापारियों को वचन दिया जाय कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और प्रजा को कहा जायगा कि मैं बहिष्कृत, पतित तथा प्रवासित लोगों को पुनः बुला लूंगा । दान उपाय के अनुसार भूमि, द्रव्य, कन्या आदि के साथ साथ अभय दान दे । भेद उपाय के अनुसार सामंत, जांगलिक, कुलीन, कैदी आदियों में से किसी को कोश, सैन्य, भूमि तथा दाम आदि के मांगने के लिये भड़कावे । दंड उपाय के अनुसार प्रकाश युद्ध, क्रठ युद्ध, तुर्णीं युद्ध तथा दुर्ग जीतने के उपाय के द्वारा अभिन्न को दंड दे । इसी प्रकार उत्तराही सेनापतियों को नियुक्त करे जोकि प्रभाव युक्त हों; कोश का उपकार कर सकते हों, बुद्धिमान हों तथा भूमि के द्वारा समय पर सहायता पहुंचा सकते हों । इन में—जो मंडी, ग्राम, खान आदि से पैदा होने वाले

रत्न सार तथा कुप्य (जांगलिक द्रव्य) से और द्रव्यवन तथा हस्ति बन से प्राप्त गाड़ी घोड़े से बारंबार उपकार करे वह चित्र भोग—जो दंड [सैन्य] तथा कोश से सहायता पहुंचावे वह महा भोग—जो दंड, कोश तथा भूमि से सहायता दे वह सर्वभोग—जो एक ओर से अमित्र को रोके वह एकतोभोग—जो अमित्र तथा आसार [साथी] का भी साथ उपकार करे वह उभयतोभोगी—और जो अमित्र, आसार [साथी] पड़ोसी तथा जांगलिकों से रक्षा करे वह सर्वतोभोगी कहाता है।

यदि पार्श्विण्याह, आहविक, शत्रुभूष्य तथा शत्रुभूमि लेकर शान्त किये जासके (भूमिदानसाध्य) तो उनको निर्गुणा (अनुत्पादक) भूमि देकर अपना काम निकाले। यदि उनमें से कोई दुर्गम्य हो तो उसको अप्रतिसंबद्धा (पृथक् पृथक् विद्यमान) आटविक हो तो उसको निरूपजीव्या (जो कि किसी भी अर्थ की न हो), शत्रुसे कैद किया गया कुलीन हो तो उसको अशत्रु से धिरी हुई प्रत्योदया [जिसको लौटा देना पड़े], श्रेणीबल हो तो उसका नित्यामित्रा (जहाँ के लोग सदा ही दुश्मनी करते हैं या जिसमें शत्रु की प्रवलता हो), संहतबल (जिसकी सैना संगठित हो), होतो उसको बलवत्सामन्ता [वह भूमि जिसपर शक्ति शाली सामन्त शासन करता हो], प्रतिलोम (विरोधी) हो तो उसको द्वन्द्वयुद्ध, उत्साही हो तो उसको अलब्धव्यायामा (जिसमें सैन्य संग्रह न किया जासके), अरिपक्षीय (शत्रु के पक्षका) हो तो उसको शून्या, अपवाहित (दूसरे देशमें वसाया गया) हो तो उसको कर्षिता (पहिले से ही निचोड़ ली गई), गतपत्यागत (जाकर पुनः लौटा हुआ) हो तो महाक्षयव्ययनिवेशा [जिस पर उपनिवेश बसाने में बहुत ही क्षय तथा व्यय हो], प्रत्यपसृत [भागा हुआ] हो तो उसको अनुपाश्रया [जो कि अश्रव देने में समर्थ हो] और यदै वह अपना ही स्वामी (राजा या मालिक) हो तो उसको परानधिवास्या (शत्रु रहित) भूमि देकर प्रसन्न करे।

विजिगीषु उनलोगों के प्रति उपरीलिखित नीतिका ही अवलंबन करे जो कि बहुत ही लाभदायक तथा सदा साथ देने वाले हैं

और जो कि इससे विपरीत हों तो उनको उपांशु दंड [चुप्पे से मरवादेना] से मरवादे । जो उपकार करने वाले हों उनको उपकार-शक्ति से संतुष्ट रखे । जो कष्ट उठावें उनकी अर्थ तथा मान से पूजा करे । जो कष्ट में पड़जांय उनपर अनुग्रह करे । जो स्वयं आवे उनसे खुशी खुशी मिले और साथ ही स्वयं भी उनके यहां जावे । प्रतिनिधान वैद्यती, भिड़की, निन्दा तथा बकवाद आदि से दूर रहे । शरण में आयेहुओं को अभयदान दे तथा उनपर पिताकी तरह अनुग्रह करे । जो नुकसान पहुंचावे उसके दोषको जनता में प्रकट कर उसको कतल करवादे । यदि इसमें दूसरे के उद्दिश्य होजाने की आशंका देखे तो उसको चुप्पे से मरवादे । जो लोग मरवाये जायं उनकी भूमि, द्रव्य, पुत्र तथा स्त्री आदिकों को ग्रहण करने के लिये आंख न उठावे । उनके घर में जो लोग अच्छे तथा योग्य हों उनको उचित स्थान दे । यदि कोई राजकीय काम में मरजाय तो उसके पुत्र को उसके राज्य पर बैठाये । इस नीति का अवलंबन करने से पराजित राजा के पुत्र तथा पौत्र विजिगीषुं का साथ नहीं छोड़ते । जो पराजित राजा को मारकर उनकी भूमि, द्रव्य, पुत्र तथा स्त्री आदिकों पर भी हाथ सफा करता है तो राज्य मंडल उससे उद्दिश्य होजाता है और उसके विनाश के लिये यह करने लगता है । उसके जो अमात्य हैं वह भी उससे घबड़ा कर विरोधियों का ही साथ देदेते हैं या स्वयं उसके राज्य को छीन लेते हैं या उनकी जान लेते हैं ।

साम उपायके द्वारा पराजित राजाओं को यदि अपनी भूमियों पर शासन करने दिया जाए तो वह तथा उनके पुत्र तथा पौत्र विजयों की आश्वाका उल्लंघन नहीं करते तथा उसीके पीछे चलते हैं ।

१२२-१२३ प्रकरण ।

संधि का करना तथा तोड़ना ।

शम, संधि तथा समाधि एक दूसरे के पर्याय हैं । राजाओं के विश्वास की स्थिरता इसी पर निर्भर है । प्राचीन अन्नार्थ शपथ

या सत्य के आधार पर की गई संधि को चालसंधि (अस्थिर संधि) और प्रतिभू (सारब) तथा प्रतिग्रह (किसी वीज को प्रहण करना) के आधार पर की गई संधि को स्थावरसंधि (स्थिरसंधि) समझते हैं। इससे विपरीत कौटिल्य का मत है कि सत्य तथा शपथ पर आश्रित संधि दोनों लोकों के लिये स्थिर (स्थावर) होती है। प्रतिभू तथा प्रतिग्रह पर आश्रित संधि तो इसी लोक के लिये होती है और इसकी स्थिरता बल पर निर्भर है।

पुरोने जमाने में सत्यप्रतिज्ञ राजा “हमारी संधि है” यह कह कर सत्य पर ढढ़ रहते थे। इस के बाद आग, पानी, खेत, मकान, धारु, हस्तस्कंध [हाथी का कंधा], अश्ववृष्टि, रथोपस्थ (रथ की गद्दी), शस्त्र, रत्न, धान्य (बीज), गंध, रस, सुवर्ण, हिरण्यादि को हाथ में लेकर या छूकर यह शपथ करने लगे कि जो शपथ का उल्लंघन करे उसको अमुक वस्तुएं नष्ट करदे तथा सदा के लिये छोड़दें। शपथ के उल्लंघन करने पर जिस संधि में बड़े बड़े तपस्त्रियों तथा मुखियों को बीच में रखा जाय [प्रातिभा व्यवध] उसको प्रतिभूसंधि कहते हैं। इसमें भी जो शक्तिशाली व्यक्ति को अतिभू मध्यस्थ बनाता है वह लाभ में रहता है। जो यह नहीं करता वह चुकसान में रहता है। बंधुओं तथा मुखियों को जिसमें जमानत के तौरपर रखा जाय उसको प्रतिग्रहसंधि कहते हैं। इसमें भी जो राज्यद्रोही या उसके पुत्रको जमानत के तौरपर देता है वह लाभ में रहता है। इससे विपरीत काम करने वाला हानि में रहता है। जमानत लेकर प्रायः राजा निरपेक्ष हो जाते हैं। मौका याकर शत्रु उसकी दुर्वलताओं से लाभ उठाता है। अपत्यसंधि में यदि लड़के लड़की आदि के देने में स्वतंत्रता हो तो जो लड़की देता है वह लाभ में रहता है। क्यों कि कन्या को पिता की संपत्ति नहीं मिलती और साथ ही वह अनर्थ तथा क्लेश को पैदा करती है। लड़के में यही बात नहीं है। यदि संधि में पुत्र के देने की शर्त हो तो जो जात्य [समान जातिकी स्त्रीसे उत्पन्न], शर, प्राण (बुद्धि-मान्), कृताख (शस्त्रविद्या में निपुण) या एकपुत्र (इकलौता

लड़का) को देता है वही खाभ में रहता है और दूसरा नुकसान में रहता है । जात्य तथा अज्ञात्य में अज्ञात्य का देना ही ठीक है क्यों कि उसके कोई भी संतान नहीं होता और उसको जायदाद प्राप्त होने का अधिकार भी नहीं होता है । प्राक्ष तथा अप्राक्ष में मंत्रशक्ति में सहायक न होने से अप्राक्ष, शूर अशूर में उत्साह शक्ति न होने से अशूर, कृताक्ष अकृताक्ष में प्रहार करने का शक्ति के न होने से अकृताक्ष और एकपुत्र अनेकपुत्र में जो निरपेक्ष हो उसको देना चाहिये । जात्य और प्राक्ष पुत्रों में जात्य आदि अप्राक्ष भी हो तो प्रकृति तथा प्रभुता (ऐश्वर्य) उसी का साथ देती है । निस्सन्देह अज्ञात्यप्राक्ष में मंत्रशक्ति विशेष होती है । परन्तु अप्राक्षज्ञात्य बुद्धिमान लोगों की सहायता से उसको मंत्रशक्ति में भी पराजित करदेता है । प्राक्षशूर में अशूरप्राक्ष बुद्धि के बलसे कठिन से कठिन काम करलेता है । निस्सन्देह अप्राक्षशूर बली होता है । परन्तु प्राक्ष धैसे ही उसको अपने वशमें करलेता है जैसे कि शिकारी (लुभ्यक) हाथी का अपने काढ़ू करलेता है । शूरकृताक्ष में अकृताक्ष शूर चढ़ाई आदि विक्रम के कामों को उत्तम विधिपर करता है । इससे विपरीत अशूरकृताक्ष निशाना ठीक लगाता है । निशाना ठीक लगाने वालों में भी शूरकृताक्ष धैर्य, विवेक तथा असंमोह आदि गुणों से अच्छा रहता है । एकपुत्र तथा बहुपुत्र में बहुपुत्र एक को देकर कुछ समय तक थंभता है और फिर संधि तोड़देता है । एकपुत्र पुत्र को देकर वेसाकभी भी नहीं करता । यदि साथ में पुत्र तथा सर्वस्व देनेकी शर्त हो तो पुत्र तथा फल की विशेषता का स्याल रखना चाहिये । जिनके लड़के हों उनमें भी भावी संतान के अनुसार विशेषता करनी चाहिये । भावी संतान धात्रों में भी वही उत्तम है जिनके कि शीघ्र ही बालक होने वाला हो । शक्तिमान एकपुत्र (जिसके बच्चा होने वाला हो) के होने पर वह अपने आपको जमानत में रखदे वशातें कि उसको अन्य लड़के के होने की संभावना न हो । परन्तु एकपुत्र को जमानत में कभी भी न रखे ।

यदि शक्ति बढ़ने लगे संधि तोड़ डाले । जमानत में रखेगये राजकुमार के चारों ओर कारीगर शिल्पी आदि के भेष में सत्री

लोग काम कर और रात में सुरंग लगाकर राजकुमार को उड़ाले आवें या नट, नर्तक, गायक, वादक, भाँड़, कुशीलब [भाट] प्ल-बक [तैरने वाले] सौहिंक आदि शत्रु के पास रहें और राजकुमार से मिलते रहें । वह आने जाने रहने आदि का समय निश्चित न रखें । मौका पाते ही राजकुमार उनके भेष में रात के अन्दर बाहर निकल आवें । स्त्री के भेष में रंडियां (रुगजीवा) यही करसकती हैं । राजकुमार उनकी तुर्ही वाजे आदि लेकर बाहर आजावें ।

सूर, अरालिक (पाचक), खापक, संवाहक (शरीर मलने वाला) आस्तरक (बिस्तर बिछुने वाला), कल्पक, प्रसाधक (सजाने वाला), कहार, आदि कपड़े लत्ते बर्तन वाजे बिस्तर आसन आदि सामान में छिपाकर राजकुमार को बाहर ले आवें । या नौकर के भेष में कुविरिया के समय में वह स्वयं बाहर आजावें । या सुरंग के द्वारा या रात के समय तालाब में देरतक डुबकी लगाने के द्वारा भाग जावें । वैदेहक के भेषमें सभी लोग पहरेदारों को मिठाई फल आदि देने के बहाने इधर उधर करदें । या देवता के प्रसाद, उपहार श्राद्ध, प्रवहण (सैर कट०) आदि के निमित्त अध्यपान आदि दें और उसमें मैनफल से बनी जहर मिलादें । शहरी, भाट, वैद्य, हलवाई आदि के भेष में सभी पहरे दारों को शावासी दें और साथही रात में मालदार मकानों में या वैदेहक के भेष में गुपचर पहरे दारों के माल असवाब में आग लगादें । या राजकुमार सेंध, सुरंग, आदि को लगाकर अपने मकान में आग लगादें और चुप्ते से बाहर निकल जाय । या शीशे के बर्तन ढोने वाले लोगों के भेष में निकल आवें मुँड़ों तथा जटाधारियों के आश्रमों में उन्ही के भेष में रात बितावें थीमार बद सूरत जंगली आदि के भेष में या भूत प्रेत के भेष में फिरने वाले गुपचरों के साथ स्त्रीका भेष बनाकर भी राजकुमार बाहर निकलसकता है । यदि शत्रु के सैनिक उसका पीछा करें तो बनैले के भेष में फिरने वाले गुपचर उनको दूसरा राजा बतादें और उसको किसी दूसरी ओर से बाहर निकाल दें या वह गाड़ीवालों की गाड़ियों में छिपकर भाग जावें । यदि शत्रु बहुत ही अधिक पास हों तो सत्र (दल दल आदि से घिरा भयंकर स्थान) का सहारा ले ।

यदि समीप में कोई सत्र न हो तो सोना या जहर मिला उत्तम उत्तम भोजन सड़क के दोनों ओर फेंकदें। और इसप्रकार अपने भागने का प्रबंध करे। इतना यज्ञ करने पर भी यदि वह पकड़ा जाय तो तो सामादि उपाय या जहरीला खाना या लम्बी दुपकी या आग आदि से अपन्दर पीछा लुड़ाने का यज्ञ करे और शत्रु पर यह कहकर आक्रमण करे कि “तुमने मेरे लड़के को मार डाला है।”

—या गुप्तरूप से हथियारों को लेकर पहरेदारों पर आक्रमण करे और तेज भागने वाले गुप्तचरों के साथ भाग जावे।

१२४—१२६ प्रकरण ।

मध्यम तथा उदासीन मंडल के कार्य ।

[क]

मध्यम मंडल के कार्य ।

मध्यम से तृतीय तथा पांचवी प्रकृति प्रकृति [मित्रराष्ट्र] और द्विती , चतुर्थ तथा षष्ठ प्रकृति विकृति (शत्रुराष्ट्र) नाम से पुकारी जाती है। यदि मध्यम दोनों का अनुग्रह करे तो विजिगीषु मध्यम के अनुकूल और अनुग्रह न करे तो उसके प्रतिकूल होजाय।

यदि मध्यम विजिगीषु के मित्र या भावीमित्र पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहे तो वह मित्र के तथा अपने मित्रों को लड़ने के लिये तैयार करे और मध्यम के मित्रों को उससे फाइकर अपने मित्र को बचावे। राष्ट्र मंडल को ग्रेत्साहित करे और कहे कि “मध्यम बहुत ही शक्तिशाली होगया है। अब वह हम सब को नाश करने के लिये तैयार होगया है। आओ आपसमें मिलकर उसकी चढ़ाई को निष्कल करें”। यदि राष्ट्रमंडल मंजूर करले तो उनके साथ मिलकर मध्यम को नीचा दिखावे। यदि यह बात न हो तो अपने मित्र को धन तथा सैन्य [कोश दंड] से सहायता पहुंचावे और मध्यम से दुश्मनी रखने वाले राजाओं को इकट्ठा करे। यदि वह एक दूसरे का मुंह ताकते हों, एक उठ खड़ा हो तो और उठ खड़े

होने के लिये तैयार हों या आपस में एक दूसरे से डरते हों तो उनमें जो मुखिया हो उसको साम तथा दान से अपने वशमें करे । इसी प्रकार दुगुना तथा तिगुना देकर द्वितीय तथा तृतीय प्रकृति को भी अपने साथ मिलावे । जब अपनी शक्ति पर्याप्त अधिक देखे तो मध्यम को सदा के लिये दबाये ।

यदि देश तथा काल उपरिलिखित यत्क के बाधे हों तो मध्यम के शत्रु के साथ संधि करले और देशद्रोहियों को उसके विरुद्ध संगठित करे । यदि मध्यम विजिगीषु के मित्रों को कम करना चाहे और इसी उद्देश्यसे उनके साथ संधि करना शुरू करे तो विजिगीषु अपने मित्र को कहे कि “मैं तुम को तबतक बचाता रहूँगा जबतक कि तुम दुर्बल हो” और साथ ही दुर्बलता की दशा में उसकी रक्षा भी करे । यदि मध्यम विजिगीषु के मित्र को सदा के लिये नष्ट करना चाहे तो विजिगीषु उसको बचावे और यदि वह मध्यम के डर से भाग खड़ा हो तो वह उसको अन्यत्र आश्रय लेने से रोक कर अपने यहां आश्रय दे तो उसको भूमि भी दें । यदि मध्यम के उच्छ्रेदनीय [जिसको वह नष्ट करना चाहता हो] तथा कर्शनीय [जिस की शक्ति को वह कम करना चाहता हो] शत्रु [विजिगीषु के मित्र] मध्यम के साथ मिल जाय तो विजिगीषु दूसरे राजा के साथ संधि करले । यदि मध्यम के ऐसे मित्रों के साथ विजिगीषु दोस्ती करले जिनको कि मध्यम दबाना या नष्ट करना चाहता है तो उसका स्वार्थ भी सिद्ध हो जाय और मध्यम भी उसके साथ प्रीति का व्यवहार करने लगे ।

यदि मध्यम विजिगीषु के भावी मित्र को अपने वशमें करना चाहे तो विजिगीषु किसी दूसरे राजा के साथ संधि करले । और मित्र को कहे कि “तुम मध्यम के साथ न भिलो । मैं तुम्हारी मित्रता को चाहता हूँ” । या यदि देखे कि “राष्ट्रमंडल उससे कुपित हो जायगा यदि वह अपना पक्ष छोड़ेगा” तो जुप होकर बैठ जाय । यदि मध्यम विजिगीषु के दुश्मन पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहे तो वह जुप्ते जुप्ते अपने शत्रु को धन तथा सैन्य से सहायता पहुँचावे । यदि मध्यम उदासीन राजा को अपने वश में करना चाहे तो

विजिगीषु उसको उससे फाड़दे । राष्ट्र मंडलमध्यम तथा उदासीन में जिसके पक्ष में हो, विजिगीषु उसी का पक्ष ले । मध्यम के सदृश ही उदासीन के साथ व्यवहार किया जाय यदि वह विजय की इच्छा करे ।

[४]
उदासीन मंडल.

यदि उदासीन मध्यम पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहे तो विजिगीषु उसको किसी दूसरे शत्रु के साथ लड़ाने की कोशिश करें या किसी दूसरे मित्र की सहायता के लिये प्रेरित करें या स्वयं किसी दूसरे उदासीन राजा की सहायता प्राप्त करे । इस प्रकार अपने आपको शक्तिशाली बनाकर विजिगीषु शत्रु प्रकृति को नीचा दिखावे, मित्रप्रकृति को सहायता देवे चाहे वह उसके प्रति अन्दरूनी दुश्मनी ही क्यों न रखते हों ?

विजिगीषु के भावी शत्रु वही हैं जो कि सदा ही उसका अपकार करें, तकरीफ में उसपर चढ़ाई करें या उसकी तकरीफों की प्रतीक्षा करें । शत्रुओं के साथ रहने वाला पार्षिणग्राह भी इसी में संमिलित है इसी प्रकार विजिगीषु के भावी मित्र वही हैं जोकि उसके साथ एक उद्देश्य से या भिन्न उद्देश्य से, मिल रहा या पृथक् होकर, स्वार्थ से या शान्ति की इच्छा से, कोशदंड में किसी एक को खरीदकर या बेचकर, शत्रु पर आक्रमण करें या द्वैतीभाव (किसी एक के साथ लड़ना तथा दूसरे के साथ संधि करना) की नीति का अवलंबन करें । उसके भावी भूत्यों में वह लोग संमिलित हैं जोकि बलशान् राजा के पीछे (पार्षिणग्राह) भौजइ हों, और जोकि विजिगीषु के प्रताप से या सैन्य के भय से या स्वयं ही उसकी आधीनता में आगेये हों । विजिगीषु के दुश्मनों के पीछे जो राजा हों उनके साथ भी यही नियम है ।

शत्रु के साथ विरोध बढ़ने पर विजिगीषु उसी मित्र का सहारा ले या उसको सहायता पहुंचावे जिसका उद्देश्य उससे मिलता हो और इस प्रकार शत्रुको नीचा दिखावे । यदि शत्रुको जीतने के बाद मित्र की शक्ति बहुत ही अधिक बढ़जाय और वह किसी के

भी कावूका नरहे तो सामंत तथा उसके अड्डोंस पड्डोंस के राजाओं से उसका भगवा करवादे ।

— या कुलीन या कैप में पडे राजकुमार के द्वारा उसकी भूमि को छिनवा ले और उसको इस हालत में पहुंचाये कि वह सदा ही उसके अनुग्रह की इच्छा रखता हुआ वशमें रहे ।—या अमित्र का उपकार कभी भी न करे और अत्यंत कर्शित [चूसांग्या] राजा को अपना मित्र बना लेवे बशतें कि वह उससे कमज़ोर या शक्ति शाली न होवे । यदि कोई मित्र राजनैतिकदृष्टि [अर्थ युक्ति] से चलसंधि [अस्थिर संधि] करे तो ऐसा दल करे जिससे वह स्थिर मित्र बनजाए और उन कारणों को दूर करदे जिनके कारण वह अपने से डर रहता हो । यदि इसपर भी वह शबु ही बनारहे तो उस शठको साधियों से फाड़दे और इसके बाद उसको नष्ट करदे । यदि वह उदासीन बनारहे तो उसको सामन्तों के साथ विरोध करवादे और इसप्रकार जब वह भगड़ों के कारण तकलीफ में पड़जाय तो उसके साथ उपकार करे । जो दुर्बल होनेके कारण अमित्र तथा विजिग्नेषु दोनों का ही साथ दे । उसको सेना द्वारा सहायता दे और ऐसी कोशिश करे जिससे वह पराहमुख न होवे । या उसको वहां से हटाकर दूसरी भूमिका स्वामी बनादे और उस ख्यालपर, सैनिक सहायता देकर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करदे । जो शक्ति प्राप्त करते ही नुकसान पहुंचावे और आपाचि पड़ने पर किसी भी ढंगकी सहायता देवे उसको विश्वास दिक्काकर अपने साथ रखे और मौका पड़नेपर उसको भारडाले । मित्र पर तकलीफ पड़ते ही जो दुझन उच्चवृत्तखल होकर आक्रमण करने के लिये तैयार हो जाय तो मित्रकी तकलीफों को दूरकर मित्रके द्वारा ही उसपर आक्रमण करवाये । जो मित्र शबु के कष्टमें पड़ते ही अपने से विरक्त होजाय उसको कष्ट से मुक्तिपूर शबु के द्वारा ही बचा में करे । अर्थशास्त्रह का कर्तव्य है कि वह संपूर्ण उपायों को काम में लाकर चृद्धि, तथा, स्थान, कर्शतोष्वेदन आदि काम करे । जो उपरिलिखित प्रकार परस्पराधित वाहगुण्य का प्रयोग करता है वह अपनी बुद्धिस्पृष्ठी हथकड़ी से राजाओं को बांध कर मनमाले ढंगपर नचाता है ।

द अधिकरण ।

व्यसनाधिकारिक ।

१२७ प्रकरण ।

प्रकृति-व्यसन-वर्ग ।

यदि विपत्तियां एक साथ आपड़ी हों तो यही चिंता होती है कि “चढ़ाई की जाय या अपनी रक्षा का ही प्रबंध किया जाय” । प्रकृतियों के दैव या मनुष्य विपत्तियां अनय तथा अनय से ही पैदा होती हैं । अनुकूल बात का न होना, दोष का पैदा होना तथा कष्ट या पीड़ा का बढ़ जाना ही विपत्तियों में संमिलित हैं । इसको व्यसन शास्त्र से भी पुकारा जाता है चूंकि यह मनुष्य को सुख तथा कल्याण से रहित कर देती है ।

ग्राचीन आचार्य स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड तथा मित्रविषयक व्यसनों [विपत्तियों] में जो एक दूसरे से पूर्व में है उनको क्रमशः अधिक अधिक भयंकर समझते हैं । इससे विपरीत भारद्वाज स्वामी तथा अमात्य विषयक व्यसन में अमात्य विषयक व्यसन को ही अधिक हानिकर प्रगट करते हैं । क्योंकि मंत्र फल की सिद्धि, कार्यों की समाप्ति, आय व्यय, अन्य काम, सैन्य निर्माण, अभियानों तथा जांगलियों से राष्ट्र तथा राज्य का संरक्षण आदि अमात्यों पर ही निर्भर है । यदि अमात्य न हों तो कुछ भी काम न हों, केटे पंख पक्षी की तरह राजा की चेष्टा नहीं हो जाय और शत्रुओं के घड़ीयंत्र प्रबल होंजाय । अमात्यों पर विपत्ति पड़ते ही राजा की जान खतरे में पड़ जाती है । क्योंकि अमात्य ही राजा की जान बचाता है । परंतु कौटिल्य इस बात के पक्ष में नहीं है । वह भंति, पुत्रेहित, भूत्यर्वग, अध्यक्ष आदियों की नियुक्ति पुरुष, द्रव्य, प्रकृति संबंधी व्यसनों का उपाय, तथा समृद्धि वृद्धि

के साधन राजा के ही हाथ में समझता है । अमात्यों पर विपत्ति पड़ते ही वह अन्यों को विपत्ति से बचाता है । पूज्यों की पूजा तथा बागियों को पकड़ना तथा दंड देना आदि काम वही करता है । यदि वह समृद्ध है तो वह प्रकृति [प्रजा] को भी समृद्ध करदेता है । उसका जैसा स्वभाव होता है, प्रकृतियों का भी वही स्वभाव होजाता है । क्योंकि उनकी कर्मण्यता तथा प्रमाद उसी पर निर्भर है । राजा ही प्रजा का निवोद्ध है ।

विशालाक्ष अमात्य तथा जनपद संबंधी व्यसन में जनपद-व्यसन [जनपद पर पड़ा कष्ट] को ही अधिक भयंकर समझते हैं । क्योंकि कोश, सैन्य (दंड), कुप्य (जांगलिक द्रव्य), विषि (श्रमीवर्ग) बाहन (घोड़ा बैल आदि) तथा धान्य त्रित्रय (धान्य राशि) का आधार जनपद पर है । जनपदके नाश होने पर राजा तथा अमात्य को छोड़कर अन्य कोई भी बात न बचे । इससे विपरीत कौटिल्य अमात्य-व्यसन को ही अधिक भयंकर समझता है । उसका मत है कि संपूर्ण काम, अमात्य पर ही निर्भर हैं । जनपद के कामों का सिद्ध होना, बाह्य तथा अन्तरीय शत्रुओं से शरीर तथा संपत्ति की रक्षा, कल्याण की वृद्धि, व्यसनों का उपाय, उपनिवेशों का बसाना, उजाड़ जमीनों की उभति सैन्य राज्यत्व पारितोषिक तथा अनुग्रह आदि अमात्य के ही अधिक है ।

पराशर के पक्षपाती जनपद तथा दुर्ग व्यसन में दुर्ग व्यसन को ही अधिक भयंकर समझते हैं । क्योंकि दुर्ग में ही कोश तथा सैन्य रखा जाता है, आपत्ति पड़ने पर जनपद को स्थान मिल जाता है, नागरिकों तथा ग्रामीणों की अपेक्षया दुर्ग से अधिक बल बढ़ जाता है तथा आपत्ति पड़ने पर राजा को सदाही सहारा रहता है जानपदों (लोगों) पर अधिक भरोसा रखना ठीक नहीं है उनको अमित्र के सदृश ही समझना चाहिये । इसके विपरीत कौटिल्य का मत है कि कोश, दंड (सैन्य), वार्ता, शौर्य, धैर्य, चातुर्य बाहुल्य (जन संख्या) आदि जनपद पर ही निर्भर हैं । पर्वत तथा द्वीप संबंधी दुर्गों का सहारा लेना ठीक नहीं क्योंकि उसके इधर उधर आवाही नहीं होती । कर्षक प्राय जनपद (जिस में

किसानों की संख्या अधिक हो) में दुर्ग व्यसन और आयुधीय प्रायजनपद (जिसमें सैनिकों की संख्या अधिक हो) में जनपद व्यसन बहुत ही भयंकर समझा जाता है ।

पिशुन का मत है कि दुर्ग तथा कोश के व्यसन में कोशव्यसन ही अधिक खतरनाक है । क्योंकि दुर्ग की रक्षा तथा संस्कार (मरम्मत) कोश के सहारे ही किया जाता है । शत्रु के बद्धयंत्रों का मुख्य साधन भी यही है । जनपद, मित्र तथा अमित्र आदिकों पर प्रभुत्व, दूसरे देशमें गये हुए आदिमियों का प्रोत्साहन और सेना का संग्रह आदि कोश पर ही निर्भर हैं । कोश हो तो कष्ट से बचसकता है । दुर्ग में यह बात कहाँ ? इससे विपरीत कौटिल्य का मत है कि—कोश, सेना, तृष्णी युद्ध (छिपकर लड़ना), स्वपक्ष निग्रह (अपने पक्ष के लोगों को वश में रखना), सैन्य प्रयोग, मित्र बल का संग्रह शत्रु के बद्धयंत्रों का प्रतिवेद्ध, जांगलिकों से संरक्षण आदि दुर्ग पर ही निर्भर हैं । दुर्ग न हो तो कोश शत्रुओं के हाथ में चलाजाय । संसार में दुर्ग वालों का विनाश नहीं देखागया ।

कौणपदंत का मत है कि कोश तथा दंड (सैन्य) के व्यसन में दंड-व्यसन ही अधिक भयंकर है । क्योंकि—मित्र तथा अमित्र को वश में रखना, शत्रु की सेना को प्रोत्साहित करना, अपनी सेना का संग्रह करना आदि दंड (सैन्य) पर ही निर्भर है । यदि दंड न हो तो कोश निश्चित रूप से नष्ट होजाय । यदि कोश न हो तो कुप्य (जांगलिक पदार्थ), भूमि, शत्रु की भूमि आदि प्राप्त करने का लालच देकर सेना को संगठित किया जासकता है । दंड पर ही कोश निर्भर है । राजा के सदा पास रहने के कारण दंड अमर्त्य के तुल्य है । इससे विपरीत कौटिल्य का मत है कि दंड का आधार कोश ही है । यदि कोश न हो तो दंड शत्रु के पास चला जाता है या राजा का धात कर देता है । सब प्रकार की विपत्तियां खड़ी कर देता है । धर्म तथा काम कोश के ही कारण हैं । देशकाल कार्य के अनुसार कोश तथा दंड एक दूसरे के साधक होजाते हैं । दंड तो कोश में प्राप्त हुई वस्तु की ही रक्षा करता है । इससे विपरीत कोश दंड तथा कोश दोनों का ही साधक और संपूर्ण

द्रव्यों का उत्पादक है। इसलिये कोश का व्यसन ही संपूर्ण व्यसनों से भयंकर है।

बातब्याधि दंड तथा मित्र व्यसन में मित्रव्यसन को ही अधिक भद्रकर समझते हैं। क्यों कि मित्र मौका पढ़ने पर बिना किसी प्रकार का मेहनतागा खिये ही काम करदेता है पार्थिष्ठाह, आसार, अमित्र तथा आटविक का प्रतीकार करता है। तकलीफ पढ़ने पर कोश; दंड तथा भूमि देकर सहायता पंहुंचाता है। कौटि-ल्य इस बातके पक्ष में नहीं। उसका विचार है कि—दंड संपन्न [सैन्ययुक्त] व्यक्ति के साथ ही मित्र मित्रका सा व्यथाहार रखता है, अमित्र भी मित्र बनजाता है। यदि कोई काम दंड या मित्र के द्वारा समान रूपसे कियाजासकता हो तो युद्ध देश काल लाभ आवश्यकता आदिको संमुख रखकर जिससे विशेष लाभ देखे उसीसे कामले। यदि किसीपर शीघ्रही चढ़ाई करना हो, या अभिन्न तथा आटविक द्वारा सुलगाये हुए आम्बंतर कोपको शान्त करना हो तो मित्र से काम नहीं निकलता। यदि एक ही समय में अनेक प्रकार के व्यसन उपस्थित होजांय तो और शत्रुकी शक्ति भी बहुत ही अधिक बढ़गई हो तो मित्र अपना स्वार्थ देख कर ही काम करता है। प्रकृति व्यसन में किसी नीतिका अवलंबन करना चाहिये इसका अनुमान इसीसे लग। लेना चाहिये।

यदि प्रकृति के कुछएक अंग विपत्ति में पड़गये हों तो बहुभाव (जनसंख्या की अधिकता), अनुराग या सार (शक्ति शाली सेना) के अनुसार उनकी विपत्ति को दूर करना चाहिये। यदि दो व्यसन एक सदृश हों तो पहिले उसीको दूर करना चाहिये जो चम्प करता हो। वशतें कि प्रकृति के शेषगुणों का नाश होता हो उस व्यसन को सदृश अधिक भयंकर समझना चाहिये बहुत राजा पर आकर पड़ा हो और चाहे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबद्ध हो।

१२८ प्रकरण ।

राजा तथा राज्य विषयक व्यसनों की चिंता ।

प्रकृति शब्द का संक्षिप्त अर्थ 'राजा तथा राज्य' है । राजा का कोप बाह्य तथा आभ्यन्तर के भेद से दो प्रकार का है । घरके सांप की तरह आभ्यन्तर कोप बाह्य कोप से बहुत ही अधिक भयंकर है । आभ्यन्तर कोप में भी अमात्य का कोप और भी बुरा है । इसलिये राजा को चाहिये कि कोश दंड तथा शक्ति को अपने हाथ में रखे । द्वैराज्य [दो व्यक्तियों का राज्य] तथा वैराज्य [विदेशी राज्य] में द्वैराज्य पारस्परिक द्वेष तथा पक्षपात से नष्ट होजाता है । वैराज्य राजा के जीवितरहते हुए भी राष्ट्र को अपना न समझ कर चूस लेता है । या दूसरे के हाथ बेच डालता है । या राष्ट्र को अपने में विरक्त देखकर यों ही छोड़ चलदेता है ।

अंधे तथा चलित शास्त्र [शास्त्र विरोधी] राजा में कौन उत्तम है ? शास्त्र को न समझने वाला अंधा राजा मन माना काम करता है, दूसरे के हाथ में कठ पुतली बनजाता है और अन्याय से राज्य का नाश करदेता है । चलित शास्त्र राजा शास्त्र से विरुद्ध काम करते हुए भी समझाया बुझाया जासकता है । प्राचीन आचार्यों के इसविचार के विपरीत कौटिल्य का विचार है कि अंधा राजा सहायकों के द्वारा किसी एक नीतिके अवलंबन करने के लिये वाधित किया जासकता है । चलित शास्त्र राजा शास्त्र से विरुद्ध होने के कारण अन्याय से राज्य का और अपना नाश करता है ।

नवीन राजा तथा बीमार राजा में कौनसा राजा उत्तम है ? प्राचीन आचार्यों का मत है कि बीमार राजा अमात्य के ऐह यंत्र से राज खो बैठता है या राज्य के कारण जान खो बैठता है । नवीन राजा अपने धर्म, अनुग्रह, परिद्वार [राज्यस्व न लेना] मान अदि कर्मों से प्रजा में प्रय होकर राज्य करता है । इससे विपरीत कौटिल्य बीमार राजा के ही पक्ष में हैं । उसके विचार में

बीमार राजा प्रचलित राज्यनियमों तथा कार्यों के अनुसार काम करता है । नवीन राजा अपनी ताकत के अभिमान में आकर “यह राज्य मेरा ही है” यह समझकर स्वेच्छाचार पूर्ण शासन करने लगता है । दुश्मनों के पंजाँ में फँसकर वह राज्य का नाश सुपचाप बैठेहुए देखता रहता है । प्रकृतियों पर समुचित प्रभाव न प्राप्त कर वह सुगमता से ही नष्ट करदिया जाता है । बीमार राजा के पापरोगी [पापरूपी रोग से प्रस्त] तथा अपरोगी (शरीरिकरोग से प्रस्त) और नवीन राजा के अभिजात (कुलीन) तथा अनभिजात (अकुलीन) यह दो भेद है ।

कुलीन दुर्बलराजा तथा अकुलीन बलवान् राजा में कौन उत्तम है ? आचार्यों के विचार में कुलीन दुर्बल राजाके शासन को चाहते हुएभी प्रकृतियां उसके षड्यंत्र (उपजाप) का सहन नहीं करतीं । बलवान् अकुलीन राजा के षट्यंत्र को वह सुगमता से ही स्वीकार करलेती है । इससे विपरीत कौटिल्य का मत है कि प्रकृतियां दुर्बल कुलीन राजा की आशा पर स्वयं ही चलती है, क्यों कि समृद्ध प्रजा कुलीन राजा को ही पसन्द करती है । बलवान् अकुलीन राजा के षट्यंत्रों को वह खोलदेती हैं । किसी ने ठीक कहा है कि समान गुण वालों की ही मित्रता होती है ।

संपूर्ण खेतके नाश होजाने की अपेक्षा मुठीभर अनाज का नष्ट होजाना ऐसे ही उत्तम है जैसे कि अति वृद्धि अवृद्धि की अपेक्षा उत्तम हैं । क्यों कि संपूर्ण खेतके नाश होने में मेहनत फजूल को ही नष्ट होजाती है ।

मिन्न मिन्न दो व्यसनों (विपस्तियों) में प्रकृतियों के बलाबल पर क्रमशः प्रकाश डाला जानुका । यान (चढ़ाई) तथा स्थान [संरक्षण] संबंधी नीति का इसी के अनुसार अवलंबन करना चाहिये ।

१२६ प्रकरण ।

पुरुष-व्यसन वर्ग ।

अविद्या तथा अविनय पुरुष के कष्टों का हेतु है । अविनीत व्यक्ति (अशिक्षित व्यक्ति) व्यसनों के दोषों को नहीं देखता है ।

कोप संबंधी व्यसन तीन प्रकार के और काम संबंधी चार प्रकार के हैं। व्यसनों में कोप सबसे भयंकर है। किंवदन्ती है कि प्रायः कोप के बश में होकर राजा लोग प्रजा के कोप से और काम के बश में होकर ज्य तथा व्यसन (कष्ट या विपत्ति) से मृत्यु को प्राप्त हुए। भारद्वाज इस विचार से सहमत नहीं है। उनका ख्याल है कि बड़े आदमियों का कोप करना धर्म (आचार) है। कोप के डर से बीर पुरुष प्राप्त होते हैं, अभिमानी लोग नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। पाप रोकने के लिये प्रतिदिन कोप करना ही पड़ता है। (काम भी बुरा नहीं है) काम से ही संपूर्ण सिद्धियां होती हैं। मेल जोल बढ़ जाता है। उदारता तथा प्रीति के भाव उत्पन्न होते हैं। किये काम का फल भोगने के लिये काम से प्रतिदिन संबंध रहता है। परंतु कौटिल्य इस विचार से सहमत नहीं है। उसका विचार है कि कोप से द्वेष, शत्रु का आक्रमण तथा दुःख बढ़ता है। काम से बेइज्जती तथा संपत्ति की हानि होती है और डाकूचोर, जुआरी, शिकारी, गवैश्ये वजैश्ये आदि बुरे लोगों का प्रतिदिन साथ करना पड़ता है। बेइज्जती तथा द्वेष में द्वेष (द्वेष्यता) बहुत ही भयंकर है। बेइज्जत आदमी शत्रुओं से या अपने ही घराने के लोगों से मिलजाता है। द्वेष वाला तो नाश को प्राप्त हो जाता है। संपत्ति की हानि (द्रव्यनाश) तथा शत्रु के आक्रमण (शत्रु वेदन) में शत्रु का आक्रमण अधिक हानि कर है। क्योंकि पहिले से केवल कोश को ही नुकसान पहुंचता है और दूसरे से जान जाने का खतरा रहता है। बुरे लोगों के साथ से दुःख या आपत्ति का आकर पड़ना बहुत ही हानिकर है। क्योंकि बुरे लोगों का साथ क्षण में ही छोड़ा जा सकता है जबकि दुःख या आपत्ति का आकर पड़ना बहुत समय तक कष्ट पहुंचाता है। गाली (वाक् पारूप्य) फजूलखर्ची (अर्थ दूषण) तथा खूनखराबी (दंड पारूप्य) में कौन एक दूसरे से ज्यादा भयंकर है? गाली तथा फजूलखर्ची में—विशालात्म के अनुसार गाली ही ज्यादा भयंकर है। गाली सुनते ही तेजस्वी लोग गुस्से से आगबबूला हो जाते हैं। गाली रुपी सुई जब हृदय

में चुम जाती है तो शरीर गुस्से से थरथर कांपने लगता है और इन्द्रियें परेशान हो जाती हैं। इससे विपरीत कौटिल्य का मत है कि रुपये पैसे के द्वारा सत्कार करने से गाली की चोट मिटजाती है। परंतु फजूलखर्ची से दूति तथा आजीविका के साधन नष्ट हो जाते हैं। फजूल धन देना, लेना, नुकसान मिलना, धन छोड़ना आदि फजूलखर्ची (अर्थ दूषण) में ही संमिलित हैं। फजूलखर्ची तथा खूनखराबी में पराशर प्रथम को ही ज्यादा बुरा समझते हैं। उनका विचार है कि धन पर ही धर्म तथा काम निर्भर है। लोग एक दूसरे के साथ धन से ही बंधे हुए हैं। धन का नुकसान कोई छोटी मोटी बात नहीं। परंतु कौटिल्य खूनखराबी को ही अधिक बुरा समझता है। क्योंकि कितना ही धन किसी को क्यों न दिया जाय वह अपने शरीर के विनाश को नहीं चाहता है। खूनखराबी में दूसरों के द्वारा यही बात पैदा होती है। कोप के तीनों प्रकारों की व्याख्या हो चुकी अब काम के शिकार (मृगया), जुआ (घृत) स्त्री तथा शराब आदि चारों प्रकारों की व्याख्या की जायगी।

शिकार तथा जुए में पिशुन के अनुसार शिकार बहुत ही बुरा है। क्योंकि बहुधा शिकारियों को चोर, दुश्मन, हाथी, धन की आग, भटकना, डर, दिगमोह (दिशाओं का भूल जाना), भूख प्यास, जान जाना आदि खतरों का सामना करना पड़ता है। जुए में तो चतुर लोग जीत ही जाते हैं। जयसेन तथा दुर्योधन का दृष्टान्त इसके लिये पर्याप्त है। इससे विपरीत कौटिल्य का मत है कि जुए में भी किसी न किसी का पराजय होता है और उसको नल तथा युधिष्ठिर की तरह तकलीफें उठानी पड़ती हैं। जुए में जीता हुआ धन संपूर्ण फगड़ों का मूल है। जुए का सबसे बड़ा दोष यह है कि बेमहनत से कमाये हुए धन का उपभोग करना नहीं मिलता, बेमहनत का धन प्राप्त होता है, चिना भोग के ही धन नष्ट हो जाता है और पाखाना पेशाब रोकने तथा भूख प्यास मारने से बीमारी छागजाती है। शिकार में तो इससे विपरीत व्यायाम हो जाती है। ऐसमें, पित्त चर्चीं तथा पसीना संबंधी दोष दूर हो जाता है। चलते तथा खड़े हुए लड्य पर निशाना लगाना

आता है। गुस्से में भरे हुए जानवरों की चित्तबृत्ति को ज्ञान प्राप्त होता है और कभी कभी यात्रा (यात) करने का अवसर मिल जाता है।

कौणपदतं जुए नथा स्त्री संबंधी व्यसन में जुए संबंधी व्यसन को ही ज्यादा भयंकर समझते हैं। क्यों कि जुआरी प्रायः रात रात तक दिये के सामने जुआ खेलते हैं और माके मरने पर भी जुए से नहीं हटते। हारती हुई हालत में उनसे कोई बात पूछो तो गुस्सा करते हैं। स्त्री संबंधी व्यसन में फंसे हुए व्यक्ति से ज्ञान कर्म भोजन आदि के समय में धर्म अर्थ विषयक आवश्यक बात पूछी जा सकती है। राजा के हित में स्त्री को उपांशु दंड [चुप्पे से मरवाना] के द्वारा मरवाया जा सकता है बीमारी के द्वारा भी उसको स्त्री व्यसन से हटाया तथा दूर किया जा सकता है परंतु कौटिल्य स्त्री व्यसन को अधिक भयंकर समझता है। उसका ख्याल है कि जुए से किसी व्यक्ति को हटाया जा सकता है परंतु स्त्री व्यसन में फंसे व्यक्तिको स्त्री से जुदाकरना सुगम काम नहीं है। प्रायः इसमें फंसे राजा कभी भी बाहर नहीं निकलते। आवश्यक कामों को टाल कर अधर्म तथा अनर्थ को बढ़ाते हैं। शराब में दिनरात मस्त रहते हैं और इस प्रकार राज्य को सबर्या दुर्बल कर देते हैं।

स्त्री तथा शराब में वातव्याधि स्त्री व्यसन को ही अधिक भयंकर समझते हैं। निशान्त प्रणिधि प्रहरण में स्त्रीं की बुराइयों पर प्रकाश डाला जा सुका है। शराब में तो इन्द्रियां अपने विषयों का उपभोग करती हैं। संबंधियों के साथ आदर सत्कार का वर्ताव प्रीति का व्यवहार तथा थकावट का नाश आदि शराब से होता है। इससे विपरीत कौटिल्य का मत है कि स्त्री व्यसन में फंसने से अपत्योत्पत्ति, आत्मरक्षा, स्त्री परिवर्तन आदि होता है और यह बात जब अगम्य बाहरी औरतों तक पहुंच जाती है तो सर्व नाश हो जाता है। शराब की भार लगने पर उपरिलिखित से पूर्ण दोष उत्पन्न हो जाते हैं। शराब का सबसे अधिक दोष यह है कि इससे मनुष्य अपने पराये को भूल जाता है अनुभूति होता हुआ भी उन्मत्त हो जाता है, जीते हुए भी मरा मालूम पड़ता है, नंगा हो जाता है

वेद शान्ति वृद्धि जीवन धन दोस्त आदि सब कुछ से बेटता है, सउजन लोगों से जुदा हो जाता है, बदमाशों के साथ रहना चुट करता है, और फजूलखर्ची बढ़ाने वाली गने नाचने बजाने आदि में निपुण औरतों में दिनरात निमग्न रहता है।

बहुत से विचारकों का मत है कि शराब तथा जूए में जुआ ही सबसे अधिक भयंकर है। इसी में बाजी लगाकर जय तथा पराजय होता है। जब यह बाजी प्राणियों या जड़ वस्तुओं के संबंधमें लगाई जाती है तो देश के दो दल में विभक्त हो जाने से प्रहृतियाँ कुपित हो जाती हैं। सङ्घों तथा उन्हीं के सदृश रहने वाले राजकुलों में जूए के कारण भगड़ा विशेष रूपसे देखा गया है। भगड़ा बढ़ने पर प्रायः उनका नाश हो जाता है इस लिये जुआ बहुत ही बुरी तथा सब खराबियों तथा व्यसनों से अधिक खराब व्यसन है। क्यों कि इसके कारण राज्य शिथिल हो जाता है।

सज्जनों में कोप और असज्जनों में काम विशेष रूप से प्रबलता को प्राप्त करता है जिस समय यह दोनों [काम तथा कोप] उपरूप धारण करते हैं उस समय बहुत ही अधिक नुकसान पहुँचाते हैं। यही कारण है कि उनको व्यसन माना गया है। बृद्ध-सेवी, जितेन्द्रिय तथा आत्मवान् राजा को चाहिये कि व्यसनों को सबसे पहिले पैदा करने वाले तथा राज्य को नष्ट करने वाले कोप तथा काम से दूर रहे।

१३०—१३२ प्रकरण ।

पीड़नवर्ग, संभवर्ग तथा कोशसंगवर्ग ।

[क]

पीड़न वर्ग ।

१ अग्नि, २ उदक, [जब], ३ व्याधि, ४ दुर्मिश तथा ५ मरक [संक्रामक रोग] यह दैवी विपत्ति [देव पीड़न] हैं।

पुराने आचार्य अग्नि तथा उदक संबंधी विपत्ति में अग्नि संबंधी विपत्ति को अप्रतिक्रिय (जिससे बचने का कोई उपाय

न हो) समझते हैं। इसको छोड़कर अन्य संपूर्ण विपत्तियों का उपाय है। उदक संवंधी विपत्ति तो नलों के द्वारा सुगमता से ही दूर की जासकती है। इससे विपरीत कौटिल्य उदक संवंधी विपत्ति को बहुत ही अधिक भयंकर समझता है। क्यों कि आग एक गांव या आधे गांवको जलाती है। पानी की बाढ़ (उदक वेग) तो सैकड़ों गांवों को बहा लेजाती है।

व्याधि तथा दुर्भिक्ष में, पुराने आचार्य व्याधिको ही अधिक भयंकर समझते हैं। क्यों कि उससे लोगों के मरजाने, बीमार पड़जाने, नौकरों के इधर उधर भागजाने तथा काम छोड़ देनेसे संपूर्ण काम नष्ट होजाते हैं। दुर्भिक्ष में काम नहीं रुकता है और इससे विपरीत हिरण्य, पशु तथा राज्यस्व दुर्भिक्ष पड़जाने पर अधिक मिलता है। कौटिल्य इस विचार से सहमत नहीं है। उसका मत है कि व्याधि से किसी एक देशको ही कष्ट पहुंचता है और उसका उपाय भी संभव है। इससे विपरीत दुर्भिक्ष से सारे देशको कष्ट मिलता है और प्राणियों का जीना भी कठिन होजाता है।

मरक या संक्रामक रोग में भी यही बात है।

भुद्रक (छोटे लोग) तथा मुख्य (बड़े लोगों) के क्षय में पुराने आचार्यों के अनुसार भुद्रकलोगों का क्षय ही विशेष होने कर है क्यों कि उससे संपूर्ण काम रुक जाते हैं। परन्तु कौटिल्य मुख्य लोगों के क्षय को ही भयंकर समझता है। उसका विचार है कि संख्या में अधिक होने से शुद्रलोगों की कमी सुगमता से पूरीकी जासकती है। मुख्य लोगों के मामले में यही बात नहीं है। साहस तथा बुद्धि (सत्त्व, प्रक्षा) में विशेषता रखने वाला मुख्य हजारों में एक ही होता है। साथ ही भुद्रक लोगों का आश्रय तथा सहारा भी वही है।

स्वचक (स्वराष्ट्र के लोगों के कारण उत्पन्न हुआ कष्ट) तथा परचक [शत्रुका आक्रमण आदि कष्ट] में, पुराने आचार्य स्वचक को ही भयंकर समझते हैं। क्यों कि उससे बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचता है। परचक तो युद्ध, अपसार [दूसरे राजा का बीच में पड़कर आक्रमण को देकरदेना] तथा संधि से रोका जासकता

है। इससे विपरीत कौटिल्य परचक्र को ही भयंकर समझता है। उसका स्थान है कि प्रकृति पुरुष तथा मुख्य लोगों के पकड़ने तथा कतल करवाने से स्वचक संबंधी कष्ट दूर किया जासकता है और इससे जब नुकसान पहुंचता है तो देश के एक भाग को ही नुकसान पहुंचता है। इससे विपरीत परचक्र से संपूर्ण देश को कष्ट पहुंचता है। विलोप [हानि या नुकसान], घात (कतलेआम), दाह (आग लगाना), विध्वंसन (नष्ट करना तथा देश को उजाड़ना) तथा उपचाहन (लूट मार) से सब ओर तबाही मचादेता है।

आचार्य लोग प्रकृति तथा राज विवाद (राजाओं का पारस्परिक झगड़ा) में प्रकृतिविवाद (घरेलू युद्ध भातयुद्ध) को भयंकर समझते हैं। क्योंकि उस से शत्रु को देश पर आक्रमण करने का मौका मिल जाता है। राजविवाद में तो प्रकृतियों को दुगुना वेतन तथा भक्ता मिलने लगता है। इससे विपरीत कौटिल्य राज विवाद को ही हानिकर समझता है। उस का स्थान है कि प्रकृति तथा मुख्यों के पकड़ने तथा उन के पारस्परिक झगड़ों के निपटा देने से प्रकृतिविवाद शान्त किया जा सकता है। प्रकृतियों के परस्परसंघर्ष से राजा को तो लाभ ही पहुंचता है। राज विवाद के शान्त करने के लिये प्रकृतियों का दबाना तथा नष्ट करना आवश्यक है अतः इस में दुगुना कष्ट उठाना पड़ता है।

आचार्य लोग देशविहार (भोग विलास में मन देश) तथा राजविहार (भोग विलास में लीन राजा) में देश विहार को भयंकर समझते हैं क्योंकि इस से सदा के लिये उत्थाद काम नष्ट हो जाते हैं। इससे विपरीत राजविहार में कारीगर शिल्पी, गैवइय, भांड, व्यापारी आदिकों को लाभ पहुंचता है। परन्तु कौटिल्य राज विहार को आधिक हानिकर समझता है। उसका स्थान है कि देश विहार में काम के कम होने से थोड़ा सा ही नुकसान पहुंचता है। लोग नुकसान का अनुभव करते ही तथा रूपया पैसा उड़ाते ही पुनः काम में जुट जाते हैं। राज विहार में तो राजा और

दर्वारी लूट मार खुशामद आदि के द्वारा धन बटोरते हैं और व्यवसायों को नुकसान पहुंचाते हैं।

आचार्य लोग (भोगविलासीप्रिय) राजकुमार तथा (भोग विलास प्रिय राजरानी) सुभगा स्त्री में राजकुमार को ही अधिक हानिकर समझते हैं। क्योंकि वह दर्वारियों के सहारे लूट मार तथा खुशामद आदिके द्वारा धन बटोरता है और व्यवसायों को नुकसान पहुंचाता है। इस से विपरीत सुभगा स्त्री भोग विलास में ही लीन रहती है। परन्तु कौटिल्य सुभगा स्त्री को ही भयंकर समझता है। उस का रूयाल है कि मंत्री तथा पुरोहित लोग समझा बुझाकर राज कुमार को रास्ते पर लासकते हैं। सुभगा स्त्री को कौन समझावे? वह तो बेचकूफ तथा हठी होती है और बदमाश लोगों को ही पसन्द करती है।

आचार्य लोग श्रेणी (कंपनी या जात) तथा मुख्य लोगों में श्रेणी को ही भयंकर समझते हैं। क्योंकि श्रेणी में मनुष्यों के अधिक होने से उसका दबाना सुगम काम नहीं है। प्रायः श्रेणी चोरी तथा डाके के द्वारा भी तक्खीफ देता है। मुख्य लोग जो कुछ कर सकते हैं। वह यही है कि काम में रुकावट डालें तथा लोगों को मरवादें तथा उनकी संपोत्त को छोन लें। कौटिल्य इस विचार के पक्ष में नहीं है। वह समझता है कि श्रेणी राजा के साथ ही उठती बैठती है। उसको दबाना सुगम काम है। श्रेणी के मुखिया या मुख्य भाग को पकड़ा जासकता है। इस से विपरीत मुख्य लोग जथा बनाकर तथा दूसरे की जानमाल लेकर तक्खीफ पहुंचाते हैं।

प्राचीन आचार्य सञ्चिदाता तथा समाहर्ता में सञ्चिदाता को ही भयंकर समझते हैं। क्योंकि वह काम विगड़ कर तथा (अनुचित तथा अव्याययुक्त) जुटाने कर लोगों को कष्ट पहुंचाता है। समाहर्ता तो क्लार्कों से काम लेता है और नियत फल तथा वेतन पर ही काम करता है। परन्तु कौटिल्य समाहर्ता को ही भयंकर मानता है। उसका विचार है कि सञ्चिदाता दूसरों के द्वारा भेजे गये पदार्थों को ही लेता है तथा कोश में रखता है। इससे

विपरीत समाहर्ता अपनी जेब पूरी तरह भरने के बाद राजा के लिये धन इकड़ा करता है, या राजा की आमदनी विगाह देता है या दूसरे की संपत्ति कुड़क करने में अपनी मर्जी मुताबिक काम करता है।

प्राचीन आचार्य अन्तपाल (सीमा रक्षक) तथा वैदेहक (व्यापारी) में अन्तपाल को ही भयंकर समझते हैं। क्योंकि वह खोरों से मिलकर या राज्यस्व से अधिक द्रव्य मांग कर व्यापारी मार्ग को बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचाता है। (वैदेहक व्यापारी लोग) तो व्यापारीय पदार्थों के कायदिकय के द्वारा देश को समृद्ध करते हैं। इससे भिन्न कौटिल्य का यह मत है कि अन्तपाल उत्तम उत्तम पदार्थों को विदेश से मंगाकर देश का उपकार करते हैं। वैदेहक लोग तो आपस में गुट्ठ बनाकर पदार्थों की कीमतें चढ़ाते चलते हैं और सैकड़े पीछे सैकड़ा और कुंभ (१ टन के लगभग) पीछे कुंभ लाभ लेकर धन कमाते हैं।

प्राचीन आचार्य ताल्लुकेदार के हाथ में पड़ी (आभिजातो-परहणा) तथा गोचर में फंसी [पशुवजोपरहणा] भूमि में पहिली को उत्तम समझते हैं। क्योंकि लड़ाई के समय में सैनिक तथा अनाज उससे मिलता है। यही कारण है कि वह उसका राजा द्वारा ग्रहण करना उचित नहीं समझते। कौटिल्य का इससे विपरीत यह मत है कि समय पड़ने पर ताल्लुकेदार के हाथ में पड़ी भूमी को ही लेना चाहिये। क्योंकि उससे किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। गोचर भूमि राज्य को पशु तथा अन्य संमिश्री देती है। जबतक खेतों को ही नष्ट न करना पड़े तबतक उस को ग्रहण न करना चाहिये।

प्राचीन आचार्य डाकुओं तथा जंगलियों में डाकुओं को ही अधिक भयंकर समझते हैं। क्योंकि वह रात में औरतों को उड़ा ले जाते हैं लोगों पर अफमण करते हैं और हर रोज सैकड़ों हजारों रुपयों का डाका मारकर लेजाते हैं। जंगली लोग तो मुखिया के कहने के अनुसार दंगा मचाते हैं। अडोस पड़ोस के जंगलों में घुमते हैं, इधर उधर दिखाई पड़ते हैं और थोड़ा सा ही नुकसान

पहुंचते हैं। इससे भिन्न कौटिल्य का मत है कि डाकू प्रमादी को ही नुकसान पहुंचाते हैं। उनको सुगमता से ही पकड़ा तथा पहिचाना जा सकता है। जंगली लोग अपने अपने देशोंमें रहते हैं। उनकी संख्या भी अधिक होती है। बिगड़ते ही खुलमखुला अपने सामने लड़ने के लिये तैयार हो जाते हैं। देशों को छीन लेते हैं तथा उजाड़ देते हैं। उनको एक प्रकार का राजा ही समझना चाहिये।

साधारण पश्चात् तथा हाथियों के जंगल में साधारण पश्चात् का जंगल उत्तम है। उससे मांस तथा चाम बहुतायत से प्राप्त होता है। धास भी वह लोग थोड़ा खाते हैं और उनका काश करना भी सुगम काम है। इससे विपरीत हाथियों का पकड़ना सुगम काम नहीं है। प्रायः हाथी देश को भी उजाड़ डालते हैं।

विदेशी (परस्थानीय) तथा स्वदेशीय व्यवसाय (स्वस्थानीय) में स्वदेशीय व्यवसाय ही उत्तम हैं। क्योंकि उनसे धान्य, पशु, हिरण्य तथा कुप्य (जांगलिक द्रव्य) प्राप्त होता है। देश के लोग स्वावलंबी हो जाते हैं। विदेशीय व्यवसाय इससे सर्वथा भिन्न है।

(ह)

स्तंभ वर्ग ।

विद्ध तथा वाधा (वाहरी) तथा आभ्यंतर (अंदरूनी) के भेद से दो प्रकार की है। स्वदेशीय मुख्यों (मुखिया लोग) की वाधा आभ्यंतर और जांगलिकों की वाधा वाणि स्तंभ के नाम से पुकारी जाती है।

(ग)

कोश संग ।

उपरिलिखित दोनों प्रकार की वाधाओं (वाणि स्तंभ + आभ्यंतर स्तंभ) तथा मुख्यों (मुखिया लोग) के कारण राज्य कर छोड़ना, झूठमूठ बेफायदे राज्यस्व इकट्ठा किया जाना या सामन्तों तथा जांगलिकों के पेट में राज्यस्व का चला जाना—कोश संग अर्यात् कोश संबंधी विपरिति कहाता है।

देश की समृद्धि के लिये राजा को चाहिये कि वह पांडन वर्ग को न उत्पन्न होने दे, यदि वह उत्पन्न होगये हैं तो उनको दूर करे और संभ तथा संग (संभवर्ग + कोशलंग) के नाश में पूरी कोशिश करे ।

१३३—१३४ प्रकरण ।

बलव्यसन वर्ग तथा मित्रव्यसन वर्ग ।

१ अमानित तथा विमानित, २ अभृत तथा व्याधित, ३ नवागत तथा दूरयात, ४ परिशान्त तथा परिक्षाण, ५ प्रतिहृत तथा हताग्र-वेग, ६ अनुत्रु प्राप्त तथा अभूप्रप्राप्त, ७ शानिवैदि तथा परिष्टप्त, ८ कलत्रगर्हि तथा अन्तःशल्य, ९ कुपितमूल्य तथा भिन्नगमे, १० अपसृत तथा अतिक्षिप्त, ११ उपनिविष्ट तथा समाप्त, १२ उपरुद्ध तथा उपाक्षप्त, १३ छिन्नधान्य तथा छिन्न पुष्पवीवध, १४ स्व-विक्षिप्त तथा मित्रविक्षिप्त, १५ इष्टयुक्त तथा दुष्ट पार्षिंग्राह, १६ शून्यमूल तथा अस्वामिसंहत, १७ निन्न कृट तथा अंध—इत्यादि सेना की विगतियों के भेद हैं ।

१. अमानित तथा विमानित । अमानित (जिसका आदर सत्कार किया गया न हो) तथा विमानित (जिसकी बेइज्जती तथा अनादर किया गया हो) में अमानित सैन्य आदर सत्कार पाकर युद्ध के लिये तैयार हो सकता है । विमानित सैन्य के साथ यह बात नहीं है क्योंकि वह अन्दर ही अन्दर जलता रहता है ।

२. अभृत तथा व्याधित । अभृत [जिसको तनखाह तथा भक्ता न मिला हो] तथा व्याधित [वीमार] में बेतन तथा भक्ता पाकर अभृत सैन्य युद्ध के लिये तैयार हो सकता है । व्याधित सैन्य के साथ यह बात नहीं है, क्योंकि वह काम करने के अयोग्य होता है ।

३. नवागत तथा दूरयात । नवागत (रंगरुट) तथा दूरयात [दूर से आने के कारण थका] में नवागत सत्य दूसरे देश से आकर पुरानों के साथ मिलकर युद्ध कर सकता है । दूरयात सैन्य

के साथ यह बात नहीं है । क्यों कि वह थकावट के कारण लड़ाई के लिये अयोग्य होता है ।

४. परिश्रान्त तथा परिक्षीण । परिश्रान्त (थकाहुआ) तथा परिक्षीण [दुर्बल तथा निश्चक] में परिश्रान्त सैन्य स्नान भोजन तथा निद्रा से विश्राम पाकर युद्ध करसकता है । परिक्षीण सैन्य के साथ यह बात नहीं है, क्यों कि उसमें योग्य पुरुषों का अभाव होता है ।

५. प्रतिहत तथा हताग्रवेग । प्रतिहत [पीछे हटाईगई] तथा हताग्र वेग (जिसका अग्रभाग नष्ट होगया हो) में प्रतिहत सैन्य छिन्न भिन्न हुए हुए अग्र भाग को बीर पुरुषों से जोड़कर तथा संगति कर युद्ध करसकता है । हताग्र वेग सैन्य के साथ यह बात नहीं है, क्यों कि वह अग्र भाग के नष्ट होजाने के कारण युद्ध के अयोग्य होजाता है ।

६. अनृतुप्राप्त तथा अभूमिप्राप्त । अनृतु प्राप्त [जिसके अनु अनुकूल न हो] तथा अभूमिप्राप्त [जो अनुपयुक्त भूमि में मौजूद हो] में अनृतु प्राप्त सैन्य अनृतु के अनुकूल अस्त्रशस्त्र तथा कबच का प्रबंध कर युद्ध करसकता है । अभूमि प्राप्त सैन्य के साथ यह बात नहीं है, क्यों कि वह अनुपयुक्त भूमि में फंसकर इधर उधर गति करने में अयोग्य होजाता है ।

७. आशानिर्वेदि तथा परिष्टम् । आशा निर्वेदि (आशा रहित) तथा परिष्टम् (भगोड़े) सैन्य में आशानिर्वेदि उत्तम है । क्योंकि वह अपना स्वार्थ देखकर युद्ध के लिये तैयार हो जाता है । परिष्टम् सैन्य भागकर यही नहीं करता ।

८. कलत्रगर्हि तथा अन्तः शल्य । कलत्रगर्हि [परिवार के वश में] तथा अन्तःशल्य [शत्रु के वश में] सैन्य में कलत्रगर्हि कलत्र को चिन्ता छोड़ कर लड़ सकता है । अन्दर से दुश्मन होने के कारण अन्तः शल्य यही नहीं करता ।

६. कुपितमूल तथा भिन्नगर्भ । कुपितमूल [भड़की हुई] तथा भिन्न गर्भ [तितर बितर हुई हुई] सैन्य में कुपितमूल सामादि उपायों से शान्त की जाकर युद्ध करने के लिये तैयार हो जाता है । तितर बितर होजाने के कारण भिन्न गर्भ यही नहीं कर सकता ।

७०. अपष्टत तथा अतिक्रिप्त । अपष्टत [भगोड़े] तथा अति-क्रिप्त [नौकरी से बरखास्त किये गये । देश से निकाल दिये गये] सैन्य में अपसृत उत्तम है । क्योंकि वह राजा के द्वारा इकट्ठा किया जाकर मल तथा व्यायाम [संचालन के द्वारा सत्रियों तथा मित्रों की आधीनता में युद्ध करने के लिये तैयार होसकता है । अति-क्रिप्त अनेक राज्यों से दोषों के कारण निकाला जाकर युद्ध के लिये उपयुक्त नहीं होता ।

११. उपनिविष्ट तथा समाप्त । उपनिविष्ट [अनुभवी] तथा समाप्त [एक ही ढंग की लड़ाई जानने वाला] सैन्य में उपनिविष्ट सैन्य ही उत्तम है । क्योंकि उपनिविष्ट को भिन्न भिन्न स्थानों में लड़ना आता है और वह छावनी के अतिरिक्त भी लड़ाई कर सकता है । समाप्त में यही बात नहीं है । क्योंकि वह एक ही ढंग की लड़ाई तथा चढ़ाई में समर्थ होता है ।

१२. उपरुद्ध तथा परिक्रिप्त । उपरुद्ध [(रोका गया) तथा अन-क्रिप्त [सब ओर से घिर गया] सैन्य में उपरुद्ध उत्तम है । क्योंकि वह किसी एक ओर से निकल कर युद्ध कर सकता है । परिक्रिप्त सब ओर से घिर जाने के कारण यही नहीं कर सकता ।

१३. छिन्नधान्य तथा छिन्नपुरुषवीवध । छिन्नधान्य [जिस के पास धान्य न पहुंचा सकता हो तथा छिन्नपुरुषवीवध (जिस की मनुष्य तथा पदार्थ सम्बन्धी सहायता रुक्त गई हो) में छिन्न धान्य उत्तम है । क्योंकि वह दूसरे स्थान से धान्य लाकर या स्थावर तथा जंगम (तरकारी तथा मांस) आहार कर लड़ाई लड़ सकता है । सहायता न मिल सकने के कारण छिन्न पुरुष वीवध यही नहीं कर सकता है ।

१४. स्वविविष्ट तथा मित्रविविष्ट । स्वविविष्ट (अपने ही देश में विद्यमान) तथा मित्रविविष्ट (मित्र के देश में विद्यमान) सैन्य में स्वविविष्ट आपत्ति पड़ने पर इकट्ठा हो सकने के कारण उत्तम है। देश के दूर में होने से मित्रविविष्ट सैन्य समय पर काम नहीं आसकता । •

१५. दूष्युक्त तथा दुष्टपार्षिण्ग्राह । दूष्युक्त (राज्य द्वेषियों से युक्त) तथा दुष्टपार्षिण्ग्राह (जिस के पीछे की सेना दुष्ट हो) सैन्य में दूष्य युक्त सैन्य उत्तम है। क्योंकि आप पुरुषों के आधिपत्य में संगठित हुए बिना भी वह लड़ पड़ता है। पीछे के आक्रमण से घबराया हुआ दुष्ट पार्षिण्ग्राहसैन्य यही नहीं करसकता है।

१६. शून्यमूल तथा अस्वामिसंहत । शून्यमूल (जिस देश में जो सेना न हो) तथा अस्वामिसंहत (जिस का सेना पति या राजा न हो) सैन्य में शून्यमूल नागरिकों तथा ग्रामीणों के द्वारा देश की रक्षा हो सकने के कारण पूरी तैयारी के साथ युद्ध कर सकता है। राजा तथा सेना पति से हीन अस्वामिसंहत सैन्य यही नहीं कर सकता ।

१७. भिन्नकूट तथा अंध । भिन्नकूट (सेनापति हीन) तथा अंध (अशिक्षित तथा अंधी) सैन्य में किसी दूसरे पुरुष के नेतृत्व में भिन्न कूट लड़सकता है परन्तु अंध सैन्य यही नहीं करसकता ।

दोषशुद्धि (दोष दूर करना) बलावाप (सैन्य संग्रह) सत्रस्थान पर प्रभुत्व तथा उत्तर पद के साथ संधि आदियों से सेवा संबंधी कष्ट दूर हो जाते हैं। राजा को चाहिये कि कर्मण्य हुआ हुआ शत्रुओं के द्वारा किये गये कष्टों से अपने सैन्य को बचावे और शत्रु की दुर्बलताओं पर आक्रमण करे। प्रकृतियों पर जिन कारणों से विपत्ति आई हो उन कारणों को दूर करे ।

जिस मित्र ने किसी कारण वश शत्रु के साथ मिल कर चढ़ाई की हो, या—जो कि लोभ मुहब्बत या दुर्बलता के कारण साथ में न लिया गया हो। या जिस आक्रमण करनेवाले शत्रु के साथ द्वैधी भाव की नीति का अवलम्बन कर अपना पीछा छुड़ा लिया हो या

रपया पैसा देकर युद्ध से पृथक हो गया हो, या—जिसने कि अकेले या साथ मिलकर अपने मित्र पर चढ़ाई की हो । या—जिसने कि भयं, अपमान तथा चांचल्य के कारण मित्र को कष्ट से न छुड़ाया हो । या—जोकि अपनी ही भूमि में शत्रु से विरा हो । या—जिसको कि पड़ोसी का खतरा हो । या—जोकि दूसरे के माल को जबत करने या न देने के कारण बेइज्जत किया गया हो । या—जिसने अपनी भूल या शत्रु के कारण अपनी चीज को खा दिया हो । या—जोकि खर्च के भार से दक्ष हो । या—जोकि शत्रु को नष्ट कर चुप बैठ गया हो । या—जिसने कि अग्रकि के कारण उपेक्षा की हो या प्रार्थना करने के बाद भी विरोध किया हो—ऐसे मित्र को साथ में मिला लेना बहुत ही कठिन है । यदि वह साथ में मिल जाय तो शीघ्र ही विरक्ष हो जाता है । यही कारण है कि ऐसे मित्र को कुच्छुसाध्यमित्र कहते हैं ।

मोह या वृथा गर्व से कर्मण्य तथा माननीय जिस मित्र का मान न किया गया हो, या उसकी शक्ति के अनुसार उसको मान न दिया गया हो या उसको बेइज्जत किया गया हो । या—जोकि मित्र के नाश से वशङ्काया हुआ हो, या जो कि शत्रुओं के गुह्य संकेत रहता हो, या राज्य द्वोहेयों के कारण मित्रों से जुदा कर दिया गया हो—उसको साध्यमित्र कहते हैं । जिसके साथ वह मित्रता करता है उसका अन्त तक साथ देता है ।

इसलिये राजा को चाहिये कि मित्र सें फड़ने वाले उपरिलिखित द्वोषों को ज उत्पन्न होने दे, यदि वह उत्पन्न हो गये हों तो उनको नष्ट करने वाले गुणों के द्वारा शान्त करे ।

८ अधिकरण ।

अभियास्यत्कर्म ।

१३५—१३६ प्रकरण ।

शक्ति देश काल तथा यात्रा काल ।

[क]

शक्ति ।

विजिगीषु अपनी तथा शत्रु की शक्ति, देश, काल, यात्रा काल, [आक्रमण करने का अवसर] बलसमुत्थानकाल [सेना में रंगरूटों को भर्ती करने का समय], पश्चात्कोप [चढ़ाई करने के बाद गदर होना] त्य, व्यय, लाभ तथा आपत्ति आदिकों की प्रबलता तथा निर्बलता [बलाबल] को जानकर यदि अपने आप को सबल [विशिष्ट बल] समझे तो आक्रमण करे अन्यथा आसन नीति [उदासीनता] का अवलंबन करे ।

प्राचीन आचार्यों का मत है कि उत्साह तथा प्रभावमें उत्साह ही लाभकर है । शूर, बलवान्, अरोग, कृतात्म (हथियारों से युक्त) तथा सेना से संपन्न (दंडद्वितीय) राजा प्रभावयुक्त को अकेला ही जीत लेता है । उसको छोटी सी भी सेना तेज से कार्य को पूर्ण (कृत्य-कर) कर देती है । प्रभाव होते हुए भी उत्साह से रहित राजा पराक्रम करते ही नष्ट होजाता है । इससे विपरीत कौटिल्य का मत है कि प्रभाववाला राजा उत्साही राजा को अपने प्रभाव से ही नीचा दिखा देता है । वह घोड़ा हाथी रथ तथा हथियारों की बहुतायत होनेसे उत्साही राजा को बुलासकता है । उसके

† डॉक्टर शामशान्ति ने यहां पर भी बलाबल को आपदां के साथ न जोड़ कर पृथक् कर दिया है । जो कि ठीक नहीं है । नस्तुतः बलाबल आपदां के साथ द्व है जैसा कि हमने उपरिलिखित अर्थ में किया है ।

शूरबीर (वीर-पुरुष) सैनिकों तथा योद्धाओं को खराद सकता है या उनको अन्य उपायों से अपने पक्ष में आने के लिये बाध्य कर सकता है । प्रभाव वाली खियें, बेच, लूले लंगड़े तथा अंधे राजाओं ने उत्साही राजाओं के साथ में संपूर्ण पृथ्वी का विजय किया ।

प्राचीन आचार्यों का मत है कि प्रभाव तथा मंत्र में प्रभाव ही उत्तम है । मंत्रशक्ति से युक्त राजा वन्ध्य बुद्धि (जिस की बुद्धि विकसित न हो सकी हो) होने से प्रभाव शून्य हो जाते हैं । मंत्र शक्ति प्रभाव बिना उसी प्रकार फल नहीं देती जिस प्रकार कि फूटे हुए अंकुर वाला धान्य बृष्टि के बिना सूखकर नष्ट हो जाता है । परंतु कौटिल्य मंत्रशक्ति को ही उत्तम समझता है । उसका विचार है कि जिस राजा के पास बुद्धि और शास्त्र रूपी नेत्र हैं थोड़े से प्रयत्न से भी मंत्र को कार्य रूप में परिणत कर सकता है । वह उत्साह, प्रभाव, सामादि उपाय तथा योगोपनिषद् (शत्रु को गुप्त रूप से मारने के तरीके) से शत्रुओं को वशमें ला सकता है । उत्साह, प्रभाव, तथा मंत्र शक्ति में क्रमशः उत्तरोत्तर ही शक्ति-शाली है ।

[ख]

देश ।

देश से तत्पर्य संपूर्ण पृथ्वी से है । इसमें भी वही भाग उत्तम है जो कि समुद्र से हिमालय पर्यन्त उत्तर तक हजार योजन तक फैला हुआ है, जिसमें कि तिर्यक्कहेत्र संमिलित नहीं है और जिसमें कि आरण्य (जांगलिक), ग्राम्य, पात (प्रयात), पर्वत (पार्वतीय), औदक (जलपूर्ण), भौम (भूमिमय), सम तथा विषम प्रदेश संमिलित हैं । इन प्रदेशों में वही काम किये जांश जिन से अपनी शक्ति बढ़े । जो प्रदेश अपने सैनिकों लिये युद्ध काल में उपयुक्त और शत्रु के सैनिकों के लिये अनुपयुक्त हों वही उत्तम हैं । इससे विपरीत अधम, साधारण तथा मध्यम समझने चाहिये ।

[ग]

काल ।

काल से तत्पर्य सर्दी गरमी तथा वर्षा ऋतु से है । रात्रि, दिन, पक्ष, मास, छठ, अग्न (दक्षिणायन तथा उत्तरायण), संवत्सर

तथा युग आदि ही उसकी विशेषता है । इनमें वही काम करे जिस से अपनी शक्ति बढ़े । युद्ध काल में अपने सैनिकों के लिये जो अनुत्त उत्तम और शत्रु के सैनिकों के लिये जो अनुच्छ द्द हो उसी को उत्तम काल समझना चाहिये । इससे विपरीत अधम, साधारण तथा मध्यम हैं ।

[घ]

शक्ति देश तथा काल ।

प्राचीन आचार्यों का मत है कि शक्ति देश तथा काल में शक्ति ही उत्तम है । शक्तिमान् ऊंचे नीचे प्रदेश और सर्दी गरमी तथा वर्षा का उपाय कर सकता है । कुछ लोग कहते हैं कि तीनों में देश ही प्रबल है । जमीन पर कुत्ता नाके को और पानी में नाका कुत्ते को खींच लेता है । इसी प्रकार कुछ लोग काल को उत्तम मानते हैं । दिन में कौआ उल्लू को और रातमें उल्लू कौआ को मार भगाता है । परंतु कौटिल्य तीनों को ही प्रबल तथा एक दूसरे का साधक (परस्पर साधक) मानता है ।

[ङ]

यात्रा काल ।

राजा को चाहिये कि वह शक्ति देश तथा काल से शक्तिशमली होकर, अपने अप्तको पार्षिंग (पृष्ठवर्ती शत्रुराघ्व) तथा सीमा प्रदेश के जंगलों से बचाने के लिये संपूर्ण सेनाके तीसरे या चौथे भाग को राष्ट्रमें ही रखकर और इसके बाद कार्य साधन के लिये जितनी सेना तथा संपत्ति की जरूरत हो उसको साथ में लेकर यदि वह वह समझे कि—शत्रु की भोजन तथा अन्न की सामिग्री पुरानी पहुँच है, उसने अभी नया अनाज नहीं इकट्ठा किया है, दूटे हुए किले को नहीं बनवाया है, उसका कोई भी मिश्र नहीं है, उसका वार्षिक अन्न तथा हेमन्त संबंधी कर [मुष्टि] नष्ट करना आवश्यक है तो मारशीर्ष में [दिसंवर]—या शत्रु के हेमन्त संबंधी फसल तथा बसन्त संबंधी कर (मुष्टि) को नुकसान पहुँचाना चाहिये तो चैत्रमें [मार्च]—या दुश्मन का घास भूसा पानी आदि

कम पढ़गया है, किला दूट पढ़ा है, वार्षिक कर तथा बसन्त की फसल नष्ट करना जरूरी है तो ज्येष्ठ में [मई-जून]—या शत्रु का देश बहुत ही ऊर्ध्व है, और उसका घास ईंधन तथा पानी का प्रबंध करना है तो हेमन्त में शत्रु पर चढ़ाई करदे । इसीप्रकार उनदेशोंपर ग्रीष्म में धावाकरे जिनमें बहुत ही अधिक वर्षा होती हो; नदियां अगाध हों तथा जगह जगह पर धने जंगल मौजूद हों । मार्ग शीर्ष तथा तिथि (दिसंबर तथा जनवरी) प्रलंबियात्रा के लिये, † चैत्र तथा बैशाख (मार्च तथा अप्रैल) मध्यम यात्रा के लिये तथा ज्येष्ठ तथा आषाढ़ (मई तथा जून) हस्तव्यात्रा के लिये उपयुक्त हैं । कष्ट तथा विपत्ति पड़ने पर शान्त हो कर बैठजानाही उत्तम है । विपत्ति पड़ने पर यात्रा (चढ़ाई) किस प्रकार की जाय इसपर विगृह्यायान [युद्ध उद्घोषित करने के बाद चढ़ाई] प्रकरण में प्रकाश डाला जानुका है ।

प्राचीन आचार्यों का मत है कि शत्रु के कष्ट तथा विपत्ति में पड़ते ही यात्रा (चढ़ाई) करनी चाहिये । कौटिल्य का मत है कि कष्ट तथा विपत्ति कभी आती हैं और कभी जाती हैं अतः सामर्थ्य तथा शक्ति के बढ़ने पर या उस समय जब कि विजिगीषु यह समझे कि इस समय चढ़ाई करने पर वह शत्रु को नीचा दिखा सकता है या नष्ट करसकता है तो चढ़ाई करे ।

हाथियों की सेना के साथ उत्तरी गरमी में चढ़ाई करना चाहिये क्यों कि हाथी गरमी में अन्दर ही अन्दर पसीने के सूख जाने के कारण कोही हो जाते हैं । यदि उनको नहाना तथा पानी पीना न मिले तो अन्दुरुनी गरमी या गन्दगी के कारण पागल हो जाते हैं । इस लिये हाथियों की सेना से ऐसे ही देश पर चढ़ाई करे जिसमें पानी बहुतायत से हो और वर्षाभी बहुत ही अधिक हो । इससे विपरीत कीचड़ तथा पानीसे रहित देश पर गदहों ऊँटों तथा घोड़ों की सेना को लेकर और वर्षा के दिनों में बालूमय देश [मरु प्राय] पर चतुरंगीनी सेना को लेकर चढ़ाई करे । मार्ग के—विषय,

† यात्रा शब्द चढ़ाई करने वा धावा मारने के लिये ही प्रयुक्त कियागया है ।

निम्न [जलसे परि पूर्ण], स्थल, हस्त, तथा दीर्घ आदि के अनु-
सार यात्रा [ऋद्धार्द] का विभाग करे ।

कार्य के साधव तथा गौरव के अनुसार ही यात्रा हस्त तथा
दीर्घ काल तक होनी चाहिये । बरसात के दिनों में दूसरे देशमें ही
निवास करना चाहिये ।

१३७—१३९. प्रकरण ।

सेना का इकट्ठा तथा तैयार करना और दूसरे सेना के काम

(१) मौल (२) भृतक (३) श्रेणी (४) मित्र (५) अमित्र
(६) अटवी आदि की सेना के एकत्रित करने का समय ।

(१) मौलबल [ताल्लुके दार की सेना] :— यदि । यह
समझे कि मौलबल मूलरक्षण (मुख्यस्थान की रक्षा) आवश्य-
कतासे अधिक है, या मौल लोग अधिक सेना के होनेसे शक्ति प्राप्त
कर मूलस्थान पर विगड़ जायगे या सर्व प्रिय (बहुलानुरक्त) होने
से मौलबल शक्ति शाली (सारवल) है और उसका प्रत्येक योद्धा
कठिन से कठिन युद्ध के करने में समर्थ है या लंबे से लंबे मार्ग या
समय में मौलबल अप्य तथा व्यय को सहज कर सकता है, या
सर्व प्रिय होने पर भी अन्य सेनाये यातव्य के बद्यन्त तथा कुचक
(उपजाप) में फँस सकती है, या भृत सेना (तनखाह लेकर लड़ने
वाली) पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, या संपूर्ण सेना की
शक्ति के नाश होजाने की संभावना है तो जो उचित समझे करे ।
मौलबल के प्रयोगका समय इन्ही बातों के आधार पर निर्णय
किया जाय ।

[२] भृतकबल (तनखाह लेकर लड़ने वाली सेना) :—
यदि राजा यह समझे कि—मेरा भृतकबल (स्वामी सेना) मौल
बल से बहुत अधिक है, या शत्रु का मौलबल बहुत ही कम है तथा
विरक्त (सञ्चय द्वारा ही) है, या भृत बल तुच्छ तथा शक्ति हीन है,

या देश तथा समय कम है और क्य तथा व्यय भी अधिक नहीं है, या मेरी सेनाको आराम लेने का अभीतक मौका नहीं मिला है [अल्प स्वाप], उसमें शक्ति है (शान्ताजाप) या उसको मुझपर विश्वास नहीं है, या शत्रुके अल्पप्रसार (छोटी सी जांगलिक सेना या जांगलिक सहायता) को शीघ्र ही नष्ट करता है—तो जो उचित समझे करे । भूतक बल के प्रयोग का समय इन्हीं बातों के आधारपर निर्णय किया जाय ।

[३] श्रेणीबल [संघोंकीसेना] :—यदि राजा यह समझे कि मेरा श्रेणीबल मूल स्थान या यात्रा [चढ़ाई] के लिये उपयुक्त है, शत्रु के देश में बहुत समय तक न रहना पड़ेगा [हस्त प्रवास], शत्रु की सेना में श्रेणी बल ही मुख्य है, उसके प्रत्येक योद्धा मंत्रयुद्ध तथा प्रकाश युद्ध करने के लिये तैयार है, विशेष सेवा की जरूरत होगी तो जो उचित समझे करे । श्रेणीबल के प्रयोग का समय इन्हीं बातों के आधार पर निर्णय किया जाय ।

(४) मित्रबल (मित्रराजा की सेना) :—यदि राजा यह समझे कि—मेरा मित्रबल बहुत ही अधिक है, मूल की रक्षा या चढ़ाई करने में समर्थ है, शत्रु के देश में बहुत समय तक न रहना पड़ेगा, मंत्र युद्ध की ओरतया प्रकाश युद्ध अधिक है, या मित्र बल के द्वारा पहिले जंगल तथा नगरी पर लड़ाईकर और आसार (मित्र बल) को लड़ाकर अपनी सेना से बाद को लटूँगा या मित्र के सहश ही मेरा काम है, मित्र ही पर मेरा कार्य निर्भर है, मित्र सदा ही मेरे पास है, या मित्र को प्रसन्न करना है या मित्र के लिये तैयारी करना है—तो मित्र बल के प्रयोग का समय इन्हीं बातों के आधार पर निर्णय करे ।

(५) अभित्र बल (शत्रु की सेना) :—यदि राजा यह समझे कि—मेरे शत्रु की सेना बहुत अधिक है, उसको शत्रु की सेना से लड़ाऊँगा या शहरी तथा जंगली लोगों के साथ भिड़ाूँगा और कुत्ते सुअर की लड़ाई में चंडाल की तरह अपना स्वार्य सिद्ध

करूँगा, या आसार [मित्र की सेना] तथा जांगलिक [अटबी बल] सेना को चुटकी में ही नष्ट प्रष्ट करदूँगा, या कोप (गदर) का भय है अतः वही हुई शत्रु की सेना को विदेशमें भेज दूँगा या शत्रु तथा अवर (हीन शक्ति वाला राजा) का युद्ध शीघ्र ही होने वाला है—तो अमित्र बल के प्रयोग का समय इन्हीं बातों के आधार पर निश्चय करे । ‘

(६) अटबी बल (जांगलिकों की सेना):—अटबी बल के प्रयोग का समय भी उपरिलिखित प्रकार ही है । इष्टान्तस्वरूप यदि वह यह समझे कि—पथर्दर्शक की जरूर पड़ेगी या जांगलिक सेना मार्ग में ही मिल सकती है, शत्रु की सेना के लिये युद्ध भूमि उप-युक्त नहीं है या शत्रु की सेना में जांगलिक अधिक हैं अतः जांगलिकों को जांगलिकों से लड़ादिया जाय या शत्रु की जांगलिक सेना (प्रसार) शीघ्र ही नाश की जासकती है तो वह अटबी बल को काम में लावे ।

सैन्य भिन्न भिन्न जाति के हैं—या कहे बिना कहे ही दूसरों को लूटने लगते हैं—या बिना तनखाद तथा भत्ता के ही लड़ने के लिये तैयार होजाते हैं—या वृष्टि आदि का स्वयं ही उपाय कर सकते हैं,—या शत्रु उनको छिप भिज कर सकता है,—या एक ही देश जाति तथा देश के होने से वह पूर्ण रूपसे संगठित है—इत्यादि बातों को सामने रख कर राजा सैन्य का संगठन करे । इनमें से अमित्र तथा अटबी बल को जांगलिक द्रव्य [कुप्य] या लूटमार (विलोपभृत) की आशा देकर नौकरी पर रखे । शत्रु ज्यों ही सेना संग्रह [बल काल] करने लगे उसके मार्ग में बाधा डाले । उसको अन्यत्र भेजदे । तितरवितर करदे । उसके यद्व को निष्फल करदे । समय खत्म होने पर बरखास्त करदे । शत्रु के सेना संग्रह संबंधी यद्व को नष्ट कर और स्वयं यही काम करे । उपरिलिखित सेनाओं में पूर्व पूर्व की सेना ही उत्तम है । भृत बल से मौलबल उत्तम हैं क्योंकि वह शिक्षित होती है और युद्ध के लिये ही तैयार हो जाना, प्रतिदिन रहना, शीघ्र ही लड़ने के लिये तैयार हो जाना,

आङ्ग के अनुसार काम करना आदि गुणों से भृतवल श्रेणी वलसे उत्तम है । संघर्ष, फोध, सिद्धि, लाभ, उद्देश आदि में सहशता के साथ साथ स्वदेशोत्पन्न होने से श्रेणीवल मित्रवल से तथा अपरिमित देश, समय तथा समान उद्देश्य से मित्रवल अमित्रवल से उत्तम है । अटवीवल से वह अमित्र वल उत्तम है जिसका सेनापति कोई आर्य हो । दोनों ही सेनायें लूटमार जादा पसन्द करती हैं । यदि लूटमार का कोई मौका न हो तथा राजा भयंकर विष्टि में पड़गया हो तो दोनों ही सेनायें घरके सांप की तरह खतरनाक ज्हौजाती हैं ।

प्राचीन आचार्यों का मत है कि तेज की प्रधानता होने से चारों दणों की सेना में पूर्व पूर्व वर्ण की सेना ही उत्तम है । इससे विपरीत कौटिल्य का मत है कि शत्रु शिरखुका कर तथा प्रणाम कर ब्राह्मण सेना को शीघ्र ही अपने वशमें कर सकता है । लड़ाई के लिये तो शिक्षित ज्ञात्रियों की सेना ही उत्तम है । अधिक संख्यामें वेश्यों तथा शद्दों की सेना भी ठीक है । शत्रुकी सेना इतनी है और उसके विरोधी सेना की शक्ति इतनी है इत्यादि बातों के अनुसार ही सेनाका संग्रह किया जाय । हाथियों की सेना की विरोधी समान शक्तिशाली सेना वही है जोकि हाथी, यंत्र, गाड़ी, गर्भ कुल, खर्बठ, बांस बाण आदि से पूर्ण रूप से सुसज्जित हो । धुड़ सबारों तथा रथियों की विरोधी सेना वही है जिसके पास पत्थर डंडे कवच अंकुश कवचप्रहणी आदि हथियार हो । कवचधारी सेना से लड़ने के लिये घोड़ों तथा हाथियों की सेना को और चतुरंगिनी सेना का मुकाबला करने के लिये प्यादों तथा रथियों को कवच पहिन कर लड़ना चाहिये ।

राजा को चाहिये कि वह अपनी सेना के भिन्न भिन्न विभागों की शक्ति को देख कर सेना का संग्रह करे और शत्रु की सेना को नष्ट करे ।

१४०—१४१ प्रकरण ।

पश्चात्कोप चिंता और बाह्याभ्यंतर प्रकृति कोप का प्रतिकार ।

यदि पश्चात्कोप (चढ़ाई करने के बाद थोड़ासा गदर होजाना) अल्प हो और पुरस्ताल्लाभ (चढ़ाई करने के बाद बहुत भारी लाभ मिलता हो) बहुत ही अधिक हो तो प्रथम को ही मुख्य समझना चाहिये । क्यों कि चढ़ाई करने के बाद रज्यद्रोही दुश्मन तथा जंगली सेना विद्रोह को बहुत ही अधिक सुलगाँहें । प्रकृति के विद्रोही होनेपर बड़े से बड़ा भी पुरस्ताल्लाभ निरर्थक होजाता है । जब देश में यही बात होतो स्वयं भूत्य मित्र आदि की सेना का चय तथा व्यय करे और पुरस्ताल्लाभ की प्राप्ति के लिये सेनापति, राजकुमार तथा दंडचारी (सेनापति) को आगे भेजदे । यदि उसकी शक्ति बहुत ही अधिक हो और वह पश्चात्कोप कहीं परभी बैठेहुए शान्त करसकता होतो पुरस्ताल्लाभ की प्राप्ति के लिये चढ़ाई करदे । यदि आभ्यंतरकोप की शंका हो तो संशयास्पद [शंकित] लोगोंको चढ़ाई करते समय अपने साथ में लेले । यदि उसको बाह्यकोप [शत्रु का आक्रमण] की संभावना होतो संशयास्पद लोगों के परिवार अपने पास रखकर और भिन्न भिन्न सेनाओं के बगाँ का मुखिया भिन्न भिन्न व्यक्तियों को बनाकर तथा स्थान स्थान पर शूल्यपाल को नियुक्त कर चढ़ाई करे या उचित न समझे तो चढ़ाई न करे । बाह्यकोप से आभ्यंतर कोप भयंकर है इसपर पूर्वमें ही प्रकाश ढाला जानुका है । आभ्यंतरकोप से तात्पर्य मंत्रि, पुरोहित, सेनापति तथा युवराज आदिकों के कोप या विद्रोह से है । इसको अपने दोषों को दूरकर या शत्रु के आक्रमण का उनको भय दिखाकर दूरकरे । यदि पुरोहित बहुत बड़ा राज्यापराध करे तो उसको कैद करले या देश निकाला देदे । यदि कोई दूसरा अच्छा लड़का मौजूद हो तो युवराज को कैद करदे ।

या मारडाले [निग्रह] । मंत्रि तथा सेनापति के साथ भी इसी ढंग का व्यवहार किया जाय । यदि कोई लड़का, भाई या रिश्तेदार राज्य छोनने की कोशिश करे तो दिलासा देकर शान्त करे । यदि इसपर भी वह शान्त न हों और शत्रु का भय हो तो उनको वह चीज़ लौटावे जो कि उसने उनसे ली हों था उनके साथ संधि करले या उन्हीं की हैसियत वाले अन्य लोगों के द्वारा उनको भूमि तथा जगीर आदि देने का विश्वास देवे या सेना देकर उनको राज्य संबंधी काम से शत्रु के पास भेजदेवे या उनके विरोधी सामन्तों तथा जांगलिकों को उनके विरुद्ध भड़कावे या उस नीति का अवलंबन करे जिसका उल्लेख अवरुद्धदान (राज कुमार को कैदकर रखना) तथा पारप्राप्तिक (शत्रु के गांवों को जीतना) प्रकरण में किया गया है । मंत्रि तथा सेनापति के साथ भी यही व्यवहार किया जाय । मंत्रि आदि से मिन्न छोटे छोटे अमात्यों के विद्रोह को अन्तरमात्यकोप कहते हैं । उसको शान्त करने के लिये भी उचित उपायों का प्रयोग करे । राष्ट्रमुख्य [राष्ट्रों के मुखिया], अन्तपाल [सीमा रक्षक], आटविक (जंगल का प्रबंध कर्ता), तथा पराजित राजा [दंडोपनत] का विद्रोह बाह्यकोप कहाता है । उनको एक दूसरे के साथ लड़ाकर बाह्यकोप को शान्त किया जाय । जिसके पास बहुत ही उत्तम दुर्ग हो उनको सामंत आटविक तथा कैदी कुलीन आदियों में से किसी के द्वारा पकड़वा दिया जाय । मित्र के द्वारा भी यही करवावे परन्तु रुखाल इसी बात का रखे कि वह दुश्मन न हो जाय । दृष्टान्त स्वरूप यदि वह शत्रु से मिले तो सत्री यह कहकर उनको शत्रु से फाड़े कि—अमुक शत्रु ने तुझको अपना साधन (योग पुरुष) बना लिया है और तुझको अपने ही राजा के साथ लड़ाना चाहता है । अपना मतलब सिद्ध कर यह तुझको दंडचारी (सेनापति) बनावेगा और दुश्मनों तथा जांगलिकों से लड़ावेगा या भयंकर कष्ट तथा परेशन में भौंक देवेगा या परिवार से जुदाकर तुझको राष्ट्र के अन्त में रहेते के लिये वाधित करेगा या निःशक्त देखकर तुझको राजा के हाथ में बेच देगा या तुझ से संविकर राजा को प्रलभ

करने की कोशिश करेगा। इस लिये तुम्हको चाहिये कि तू किसी मित्र का सहारा ले। यदि उसको यह बात समझ में आजावे तो उसका इष्ट बातों से आदर सत्कार करे। परन्तु यदि वह इतने पर भी न समझे तो सभी सफा सफा कहें कि मुझको राजा ने तुम्हारे समझाने के लिये भेजा है। क्योंकि तुम नहीं समझते हो अतः “राजा की आङ्ख के अनुसार मैं तुमको मारता हूँ” यह कहकर मार डाले। या यूँ पुरुषों (गुप्तचर का भेद) या साध रहने वाले धीर अङ्गरक्षकों के द्वारा उसको कतल करवाए। इन लोगों के शान्त करने का यही तरीका है। राजा को चाहिये कि शत्रु के देश में विद्रोह करवाये और अपने देश में विद्रोह को शान्त करे। जो लोग देश में गदर करने या उसको शान्त करने में समर्थ हों उनके देश में षड्यंत्र (उपजाप) रखे। जो लोग अपनी बात की आन पर खड़े रहें, काम करने में समर्थ हों, नये काम तथा फल के ग्रास होने पर अनुग्रह करें, और विपत्ति पड़ने पर बचावे उनके देशों में शत्रु के द्वारा किये गये षड्यंत्रों को दूर करे (प्रतिजाप)। साथ ही इनके विषय में निम्नलिखित बातों के द्वारा कहना करे कि “अमुक कल्याण बुद्धि है या शठ है?” जो लोग बाह्य शठ होते हैं वह देश के लोगों के साथ इस ढंग की बात करते हैं कि— यदि राजा को मानकर तुम मुझ को अपना राजा बनाओ तो मुझे भूमि भी मिले और मेरे शत्रु का नाश भी होजावे। इस प्रकार मुझ को दुश्मन लाभ मिल जावे। या शत्रु उसको इस प्रकार नष्ट कर सकता है। यदि उस के बन्धुओं का नाश हो जाय तो सामान्य विपत्ति से घबड़ाकर वह कहाँ मुझ से भी नाराज न हो जाय और देश के लोग मेरे पक्ष में न रहें। और दूसरे राजा पर भी संदेह न करने लगे। राज्य मिलेन पर उसके अमुक मुखिया को राजाका देकर मरवादूँगा। और जो लोग आध्यंतरशठ होते हैं वह बाहरी लोगों से यह कहकर षट्यंत्र रखते हैं कि इसका कोश छोनलंगा। या इसकी सेना को नष्ट करदूँगा। या उसके द्वारा दुष्ट स्वामी को मरवादूँगा। जो बाह्य मुझ पर विश्वास रखता है उसको अभिन्नों तथा जांगलिकों के साथ लड़ादूँगा। उसके देश में

वद्यंत्र रचूँगा । उस के साथ दूसरे को दुश्मनी करवादूँगा । वह मुझ से इस प्रकार स्वाधीन हो जायगा । इसके बाद स्वामी के राज्य को इस प्रकार ग्रहण कर लूँगा । या स्वयम् ही राज्य को मैं जब्त करलूँगा । या उसको बांध कर बाहरी भूमि के साथ साथ स्वामी की भूमि का भी स्वामी बनजाऊँगा । जो बाहा मेरे विश्व होगा उसको दूसरे के स्थान पर लेजाकर अकेले मैं भरवाडालूँगा । या उसके मूलस्थान को शून्य पाकर छीनलूँगा । जो लोग कल्याण बुद्धि होते हैं वह वही काम करते हैं जिस से साथियों का स्वार्थ सिद्ध हो । कल्याणबुद्धि के साथ संधि करे । शठ को “वैसा ही होगा जैसा तुम कहते हो” यह कहकर धोका दे । इसी दंग पर संपूर्ण काम करे ।

बुद्धिमान् राजा को चाहिये कि वह—दूरवर्तियों को दूरवर्तियों से मित्रों को मित्रों से, मित्रों को दुश्मनों से, स्वदेशवासियों से मित्रदेशवासियों को, और अपने को मित्रों तथा शत्रुओं से सर्वशा बचाता रहे ।

१४२ प्रकरण । क्षय व्यय तथा लाभ का विमर्श ।

क्षय । योग्य पुरुषों के हास का नाम क्षय है ।

व्यय । हिरण्य तथा धान्य के हास का नाम व्यय है ।

शत्रु पर तभी आक्रमण करे जब कि क्षय तथा व्यय की अपेक्षया लाभ अधिक देखे ।

१. आदेय २ प्रत्यादेय ३ प्रसादक ४ कोषक ५ हस्त काल ६ ततु क्षय ७ अलपव्यय ८ महान् ९ वृद्धयुद्य १० कल्प ११ धर्म १२ पुरोग इत्यादि लाभ की विशेषतायें हैं ।

१. आदेय । जो लाभ सुगमता से प्राप्त हो, सुरक्षित रखा जासके तथा शत्रु जिसको ग्रहण न कर सके उसको आदेय कहते हैं ।

२. प्रत्यादेय । आदेय से विपरीत लाभका नाम ही प्रत्यादेय है । जो इसको ग्रहण करता है या इसमें निमग्न रहता है वह विनाश

को प्राप्त होता है । यदि वह यह देखे कि—प्रत्यादेय टम्भ को प्रहण कर मैं शत्रु के कोश इंड (सैन्य) तथा संरक्षण के साधनों का ज्ञय कर सकूँगा । या—खान, द्रव्यबन (जंगल), हस्तबन (हाथी का जंगल), सेतुबंध [पुल], विणिक्षपथ (व्यापारी मार्ग), आदि को चूस कर निष्ठार बनादूँगा । या—शत्रु की प्रकृतियों को ज्ञान कर दूँगा; दूसरे देश में भागने के लिये बाधित कर दूँगा या उसके विकल्प विद्रोह करने के लिये तैयार करूँगा । या—उसको शत्रु से लड़ादूँगा, या—शत्रु के पास पढ़े पण्य को उसे देदूँगा या—उसको किसी एक विरक्त कुलीन शत्रु की शरण में उसको भेज दूँगा या—उसको भूमि दूँगा और इस प्रकार उसको ऊचा कर सदा के लिये अपना मित्र बना लूँगा—तो वह प्रत्यादेय लाभ को भी प्रहण करले । आदेय तथा प्रत्यादेय में इसी नियम को काम में लाना चाहिये ।

३. प्रसादक । जो लाभ (देश आदि) अधार्मिक से धार्मिक को मिले वह अपने तथा पराये लोगों की प्रसन्नता का कारण होने से प्रसादक कहाता है । इससे विपरीत लाभका नाम प्रकोप है ।

४. कोपक । जो लाभ मंत्रियोंके उपदेश से मिले उसको कोपक कहते हैं । क्योंकि मन्त्री लोग समझने लगते हैं हमने ही राज्य को ज्ञय व्यय से बचाया । रज्य द्वाही मंत्रियों के अनादर से जो लाभ मिले उसको भी कोपक कहते हैं । क्योंकि वह लोग यह समझत हैं “स्वार्थ सिद्ध होने के बाद यह हमारा नाश करदेगा” । कोपक लाभ से विपरीत लाभ को प्रसादक कहते हैं । प्रसादक तथा कोपक में इसी नियम को काम में लाना चाहिये ।

५. द्वस्वकाल आक्रमण करते ही जो लाभ मिले उसको द्वस्व-काल कहते हैं ।

६. तनुष्य । जो लाभ मंत्र मात्र से साध्य हो उसको तनुष्य कहते हैं ।

७. अल्पव्यय । जो लाभ भक्त मात्र (भक्ता) व्यय से ही प्राप्त हो उसको अल्पव्यय कहते हैं ।

८. महान् । जिसका तात्कालिक लाभ बहुत ही अधिक हो उस को महान् कहते हैं ।

९. वृद्धयुदय । जिस के प्राप्त होते ही विशेष लाभ हो उसको वृद्धयुदय कहते हैं ।

१०. कल्य । जो बाधा रहित [निराबाधक] हो उसको कल्य कहते हैं ।

११. धर्म्य । जो प्रशस्त हो उसको धर्म्य कहते हैं ।

१२. पुरोग । भिन्न राष्ट्रों (सामवायिक) से जो बिना किसी प्रकार की बाधा या शर्त [अनिर्बन्ध] के लिये हो उसको पुरोग कहते हैं ।

यदि तुल्य लाभ दिखाई पड़े तो— १ देश, २ काल, ३ शक्ति, ४ उपाय, ५ प्रिय, ६ अप्रिय, ७ जप [षड्यंत्र], ८ अजप (अषड्यंत्र) ९ सामीप्य, १० विप्रकर्ष [दूरी], ११ तदात्व (तात्कालिकता), १२ अनुबंध (साथ होना), १३ सारत्व, १४ असारत्व, १५ असातत्य (जो लगातार न हो), १६ बाहुल्य तथा बाहुगुण्य (बहुत उत्तम) देखकर लाभ प्रहण करे ।

लाभविघ्न । १ काम, २ कोप, ३ साध्वस (भीखता), ४ काशण्य ५ ही [लज्जा], ६ अनार्थभाव, ७ मान, ८ दयालुता, ९ परलोकापेक्षा (परलोक को ख्याल), १० धार्मिकता, ११ अतिकृत, १२ दैन्य, १३ ईर्ष्या (असूया), १४ प्रमाद, १५ उदारता, १६ अविश्वास, १७ भय १८ संतोष, (इतिकार), १९ गरमी सर्दी तथा बर्षा से अपने आप को बचाने में असामर्थ्य और २० तिथि नक्षत्र तथा यज्ञ का मंगल पूण होना आदि लाभविघ्न की विशेषताएँ हैं ।

जो नक्षत्र आदि को बहुत ही अधिक प्रकृता है उस के अर्थ सिद्ध नहीं होते । अर्थ का साधक (नक्षत्र) तो अर्थ ही है । तो इ क्या कर सकते हैं ? कार्य में चतुर व्यक्ति (साधन) सैकड़ों प्रकार की कोशिश कर अर्थ को प्राप्त कर लेते हैं । जैसे हाथी हाथी को बांधता है वैसे अर्थ अर्थ को खींचता है ।

१४३ प्रकरण ।

बाह्य तथा आन्तर आपत्तियां ।

संघि आदि का उचित ढंग पर न करना ही अपनय है । इससे बहुत प्रकार की विपत्तियां उपस्थित होजाती हैं । दृष्टान्त स्वरूपः—

१ बाहरी लोगों से देश के अन्दर उत्पन्न की गई विपत्ति ।

२ देश के अन्दर के लोगों का बाहरी लोगों से मिलने के कारण उत्पन्न विपत्ति ।

३ बाहरी लोगों का देश के बाहर ही पड़यन्त्र रखना ।

४ अन्दर के लोगों का देश के अन्दर ही पड़यन्त्र रखना ।

अब इन पर क्रमशः प्रकाश डाला जायगा ।

(१) बाहरी लोगों से देश के अन्दर उत्पन्न की गई विपत्ति । अन्दर के लोग विदेशियों से या विदेशी अन्दर के लोगों से मिल कर जब पड़यन्त्र रखते हैं तो पड़यन्त्र बहुत ही भयंकर होता है । जो लोग इस के बीच में होते हैं वह किसी न किसी प्रकार का बहाना बनाकर बच जाते हैं । परन्तु जो पड़यन्त्र के अनुसार काम करते हैं या उस में पूर्ण रूप से संमिलित होते हैं वह नहीं बचते । उनको एक बार यदि देखा दिया जाय तो, फिर दूसरों को ऐसी हिम्मत नहीं होती । बाहरी अन्दरूनी लोगों से तथा अन्दरूनी लोग बाहरी लोगों से पड़यन्त्र नहीं रखते । बाहरी लोगों की संपूर्ण कोशिशों के निष्फल होने से राजा की शक्ति तथा समृद्धि बढ़ जाती है ।

(२) देश के अन्दर के लोगों के बाहरी लोगों से मिलने के कारण उत्पन्न विपत्ति । देश के अन्दर जो लोग पड़यन्त्र रखें उनको साम तथा दान द्वारा शांत कर दिया जाय । साम से तात्पर्य स्थान तथा मान से और दान से तात्पर्य अनुग्रह परिदार (राज्यस्व से मुक्त करना) तथा काम आदि देने से है । जो लोग बाहरी लोगों से मिलकर पड़यन्त्र रखें उनको भेद तथा दंड के द्वारा दबा दिया जाय । मिश बनकर गुप्तवर सोग बाहरी लोगों को कहें कि “आप

समझदार हो जाइये । अमुक आदमी राजद्रोही के भेस में आप के नुकसान पहुंचाना चाहता है । इसी प्रकार राजद्रोही का भेस बनाये हुए गुप्तचर राजद्रोहियों को बाहरी लोगों से या बाहरी लोगों को राजद्रोहियों से फाड़ देवें । तीक्ष्ण लोग उन के पेट में घुस कर उन को मार डालेंगे । या बाहरी लोगों से उन को मरवादें ।

(३) बाहरी लोगों का देश के अन्दर ही पड़यंत्र रचना । जब बाहरी लोग, बाहरी लोगों के साथ और अन्दर के लोग, अन्दर के लोगों के साथ पड़यंत्र रचने तो उनका एक उद्देश्य से आपस में मिलना बहुत ही खतरनाक होता है । दोष के दूर करने पर राजद्रोही स्वयं ही नष्ट होजाते हैं । परन्तु यदि कोई राजद्रोहियों को नष्ट करे तो उसके दोष [दुर्गुण] अन्य बहुत से लोगों को राजद्रोही बना देते हैं । इस लिये पड़यंत्र रचने वाले बाहरी लोगों को भेद तथा दंड से दबावें । मिश्र के भेष में सत्री लोग (गुप्त चरों का एक भेद) उनको कहें कि “आप यह समझ लीजिये कि यह राजा अपने मतलब को सिद्ध करने के लिये दूसरे राजा से लड़ाई क्लेंड रहा है” । साथ ही राजदूत की सेना के साथ गये हुए तीक्ष्ण लोग शस्त्र तथा जहर आदि से उनको मारडालें । इस के बाद सत्री लोग पड़यंत्र रचनेवालों को सारी की सारी बात बतादें ।

(४) अन्दर के लोगों का देश के अन्दर ही पड़यंत्र रचना । ऐसे लोगों का उचित उपाय किया जाय । जो लोग असंतुष्ट हो या संतुष्ट मालूम पढ़ें उनके साथ साम उपाय का उपाय प्रयोग किया जाय । या दान उपाय के अनुसार उनका आदर सत्कार किया जाय और उनको कहा जाय कि तुम्हारी राजमहिले देख कर या तुम्हारे सुख दुःख का स्थाल रखकर ही ऐसा किया गया है । या मिश्र के भेष में गुप्तचर उनसे कहें कि “राजा तुम्हारे, हृदय की बात जानन चाहता है । अतः तुम उसको आदि से अन्ततक अपने दिल की बात कहदे ॥” या उनको यह कह कर आपस में फाड़दे कि तुम्हारा अमुक साथी राजा के साथ अन्दर ही अन्दर मिला हुआ

है “दांडकार्मिक प्रकरण में विधान किये गये दंडों के अनुसार ही उन लोगों को दंड दिया जाय जो आपस में फट गये हैं ।

इन चारों प्रकार की आपत्तियों में पहिले अनुरूपी आपत्ति का ही उपाय करना चाहिये । “धरको सांपकी तरह देश के अन्दर के लोगों का बिद्रोह शत्रु के आक्रमण से कहीं अधिक भयंकर है” इस पर पूर्व में ही प्रकाश डाला जा चुका है ।

उपरि लिखित आपत्तियों में क्रमशः पूर्व पूर्व की आपत्ति लघु (हल्की) होती है । पहिले लघु आपत्ति का ही उपाय करना चाहिये वश्यते कि किसी भारी आपत्ति के पीछे कोई बलवान् शत्रु न हो ।

१४४ प्रकरण ।

राज्यद्रोहियों तथा शत्रुओं के साथी ।

शुद्ध तथा सच्चरित्र लोग दो प्रकार के होते हैं । एक तो वह हैं जो कि राज्य द्रोहियों (दूष्य) से पृथक् रहते हैं और दूसरे वह हैं जो कि शत्रु का साथ नहीं देते हैं । नागरिकों तथा ग्रामीणों को राज्य द्रोहियों से बचाने के लिये दंड (सैन्य) से मिश्र उपायों को काम में लाया जावे । प्रभावशाली मनुष्यों के संघ को दंड देना असंभव है । यदि कोई यह करे भी तो उसको उचित फल न मिले । इससे अतिरिक्त बहुत प्रकार के अनर्थ होने शुरू हो जाय । इसलिये मुखियों के साथ दांड कार्मिक प्रकरण में बताये हुए नियमों के अनुसार व्यवहार करे । इसी प्रकार नागरिकों तथा ग्रामीणों को शत्रु से बचाने के लिये सामादिक उपायों का प्रयोग करे । योग्य पुरुषों का एकत्रित करना राजा पर और काम तथा कौशिश करना मन्त्री पर निर्भर है । इसलिये दोनों पर ही सफलता का आधार समझना चाहिये ।

जिस जनता में राजभक्त तथा राज्य को ही समान रूप से मिले हैं उसको आमिश्रा कहते हैं । राजभक्त लोगों के सहारे ही आमिश्रा जनता पर शासन किया जासकता है । क्योंकि बिना सहारे के कोई भी कहीं प्रत यंत्र नहीं सकता है । जिस जनता में

मित्र तथा अमित्र लोग मौजूद हैं परमित्रा कहते हैं। मित्र लोगों के सहारे ही परमित्रा पर प्रभुत्व प्राप्त किया जासकता है। मित्र के द्वारा सिद्धि का होना सुगम होता है। अमित्र के द्वारा यही बात संभव नहीं है। यदि मित्र संघि न करना चाहे तो गुप्तचरों के द्वारा उसको अमित्र से फाइ और इस प्रकार उसको अपने वश में करे। या मित्र समाज में जो सदा ही रहता हो उसेसे दोस्ती करे। क्योंकि ऐसे आदिमियों से दोस्ती होते ही समाज के मध्यस्थ लोग छिप भिज हो जाते हैं। या मित्र समाज में जो मध्यस्थ हों उनको अपने साथ मिलाले। इसके साथ मिलते ही मित्र समाज के अन्दर रहने वाले लोग तितर बितर हो जाते हैं। सारांश यह है कि जिन उपायों से उनका जट्ठा हूट जाय उन उपायों को काममें लावे। दृष्टान्तस्वरूप उनमें जो धार्मिक लोग हों उनकी जाति कुल विद्या तथा आचार आदि की प्रशंसा करे और पूर्वजों के वैकालिक उपकारों तथा लाभों का जिक्र कर साम उपाय से उनको वश में करे। उनमें से जिन लोगों में उत्साह न रहा हो, जो लड़ाई से थकगये हों, जिनको कोई उपाय न सूझता हो, जोकि आय व्यय तथा प्रवास से परेशान हों, जो सबे दिल से किसी दूसरे राजा को चाहते हों, जो किसी दूसरे राजा से डरते हों, या जो मित्रता तथा कल्याण के इच्छुक हों उनपर भी साम उपाय का ही प्रयोग किया जाय।

सुध्य तथा कीण राजा को तपस्वियों तथा मुखियों के द्वारा कुछ दे दिवाकर अपने पक्ष में करले। दान पांच प्रकार का है।
 (१) देयविसर्ग [देने योग्य वस्तु को देना]। (२) गृहीतातुर्वर्तन [देने के बाद कुछ और देना]; (३) आचप्रतिदान [जो मिलाहो उसको लौटा देना]। (४) स्वद्रव्यदान (अपनी चीज को देना)। (५) दूसरों की अपूर्व वस्तु लेनेके लिये स्वयंग्राहदान (सेना आदि के द्वारा सहायता देना)।

यदि वह देखे कि दो राजा एक दूसरे से वैर तथा द्वेष तथा भूमि जाने की शंका रखते हैं तो उनको इन्हीं में से किसीएक बात के द्वारा लड़ा देवे। उनमें जो डरपोक हों उसको कहे कि “देखो यदि

दोनों आपस में मिलकर तुमको ही नुकसान पहुँचावेंगे । इसने अमुक मित्र से खुल्लमखुल्ला संघि करती है । कोई बात छिपी थोड़े ही है” । अपने देश से या परदेश से जिसके पास माल बिकने के लिये आवे उसके विषय में लुकिया पुलिस के लोग और मचायें कि “बहार दर्शने के लिये ही इसने समान मंगाया है” । यदि उसके पास सामान अधिक होगया हो तो उसको आज्ञा दे कि “मैंने तुम्हारे पास अमुक सामान भेजा है । शत्रु संघ पर आक्रमण करदो । संपूर्ण साम तुम्ही को मिलेगा” । इसके बाद सभी (गुप्तचरों की एकशक्ति) दुश्मनों को दहक दें कि “देखो तुम्हारे दुश्मन ने उसके पास यह माल भेजा है” । विजिगीतु शत्रु के देश में पैदा होने वाले मालको चुप्पे चुप्पे मंगवाले । इसके बाद घैदेहक के भेष में गुप्तचर का काम करनेवाले लोग शत्रु के मुखियोंके पास उस माल को बेचें और सभी इधर उधर यह बात फैलावें कि “शत्रुने ही विजिगीतु को यह माल दिया है” । इसी प्रकार स्वदेश के महापराधी लोगों को अर्थमान (इष्टा पैसा तथा इज्जत देकर) द्वारा अपने बशमें कर और उनको शस्त्र विष, तथा अग्नि आदि देकर शत्रुके देश में भेजदे और साथ ही अपने यहां के एक अमात्य को बरलास्त करदे । उसके भरवार को फैद करदे और कहदे कि वह तो मरवादिया गया है । इसके बाद वह अमात्य शत्रु के पास आय और स्वदेश के गण हुए महापराधी लोगों से क्रमशः एक एक करके मिलें । यदि वह उसकी आज्ञा के अनुसार काम करें तो उनको न एकछावें । जो अपने आपको असमर्थ कहें उनके शत्रु पाजाके सुपुर्द करदे । उनमें से जो राजा का धियपात्र तथा विद्वास पात्र हों वह राजा को कहे अमुक मुखिया से आप अपने को बचाइये । इसपर यदि वह उस मुखिया के मरवाने के लिये आज्ञापत्र लिले तो दोनों ओर से तनखाद पाने वाले लोग उस आज्ञापत्र को धीर्घमें ही एकहृते । इस प्रकार उत्साही तथा शक्तिशाली मुखियों के पास आज्ञापत्र लिखवाया जाय कि “अमुक राज्य ब्रह्म कर हमारे साथ संघि करतीजिये” । सभी लोग इस आज्ञापत्र को लेकर दुश्मन के पास पहुँचावें तथा

किसी की छावनी स्वदेशी तथा मिश्र की सेवाको नह छरते । इसके बाद गुपचर लोग मिश्र बगकर अन्य राजाओं को भड़काते कि “यह आपही को मरवाना चाहता है” ॥ जिसका फिर बीर पुरुष हाथी या घोड़ा मर गया हो, गुपचरों ने मरवा दिया हो या गायब कर दिया हो उसको सभी लोग कहें कि “अमुक ने मारा है” और इस प्रकार आपस में उसको लड़ाद । जब वह मरवाने के लिये चिढ़ी दे तो और उसमें लिखे कि “ऐसा ही तुम भी करो जो लाभ होगा वह तुम्हीं को मिलेगा” तो इस चिढ़ी को दोनों रियास्तों से समान रूपसे तनखाह पाने वाले लोग एकहठते । इससे यदि वह आपस में फट जाय तो उनमें से किसी एक को अपने वशमें करले सेनापति, राजकुमार तथा दंड चारी [सेना को चलाने वाला] लोगों के साथ भी इसी प्रकारका व्यवहार किया जाय ।

राष्ट्र संघों को आपस में फाइ देने का नाम ही भेद है । खुफिया पुलिस के लोग गूढ़ पुरुष] तीक्ष्ण को आकादें और दुर्बल, व्यतीनी [पीड़ित, कष्टमें पड़ा] तथा दुर्गमें स्थित शत्रुओं में से जिसको मरवाना सुगम समझें उसको उससे मरवादें । तीक्ष्ण ही एक ऐसा है जो कि संपूर्ण काम शस्त्र दिव अंगित आदि के सहारे करता है और संपूर्ण साधनों से पूरे होने वाले कामों को पूरा करता है ।

साम दान दंड भेदका प्रयोग इसी प्रकार कियाजाता है । इनमें से पूर्व पूर्व का प्रयोग सुगम है । साम एक गुना, दान साम के बाद होने से दुगुना, भेद सामदान के बाद होने से तीन गुना और दंड साम दान दंड के बाद होने से चार गुना शक्तिशाली भाना जाता है । स्वजातीय शत्रुओं तथा विरोधियों को भी इन्हीं उपायों से भान्त किया जाय । इनमें विशेषता केवल यही है कि—प्रसिद्ध गणसिद्ध दृतमुरुद्य (अभिभात दृत मुरुद्य) स्वभूमिष्ठ (जिनकी अपनी जर्मिदारी हो) लोगों के पास उपहार लेकर आवे और कहें कि वह लोग अमुक व्यक्ति के साथ संघे करते हैं या उसको शत्रु के नाश के लिये प्रेरित कर रहे हैं । यदि वह इस बात पर विश्वास न करे तो उसको कहें कि “अप कष्ट न उठाये । हमारा मतदाद सिद्ध

“होगया” इसी प्रकार दोनों ओर से उनखाह पाने वाले लोग उनमें से किसी एक को यह कह कर उत्सवित करें कि—“तुम्हारा शमुक राजा बहुत ही दुष्ट है” या जिसका जिसके साथ वैरद्वेष या कलह देखें या जिसकी किसी दूसरे से डरता हुआ पाने उसको कहें कि “अमुक व्यक्ति तुम्हारे शत्रु से मिल गया है । इसने पहिले तुम्हें धोका दिया था । शीघ्र ही तुम संघि करलो । इसके पकड़ने के लिये कोशिश करो” । या उनका आवाह (उपनिषेश बसाना) तथा विवाह द्वारा मेल बढ़ाकर आपस में लड़ने वाले लोगों को और भी अधिक लड़ा देवे । सामंत आदविक, कुलीन तथा कैदी लोगों से उनके राज्य को छिनवा ले । या उनको एक दूसरे के साथ संगठित करें जातीय तथा व्यापारीय संघ, (सार्थ), प्रजा तथा जांगलिक सेना के द्वारा उनके छिद्रों (कमजोर स्थान) पर आक्रमण करवाये गुपचर लोग आग्नि विश तथा शब्द के द्वारा यही काम करें ।

शत्रुओं को जटीली शराब, शठकों पूर्ववर्धित घातक योग, और परमिश्रा जनता को विश्वास तथा प्रलोभन देकर मारे ।*

१४५—१४६ प्रकरण ।

अर्थानिर्थसंशय विवेचन तथा उनकी उपाय विकल्पज सिद्धि ।

कामादि की अधिकता से राजा की अनी ही प्रकृतियाँ कुप्रिय हो जाती हैं । विदेशीय नीति के ठीक न होने से भी यही होता है । इन दोनों ही बातों को राजनीति वृति समझा जाता है । क्रोप वही है जिस से स्वजन नाराज हो जाय । शत्रु की वृद्धि के

* डाक्टर गामराली ने इस लोक में परमिश्रा तथा आमिस का अर्थ लीक ने जान कर अर्थ दूसरे स्वप्ने कर दिया है । इसी प्रकरण में कौटिल्य ने परमिश्रा का लेखण देदिया है अतः इसका अर्थ गुपचर नहीं हो सकता । “एकामिषद्रवयोदि वैर वीजमहात्मोः” इत्यादि लोक में आमिष का अर्थ मांस न होकर “एकस्वार्थ” है । उरि लिखित अर्थ में प्रलोभन का तात्पर्य एकस्वार्थ रूपी प्रलोभन से ही है ।

सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन बातें विचारणीय हैं । [१] आपदर्थ । [२] अनर्थ । [३] संशय । *

(१) आपदर्थ । जो अर्थ प्राप्त होने पर शब्द की वृद्धि करे, या दूसरों को पुनः लौटाया जाय, या क्षय तथा व्यय को बढ़ावे, यद्यपि आपत्ति जनक होने के कारण आपदर्थ कहाता है ? इष्टान्त स्वरूप सामन्त के लोग जिस बात को चाहते हों वही बात दूसरे सामन्त के कष्ट में पड़ेते से उनको मिल जाय या जो धन शब्द के लिये हो, या जिस पर अपना स्वाभाविक अधिकार हो गया हो या जिस को पीछे से कुपित होकर पार्षिणद्राद् ने छीन लिया हो गा जोकि आगे चलकर मिलना हो, या जोकि मित्र को नाशकर तथा संधि को तोड़कर प्राप्त किया गया हो और मंडल जिस के विरुद्ध हो उसको आपदर्थ कहते हैं ।

(२) अनर्थ । अपने या परायें से भव्य की उत्पत्ति का नाम ही अनर्थ है ।

(३) संशय । उपरिलिखित दोनों बातों में—कहीं अनर्थ तो नहीं है ? कहीं यह अर्थ अनर्थ तो नहीं है ? कहीं अनर्थ ही तो अर्थ नहीं ? इस ढंग के संदेह का नाम ही संशय है । रूपया तथा इज्जत आदि के द्वारा शब्द की सेना का बुला लेना कहीं अनर्थ तो नहीं ? शब्द तथा मित्र को लड़ने के लिये तैयार करने में अर्थ है वा नहीं ? यही संशयके उदाहरण हैं । इनमें पेसे संशय के अनुसार काम करे जिसले अर्थ प्राप्त हो ।

अर्थ के—[१] अर्थानुबंध, [२] निरनुबंध [३] अनर्थानुबंध और अनर्थ के [४] अर्थानुबंध [५] निरनुबंध, [६] अनर्थानुबंध आदि कुल मिलाकर छ भेद हैं ।

* डाक्टर शाम शास्त्री ने इस परिच्छेद का भाषान्तर करते समय अर्थ का
अर्थ संपत्ति या धन किया है । हमारी समझ में अर्थ का इस परिच्छेद में वात्स
स्वार्थ या स्वप्रयोजन से है ।

[१] अर्थ अर्थानुबंध । शत्रु को नष्ट कर पार्षिणप्राह को अपने वशमें करने का नाम ही अर्थ—अर्थानुबंध (अर्थात् एक स्वार्थ से दूसरे स्वार्थ का प्राप्त होना है) कहाता है ।

(२) अर्थ—निरनुबंध । दंड [सैन्य] तथा अनुग्रह के द्वारा उदासीन के अर्थ को सिद्ध करना अर्थ—निरनुबंध [वह अर्थ जिसके द्वारा अपने स्वार्थ का सिद्ध होना आवश्यक न हो] कहाता है ।

[३] अर्थ—अनर्थानुबंध शत्रु का पूर्ण रूप से नाश करना अर्थ—अनर्थानुबंध [जिससे अनर्थ होने की संभावना हो] कहाता है ।

(४) अनर्थ—अर्थानुबंध । शत्रु के पड़ोसी को धन तथा सैन्य (कोश—दंड) द्वारा सहायता पहुंचाना अनर्थ—अर्थानुबंध (वह अनर्थ जिससे अपना लाभ हो) कहाता है ।

(५) अनर्थ—निरनुबंध । हीनशक्ति को उभाड़ कर तथा लड़ने के लिये प्रोत्साहित कर स्वयं पृथक् होजाने नाम अनर्थ निरनुबंध है ।

(६) अनर्थ—अनर्थानुबंध । शक्तिशाली राजा को उभाड़ कर या लड़ने के लिये प्रोत्साहित कर पृथक् होजाने का नाम अनर्थ अनर्थानुबंध है ।

इन छः अर्थों में पूर्व पूर्व का अर्थ अधिक लाभकर है । कार्य करते समय इसी नियम का लक्षण करना चाहिये ।

सब ओर से यदि एक साथ ही बहुत से अर्थ प्राप्त हों तो इसको समन्तोऽर्थाप यदि उसकी प्राप्ति में सब ओर से पार्षिणप्राह वाधक हों तो इसको अर्थसंशयापद—यदि पार्षिणप्राह को मित्र तथा आक्रन्द (शत्रु के पीछे का शत्रु) का सहारा मिल जाय तो इसको अर्थसिद्धि—यदि सब ओर शत्रुओं का खतरा हो तो इसको अनर्थसंशयापद—यदि शत्रुओं के साथ मित्रों की लड़ाई हो तो इसको अनर्थसंशयापद और यदि चलामित्र तथा आक्रंद (शत्रु के पीछे का शत्रु) का सहारा मिल जाय तो इसको अनर्थसिद्धि कहते हैं । यदि इधर उधर से प्राप्त होने वाले लाभ में शत्रु वाधक

हो और उसकी वाधा को दूर करने का कोई भी उपाय न हो तो इसको उभयतोऽर्थापद् का नाम दिया जाता है । ऐसी हालत में सब ओर से प्राप्त होने वाले लाभों में उसी अर्थ को ग्रहण करे जिसमें लाभ मालूम पड़े । यदि दो ओर से एक सद्वा लाभ मालूम पड़े तो उसी लाभ के लिये यत्त करे जिसमें थोड़े से उपाय से ही लाभ निश्चित हो, जोकि महत्वपूर्ण, समीप तथा आवश्यक हो और जो कि प्राप्त हो सकता हो यदि इधर उधर दोनों ओर से अनर्थ हो तो उसको उभयतोऽनर्थापद्-कहते हैं । ऐसी हालत में यदि सभी ओर अनर्थ ही अनर्थ दिखाई पड़े तो मित्रों से सहायता प्राप्त कर स्वार्थ-सिद्धि करे । यदि कोई भी मित्र न हो तो प्रकृतियों [शुद्ध प्रकृतियों] में जिसको कमजोर समझे उस पर आक्रमण करदे । दो ओर से आये हुए अनर्थों को ज्याय पर, और सब ओर से आये हुए अनर्थों को मूले पर आक्रमण कर रोके । यदि इससे अर्थ न सिद्ध हो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाय । कर्त्तोंके प्रायः यह देखने में आया है कि जीते रहने से पुनः राज्य मिल जाता है जैसा कि सुशात्र तथा उदयन के मामले में होचुका है । यदि एक ओर से लाभ मिलता हो और दूसरी ओर से राज्य जाता हो तो इसको अर्थानर्थापद् कहते हैं । इस हालत में वही अर्थ सिद्ध करे जिससे अनर्थ दूर होता हो । यदि यह संभव न हो तो राज्य के बचाने में ग्राण्डन से यत्त करे । सब ओर से होने वाले अर्थानर्थापद् का नियम इसीसे जान लेना चाहिये । यदि एक ओर से अनर्थ की ओर दूसरी ओर से अर्थ प्राप्ति की संभावना हो तो इसको अनर्थार्थसंशय कहते हैं । इसमें पहिले अनर्थ से अपने आपको बचावे । इसके बाद अर्थप्राप्ति की चिन्ता करे । सब ओर से होने वाले अनर्थार्थसंशय का नियम इसीसे स्पष्ट है । यदि एक ओर से अर्थ और दूसरी ओर से अनर्थ संशय हो तो इसको अर्थानर्थसंशय कहते हैं । सब ओर से होने वाले अनर्थार्थसंशय का नियम इसी से अनुमान करेंगा चाहिये । इनमें से पूर्व पूर्ववर्ती प्रकृति को अनर्थसंशय से मुक्त करने का यत्त करे । अनर्थ संशय में पड़ने पर जो अर्थ मित्र से सिद्ध होता है वह दंड से कदापि

नहीं । यदि मित्र न हो तो जो अर्थ दंड (सैन्य) से सिख होता है वह कोश (धन) से कदापि नहीं ।

यदि समग्र प्रकृति को न बचासके तो उनके कुछ एक भागको ही बचावे । जो भाग संख्यामें अधिक हो, जिनमें तीक्ष्ण तथा लुभ्व धर्ग के लोग न हों या जिस भाग में सार बस्तु हो या बहुत ही अधिक लाभ देने वाले पदार्थ हों उस भाग की रक्षा सबसे पहिले करे । जो संख्यामें कम हो या जिस भाग में कम दाम की चीज़ें हों या जिनके बचाने में बहुत ही अधिक क्षयकी जरूरत हो उसके संबंध में संधि, आसन या द्वैर्धीभाव की नीति का अवलंबन करे । क्षय, स्थान तथा वृद्धि में अगले अगले को ही क्रमशः प्राप्त करे । यदि इससे विपरीत बात हो तो इयादियों में जिससे भविष्य में लाभ देखे उसी के लिये कोशिश करे । देशके संबंध में भी नियम इसी प्रकार हैं । यात्रा (चढ़ाई) के मध्य या अन्त में आने वाले अर्थ, अर्नथ संशय आदिकों का विचार पूर्ववत् ही करतेना चाहिये । क्योंकि यात्रा (चढ़ाई करना) में यह प्रायः सदा ही बने रहते हैं । जिस अर्थ की सिद्धिमें कल्याण हो, पर्विंग्राह तथा उसके साथियों के नशकी संभावना हो, क्षय व्यय प्रवास प्रत्यादेय [इसे को धन जर्मन आदि लौटाना] आदि का सामना न करना पड़ता हो तथा राष्ट्र की रक्षा होती हो उसीकी प्राप्ति के लिये यत्त करे । अपने ही राज्यमें अर्नथ तथा संशय का होना कभी भी सहन न करना चाहिये । यात्रा [चढ़ाई] के बीच में जो अर्नथ तथा संशय पैदा हो उनका उपाय भी इसी ढंगपर करना चाहिये । यात्रा के आदि या अन्त में जो लोग कर्णनीय [दुर्बल करने के योग्य] या उच्छ्रेदनीय [नष्ट करने के योग्य] हों उनको दुर्बल तथा नष्ट कर जिस बात में कल्याण देखे उसको करे । शत्रु की बाधा के भय से अनर्थ या संशय धाली बात की ओर न झुके । जो राष्ट्र संघका नेता न हो उसको चाहिये कि वह यात्रा के मध्य या अन्त में अर्नथ या संशय को प्राप्त करते ही जिस बात में हित या कल्याण समझे उसीको करे । यात्रा को अन्त तक निभाना उसके लिये आवश्यक नहीं है ।

अर्थ, धर्म काम यह तीन अर्थ के ही भेद हैं। इनमें से पूर्व पूर्व का प्राप्त होना कल्याण कर होता है। इसी प्रकार अनर्थ, अधर्म शोक यह तीन अनर्थ के भेद हैं। इनमें से पूर्व पूर्व का प्रतिकार करना हितकर होता है। क्या यह अर्थ है या अनर्थ है? क्या यह धर्म है या अधर्म है? क्या यह काम (कष्ट) है या शोक है? यह तीन संशय के भेद हैं। इनमें से अगले के सिद्ध हो जाने पर पूर्व का प्रहण करना ठीक है। काल में भी इसी ढंग के भेद तथा नियम हैं। आपत्तियों के भेद तथा नियम भी इसी प्रकार हैं।

पुत्र भ्राता तथा बन्धुओं को साम तथा दान से पक्ष में करना अनुरूपसिद्धि, पौर, जानपद तथा सेनापतियों [दंडमुख्य] को दान तथा भेद से अनुकूल करना अनुलोभासिद्धि और इससे विपरीत दशा में प्रतिलोभासिद्धि कही जाती है। मित्र तथा अमित्र विषयक सिद्धि को व्यामित्रासिद्धि का नाम दिया जाता है साम दान आदि उपाय एक दूसरे के साधक हैं। शत्रु के शंकित अमात्यों के साथ साम, बागियों के साथ दान, संघों तथा गुटों के साथ भेद तथा इकिशालियों के साथ दंड का यदि प्रयोग किया जाय तो द्रव्य उपायों की कुछभी जरूरत नहीं रहती। आपत्तियों के हल्के भारी होने के अनुसार १ नियोग, २ विकल्प तथा ३ समुच्चय होते हैं। १ ‘इस उपाय के स्विवाय और किसी भी उपाय से नहीं’। २ “इसके साथ साथ कदाचित् अन्य उपायों से भी” और ३ “इस के साथ साथ अन्य उपायों से भी” सिद्धिप्राप्त हो सकती है इसको क्रमशः १ नियोग २ विकल्प तथा ३ समुच्चय के नाम से पुकारते हैं। साम दानादि उपायों में एक के चार उपाय किसी तीन के भिन्न भिन्न प्रयोगों को मिलाकर चार, उपाय दो दो के भिन्न भिन्न प्रयोगों को मिलाकर छः उपाय और चारों के संमिलित प्रयोगों को मिलाकर एक ४ उपाय और इस प्रकार कुल उपाय पन्द्रह हैं। इतने ही उनके प्रतिलोभ [विरोधी उपाय] उपाय हैं। इनमें से एक उपाय से सिद्धि एकसिद्धि, दो उपाय से सिद्धि को द्विसिद्धि तीन उपाय से सिद्धि को त्रिसिद्धि और चार उपाय से सिद्धि का चतुर्सिद्धि कहते हैं। धर्म तथा काम अर्थ का मूल है। उनक

लिये अर्थ सिद्धि करना सर्वार्थसिद्धि कहाता है । सिद्धियों के यही भेद हैं ।

दैव, आग्नि, उदक, व्याधि, प्रमाद, बुखार (विद्रव) तुर्मिक आदि विपत्तियां तृथा आसुरीसृष्टि आपत्ति मानी जाती हैं ।

आसुरीसृष्टि यदि अधिक या कम हो या सर्वथा ही न हो उन से बेचने के लिये अर्थवेद में विधान किये गये प्रयोगों को काम में लाने और संपूर्ण काम देवता, ब्राह्मण तथा सिद्धों के अनुसार करे ॥

१० अधिकरण । सांग्रामिक ।

१४७ प्रकरण । स्कंधावार-निवेश ।

मायक (नेता), बढ़ई तथा ज्योतिषी (मौद्दुर्चिक) उत्तमभूमि (मकान आदि बनाने के लिये जो भूमि उत्तम हो) में गोला, लंबा या चौकोन छावनी [स्कंधावार] बनावें । उसमें भूमि के अनुसार चार दरवाजे छः मार्ग तथा नौ विभाग बनावे ।

जिधर से शुद्ध की चढ़ाई का डर हो उधर खाई, शहरपनाह, दीवार, दरवाजे तथा अटारी बनाई जाय । मध्य विभाग के उत्तरीय नवे विभाग में १०० धनुष लंबा तथा ५० धनुष चौड़ा राजा का महल बनाया जाय । पच्छामी भाग के आधे में अन्तःपुर और अंत में आन्तर्वेशिक सैन्य [अन्तःपुर अध्यक्ष की सेना] के रहने का प्रबंध किया जाय । पूर्व विभाग में उपस्थान [देवस्थान] दक्षिणी भाग में कोश तथा शासन संबंधी दफ्तर (कार्यकरण) और इनसे १०० धनुष की दूरी पर खंभे दीवार [शकटमेधी, प्रतती, साल] आदि से घिरे चार मकान बनाये जाएं । इनसे-पहिले में मंत्री


तथा पुरोहित, दहिने में कोष्ठागार तथा भोजन भंडार, वायेंमें कुप्यागार [जांगलिक पदार्थों का भंडार] तथा आयुधागार—दूसरे में तनखाह लेने वाले नौकर, घुड़सवार, रथी आदि और बाहर की ओर लुधक (शिकारी) तथा चांडाल [शगरी], बाजा बजाने वाले तथा आग लगाने वाले, गुपचर तथा पहरेदार—रखे जाय । शत्रु के आक्रमण से बचने के लिये कूर गढ़ तथा कंटीली भाड़ियां बनाई जाय । पहरेदारों के अट्टारह टोलियां [वर्ग] समय बदल बदल कर पहरा दिया करें । गुपचरों के ज्ञान के लिये दिन में ही उनका समय विभाग [दिवायाम] बना दिया जाय ।

भगड़ा शास्त्रार्थ, शराब, जलसा [समाज] तथा जुआ आदि रोक दिया जाय । अपनी अपनी मुहरों को सुरक्षित रखने के लिये सबको चेतावनी देदी जाय । अन्तपाल को कहा जाय कि वह सेनापति के कार्यों तथा सिपाहियों के संबंध में दी गई आशाओं का लेखा लिखा करे ।

प्रशास्ता को चाहिये कि वह मजदूरों तथा बढ़ियों को साथ में लेकर आगे आगे चले और स्थान स्थान पर कूआं आदि बनवावे तथा जल का प्रबंध करे ॥

१४८—१४९ प्रकरण ।

स्कन्धावार का प्रयाण, बलव्यसन, अवस्कंदकाल तथा सैनिक संरक्षण ।



धास भूसा लकड़ी पानी के अनुसार गांवों तथा जंगलों की गणना की जाय और उनमें पड़ाव (अध्वनिवेश) डाला जाय । स्थान, आसन (ठहरना), गमन आदि का समय निश्चित कर यात्रा (चढ़ाई) करे । आवश्यकता से दुगुनी रसद साथ में ली जाय । यदि रसद पहुंचाने के लिये जानवर पर्याप्त न हों तो फौजी लोग ही रसद को ढोवें । या पहिले से ही हर पहाड़ पर रसद का प्रबंध किया जाय ।

यात्राकाज में सबसे आगे नायक, मध्य में कलत्र (परिवार) तथा स्वामी, पार्श्व में घोड़े, दहिने बायें हाथ बहुमूल्य पदार्थ, व्यूह के अन्त में हाथी तथा प्रसार होने चाहिये । प्रसार से तात्यर्थ्य जंगल में पैश होने वाले पदार्थों से है । स्वदेश से मिलने वाली सहायता वीवंग और मित्र से प्रात हुई सहायता (सेना) आसार कहाती है । वीवध तथा आसार अपने अपने स्थानों से राजा के साथ मिलने के लिये प्रस्थान करें । स्थान पर जमकर लड़ने वाले अभूमिष्ठ लोगों (जोकि अपना स्थान छोड़ बैठे हैं) को युद्ध में पराजित कर देते हैं ।

अधम श्रेणी के सैनिक एक योजन, मध्यम श्रेणी के सैनिक डेढ़ योजन और उच्चम श्रेणी के सैनिक दो योजन प्रतिदिन चलते हैं । सैनिकों की चाल देखकर यात्रा [चढ़ाई] करना चाहिये । सेना-पति को सबसे पीछे चलना चाहिये और पड़ाव पर सबसे आगे अपना खेमा गाड़ना चाहिये ।

आमने सामने की लड़ाई में मकर से पीछे की लड़ाई में शक्ट से, पासे पर की लड़ाई में वज्र से, और चारों ओर की लड़ाई में सर्वतोभद्र से आक्रमण करें । यदि रास्ता एक आदमी के चलने लायक हो तो सूची व्यूह का प्रयोग करें । द्वैती भाव की नीति आलंबन करने पर पार्षिण, आसार (सहायक) मध्यम या उदासीन में से सबसे पहिले उसका प्रतीकार करें जो कि शत्रु को आश्रय दे तथा धन धान्य का नाश करें । जिस मार्गमें संकट पड़ने की संभावना हो उसका शोधन करना चाहिये साथही कोश, सैन्य, मित्र, अमित्र, जांगलिक सैन्य, वृष्टि छुतु आदि भी प्रतीक्षा करके आक्रमण करना चाहिये । यदि वह यह देखे कि—शत्रु दुर्ग की रक्षा करने में असमर्थ है, उसकी रसद कम पड़ गई है, उसको भाड़ पर भी सेना नहीं मिल सकती, मित्र की सेना भी उसको सहायता नहीं पहुंचा सकती है, गुप्तचरों की सम्पत्ति जलदी करने के पक्ष में नहीं है या शत्रु मेरे अभिग्राय को शीघ्र पूरा कर देगा तो—धीरे धीरे चढ़ाई करें । यदि मामला इससे विपरीत हो तो शीघ्र ही प्रस्थान करदे । हाथी, खंभों या नावों के पुल, नाव, लकड़ी

तथा बांस के बेड़े आदि के सहारे नदियों को पार करे। यदि शत्रु ने घाट पर कब्जा कर लिया हो तो हाथी तथा घोड़ों के सहारे नदी को अन्य स्थान से पारकर सत्र [जंगल, रोगीस्तान आदि] पर कब्जा करले। अपनी सेना को—भयंकर जंगल, निर्जलस्थान, घास भूसा लकड़ी पानी से रहित प्रदेश, कठोर मार्ग, शत्रु का आक्रमण भूख प्यास, रात्रि की थकावट, दलदल, गहरी नदी, घाटी, पहाड़ी, चढ़ाई, उत्तराई, पगड़ंडी, पथरीली जमीन, कुच का डंका बजने के बाद तैयारी करना या खाने पीने में मस्त रहना, आने जाने की थकावट, ऊंधना, व्याधि, संक्रामक रोग (मरक), दुर्भिक्ष, पदाति अश्वरोही हस्तयारोही आदियों की बीमारी, तथा सैनिक विद्रोह आदि से बचाव और शत्रु की सेना को नष्ट करे। सेनापति को चाहिये कि वह पगड़ंडी पर चलती हुई शत्रु की सेना का—आहार, विस्तरा, फैलाव, चूल्हे, झंडी, हथियार आदि खान प्राप्त करे तथा अपनी सेना के असली स्वरूप को छिपोवे।

यदि किसी को अपने ही देश में लड़ाई करनी पड़े तो उसको चाहिये कि वह किसी नादेय (नदी संबंधी) या पार्वतीय [पहाड़ी] दुर्ग का सहारा ले और उसको पीछे रखकर लड़े या आगे बढ़े।

१५०-१५२ प्रकरण।

कूटयुद्ध, स्वसैन्योत्साहन तथा स्वबल

तथा अन्यबल का प्रयोग।

यदि किसी राजा के पास बलवान् सेना हो, शत्रु के वद्यंशों तथा कुचकों का भय न हो, घातक प्रयोगों का प्रतीकार करनुका हो तो वह प्रकाशयुद्ध में ग्रवृत्त हो अन्यथा शक्टयुद्ध (कूटयुद्ध) को ही करे सेना के कष्ट या प्रबल आक्रमण के समय में शत्रु को पारडाले। अपनी युद्ध भूमि में रहते हुए अभूमिष्ठ (जो कि युद्ध भूमि में न हो) राजा को नष्ट करदे। या अपनी प्रकृति पर पूर्णरूप से अभूत्व प्राप्तकर राज्यद्वेषियों, दुश्मनों तथा जांगलियों के द्वारा

शत्रु को यह दिखावे कि “मैं हार गया हूँ” “और जब वह इस विश्वास में पड़कर अपना स्थान छोड़दे तो उसका धात करदे। यदि उसकी सेना एकस्थान पर एकत्रित हो तो उसको हाथियों से छिन्न भिन्न करदे। या भागकर धोखादे और जब वह धोखे में तितर वितर हो जाय या संगठित हो जाय तो उसको नष्ट करदे। या आगे से आक्रमण कर उसको भगावे या तितर वितर करदे और इसके बाद अश्वारोहियों तथा हस्त्यारोहियों से कतल करवादे। या आगे से आक्रमण कर विषम जमीन में उसको ले आवे और फिर पीछे से नष्ट करदे। या पीछे से आक्रमण कर विषम जमीन में ले आवे और फिर यही काम करे। या पार्श्वसे या इधर उधर से विषम जमीन में ले कर कतल करे। या राज्यद्वोर्ही, दुश्मन तथा जांगलिक आदियों की सेनासे उसको लड़ाकर थका डाले और इसके बाद मारडाले। या बागीकी सेना धोखादे और विजय का उसको विश्वास दिलाकर सत्र के अन्दर उसको कतल करदे। या जब वह व्यापारी, पशुपालक, छावनी आदि के छिन जाने से दुःखित हो गया हो तो सावधान होकर उसको मरवादे। रही सेना के रूप में प्रबल सेना लेजाकर शत्रुके बीर बीर आदमियों को कतल करवादे। शत्रुके पशुओं तथा कुत्तों को चुराने के बहाने बीर बीर पुरुषों को इकट्ठा करे तथा उसके बाद उनको मरवादे। या रात में शत्रुको बागियों से लड़ाकर थकादे और जब वह सो जावे तो दिनमें ही कतल करदे। या हाथियों पर कपड़ा तथा चमड़ा चढ़ाकर रात में लड़ाई करे। या सेनाके तैयार करने से थके हुएओं को दिनमें मारडाले या संघ्याके समयमें कतले आमकरदे।

रोगिस्थान, संकटमय स्थान, दलदल, पहाड़, नदी, घाटी ऊंचीबीची नाव, गौ, शकटब्यूह, धुंध तथा रात आदि सत्र नाम से पुकारे जाते हैं। आक्रमण करने से पूर्व ही कूटयुद्ध करना चाहिये।

संग्राम या धार्मिक युद्ध करने से पूर्व धार्मिक राजा सेनाको किसीएक नियत स्थानपर निश्चित समय में इकट्ठा करे और कहे कि “मैं तुलारी तरह प्रजाका नौकर हूँ। तुझारे साथ ही मिलकर

राज्यका भोग करता हूँ। मेरी आश्वाके अनुसार शत्रुका नाशकरोः । घेदों में भी कहा है कि “यज्ञो में ददिणा आदि देने के पश्चात् यज्ञमान को स्वर्ग में जो स्थान मिलता है वही स्थान शूरबीरों को प्राप्त होता है। इसी के संबंध में यह दो श्लोकभी हैं।

यान्यज्ञसंघै स्तपसा च विप्राः स्वर्गैषिणः पात्रच्च पश्चयांति ।

क्षणेन तानप्यतियांति शूराः प्रणान् सुयुद्धेषु परित्यजन्तः ॥

नवं शरावं सलिलस्य पूर्णे सुसंस्कृतं दर्भकृतोत्तरीयम् ।

तत्स्य माभूष्मरकं च गच्छेद्यो भर्तुपिण्डस्य कृतेन युध्येत् ॥*

इस प्रकार मन्त्रि तथा पुरोहितों के द्वारा योधा लोगोंको उत्साह दिया जाय। कार्त्तान्तिक (भविष्यद्वाणी करने वाले, शकुन विचारने वाले) लोग यह फैलाकर सैनकों को उत्साहित करें। कि “दैव सब प्रकार से राजाके अनुकूल है। उसकी सर्वथा विजय होगी”। इसी प्रकार शत्रुके विषय में उल्टी बातें फैलायी जांय और उसके सैनकों को घबड़ा दियाजाय। “कल युद्ध शुरू होगा” यह कहकर ब्रत धारण करे और रात को शख्ससे सुसज्जित बाहन (घोड़ा हाथी आदि) पर सोवे। अर्थवेद के मन्त्रों से हवन करे। लोग महाराज की विजय के लिये आशीर्वाद दें और प्रार्थना करें। ब्राह्मणों को प्रणाम तथा दक्षिणा से संतुष्ट किया जाय। जो लोग शूरबीर, शश निपुण, कुलीन, अनुरागी तथा अर्थमान [रूपया तथा इज्जत] से संतुष्ट हो उनकी टोली बनायी जाय और इसमें पिता पुत्र भाई तथा सिरमुंडे लोगोंको संमिलित किया जाय। हाथी, रथ, घोड़ा [राज बाहन] आदि पर राजा सवार होवे तथा शिक्षित घुड़ सवारों के बीचमें रहे। राजाके भेष में कोई दूसरा सेनापति व्यूह बनावे।

* ब्राह्मण तथा याज्ञिक लोग स्वर्ग की इच्छा रखतेहुए यज्ञोंके द्वारा जिनलोकों को जाते हैं, शूरबीर लोग युद्धमें प्राणों का त्याग करतेही उनलोगों को पहुंचजाते हैं। जो आदमी स्तामी का अन्त साकर युद्ध नहीं करता है वह नरक में जाता है। और उसको जन से भरा मिठी का नशा बर्तन तथा कुशाका दुपट्ठा नसीब नहीं होता।

सुत तथा मागध कहे कि शूरवीर लोग स्वर्गमें और भीष लोग नरक में जाते हैं और साथ ही योधाओं के जात कुल संघ काम आदि की प्रशंसा करें। पुरोहित लोग कर्तव्य कर्म का उपदेश दें। सत्रिक (गुप्तचर), वर्धकि (बढ़ाई) तथा मौहर्त्तिक अपने काम की सफलता और शृणु की असफलता दिखावें। सेनापति सेना को अर्थ तथा मान से संतुष्ट कर कहे कि—राजा के बधमें १०००००, सेनापति तथा राजकुमार के बधमें ५००००, वीरों तथा मुख्यों के बधमें १००००, हस्त्यारोही तथा रथी के बधमें ५०००, घोड़े के बधमें १०००, प्यादों के मुखिया के बधमें १००, प्रत्येक शिर का २०, और जीते जी पकड़ने में दुगुना इनाम दिया जायगा। दस दस वर्ग के अधिपतियों को इस पुरस्कार की सूचना दे दीजाय। चिकित्सक लोग शक्ति यंत्र मल्हम पट्टी आदि का सामान और खियां पुरुषों को उत्तेजित करने के साथ साथ अन्नपानादि का सामान हाथ में लेकर सेनाके पीछे पीछे चलें। अपनी भूमि में सेना का व्यूह बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि फौज का मुंह दक्षिण की ओर न हो, सूर्य सदा पीछे रहे तथा हवा पीठ की ओर से आवे। शृणु की भूमि में जो व्यूह हो उस पर घुड़सवारों के द्वारा आक्रमण किया जाय।

जो स्थान व्यूह तथा आक्रमण के लिये उपयुक्त न हो, उस स्थान पर जमकर आक्रमण करने से पराजय तथा इससे विपरीत दशा में जय प्राप्त होता है।

आगे पीछे तथा पार्श्व के अनुसार भूमि समा, विषमा तथा व्यामिश्रा नाम से पुकारी जाती है। समाभूमि में दंड तथा मंडल व्यूह और विषमाभूमि में भोग तथा संहत व्यूह बनाये जाय।

विशिष्ट बल वाले शृणु की शक्ति नष्ट कर संघि करे। समबल वाले यदि स्वयं संघि के लिये प्रार्थना करें तो संघि के लिये तैयार होजाय। हीन शक्ति वाले का धात करदे बशर्ते कि वह अपने देश में न हो या उसने आत्मसमर्पण न कर दिया हो।

जो पराजित होने के बाद जीवन की आशा छोड़ कर आक्रमण करता है उसका आक्रमण तथा वेग असह्य होता है। इसलिये

उचित यही है कि पराजित लोगों को बहुत अधिक पीड़ित न किया जाय ।

१५३—१५४ प्रकरण ।

युद्धभूमि, पदाति अश्व रथ हस्ति आदि के काम

[क]

युद्ध भूमि ।

पदाति, अश्वारोही, रथी तथा हस्त्यारोही आदियों को युद्ध तथा निवेश (कैप, डेरा डाल कर पड़े रहना) के लिये उपयुक्त भूमि मिलना आवश्यक है जो लोग रेगिस्ट्रान, बन, नदी या घाटी तथा स्थल पर युद्ध करते हैं—नीची जमीन या ऊंची जमीन या रात दिन में एक सदृश लड़ाई लड़ सकते हैं—नदीवालों, पहाड़ी दल दल, झील तथा पानी वाली जमीनों में युद्ध करना जानते हैं, हाथी घोड़े पर चढ़कर शत्रु पर आक्रमण करते हैं—उनके लिये युद्ध की भूमियां तथा समय पृथक् पृथक् होते हैं ।

रथ पर चढ़कर युद्ध करने वालों के लिये वही भूमि उपयुक्त है जो कि—सम, स्थिर, एक सदृश [छेद आदि से रहित], गङ्गादा रहित, (निरुत्खातिनी), गाड़ी के पहियों तथा पशुओं के खुरों से मजबूत बनाई गई, धुर को न अटकाने वाली (अनक्षत्रग्राहिणी) पेड़ भाड़ी खंभा, खूंटा बल्मीक डंठल, आदिसे रहित, सूखी और बालू तथा कांटों से शून्य हो। हस्त्यारोही तथा अश्वारोहियों को युद्ध तथा खेमा गाड़ने [निवेश] के लिये सम तथा विषम भूमि चाहिये ।

घुड़ सवारों के लिये वही भूमि उपयुक्त है जिसमें वेल पत्थर कांटे तथा गड्ढे न हों और जिस पर कूदा फांस जा सके ।

प्यादों के लिये वही भूमि उत्तम है जिसमें पत्थर, टूंठ, पेड़ वेल बल्मीक आदि भरे पेड़ हों ।

हस्त्यारोहियों के लिये वही भूमि उत्तम है जिसमें पहाड़, टील नादियां छेदे मोटे पेड़, कांटे आदि से शून्य दलदल आदि हों ।

जो भूमि कटि से रहित समान तथा विस्तृत हो वह प्याँदों के लिये—जो इससे दुगुनी विस्तृत, कीचड़ पानी ढूँड पत्थर बालू आदि से रहित हो वह घुड़ सवारों के लिये—जो कीचड़ पानी नहा, सरकंडा से परि पूर्ण हो तथा जिसमें गोखरू, बड़े बड़े पेड़ों की शाखा आदि न हों वह हस्त्यारोहियों के लिये और जो तलाव आदि से परिपूर्ण खेतों तथा गडडों से रहित हो, तथा जिसपर रथ इधर उधर सुगमता से ही घुमाया जासके वह रथियों के लिये बहुत ही उत्तम होती है। इस प्रकार युद्ध की भूमियों पर प्रकाश डाला जा चुका। संपूर्ण प्रकार की सेनाओं के युद्धों तथा निवेशों (खेमा आदि गाड़ना) के विषयमें भी यही नियम है।

[ख]

अश्व रथ हस्ति आदि के काम ।

युद्ध भूमि पर इकड़े ही रहना, आंधी पानी में लगाम पकड़े रहना, रसद तथा सामिग्री की रक्षा या घात, सेना के निन्मत्रण को शिथिल न होने देना, सेनाकी पंक्ति को लंबा करना तथा उसके पक्ष की रक्षा करना, सब्से पहिले आक्रमण करना, शत्रुकी सेना को तितर वितर करना, कुचलना, पकड़ना अपनी सेना को बचाना, मार्ग के अनुसार सेना को इधर उधर ले जाना, कोश तथा राज कुमार को इस स्थान तक पहुँचाना, शत्रु की सेना के पीछे जा पड़ना, भारू या भागते हुओं का पीछा करना तथा एक स्थान पर संपूर्ण सेना को संगठित करना आदि अश्वारोहियों के काम हैं।

आगे आगे चलना, सड़क बनाना, खेमा गाड़ना, पानी खाने के लिये रास्ता बनाना, सेनाके पार्श्व को बचाना, खड़े होकर लड़ना, पानी को तैर कर पार करना, अप्रवेश्य स्थानों में घुसना, आग लगाना या बुझाना, चतुरंगियों सेना के एक भाग को जीतना, तितर वितर दुई सेना को एकत्रित करना, संगठित सेना को लितर वितर करना, तकलीफ में बचाना, मारना, डराना, तंग करना, बीरता दिखाना, पकड़ना, छोड़ना, किलेके दरवाजों तथा अटारियों कुज़ों का तोड़ना और खजाना आदि लेजाना हस्त्यारोहियों के काम हैं।

अपनी सेना की रक्षा करना, चतुरंग बल को रोकना, लड़ाई पकड़ना तथा छोड़ना, तितर विरत हुई हुई सेना को एकत्रित करना संगठित सेना को तितर वितर करना, तंग करना, वीरता दिखाना, और भयंकर आवाज करना आदि रथारोहियों के काम हैं।

सब प्रकार के देश तथा काल के अनुसार हथियार पहुंचाना तथा लड़ना प्यादों के काम हैं।

शिविर (लड़ाई के लिये खेमे आदि जहां गड़े गये हों) सहक, मकान, कुंआ, घाट आदि का संशोधन करना, हथियार कवच, उपकरण, घास, आदि पहुंचाना, घायलों को मय उनके हथियार कवच आदि के साथ उठाले आना आदि मेहनती मजदूरों (विष्टि) के काम हैं।

यदि राजा के पास घोड़ों की संख्या कम हो तो वह बैलों तथा घोड़ों से और यदि हाथी कम हो तो वह गद्दों ऊंटों तथा गाड़ियों से उनकी कमी को पूरा करें।

१५५-१५७ प्रकरण।

व्यूहविभाग, बलविभाग तथा चतुरंगसेना द्वारा युद्ध।

दुर्ग से ५०० धनुष दूर पर युद्ध किया जाय। या भूमि के अनुसार सेनापति तथा नायक इतनी दूर पर व्यूह बनावें जोकि आंखों से न दिखाई देसके। व्यूह में १ शम के अन्तर पर प्यादे, ३ शम के अन्तर पर घुड़सवार, ५ शम के अन्तर पर रथ, १० या १५ शम के अन्तर पर हाथी खड़े किये जाय। या उनको इस ढंग पर खड़ा करें जिससे युद्ध करने में सुगमता हो। ५ श्रवणि का १ धनुष होता है। धनुष की दूरी पर ही धनुषधारी, ३ धनुष पर घुड़सवार, ५ धनुष पर रथी और हाथी रखे जाय। पव (सेना के बगल में लड़ने वाले) कव (सेना के अवान्तर में लड़ने वाले) तथा उरस्व (सेना के सामने लड़ने वाले) में ५ धनुष का अन्तर

होना चाहिये घुड़सवार ५ पुरुषों से, हस्त्यारोही तथा रथी १५ पुरुषों से और तीन प्यादे एक घुड़सवार से लड़सकते हैं । तीन तीन रथों को उरस्त्र पक्ष तथा कक्ष में रखा जाय । इस प्रकार कुल संख्या पैंतालीस होती है । समव्यूह में २२५ घुड़सवार, ६७५ प्यादे, तथा इतने ही घोड़े रथ हाथी के पादगोप [पैरों की रक्षा करने वाले] होते हैं । इसमें दो दो रथ के हिसाब से २१ रथ तक बढ़ाने पर दस प्रकार के विषम व्यूह बनते हैं । जो सैनिक व्यूह में न आसके उनका एक पृथक् मंडल (अवाप) बना दिया जाय । सेना के मुख्य भाग में रथों का दोतिहाई होना चाहिये । इससे अधिक जो रथ हैं उनको उरस्त्र बना दिया जाय । व्यूह में काम आए हुए रथों का एकतिहाई मंडल (अवाप) में रखना चाहिये । हाथी तथा घुड़सवारों के संबंध में भी यही नियम है । युद्ध की आवश्यकता से अधिक यदि हाथी घोड़े रथ हैं तो उनको मंडल में छोड़ देना चाहिये । सेना की अधिकता को ही आवाप या मंडल कहते हैं । इसी प्रकार सेना के एक भाग की अधिकता को अन्वाप, तथा राज विद्रोहियों की अधिकता को अत्यावाप के नाम से पुकारा जाता है । परवाप तथा प्रत्यावाप से जो सेना तीन या चार गुना से आठ गुना तक अधिक हो उसका आवाप [मंडल] बना देना चाहिये । रथव्यूह के सदृश हस्तिव्यूह बनता है । जिस व्यूहमें हाथी घोड़े तथा रथ मिश्रित हैं उसको व्यामिश्र व्यूह कहते हैं । जिस व्यामिश्र व्यूह के अन्त में [चक्रान्त] हाथी, इधर उधर [पार्श्व] घोड़े, मुख्य भाग में रथ, उरस्य में हाथी तथा रथ और कक्ष तथा पक्षमें थाड़े हों उसको मध्यभेदी और इससे विपरीत को अन्न भेदी कहते हैं । शाढ़ व्यूह में सान्नाथ [आक्रमण करने वाले] हाथियों का उरस्त्र, अरवाण्य [तेज़ भागने वाले] हाथियों का मध्य और काल हाथियों का पक्ष [पार्श्ववर्ती] तथा अश्वव्यूह में कवचधारी घोड़ों का उरस्त्र और सान्नारण घोड़ों का कक्ष तथा पक्ष बनाया जाता है । पञ्चव्यूह (प्यादों का व्यूह) में आगे कवचधारी (आवरणी) और पीछे धनुर्धरी होते हैं । जिस व्यूह में—पक्ष में पदाति, पार्श्व में

हाथी, पृष्ठ में रथ और अग्र (पुरस्तात्) में शत्रु के व्यूह के अनुसार व्यूह बना हो उसको द्वयज्ञवलविभाग कहते हैं त्र्यग्वल विभाग भी इसी प्रकार बनाया जाता है ।

हाथी तथा घोड़ों की सेना में भी वही उत्तम है जिसमें सैनिक शक्तिसंपद्म [दंड संपत्] तथा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हों । प्यादे रथी तथा हस्त्यारोहियों में भी वही अच्छा माना जाता है जिसमें कुल, जाति, वीरता, उमर, शक्ति, वेग, तेज, चातुर्द्य, धैर्य, उत्साह [उद्ग्रता ?], कर्मण्यता [विधेयता] आदि गुण विशेष रूपते मौजूद हों । उत्तम सेना का—एक तिहाई उरस्य, दो तिहाई पक्ष तथा कव अध्यम सेना का—दोनों भाग अनुलोभ अनुसार तथा प्रतिलोभ और निकृष्ट सेना (तृतीयसार) का—प्रतिलोभ होना चाहिये । इस प्रकार संपूर्ण सेना का उपयोग करना चाहिये । यदि निकृष्ट सेना अन्त में लगायी जाय तो शत्रु का प्रबल आक्रमण होने पर पीछे हटना पड़ता है । इसलिये उत्तम सेना [सारबल] को अग्रभाग में रखकर कोटियों [?] में अनुसार (मध्यम सेना का एक भाग) को रखना चाहिये । इसी प्रकार जधन [?] में तृतीय सार (निकृष्टसेना) को और मध्यमें फलगुवल [तुच्छ सेना] को स्थापित करना चाहिये । ऐसा करने पर शत्रु का प्रहार सहन करना सुगम होजाता है । व्यूह बनाने के बाद यक्ष, कक्ष तथा उरस्य में से एक या दो से आक्रमण करे और शेष भागों से प्रहार या शत्रु के आक्रमण को रोके । यदि शत्रु की सेना दुर्बल तथा हाथी घोड़ों की सेना से रहित हो और अमात्यों तथा राज्य द्रोहियों का कुचक उसमें प्रबल हो तो उस पर प्रबल सेना के साथ आक्रमण करना चाहिये । अपनी सेना का जो अंग कमज़ोर हो उसको अच्छी तरह से पुष्ट करलेना चाहिये । अपने पास सेना उसी ओर रखे जिस ओर शत्रु से उकसान पहुंचने की संभानवा तथा खतरा हो ।

अभिसृत, परिसृत, अनिसृत, अपसृत, उन्मध्यी, अवधान, बलि, गोमूत्रिकामंडल, प्रकीर्णिका, व्यावृत्तपृष्ठ, अनुवंश, अग्रभग्नरक्षा, पार्श्वभग्नरक्षा, पृष्ठभग्नरक्षा, भग्नानुपात आदि धुम-

सबारों की लड़ाई के नाम हैं। प्रकोणिका को छोड़कर अन्य सब तरीके व्यस्त [तितर वितर हुई २] तथा समस्त [संगठित] चतुरंग सेना को नष्ट करने के लिये उपयुक्त हैं। पच, कच तथा उरस्य के संबंध में प्रभजन [तोड़ना], अवस्कन्दन (भगाना) तथा सौमित्र (सोंते हुए कों कुचल कर मार डालना) आदि हाथी की सेना के लड़ने के तरीके हैं। उन्मथी तथा अवधान को छोड़कर अन्य सब युद्ध रथी करता है। अपनी युद्ध भूमि में अभियान (चढ़ाई करना), अपयान (भगाना) स्थित (खड़े रहकर लड़ना) आदि युद्ध करने में रथी सेना की जरूरत पड़ती है। प्याँदों की विशेषता यह है कि वह सब प्रकार के देश तथा काल में प्रहार कर सकता है और छिपकर शत्रु की सेना का घात कर सकता है।

सेना के चारों अंगों की दशा के अनुसार ही व्यूह, ओज तथा युग्म बनाया जाता है। दो सौ धनुष तक आगे बढ़ने पर सेना का व्यूह नहीं बिछुगता। इसलिये राजा को चाहिये कि दो सौ धनुष की दूरी पर ही युद्ध करे और व्यूह बिगड़ने पर युद्ध से हट जाय।

१५८-१५९ प्रकरण ।

दंड भाग मंडल तथा असंहत सम्बन्धी व्यूह और प्रतिव्यूह का स्थापन ।

जौशनस के अनुसार—पच, उरस्य तथा प्रतिग्रह और चार्दस्पत्य के अनुसार पच, कच, उरस्य तथा प्रतिग्रह आदि व्यूह के भेद हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि पच [प्रपच] कच तथा उरस्य एक तरीके से दोषों के ही भेद हैं। १ दंड २ भोग ३ मंडल तथा ४ असंहत व्यूहों के मुख्य मुख्य भेद हैं।

१. दंड । सेना के सीधे खड़े रहने का नाम दंड है।

२. भोग । सैनिकों का एक दूसरे के पीछे पांझी में खड़े करने का नाम भोग है।

३. मंडल । सैनिकों को इत ढंग पर खड़े करना कि वह चारों ओर ध्यान देसके मंडल कहाता है ।

४. असंहत । छोटे छोटे समूहों में सेना के पृथक् पृथक् खड़े करने को असंहत कहते हैं ।

१. दंड व्यूह ।

पक्ष कक्ष तथा उरस्य के समान होने का नाम भी दंड है । वही प्रदर कहाने लगता है जबकि कक्ष आगे की ओर बढ़े हों । इसी प्रकार वह पक्ष तथा कक्ष के पीछे हटने पर दृढ़ [दृढ़], दोनों पक्षों के फैल जाने पर असहा, पक्ष कक्ष को स्थिर रखकर उरस्य से आगे बढ़ने पर श्येन इस से विपरीत चाप, चापकुचि, प्रतिष्ठ तथा सुप्रतिष्ठ नाप से पुकारा जाता है । चापपक्ष का ही दूसरा नाम संजय है । यदि वह उरस्य से आगे बढ़ जाय तो विजय, उस का कण्ठ तथा पक्ष स्थूल हो जाय तो स्थूलकण्ठ, उस का पक्ष तथा स्थूल दुगुना हो जाय तो विशाल विजय और यदि वह पक्ष से आगे बढ़ जाय तो चमूमुख और यदि उसको दशा इस से उल्टी हो तो भवास्य कहा जाता है । सेना को पंक्ति बार एक दूसरे के पीछे खड़ा करना खची, दो दो पंक्ति में खड़ा करना बलव और चार चार पंक्ति में खड़ा करना दुर्जय कहाता है । दंड व्यूह के यही मुख्य मुख्य भेद हैं ।

२. भोग व्यूह ।

यदि पंक्ति (भोग) पक्ष, कक्ष तथा उरस्य से विषम हो तो सर्पसारी या गोमूत्रिका, यदि उरस्य में दो दो पंक्ति हों तथा पक्ष स्थिर [दंड] हो तो शकट, इस से विपरीत दशा हो तो मकर और यदि शकट व्यूह में हाथी घोड़े तथा रथ हों तो उस को पारिपतन्तक कहते हैं । भोग व्यूह के मुख्य मुख्य यही भेद है ।

३. मंडल व्यूह ।

पक्ष कक्ष तथा उरस्य को इस ढंग पर गोल [मंडल] खड़ा करना कि उनका आपस का भेद नष्ट हो जाय सर्वतोभद्र, सर्वतो

मुख्य अष्टानीक तथा दुर्जय कहाता है। मंडल व्यूह के यही मुख्य मुख्य भेद हैं।

४. असंहत व्यूह ।

पहले कक्ष तथा उरस्य को तितर बितर कर खड़े करने से असंहत व्यूह बनता है। यदि सेना के पांच भाग असंहत हों तो चौथे, चार भाग असंहत हों तो उद्यानक तथा काकपदी और आधे चांद की तरह तीन भाग असंहत हों तो कर्कटकशंगी नाम से उनको पुकारा जाता है। असंहत व्यूह के यही मुख्य मुख्य भेद हैं।

यदि रथ उरस्यमें, हाथी कच्छ में घोड़े पृष्ठभाग में हों तो उसको अरिष्ट, यदि प्यादे, घोड़े, रथ तथा हाथी एक दूसरे के पीछे हों तो उसको अचल और यदि हाथी, घोड़ा, रथ तथा प्यादे एक दूसरे के पीछे हों तो उसको अप्रतिहत व्यूह कहते हैं।

इनमें— प्रदर को ढटक से, ढटक को असद्य से, श्येन को चाप से, प्रतिष्ठ को सुप्रतिष्ठ से, संजय को विजय से, स्थूलकर्ण को विशालविजय से, पारिपतंतक को सर्वतोभद्र से और अन्य संपूर्ण व्यूहों को दूजय से तोड़ा जाय। प्यादे, घोड़े, रथों, तथा हाथियों में अगला पहिले को और अधिकांग हीनांग को नष्टकरे।

इस अंग के मालिक को पदिक दशपदिक के मालिक को सेनापति तथा इस सेनापतियों के मालिक को नायक नाम से पुकारा जाता है। वह तुर्ही, शंख, ध्वजा पताका आदिकों से व्यूह में संगठित सैनिकों को इशारा देकर चलावे। सैनिकों को भिन्न २ अंगों में संगठित करने के बाद स्थान, गमन, लौटना, आक्रमण, व्यूह आदियों से देश काल के अनुसारही सफलता प्राप्त होती है।

सेन्य, गुप्त धातक तरीके [उपनिषद्योग], साथ रहकर मारने वाले तीक्ष्ण, जादूगरी [माया], देवसंयोग [देवताओं के साथ मिलना आदि], चैलगाड़ी [शक्ट], हाथी के गहने, राज्यद्रोहियों का विद्रोह [दूष्य प्रकोप], गउओं का झुंड [गोयूथ], छानवी में आग लगाना (स्कन्धा धार प्रदीपन) सेना के मध्य तथा पार्श्वभाग का नष्ट करना (कोटीजघनधात), दूतमेषधारी गुप्तचरों के द्वारा

पैदा किये गये भगवें, किले में आग लगाना, किले को छीनलेना, संबंधियों का समुत्थान तथा गदर, जांगलियों की दुश्मनी—आदि तरीकों से शत्रु को परेशान किया जाय। धनुष धारियों के द्वारा फैकागया बाण कभी एक आदमी को मारता है और कभी नहीं भी मारता है। परन्तु राजनीतिश्व की बुद्धि गर्भ के अन्दर रहने वालों तक को नष्ट करदेती है।

११ अधिकरण ।

संघ वृत्त

१६०—१६१ प्रकरण । भेदोपादान तथा उपांशुदंड ।

दंड और मिश्र के लाभों से संघका लाभ उत्तम है। संघ से शक्ति प्राप्त कर सामदान से उन खोगों को अपने साथ रखे जो शत्रुओं के विरोधी [अधृष्य] और अपने अनुकूल [अनुग्रुण] हों और जो अपने से विशद हों उनको भेद तथा दंड से अपने अनुकूल बना लेवे।

कांमोज, सुराष्ट्र, दक्षिय तथा श्रेणी आदि सबं वार्ता [कृषि, पशुपालन तथा बाणिज्य] और शस्त्र की जीविका से तथा लिचिक-विक, वृजिक, मद्रक, कुकुर कुछ पांचाल आदि के संघ राजा शश से संतुष्ट रहते हैं।

राजा को चाहिये कि सभी संघों के पास अपने सभी लोगों को रखें; जो कि संघों के पारस्परिक द्वेष, ईर्ष्या कलह आदि के कारणों का पतालगा कर उनके क्रमागत भेद को यह कह कर बढ़ावें कि “अमुक व्यक्ति या संघ तुम्हारी निन्दा करता है”। अब दोनों दल एक दूसरे पर कुद्द हो जावें तो आर्य के भेषमें विद्या शिव्य घृत आदि का व्यवहार करनेवाले खुफिया लोग या संघ के मुखियों

या कलबारों के भेस में तीक्ष्ण लोग उनको एक दूसरे के विरुद्ध भड़काकर उनमें छोटे छोटे भगड़े पैदा करें। या कृत्यपक्षके सहारे कम हैसियत (हीनच्छिन्दिक) के लड़कों को बड़ी हैसियत वालों (विशिष्टच्छिन्दिक) की लड़की लेने के लिये उत्साहित करें। या बड़े हैसियत वाले लोग (विशिष्ट) आविवाहित लड़कों को लड़की लेने से रोकें। या कम हैसियत वालों को बड़ी हैसियत वालों के साथ विवाह संबंध स्थापित करने के लिये या दोनों को ही एक दूसरे की बराबरी करने के लिये उभाड़ें। उनसे कहें कि कुल पौरुष स्थान विपर्यास (जंची नौकरी प्राप्त होना आदि) तथा उच्च कुल में विवाह करने से ही कम हैसियत के लोग हैसियत वाले हो जाते हैं। भगड़ा अधिक बढ़ने पर तीक्ष्ण लोग रात में द्रव्य, पशु प्रनुष तथा शख्स आदि से सहायता पहुंचावें। सभी भगड़ों में राजा हीनपक्ष को कोश तथा दंड की सहायता दें और दूसरे पक्ष के घात के लिये प्रेरित करें। जब वह आपस में जुदा जुदा हो जांय तो उनको तितर बितर करदे। या सब को एक ही देश में बसाकर उनके पांच पांच या दश दश परिवार (कुल) को जोतने बोने के लिये जर्मीन दे। राजाशब्द से संतुष्ट होने वाले लोगों के कैदी कुलीनों के राजपुत्र के रूप में उनका शासन बनावे। कान्ति नितक लोग संघ में यह प्रचार करें कि अमुक अमुक आदमी राजा के लक्षणों से युक्त हैं। संघ के धार्मिक मुखियों को कहें “कि राजा के अमुक पुत्र या भ्राता के साथ होकर आप अपने धर्म का प्रतिपाठन करिये।” यदि वह तैय्यार हो जांय तो कृत्यपक्ष के बश में करने के लिये उनको कोश तथा दंडसे सहायता पहुंचाई जाय। यदि वह लोग एक दूसरेपर आक्रमण करें तो कलंबार के भेष में रहने वोले गुप्तचर मैनफल के रस में भेरे शराब के सौ सौ घड़े उनको यह कहकर देवेचे कि स्वर्गमें गये हुए लड़कों तथा स्त्रियों के लिये यह नैषेचनिक है (अर्थात् उनको तृप्त करता है) चैत्य मंदिर आदि के दरवाजों पर सत्रियों गिरों रखी चीज़ सोना, मोहर, सोने के वर्चन आदि रखें और संघ को आताहुआ देखकर राजकर्मचारियों को सूचना देवें कि

यह चीज़ें अमुक संघ के हाथ में बेचदिगई हैं। इसी प्रकार पशुओं का दिया जासकता है। संघ के पशुओं को या उनके गहने निशानी आदि को लेकर संघ के मुखिया को देवें। इसके बाद संघ को कहें कि “यह चीज़ अमुक मुखिया को देदीगई है”। छावनी तथा जांगलिकों में भी इसी प्रकार भेद पैदा किया जासकता है।

सभी संघ के मुखियाके जिस लड़के को उभयंगी तथा उत्साही देखे उसको कहें कि—“तुम अमुक राजा के लड़के हो। तुम को शशु के भयसे यहाँ रख छोड़ा गया है”। यदि उसको इसबात में विश्वास आजाय तो राजा उसको कोश तथा दंड से सहायता देवे और संधौं के साथ लड़नेके लिये प्रेरित करे। जब राजा अपना मतलब सिद्ध करले तो उसकी देश निकाला दें।

बंधकिपोषक (रंडी बनाने के खातिर लड़की पालने वाले), सबक नट, नरंक, सौभिक आदि लोग संघके मुखियों को खूबसूरत औरत के द्वारा उन्मत्त करें। इसके बाद औरत को दूसरे के पास भेजकर कहें कि संघके अमुक मुखिया ने उस औरत को जबरन अपने पास रखलिया है। जब उनकी आपस में लड़ाई होजाय तो तीक्ष्ण लोग अपना काम करें और कहें कि “अमुक कामी इस प्रकार मार डाला गया”। या वह औरत ही उसको कहें कि “अमुक संघ का मुखिया मुझको तुम्हारे पास नहीं आने देता है। मैं तो जी से तुमको ही चाहती हूँ। जबतक वह जीता है। जबतक मैं तुम्हारे पास नहीं आसकती हूँ”। यह कहकर उसके मरवाने का प्रबंध करे। या जबर्दस्ती भगाई गई औरत उपवन या कीड़ागृह में तीक्ष्ण लोगों से रातके अन्दर उसको मरवादे। या स्थैं उसको जहर देकर खत्म करदे और लोगों में यह फैलादे कि अमुक मुखिया ने हमारे पिय को मार डाला है। या सिद्ध के भेस में गुपचर उसको सांवननिकी औषधि (वाजिकिरण संबंधी औषधि) के साथ जहर देदें और उनके भाग जाने पर सभी लोग इधर उधर फहना शुरू करें कि अमुक शशु ने इसको मरवा दिया है। या गूढ़आंवा [गुपचरका एकभेद] तथा योग स्त्रियां [गुप चर का एक भेद] राज निवेप के लिये आपस में लड़ना शुरू करें और

इसप्रकार संघ के मुखियों को आपस में लड़ने के लिये काँशिक [रंडी विशेष] नर्तकी तथा गायना [गान वाली] स्त्रियों के घरों में मुखिया लोग जब निश्चित होकर बैठे हों उस समय रात्री समागम के बहाने तीव्रण लोग उस मकान में घुसें तथा उनको मार डालें या बांधकर लैंजवें । सभी लोग जिस संघके मुखिया को स्त्री लोलुप देखें उसको कहें कि—“अमुक गांव में एक दरिद्र परेवार है । उसकी जर्मानारी छिन गई है । उसकी स्त्री बहुत ही खूब सूरत है । तथा राज रानी होने के योग्य है । उसको तुम छीनलो” जब वह सचमुच यहीं करे तो सिद्ध के भेष में गुप्तचर आधे महीने के बाद राजद्रोहियों के गुट के मुखिया को लोगों के बीच में कहे कि “इस ने मेरी मुख्य स्त्री, साली, बढ़िन या लड़की को अपने पास लिया है” । यदि संघ उसको पकड़कर दंड दना चाहे तो राजा संघ का साथ देवे । तीव्रण लोग सिद्ध भेष धारी गुप्तचरों को सदा ही रात में इधर उधर भेजा करे । यह लोग आपस में एक दूसरे को यह कहकर बदनाम करें कि “अमुक ने ब्राह्मण की स्त्री को खराब किया है” । या कार्तवितक लोग किसी खूबसूरत लड़की के विषय में—जिसकी कि दूसरे के साथ सगाई होगई है—मुख्य को कहे कि “इसकी लड़की के जो लड़का होगा वह राजा बनेगा या इसकी लड़की राजपत्नी बनेगी । इसको किसी न किसी तरीके से अपने काबू में करो” । जब तक वह काबू में न आवे तब तक उसको उत्तेजित करे । उसके प्राप्त होने पर झगड़ा तो स्वभावित ही है । इसी प्रकार भिन्न की स्त्री को अतिशय चाहेन वाले मुख्य को कहे कि “अमुक मुखिया ने तुम्हारी स्त्री को फंसाने के लिये भुक को भेजा है । मैं तो उस के डर के मारे पत्थर हो गया हूँ । तुम्हारी स्त्री सर्वथा निर्दोष है । तुम इसका छिपे छिपे बदबा निकालो । मैं भी तुहारा साथ दूंगा” । इस ढंग के झगड़े के मामलों में यदि झगड़ा स्वयं ही उत्पन्न हो गया हो या तीव्रण लोगों ने उसको पैदा कियाहो तो राजाके चाहिये कि वह हीन या दुर्बल पक्षको कोश दंड के द्वारा सहायता पहुँचावें ।

और दुश्मनों तथा राजदेहीयों से लड़ावे या उसको दूसरी भूमि में भेजदे। संघों के साथ भी इसी नीति का अवलंबन किया जाय। संघोंको भी एक प्रकार का राजा ही समझना चाहिये। इस लिये उनके आक्रमण से राजा को सदा ही अपने अपने को बचाना चाहिये।

संघ के मुखिया को चाहिये कि वह संघके सभ्यों के साथ ग्रीति तथा न्याय के साथ व्यवहार करे। इन्द्रियों को बशमें रखकर तथा लोगों को अपने साथ में लेन्हर सबके चित्त के अनुसार काम करे।

१२. अधिकरण ।

आवलीयस ।

१६२ प्रकरण ।

दूत के काम ।

दुर्बल राजा पर यदि कोई बलवान् राजा आक्रमण करे तो वह अपने पुत्र पौत्रों का उसके आधीन कर बैठ की तरह उसके सामने झुक जावे। भारद्वाज का मन है कि जो बलवान् के सामने झुकता है, एक तरह से वह साक्षात् इन्द्र को पलाम करता है। विशालाक्ष का विचार है कि पूरी तैयारी के साथ बलवान् के साथ लड़ाई करे। पराक्रम से बहुत से कष्ट नष्ट होजाते हैं। क्षत्रिय का धर्म भी तो यही है। युद्ध में जीत हार तो हुआ ही करती है। इससे विपरीत कौटिल्य का मन है कि जो लोग सब ओर सिर मुकाया करते हैं वह कूलैडक (नदी के किनारे के बकरे) की तरह निराशा में ही जीवन बिताते हैं। यदि वह युद्ध करें तो उनकी वही गति होती है। इसलिये उचित तो यह है कि अविभेद दुर्ग का सहारा लिया जाय या

उसी के सहशा किसी दूसरे बलवान् राजा का आश्रय प्रहण किया जाय । (१) धर्मविजयी (२) असुरविजयी (३) लोभविजयी के भेद से विजयी तीन प्रकार के हैं ।

(१) धर्मविजयी । धर्मविजयी वही है जो कि नप्रता मात्र से संतुष्ट होजाय अतः सबसे पहिले उसी का सहारा लिया जाय ।

(२) लोभविजयी । जो अपने शत्रुओं से डेर तथा भूमि द्रव्य आदि पाकर संतुष्ट होजाय वह लोभविजयी कहाता है । ऐसे आदमी को रूपया पैसा देकर अपना मित्र बनाया जाय ।

(३) असुरविजयी । जो भूमि द्रव्य पुत्र र्षी आदि के प्रहण के साथ साथ जान भी लेना चाहे उसको असुरविजयी कहते हैं । इसलिये दुर्बल राजा को चाहिये कि भूमि द्रव्य आदि देकर उसको जितना दूर रखसके रखे ।

यदि इनमें से कोई उस पर आक्रमण करना चाहे तो उसको संधि, कूट युद्ध मंत्र युद्ध आदि के द्वारा रोके । शत्रुके पक्ष को साम तथा दान से, अपने पक्ष को भेद तथा दंड से, और शत्रु के दुर्ग, राष्ट्र तथा छावनी को जहर शत्रु आग आदि का प्रयोग करने वाले गुप्तचरों से अपने वशमें करे । उसके पर्णि पर प्रभुत्व प्राप्त करे । जांगलिकों से उसके रुद्ध को नाश करवाये और कैदियों तथा कुलीनों से उसको छिनवाये । इस ढंग के नुकसान पहुंचाने के बाद अपने दूत शत्रुके पास भेजे या यों ही संधि करले । यदि वह इस पर भी न माने तथा आक्रमण करे तो अपने कोश तथा दंड का चौथाई भाग एक दिन के अन्दर ही देने की बात कहकर संधि की ग्राहना कर ।

दंडसंधि । यदि शत्रु दंडसंधि [सेना लेफर संधि] करने के लिये तैयार हो तो रही घोड़े हाथी तथा विषेशी चीज़ें देकर संधि करले ।

पुरुषसंधि । यदि वह पुरुषसंधि [योग्य २ मनुष्यों को लेकर संधि का] करने के लिये तैयार हो तो राज्यद्रोहियों, दुश्मनों तथा जांगलिकों को उस के पास भेजदे । उन का अध्यक्ष किसी

विश्वासपात्र व्यक्ति को बनावे । तीदण लोगों की सेना उसको देवेवा बैज्ञत लोगों को इज्जत देकर या राज्य भक्त तालुकेदार (मौज) को उसके पास भेज जोकि उसको कष्ट के समय में नुकसान पहुँचावे । सारांश यह है कि उन लोगों को उसके पास भेजे जोकि दोनों के लिये खतरनाक हों और शबु के साथ हो जिन को नष्ट हो जाने पर (उभय विनाश) उसका कल्पणा हो ।

कोशसंधि । यदि वह कोशसंधि चाहे उसको ऐसे बहुमूल्य पदार्थ जिनका कोई भी खरीदार न हो या युद्ध के लिये अनुप योगों जांगलिक पदार्थ उसके सुपुर्दे करे ।

भूमिसंधि । यदि वह भूमिसंधि चाहे तो उस को ऐसी भूमि दे जो कि दूसरे की हो [प्रत्योदया], या जिस पर दुश्मन या निस्सहाय लोग बसे हों या जिस के संभालने में भयंकर च्य तथा व्यय का सामना करना पड़े ।

सर्वस्वसंधि । यदि वह सर्वस्व लेकर सर्वस्वसंधि संधि करना चाहे तो राजधानी को छोड़ कर सब कुछ उस के सुपुर्दे कर दे ।

दुर्बल को चाहिये कि बलवान् राजा को वही चीज़ दे जोकि उसके पास न रह सकती हो या जिस को कोई दूसरा लेजाना चाहता हो । अपने प्राण की रक्षा प्रत्येक उपाय से करे । धन का क्या ? । धन तो अनित्य है । उस के लिये बहुत सोचना ठीक नहीं है ।

१६३ प्रकरण ।

मंत्र युद्ध ।

यदि वह संधि करने के लिये न तैयार हो तो उसको कहे कि—**षद्बर्ग** [काम कोधारि] के वशमें होकर अमुक अमुक राजा नष्ट होगये । आप उन राजाओं का मार्ग न ग्रहण करिये जिन को अपनी इन्द्रियों पर कुछ भी वश न था । आप धर्म तथा अर्थ के

अनुसार काम करिये । उनका साथ न दीजिये । वह उपर से दोस्त हैं और अन्दर से दुश्मन हैं जो कि आप को साहस, अधर्म तथा अर्थातिक्रम के लिये उपदेश देते हैं । जीजान छोड़कर लड़ने वाले शर्तोंके साथ युद्ध करने को साहस, दोनों ओर से ही लोगों के नष्ट होने का नाम अधर्म और हाथ में आईहुई चीज को न लेवे तथा अच्छे दोस्त को छोड़ने का नाम अर्थातिक्रम है । अमुक राजा के बहुत से मित्र हैं । जो कि उसको अर्थ द्वारा सहायता देंगे । वह उनसे सहायता प्राप्तकर आप पर सब ओर से चढ़ाई करदेगा । मध्यम तथा उदासीन मंडल उसके साथ है । आपतो अकेले पड़ गये हैं । वह तो आपके लड़ाई में पड़ने की प्रतीक्षा ही कररहे हैं । और सोचरहे हैं आपका क्षय तथा व्यय हो । आप के मित्र जुदा होजांय । जब आप का कोई सहारा न रहेगा । तो आपको सुगमता से ही नष्ट करसकेंगे । इसलिये आप को दुश्मनों की बातों में न आना चाहिये और दोस्तों की बातों की इसप्रकार बेकदरी न किरंनी चाहिये । दोस्तों को परेशान करना और दुश्मनों को लाभ पहुंचाना आपके लिये ठीक नहीं मालूम पड़ता । आप क्यों अपनी जान खतरे में डालरहे हैं तथा अनर्थ अपने सर ले रहे हैं ।

यदि वह इसपर भी आक्रमण ही करे तो उसके प्रकृतियों का बागी बनादेवे । उन्हीं उपायों को काममें लावे जिनपर सन्धवृत्त तथा योगवामन नायक प्रकरण में प्रकाश ढालाजानुका है । तीक्ष्ण तथा रसद [जहर देने वाले] लोगों को उन उन स्थानों पर पहुंचावे जिनकी रक्षा करना 'आत्मरक्षितक' प्रकरण में आवश्यक प्रकट कियागया है । बन्धकीपोषक (लड़कियों को रंडी बनाने के लिये पालने वाले लोग) लोग खूब सूरत जबान औरतों से दुश्मन की सेना के सेनापतियों को उन्मत्त करवायें । जब किसी एक स्वामी पर बहुत से आशिक होजांय तो उनको आपस में लड़ादे । जो पक्ष पराजित होजाय उसको भागजाने की सखाह दें या अपने साथ मिलजाने के लिये कहें ।

सिद्ध के भेष में गुप्तचर, कामी सेनापतियों को सांबननिक औषधि (बाजी करण करने वाली दबाइयां) में जहर मिलाकर देवे ।

बैदेहक (व्यापारी) के भेष में गुप्तचर कामिनी राजा रानी के पास रहने वाली दासी को रुपथा पैसादें तथा अपने जालमें उसको फँसावें इसी प्रकार कुछ लोग नौकर का भेष बनाकर उसको कहें कि अमुक जहर तुम बैदेहक के भेष में आने वाले व्यक्ति को देदेओ। यदि वह यह मंजूर करें तो उसको धीरे धीरे राजा रानी तथा राजा को भी जहर देने के लिये प्रेरित करे। कार्तान्तिक (ज्योतिषी) के भेषमें गुप्त चर परंपरा से महामात्र पद पर नियुक्त व्यक्ति को कहें कि आपमें तो संपूर्ण लक्षण राजा होने के हैं। इसके बाद उसकी स्त्री भिन्नुकी का भेष बनाकर महामात्र की स्त्री से कहें कि—तुम्हारे जो लड़का हो जायगा। यां वही भिन्नुकी स्त्री के भेष में पहुँच कर महामात्र को कहें कि—राजा मुझको पकड़ लेगा। परि व्राजका (सन्यासिनी) ने आपके पास अमुक चिट्ठी गहना आदि भेजा है। इसी प्रकार सूद (दाल बनाने वाला) तथा अरालिक (पाचक) के भेष में गुप्तचर उस महामात्र को जहर देने के उद्देश्य से जाकर कहें कि महाराज ने आपके खाने के लिये अमुक बस्तु आपके पास भेजी है। बैदेहक लोग इस बस्तु को मार्ग में ही छीनकर माहामात्र से कहें कि कि देखो राजा तुमको मरवाना चहाता है। तुम लड़ाई के लिये तैयार हो जाओ। कार्य अवश्य ही सफल हो जायगा। इस प्रकार एक दो या तीनों उपायों से महामात्रों को देश छोड़ने के लिये या राजा पर चढ़ाई करने के लिये प्रेरित करे।

शत्रु के दुगौं में रहने वाले शून्यपालों (उजाड़ जमीन के प्रबंध कर्ता) की और से सत्री नागरिकों तथा ग्रामीणों को कहें कि शून्यपाल ने राजकर्मचारियों तथा फौजों को कहा है कि—राजा भयंकर तकलीफ में पड़गया है। अब उसका जीते जो लौटना असंभव है। जब दर्दस्ती के द्वारा धन इकट्ठे न करो। नहीं तो तुमको मरवादिया जायगा। जब सब लोग इकट्ठा हो जांवे तो तीक्ष्ण उनको तथा उनके मुखियों को जहर देदेवें मारडालें तथा कहें कि—जो लोग शून्यपाल की आशाका उल्लंघन करते हैं उनके साथ यही व्यवहार किया जाता है। इसके बाद वही लोग शून्यपाल के स्थान पर खून से लथ पथ हथियार हथकड़ी संषक्ति आदि केक

अर्थे । इसपर सत्री लोग सब ओर शोर मचादें कि “शून्यपाल लोगों को मरवाता है तथा लूटता है” । इसी प्रकार प्रजाको समाहर्ता के विरुद्ध करादिया जाय । गांवों के बीचमें रात के अन्तर तीक्ष्ण लोग कहें कि “जो लोग अनपद में पाप करते हैं उनके साथ यही व्यवहार किया जाता है” । इस पर यदि जनपद के लोग भड़क जावें तो उनके द्वारा समाहर्ता को मरवा देवे । उसके स्थान पर किसी कुलीन या कैटी को नियुक्त करे ।

शत्रु राजा के विषय में भूठी भूठी खबरें उड़ाकर तथा उस के तकलीफ में पड़जाने को प्रगट कर गुप्तचर लोग अन्तःपुर, पुरद्वार [शहर का मुख्य दर्वाजा], द्रव्य तथा धान्यभंडार आदि में आग लगा दें और लोगों को मारें ।

१६४-१६५ प्रकरण ।

सेनापतियों का घात तथा राष्ट्रमंडल का प्रोत्साहन ।

राजा [शत्रु राजा] तथा राजवृक्षमों (दर्बारियों) के पास रहने वाले सत्रि [गुप्तचर] पदाति अश्वारोही रथी तथा हस्त्यरोही सेना के मुखियों को दोस्ती में बात करते करते कहें कि आप लोगों से राजा नाराज है । जब वह लोग किसी एक स्थान पर इकट्ठे हों तो तीक्ष्ण लोग रात के पहलियों से अपने आप को बचाकर उनके पास जावें और कहें कि “राजा ने आप को बुखाया है । चलिये” । ज्यों ही वह चलने के लिये बाहर निकले उनका मार डाला जाय । सत्रि लोग चारों ओर यह फैलादें “राजा की आङ्गा से ही यह किया गया है” । प्रवासित लोगों से सत्रि लोग कहें कि—हम आप को सलाह देते हैं कि यदि आप अपनी जान बचाना चाहें तो यहाँ से भाग जाय । यदि किसी को राजा ने मांगने पर कोई चीज़ न दी हो तो सत्रि लोग उस से कहें कि—राजा ने शून्य पाल से यह बात कही है कि अनुक अमुक व्यक्ति हम से वह वस्तु मांगता है जोके उस को न मांगना चाहिये या हमारी आङ्गा के अनुसार

शत्रुओं के गुह्य के सहारे उस से उस वस्तु को छीन लो । इस के बाद पूर्ववत् काम करे । यदि राजा ने किन्हीं को मांगते ही चीज़ दे दी हो तो सत्री लोग उनको कहें कि—राजा ने शृन्यपाल से कहा है कि अमुक अमुक व्यक्ति ने अशान्त वस्तु हम से मांग ली है । विश्वास दिलाने के उद्देश्य से ही हमने उनको वह वस्तु दी है । तुम शत्रुओं को साथ में लेकर उसके छीनने की कोशिश करो । इस के बाद पूर्ववत् काम करे । जो लोग राजा से याच्य वस्तु को न मांग उनको सत्री लोग कहें कि—राजा ने शृन्यपाल से कहा है कि—“अमुक अमुक व्यक्ति हम से याच्य वस्तु भी नहीं मांगता है । इस से अधिक और क्या बात हो सकती है क्योंकि वह अपने दोषों से ही डरते रहते हैं । उन से हमारा पीछा छुड़ाओ ॥” । इस के बाद पूर्ववत् काम करे । कृत्यपक्ष (शत्रु के पक्ष में ही जाने वाले लोग) के लोगों के साथ इसी प्रकार व्यवहार किया जाय ।

राजा के पास रहने वाला सत्री राजा को कहे कि—तुम्हारा अमुक महामात्र शत्रु के आदमियों के साथ बातचीत करता है । यदि उसको इस बात पर विश्वास आजाय तो कुछ एक बागियों को शत्रु का प्रतिनिधि प्रगट कर पेश करदे और कहे कि देखो यह बात ऐसी है ।

सेनापतियों, मुखियों तथा प्रकृति के प्रधान प्रधान पुरुषों को भूमि हिरण्य आदि की लालच देकर अपने ही आदमियों के साथ लड़ा दिया जाय या दूसरे देश में चले जाने के लिये कहा जाय । यदि सेनापति का कोई लड़ा किसी समीप के दुर्ग में रहता है तो उसको सत्री लोग कहें कि—तू अब समर्थ होगया है । तुझको यहां पर योही बन्द करके रख छोड़ा है । तू तुप बैठा है ? आक्रमण कर राज्य को संभाल ले । नहीं तो तुझको युवराज मरवा डालेगा । इसी प्रकार किसी कैदी कुत्रीन को हिरण्य का लालच देकर कहा जाय कि—शत्रु के सेना की अन्तरीय शक्ति को या उसकी सीमा पर रहने वाली सेना के एक भाग को नष्ट करदे । इसी प्रकार जांगलियों को भड़काकर उसके राज्य का सत्यानाश कर दादे । या पर्णिग्राह को कहे कि—“मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ । मेरे

नष्ट होते ही राजा सबको डुबा देगा” या यह कहे कि—“आओ आपस में मिलकर हम तुम चढ़ाई करें।” जब वह इकट्ठे होजांय तो उनको कहे कि “अमुक राजा मुझको नष्ट कर तुम सब लोगों को नष्ट करेगा। तुमको सावधान होजाना चाहिये। मैं तुम्हारा ही कल्याण चाहता हूँ।”

पड़ोसी श्रेष्ठ के खतरों तथा आक्रमणों से बचने के लिये राजा को चाहिये कि मध्यम उदासीन राजा को सर्वस्व तक देकर अपने साथ मिलाले ॥

१६६-१६७ प्रकरण ।

शस्त्र, अग्नि तथा रस का प्रयोग । वीवध, आसार तथा प्रसार का वध ।

दुश्मों में वैदेहक (व्यापारी), गांवों में गृहपति (गृहस्थ), और जनपद-संविधियों में गोरक्षक या तापस के भेष में गुपतचर सामन्त आटविक या अवरुद्ध (कैदी) कुलीन के पास परायागार (व्यापारीय द्रव्य उपायके रूपमें) भेजकर कहे कि—“आप इस देश को लें।” यदि वह लोग देश जीतने के लिये आजावें तो दुर्गमें रहने वाले गृह-पुरुष उनका सत्कार करें और उनको प्रकृति के छिद्रों (प्रकृ-चित्तद्र) का ज्ञान करावें। और उनको साथ मिलाकर आक्रमण करें या स्कन्धावार [छावनी] में शौंडिक (कलबार), के भेष में रहने वाले गुपतचर अभित्यक (परित्यक) पुत्र को अवस्कंदनकाल (युद्धसमय) में नैषेचनिक (मंगलार्थ अभियेक) के बहाने मदन-रसमिले हुए सैकड़ों शराब के घड़े दें। या पहिले दिन शुद्धमय या माद्य (नशा दिलाने वाला) मद दे और दूसरे दिन जहर मिला मद दें। या दंडमुख्यों (सेनापति) को शुद्ध मददें और जब नशा आवें तो विष मिला मद पिलादें। या दंडमुख्य भेषधारी खुफिया “अभित्यक पुत्र वाले तरीके को काममें लावें।

पञ्चमांसिक [पक्षा दुआ मांस बेचने वाला], औदनिक [भात बेचने वाला], शौंडिक वा आपूर्पिक [हलवाई] भेषधारी गुप-

चर आपस में मिलकर यह शोर मचावें कि फलत की अमुख चीज़ यहाँ पर बड़ी सस्ती मिल रही है। यदि शत्रु के आदमी उन चीजों को लेने आवें तो जहर मिलाकर उन चीजों को उनके हाथ बैच देवें। या खीं तथा खड़के जहरीले वर्तनों में व्यापारियों से शराब दही घी तेल आदि खरीदें और कहें कि इसी कीमत पर कुछ और अधिक दो। जब वह न दें तो उन चीजों में उल्टा दें। बैचदहक (गुप्तचर) या व्यापारी लोग हाथी घोड़ों के घास तथा चारे में जहर मिलादें। मजदूर लोग (कर्मकर के भेष में गुप्तचर) जहर से मिली घास बैच या पुराने गोवाणिजिक [गाऊं के व्यापारी] शत्रुओं की चढ़ाई समय मोहस्थनों (भूलभज्यां) में गौ बकरी तथा भेड़ के झुंडों को—या (सींगों में छबूंदर का खून लगाकर) बदमाश घोड़े गदहे ऊंट भैस आदियों को—या शिकारी तथा बहेलिये पिंजड़ों से शेरों तथा चीतों को—या संपरे बिशैल सांपों को—या हस्थिजीवी हाथियों को छोड़देवें। या अग्निजीवी इधर उधर आग लगादें। विद्रोही अमित्र तथा आटविक [गुप्तचर लोग] या तो पीछे से उनको कतल करदें या चढ़ाई करने में रुकावटें डालें या बनमें छिपकर शत्रु सेनाके अन्तिम भाग (प्रत्यंतस्कंभ) को पकड़कर कतल करदें या—वीवध स्वदेशी सेना, आसार (मित्र की सेना तथा प्रसार जांगलिकों की सेना के पगड़ंडीपर पहुंचते ही पहिले से ही नियत कियेहुए संकेत के अनुसार रातमें युद्ध करें और भयंकर रूप से तुर्हीं बजाकर शोर मचावें कि—अबतो हम देशमें घुसगये। हमने राज्य छीन लिया।—या जब गड़ बड़ मच जाय तो भीड़में ही राजा के निवास स्थान में घुसजाय और राजा को कतल करदें। या म्लेच्छ, आटविक तथा सेनापति दंडचारी के भेषमें गुप्तचर अकेले में पाकर या सत्र, (खतरनाक स्थान) स्तंभ बाट आदि स्थानों में छिपकर उसको चारोंओर से घेरकर या शिकारी लोग गुप्तचर गुप्त तरीकों से चढ़ाई की भीड़ में उसको मारडालें। या पगड़ंडी (एकायन), पहाड़ स्तंभबाट, सन्जन तथा जल के बीच में अपने देश के सैनिकों के द्वारा उसको कतल करदें। या नदी, झील, तालाब के बांध तथा पुलकों तोड़कर पानी

की बाट में उसको बहादे । या धान्वन, वन तथा नदीके दुर्गमें रहते ही उसको योग आग्नि तथा धूम से उसको नष्ट करदे । अर्थात् जब वह संकट में पड़े तो उसको आगसे, धान्वन दुर्ग (पानी आदि से रहित रेगिस्तान का दुर्ग) में फंसे तो उसको धूम से, घरमें रहे तो योग (जहर) से और पानी में घुसे तो उसको खूनी मगर तथा पन्नुचियों [उदकचरण] के द्वारा तीक्ष्ण लोग मरवादें । यही बात तबकी जाय जबकि वह मकान में आग लगजाने के कारण भागता हो ।

योगवामन तथा योग आदियों में से किसी भी योग के द्वारा उपरिलिखित स्थानों में ज्यों ही शत्रु फंसे उसको नष्ट करदिया जाय ।

१६८—१७० प्रकरण ।

योगातिसंधान दंडातिसंधान तथा एकविजय ।

चढ़ाई करने के समय जिन मन्दिरों यज्ञशालाओं में शत्रु विशेष रूप से आता जाता हो उनमें नाशक प्रयोगों [योग] को काम में लावें । ज्यों ही शत्रु मन्दिर में घुसे उस पर यंत्र के सहारे गुप दीवार या चढ़ान गिरादे, या किवाइ को या भीत में छिपाकर रखे या किसी एक स्थान पर बंधे परिष को फेंक दे । या देवताओं के शरीर में छिपाकर हथियार रखे और उनके द्वारा उसको मारे । या जहां जहां पर वह विशेष रूप से आता हो उसको जहरीली गोबर तथा पानी से लेपे । या फूल की बुकनी के बहाने जहरीली बुकनी या उसका धुआं देदे । या कोलों से भरा हुआ या खतरनाक गड़ा नीचे बनाकर चारपाई तथा विस्तर विलोवे जिलका निवला भाग यंत्र से बंधा हो । ज्यों ही राजा उस पर लेटे उसको कीड़ के द्वारा कुर्से या गड़े में फेंक दे । या जांगलिकों तथा अमिन्हों के आकरण होने के समय में जो सैनिक जनपद प्राप्त करने में समर्थ हों उनको इधर उधर कर दे । येंदि दुर्ग हो तो उनको इधर उधर भरा दे या शत्रु के उस देश पर चढ़ाई करने के लिये भेज दे जोकि प्रस्तावदेश हो । या शत्रु का जो देश जंगलों से घिरा हो या जिस में पहाड़ों जांगलिक या नदी सम्बन्धी दुर्ग हों उस को, उस

के लड़के भाई आदि के द्वारा छिनवा दे तथा उनहीं का राज्य उस पर स्थापित करे। दंडोपनत प्रकरण में किले के घेरा डालने [उपरोध] के सम्बन्ध में प्रकाश डाला जानुका है।

योजन पर्यन्त लकड़ी धास भूस जला दे। संपूर्ण पानी दूषित कर दे या बहा दे। बाहर की ओर जगह जगह पर जाली गढ़े बनावे। कंटीली भाड़ियाँ लगावें। शत्रु के स्थानों में अनेक प्रकार की सुरंगें लगाकर उसके प्रधान २ निचय (खजाना, अब्जमंडार) को चुरा लेवे। जो अमित्र हों उनके साथ भी यही किया जावे शत्रु की सुरंगों में इतने बड़े बड़े तालाब बना दे जोकि पानी से भरे हों। हवा आने के लिये मिट्टि भिज्ञ स्थानों पर खाली गगरे, कुर्दे मकान, मढ़इया आदि बनवादे। जिन जिन स्थानों पर संदेह होने की संभावना हो वहां पर भी यही करे। शत्रु की सुरंग में दूसरी सुरंग नादे या उसके बीच में छेद कर दे तथा उसमें धुआं पानी भर दे। या अपने किलों का प्रबन्ध करे उसका उत्तराधिकारी नियुक्त करे और इसके बाद विपरीत दिशा की ओर या उस ओर प्रस्थान करे जिस ओर वह मित्रों बंधुओं तथा जांगलिकों से सहायता प्राप्त करसके या शत्रु के ही मित्रों राज्यद्रोहियों तथा शक्ति शाली पुरुषों को अपने साथ मिला सके या शत्रु को उनके मित्रों से जुदाकर सके या पार्श्व पर प्रभुत्व प्राप्त करसके या उसका राज्य छीन सके या वीवध आसार तथा प्रसार का नाश करसके या वह काम करे जिस से आंख हिलाते हीं शत्रु का राज्य नष्ट करसके या अपना राज्य बचा सके या मूल को शक्ति शाली बनासके या अनुकूल तथा इष्टसंघि को प्राप्त करसके। या किसी सद्य जाने वाले व्यक्ति को शत्रु के पास यह कहकर भेजे कि “तुम्हारा अमुक अमुक शत्रु मेरे हाथ में है। व्यापारीय माल या तुक्सान का बहाना बनाकर सोने के साथ शक्ति शाली सेना को भेज दो। मैं उसको बांधकर या देश निकाला देकर तुम्हारे पास भेज दूँगा”। यदि वह मंजूर करले तो हिरण्य तथा सारबल [शक्तिशाली सेना] को स्वयं प्रहण करले। या अग्रपाल किला दे देने के बहाने सेना के एक भाग को अन्दर बुलाले और चुप्पे से उसको मरवादे। या अफ्के एड़े हुए जनपद

को नह करने की इच्छा से शत्रु की सेना को बुलावे तथा जब वह देश का घेरा डाले तथा उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करे तो उस को मरवा दे । या मित्र बनकर शत्रु लोगों को कहलादे कि—“इस किले में धान्य धी नमक आदि कम्य पढ़ गया है । अमुक अमुक समय में यह चीज़े इस स्थान पर भेजी जायगी । तुम्हे रास्ते में ही इन चीजों को लैना लो ॥” । इस के बाद राज्यद्रोही जात वहिष्ठृत अमित्र तथा जांगलिक लोग जहरीले अनाज तैया धी को लेकर आये । अन्य सब प्रकार की सामिप्रियों तथा वीरवधु के सम्बन्ध में भी इन ही नियमों को काम में लावे ।

संघिकरने के बाद हिरण्य का एक भाग उसी समय और भेष भाग धीरे धीरे विलंब के बाद देवे । इसी वीच में उसके सैनिकों को जगा देवे या अग्नि विष शृस्त्र के द्वारा प्रहार करे या धूंस खोर तथा सोने के लोभी दर्बारियों को अपने बश में कर लेवे । यदि अपनी शक्ति बहुत ही कम समझे [परिच्छीण] तो शत्रु को अपना दुर्ग देकर दूसरे स्थान पर चला जावे । यदि निकलना कठिन हो तो सुरंग लगाकर, दीवार फाटकर, [कुत्सिप्रद] या मकान तोड़कर भाग जावे । या रात में आक्रमण कर अरने यत्र में सफल हो जाय । यदि यह न होवे तो पार्श्ववर्ती मार्ग से या पार्श्वांडियों के भेष में दख बल के साथ धीरे धीरे या स्त्री का भेष बगाकर मुर्दे के पीछे पांछे चलकर बाहर निकल जावे । या देवता के चढ़ावे तथा शाद संबंधी उत्सवों में विष मिला अथ तथा पानी लोगों को देवे और राज्यद्रोहियों के भेष में आक्रमण कर गुस्तर्चरों की सेनाके द्वारा उनको मारडाले । या दुर्ग ग्रहण करने के बाद भोजन करे, जैत्र में जावे और मूर्ति के पोके पेटमें या गूदाभित्ति में या मूर्ति युक्त तद्खाने में छिपकर बैठजावे । जड़ किसी का भी रथाल न रहे तं रात में सुरंग से राज महलमें घुसे और सोये हुए दुश्मन को मारडाले या पैच हीलाकर यन्त्र को उसपर फेंकदे या जहर तथा ऊलाने वाली चीजोंसे लिपेहुये साधारण या लाल्के घरको आगलगाहर सोते हुए दुश्मन को जीते जी जलादे । या प्रमदवन तथा विहार में से किसी भी स्थान पर तहखाना सुरंग गूदाभित्ति के अन्दर

छिपकर तीक्ष्ण लोग आत्मन् में प्रमत्त हुए हुए शत्रु को मार डालें। या गुप्तचर लोग जहर देकर, या गुप्तस्थान में छिपी हुई और दृष्टि सांप जहर आग धुयां आदि फँक कर उसकी जान लेलें। शत्रु के अन्तःपुर में आने, पर गुप्तचर लोग मौका मिलते ही उसको जिस ढंग का नुकसान पंखांस के पंखुंचावें और अपने आदमियों को सब प्रकार के इश्वार देकर तैयार रखें।

शत्रु को चाहिये कि दरबाजों पर रखेगये तथा दुश्मनों के द्वारा जगह जगह पर छिपाये हुए लोगों को तथा बुद्धों को तुर्ही बजाकर इकट्ठा करे और पूर्व घृत शेष बातों को दुहरावे।

१३. अधिकरण

दुर्ग लंभोपाय

१७१ प्रकरण ।

उपजाप ।

विजिर्गु यदि शत्रु के ग्राम [पर ग्राम] को अपने बश में करना चाहे तो १ सर्वज्ञ रूपापन तथा २ दैवत संयोग रूपापन के द्वारा अपने पक्ष के लोगों को उत्साहित करे और शत्रु के पक्ष के लोगों को उद्विग्न या परेशान करे।

(१) सर्वज्ञरूपापन (सर्वज्ञताना) । अपेन आपको सर्वज्ञ प्रसिद्ध करने के लिये—धर्ती की गुप्त बातों का पता लगाकर मुख्यों को उनके द्वारा दो को विषय में सूचित करे—कौन कौन राज्यद्वीपी हैं इसबात को कंटक शोधन तथा गुप्तचरों के आगमन के द्वारा प्रगट करे—अदृष्ट-संसर्ग विद्या (छिपे हुए संबंधों को पतालगाने वाली विद्या) में बताये हुए इशारों के द्वारा भावी नीति को दिखावे और मुद्रा (चिन्ह) संयुक्त कृतरों के द्वारा विदेश के समाचार को प्रकाशित करे।

(२) दैवतसंयोगख्यापन (देवताओं के साथ संबंधका-होना प्रगट करना) देवताओं के साथ अपना संबंध प्रगट करने के लिये—कोई आदमी सुरंग के द्वारा आग्निकुण्ड, चैत्य (मंदिर विशेष) तथा मूर्ति के नीचे पंहुंचकर स्वयं श्रद्धा चैत्य तथा देवता के रूप में बोले और पूजा लेवे—या सांप तथा हिरण्य की मूर्ति के अन्दर बैठे लोग पानी में से निकले बोलें तथा पूजन कराने लगें—या रात में जल के भीतर समुद्र वालुका का कोश रखकर श्रद्धा भाला दिखावें—या लकड़ी या बांस बेड़े (पत्तवक) को शिला या जंजीर (शिक्षण) से बांधकर देवता के रूप में उसपर दर्शन हें—या जल जन्मत्रों की वस्तियां भिज्जी से मुंह ढांपकर, पृष्ठत मृगकी अन्तड़ी तथा केकड़ा नाका सूंस उद्धिलाब आदि की चरबी में तेल को सौबार पकाकर नाक में लगावें और यह प्रसिद्ध करें कि रात्रिगण पानी के बीच में आया जाया करते हैं [उदक चरण] इन्हीं लोगों के द्वारा बहुण तथा नाग कन्याओं का सम्बन्ध आदि दिवावें-भगोड़े के समय में मुंह से आग तथा धुंआं निकालें। पैराणिक कार्तानितक, नैमित्तिक, मौहूर्तिक, क्षणिक, [तमाशा दिखाने वाले], गूढ़ पुष्ट, सचिव्य कर [विदूषक] तथा दर्शक आदि उपरिलिखित घटनाओं को अपने देश में फैलावें। शत्रु के देश में कहते फिरें कि विजिगीषु को देवता दर्शन देते हैं। उसको दिव्य कोश तथा दिव्य खेना प्राप्त हुई है। सांगविद्या [हाथ देखने वाले] लोग देवताओं के सामने प्रश्न, मृग पक्षिओं की बोलियों की परीक्षा तथा स्वप्न विचार आदि के द्वारा उसके विजय को और शत्रु के पराजय को सूचित करें। शत्रु की राशी में दुन्दुभि के साथ उल्का को दिखावें। इन भेष धारी गुप्तचर शत्रु के मुख्य मुख्य व्यक्तियों के पास जावें और कहें कि स्वामी ने आपका आदर सत्कार किया है। अमात्यों तथा फौजों [आयुधीय] से कहें कि हमारा पक्ष इस प्रत्यारुपुष्ट होता है। शत्रु का पक्ष इस प्रत्यारुप किया जासकता है और ऐसाकरने में दोनों ही पक्षों की एकत्रित भलाई है। हमारा स्वामी अपने आदमियों का सुख तथा दुःख में पुत्र के सदश पालन करता है। इसप्रकार शत्रु के पक्ष के लोगों को अपने साथ मिलने के लिये

उत्साहित करे । और—दक्ष लोगों को कहे कि राजा ने तो तुमको एक गदहा समझ रखा है, दंडचारियों को बहकावें कि उसने तुमको लठैत तथा दुफैत बनारखा है, उद्विग्न लोगों को समझावे कि तुमतो नदी के किनरे के भेड़ बनादिये गये हो, विमानित लोगों को कहे कि तुमपर तो पहिले से ही बज्र पड़चुका है, हताश लोगों को समझावे कि तुमतो गिरासपर पलने वाले कउए बना दिये गये हों, बदली के मेघकी तरह वह तुमको कुछभी न देगा, दुश्मन को कहे कि बदमाश औरत को गहना पर्हनाने से क्या लाभ ? जिन लोगों का राजा ने आदर सन्त्कार किया हो उनको कहे कि शेर का चमड़ा लेने से क्या अर्थ सिद्ध होगा ? जो राजा के पास रहते हों उनको कहे कि तुमलोग भौतके मुंह (मृत्युकृट) में हो, जोलोग राजाका सदा ही अपकार करते हों उनको कहे कि तुमतो पीलु लिखाकर तथा ओला दिलाकर ऊँटनी तथा गदही का दृश्य मथरहेहो । जो लोग इनबातों से अपने बश्यमें हो जायं उनका अर्थ तथा मान से संतुष्ट कियाजाय । जो लोग द्रव्य तथा भक्तों से असंतुष्ट हों उनको द्रव्य तथा भक्ता देकर खुश रखा जाय । यदि वह इनचीजों के लेनेके लिये तैयार न हों तो उनके बच्चों तथा स्त्रियों के पास गहना पहुँचाय जाय ।

यदि शहर तथा गांव के लोग दुर्भिक्ष चोर तथा जांगलिकों से पीड़ित होचुके हों तो सभी लोग उनको कहें कि—तुम राजा से सहायता मांगो । और कहो कि यदि हमको सहायता न मिली तो हम अन्यत्र चले जायगे ।

जो लोग उपरिलिखित बातों में आजावें उनको द्रव्य धान्यक आदि देकर अपने साथ मिला लिया जाय । उपजाप का सबसे अधिक अनुदृत काम यही है ।

१७२ प्रकरण ।

योग वामन ।

मुंडे था जटाधारी के भेष में गुप्तचर पहाड़ की गुफा में रहे और अपनी ढमर ४०० साल की प्रकट करें । बहुत से जटाधारी

शिष्यों को साथ में लेकर नगर के समीप में डेरा ढालें। उसके शिष्य मूल फल आदि के लिये शहर में आवें और आमात्यों तथा राजा को महात्मा जी के दर्शन के लिये उत्साहित करें। जब राजा उसके पास आवें तो उसको पुराने राजा तथा उसके देश के विषय में नयी नयी बातें बतावें। साथ ही कहे कि—सौ सौ साल बाद में आगमें प्रवेश कर चौली बदलता हूँ तथा बालक के रूप में प्रकट होता हूँ। अब आपके सामने चौथी बार आग में प्रवेश करूँगा। आप अवश्य ही आवें। आप जो चाहें तीन बर मांगलें। यदि राजा को विश्वास आजावे तो कहे कि “आप सात रात तक तमाशा दखनेकेलिये सपरिवार यहांपर ही रहिये”। यदिवह वहांपर रहजाय तो आश्रमण कर उसका काम तमाम करदे। या—मुंडे या जटाधारी के भेष में गुप्तचर यह कहे कि जमीन में गड़ा हुआ धन बतासकता है, और साथही अपने बहुत से शिष्यों को लेकर पड़ोस के बल्मीकि में बांसकी नली खूनसे लथरथ कपड़े से लेपट कर रखदे और उसपर सोने का बुरादा छिपक दे। बांसकी नली के स्थानपर ऐसी सोनेकी नली भी रखी जा सकती है जिसमें से सांप आ जा सके। इसके बाद सभी राजाको कहे कि—अमुक सिद्ध पुरुष जमीन में गड़े हुए खजाने को बता सकता है। राजा उससे जोड़ो बात पूछे उसका उत्तर देवे और साथ ही चिन्ह भी दिखावें। या जमीन में नये सिरे से सोना गाढ़ कर कहे कि—खजाने की रक्षा नग देवता कर रहे हैं। बिना पूजा पाठ के उनका प्राप्त करना सुगम नहीं है। यदि उसको विश्वास आजावे तो पुनः वही सात रात बाला तरीका काम में लायाजावे। या वही तपस्वी स्थानिक बातों का ज्ञाता अपने आपको प्रकट कर और अपने चारों ओर आग लगाकर बैठ जावे। सत्रि लोग क्रमशः राजाको कहें कि—अमुक आदमी सिद्ध है। उसको संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होगई हैं। राजा उससे जो बात करने के लिये कहे— वह करने के लिये तैयार होजाय और वही सात रात बाला किस्सा दुहरावें। सिद्ध घनेहुए गुप्तचर राजा को जंभकविद्या से प्रलोभन देकर भी पूर्व वर्णित उपाय को काम में लासकते हैं। या—प्रसिद्ध मन्दिर में अपना डेरा लगाकर भिन्न

मिन्व उत्सवों में मुख्य मुख्य राज्याधिकारियों (प्रहृति मुख्य) को वह कहकर राजा पर आक्रमण कर सकते हैं ।

इसी प्रकार जटाधारी के भेष में गुप्तचर अपने आपको जल के भीतर या सुरंग लगाकर मूर्ति या तहखाने के अन्दर छिपावे रखें सत्रि लोग उसको बरुण राजा प्रगट करें और राजाको पूर्ववत् फंसावें । या सिद्ध के भेष में जनपद की सीमा पर रहें और शत्रु को दिखाने के बहाने राजाको फंसवें । शत्रु को बुला कर उसकी छाया राजाको दिखावें और अस्वरक्षित स्थान में पाकर उसको कतल करदें । या घोड़ों के व्यापारी के भेष में आकर घोड़ा बैचना शुरू करें । और राजा को घोड़ा देखने के लिये बुलावें । जब राजा घोड़ों के देखने में निमग्न हो जावे तो प्रौक्ता पाकर उसको भीड़ के अन्दर ही स्वयं मार डालें या घोड़ों से मरवा दें । या तीक्ष्ण लोग नगर के सभीप में चैत्य पर चढ़ें और गाजा बाजा बजाते हुए स्थष्ट रूपसे कहें कि—हम लोग राजा और मुख्य मुख्य लोगों के मांस को खाकर पूजा करेंगे । नैमित्तिक तथा मौदूर्ति वे ने हुए गुप्तचर इस समाचार को सब ओर को फैलादेवें । या वह लोग नाग का भेष बनावें शरीर में जलने वाला तेल मले और हाथ में लोहे के मूलल तथा शक्कि ले कर जोर जोर से दानों को लड़ावें तथा पूर्ववत् कहें या—रीछ का चमड़ा पंहिनें, मुख से आग तथा धुआं निकालते हुए राज्यस का रूप बनाकर नगर के चारों ओर तीन फेरी करें, और स्थारों तथा हरिनों के भयंकर शोर के बीच में पूर्ववत् कहें । या—जलने वाले तेल (तेजन तैल) से अम्रक को पिलावें और उसको मूर्ति पर मलकर जलावें तथा पूर्ववत् कहें और दूसरे लोग उसबान को, इधर उधर फैलादेवें । या—प्रसिद्ध तथा प्रतिष्ठित देवताओं की प्रतिमाओं मेंसे खूनकी धारा बहावें और दूसरे लोग इधर उधर कहें नि देखता लोग खून बरसा रहे हैं । जो शूर बीर हो उसको देखने के लिये जावे । जो जो देखते के लिये जावें उनको लोहे के मूलल से मारडाला जावे और लोगों में फैजादिया जावे कि शायद उनको राज्यसों ने मारडाला है । सत्रि तथा इस अहृत बात को देखने वाले लोग राजाको सारी बात कहें । नैमित्तिक तथा

मौद्दुर्तिक लोग शान्ति पाठ पढ़े और प्रायाश्रित करें और कहें कि इसके किये विना राजा तथा देशका बहुत ही अधिक अकुशल हो। आयगा“ इसके बाद राजा को सात रात तक मंत्र तथा बलि होम करने के लिये कहें और इसके बाद उसको पूर्ववत् मारडालें ।

विजिरिषु उन योगों को अपने देश में दिखावे और शत्रु को सिखाने तथा उसी मार्ग पर चलाने के लिये उनका प्रतीकार करे । इस बाद उपरि लिखित योगों या तरीकों का प्रयोग करे । जो शत्रु हाथी चाहता हो उसको नाग वन पाल के खूब सूरत हाथी को छीनने के लिये भड़कावे । यदि वह विश्वास में आकर जंगल में घुसे तो उसको अकेला पाकर मरवा डोजे या पकड़ कर कैद करले । शिकार के इच्छुक [मृगयाकाम] राजाओं के साथ भी यही व्यवहार किया जाय । जो लोग स्त्री या द्रव्य के लोलुग हों उनको दायाद तथा निक्षेप को छुड़ाने के लिये आई दुई कुखीन विधवाओं या जगन तथा खूब सूरत औरतों से फंसावें और जब वह लोग उनके साथ समागम करने के लिये रात में निकलें तो छिपे हुए सत्री उनको जहर या हथियार से मारडालें । जो लोग—सिद्ध, प्रवजित [वैरागी], चैत्य, स्तूप, मूर्ति आदि के दर्शन के लिये प्रायः आया आया करते हों, तहखाना, सुरंग, गृहभित्ति आदि में छिपे हुए तीक्ष्ण लोग उनको मारडालें ।

शत्रु राजा—जिन देशों में तमाशा देखने के लिये जाता हो—या जिन विहारों में तथा यात्राओं में आनन्द मानता हो—या जिस जल में नहाता तथा कलोले करता हो—या जहां पर गाली गलौज बकता हो—या यह, उत्सव, सूतिका, मृत्यु, रोग, प्रीति शोक, भय, शादी व्याह आदि में पंहुंचकर प्रमत्त हो जाता हो या अपने आपको भूल जाता हो—या जहां पर कि कोई भी पहरे दार न हो, दुर्दिन या भीड़ हो—या निर्जन प्रदेश में, या आग से जलते हुए ब्राह्मण के स्थान में मौजूद हो—तो वहां पर तीक्ष्ण लोग पूर्व से ही छिपे हुए गुप्तचरों के साथ मिल कर—चस्त्र, आमरण, माला, शयन, आसन, मध्यमोजन आदि की घंटी तूहीं आदि के बजेते ही उस पर प्रहार करें और जिस रास्ते से राजा महल में घुसे हों उसी रास्ते से बाहर निकल जावें इसीका नाम योग वामन है ।

१७३ प्रकरण । खुफिया पुलिस का प्रयोग ।

राजा किसी ऐसे विश्वास पात्र व्यक्ति को अपने यहां से बाहर निकाल दे जो कि किसी कंपनी या ग्रेणी का मुखिया है। वह शत्रु की शरण ले ले। और उसके पक्ष को पुष्ट करने का कहाना करके अपने देश से सैनिकों तथा अन्य प्रकार की सहायताओं के लेने की कोशिश करे। इस ढंग पर खुफिया पुलिस का संग्रह कर और शत्रु राजा की अनुभवि लेकर अपने स्वामी के बागी गांव या दोस्त पर आक्रमण करे और वहां से हाथी घोड़ा बागी अमात्य सैनिक तथा दोस्त को पकड़ कर शत्रु राजा के पास उपहार के रूप में भेजे। सहायता प्राप्त करने के बहाने शत्रु के किसी एक जनगद में बस जाय, श्रेणी या जंगल में ही अपना अड्डा बनाले। जब शत्रु पक्ष के लोग उस पर विश्वास करने लगे तो उनको अपने स्वामी के हाथी या जंगल के प्राप्त करने के उद्देश्य से भेजे और साथ ही अपने स्वामी को गुपरूप से सूचित कर उनको पकड़वा दे। अमात्यों तथा आटविकों [जंगल के स्वामी] के कामों का अनुमान भी इसी से कर लेना चाहिये। हष्टान्त स्वरूप शत्रु से मैत्री करने के बाद विजिगंगु अपने अमात्यों को बरखास्त कर दे। वह शत्रु के पास दूत भेजकर कहें कि आप कृपा कर हमारे स्वामी को प्रसन्न करवादीजिये। यदि शत्रु इस बात के लिये दूत भेजे तो विजिगंगु कहे कि “आप के स्वामी अमात्यों को हम से फाड़ते हैं। आगे से यहां पर मत आना”。 इसी प्रकार विजिगंगु किसी दूसरे अमात्य को निकाल बाहर करे। वह भी शत्रु की शरण ले और अपने स्वामी के खुफिया, बागी, चोर तथा जांगलिक आदियों को साथ ले जाय और शत्रु का विश्वास पात्र बनकर, इस के अन्तपाल, आटविक तथा दंडचारी [सेनापति] आदि मुख्य मुख्य पुरुषों को यह कहकर मरवादे कि “अमुक अमुक व्यक्ति शत्रु के साथ मिला हुआ है”।

विजिगीषु शत्रु से कहे कि “अमुक राजा दिन पर दिन शत्रि शत्री हो रहा है और सेना बढ़ा रहा है । आओ आपस में मिल कर उसको नष्ट करें । इस से तुम्ह को भूमि या हिरण्य मिलेगा” यदि वह विश्वास में आज्ञाय तो उसको प्रकाश युद्ध में शत्रु से मरवादे । या भूमि दान, पुत्राभिषेक या अन्य ऐसे ही उपयोगी महस्त पूर्ण काम पर उसको बुलाकर कैद करले । जो इस में न कंसे उस को खुल्पे से मरवादे । यदि वह स्वयं न आवे तो शत्रु से उसका घांट करवादे । यदि वह शत्रु से अकेले ही लड़ने जावे तो उसको दोनों ओर से धेर कर नष्ट करदे । यदि वह किसी पर भी विश्वास न करे, शत्रु पर अकेला ही चर्दाई करे या [यात्र्य] शत्रु की भूमि को लेना चाहे तो शत्रु को सब प्रकार की सहायता पहुंचा कर उसका उच्छेद किया जावे । यदि वह शत्रु के साथ लड़ाई छेड़कर सेना इकट्ठी करना शुरू करे तो उसकी राजधानी को अपने हाथ में कर ले । या शत्रु की भूमि पर मित्र को या मित्र की भूमि पर शत्रु को उकसावे । जब मित्र शत्रु की भूमि को चाहे तो अपनी हानि का बहाना कर स्वयं भी लड़ाई में कृद पड़े । यह तथा ऐसे ही अन्य तरीके अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये काम में लावे ।

विजिगीषु अपने किसी मित्र की भूमि पर आक्रमण करने वाले शत्रु को सेना के द्वारा सहायता पहुंचावे । इस के बाद गुप्त रूप से मित्र के साथ मेल करले । और मित्र को कहे कि किसी तरह तुम हमारे शत्रु को हमारी भूमि पर आक्रमण करने के लिये उत्साहित करो । इस दृंग की मंत्रणा करने के बाद वह अपने आप को विपक्षि में पड़ा हुआ प्रगट करे और जब शत्रु उस पर आक्रमण करे तो उसको या तो मारडाले या जीवित पकड़कर उसके राज्य को आपस में बांट ले । यदि कोई शत्रु अपने मित्र के सहारे किसी इडुर्ग का सहारा ले तो उसकी भूमि को सामंतादियों के द्वारा नष्ट कर दें । ऐसे पर यदि वह सैन्य द्वारा देश की रक्षा करे तो सैन्य को मरवादे । यदि शत्रु तथा उसके मित्र आपस में मिले रहें तो खुबे तौर पर शैर्प्ट तथा राज्य देने का प्रबोधन दे । दोनों ओर से तनखाह पाने वाले ग्रन्थस्थ दूतों को भेजे और कहवा दे

कि “अमुक राजा शत्रु से मिलकर राज्य लेने की कोशिश कर रहा है”। इस प्रकार दोनों में फटाव तथा संदेह पैदा करने के बाद विजिगीषु अपने सेनापतियों, दुर्गमुख्यों तथा राष्ट्रमुख्यों को यह कहकर निकाल दे कि “यह शत्रु से मिले हुए हैं”। निकाले जाकर वह शत्रु को युद्ध, किले का घेरा, या अन्य अवसर, पर पकड़वा दें। देश के मुख्य मुख्य बगों को आपस में फाड़ दें। साक्षियों के सहारे भेदभाव को बढ़ावें तथा पुष्ट करें।

शिकारियों तथा बहेरों के भेष में खुफिया शत्रु के किले के मुख्य दर्बाजों पर मांस बेचें तथा पहिरेदारों से दोस्ती करलें। दो तीन बार चोरों के आक्रमण को सूचित कर दुश्मन राजाके विश्वासपात्र बन जांय और धीरे धीरे उसकी सेना को दो भागों में बंटवादें। इसके बाद गांव पर आक्रमण होनेपर या घेरा ढालने पर शत्रु को कहें कि “चोर लोग आपहुंचे। संख्या में बहुत अधिक हैं। बहुत बड़ी सेना की अस्तरत है”। जब वह चोरों को दंड देने के लिये सेना भेजदें तो रात में अपने स्वामी की सेना के साथ आकर जोर से पुकारे कि “चोर लोग मार डालेगये। सेनाकी यात्रा सफर हुई। किले का दर्बाजा खोलो”। दरवाजा खुलते ही शत्रुगर आक्रमण करदे। अथवा कारीगर शिल्पी पाखंडी गवैहये तथा व्यापरियों के भेष में खुफिया लोगों को शत्रु के दुर्गमें बसादें। कुछके रूपमें काम करने वाले खुफिया लोग इनको लकड़ी भूसा आनाज तथा मालसे भरी बैलगाड़ियों में छिपाकर हथियार पहुंचावे। देवताओं की ध्वजा तथा प्रतिमाके द्वारा भी यही काम करें। इसके बाद पुरोहित बनेहुए गुसचर लोग शंख तथा नगरे बजाकर कहें कि हथियारों से सुसज्जित सेना किले को घेरती हुई तथा कतले आम करती हुई आरही है। मौका पासेही यह लोग किले का दरवाजा खोलदें, अटारी पर्दूचढ़ाने का रास्ता दें या शत्रु की सेना को आपसमें कटवा मरवादें।

राजा के गुसचरो—व्यापारी, मजदूर, पालकीदार, बरात, बोझों तथा बाजारी चीजों के विक्रेता, हथियार उठाकर हे चलने वाले भेदनती, धान्यकेता तथा विक्रेता, बैरागी-आदियों के द्वारा संघि-

पर विश्वास दिलाने के बहाने से किले के अन्दर सेना बुखा हीजाय और इस प्रकार किले को अपने हाथ में करालिया जाय । कंटक शाधन में चर्णत तथा उपरिलिखित गुप्तचर जंगल के पास फिरते हुए शत्रु के पशुओं को तथा व्यापारियों को चोरों से मग्नवादेवं । किसी स्थान पर रखा हुए भोजन तथा जल को मैनफल के रस से दूषित कर भागजावें । शत्रु के घाले तथा व्यापारी मैनफल के रस से ज्यों ही बेहोश होजाय या तकलीफ में पड़जाय त्यों ही घाले व्यापारी तथा चोर के भेष में गुप्तचर उनके पशुओं को भगा लेजाय । या—मुंड तथा जाटिल के भेष में खुफिया लोग संकरण देवता की पूजा के लिये इकट्ठा कियेगये शत्रु के सामान में मैनफल का जहर मिलावें और पशुओं को लूटलें । या—कलबार के भेष में खुफिया लोग पूजा पाठ, मृतक संस्कार, उत्सव सामाजिक काम आदियों के समय में जांगलिकों को शराब देने के बहाने से जांय और घालों को उपहार के रूप में मैनफल के रस से मिली शराब देवें और इस प्रकार शत्रु के पशुओं को छीन लें ।

जो लोग गांवों को लूटने के बहाने शत्रु के जंगलों में और शत्रु का नाश करें उनको चोरों के भेष में फिरने वाला गुप्तचर कहा जाता है ।

१७४—१७५ प्रकरण ।

किले का धेरना तथा शत्रु का नाश ।

किले के धेरने के बाद ही शत्रु का नाश संभव है । जीते हुए देश में ऐसी शान्ति स्थापित करनी चाहिये कि लोग निर्भय हुए २ सोचें । जो लोग राज्यविद्रोह करें या उठ खड़े हों उनको इनाम देकर या राज्यकर से मुक्त कर शान्त करे वशतें कि राज्य छोड़ने का इरादा न हों । आवादी से दूर किसी एक स्थान पर शत्रु की भूमि में संग्राम करे । क्योंकि कौटिल्य के मत में आवादी से ही राज्य तथा जगपद होता है । यदि विजेता के यत्नों को निरर्थक करने के लिये जनपदनिवासी को शिश करें तो वह उनके खेत हुकान और भंडार तथा मंडी को नष्ट करदे ।

खेत दुकान अश्वभंडार तथा मंडी आदिकों के नाश से, लोगों को भगाने तथा गुपरय से मरवाने से प्रकृति शक्तिहीन हो जाती है।

जब विजेता यह समझे कि शत्रु उत्तम है। धान्य कच्चामाल, यन्त्र, शस्त्र, आवरण, श्रमी तथा लगाम आदि की सेना में कुछ भी कमी नहीं है, शत्रु के लिये शत्रु बुरी है देश में बीमारी तथा दुर्भिक्ष है, उसका अश्वभंडार तथा सैन्य नष्ट हो गया है, तनखाह पर रखे सिपाही तथा उसके भिन्न की सेना शक्तिहीन हैं तो वह शत्रु पर चढ़ाई करदे। अपनी छावनी, अश्वभंडार, मंडी तथा सहक की रक्षा करे, खाई तथा दीवार बनाकर दुर्ग बनावे, शत्रु की खाई का पानी खराब करे या बहावे या उसको मट्टी से भरदे और शत्रु के किले की दीवारों तथा बुर्जों पर सुरंग लगाकर या अन्य उपाय कर आक्रमण करदे। यदि खाई बहुत गहरी हो तो बहुल नामक लकड़ी से और यदि कम गहरी हो तो मट्टी से भरदे। यदि बहुत सी सेना उसकी रक्षा करती हो तो यन्त्रों से उसको नष्ट करे। दरवाजे पर घुड़सवार आक्रमण करे। समय समय पर सामदानादि उपायों को भिन्न भिन्न तरीकों से काम में लावे और सफल होने की कोशिश करे।

किले में रहने वाले बाज़ कौआ, नन्तु भास (शील विशेष) तोता, मैना, कबूतर आदियों को पकड़े और उसकी पूँछ में आग लगाकर शत्रु के दुर्ग पर छोड़दे। यदि छावनी किले से दूरपर हो और ऊंचे खम्भों तथा दीवारों पर से लड़ाई होती हो तो शत्रु के किले में आग लगादी जाय। किले के अन्दर रहने वाले दुर्गपाल न्युआखा, बन्दर, बिल्ली तथा कुत्ते की पूँछमें आग लगाकर उनको लकड़ी से छुते मकानों में छोड़दें। सूखी मञ्जूरीयों के पेट में अग्नि रखकर भालू रेवा कउओं के ढारा छुतों पर पहुंचादे। सरल, देवदार, पूतितृण, गुग्गुलु, शीवेष्ट, (तारंपीन), सर्जरस, लाख आदि को गदहे ऊंट भेड़ बकरी की लीद के साथ मिलाकर गोबी बनाई जाय तो वह सुगमता से जल पड़ती है। प्रियाल का चूर्ण, अवलग्नज का कोयला, मोम, घोड़ा गवदा ऊंट तथा गौ

की सीद को मिलाकर बनायागया पदार्थ फेंक कर आग लगाने के काम में आता है। संपूर्ण धातुओं का चूरा जिसका रंग आगको तरह हो, कुमी, जस्ता तथा रंगे का चूरा, पलाश पुष्प, बाल तेल मोम तथा भीवेष्ट [तारपीन] के साथ मिलाया जाकर आग लगाने के लिये उपयोगी होता है। सन जस्ते रंगे आदि से युक्त वाष्ण पर यदि इसका लैंप किया जाय तो वाष्ण बहुत ही विश्वास घाती हो जाता है।

आक्रमण करने के अन्य उपायों के होते हुप अग्नि लगाने का यत्त्व न किया जाय। अग्नि का कुछ भी विश्वास नहीं है। मन्दिरों तक को इस से नुकसान पहुँच जाता है। असंख्य प्राणि, खेत, पशु, हिरण्य, जांगलिक द्रव्य आदि का इस से नुकसान हो जाता है। वरिद्धराज्य को प्राप्त करने से (लाभ के स्थान पर) नुकसान ही होता है। किले के घेरे डालने में यही नियम है।

विजिगीषु जब यह समझे कि—‘मैं संपूर्ण सामिनी उपकरण तथा अभी से संपत्ति हूँ, शत्रु बीमार है, उसकी प्रकृति शूँडखोर तथा राज्ञद्रोही है, किला भी पूर्ण नहीं बना है, उसका कोई मित्र नहीं है और जो मित्र मालूप पड़ता है वह भी अन्दर से शत्रु है—तो शत्रु पर चढ़ाई करदे। जब शत्रु के किले या शहर में आग लग जाय, तो किसी ने आग लगा दी हो, लोग नाव पर सैर करने के लिये या सेना को देखने के लिये या शतावियों के भ्रातृओं को निरट्टन के लिये गये हों’ सेना दोजाना बहुर्वास से सर्वथा अक गई है भयंकर युद्धों के कारण सेना के बहुत से लोग मर गये हों, रात मर जाने या यहने से लोग सो गये हों, भयंकर बादल या नदी की बढ़ आगई हो या भयंकर बरफ पड़ी हो तो शत्रु पर एकदम से धारा बोल दे। छावनीं या शिविर न बनाकर जंगल में छिप जाय और जब शत्रु जंगल में से बाहर निकलने लगे तो उसको कतल कर दे।

विजिगीषु का अन्दर से मित्र बना हुआ एक दूसरा राजा शत्रु के पास दूत मिजवा कर कहे कि ‘तुम्हारी यह कमज़ोरी हैं। अमुक लोग तुम्हारे अनुरूपनी दुश्मन हैं। घराढ़ालने वाले राजा के अमुक

दोष हैं। अमुक व्याहि तुम्हारा दोस्त है”। जब शत्रु का दूत बाहर निकले तो विजिगीषु उसको पकड़ ले और दोषों को उद्घोषित कर उसको देश से बाहर निकाल दे और स्वयं भी घेरा छोड़कर दूर हट जाय। इसपर दूसरा राजा पुनः शत्रु को कहवाये कि “हमको विजिगीषु से बचाओ। आश्रो हम तुम मिलकर उससे अपना पीछा छुड़ावें”। यदि वह किला छोड़कर बाहर निकल आवे तो उसको दोनों ओर से घेरकर मार डाला जाय या उसको पकड़ कर कैद कर दिया जाय तथा उसके राजधानी नष्ट कर दी जाय तथा सेना के अच्छे अच्छे आदमियों को चुन चुनकर मरवा दिया जाय। सेना के द्वारा जीते गये शत्रुओं तथा जांगलिकों के साथ भी यही व्यवहार होना चाहिये। अरथवा इस में से किसी एक के द्वारा किलेके अन्दर बन्द शत्रु को कहवाया जाय कि—घेराडालेन वाला राजा बीमार है। उसपर पार्णिग्राह [पीठ पर का दूसरा राजा] ने आक्रमण करदिया है। उसकी सेना ने गदर करदिया है। दूसरे राष्ट्रपर आक्रमण करना चाहता है। इत्यादि। यदि शत्रु को इन बातों पर विश्वास आजाय तो वह छावनी में आग लगा कर भाग जाय—और इसके बाद पूर्ववत् व्यवहार करे।

विजिगीषु व्यापारीय द्रव्यों को विष से मिला कर किले के अन्दर किसी बहाने से यहुंचावे। शत्रु का मित्र बना हुआ राजा किले में दूत भेजे और कहवादे कि “मैं विजिगीषु को लग भग नष्ट कर चुका हूँ। तुम भी उसको पूर्ण रूप से नष्ट करने में मेरी सहायता करो”। यदि वह विश्वास में आजाय तो उसके साथ पूर्ववत् व्यवहार किया जाय। खुफिया लोग [योग पुष्ट] राजकीय मुद्रा हाथ में लेकर मित्र तथा बंधु के देखने से किले में छुसें तथा उस पर विजिगीषु का कब्जा करवावें। नई शक्ति ग्रास करने के बहाने किले में घिरे राजा को कहवाया जाय कि “मैं विजिगीषु की सेना पर अमुक स्थान तथा समय में आक्रमण करूँगा। तुम भी लड़ाई के लिये आजाना” इत्यादि। यदि वह विश्वास में आजाय तो यथोङ्क रूप से बकली लड़ाई लेहे तथा

भयंकर कत्तें आम को दिखावे । रात में जब शत्रु राजा किले से बाहर निकले तो उसको मार डाले । यदि इन तरीकों से काम न निकले तो शत्रु के मित्र या जांगलिक राजा को यह कहकर कि “किले में वह धिरा है । उसकी जर्मन पर आक्रमण करो और अपने कब्जे में करलो” शत्रु के ऊपर आक्रमण करने के लिये उभाड़े । यदि वह सचमुच आक्रमण करने के लिये तैयार हो जाय तो उसको प्रथा प्रकृतियों से लड़ादे और उनके मुखियों से मरवादे या स्वयं ही उसको जहर देदे । यह मित्र का घातक है” ऐसा कहकर इसके बाद किसी दूसरे राजा से शत्रु की मित्रता पैदा करवा दे । वह भी शत्रु के पेट में छुस कर उसके योग्य योग्य वीर पुरुषों को आपस में लड़ादे । या संधि करके उसको नये जनपद में बसादे और चुप्पे से उसको मरवादे । या राज्यद्वाही जांगलिकों की सेना को तंग करके विद्रोहीं करदे और जब वह किले से बाहर निकलें तो विजिगीषु के हाथ में किला दे दे । या शत्रु से विश्व होकर भागे हुए दुश्यनों तथा जांगलिकों को रुपया पैसा तथा इज्जत देकर पुनः दुर्ग में भेजकर दुर्ग को अपने वश में करे ।

शत्रु के किले को विजय कर तथा अपनी छावनी में पहुंच कर विजिगीषु उन सैनिकों को अभय दान दे जोकि युद्धक्षेत्र में पड़ हों, तथा इस के पक्ष में हो गये हों, जिन के बाल हाथियार इवर उधर बिखरे पड़े हों जो कि ढार से विश्वप हो गये हों । शत्रु के किले को प्राप्त कर शत्रु के पक्ष का संशोधन और उपांशुदंड से अन्दर बाहर अपना संरक्षण करने के बाद विजिगीषु उस में घुसे ।

इस प्रकार शत्रु की भूमि को जीत कर विजिगीषु मध्यम की और उसके जीतने के बाद उदासीन की चिंता करे । पृथ्वी को जीतने का यहीं पहिला मार्ग है । यदि मध्यम तथा उदासीन न हों तो अपने से अधिक शक्ति तथा सामर्थ्यवाले राजा की और उस के बाद उसकी प्रकृति की चिन्ता करे । पृथ्वी को जीतने का यह दूसरा मार्ग है । यदि जारों और राजाओं का मंडल न हो शत्रु को मित्र से मित्र को शत्रु से बहाकर काम निकाले । यहीं तीसरा मार्ग है । शुक्र में दुर्बल सामन्त को गिरावे । उससे दुरुना शक्ति प्राप्त कर

दूसरे सामन्त को और उसको जीत कर और इस प्रकार तिगुनी शक्ति प्राप्त कर तीसरे सामन्त को परास्त करे । पृथ्वी के विजय करने का यही चौथा मार्ग है ।

पह्यंच, खुफिया पुलिस, शत्रु की प्रजा को अपने बश में करना, घेरा डालना तथा एकदम धावा मारना—यह पांच तरीके हैं, जो कि किले के फतह करने में काम आते हैं ।

१७६ प्रकरण ।

विजित प्रदेश में शान्ति स्थापित करना ।

विजिगीषु एक गांव या जंगल को ही जीत सकता है । विजित प्रदेश तीन प्रकार का हो सकता है ।

(१) नवीन ।

(२) भूतपूर्व ।

(३) पित्र्य ।

(१) नवीन नवीन प्रदेश को जीतते ही शत्रु के होरों को अपने गुणों से छांपदे । यदि शत्रु गुणी हो तो उससे दुगुने गुणों को दिखावे । प्रजा तथा प्रकृति का हित धर्म कर्म, अनुग्रह, परिहार, दान तथा मान संबंधी कामों से करे । कृत्यपद [शत्रु से विद्ध होकर जिन्होंने साथ दिया हो] को जो बचन दिया हो उसको पूरा करे । बारं बार उनका स्याल रखे । प्रकृति तथा प्रजा के विद्ध चलने से राजा अपने पराये सोगों में विश्वास खो बैठता है । इस लिये विजित देश के समान कथड़ा खत्ता राहिने व्यवहार करे तथा वैसाही अपना स्वभाव तथा रहन सहन बनावे । देश दैवत [मंदिर संबंधी] समाज संबंधी उत्सव तथा विहार (आमोद प्रमोद) संबंधी कामों में अपनी धर्दा भक्ति प्रकट करे । आमज्ञाति तथा संघ की पंचायतों में गुप्तचर बारं बार शत्रु की निन्दा करे तथा दोष दिखावे । विजिगीषु के द्वारा प्राप्त आदर सत्कार समृद्धि तथा भक्ति को प्रगट करे । राजा संतुष्ट सोगों को दान परिहार

(राज्यकर से मुकि) तथा संरक्षण से खुश रहे । धार्मिक लोगों की इज्जत करे । विद्वान् न्याय निष्णात (वाक्यकुशल) धार्मिक तथा शूरभीर लोगों को भूमि द्रव्य दान तथा परिहार आदि से प्रसन्न करे । पुराने राजा के कैदियों को कैद से छुड़ावे । चौमारों तथा दुखियों की खबर ले । चातुर्मास्यों (चौमासा) में आधे महीने तक पौर्णमासियों में चार दिन तक और राजकीय तथा जातीय दिनोंमें एक दिन तक पशुओं का घात बन्दकर दे । बालक तथा स्त्रीका घात और पशुओं का पुंस्त्योपघात (वधिया करना) रोक दे । कोश तथा दंड को नुकसान पहुंचानेवाले पाप पूर्ण रीति रिवाज को हटाकर उनके स्थानपर धार्मिक रीति रिवाज तथा व्यवहार प्रचलित करे । चोरी करने की आदत वाले म्लेच्छ लोगों का स्थान बदलाइ और उनको पृथक् २ रखे । शत्रु के साथ बड़यंत्र रचने वाले दुर्ग राष्ट्र तथा दंड (सेना) के मुखियों को तथा मन्त्रि पुरोहित आदियों को देश के अन्त में भिन्न भिन्न स्थानों पर बसादे । स्वामी के नाश के इच्छुक शक्तिशाली लोगों को चुप्ये चुप्ये (उपांशु दंड) मरवादे । शत्रु के साथ पकड़ेगये स्वदेशी लोगों को राष्ट्र के अन्त में रहने-के लिये कहे । यदि उनमें से कोई बदला लेने में समर्थ हो अच्छे घराने का हो राष्ट्र के अन्त में या जंगल में रहता हो तथा समय समय पर तंग करता हो तो उसको उषर जर्मनि में भेजदे और उपजाऊ जर्मनिका केवल चौथाई भाग ही दे । कोश तथा दंड के सहारे पौर तथा जनपद लोगों को गदर के लिये खड़ा करे तो उसको उन्हीं लोगों से मरवादे । जो अज्ञा या प्रकृति को कुद्द करे तो उसको दूर करदे या ढाराने वा खतरनाक स्थान में भेजदे ।

(२) भूतपूर्व । राजा भूतपूर्व जनपद को प्राप्त कर उस दोष को दूर करे या दांपदे जिसके कारण वह देश उसके हाथ से निकल गया था । जिन गुणों से उसने जनपद को प्राप्त किया उसको बढ़ावे ।

(३) पित्र्य पिता माता से जनपद को प्राप्त कर पिता के दोषों का दांपदे और गुणों को प्रकाशित करे ।

दूसरों के धर्म युक्त काम तथा नवीन रीति रिवाज (खरिच) को अपने देश में प्रचलित करे। दूसरों के अधर्म युक्त काम को दूर करे और कोई भी ऐसा काम न करे जो कि धर्म से विषद हो।

१४. आधिकरण ।

औपनिषदिक ।

१७७ प्रकरण ।

पर घात प्रयोग ।

बातुर्वर्ण्य की रक्षा के लिये अधर्मिष्ट लोगों पर घातक वस्तु [औपनिषदिक] का प्रयोग किया जाय। भिन्न भिन्न देशों के वेष [फैशन] तथा शिल्प को जानने वाले तथा कुबड़े बौने जंगली गूंगे बहरे तथा बेवकूफ बने फिरते म्लेच्छ जाति के पुरुष तथा हिन्दूयाँ शत्रु के शरीर तथा कपड़े लते में कालकूट आदि विषेश चीजों का प्रयोग करें। उसके खेलने पहिनने तथा अन्य काम में आने वाले पदार्थों में गुस्तबर शस्त्र और याहिक, रात्रिचारी [पहरेदार] तथा आग्नीजीवी [आग से काम करने वाले] आग्नि विषेशकर रखदें।

भलावा तथा बल्गुका के रसमें यदि—चित्र भेक [विषेश-मैडक] कौंडिन्य, कहुंकण, पंचकुष्ठ तथा शतपक्षी [सौकुड़वा]—उष्णिटिङ्क [विच्छू], घलीशतक, इध्म तथा कुकलास (गिरगि-दांग), गृह गोलिका (विस्तुइया) अंधा सांप, कहुंठ पूतिकीट तथा गोमारिका आदिका चूर्ण मिलाकर जलाया जावे तो उसका निकाल धुंआं शीघ्र ही प्राणियों की जान लेले। यदि इसको काले सांप तथा कुनी के साथ मिलाकर तपाया जावे तो यह शीघ्र ही प्राणी को कालका प्रास बनादे। धामार्गव (कुर्दई तरोई), यातुधान का मूल तथा भलावे के फूल का चूर्ण आधे महिने में और व्याधिघातक मूल तथा जहरीले कीड़ों के सहित भलावे के फूल का चूर्ण एक

महिने में मनुष्य की जान लेलेता है। मनुष्यों को कलामान्, गदहों तथा घोड़ों को दुगुना और हाथियों तथा ऊंटों को चौगुना देना चाहिये। शतकर्दम, डाक्टिरिंगक (विच्छू) कैनर, कदुई तुंबी तथा मच्छी के धुंपं को यदि मैनफल कोदों तथा काविस—या हाथीकान ढाक तथा काविस के पत्तों से इधर उधर हिलाया जाय तो वह जिधर जाता है उधर मारता है। पूतिकीट, मच्छी, कदुई तुंबी, शतकर्दम, इधं तथा बीरबहूटी—या पूतिकीट भटकटैया राल धतूरा तथा विदारी कंद—या भेड़ का सींग तथा खुर—इनके या कठकरंज हड़ताल मनोसल धुंची लाल कपास, आस्फाट, सीसा तथा गोवर के चूर्ण का धुआं अंधा कर देता है। सांप को केचुली गौ घोड़े की लीद तथा अंधे सांप के सिरका धुआं भी अंधा बना देता है कबूतर प्लवक (जल जंतु) मांसाहारी जंतु, हाथी, मनुष्य तथा सुअर का पालना पेशव—कौसोस हाँग भूसा चावल तथा कपास कुइया तथा कदुई तरोई के बीज—गोमूत्रिका तथा शिरीष की जड़—नीब सहजन, नागफनी, तुलसी, कीब (सहजन का दूसरा भेद) पीलुआ तथा भांग—सांप मच्छी चमड़ा हाथी का नख तथा सींग—इत्यादि में किसी को भी मैनफल तथा कोदों या हाथीकान ढाक के साथ जनने पर जो धुंआं निकालता है। वह जिधर जाता है उधर मारता है। अगर, कुष, नड़ा तथा शतावरकी जड़—सांप मोर कक्षुण तथा पंचकुष का चूर्ण—इनका धुंआं प्राणियों की आंखों को नष्ट कर देता है अतः संग्राम तथा किले का घेरा ढालते समय ऐसे धुंपं को करने से पूर्व अंतर्न पानी से अपनी आंखों के बचाने का प्रबंध करले। मैना कबूतर बगुला तथा बलाका का पालना—सुहिं (सेहुड़) तथा पीलु के दूध में पीसा हुआ आंखों को अंधा करता है और पानी को खराब कर देता है। जड़, साठी के चावल की जड़, मैनफल, जावित्री, मनुष्य का पेशाव, पालर तथा विदारीमूल—कठगुज्जार, मैनफल तथा कोदों के काथ या हाथीकान ढाक के काथ से युक्त मैनफल—काकड़ासिंगी, गुम्मा, भटकटैया तथा मयूरपदी—धुंची करियारी विष की जड़ तथा गोदी—झनैर, अक्षि, पीलु का फल, मदार

तथा सूगमारिणी—मैनफल कोदों के काथ या हाथीकान तथा ढाक के साथ युक्त मैनफल—यह संपूर्ण योग धास जकड़ी तथा पानी को खुराब कर देते हैं। कृतशृण्डक, गिरगिटांग, विस्तुइया, तथा अन्य सांप का धुंआ श्रांख नष्ट करने के साथ साथ उन्माद करता है। कृकलास (गिरगिटांग) तथा विस्तुइया का योग कोड़ करता है। यदि उसमें चित्रभेद की अंतड़ी तथा शहत् भित्ता दीजाय तो वह प्रमेह उत्पन्न करता है और यदि उसमें मनुष्य का खून मिलादें तो राजक्षमा करता है। दूरीविष (सूखी या पुरानी जहर) मैनफल तथा कोदों का चूर्ण जीभ पर फकोले डाल देता है या दूसरी जीभ पैदा कर देता है। मातृत्वहक, अंजलिकार, प्रचलाक, भेद, आधि तथा पलिक का योग है जो कैलाता है। पंचकुष्ठ, कौंडिन्य, अमलतास, महुआ तथा शहत् बुखार और चील तथा न्युअला जीभ में फकोले डालता है। यही गदही के दृध में पीसा जाकर गूँगा तथा बहरा कर देता है। पशुओं तथा मनुष्यों पर इनका मात्रा का समय मास अर्धमास तथा कलामात्र (कुछ ही समय) है। उपरिलिखित योगों की शक्ति यदि बढ़ानी हो तो उनमें भांग संपूर्ण औषधों का चूर्ण या संपूर्ण प्राणियों के मांस का काथ मिला दिया जाय। सेंभर, विलह्याकन्द तथा धनिया से युक्त तथा बच्छुनाग की जड़ तथा छब्बंदर के खून से लिस वाण जिसको लगता है वह अन्य दस आदमियों को काटता है और वह भी अन्य दस दस आदमियों को फाटते हैं। भलावा, यातुधान, कुर्दु-तुंबी पियावांसा, पत्थरफूल, भैसिदा गुग्गुल तथा हाजाहल का काढ़ा भेड़ या या मनुष्य के खून से निलाने के बाद जिसको लगा दिया जाय उसको बिच्छू के काटने की तरह तकलीफ होने लगती है। इसका आधा धरण सत्रु तथा खली के साथ मिलाकर पानी में डालते ही १०० धनुष तक पानी को खराब कर देता है। इसको खाते ही मच्छुरां जहरीली हो जाती हैं और वह सब श्राणी विषेश हो जाते हैं जोकि पेसे पानी को पीते या छूते हैं। खाल सफेद सरसों गोह तथा कुर्दुतुंबी को जमीन में गाढ़कर बख्य पुरुष से बाहर निकलवाया जायगा। इसको जो कोई देखता है वही मर-

जाता है। विजली से मरा काला सांप और विजली से जली लकड़ियों से प्रहरण की गई धरकी आग के द्वारा यदि कृतिका भरणों में भयंकर यज्ञ किया जाय तो यह आग जहाँ लगजाय वहाँ किसी भी तरीके से बुझाये नहाँ बुझती ॥

यदि शहत् से लोहार की—शराब से कलवार की—धी से याहिक की—माला से एकपलीक [जिसके एक स्त्री हो] की—सरसों से पुञ्चली (बदमाश औरत) की—दहीसे सूतिका की—चावलों से आहिताग्नि की—मांस से चंडाल की—मनुष्य मांस से चिता की और मनुष्य तथा भेड़ की चरबी से सब लोगों की अग्नि में अमलतास की लकड़ी लगाकर आग्नि मंत्र से हवन किया जाय तो इससे जो अग्नि पैदा हो वह शवुओं की आँखों में चक्र चौथ पैदाकरदे और किसी से भी बुझाये न बुझे ।

(आग्नि मंत्र)

थादिते नमस्ते, अनुमते नमस्ते, सरस्वति नमस्ते, सवि-
र्तन्मस्ते अग्नये स्वाहा, सोमायस्वाहा, भूःस्वाहा, भुवःस्वाहा ।*

१७८ प्रकरण । अद्भुतोत्पादन ।

शिरीष, गुज्जर तथा शमी का चूर्ण आधा महीना—कर्मेन, नील-कर्मल, सूरण, ईख की जड़, भसीड़ा, दूध, दूध तथा धी की चटनी महीना मर—दूध धी के साथ उर्द, जौ, कुलथी तथा कुसा की जड़ का चूर्ण—दूध के साथ दूधिया बूटी दूध तथा धी की समान मात्रा से बनी सारीबन, पिठबन के जड़ की चटनी या दूध पूर्ववत् बनाया हुआ दूध शहत् तथा धी महीना मर भूल नहाँ लगने देता। सफेद भेड़ के मूत में सात दिन तक रखी सरेद सरसों या महीना आधा महीना रखे कहुए तुंबे के बीजों या सात दिन तक मट्टा तथा जौ का आहार करने वाले सरेद गदहे की

* अदिति, अनुमति, सरस्वति, तथा सविता, को नमस्ते ! भू स्वाहा ! भुव स्वाहा !

लीद में पैदा हुए जौ तथा सफेद सरसों का तेल पशुओं, द्विपायें तथा चौपायें का रूप बदल देता है। इन ही पशुओं में से किसी के मूत तथा लीद में सिद्ध की गई सफेद सरसों मदार की रई तथा पतंग लकड़ी—सफेद मुर्गी तथा अजगर सांप की लीद—सफेद भेड़ के मूत में सात दिन तक पड़ी सफेद सरसों तथा पन्द्रह दिन तक पड़ा मट्ठा मदार का दूध नमक तथा धान्य रांगा को और आधा महीना भेड़ के मूत में पड़ी सरसों तथा कर्डुई तुंबी के बेल के डंठलों का उबटन रोंगया बाल को सफेद करता है। इसी प्रकार श्रलाकु नामक कीड़े के साथ पीसी गई सफेद विस्तुइया के उबटन से बाल शंख की तरह सफेद होजाते हैं।

तिंदुआ लकड़ी तथा गोवर का अरिष्ट—भलावे का रस और काले सांप या विस्तुइया के मुंह में सात दिन तक रखी घुंची खाने से तथा तोते के पित्त तथा अंडे का रस मलने से कोढ़ हो जाता है। चिराँजी का कलह तथा कशाय कोढ़ को दूर करता है। मुर्गी, कर्डुई तरोई तथा शतावर की जड़ महीना भर खाने से काला मनुष्य गोरा और बड़े के कशाय से नहाकर पिया बांसा के कलक को मलने से गोरा मनुष्य काला हो जाता है। मालकंगुनी के तेल में मिला हड्डताल तथा मनसिल रंग को सांबला कर देता है। सरसों के तेल से मिला जुगुना का चूर्ण रात को जलता है। मालकंगुनी के तेल में पड़ा—जुगुनी तथा केचुए का चूर्ण या समुद्र जन्तुओं के साथ मिला भूंग, कपाल, खैर, तथा कनैर के फूलों का चूर्ण तेजन (पाचक) होता है।

नीब की छाल तथा तिल का बटना लगाने से शरीर आग से जलने लगता है। यही बात मेंडक की चरवी के लगाने से होती है। पीलु के छाल की राख हाथ पर जलती है। मेंडक की चरवी लगा कर कुश तथा आम के तेल से सॉचने पर या समुद्रमंडकी [मेंडकी] समुद्रफेन तथा राल का चूर्ण डालने पर आग लगाते ही शरीर जल पड़ता है। मेंडक केकड़ा आदिकी चर्वी में समानमात्रा में मिलायागया तेल, मेंडक की चर्वी का लेप-बांसकी जड़ शैवाल तथा मेंडक की चर्वी के उबटन से भी यही बात होती है। नीब अतिबला

जलबैतस सूरण कंसे की जड़ तथा मेंडककी चर्वी से बनाये गये तेल को पैरों पर मलाने से जलते हुए अंगारोंपर चलसकता है ।

पोषेका शाक, प्रतिबला, बैत नींब, आदि की जड़ों के कहर में मेंडक की चर्वी से बना तेल यदि पैरों पर मलाजाय तो मनुष्य फूखों के द्वेर की तरह जलते अंगारों पर चल सकता है । हंस कीच मयूर आदिकों तथा जलेंम तैरने वाले बड़े बड़े पक्षियों के पूँछ में जलती हुई नदी [नल दीपिका] बांधने पर ऐसा मालुम पड़ता है कि मानों आकाश में से आग गिर रही है । विजली से जली लकड़ी की राख आगको बुझा देती है । लियों के मासिक पुण्य (मासिक धर्म में वहा रुक) में भीगे उर्द यदि ब्रजकुली की जड़ तथा मेंडक की चर्वी के साथ मिलाकर चूल्हे में डाल दिये जाय तो उसपर कोई भी चीज़ नहीं पकती चूल्हे को सफा करनाही इसका उपाय है पीलु युक्तजलते हुए गोले को यदि हुर हुर की जड़ पिपरामूल तथा रुईकी गही से लेपेट कर मुंह में रखा जाय तो मुंहसे खुंआ निकलने लगता है । कोशाम्र के तेल से साँचने पर बृष्टिमें भी आग जलती रहती है । समुद्र फेन तेल डाल कर जलाने पर पानी में तैरता हुआ जलता रहता है । पानी पर तैरने वाले जन्तुओं की पसली को कल्पाष खेणु के साथ रगड़ने से पैदा हुई आग पानी से बुझाने के स्थानपर जलती है । शस्त्र से मारे या फांसी चढ़े आदमी की पसली तथा कल्पाषवेणु के रगड़ने से—या स्त्री या पुरुष की हड्डी तथा मनुष्य की पसली के रगड़ने से पैदा हुई आग जिस मकान के बारों तरफ बाई ओर तीन बार घुमाई जाय उस मकान में किसी भी प्रकार की आग नहीं लगती । छञ्चिद्र संज्ञन चिढ़िया तथा खार कीट के साथ धोड़े के मूत में पिसाहुआ लेप हथकड़ी या पैर की संकड़ी के तोड़ने के आम में आता है । कोई भी मनुष्य पद्धतास योजन तक बिना यहे ही आ सकता है बशर्ते कि वह—कुलिन्द, मेंडक, खार कीट की चर्वी से अयस्कान्त नामक पत्थर का लेप करे, सफेद चीब या गिद्ध की पसली, नील कमल तथा नारकार्भ का लेप पशुके पैरपर मले और उल्लू गिद्ध की चर्वी से ऊंट के चमड़े के जूतों को मले तथा बड़े पत्तों से ढांक कर पहिने । जो मनुष्य

बाज, सफेद चील, गिर्द, हंस, कौच सथा विचिरत्व नामक जन्तुओं की चर्वी या बीर्य की पैरों पर मालश करे वह १०० सौ योजन तक बिना थके चला जासकता है। यही बात गर्भवती ऊटनी की छिटबन (जड़ी बूटी) मिली चर्वी तथा शमशान में पड़े मृत बालक को चर्वी के मलने से भी होती है।

उपरिलिखित प्रकार के अनिष्ट तथा अद्भुत उत्पातों के द्वारा शत्रु के उद्घेग को बढ़ावे। जनता में गदर होआने की संभावना होते ही शत्रु के साथ सांघि करने का यत्न करे।

१७८ प्रकरण । दवाई तथा मंत्र का प्रयोग ।

रात में फिरने वाले—ऊट बाघ सुअर सही बागुली उल्ल आदि जीवों में से एक दो या बहुतों की दहिनी बाई आंख से बनाया गया चूंण दहिनी आंख का बांधे में और बाई आंख का दहिने में लगाने से—बराह की आंख, जुगनू, काली सरिवां तथा एकाम्ल के योग से बने अंजन के आंख में लगाने से तथा—पुष्प नक्षत्र में तीन दिन तक ब्रत रखे पुरुष के द्वारा, शख़हत या शल प्रोत [फांसी पर लटके] मनुष्य की खोपड़ी में बोये तथा भेड़ के मृत से संचने से पैदा हुए जौ की माला गले में पहनने से मनुष्य रात में देखने लगता है।

पुष्प नक्षत्र में तीन दिन तक ब्रत रखकर जो मनुष्य—कुत्ता विल्ही उल्ल बागुली आदिकों की दहिणी बाई आंख का पूर्यक पूर्यक चूंण कर पूर्ववत् आंख में लगावे या—निशाचर जंतुओं की खोपड़ी में अंजन भरकर मृत खी की योनि में जंलावे तथा पुष्प नक्षत्र में निकाल कर पुनः वहां पर रख दे तथा पुरुषबाटी कांड [डंडल] के द्वारा आंख में लगावे या—अहिताश्च याक्रिक को जला हुआ या जखता हुआ देखकर उसकी चिंता की भस्म को स्वयं मृत पुरुष के कपड़ों में बांध कर अपने शरीर में बांधे तो छाया तथा रूप रहित होकर वह इधर उधर फिर सकता है। सांपकी धौकनी—

ब्राह्मण के मृतक संस्कार में मारीगई गौ की हड्डी चरवी से भरने पर पशुओं को और सांप के काटने से मरे मनुष्य की हड्डी चरवी से भरने पर मृगों को तथा इसी प्रकार प्रचलाक जंतु की धौंकनी उल्ल बगुली की पूँछ वर्ट घुटने की हड्डी आदि से भरने पर पक्षियों को अन्तर्धान कर देती है। अन्तर्धान करने के यही आठ तरीके हैं।

१. (प्रस्वापन मंत्र)

बलि वैरोचनं वन्दे शतमायं च शंबरम् ।
 भंडीरपाकं नरकं निकुम्भं कुंभं मेव च ॥
 देवलं नारदं वन्दे वन्दे सावर्णिंगालवम् ।
 एतेषा मनुयोगेन कृतं ते स्वापनं महत् ॥
 यथा स्वपन्त्यजगरास्स्वपन्त्यपि चमूखलाः ।
 यथा स्वपन्तु पुरुषा येच ग्रामे कुतूहलाः ॥
 भंडकानां सहस्रण रथेनमिश्रेतेन च ।
 इमं गृहं प्रेषयामि तूष्णीमासन्तु भांडकाः ॥
 नमस्कृत्वा च मनवे वध्वा शुनकफेलकाः ।
 ये देवा देवलोकेषु मानुषेषु च ब्राह्मणाः ॥
 अद्यथयनपारगस्तिद्वयः येच कैलास तापसाः ।
 एतेभ्यस्सर्वसिद्धेभ्यः कृतं ते स्वापनं महत् ॥
 अतिगच्छति चमर्यपगच्छंतु संहताः ।
 अलिते पलिते मनवे स्वाहा । *

* विरोचनके पुत्र बलि, सैव दों प्रकार की माया जानेन वाले शंबर, भंडीरपाक, नरक, निकुम्भ, कुंभ, देवल, नारद, सावर्णि गालव, आदिको मैं नमस्कार करता हूँ। इनकी कृपासे तुम लोगों को मुत्तादिया गाया है। जिस द्वाकार अजगर सांप सोते हैं उसी प्रकार—गाँव के पहरे दार लोग कुत्ते तथा रथ के घोड़े सो जांय। मैं इस वरमें शुस्रा हूँ कि कुत्ते न भौंकें तथा चुप्प बैठ जांय। कुत्तों को बांधने तथा मनुके नमस्कार करने के बाद मैं—स्वर्ग के देवों, मसुरों में ब्राह्मणों, अद्ययन में चतुर सिद्धों, कैलासमर रहने वाले तपस्वियों तथा संरूप सिद्धों की दुर्बाहु देवर कहता हूँ कि तुम लोग गाढ़ी नींद में सो जाओ। चपरी बाहर निकाल आवे, संपूर्ण संघ भाग जांय अलित पलित तथा मनु को स्वाहा।—

प्रस्वापन मंत्र का प्रयोग इस प्रकार करे । पुर्ण नक्षत्र की कुम्भ चतुर्दशी में तीन दिन तक व्रत रखकर चांडाली के हाँथ से उंगुलियों के नख खरादे जाय । उनको उर्दे के साथ मिला कर पिटारी में बंदकर दिया जाय और इसके बाद पिटारी को शमशान में गाढ़ दिया जाय । अगली चतुर्दशी में किसी कुमारी से खुदवा कर उस की गोलियाँ बनाई जाय । उपरिलिखित मंत्र एढ़कर वह गोली जिधर फेंकी जाय उधर लोग बेहोश हो जाते हैं । इसी प्रकार सही के तीन सफेद तथा तीन ही काले कांटे शमशान भूमि में गाढ़ जाय । दूसरी चतुर्दशी में उखाड़ कर इनको मुद्दे की राख के साथ उपरिलिखित मंत्र के द्वारा फेंकने पर सब जीव जंतु सोने लगते हैं ।

२. [प्रस्वापन मंत्र]

सुवर्णं पुर्णीं ब्रह्माणीं ब्रह्माणं च कुशध्वजम् ।
सर्वाश्च देवता वन्दे वन्दे सर्वाश्च तापसान् ॥
बशं मैं ब्राह्मणा यान्तु भूमिपालाश्च द्वात्रियः ।
घंशु वैश्याश्च श्रद्धाश्च वशतां यान्तु मे सदा ॥

स्वाहा अमिले किमिले वयुजारे प्रयोगे फके कवयुभे विहाले इन्त कटके स्वाहा ।

सुखं स्वपंतु शुनका ये च आमे कुरुहलाः ।
श्वाचिथः शल्यं चैतत्वेष्वतं ब्रह्मनिर्मितम् ॥
प्रसुसास्सर्वासिद्धा हि एतत्ते स्वापनं कृतम् ।
याव द्रामस्य सीमन्तः सूर्यस्योद्भुमनादेति ॥

स्वाहा । *—*

** भण भाणी के फूलवाली ब्राह्मणी, कुशाकोवजावाले नहा, संपूर्ण देवता तथा तपस्वी आदियों को नमस्कार करके आर्थना करताहूँ कि ब्राह्मण शूद्र ज्ञात्रिय तथा वैश्य मेरे बसमें आजाय । अमिल, किमिल, वयुजार, प्रयोग, फक, कवयुध, विहाल, इन्त कटक आदिको स्वाहा । गांवका पहरा देने वाले दुत्त सो जांच । से दी के तीन सफेद कांटे ब्रह्मा ने बनाये हैं । संपूर्ण सिद्ध सोगये हैं और उन्होंने सूर्य के उदय होने से पूर्व पूर्व तक गांव की सीमा में इने वाले संपूर्ण लोगों को मुला दिया है ।

इस मंत्र का प्रयोग इस प्रकार है । सात दिन तक ब्रत रख कर कृष्ण चतुर्दशी में सही के तीन सफेद कांटों तथा (पर की १०८ समिधाओं) के साथ हृष्ण करें । इन में से किसी एक मंत्र को पढ़ कर जिस किसी एक गांव या भकान के दरवाजे पर खोदा जाता है तो वहाँ के सब लोग सो जाते हैं ।

३. (प्रस्वादन मंत्र)

बर्लि वैरोचनं वन्द शतमायं च शंबरम् ।
निकुंभं नरकं कुंभं तन्तु कच्छुं महासुरम् ॥
अर्मालयं प्रमीलं च मंडोलूकं घटोद्वलम् ।
कृष्णकं सोपचारं च पौलोमीचं यशस्विनीम् ।
अभिमन्त्रय्य गृहामि सिद्धार्थं शवशारिकाम् ॥
जयगतुं जयति चन मः शलकभूतेऽयः स्वाहा ।
सुखं स्वपंतु शुनका ये च आमे कुतूहलाः ॥
सुखं स्वपंतु सिद्धार्था यमर्थे मार्गयामहे ।
यावदस्तामयादुदयो यावदर्थं फलं मम ॥

इति स्वाहा । *

इस मंत्र का प्रयोग इस प्रकार है । चार रात तक ब्रत करने के बाद कृष्ण चतुर्दशी में पशु को मारकर चढ़ावे और मरी हुई मैना को पत्तल में बांधकर सही के कांटे से उपरिलिखित यंत्र पढ़कर जिस स्थान में इस में छेद करे उस स्थान के सब लोग सो जाते हैं ।

१. [द्वारावाह मंत्र]

उपैमि शरणं चार्ष्णे दैवतानि दिशोऽदश ।
अपयान्तु च सर्वाणि वशतां यान्तु मे सदा ॥ स्वाहा । †

* विरोचन के पुत्र वाले, सैकड़ों प्रकार की माया जानने वाले शंवर, निकुंभ, नरक, कुंभ, तन्तु कच्छ, महासुर, अर्मालय, प्रमील, मंडोलूक, घटोद्वल, कृष्ण, यशस्विनीदौलोमी आदि का मन्त्र जपकर सिद्धि के लिये मरी हुई मैना को ग्रहण करता हूँ । शलक भूतों को स्वाहा तथा नमस्कार ।

गोष के पहरा रखने वाले कुत्से सोजांय । सिद्ध लोग, गाढ़ी नींद में लीन होजांय । सूर्य के उदय होने तक मेरा वह कार्य सिद्ध होजाय जिस कार्य के लिये मैं यत्न कर रहा हूँ ।

† अग्नि, दश दिशाओं के देवताओं के देवताओं की शरण में हूँ सब लोग भाग जाय तथा मेरे वश में आजांय । स्वाहा ।

इस मंत्र का प्रयोग इस प्रकार है । तीन रात तक व्रत रखने के बाद शक्ति के बीस लड्डु बनावे और शहद तथा धी के साथ हवन में डाले । इस के बाद लड्डुओं की गन्ध तथा माला से पूजा करे । और उनको जमीन में गाढ़ दे । पुष्य के द्वितीय दिन में लड्डु निकाल कर उपरिलिखित मंत्र पढ़े और एक लड्डु तो किवाहे पर मारे और चार मकान के अन्दर फेंह दे । दरबाजा अपने आप खुल जायगा ।

चार रात तक व्रत रखने के बाद कृष्ण चतुर्दशी में पुरुष की हड्डी से बैल बनावे । उपरिलिखित मंत्र पढ़ें । इस से दो बैल लगी गाढ़ी सामने आजायगी । चढ़ते ही वह आकाश में चली जायगी । इस प्रकार सूर्य मंडल के विषय में सब कुछ बता सकता है ।

(तालोद्धाटन प्रस्वापन मंत्र)

चांडाली कुंभ निकुम्भ कटुक साराघः सर्नीरामेगोऽसे स्वाहा ।

इस मंत्रको पढ़ने से ताले दूट जाते हैं । और घरके लोग सो जाते हैं ।

तीन रात दिन तक व्रत रखने के बाद पुष्य नक्षत्र में-शस्त्र से मारे या फांसी पर लटकाये मनुष्य के सिरके खण्ड पर मही भरकर, सोमलता लगाई जाय और उसको पानी से सींचा जाय । जो बैल लगे उसको पुष्य नक्षत्र में ही काटाजाय और उसकी रससी बंटी जाय । उथावाले धनुर्दोष तथा यंत्रों के सामने इसको तोड़ते ही उनकी ज्या दूटजाती है । स्त्री या पुरुष की उच्छ्वासमृतिका [फूंकी हुई मही] से, पानी से भरी सांप की धौकनी को, भरते ही दूसरे की नाक सुजकर आगे बढ़ाती है । मुंह तथा मकान के संबंध में भी यही ज्ञान भन्त्र किया जाता है । यदि धौकनी सुअर तथा हाथी की हो और उसको मही से भरकर बन्दर की आंतही में बांधा जाय तो शरंग खंबाई चौड़ाई में कहीं कहीं पहुंच जाता है अनाह ।

यदि कोई शास्त्र से मरी भूरी गौ के पित्त में कृष्णचतुर्दशी के अन्दर-अमलतास की बनी तुइमन की मूर्ति को दुवावे तो शत्रु अंधा हो जाता है । यदि कोई चार रात व्रतरखकर बकरा भेड़ आदि देवता पर कृष्णचतुर्दशी में चढ़ावे और फांसी पर लटकाये आदमी की

हठियों की कीलें बनावे और इनमें से किसी एक को जिस किसी के पाखाने पैशाव के गड़े में बन्द करदे तो उसका शरीर फूलजाता है। यदि यही बात पैर या आसन में कीजाय तो मनुष्य राजयज्ञमा से मृत्यु को ग्रास होजाय। दुकान मकान या घेत में यही करने पर मनुष्य की आजीविका बन्द होजाती है। विजली से ऊली खकड़ी की राश को लेपकर जो कीलें बनाई जाती हैं उनका अनुमान भी इसीसे करखेना चाहिये ।

दक्षिणी गदा पूरना, † नींव मुलहटी, बन्दर का रोमा, मनुष्य की हड्डी इन चीजों को कष्टक के कपड़े में बांध कर जिस के घर में गाढ़ा जाय या जो मनुष्य इन के ऊपर पैर रखकर निकल जाय वह स्त्री बालबचे धन धान्य सहित, तीन पद्म के भीतर भीतर ही नाश को ग्रास होजाय। इसी प्रकार दक्षिणी गदा पूरना, नींव, मुलहटी, किंवा च ‡ तथा मनुष्य की हड्डी जिस के पैर में गढ़ जाय या घर सेना गांव तथा शहर के बाहर गाढ़ी जाय तो लोग स्त्री बाल बचे धन धान्य सहित तीन पद्म के भीतर ही नाश को ग्रास हो जाय। चंडाल ब्राह्मण, कउआ उल्लू बकरा तथा बन्दर के बाल जिसके पाखाने में मिला दिये जाय वह शोषण ही कराल काल का ग्रास हो जाय। मुर्देंकी माला धोबन न्युवले के बाल, बिछू बूटी तथा अहिकृति जिसके पैर में गढ़जाय उसकी तबतक सूरत बदली रहे जबतक कि उनको उसके पैर से बाहर न निकाल दिया जाय ।

यदि तीन रात तक ब्रत रखने के बाद पुण्य नक्षत्र में फांसी पर चढ़े या शर्ख से मारे पुरुष की खोपड़ी में चुंची धोई जाय और उसको पानी से सौंचा जाय और पुण्य योगिनी अमावास्या या पूर्णिमा में चुंची की बेल को काटकर मंडलिका बनाई जाय तो उस पर रखे भोजन आदि से परिपूर्ण बर्तन नष्ट नहीं होते ।

“पुनर्बम्बा चीनम्” इसका अर्थ दक्षिणी गदा पूरना है। यह एक औषध है जो कि पञ्चारियों के मिलजाती है। डॉक्टर शामशाली ने इसका अर्थ “नस” कर दिया है जो कि ठीक नहीं है। उन्होंने स्वयं ही प्रश्न के चिन्ह से सूचित किया है कि यह अर्थ हम से नहीं लगा है।

‡ इसमें स्वयंगुप्ता का अर्थ डॉक्टर शामशाली ने छोड़दिया है। स्वयंगुप्ता का हिंदी नाम किंवाच है। यह पञ्चारियों के यहाँ मिल जाती है।

शतमें जब कभी कोई बड़ा तमाशा निकले तो मरी हुई गाय के थनों को काटकर जलती आग में भूना जाय, भुने हुए को भेड़ के पेशाब में पीसा जाय और पिसे हुए को नये घड़ के अन्दर लेपा जाय। ऐसे घड़ को गाव के बाईं ओर से लेजाकर जहाँ कहीं रख दिया जाय तो गांव का सारा का सारा मकान-चाहे वह कहीं पर क्यों न रखा हो—इसी के अन्दर आजाता है। पुष्य योगिनी कृष्ण चतुर्दशी में कुत्ते की योनि में लोहे की मुद्रिका [अंगूठी] ढाली जाय और जब वह अपने आप बाहर निकल पड़े तो उसको उठाले। इसके द्वारा बृक्षों के फल जहाँ चाहें वहाँ पुकारते ही अपने आप आजाते हैं।

मंत्र, भैषज्य योग तथा माया से संबंध रखने वाले उपायों से दुश्मनों को मारा जाय और अपनी रक्षा की जाय।

१७६ प्रकरण ।

शत्रु घातक योगों से स्वपक्ष का रक्षण ।

अपने पक्ष के लोगों पर शत्रु जब जहरों का प्रयोग करे तो उनका प्रतीकार इस प्रकार किया जाय।

लसोद्धा, कैथा, जमालगोटे की जड़, जमीरीनि बुआ शिरीष, पाढ़ी, बटियारा, बीजबंद, गदापूर्णा, सफेद अपराजिता, बरना, इनके काढ़े को लाल चंदन तथा सालावृक्षी के खून से मिलाकर जो तेजाव बनाया जाय वह राजा के उपयोगी चीज़ों मकानों स्थियों तथा सेनाओं पर प्रयोग किये गये जहर को दूर करता है। मृग, न्युअला, नीलकंठ, गोह, स्थाही, राई, संभालू, बरना, इन्द्रासन, चौराई, शतावर तथा पिंडीतक का योग (चूर्ण या दवाई बनी हुई) मैनफल के दोषों को दूर करता है। यही बात—स्थार की लेंड, मैनफल, संभालू, तंगर, बरना तथा सोमलता की जड़—इसमें से कुछ एक के या सभी के काढ़े को दूध के साथ पीने से होती है। नाटे काटेक रंज (कैडर्थ पूति) का तेल उन्माद को दूर करता है। फूल प्रियंगु तथा नक्कमाल की बनो नक्किंकनी कोढ़ को नष्ट करती

है। कूठ तथा लोध का चूर्ण पकने तथा सूजने [पाक शोष] को दूर करता है। कट फल, द्रवंति [जमालगेट का एक भेद] तथा वाय-विडंग की बनी नकछिकनी सिर की संपूर्ण बिमारियों के लिये राम बाण है। फूलप्रियंगु, मंजीठ, तगर, लाख, मुलहटी, हल्दी तथा शहत् का योग [रसादन] रस्सी, पानी, जहर, चोट तथा गिरपड़ने से उत्पन्न हुई बेहोशी को दूर करता है। मनुष्यों को अक्षमात्र [कर्षमात्र, रुपयामर] गउओं तथा घोड़ों को दुगुना और हाथियों तथा ऊँटों को चौगुना देना चाहिये। रुक्मगर्भ [जिसके अन्दर से रोशनी निकले] मणि संपूर्ण विषों को दूर करती है। जीवन्ती, अपराजिता, मोखा का फूल तथा बांदा के बीच में पैदा हुए पीपल की मणि संपूर्ण विषों का नाश करती है।

यदि इनके लेप को तुर्ही पर लगाया जाय तो उससे निकला शब्द जहर को नष्ट करदेता है। यदि इसको झंडे पर लेपा जाय तो जो लोग उसको देखें वह निर्विष [जहर रहित] होजाय। राजा को चाहिये कि वह उपरिलिखित तरीकों से अपने सैनिकों की रक्षा कर और जहर धुआं तथा दूषित पानी का शब्दुओं पर प्रयोग करे।

१५ अधिकरण ।

तन्त्र युक्ति ।

—३४७—

१८०—प्रकरण । शास्त्र के प्रतिपादन की युक्ति ।

मनुष्यों की वृत्ति तथा मनुष्य युक्त भूमि का नाम अर्थ है। भूमि के लाभ तथा पालन के उपाय को प्रगट करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। उसके प्रतिपादन की—१ अधिकरण, २ विधान ३ योग ४ पदार्थ ५ हेत्वथ ६ उद्देश ७ निर्देश ८ उपदेश ९ अपदेश १० अतिदेश ११ प्रदेश १२ उपमान १३ अर्थापत्ति १४

संशय १५ प्रसंग १६ विषय्यय १७ वाक्यशेष १८ अनुमत १९ व्याख्यान, २० निर्वचन, २१ निर्दर्शन, २२ अपवर्ग, २३ स्वसंक्षा, २४ पूर्वपक्ष, २५ उत्तरपक्ष, २६ एकान्त, २७ अनागतावेक्षण, २८ अतिक्रान्तावेक्षण, २९ नियोग, ३० विकल्प, ३१ समुच्चय तथा ऊहा—निम्नलिखित बत्तीस युक्तियाँ हैं।

१. अधिकरण । जिस विषयको लेकर प्रारंभ कियाजाय उसको अधिकरण कहते हैं। दृष्टान्त स्वरूप—“पृथिवी के लाभ तथा पालन के संबंध जितने अर्थशास्त्र पूर्वाचार्यों ने बनाये उनको पक्षित कर तथा संक्षिप्त कर यह एक अर्थशास्त्र बनाया गया है” इत्यादि ।

२. विधान । प्रकरणानुसार शास्त्र का बर्णन करना विधान कहलाता है। दृष्टान्त स्वरूप “विद्याविषयक विचार, वृद्धसंयोग, इन्द्रिय ज्य, अमात्योत्पत्ति” इत्यादि ।

३. योग । “यह ऐसा है या इस प्रकार का है” इत्यादि विशेषणों से वाक्य को जोड़ने को योग कहते हैं। दृष्टान्त स्वरूप “चारों बलों से युक्त लोग” इत्यादि ।

४. पदार्थ । पद तथा उसके अर्थ का नाम पदार्थ है। दृष्टान्त स्वरूप “मूलहर” यह पद है। “जो बाप दादे की संपत्ति को अभ्याय से उड़ादें या जब्त करले उसको मूलहर कहते हैं” इस प्रकार व्याख्या करने का नाम अर्थ है।

५. हेत्वर्थ । प्रतिपादित विषय को पुष्ट करने वाले हेतु को हेत्वर्थ कहते हैं। जैसे “धर्म तथा काम अर्थपर ही निर्भर है” इत्यादि ।

६. उद्देश । संक्षेप से एकबात कहने को उद्देश कहते हैं। जैसे “इन्द्रिय जयपर विद्या तथा विनय निर्भर है” ।

७. निर्देश । समस्त शब्दों के द्वारा बात कहने को निर्देश कहते हैं। जैसे ‘कान त्वचा आंख जीभ तथा नाक शब्द स्पर्श रूप रस गनादियों को ओर न झुकने का नाम इन्द्रियज्य है’। इत्यादि।

८. उपदेश । ‘यह करना चाहिये’ इस ढंग पर कहने का नाम उपदेश है। जैसे ‘धर्म तथा अर्थ के अनुसार काम की सेवा करे। कष्ट न उठावे’। इत्यादि ।

९. अपदेश । दूसरे के विचारों के देने का नाम अपदेश है। “मनुसंप्रदाय के लोग कहते हैं कि मन्त्रि परिषद् १२ आमात्यों की होनी चाहिये। वार्हस्पत्य १६ और औशनस २० आमात्यों के पक्ष में है। कौटिल्य का मत है कि सार्वध्य के अनुसार ही संख्या होनी चाहिये” इत्यादि ।

१०. अतिदेश । उक्त बात से किसी बात को सूचित करना अतिदेश कहाता है जैसे “दत्त वस्तु के न देने के सम्बन्ध में अूणादान विषयक नियम ही लगते हैं” इत्यादि ।

११. प्रदेश । वक्तव्य [आगे कही जाने वाला] बात से किसी बात को सूचित करना प्रदेश कहाना है। जैसे “साम दान भेद दंड के द्वारा बैसा करना चाहिये जैसाकि आपत्ति प्रकरण में कहा जायगा” ।

१२. उपमान । इष्ट से अदृष्ट का साधन उपमान कहाता है। जैसे “जिन के राज्यकर मुक्त होने का समय खत्म होगया हो उन पर पिता के सहश अनुग्रह करे” इत्यादि ।

१३. अर्थापत्ति । अर्थात् करके अनुकूल बात को जानना अर्थापत्ति कहाता है। जैसे “संसार के व्यवहार में कुशल लोग इष्ट-मिश्रों के द्वारा शक्तिशाली राजा के पास पहुंचे। अर्थात् अनिष्ट लोगों के द्वारा उसके पास न पहुंचे वह तो इसी से निकल आया।” इत्यादि ।

१४. संशय । एक ही बात जब दो ओर एक सहश लगे तो उसको संशय कहते हैं। जैसे “क्षीण तथा लुच्छ प्रकृति वाले तथा अपचरित प्रकृति [जिस की प्रकृति अत्याचार से पिसी आरही हो] वाले राजा में से पोहेले किस पर आक्रमण किया जाय” इत्यादि ।

१५. प्रसंग । प्रकारान्तर से किसी बात का किसी के समान

प्रगट करने का नाम प्रसंग है। जैसे “कृषिकर्म के लिये दी गई भूमि में पूर्ववत् नियम समझना चाहिये”। इत्यादि।

१६. विपर्यय विपरीत बात से पुष्ट करने का नाम विपर्यय है। जैसे “जो राजा अप्रसन्न हो उसके इस से विपरीत चिन्ह है”। इत्यादि।

१७. वाक्यशेष। जिस बात से वाक्य समाप्त होता हो उसको वाक्य शेष कहते हैं। जैसे “पंख हीन की तरह राजा की गति नष्ट हो जाती है। इस में ‘पक्ष’ यह वाक्यशेष है।

१८. अनुमत। अप्रतिषिद्ध परंवाक्य को अनुमत कहते हैं। जैसे “औशनस के अनुसार—एक, अग्रभाग तथा संरक्षित भाग—व्यूह के यह तीन विभाग है”। इत्यादि।

१९. व्याख्यान। विशेष रूप से कहने का नाम व्याख्यान है। जैसे “राज्य संघों तथा राज्य संघों के सदृश शासन करने वाले राजकुलों का दूत निमित्तक झाड़ा तथा एक दूसरे का नाश बहुत ही बुरा है। जुआ सब व्यसनों में बुरा व्यसन है क्योंकि इस से राजा निःशक्त हो जाता है”। इत्यादि।

२०. निर्वचन। गुण दिखाकर शस्त्र की व्याख्या करने का नाम निर्वचन है। जैसे “राजा को कल्याण मार्ग से दूर फेंकने व्यस्थिति [इति व्यसन] के कारण ही व्यसन को व्यसन कहा जाता है”। इत्यादि।

२१. निदर्शन। दृष्टान्त युक्त दृष्टान्त को निदर्शन कहते हैं। “बड़े के साथ लड़ना ऐसा ही है जैसा कि नीचे खड़े होकर हाथी पर चढ़े आदमी से लड़ाई करना”। इत्यादि।

२२. अपवर्ग। अनिष्ट बात को पृथक् करने का नाम ही अपवर्ग है। जैसे “दुश्मन की सेना को अपनी सरहद पर रहने दे बशर्तेंकि देश में गदर होने की संभावना न हो”। इत्यादि।

२३. स्वसंज्ञा। अन्य लोगों से भिन्न अर्थ में शब्द के प्रयोग करने को स्वसंज्ञा कहते हैं। जैसे “विजिग्रीषु के राष्ट्र के पास

जो राष्ट्र हो उसको प्रथमा प्रकृति उस राष्ट्र के बाद का जो राष्ट्र हो उसको द्वितीया प्रकृति और जो इस के भी बाद हो उस को तृतीया प्रकृति कहते हैं” । इत्यादि ।

२४. पूर्वपत्र । प्रतिषेद्धव्य वाक्य को पूर्वपत्र कहते हैं । जैसे “स्वामी तथा अमात्य सम्बन्धी विपत्ति में अमात्य सम्बन्धी विपत्ति ही भयंकर है” । इत्यादि ।

२५. उत्तरपत्र । निर्णय करने वाले वाक्य को उत्तरपत्र कहते हैं । जैसे “राजा सम्बन्धी विपत्ति ही भयंकर है । क्योंकि राजा पर ही संपूर्ण बातें निर्भर हैं । राजा ही संपूर्ण बातों का केन्द्र है” । इत्यादि ।

२६. एकान्त । सब अवस्थाओं में एक सदृश लगने वाले नियम को एकान्त कहते हैं । जैसे “राजा को सदा ही तैयार रहना चाहिये” इत्यादि ।

२७. अनागतावेदण । आगे कही गई बात की ओर ध्यान खींचने का नाम अनागतावेदण है । जैसे “तराजू तथा बड़े के विषय में पौत्रवाध्यता के प्रकरण में कहा जायगा” । इत्यादि ।

२८. अतिक्रान्तावेदण । पीछे कही गई बात की ओर ध्यान खींचने का नाम अतिक्रान्तावेदण है । जैसे अमात्यों का गुण पूर्व में ही कहे जानुके हैं” । इत्यादि ।

२९. नियोग । ऐसा कहना चाहिये । ऐसा न कहना चाहिये इस ढंग की बात को नियोग कहते हैं । जैसे “धर्म तथा अर्थ की बात कहे । अधर्म तथा अनर्थ की बात न कहे” । इत्यादि ।

३०. विकल्प । विकल्प इससे या उससे इस ढंग की बात कहना विकल्प कहाता है । जैसे “या धार्मिक विवाह से उत्पन्न लड़कियां” ।

३१. समुच्चय । इसके लिये तथा उसके लिये इस ढंग पर कहने का नाम समुच्चय है । पिता तथा बन्धुओं के लिये वही दायाद है जो कि धर्म विवाह से विवाहित स्त्री पुरुष से उत्पन्न हुआ हो ।

३२. ऊसा। अनुकूल बात को सोच लेना ऊसा कहते हैं। जैसे “कुशल लोग उसी ढंग पर निर्णय करें। जिससे दाता तथा प्रति गृहीता को नुकसान न पहुंचे। इत्यादि।

इस प्रकार बत्तीस युक्तियों के द्वारा यह अर्थ शास्त्र लिखागया है। यह इसलोक तथा परलोक की प्राप्ति तथा रक्षा में समर्थ करता है। धर्म अर्थ तथा काम को प्रवृत्त करता है तथा बचाता है आर अधर्म अनर्थ तथा विद्वेष को नष्ट करता है। जिसने नन्दराज के हाथ में गईहुई भूमि के साथ शास्त्र तथा शस्त्र का उद्घार किया उसीने इस शास्त्र का भी निर्माण किया है।



चारणक्य के सूत्र ।

१. सुख का मूल धर्म है ।
२. धर्म का मूल अर्थ है ।
३. अर्थ का मूल राज्य है ।
४. राज्य का मूल इन्द्रिय जय है ।
५. इन्द्रिय जय का मूल विनय या शिक्षण है ।
६. विनय का मूल वृद्धों की सेवा है ।
७. वृद्ध सेवा से ज्ञान बढ़ता है ।
८. ज्ञान से आत्मा का ज्ञान होता है ।
९. आत्मा के ज्ञान से आत्म शक्ति प्राप्त होती है ।
१०. आत्मशक्ति से सब अर्थ प्राप्त होजाते हैं ।
११. अर्थशक्ति से प्रकृति प्राप्त होती है ।
१२. प्रकृति के प्राप्त होने पर विद्वाँ से परिपूर्ण राज्य का भी संचालन होजाता है ।
१३. प्रकृति का विद्रोह तथा कोप सब कोपों से भयंकर है ।
१४. अशिक्षित तथा अविनीत राजा से न राजा का होना ही उत्तम है ।
१५. संपत्ति के दिनों में सहायता प्राप्त करते हुए आत्मशक्ति को बढ़ावा ।
१६. सहायता से हीन राजा का विचार कार्य में परिणत नहीं होता ।
१७. अकेला पहिया गाड़ी नहीं चलाता ।
१८. सहायक वही है जो कि सुख दुख का साथी हो ।
१९. मानी अपने ही समान दूसरे मानी से मन्त्र या सलाह मश्वरा करे ।
२०. अविनीत से प्रेम में आकर कभी भी सलाह न ले ।
२१. राज्यभक्त बुद्धिमान व्यक्ति को मन्त्री बनावे ।
२२. सलाह मश्वरे के बाद ही संपूर्ण काम शुरू करने चाहिये ।

२३. मन्त्र की रक्षा में ही कार्यसिद्धि होती है ।
२४. जो मन्त्र प्रकाशित करता है वही सब काम बिगड़ देता है ।
२५. प्रमाद से राजा शत्रुओं के वशमें आजाता है ।
२६. सब तरीके से मन्त्र की रक्षा करनी चाहिये ।
२७. मन्त्र की रक्षा से राज्य की वृद्धि होती है ।
२८. मन्त्र की रक्षा सबसे उत्तम काम है ।
२९. कार्य से अंधे मनुष्य को सलाह तथा मंत्र प्रकाश देता है ।
३०. मन्त्ररूपी आंख से दूसरे के दोषों को देख सकता है ।
३१. मन्त्र के समय में इर्षा द्वेष न करना चाहिये ।
३२. जिस बात में तीन की एक संमति हो वही ठीक है ।
३३. मन्त्री वही हैं जो कि कार्य तथा अकार्य को देख सकें ।
३४. छुः कानों के बीच में पड़ी बात फूट जाती है ।
३५. विपत्ति में जो प्यार करे वही मित्र है ।
३६. मित्र की प्राप्ति से बल बढ़ता है ।
३७. शक्ति संपत्ति नई २ चीज़ों के प्राप्त करने का यत्न करे ।
३८. आलसी नई चीज़ों को नहीं प्राप्त करते ।
३९. आलसी प्राप्त वस्तु की भी रक्षा नहीं कर सकते ।
४०. आलसियों की सुरक्षित चीज़ बढ़ती नहीं है ।
४१. नौकरों को आलसी काम पर नहीं लगा सकते ।
४२. नई वस्तु का चौथाई राज्य का भाग है ।
४३. नीतिशास्त्र का आधार राजा पर है ।
४४. तन्त्र तथा आवाप राजा पर निर्भर है ।
४५. तन्त्र का संबंध श्रमने विषय के प्रतिपादन से है ।
४६. विषय का कार्यरूप में परिणत होना (आवाप) मंडल पर निर्भर है ।
४७. मंडल संघिविग्रह का निश्चय करता है ।
४८. राजा वही है जो कि नीति शास्त्र के अनुसार काम करे ।
४९. शत्रु वही है जिसका स्वभाव न मिलता हो ।
५०. मित्र वही है जिसका हृदय मिलता हो ।
५१. कारण से ही मनुष्य शत्रु तथा मित्र हो जाते हैं ।

५२. कमज़ोर मनुष्य संघी करले ।
५३. तेज से ही अर्थ जुटते हैं ।
५४. ठंडा लाहा गर्म से नहीं जुड़ता है ।
५५. बलवान् हीनशक्ति से लड़ाई छेड़ ।
५६. बलवान् प्रपञ्च से बलवान् या समान से लड़ाई न करे ।
५७. हाथी से लड़ने के सदृश हो बलवान् मनुष्य के साथ कमज़ोर मनुष्य की लड़ाई है ।
५८. कश्चा वर्तन भट्ट से टूट जाता है ।
५९. दुश्मन के कामों की देख रेख रखें ।
६०. या एक ओर से संघी करले ।
६१. दुश्मन की दुश्मनी से अपने आपको बचावे ।
६२. यदि कमज़ोर हो तो ताकतवर का सहारा ले ।
६३. जो कमज़ोर का सहारा लेता है वह पीछे से तकलीफ उठाता है ।
६४. राजा को आग समझकर उसके पास रहे ।
६५. राजा के प्रतिकूल काम न करे ।
६६. बहुत सजधज के साथ न रहे । या चटकीला भड़कीला कपड़ा न पहिने ।
६७. देवताओं की लीला न करे ।
६८. एक दूसरे के साथ बढ़ाचढ़ी करनेवालों को आपस में फाइदे ।
६९. तकलीफ में पढ़े हुए मनुष्य की कार्यसिद्धि नहीं होती ।
७०. चतुरंग सेना होतेहुए भी भोग विकास में मस्त राजा नष्ट होजाता है ।
७१. जुआरी राजा का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता ।
७२. शिकार के शौकीन राजा का धर्म तथा अर्थ नष्ट होजाता है ।
७३. अर्थ की इच्छा व्यसनों में नहीं गिनीजाती ।
७४. कामी राजा का काम सिद्ध नहीं होता ।
७५. गाली देना आग के जलाने से बढ़कर है ।
७६. गालीदेने से मनुष्य सबका अप्रिय होजाता है ।
७७. संतुष्ट व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं रहती ।

७८. अमित्र के साथ दंडनीति के काम में लावे ।
७९. दंडनीति के सहारे ही राजा प्रजा की रक्षा करता है ।
८०. दंडनीति समृद्धि को बढ़ाती है ।
८१. दंड के अभाव में मन्त्रि गड़ बड़ करने लगते हैं ।
८२. दंड के डरसे वह गड़ बड़ नहीं करते ।
८३. दंड पर ही आत्म रक्षा निर्भर है ।
८४. अपनी रक्षा में ही सब की रक्षा है ।
८५. अपने पर ही वृद्धि तथा नाश निर्भर है ।
८६. समझ बूझकर दंड का प्रयोग करना चाहिये ।
८७. दुर्वल राजा का भी अपमान न करना चाहिये ।
८८. आग भी कभी जलाने में अशक्त हुई है ।
८९. दंड द्वारा ही प्रवृत्ति का पता चलता है ।
९०. अर्थ की प्राप्ति प्रवृत्ति पर निर्भर है ।
९१. अर्थ पर धर्मतथा काम का आधार है ।
९२. अर्थपर ही संपूर्ण कार्य अवलंबित है ।
९३. अर्थ के कारण कम मेहनत से ही काम सिद्ध होजाता है ।
९४. उपाय करने पर कोईभी काम कठिन नहीं रहता ।
९५. उपाय न करने पर किया भी काम नष्ट होजाता है ।
९६. काम करने वालों का उपाय ही एकमात्र सहारा है ।
९७. पुरुषार्थ से सोचा हुआ काम सिद्ध होजाता है ।
९८. भाग्य पुरुषार्थ के पीछे ही चलता है ।
९९. भाग्य बिना बहुत मेहनत करने पर भी फल नहीं मिलता ।
१००. जो ध्यान नहीं देता उसकी कोई वृत्ति नहीं ।
१०१. सोचने के बाद काम करे ।
१०२. काम में देरी न करे ।
१०३. चंचल चित्त वालों का काम पूरा नहीं होता ।
१०४. हाथ में आई चीज को छोड़ने से कार्य का व्यतिक्रम हो जाता है ।
१०५. दोष रहित कामों को किया जाय ।
१०६. विधनयुक्त कामों को न करे ।

१०७. समय को पहिचानने वाला कार्य को पूरा करलेता है ॥
१०८. देरी करने से देरी हो काम को बिगड़ देती है ॥
१०९. सब कामों में क्षण भी वृथा नष्ट न करे ।
११०. देश तथा फल को समझ कर काम शुरू करे ।
१११. भाग्य बिना आसान काम भी कठिन होजाता है ।
११२. नीतिश देशी तथा काल को देखता रहे ।
११३. समझ बूझकर काम करने वालों के पास लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती है ।
११४. सब उपायों से संपूर्ण संपत्तियों को एकत्रित करे ।
११५. बिना समझ बूझकर काम करने वाले भाग्यवादी का लक्ष्मी साथ नहीं देती ।
११६. ज्ञान तथा अनुमान से पर्याक्षा करनी चाहिये ।
११७. जो जिस काम में चतुर हो उसको उसी काम में लगाया जाय ।
११८. उपायश दुःसाध्य को भी सुसाध्य करलेता है ।
११९. अज्ञानों के द्वारा किये गये अपराध को बहुत न माने ।
१२०. याहाँच्छुक होने से कोड़ा भी नये नये रूपों को धारण करता है ।
१२१. काम के सिद्ध होने पर ही उसका प्रकाश कियाजाय ।
१२२. दैव तथा मानुष्य दोषसे ज्ञानियों के कामभी बिगड़ जाते हैं ।
१२३. शान्ति विषयक कामों से दैव का प्रतिषेध कियाजाय ।
१२४. मानुषी कार्य विपाति को चतुराई से दूरकरे ।
१२५. बेवकूफ लोग काम बिगड़नेपर दूसरे के दोषों को दिखाते हैं ।
१२६. काम करवाने वाले को बहुत उदारता न करनी चाहिये ।
१२७. भूखा बछला मा का थन काटता है ।
१२८. सुस्ती से काम बिगड़ जाता है ।
१२९. भाग्यवादियों का काम सिद्ध नहीं होता ।
१३०. मतलबी लोग आश्रित लोगों का पोषण नहीं करते ।
१३१. जो काम न देखे वह अंधा है ।
१३२. प्रत्यक्ष परोक्ष तथा अनुमान से कामों को देखें ।

१३३. वे विचारे काम करने वाले को लक्ष्मी छोड़देती है ।
१३४. सोच समझ कर विपति को तरना चाहिये ।
१३५. अपनी शक्ति को देखकर काम शुरू करे ।
१३६. घर के लोगों को खिलाकर जो खाय वही अमृतभोजी है ।
१३७. संपूर्ण अनुष्टानों से अमदनी के रास्ते बढ़ाते हैं ।
१३८. भीरु को कार्य की चिंता नहीं होती ।
१३९. कार्यार्थी लोग स्वामी के स्वभाव को जान कर कार्य को सिद्ध करते हैं ।
१४०. स्वभावश्च ही गौ के दूध को उपभोग करते हैं ।
१४१. समर्थ व्यक्ति श्रुद्वयक्ति पर गुस बात को न प्रगट करे ।
१४२. आश्रित लोग भी कोमल स्वभाव वाले की पर्वाह नहीं करते हैं ।
१४३. तीक्ष्ण शासक से सभी घबड़ाते हैं ।
१४४. उचित शासक होना चाहिये ।
१४५. समर्थ हीन बुद्धिमान की भी लोग बात नहीं मानते ।
१४६. जयादा भार से पुरुष सदा के लिये बैठ जाता है ।
१४७. जो सभा में किसी के दाश को कहता है वह एक प्रकार से अपने दोष की प्रख्याति करता है ।
१४८. समर्थ लोगों का कोप समर्थों को ही नष्ट करता है ।
१४९. सबे लोगों के लिये कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है ।
१५०. साहस करने से ही कार्य सिद्ध नहीं हो जाता ।
१५१. प्रवेश न होने से कष्ट में पड़ा हुआ व्यक्ति प्रायः भूल जाता है ।
१५२. समय खटाव करने में कोई चीज वाधक नहीं है ।
१५३. अनिश्चित नाश वाला कार्य निश्चित नाश वाले कार्य से उत्तम होता है ।
१५४. दूसरे के धन को गिरो रखने में निक्षेपा का ही स्वार्थ है ।
१५५. दान ही सब से बड़ा धर्म है ।
१५६. भले मानुषों के पास पहुंच कर बुरी बात बुरी बात नहीं रहती ।
१५७. जो धर्म तथा अर्थ को न बढ़ावे वही काम है ।
१५८. अनर्थ का सेवन करने वाला उन से भिन्न होता है ।

१५६. लोगों में सीधे आदमी कम हैं ।
१६०. बेइज्जती से मिले धन को सज्जन लोग नहीं लेते ।
१६१. एक दोष अनक गुणों को नष्ट कर देता है ।
१६२. महात्मा लोगों को दूसरे के साथ साहस न करना चाहिये ।
१६३. रीति रिवाज को कभी भी न तोड़े ।
१६४. शेर भूखा भी होकर घास नहीं खाता ।
१६५. प्राण चाहे चले जांय परन्तु दूसरे के साथ विश्वास घात न किया जाय ।
१६६. कर्मीने श्रोता को स्त्री तथा बालक भी छोड़ देते हैं ।
१६७. बालक से भी मतलब बात ले लेवे ।
१६८. ऐसा सत्य न बोले जिस पर लोगों की श्रद्धा न होवे ।
१६९. थोड़े से दोष के होने से गुणियों का त्याग न करना चाहिये ।
१७०. बुद्धिमानों में भी दोषों का जैदा होजाना आसान है ।
१७१. कोई भी रत्न ऐसा नहीं है जो कि तोड़ा तथा काटा न गया हो ।
१७२. मर्यादा तोड़ने वाले व्यक्तियों पर विश्वास न करे ।
१७३. अप्रिय व्यक्ति प्रिय बात किये जाने पर भी द्वेष करते रहते हैं ॥
१७४. मुक्ति हुई भी तुला कोटि कुण्ड के पानी को सुखा देती है ॥
१७५. बुद्धिमानों की बात का अतादर न करे ॥
१७६. गुणवालों के आश्रय से निर्गुण भी गुणी हो जाते हैं ॥
१७७. दूध में मिला पानी दूध ही होजाता है ॥
१७८. मिट्टी के बर्तन में पटलों की गंध आती है ॥
१७९. चाँदी सोने के साथ मिला कर सोना होजाती है ॥
१८०. बेवकूफ लोग उपकार करने वाले का अपकार करते हैं ॥
१८१. पापियों को बदनामी का कुछ भी भय नहीं होता ॥
१८२. शुभ लोग भी उत्साहियों के वश में होजाते हैं ॥
१८३. विक्रम ही राजा का धन है ॥
१८४. आलसियों के लिये यह लोक तथा परलोक कुछ भी नहीं है ॥

१८५. निरुत्साही लोगों से भाग्य भी भागता है ।
१८६. मच्छियों की तरह पानी में से अपने मतलब की चीज निकाल ले ।
१८७. आवश्वसनीय व्यक्तियों पर विश्वास न करे ।
१८८. जहर सदा ही जहर है ।
१८९. धन ग्रहण करते समय वैरियों का साथ न करे ।
१९०. धन के प्राप्त करने में वैरियों का विश्वास न करे ।
१९१. धन पर ही संपूर्ण संबंध निर्भर हैं ।
१९२. शत्रु का भी लड़का यदि मित्र हो तो उसकी रक्षा करनी चाहिये ।
१९३. शत्रु का छिद्र जितना बड़ा दिखाई दे उसको हाथ से बढ़ादे ।
१९४. शत्रु का जहां पर छेद देख वहां पर ही आक्रमण करे ।
१९५. अपने दोष को प्रकाशित न करे ।
१९६. छिद्र पर जो प्रहर करें वही शत्रु हैं ।
१९७. हाथ में आये हुए भी शत्रु का विश्वास न करे ।
१९८. आत्मीय के दोष को दूर करे ।
१९९. आत्मीय लोगों की बेइज्जती सुन न र मनस्वि लोग दुःखी हो जाते हैं ।
२००. एक अंग का दोष सारे शरीर को नुकसान पहुंचा देता है ।
२०१. उत्तम व्यवहार से शत्रु पर विजय प्राप्त करता है ।
२०२. नीच उपकार का बदला चाहते हैं ।
२०३. नीच को सबाह न दे ।
२०४. नीच पर विश्वास न करे ।
२०५. दुर्जन का कितना ही आदर क्यों न करे वह कष्ट ही पहुंचाता है ।
२०६. जंगली आग चंदन को भी जला ही देती है ।
२०७. किसी भी पुरुष का कमी भी अपमान न करे ।
२०८. क्षंतव्य पुरुष को भी कष्ट न दे ।
२०९. बेवकूफ लोग स्वामी से अधिक अधिक रहस्य युक्त बात कहते हैं ।

२१०. फल से ही अनुराग मालूम पड़ता है ।
२११. आङ्गा पालन करने से पेश्वर्य प्राप्त होता है ।
२१२. मूर्ख लोग दातव्य को भी क़ुश देकर देते हैं ।
२१३. अधैर्यशालि महान् पेश्वर्य को प्राप्त करके भी खो बैठते हैं ।
२१४. अधैर्यशालि के लिये यह लोक तथा परलोक कोई चौज़ नहीं है ।
२१५. दुर्जन लोगों का संसर्ग न करे ।
२१६. कल्वार के हाथ का दूध भी न छुप ।
२१७. बुद्धि वही है जो कि कार्य संबंधी संकटों के पढ़ने पर भी न घबड़ावे ।
२१८. मित भोजन में ही स्वास्थ है ।
२१९. अपथ्य से अजीर्ण होने पर पथ्य न ग्रहण करे ।
२२०. कम खाने वाले बीमार नहीं पड़ते ।
२२१. बुद्धोपे में बीमारी में रोग के बढ़ने की उपेक्षा न करे ।
२२२. अजीर्ण में भोजन ही दुःख का मूल है ।
२२३. शत्रु के भी रोग बढ़ जाता है ॥
२२४. धन के समान ही दान होता है ॥
२२५. तीव्र तृष्णा वाले व्यक्ति का द्वाना सुगम है ॥
२२६. तृष्णा से बुद्धि क्षीण होजाती है ॥
२२७. कार्य के बहुत होने पर उस काम को भविष्य के लिये छोड़ रखे जिसका अधिक फल हो ॥
२२८. असमाप्त कार्य का निरंकृण स्वयं ही करे ॥
२२९. मूर्ख साहसी होते हैं ॥
२३०. मूर्खों के साथ विवाद न करे ॥
२३१. मूर्खों के साथ मूर्ख बनकर रहे ॥
२३२. लोहे से ही लोहे में छेद किया जाता है ॥
२३३. बुद्धि रहित व्यक्तियों का कोई भी दोस्त नहीं होता ॥
२३४. संसार धर्म पर स्थिर है ॥
२३५. धर्माधर्म मृत्यु के बाद भी साथ रहते हैं ॥

२३६. धर्म की जन्म भूमि दया है ।
२३७. सत्य तथा दान धर्म का मूल है ।
२३८. धर्म से लोगों को जीतता है ।
२३९. मृत्यु भी धर्मात्माकी रक्षा करता है ।
२४०. धर्म से विपरीत पाप जहां जहां पर जाता है वहां वहां पर धर्म से भिन्न बुद्धि हो जाती है ।
२४१. आकार से ही उपस्थित विनाशवालों की प्रकृति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है ।
२४२. अधर्म में बुद्धि रखने वाले आत्म विनाशको सूचित करते हैं ।
२४३. चुगल खोरों की कोई भी छिपी बात नहीं ।
२४४. दूसरे की गुप्त बात न सुननी चाहिये ।
२४५. वज्रों या राज दर्बारियों के काम प्रायः अधर्म युक्त होते हैं ।
२४६. आत्मीय लोगों की बात न टालनी चाहिये ।
२४७. यदि माता भी दुष्ट हो तो उसको छोड़ देना चाहिये ।
२४८. यदि अपने हाथ में भी विश चढ़ाया हो तो उसको काट देना चाहिये ।
२४९. यदि शत्रु भी हितैषी हो तो उसको अपना बंधु समझना चाहिये ।
२५०. औषधी कहीं पर क्यों न लगी हो ले लेना चाहिये ।
२५१. चोरों पर विश्वास न करना चाहिये ।
२५२. अप्रतीकार चीज़ों का अनादर न करना चाहिये ।
२५३. छोटीसों भी तकलीफ तकलीफही पहुंचाती है ।
२५४. अपने आपको अमर समझ कर धन कमावे ।
२५५. सभी लोग अमरीरों की इज्जत करते हैं ।
२५६. इन्द्रभी यदि गरीब हो तो लोग उसकी कदर नहीं करते ।
२५७. मनुष्य के लिये दारिद्र्य एक प्रकार से जीवन मरण है ।
२५८. अमीर कुरुपभी सुरुप है ।
२५९. अमीर यदि कंजूस हो तो भी लोग उसको नहीं छोड़ते ।
२६०. अकुलीन भी कुलीन से उत्तम हो जाता है ।
२६१. अनार्यों को बैइज्जती क. क्या डर ?

२६२. समझदार लोगों को आजीविका या नौकरी की क्या चिंहा ?
२६३. जितेन्द्रिय लोगों को विषयों का क्या डर ?
२६४. कृतार्थ लोगों को मृत्यु का भय नहीं होता ।
२६५. सज्जन लोग दूसरे के स्वार्थ को अपना ही स्वार्थ समझते हैं ।
२६६. दूसरे की उत्तरति का आदर न चाहिये ॥
२६७. दूसरे की उत्तरति में अपना आदर का होना नाश का मूल है ।
२६८. घोड़ीसी भी दूसरे की चीज न छूनी चाहिये ॥
२६९. दूसरे की चीज लेना अपनी चीज खोना है ॥
२७०. चोरी से बढ़कर मृत्यु का जाल और कोई चीज नहीं है ॥
२७१. समय पर जौ का सतुआ भी जान बचादेता है ॥
२७२. मरे हुए को दबाई से क्या लाभ ?
२७३. समय पर दूसरे के प्रभुत्व से अपने आपको भी लाभ पहुँच जाता है ।
२७४. नीच की विद्या पाप कर्म में ही लगती है ॥
२७५. सांप को दूध पिलाना जहर को ही बढ़ाना है ॥
२७६. धात के समान कोई दूसरी चीज नहीं है ॥
२७७. भूख से बढ़कर कोई दूसरा शत्रु नहीं ॥
२७८. जो काम नहीं करता उसको भूख सताती है ॥
२७९. भूख के लिये कौनसी चीज अमद्य है ॥
२८०. हन्दियें ही बुढ़ापे को उत्पन्न करती हैं ॥
२८१. भिड़कने तथा डांटने वाले स्वामी को छोड़दें ॥
२८२. लोभी की सेवा ऐसी ही है जैसे कि जुगुन् को आगके लातिर धौंकना ॥
२८३. विद्वान् तथा विशेषज्ञ स्वामी का आश्रय लेवे ॥
२८४. मैथुन ही पुरुष का बुढ़ापा है ।
२८५. अमैथुन ही स्त्रियों के लिये बुढ़ापा है ।
२८६. नीचे तथा ऊंचे लोगों के साथ विचाद सम्बन्ध न किया जाय ।
२८७. अगम्य सी के गमन से आयु यश तथा पुण्य नष्ट हो जाते हैं ।

२८८. अहंकार के समान कोई दूसरा शब्द नहीं है ।
२८९. सभा में बैठकर शब्द की निन्दा न करे ।
२९०. शब्द की तकलीफ सुनने में भली मालूम पड़ती है ।
२९१. दरिद्र के बुद्धि नहीं रहती ।
२९२. दरिद्र का हित वाक्य भी कोई नहीं मानता ।
२९३. अपनी रुग्नी भी दरिद्र का अपमान करती है ॥
२९४. फूलों से हीन आम पर भौंरे नहीं जाते ।
२९५. दरिद्रों का विद्या ही धन है ।
२९६. चोर भी विद्या को नहीं चुरा सकते ।
२९७. विद्या से प्राप्त हुई हुई प्रसिद्धि ही प्रसिद्धि है ।
२९८. पशु रूपी शरीर नष्ट नहीं होता ।
२९९. जो दूसरे का हित करे वही सज्जन है ।
३००. इन्द्रियों के संयम को शास्त्र कहते हैं ।
३०१. शास्त्र विषय काम करने वालों को शास्त्रांकुश बचाता रहता है ।
३०२. नचि की विद्या ग्रहण करने के अयोग्य है ।
३०३. म्लेच्छ भाषा न सीखे ।
३०४. म्लेच्छों की भी अच्छी बात ग्रहण कर लें ।
३०५. गुण में मत्सर न करना चाहिये ।
३०६. शब्द की भी अच्छी बात ले लेनी चाहिये ।
३०७. विष से भी अमृत ग्रहण करना चाहिये ।
३०८. उमर से ही मनुष्य की इज्जत बढ़ती है ।
३०९. स्थान में ही मनुष्य की पूजा होती है ।
३१०. भले आदमियों के कामों का अनुकरण करे ॥
३११. मर्यादा का कभी भी उल्लंघन न करे ॥
३१२. पुरुष रूपी रत्न का कोई मूल्य नहीं है ॥
३१३. रुग्नी के समान कोई दूसरा रत्न नहीं है ॥
३१४. रत्न दुर्लभ होते हैं ।
३१५. भयों में सब से बड़ा भय अपयश है ।
३१६. आलसियों को शास्त्र का तत्त्व मर्ही प्राप्त होता ॥

३१७. स्थियों के पराधीन व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता और उनका कोई भी काम धर्म काम नहीं कहाता ।
३१८. स्थियाँ भी स्त्रैण की इज़ज़त नहीं करतीं ।
३१९. फूल की चाह से कोई सुख विशेष को नहीं सीधता ।
३२०. आद्रव्य में कोशिश करना बालू को उबालना है ।
३२१. बड़े लोगों की हँसी न उड़ाव ॥
३२२. निमित्त देखकर कार्य का अनुमान होजाता है ॥
३२३. निमित्त नक्षत्रों में भी विशेषता कर देते हैं ॥
३२४. जल्दबाज लोग नक्षत्र परीक्षा नहीं करते ॥
३२५. परिचय होने पर दोष नहीं छिपते ॥
३२६. जो स्वयं अशुद्ध होता है वह दूसरे को भी ऐसा ही समझता है ॥
३२७. स्वभाव मिटाये नहीं मिटता ॥
३२८. अपराध के अनुसार ही दंड होना चाहिये ॥
३२९. बात के अनुसार ही उत्तर होना चाहिये ॥
३३०. आमदनी के अनुसार ही गहने होने चाहिये ॥
३३१. कुल के अनुसार ही रहन सहन होना चाहिये ॥
३३२. कार्य के अनुसार ही प्रसन्न होना चाहिये ॥
३३३. पात्र के अनुसार ही दान देना चाहिये ॥
३३४. उमर के अनुसार ही वेष होना चाहिये ॥
३३५. भृत्य वही है जो कि स्वामी के अनुकूल हो ॥
३३६. खींची वही है जो कि मालिक के वशमें हो ॥
३३७. शिष्य वही है जो कि गुरु के वशमें रहे ॥
३३८. पुत्र वही है जो कि पिता के वशमें रहे ॥
३३९. अत्यंत आधिक आदर संदेहास्पद होता है ॥
३४०. स्वामी के कुपित होने पर भी स्वामी के ही पीछे चले ॥
३४१. लड़के को मां जब मारती है तो लड़का मां के पास ही जाकर रोता है ॥
३४२. प्रेम करने वालों का गुस्सा कुछ ही समय तक रहता है ॥
३४३. मूर्ख अपने दोष को नहीं देखता और दूनर के दोष को ही देखता है ॥

३४४. धूतों के साथ आदर का व्यवहार रखना चाहिये ॥
३४५. आदर या उपचार से तात्पर्य मीठे व्यवहार से है ॥
३४६. चिर परिचित लोगों का अत्यादर करना देखकर समझना चाहिये कि कुछ दाल में काला है ॥
३४७. हजार कुत्तों से अकेली दुर्लभ गौ का होना ही भला है ॥
३४८. नौ नकद न तेरा उधार (कल के मोरसे आजका कबूतर ही भला है) ॥
३४९. अतिसंग खराबी पैदा करता है ॥
३५०. ओथ रहित व्यक्ति सबको अपने वशमें करलेता है ॥
३५१. अपकारी पर यदि गुस्सा हो तो गुस्से पर गुस्सा करते ही जाना चाहिये ॥
३५२. मूर्ख मित्र गुरु बझम तथा बुद्धिमानों के साथ विवाद न करना चाहिये ॥
३५३. ऐश्वर्य से कोई भी पिशाच नहीं रहता ॥
३५४. पुण्य कामों में धनाद्यों को कुछ भी मेहनत नहीं होती ॥
३५५. गाड़ी पर चढ़े लोगों को थकावट नहीं होती ॥
३५६. घर बार बे लोहे की हथकड़ी है ॥
३५७. जो जिस काम में निपुण हो वह उसी काममें लगाया जाय ॥
३५८. मनस्त्वयों के शरीर को पीड़ा देना भले आदमियों का काम नहीं है ॥
३५९. बिना प्रमाद के स्त्रियों की रक्षा करे ॥
३६०. स्त्रियों पर कुछ भी विश्वास न करे ॥
३६१. स्त्रियों में न तो शान्ति और न लोकहता ही होती है ॥
३६२. गुरुओं की माता पूजनीय होती है ॥
३६३. सभी हालतों में मां का पालन करना चाहिये ॥
३६४. बदसुरती गहनों में छिप जाती है ॥
३६५. लज्जा ही स्त्रियों का भूषण है ॥
३६६. वेद ही ब्राह्मणों का भूषण है ॥
३६७. धर्म सभी का भूषण है ॥
३६८. विनययुक्त विद्या सब भूषणों का भूषण है ॥

३६६. उपद्रव शून्य देशमें बसे ॥
३७०. देश वही है जिस में बहुत से भली आदमी हों ॥
३७१. राजा से सदा ही डरता रहे ॥
३७२. राजा से बढ़कर और कोई देवता नहीं है ॥
३७३. राजा से निकली आग दूर दूर तक भस्म कर देती है ॥
३७४. खाली हाँथ राजा के पास न जावे ॥
३७५. गुरु तथा देव के पास भी खाली हाथ न जावे ॥
३७६. कुटुंब से डरना चाहिये ॥
३७७. राज परिवार में सदा ही आते जाते रहना चाहिये ॥
३७८. राज पुरुषों के साथ संबंध बनाये रखे ॥
३७९. राज दासी की सेवा न करनी चाहिये ॥
३८०. आंखों से भी राजा की ओर न देखे ॥
३८१. घर का स्वर्ग यही है कि लड़का गुणवान् हो ॥
३८२. पुत्रों को विद्याओं का पाठगामी बनाना चाहिये ॥
३८३. जनपद के लिये ग्राम को छोड़दे ।
३८४. ग्राम के लिये कुटुंब को छोड़दे ।
३८५. सबसे बड़ा खाभ पुत्र लाभ है ।
३८६. कष्टके समय में जो माता पिता को बचावे वही पुत्र है ।
३८७. जो कुल को प्रसिद्धि दे वही पुत्र है ।
३८८. अप्तयरहित व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता ।
३८९. भार्या वही है जिसके बालक हो ।
३९०. बहुत सी स्त्रियों के अनुमती होने पर पुत्रवती का गमन करे ।
३९१. अनुकाल में गमन करने पर ब्रह्मचर्य नष्ट होता है ।
३९२. पर क्षेत्र में बीज न डाले ।
३९३. पुत्र के लिये ही स्त्रियां हैं ।
३९४. अपनी दासी का गमन करना अपने को दास बनाना है ।
३९५. जिसका विनाश समीप होता है वह हितकारी बात को नहीं सुनता ॥
३९६. शरीरधारियों को सुख दुःख नहीं रहता है ।

३६७. काम करने वाले के पास गौ के बछड़े की तरह सुख दुःख आया करते हैं ॥
३६८. सज्जन तिल मात्र उपकार को पर्वत करके मानता है ॥
३६९. अनार्यों के साथ उपकार न करना चाहिये ॥
४००. अनार्य प्रत्युपकार के भय से शब्द हो जाता है ।
४०१. आर्य स्वल्प भी उपकार होने पर प्रत्युपकार के लिये दिन रात चिन्ता करता है ।
४०२. देवता का कभी भी अपमान न करना चाहिये ।
४०३. चक्षु के समान कोई दूसरी ज्योति नहीं ।
४०४. चक्षु ही शरीरधारियों की नेता है ।
४०५. जिसके आंख नहीं उसको शरीर से क्या खाम? ।
४०६. पानी में पेशाब न करे ।
४०७. नंगा होकर जल में न घुसे ।
४०८. जैसा शरीर वैसा ही ज्ञान होता है ।
४०९. जैसी बुद्धि होती है वैसा ही वैभव होता है ।
४१०. आग में आग न फेंके ।
४११. तपस्त्रियों की पूजा करे ।
४१२. परायी स्त्री के साथ संगम न करे ।
४१३. अश्वशन भ्रण हत्या जैसे पाप को भी नष्ट करता है ।
४१४. वेदवाहा कोई धर्म नहीं ।
४१५. धर्माचरण हरसमय करना चाहिये ।
४१६. सत्य स्वर्ग को पहुंचाता है ।
४१७. सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है ।
४१८. सत्य स्वर्ग का साधन है ।
४१९. सत्य पर ही संसार स्थिर है ।
४२०. सत्य से ही देव बरसता है ।
४२१. असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं ।
४२२. गुरुओं की अलोचना न करनी चाहिये ।
४२३. दुष्टता न करे ।
४२४. दुष्टका कोई मित्र नहीं ॥
४२५. दरिद्र का जीवन काटना कठिन होता है ॥
४२६. दानशूर हीं सब से बड़ा शर है ॥
४२७. गुरुदेव तथा ब्राह्मणों में भक्ति रखना ही सबसे बड़ा भूषण है ॥

४२८. विनय सबका भूषण है ॥
 ४२९. विनीत अकुलीन कुलीन से उत्तम होता है ॥
 ४३०. सदाचार से आयु तथा कीर्ति बढ़ती है ॥
 ४३१. अहितकारी प्रिय बात न कहना चाहिये ।
 ४३२. जिसकाम के बहुत से लोग विरुद्ध हों वह काम न करना चाहिये ।
 ४३३. दुर्जनों के साथ साझी न करे ।
 ४३४. स्वार्थी नीचों के साथ संबंध न करे ।
 ४३५. शृणु शत्रु और व्याधि को अधूरा न छोड़े ।
 ४३६. सामर्थ्य के अनुसार चलनाही पुरुष के लिये रसायन है ।
 ४३७. मांगनेवालों की अवश्य न करे ।
 ४३८. नीच लोग दुष्कर कर्म करवा कर करनेवालों को धुत्कार देते हैं ।
 ४३९. अकृतज्ञ नरक से नहीं लौटते ।
 ४४०. वृद्धि तथा नाश जबान पर निर्भर है ।
 ४४१. जिह्वा विष तथा अमृत की खान है ।
 ४४२. मधुर तथा प्रिय बोलनेवाले का कोई भी शत्रु नहीं होता ।
 ४४३. स्तुति करने से देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं ।
 ४४४. झूठों भी कठोर बात देर तक रहती है ।
 ४४५. राजा के विरुद्ध बात न कहना चाहिये ।
 ४४६. कान को व्यारी कोयल की अवाज से लोग खुश रहते हैं ।
 ४४७. अपने धर्म के कारण ही मनुष्य सत्यरुप कहाता है ।
 ४४८. मांगनेवालों की कोई इज्जत नहीं ।
 ४४९. सौभाग्य ही स्त्रियों का भूषण है ।
 ४५०. शत्रु से भी-दुर्व्यवहार न करे ।
 ४५१. खेत वही है जिसमें बिना मेहनत के पानी लगे ।
 ४५२. घरंड का सहारा लेकर हाथी को न चिड़ावे ।
 ४५३. बहुत बढ़ीहुई सेमलकभी हाथी के बांधने का खूटा नहीं बनता ।
 ४५४. कार्णिकार कितना ही लंबा क्यों न हो मूलब के काम में नहीं आता ।


४५५. जुगुन् कितना ही चमके आग नहीं कहा जासकता ।
४५६. बुद्धा होना ही गुण का हेतु नहीं ।
४५७. पिचुमंद कितना ही पुराना क्यों न हो शंकुल के काम में
नहीं आता ।
४५८. जैसा बीज होता है वैसा ही फल निकलता है ।
४५९. विद्या के अनुसार ही बुद्धि होती है ।
४६०. कुल के सहश ही आचार होता है ।
४६१. पिचुमन्द कितना ही क्यों न सुधारा तथा बनाया जाय
आम नहीं देता ।
४६२. आये हुए सुख का परित्याग न करे ।
४६३. मनुष्य [अपनी गलती से ही] दुःख में पड़ता है ।
४६४. रात में इधर उधर न घूमे ।
४६५. आधी रात में न सोवे ।
४६६. उसीके विद्वानों से परीक्षा करवादे ।
४६७. अकारण ही दूसरे के घर में न घुसे ।
४६८. जानकार भी लोग बुराकाम करते हैं ।
४६९. लोग प्रायः शास्त्र के अनुसार ही चलते हैं ।
४७०. यदि शास्त्र न होतो शिष्ट लोगों के अनुसार काम करे ।
४७१. आचरण से अधिक प्रामाणिक शास्त्र नहीं हैं ।
४७२. दूर रहते हुएभी राजा चारों की आंखों से देखता है ।
४७३. लोग एक दूसरे के पीछे चलते हैं ।
४७४. जिसका नमक खावे उसकी बदनामी न करे ।
४७५. इन्द्रियनिग्रह सब तपस्याओं का सार है ।
४७६. स्त्रीके बंधन से कुटकारा पाना कठिन है ।
४७७. स्त्रिये ही सब बुराइयों की जड़ हैं ।
४७८. स्त्रियों को पुरुषों की परीक्षा न करनी चाहिये ।
४७९. स्त्रियों का मन चंचल होता है ।
४८०. अशुभ से बचने वाले लोग स्त्रियों में नहीं फँसते ।
४८१. तीनों बेदों को जानने वाले ही यज्ञ के फलों को जानते हैं ॥
४८२. पुण्य के फल के अनुसार ही स्वर्ग में रहना मिलता है ॥

४८३. स्वर्ग से गिरने से बदकर और कोई दुःख नहीं है ॥
४८४. मनुष्य मर कर हन्द नहीं बनना चाहता ॥
४८५. निर्वाण ही सब दुःखों की औषध है ॥
४८६. शतार्य की मैत्री से आर्य की शतुता उत्तम है ॥
४८७. कठोर वांत कुल को नष्ट करती है ॥
४८८. पुत्र स्पृश से बदकर और कोई सुख नहीं है ॥
४८९. विवाद में धर्म का अनुसरण करे ॥
४९०. संघ्याकाल में कार्य की चिंता करे ॥
४९१. प्रदोष में संयोग न करे ॥
४९२. जिसका नाश नजदीक हो वह अन्याय करता है ॥
४९३. दूध चाहने वाले को हथिनी से क्या जाम ?
४९४. दान के समान वश्य कोई दूसरा उपाय नहीं ॥
४९५. दूसरे की चीज को लेने के लिये उत्सुक न हो ॥
४९६. पाप की कर्माएँ पापी ही खाते हैं ॥
४९७. कउष निमकौरी खाते हैं ॥
४९८. समुद्र कभी प्यासा नहीं होता ॥
४९९. बाल भी अपने समान गुज वाले से मेल रखता है ॥
५००. सज्जन लोग दुर्जनों के साथ मेल नहीं करते ॥
५०१. हंस ग्रेतवन में नहीं रहते ॥
५०२. लोग रप्ते की खातिर ही काम करते हैं ॥
५०३. आशा से ही लोग बंधे हैं ॥
५०४. आशा रहित लोगों के पास लक्ष्मी नहीं रहती ॥
५०५. आशा रहित लोगों के पास वैर्य नहीं होता ॥
५०६. दैन्य से उत्तम मरण है ।
५०७. आशा लज्जा को छिपा देती है ।
५०८. माँ के साथ न रहना चाहिये ।
५०९. अपनी प्रशंसा न करना चाहिये ।
५१०. दिन में न सोचें ।
५११. ऐश्वर्योध आसन लोगों को नहीं देता । इह बात नहीं
सुनता ।

५१२. स्त्रियों का पति से चढ़कर और कोई परम दैवत नहीं है ।
५१३. पति के अनुसार जबने में दोनों को ही सुख मिलता है ।
५१४. आये हुए अतिथि की यथा विधि यज्ञो करे ।
५१५. हृष्य का कोई भी व्याघ्रात नहीं है ।
५१६. शत्रु मित्र की तरह मालूम पड़ता है ॥
५१७. मृगतृष्णा जल की तरह होती है ।
५१८. दुर्बुद्धि बुरी बात को ही पसन्द करते हैं ।
५१९. सत्संग ही स्वर्ग बास है ।
५२०. आये पराये को अपने तुल्य समझता है ।
५२१. रूप के अनुसार ही गुण होता है ।
५२२. जहां सुख से रहे वही स्थान है ।
५२३. विश्वास वातियों का कोई भी निष्ठ्य नहीं है ।
५२४. साधु शरण में आये दुःखी को अपना करके मानते हैं ।
५२५. अनार्थ्य दिल की बात छिपाकर दूसरी बात कहता है ।
५२६. बुद्धि हीन पिशाच के तुल्य है ।
५२७. मार्ग में अकेले न चले ।
५२८. पुत्र की प्रशंसा न करे ।
५२९. नौकरों को स्वामी की प्रशंसा करनी चाहिये ।
५३०. धर्म कृत्यों में स्वामी का ही जाप ले ॥
५३१. राजा की आङ्ग का उल्लंघन न करे ॥
५३२. आङ्ग के अनुसार काम करे ॥
५३३. बुद्धिमानों का कोई भी शत्रु नहीं है ॥
५३४. अपने दोष को न प्रकाशित करे ॥
५३५. क्षमाबान् सब कुछ कर लेता है ॥
५३६. आपत्ति के लिये धन की रक्षा करे ॥
५३७. साहसी चोरों या अपराधियों की प्रिय बात न करे ॥
५३८. जो कल करना हो वह आजही करे ॥
५३९. सांक की बात सबरे ही करे ॥
५४०. व्यवहार के अनुसार ही धर्म है ॥
५४१. लोकहता ही सर्वहता है ॥
५४२. जो शास्त्रक लोकह नहीं वह मूर्ख के तुल्य है ॥

कौटिल्य वर्णशास्त्रम्

४४३. तत्त्व का दिखाना ही शास्त्र का प्रयोजन है ॥
४४४. तत्त्व ज्ञान कर्तव्य को प्रगट करता है ॥
४४५. व्यवहार में पक्षपान न करना चाहिये ॥
४४६. व्यवहार धर्म से भी महत्वपूर्ण है ॥
४४७. आत्मा ही व्यवहार का साक्षी है ॥
४४८. आत्मा सबका साक्षी है ॥
४४९. कृदसाक्षी कभी भी न बने ॥
४५०. भ्रूठ गवाह नरक में गिरते हैं ॥
४५१. महामृत छिपे पापियों के गवाह है ॥
४५२. आत्मा का पाप आत्माही प्रगट करता है ।
४५३. आकार छिपी बात को प्रगट कर देता है ।
४५४. आकार का संवरण करना देवताओं के लिये भी अशुक्य है ।
४५५. चेस्टों तथा सरकारी मैकरों से धन को बचावे ।
४५६. प्रजा दर्शन न देने वाले राजा को नष्ट कर देती है ॥
४५७. प्रजा दर्शन देने वाले राजा को चाहती है ॥
४५८. प्रजा न्यायी राजा को माता समझता है ॥
४५९. ऐसा राजा इस लोक में सुख और मृत्यु के बाद स्वर्ग का ग्रास होता है ॥
४६०. अहिंसा ही धर्म है ॥
४६१. साधु दूसरे के शरीर का अपने शरीर से बदलकर मानते हैं ॥
४६२. किसी को भी मांस मक्षण न करना चाहिये ॥
४६३. ज्ञानियों को संसार का भय नहीं होता ॥
४६४. विज्ञानरूपी हींप से संसार का भय नहीं होता ॥
४६५. सब कुछ अनित्य है ॥
४६६. कीड़े पेशाब तथा पाखने से भरा दुआ शरीर पुण्य पाता तथा जन्म का कारण है ॥
४६७. ज्ञेय भरणे में दुःख ही दुःख है ॥
४६८. तपस्वा से स्वर्ग मिलता है ॥
४६९. समा युक्त की तपस्वा बढ़ती जाती है ॥
४७०. इसी से सब लोगों को कार्य सिद्धि होती है ॥



तारा शंकर
विद्युत विभाग
मुख्यमन्त्री के अधीन
प्रभालय के अधीन संचालित
प्रभालय के अधीन संचालित
प्रभालय के अधीन संचालित
प्रभालय के अधीन संचालित
प्रभालय के अधीन संचालित

परमार्थ के अनुभव की विद्या को लेकर जीवन का एक अत्यन्त

प्रमुख विषय है।

जूम चढ़ाने के दृष्टिकोण से इस विद्या का अध्ययन एक अत्यन्त अच्छी विधि है। इस विद्या का अध्ययन करने के लिये आपको जूम चढ़ाने की विद्या का अध्ययन करना चाहिए। यह विद्या बहुत सुख देती है। इस विद्या का अध्ययन करने के लिये आपको जूम चढ़ाने की विद्या का अध्ययन करना चाहिए।

जूम चढ़ाने के दृष्टिकोण से इस विद्या का अध्ययन एक अत्यन्त अच्छी विधि है। इस विद्या का अध्ययन करने के लिये आपको जूम चढ़ाने की विद्या का अध्ययन करना चाहिए।

जूम चढ़ाने के दृष्टिकोण से इस विद्या का अध्ययन करने के लिये आपको जूम चढ़ाने की विद्या का अध्ययन करना चाहिए।

जूम चढ़ाने की विद्या का अध्ययन करने के लिये आपको जूम चढ़ाने की विद्या का अध्ययन करना चाहिए।

—



—

—



